"सत्याग्रह : महात्मा गांधी और अन्ना हजारे एक तुलनात्मक अध्ययन"

"Satyagrah: Mahatma Gandhi and Anna hazare A Comparative study."

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

सामाजिक विज्ञान संकाय

शोधार्थी

वैशाली बड़ोलिया

पर्यवेक्षक

डॉ. श्रीमती विजय सर्राफ

सहआचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग,

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज0)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2018

(Certificate to be given by the Supervisor)

C E R T I F I C A T E

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled **"Satyagrah: Mahatma Gandhi& Anna Hazare, A Comparative study"** by Smt. Vaishali Badolia under my guidance. She has completed the following requirements as per Ph. D regulations of the University.

(a) Course work as per the university rules.

(b) Residential requirements of the university (200 days)

(c) Regularly submitted annual progress report.

(d) Presented his work in the departmental committee.

(e) Published/ accepted minimum of Two research paper in a referred research journal,

I recommend the submission of thesis.

Date

Name and Designation of Supervisor

<u>ANTI-PLAGIARISM CERTIFICATE</u>

It is certified that PhD Thesis Titled **"Satyagrah : Mahatma Gandhi & Anna Hazare, A comparative study"** by **Vaishali Badolia** has been examined by us with the following anti-plagiarism tools. We undertake the follows:

a. Thesis has significant new work/knowledge as compared already published or are under consideration to be published elsewhere. No sentence, equation, diagram, table, paragraph or section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.

b. The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, results or words of others have been presented as author's own work.

c. There is no fabrication of data or results which have been compiled and analyzed.

d. There is no falsification by manipulating research materials, equipment or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record.

e. The thesis has been checked using plagiarism checker "URKUND", and found within limits as per HEC plagiarism Policy and instructions issued from time to time.

Vaishali Badolia
(Research Scholar)
Place:
Date:

Dr. (Smt.) Vijay Sharaf
(Research Supervisor)
Place:
Date:

ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।।

शोध सार

सत्याग्रह अहिंसक क्रांति का विज्ञान है, एक अवधारणा है। इसका शाब्दिक अर्थ है – ''सत्य का आग्रह या लक्ष्य पर अडिग रहना।'' यह निष्क्रीय प्रतिरोध से भिन्न है, अहिंसा का गतिशील रूप है, हिंसा का प्रवेश होते ही यह समाप्त हो जाता है अतः यह आत्मशुद्धि का आन्दोलन भी है। गाँधी जी ने सत्याग्रह का सृजन दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के असाधारण परिप्रेक्ष्य में किया तथा उसका पोषण भारत में ब्रिटिश शासन तथा देशी रियासतों के सामंतवादी शासन की परिस्थितियों में हुआ। अहिंसक तरीके से कार्य करते हुए महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आन्दोलन की अहम् भूमिका रही, जिसने सकारात्मक लोकशक्ति का अर्थ समझने में सामान्यजन की मदद की।

महात्मा गाँधी द्वारा संचालित सत्याग्रह ने अन्याय के प्रति सकारात्मक जनमत प्रकट करने तथा जनता को शिक्षित करने का कार्य किया। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से विश्व को संदेश दिया कि अन्याय व अत्याचार को चुपचाप सहन करना, ईश्वर एवं मानवता के प्रति अपराध है अतः जहाँ अन्याय होता है उसका विरोध सत्य व अहिंसा अर्थात् सत्य का आग्रह द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार सत्याग्रह विश्व में घटित समस्याओं को हल करने का महत्वपूर्ण साधन है।

वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है जो कि एक राजनीतिक प्रणाली से आगे बढ़कर सामाजिक विद्या, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक आदर्श व नैतिक मूल्य बनकर मानव जीवन के विविध पक्षों से जोड़ा गया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकप्रभुता व लोकनिर्णय की शक्ति के आधार पर लोककल्याणकारी, लोकोत्तरदायी सरकार निर्माण के प्रावधान किये गये। सह अस्तित्व समाज की स्थापना, विशेषाधिकारों की समाप्ति व अवसरों की समानता का उद्देश्य संविधान में रखा गया। वर्तमान युग नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। राजनीतिक जीवन कलुषित, दूषित, पतित हो गया है। नैतिक मूल्यों में गिरावट, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ हमारे सामने हैं।

आज हमें पुनः गांधीवादी प्रकाश की आवश्यकता है, ऐसे समय में एक और व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, ''लोकनायक अन्नाहजारे'' जिसे "आधुनिक युग का गाँधी" की संज्ञा दी जाने लगी। अन्ना हजारे का अनशन एक जनोपयोगी भावना से जुड़ा आन्दोलन है जो कि भारतीय लोकतंत्र में एक नयी सुबह लेकर आया है।

प्रस्तुत शोधकार्य ''सत्याग्रह : महात्मा गाँधी व अन्ना हजारे – एक तुलनात्मक अध्ययन'' में अन्ना की तुलना महात्मा गाँधी से की जायेगी। महात्मा गाँधी की सत्याग्रह तकनीक आज के

परिप्रेक्ष्य में कितनी सार्थक सिद्ध हो सकती है? अध्ययन किया जायेगा एवं भावी सम्भावनाओं का पता लगाया जायेगा।

उपरोक्त विषय पर प्रस्तावित शोधकार्य को छः अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है :–

प्रथम अध्याय : महात्मा गाँधी जी की सत्याग्रह तकनीक इसके अर्थ, गुण, तत्वों आदि पर प्रकाश डालते हुए गाँधीवादी प्रतिनिधि अन्ना हजारे के सत्याग्रह तकनीक के प्रयोग पर संक्षिप्त तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जायेगा।

द्वितीय अध्याय : सत्याग्रह की तकनीक गाँधी की मूल अवधारणा'' के अन्तर्गत विभिन्न परिस्थिति अनुसार इसके विभिन्न रूपों जैसे हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, हिजरत आदि पर प्रकाश डालते हुए अध्ययन किया जायेगा।

तृतीय अध्याय : ''सत्याग्रह पर आधारित महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आन्दोलन'' शीर्षक के अन्तर्गत उनके समय में चलाए गए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलनों के परिदृश्य पर अध्ययन किया जाएगा।

चतुर्थ अध्याय : ''21वीं शताब्दी में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन'' कारण, जनसमर्थन व सीमाएँ'' में अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार पर किए गए सत्याग्रह जन आन्दोलन पर मिलने वाले जनसमर्थन के कारणों व सीमाओं का उल्लेख किया जाएगा।

पंचम अध्याय : ''में महात्मा गाँधी व अन्ना हजारे के जन आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा।''

षष्ठम अध्याय : में निष्कर्ष एवं भावी सम्भावनाओं पर प्रकाश डालते हुए गाँधीवादी तकनीक पर वर्तमान समय की आवश्यकताओं व प्रासंगिकता पर अध्ययन किया जाएगा।

चूँकि महात्मा गाँधी के सत्याग्रह तकनीक का एक लम्बा इतिहास रहा है अतः ऐतिहासिक व तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेते हुए वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सार्थक निष्कर्षों तक पहुँचने का प्रयास किया जायेगा, उपरोक्त अध्यायों को पूर्ण करने में विभिन्न विद्वानों, विचारकों, लेखकों और विश्लेषकों की रचनाओं का सहारा लिया जाएगा। प्रस्तुत अध्ययन आम जनता की समझ व दृष्टि को व्यापक बनाने में सहयोगी होगा।

वर्षों पश्चात् आज भी समाज गाँधी की अहिंसात्मक तकनीक से परिवर्तन करने के प्रति आकर्षित है, इसी से ही एक सकारात्मक राष्ट्र व समाज का निर्माण सम्भव है। राष्ट्रपिता के अहिंसात्मक सत्याग्रह तकनीक के युगान्तरकारी परिवर्तन व योगदान नई पीढ़ी के सामने एक

मार्गदर्शक की तरह है जो एक नवीन नेतृत्वकारिता व जागरूक मतदाता को जन्म देगा। अतः महात्मा गाँधी की नीतियाँ आज भी देश के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है।

आज सामान्यतः सम्पूर्ण विश्व में विशेषतया भारत में क्रांति एवं मूल्य विहीनता का दौर विद्यमान है। समकालीन भारतीय समाज में घोर भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति पनप रही है अतः अन्ना द्वारा गाँधी के विचारों को पुनर्स्थापित करने के प्रयास द्वारा समाज व राष्ट्र को फिर से एक नई दिशा व जागरूकता प्राप्त होगी, जिसका उद्देश्य सामाजिक व राजनैतिक जीवन में नैतिकता को प्राथमिकता प्रदान करना और लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना है, ताकि न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण हो सके।

Candidate's Declaration

I, hereby, certify that the work, which is being presented in the thesis, entitled **"Satyagrah : Mahatma Gandhi & Anna Hazare, A comparative study"** in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy, carried under the supervision of Professor/**Dr. (Smt.) Vijay Sharaf** and submitted to the University of Kota, Kota represents my ideas in my own words and where others ideas or words have been included, I have adequately cited and referenced the original sources. The work presented in this thesis has not been submitted elsewhere for the award of any other degree or diploma from any Institutions. I also declare that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission. I understand that any violation of the above will cause for disciplinary action by the University and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited or from whom proper permission has not been taken when needed.

---------------------------.

(Signature)

-------------------------.

(Name of the student)

----------------------------.

Date : _________

This is to certify that the above statement made by **Vaishali Badolia** (Registration No. RS/768/13.) is correct to the best of my knowledge.

Date : _____________

(Research Supervisor(s))

(University Department of ....../University(Center/Research Center)

प्राक्कथन
(Preface)

प्राकक्थन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का शीर्षक "सत्याग्रह महात्मा गाँधी और अन्ना हजारे, एक तुलनात्मक अध्ययन" है। वास्तव में इसका वास्तविक केन्द्र "सत्याग्रह" ही है अर्थात् गांधीजी और अन्ना हजारे के प्रयासों में सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण व परीक्षण करना तथा गांधीजी व अन्ना हजारे का जो प्रयास रहा उसका स्थान निर्धारित करना। मोहनदास करमचंद गाँधी (1868–1948), जो महात्मा गांधी के रूप में लोकप्रिय थे, अपनी हत्या की आधी शताब्दी के बाद भी सभी के हृदय में विराजमान हैं। किशन बाबूराव हजारे (अन्ना) द्वारा किए जाने वाले सत्याग्रह समकालीन भारत में राजनीतिक, सामाजिक गतिशीलता के लिए गांधी की अपनाई तकनीकों की प्रासंगिकता को सुझाता है। गाँधी उन सबके लिए, जो एक वैकल्पिक विचारधाराजन्य परम्परा को खोजने में रूचि रखते हैं, के लिए शोध व चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है। यह काम इसलिए सहज हो जाता है क्योंकि विभिन्न विषयों पर गाँधीजी का स्वयं का लेखन पर्याप्त है तथा वह कम अस्पष्ट है। उनके विचार स्पष्ट व सहज होने के साथ समरूप सन्दर्भों में सार्थक है, जिसमें उन्होंने 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया। गाँधीजी ने भारतीयों को उनकी सशक्त परम्पराओं व उनकी योग्यताओं की शिक्षा देने के लिए उनके धार्मिक उपदेशों का प्रयोग किया। यह उनका एक तरीका था, जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद, अस्पृश्यता, और साम्प्रदायिक झगड़ों के विरूद्ध भारतीयों को शामिल किया।

अतः गाँधीजी ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरूद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया अपितु भारत की प्राचीन परम्पराओं के नाम पर शोषक सामाजिक संरचनाओं रीतिरिवाजों, मानकों और मूल्यों के विरूद्ध भी संघर्ष किया। इसलिए गाँधी के विचार न शुद्ध रूप से राजनीतिक हैं, न पूर्ण रूप से सामाजिक बल्कि इन दोनों का जटिल मिश्रण हैं जो गाँधी के उद्देश्य की अवधारणाजन्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। वास्तव में गाँधीजी के दो मूल विचार प्रमुख हैं– सत्याग्रह और अहिंसा। गाँधीजी का सत्याग्रह एक आदर्श है, कर्मयोग का एक व्यावहारिक दर्शन है, एक क्रियाशील अवधारणा है, जिसकी परीक्षा विभिन्न क्षेत्रों में की जा चुकी है और वह सफल सिद्ध हुई है। सब प्रकार के अन्याय उत्पीड़न और शोषण के विरूद्ध आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है। इसका स्वाभाविक आशय यही है कि यह मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है कि जहाँ कहीं भी अन्याय व असत्य का सामना करना पड़े वहीं सत्याग्रह का प्रयोग हो सकता है और सत्याग्रह हर परिरिस्थति में अहिंसात्मक ही होता है इसमें शुद्धतम आत्मबल का ही प्रयोग किया जाता है। गाँधीजी के अनुसार अहिंसा की वर्णमाला परिवार की पाठशाला में ही सीखी जाती है और फिर उसका प्रयोग राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी किया जा सकता है। अतः गाँधीजी ने सत्याग्रह को पवित्र उद्देश्यों की अहिसंक साधनों से प्राप्ति का अविरक्त मानवीय अध्यावसाय

माना है। चूंकि हमारे शोध का उद्देश्य गांधीजी के सत्याग्रह की तुलना अन्ना हजारे के सत्याग्रह से करना है जिनमें समय व परिस्थिति का बदलाव महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के आधार पर विदेशी शासन को भारत से हटने पर मजबूर किया और भारतीय जनता के जीवन के विभिन्न पक्षों में सुधार लाने का प्रयास किया। शांति, सद्भाव, प्रेम, अहिंसा पर आधारित समाज की स्थापना का सपना देखा। स्वतंत्रता की लड़ाई में दबे कुचले, गुलामी की जंजीरों में जकड़े लोगों की स्वतंत्रता के लिए एक नई पद्धति (सत्याग्रह) का उपयोग करते हुए पूरी शक्ति और सर्मपण का उपयोग किया। समस्या निवारण का महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो विकल्प अपनाया उसके कारण गांधीवादी विचारधारा प्रत्येक जगह सराही गई और आज भी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गांधीजी को जाना जाता है।

हमारे कानून निर्माताओं को गांधीवादी तौर–तरीकों को अपनाकर ही देश व विदेश की समस्या समाधान का प्रयास करना चाहिए। उनकी मृत्यु के इतने सालों बाद केवल उनकी मूर्ति पर माला पहनाने से उन्हे श्रृद्धांजलि नहीं दी जा सकती, जरूरी है जब हम उनके आदर्शों को अपनाकर पूरा करें। उनके जीवन मूल्यों का सहीं आकंलन करें, उनके विचारों को आत्मसात करें, और उन्हें अपने वास्तविक जीवन में लाने का प्रयास करें। दूसरी तरफ 21वीं शताब्दी मे जब आजाद भारत भ्रष्टाचार की जंजीरों में कुछ इस तरह जकड़ गया है जहाँ से आजाद होना नामुमकिन सा लगता है, गांधीवादी प्रतिनिधि अन्ना हजारे का जननायक बन कर उभरना इसी बात का संकेत है कि आज भी गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है क्योंकि स्वतंत्र भारत में एक व्यक्ति, जो लोगों की इतनी अधिक प्रतिबद्धता व भक्ति प्राप्त करता है, में ऐसा अवश्य कुछ होगा जो लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं से मेल खाता हो। गांधीजी को अपना आदर्श बना अन्ना हजारे बरसों से जमी भ्रष्टाचार की गंदगी को लोकपाल विधेयक की मांग द्वारा धोने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि गांधीजी की लड़ाई उन लोगों से थी जो हमारे देश के नही थे, अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने भारत आए थे परन्तु अन्ना हजारे की लड़ाई उन लोगों से है जिनके हाथों में स्वयं जनता ने विश्वास कर अपनी बागडोर सौंपी अर्थात् अपने ही देश के लोगों से। बिना सरकार के देश चल नहीं सकता और इतने सालों में तो यही स्पष्ट है कि बिना भ्रष्टाचार सरकार चल ही नहीं सकती। चारों और गरीब की हाय की गूंज है, मध्यम वर्ग इसमें पिसता जा रहा है। लोगों की मानसिकता ही यह बन गई है कि पैसा दो, काम करवाओ। ऐसी घुटन की आवाज अन्ना हजारे द्वारा उठायी गयी और उन्होंने सम्पूर्ण देश के आम नागरिक के अन्दर एक आत्मसम्मान, आत्म विश्वास और गलत को न मानने का साहस फिर से जगाया जिसकी शुरूआत गांधीजी ने की थी। जिस स्वप्न को गांधीजी ने देखा था वह लुप्तप्रायः ही लगने लगा था परन्तु अन्ना द्वारा उनका प्रतिनिधित्व उसी

साहस के साथ उनके पदचिन्हों पर चलकर पूरा किया जा रहा है और वे अभी तक इस मुहिम को जनलोकपाल आन्दोलन द्वारा पूरा करने में लगे हुए हैं।

चूंकि यह अध्ययन भारत के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्बन्धित है अतः यह प्रश्न स्वतः प्रकट होते हैं कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उद्देश्य क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? इससे सम्बन्धित जो अध्ययन है उस पर किस प्रकार का व कितना साहित्य उपलब्ध है? तुलनात्मक दृष्टि से कुछ प्रश्नों के उत्तर तलाशने का प्रयास किया गया है। इस शोध की शोध पद्धति क्या है? और कौनसी ऐसी प्राकल्पनाऐं हैं जिनकों जांचने का प्रयास किया गया है? अपने मन और विचार तथा समझ की इस पृष्ठभूमि में मैंने अपने पीएच.डी. शोध की उपाधि हेतु इस विषय का चयन किया। चूंकि शोध विषय सत्याग्रह और गांधी व अन्ना के तुलनात्मक विश्लेषण से सम्बन्धित है अतः विषय का औचित्य स्वयंसिद्ध है। इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं–

1. पाठक महात्मा गांधी की केन्द्रिय तकनीक "सत्याग्रह" से ठीक से परिचित हो सकेंगें।
2. सत्याग्रह की अवधारणा और उपयोगिता को ठीक से प्रस्तुत करने के क्रम में उसके मन्तव्यों से परिचित हो सकेंगे।
3. स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जब अंग्रेजी शासन था तब गांधीजी ने उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या विकल्प प्रस्तुत किया? उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगें
4. पश्चिमी या शैतानी सभ्यता जिसको गांधीजी ने अस्वीकार किया उसकी बुराईयों से परिचित हो सकेंगे।
5. सत्याग्रह की विषयवस्तु उसकी कार्यप्रणाली और उसके संदेश की जानकारी मिल सकेगी।
6. गांधीजी और अन्ना हजारे दोनों को अपने–अपने समय में किन विद्वानों से प्रेरणा मिली व 20वीं व 21वीं सदी के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिदृश्य की तुलना करके भावी मार्ग तय कर सकेगें।
7. अंग्रेजी शासन को भारत से हटाने के लिए गांधीजी ने जो साधन अपनाएं और वर्तमान में अन्ना भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कदम उठा रहे हैं उनकी तात्कालीन और वर्तमान प्रासंगिकता से रूबरू हो सकेगें।
8. गांधीजी व अन्ना हजारे द्वारा प्रयुक्त सत्याग्रह से प्राप्त होने वाले स्वराज्य व स्वशासन के आदर्शों से परिचित हो सकेंगे।
9. यह जान पाएगें कि पश्चिमी प्रणाली और गांधी व अन्ना द्वारा समर्पित प्रणाली में समन्वय स्थापित करके क्या एक ही ऐसी प्रणाली स्वीकार की जा सकती है जिससे

सभी लाभान्वित हो सकेगें? अंग्रेजी शासन और वर्तमान भारतीय शासन के प्रति गांधी व अन्ना की जो प्रतिक्रिया है उससे रूबरू हो सकेंगे।

10. वर्तमान परिस्थितियों में गांधीवादी तकनीक का प्रयोग कर भ्रष्टाचार जैसी गम्भीर समस्या का निवारण क्या हम कर पाएगें? यह जानने का हम प्रयास करेगें।

11. क्या गांधीजी के अनुयायी उनकी सत्याग्रह तकनीक को ठीक से समझ पाए हैं? इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगें।

12. सत्याग्रह की विषयवस्तु का विश्लेंषण व मूल्यांकन कर सकेगें।

13. दोनों की परिस्थितियों, नेतृत्व क्षमता, व व्यक्तित्व की तुलना कर सकेंगे।

14. स्वतत्रंता पूर्व और उसके बाद की भारत की राजनैतिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकेगें।

15. महात्मा गांधी व अन्ना हजारे के विचारों की मौलिकता, उपादेयता और प्रासंगिकता का अध्ययन कर सकेगें।

16. गांधीजी व अन्ना हजारे के सन्दर्भ में भारतीय राजनीति की भावी सम्भावनाओं का पता लगा सकेगें।

उक्त सन्दर्भ में महात्मा गांधी और अन्ना हजारे की तकनीक और क्रियाकलापों की सामान्य जानकारी जो इस शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया गया है। अतः सम्पूर्ण अध्ययन या शोध प्रबन्ध को छः अध्यायों में अध्याय विन्यास किया गया है।

प्रथम अध्याय में विषय परिचय, गांधीजी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह अवधारणा, दोनों विचारकों के समय की संक्षिप्त तुलना करने का प्रयास किया गया है। सत्याग्रह का अर्थ सत्याग्रही के गुण, व व्रत के साथ–साथ सत्याग्रह तत्व की अहिसंक शक्ति का विस्तृत उल्लेख भी किया गया है और साथ ही दोनों विचारकों के समय व परिस्थिति जिसमें उन्हें सत्याग्रह के मार्ग का चयन करना पड़ा, का विस्तृत वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है। मुख्यतयाः यह अध्याय सत्याग्रह का 20वीं व 21वीं शताब्दी में परिचयात्मक अर्थ को प्रदर्शित करता है।

द्वितीय अध्याय में सत्याग्रह की विभिन्न तकनीकों (गांधीजी द्वारा प्रयुक्त) को स्पष्ट किया गया है। इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि गांधीजी द्वारा कई विकट परिस्थितियों में इनका प्रयोग सफलतापूर्वक कर सफलता अर्जित की गई। इससे सत्याग्रह की सम्पूर्ण ताकत की जानकारी हमें हो जाती है कि जब अन्याय व अत्याचार अपनी हद पार कर जाए, चारों और हाहाकार मचा हो तब भी किस प्रकार सत्य, अहिंसा, व प्रेम बल से विरोधी का

हृदय परिवर्तित कर सफलता अर्जित की जा सकती है। हालांकि ये गांधीजी द्वारा समयानुसार उठाए गए कदम हैं जिन्हें उनके सत्याग्रह तकनीक या साधन का नाम दे दिया गया है।

तृतीय अध्याय का सरोकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परीदृश्य के आन्दोलन हैं। गांधीजी को जब सत्य का ज्ञान हुआ और उनकी आन्दोलनों की पृष्ठभूमि दक्षिण अफ्रीका में तैयार हुई तो यह उनका प्रशिक्षण काल था जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई और वे पूरे उत्साह से भारतीय जमीन पर अंग्रेजों के पैर उखाड़ने को तत्पर हो गए। इस सन्दर्भ में उन्होंने कई छोटे बड़े आन्दोलन किये जिनमें असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन प्रमुख रहे जिनमें उनकी उपलब्धि और परिणाम महत्वपूर्ण रहे। इन आन्दोलनों में सफलतापूर्वक किए गए सत्याग्रह से सम्पूर्ण विश्व में उन्हें महात्मा व बापू के नाम से जाना जाता है।

चतुर्थ अध्याय 21वीं सदी में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन से सम्बन्धित है जिसमें अन्ना की सामान्य पृष्ठभूमि, अन्ना का आन्दोलन में सक्रिय होना, और एक समाज सुधारक आन्दोलनकारी के रूप में उनकी पहचान कायम होना, उन्हें मिला भारी जनसमर्थन व सहयोग उनकी उपलब्धियां आदि का उल्लेख किया गया है। हमारा यह अध्याय प्रमुखतया (2011), UPA द्वितीय की सरकार के समय में अन्ना हजारे ने दिल्ली में भ्रष्टाचार निवारण हेतु लोकपाल विधेयक के लिए जो अनशन किया था, पर आधारित है।

पंचम अध्याय में गांधीजी व अन्ना हजारे के आन्दोलनों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तुलना के विशेष रूप से 3 आधार स्वीकारे गए हैं जैसे–

1. दोनों के आन्दोलन के समय वातावरण व परिस्थितियों की भिन्नता
2. राजनैतिक सत्ता की भिन्नता
3. नेतृत्व की भिन्नता

इसमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सका है कि दोनों के मध्य पर्याप्त असमानताऐं होते हुए भी दोनों में कुछ समानताऐं भी नजर आती हैं। जहाँ गांधीजी ने सुधार की दिशा के हर पहलू को छुआ वहीं अन्ना हजारे गांधीजी के विचारों को आत्मसात कर एक गांधीवादी प्रतिनिधि की भूमिका में नजर आते हैं जो मौजूदा समाज व राजनीति में फैली भ्रष्ट्राचार की जड़ों पर आन्दोलनात्मक प्रहार कर जनचेतना जाग्रत कर रहे हैं।

छष्ठम् अध्याय सम्पूर्ण शोध का सारांश है, जिसमें उक्त सभी अध्यायों में किये गए विचार विमर्श के आधार पर प्राप्त होने वाले विभिन्न निचोड़ प्रस्तुत किए गए हैं और भावी सुझावों के साथ शोध अध्ययन को समाप्त किया गया है। विश्लेषण करने पर यही सामने आता

है कि अन्ना हजारे इस सदी के तनावपूर्ण वातावरण व विध्वंसक परिस्थितियों में गांधीजी द्वारा सुझाए मार्ग से जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करूणा आदि पर आधारित है, ऐसी दुनिया की रचना करना चाहते हैं जो मानवीय, प्रेमपूर्ण समानता व न्याय पर आधारित हो। महात्मा गांधी द्वारा आजाद भारत के लिए भी एक ऐसा सपना देखा गया था जिसमें हर गरीब व्यक्ति की आवाज का महत्व होगा, विविध सम्प्रदायों में मेलजोल होगा, स्त्रियों को समान अधिकार, अस्पृश्यों को न्याय, ग्राम स्वराज्य, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास से परिपूर्ण समाज होगा। सारी दुनिया के साथ हमारा शांति का सम्बन्ध होगा जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, परन्तु उनके सपनों के भारत की नींव स्वतंत्रता के बाद से ही डलने से पहले ही खत्म हो गई। आज बाहर के लोग तो दूर की बात है देश के लोगों द्वारा ही जनता के विश्वास का गला घोटा जा रहा है, शोषण पर शोषण किया जा रहा है और इसमें कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा चाहे वह शिक्षा हो या व्यापार, सामाजिक हो या राजनीतिक। हमारी आज की राजनैतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को पैरों तले रौदंकर पूरी व्यवस्था को नष्ट करने में लगी है जिसमें संविधान भी असहाय सा प्रतीत होता है और इसी अमानवीय व भ्रष्ट हो चुके समाज के खिलाफ उठी अन्ना हजारे की आवाज गांधी की तरह बुलन्द इरादों से ओतप्रोत है।

चूंकि यह शोध प्रबन्ध महात्मा गांधी के सत्याग्रह से सम्बन्धित है, जिसका प्रयोग वर्तमान में श्री अन्ना हजारे साहेब द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ (जनलोकपाल बिल के लिए) किया जा रहा है अतः इस दृष्टि से यह अध्ययन आम नागरिक, समाज की भलाई के लिए काम करने वालों, जनसेवा में लगे व्यक्तियों व संगठनों, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों, समाजशास्त्रीयों, सबसे सम्बन्ध रखता है इसलिए सबके लिए उपयोगी हो, ऐसी शोधार्थी की आशा है। इस शोध को पढ़ने के बाद विद्वजन शोधार्थी की गलतियों व नासमझियों को क्षमा करें। जो भी सामान्य नागरिक जो इस स्वार्थी समाज में अपने और अपने परिवार के जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहें हैं, वे शायद इसे पढ़कर प्रसन्नता हासिल कर सकें। देश के इतिहास में यह एक ऐसा मोड़ है, जब सड़ी हुई यह व्यवस्था, जर्जर हालत में आखिरी साँस ले रही है। इसको संपूर्ण समाज के साहस से ही पलटा जा सकता है, जिस साहस का परिचय महात्मा गांधी ने हमें दिया और जिसका अनुसरण अन्ना हजारे द्वारा किया जा रहा है, हमें आगे आना होगा और उनकी आवाज में आवाज मिलाकर देश को इस गुलामी से आजाद करवाना होगा क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ाई हर एक उस नागरिक की है जो इससे ग्रस्त है और सम्भवतया ऐसा कोई नागरिक नहीं। हमें सम्पूर्ण परिवर्तन की बात सोचनी होगी क्योंकि यह प्रलयंकारी स्वरूप हमें ललकार रहा है। ऐसे में दृढ़ निश्चय कर ही हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। चूंकि किसी भी शोध अध्ययन के अनेक पहलू होते हैं अतः किसी एक शोध विधि से अंतिम निष्कर्षों तक नहीं पहुँचा जा सकता। इस कारण प्रस्तुत शोध में भी ऐतिहासिक,

तुलनात्मक, आदर्शात्मक, वैज्ञानिक यर्थाथवादी, एवं आधुनिक शोध विधि विज्ञान की अनेक पद्धतियों का सहारा लिया गया है। अतः यह अध्ययन अपनी प्रकृति से अनुभवात्मक, तार्किक व विश्लेषणात्मक, संस्थागत व व्यवहारगत प्रक्रियाओं पर आधारित है। ऐतिहासिक व तुलनात्मक होने के साथ ही आन्दोलनात्मक घटनाक्रम है अतः विकल्प ढूंढने का प्रयास किया गया है एवं सत्याग्रह को लेकर जो भ्रान्तियाँ है उनको स्पष्ट किया गया है। साथ ही गांधीजी व अन्ना हजारे की प्रतिष्ठा का स्तर तय किया गया है। अपने गुरूजनों, अपने परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों एवं स्वयं अन्ना हजारे साहेब से भी प्रश्न पूछकर जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया है। इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न रचनाओं से तो सहायता ली गई है, साथ ही समय–समय पर सामयिक पत्र–पत्रिकाओं में जो लेख व विश्लेषण सामने आए, उनसे भी सहायता ली गई है। अतः सम्पूर्ण अध्ययन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक, दोनों प्रकार के स्त्रोतों का सहारा लेकर इसे पूर्णता प्रदान की है। इसमें प्रत्येक अध्याय से सम्बन्धित सन्दर्भ सूची भी प्रस्तुत की गई है और अन्त में भी भावी अध्येताओं के मार्गदर्शन हेतु एक ग्रन्थसूची भी प्रस्तुत की गई है, जो उनके लिए उपयोगी साबित होगी। स्पष्ट है, यह विषय सामयिक महत्व का है और इस दृष्टि से सभी के लिए उपयोगी है। इसलिए अत्यन्त दिलचस्प रूचिकर एवं हितकारी होगा तथा सभी विषयों के और विशेष रूप से राजनीति विज्ञान की विषयवस्तु में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसी शोधार्थी की आशा है।

आभार

प्रस्तुत पी.एच. डी. शोध–प्रबन्ध की पूर्णता के लिए मैं सर्वप्रथम उन मनीषियों को नमन करती हूँ, जिनकों विधाता ने एक अधिक मानवीय, अधिक सुन्दर, अधिक प्रेमपूर्ण, मतभेदों रहित, भेदरहित, विभाजन रहित, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और उच्चतर समरस पर आधारित दुनिया व संसार निर्मित करने की प्रेरणा दी। जिनकी असीम कृपा से मैं भी अपना यह कार्य पूर्ण कर पायी हूँ। मैं अपने शोध मार्गदर्शक डॉ. श्रीमती विजय शर्राफ, सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.), के प्रति अपने हृदय के गहनतम तल से आभारी व कृतज्ञ हूँ, जिनके अत्यधिक स्नेह, सहयोग, प्रोत्साहन, प्रेरणा व मार्गदर्शन से ही यह शोध प्रबन्ध सम्भव हो पाया है, क्योंकि वे राजनीति विज्ञान विषय की सभी शाखाओं व उपशाखाओं के गहरे ज्ञान से अधिकृत हैं। वास्तव में उनकी दार्शनिक दृष्टि विश्लेषण दक्षता, अवधारणात्मक स्पष्टता तथा अभिव्यक्ति की मधुरता से ही मेरे ज्ञान का विकास व उन्नयन हुआ। इस दृष्टि से मैं सदैव उनकी ऋणी रहूँगी। मुझे उनका जो विश्वसनीय सहारा रहा, वह मेरे भावी जीवन में भी अविस्वरणीय रहेगा, क्योंकि मैंने एक तरह से उनके साथ उठते–बैठते उनके ज्ञान के अथाह सागर से कुछ बूंदें ग्रहण करने का प्रयास किया है। साथ ही मैं उनके परिवार के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने उनके निवास स्थान पर शोध के लिए दिए जाने वाले समय में सहर्ष व सहज सहयोग प्रदान किया अतः उनके प्रति आभार प्रकट करना मैं अपना कर्त्तव्य मानती हूँ। साथ ही झालावाड़ महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय व राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. फूलसिंह जी गुर्जर का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ एवं समस्त सहायक व्याख्याताओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अन्ना हजारे जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय मुझे प्रदान कर अनुग्रहित किया। साथ ही डॉ. डी.एस. यादव का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने समय–समय पर मेरे शोधकार्य में मुझे हरसंभव सहायता प्रदान की। पीएच.डी. शोध हेतु पंजीकरण के समय कोटा विश्वविद्यालय के तात्कालिक कुलपति श्री एस.सी. राजोरा जी के प्रति भी अत्यन्त आभारी हूँ, क्योंकि उनकी सद्पेक्षा से ही इस कार्य का श्री गणेश हुआ। मैं कुलपति श्री पी.के. दशोरा जी का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही डॉ. ओ.पी. ऋषि, निदेशक (शोध) एवं डॉ. विपुल शर्मा उप निदेशक (शोध) का भी सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

चूंकि परिवार हमारे सभी प्रकार के संस्कारों की प्रथम पाठशाला है। अतः इस दृष्टि से मैं अपने माता–पिता श्रीमान् अशोक कुमार बड़ोलिया और श्रीमती सोमवती बड़ोलिया के साथ अपने माता–पिता समान सास–ससुर श्रीमान् कालुलाल मालव व श्रीमती राममूर्ति मालव को अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि समर्पित करती हूँ। मेरी माँ के दिए संस्कार व प्रेम और पिता का मुझ पर और मेरे हर फैसले पर दिया जाने वाला सहयोग व उनके ऊर्जावान वक्तव्यों ने सदैव मुझे जीवन के हर मोड़ पर एक विश्वास दिया है। जीवन के हर पल को आत्मविश्वास व आत्मसम्मान से जीना सीखाया है अतः मेरी हर कृति मेरे आदरणीय माता–पिता के चरणों को समर्पित है। इसी क्रम में मैं मेरे पति श्रीमान् रमेश मालव का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जो मेरे जीवन के हर मोड़ पर मेरे साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़े नजर आते हैं। उनके अथक प्रयासों से मेरी पी.एच.डी. अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाई है। उनके द्वारा समय–समय पर

प्रदान किया गया विश्वास मेरा आत्मविश्वास बना और मैं लगातार अपने प्रयासों को पूरा करती चली गई। उनके लिए कोई भी अभिव्यक्ति शब्दों से परे है।

अपनी समस्त बहनों व बहनोईयों का सहृदय धन्यवाद करती हूँ जो अनकहे ही मेरी समस्या को पल में सुलझा देते हैं। इनके ऐसे निःस्वार्थ सहयोग से ईश्वर सदैव उन पर अपना वरदहस्त रखे। आगे बढ़ते हुए मैं मेरे जीवन के उस हिस्से का भी आभार प्रकट करती हूँ जिसके बिना शायद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मेरा पुत्र नभ्य मालव जिसने कभी दूर रहकर, कभी साथ जाकर अपनी प्यारी सी मुस्कान से हमेशा ही मुझे बल संचित किया और मुझे ताजा व प्रफुल्लित बनाए रखा। साथ ही मैं अन्य सम्बन्धियों, मित्रगणों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस दौरान मुझे उत्साहित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिए अध्ययन सामग्री एकत्रित करने की दृष्टि से मैं कोटा शहर के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों, झालावाड़ पुस्तकालय, जयपुर, उदयपुर, अजमेर तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के प्रभारी व सहयोगी कर्मचारी को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने निरन्तर मुझे सहयोग प्रदान किया। इस शोध प्रबन्ध के सुन्दर, स्पष्ट कुशल कम्प्युटराईज्ड टंकण श्रीमान् मुकेश सेन को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके अथक प्रयत्नों से मैं इस शोध प्रबन्ध को समय पर पूरा करने में सक्षम हो पाई।

इस शोध प्रबन्ध में जिन विद्वानों और विशेषज्ञों की रचनाओं से कण बटोरकर मैंने अपना यह शोध प्रबन्ध पूरा किया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि इस शोध प्रबन्ध में जो कुछ भी उत्कृष्ट है, वह सब उनकी व मेरे मार्गदर्शक महोदया की देन है और जो कुछ भी त्रुटियां है उनका दायित्व मेरा है। फिर भी मैं आशवस्त हूँ कि विशेषज्ञगण उनकों नजरअन्दाज करेंगे और भविष्य में भी शोध में रत रहने के मेरे संकल्प को बल प्रदान करेंगे।

दिनांक

स्थान

वैशाली बड़ोलिया

शोधार्थी

अनुक्रमणिका

(Index)

क्र.सं.	विषयसूची	पृष्ठ सं.
1	मुख्यपृष्ठ	
2	प्रमाण पत्र	i
3	एन्टी–प्लेग्रिज्म प्रमाण पत्र	ii
4	शोध सार	iii-v
5	घोषणा पत्र	vi
6	प्राक्कथन एवं आभार	vii-xv
7	अनुक्रमणिका	xvi
8	सारणी सूची	xvii
9	रेखाचित्र सूची	xviii
10	**अध्याय प्रथम** - प्रस्तावना, विषय परिचय, महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह अवधारणा। समय व दोनों विचारकों की तुलना	1–35
11	**अध्याय द्वितीय** - सत्याग्रह की तकनीक, गाँधी की मूल अवधारणा	36–70
12	**अध्याय तृतीय** - सत्याग्रह पर आधारित महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आन्दोलन (राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य)	71–112
13	**अध्याय चतुर्थ** - 21वीं शताब्दी में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन – कारण, जनसमर्थन एवं सीमाएँ	113–159
14	**अध्याय पंचम** - महात्मा गाँधी एवं अन्ना हजारे के आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन	160–199
15	**अध्याय षष्ठम्** - निष्कर्ष व भावी सम्भावनाएँ	200–226
16	**संक्षेपिका**	227–243
17	**संदर्भ ग्रन्थ सूची**	244–257
18	**परिशिष्ट**	
19	**शोध पत्र**	

सारणी सूची
(List of Tables)

सारणी	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
4.1	सरकारी लोकपाल विधेयक व जनलोकपाल विधेयक – अन्तर	134–135
4.2	अन्ना हजारे का 16–28 अगस्त 2011 के अनशन का संक्षिप्त विवरण	140–142

रेखाचित्र सूची

(List of Figures)

सारणी	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
2.1	आर्ने नैश का सत्याग्रह वर्गीकरण	38–39
2.2	श्री जे. बंदोपाध्याय का सत्याग्रह वर्गीकरण	39
2.3	एस.जी. कीनी का सत्याग्रह सिद्धान्त	39
2.4	असहयोग के प्रकार	46

प्रथम अध्याय

विषय परिचय, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह अवधारणा : समय व दोनों विचारकों की तुलना।

प्रथम अध्याय

विषय परिचय, महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह अवधारणा, समय व दोनों विचारकों की तुलना

प्रस्तुत प्रथम अध्याय मुख्य रूप से इस शोध प्रबन्ध का आईना है। इसमें गाँधी और अन्ना हजारे के जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वप्न, उनके विचार और उन विचारों का आधार तथा भावी समाज की रचना से सम्बन्धित विचार प्रस्तुत किये गए हैं जिनका अपना एक अभिप्राय है, एक स्पष्ट स्वरूप है, उनकी अपनी एक अलग प्रकृति है और उनके माध्यम से सामाजिक,राजनैतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों की बुराईयों को समाप्त करके एक आदर्श, स्वच्छ, हिंसा रहित तथा ईमानदार समाज की रचना का उद्देश्य रखा गया है। चूँकि यह अध्याय महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह अवधारणा के अर्थ पर आधारित है और इसी दिशा में हमने अन्ना हजारे द्वारा किये गए सत्याग्रह से संक्षिप्त तुलना करने का प्रयास भी किया है जो कि समय की आवश्यकता ही महसूस होती है कि गाँधीजी द्वारा किये गए सत्याग्रह द्वारा जो आदर्श उपस्थित किये गए थे, स्वतंत्र भारत की जो रूपरेखा महात्मा गाँधी द्वारा सुझाई गई थी, उसमें बदलते समय व परिस्थितियों के चलते, स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक जो गंदगी जमा हो गई है और जिनका निवारण असम्भव–सा प्रतीत होता है, उस दिशा में एक 81 वर्षीय व्यक्ति द्वारा मुहिम चलाई गई और वे उसी भाँति एक सशक्त स्तम्भ की भाँति दिखाई दिये जिस प्रकार गाँधीजी थे। इस प्रकार हमारे शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय का सरोकार दोनों महान आन्दोलनकारियों द्वारा संचालित सत्याग्रह के विषय परिचय से है।

मोहनदास करमचंद गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबन्दर गुजरात में हुआ। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन 1891 में बैरिस्टर के रूप में प्रारम्भ किया। 2 वर्ष बाद एक मुकदमें की पैरवी के सिलसिले में उन्हें 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शासकों के अधीन भारतीयों को अत्यन्त कष्ट व अपमान का जीवन बिताना पड़ रहा है। इसके प्रतिकार के लिए भारतीयों के पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी। गाँधी जी ने यहीं से सत्याग्रह की शक्ति आजमाने की शुरूआत की। वे लम्बे समय तक वहाँ रहे और बीच–बीच में भारत आते रहे। इसी दौरान उनका परिचय बालगंगाधर तिलक, गोपालकृष्ण गोखले आदि शीर्ष नेताओं से हुआ। 1915 में दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद जब वे भारत आए तो उनका नाम भारत में प्रसिद्ध हो चुका था। अंग्रेजी राज में भारतीयों की दीन–हीन दशा को देख उनका मन अत्यन्त क्षुब्ध हो गया और उनके जीवन की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो गयी। अब वे एक बैरिस्टर नहीं बल्कि अपने देश के लोगों को सत्य व अहिंसा के द्वारा न्याय का पथ दिखाने वाले पथ प्रदर्शक बन गए। इसमें अपने देश की दुर्दशा के प्रति उनके हृदय की करूण

पुकार ने उन्हें झकझोर दिया था। प्रमुखतया गाँधीजी की सत्य, अहिंसा, प्रेम, साध्य प्राप्ति के लिए संसाधनों की श्रेष्ठता एवं नैतिक पवित्रता में उनकी दृढ़ आस्था थी। इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया जिसे "सत्याग्रह" का नाम दिया।[1]

प्रथम महायुद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार का सिलसिला जारी रखा तो गाँधीजी ने अहिंसा पर बल देकर जनता के उग्र आन्दोलन को हिंसात्मक होने से बचाया। इसी दौरान कुछ समय तक उन्होंने इण्डियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व भी सम्भाला जो उस समय की राष्ट्रीय जागरण की प्रमुख संस्था थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी शासकों ने भारतीय जनता का मत जाने बिना ही भारत को युद्ध में धकेल दिया। जिसके फलस्वरूप गाँधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली परन्तु देश के दो टुकड़ों में बंट जाने के बाद, जिससे राष्ट्रीय एकता के पुजारी गाँधीजी के ह्रदय को गहरी ठेस पहुँची क्योंकि उन्होंने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता और एकता को प्रमुख मानते हुए देश को एकता के सूत्र से बाँधने का प्रयास किया, परन्तु 30 जनवरी 1948 को उनके सम्पूर्ण प्रयासों को तिलांजली देते हुए स्वतंत्र भारत में अपने ही देश के एक हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।

वस्तुतः गाँधीजी शुद्ध राजनीतिक विचारक नहीं थे बल्कि सच्चे कर्मयोगी थे। वे वर्तमान भारत के राष्ट्रनिर्माता थे। उन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता अथवा बापू के नाम से याद करते हैं। उनके उच्च नैतिक चरित्र व धार्मिक रूझान को देखकर ही कविन्द्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें "महात्मा" के नाम से सम्बोधित किया और आज भी वे महात्मा गाँधी के नाम से लोकप्रिय हैं। उन्होंने जिस सत्य व अहिंसा द्वारा देश को स्वतंत्रता दिलाई उसी को आज का समाज भुलाए बैठा है और अनैतिकता के पथ पर चलकर अनेक बुराईयों को जन्म दे रहा है। ऐसे में गाँधीजी के आदर्श मात्र आदर्श ही बनकर रह गए हैं। गाँधीजी जैसे महान् महात्मा ने राजनीति को विशाल धार्मिक और नैतिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपनाया। अपनी आत्मकथा 'मेरे सत्य के प्रयोग' में उन्होंने स्पष्ट किया कि ''मैं किसी नए वाद का सूत्रपात नहीं कर रहा हूँ। गाँधीवाद जैसी कोई विचारधारा का अस्तित्व नहीं है।'' व्यावहारिक जीवन में जो समस्याऐं समय–समय पर उनके सामने आयी उनका समाधान वे सत्य, अहिंसा और प्रेम के द्वारा करते चले गए। सत्य जिस–जिस रूप से उनके सामने प्रकट होता चला, उसी के निश्चल प्रस्तुतीकरण से वे कभी पीछे नहीं हटे। यही कहा जा सकता है कि उन्होंने सत्य व अहिंसा को केन्द्र में रखकर कुछ सिद्धान्त प्रस्तुत किये जिनके आधार पर अपनी राजनीतिक कार्यवाही के तरीके भी विकसित किये। गाँधीजी का चिन्तन उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित था जिसे वे जगह–जगह प्रस्तुत करते चले गए।

गाँधीजी का मानना था कि सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति की जीवन शैली साधारण होनी चाहिए। उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारते हुए पश्चिमी कपड़ों व रहन–सहन का परित्याग कर दिया था। महात्मा गाँधी जितने सरल उतने ही जटिल विचारक और अद्वितीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे। वे प्रखर लेखक थे और उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी, इनमें उनकी आत्मकथा ''मेरे सत्य के प्रयोग'', ''दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह'', ''हिन्द स्वराज्य'', ''जॉन रस्किन की अन टू द लास्ट'', का गुजराती में संक्षिप्त संस्करण, सत्याग्रह के साथ–साथ भगवद् गीता पर गुजराती में एक टीका भी लिखी जिसका महादेव देसाई ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है जो वर्ष 1946 में प्रकाशित की गई है, प्रमुख हैं। उन्होंने शाकाहार भोजन, स्वास्थ्य, धर्म, सामाजिक सुधार पर व्यापक रूप से लिखा है। इण्डियन ओपिनियन, यंग इण्डिया, नव जीवन, हरिजन, सहित अनेक समाचार पत्रों का हिन्दी, गुजराती और अंग्रेजी में सम्पादन किया। महात्मा गाँधी की सम्पूर्ण रचनाओं को ''सम्पूर्ण गाँधी वाङ्गमय'' – महात्मा गाँधी संकलन के नाम से 100 भागों में प्रकाशित किया है। इन्हीं के साथ उन्होंने अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन किया। वे अपने घरेलू काम स्वयं करते, अस्पतालों में स्वयं सेवक के रूप में कार्य करते, आवश्यकता भर ही भोजन ग्रहण करते। समृद्ध परिवार से होने के बावजूद आवश्यक सम्पत्ति को ही अपने पास रखते और इसके लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप की अवधारणा को प्रमुख माना।

अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इस सम्बन्ध में स्वयं गाँधीजी ने स्वीकार किया है कि ''एक प्रकार की जो आत्मशुद्धि मैंने की वह मानो सत्याग्रह के लिए ही हुई हो, अब मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य का व्रत लेने तक की मेरे जीवन की सभी मुख्य घटनाऐं मुझे छिपे तौर पर उसी के लिए तैयार कर रही हैं।''[2] दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहले गाँधीजी ने भारत भ्रमण किया और बंद मुंह व खुले आँख, कान से भारत को देखते व समझते रहे।[3] 1917 में बिहार के चम्पारण में अपना पहला सत्याग्रह किया। यहीं से सत्याग्रह के प्रति जो जिज्ञासु हैं उनके मन में यह प्रश्न पैदा होता है कि सत्याग्रह क्या है? इस पर न तो अर्थ को लेकर एकता है और न परिभाषा को लेकर। वास्तव में जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के आलोक में गाँधीजी की क्रियाऐं हुई तब ये सोचा जाने लगा कि ये जो विरोधी कदम उठाया जा रहा है अर्थात् मतभेद निवारण का जो यह साधन है, इसका क्या नाम होना चाहिए? इसी क्रम में मदनलाल गाँधी ने सुझाया की इसका नाम सद् + आग्रह अर्थात् सदाग्रह रखा जाना चाहिए परन्तु गाँधीजी इस पर सहमत नहीं हुए और कोई नया अधिक प्रभावी शब्द खोजते रहे और अन्ततः इसका नाम ''सत्य के लिए आग्रह – सत्याग्रह'' स्वीकार किया गया। सत्याग्रह के सन्दर्भ में कई विचार हुए हैं। अनिल दत्त मिश्र ने लिखा है कि ''सत्याग्रह मौलिक रूप से गाँधी से सम्बन्धित नहीं था। उनके पहले भी उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण जैसे धार्मिक ग्रन्थों या पुस्तकों में सत्याग्रह के विचार का व्यापक उल्लेख मिलता है।

भक्त प्रहलाद, सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र, सुकरात, प्लेटो, ईसामसीह, सम्राट अशोक जैसे अनेक भारतीयों और पाश्चात्यवासियों ने इसे व्यवहार में उतारने का प्रयास किया है।[4] कुछ पाश्चात्यवासियों का विचार है कि गाँधीजी ने सत्याग्रह के विचार को ईसामसीह के ''न्यू टेस्टामेन्ट'' विशेषकर ''परवत पर'' के उपदेश से लिया है। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि इस विचार को उन्होंने टालस्टॉय की रचनाओं से लिया है जबकि टालस्टॉय ने खुद इसे न्यू टेस्टामेन्ट से लिया है। गौरीकान्त ठाकुर ने लिखा है कि ''प्रहलाद ऐसा सत्याग्रही था जिसने अपने क्रूर पिता के अत्याचारों के खिलाफ सत्याग्रह का अभिनव प्रयोग किया तब इसे सत्याग्रह के मूल अर्थ में नहीं समझा गया।[5] वास्तव में गाँधी के सत्याग्रह का विचार न तो ईसामसीह, न ही टालस्टॉय से प्रेरित है बल्कि गौरीकान्त ठाकुर यही मानते हैं कि ''उनके प्रेरणा का मुख्य आधार उनके अपने वैष्णवी मत थे जिन पर उन्हें अटूट विश्वास था।''[6] इस सन्दर्भ में कुछ अन्य लोगों का मानना है कि गाँधीजी ने अपनी सत्याग्रह की अवधारणा थोरो से ग्रहण की परन्तु इस मत का खण्डन करते हुए स्वयं गाँधीजी ने लिखा है कि ''यह कथन कि मैंने सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की अवधारणा थोरो की पुस्तकों से प्राप्त की, गलत है। सविनय अवज्ञा पर थोरो का निबन्ध मेरे हाथ में पड़ने से पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्ता के लिए प्रतिरोध काफी आगे बढ़ गया था। लेकिन उस समय यह आन्दोलन ''निष्क्रिय प्रतिरोध'' के नाम से प्रसिद्ध था। चूँकि यह शब्द अपूर्ण था इसलिए गुजराती पाठकों के लिए मैंने ''सत्याग्रह'' शब्द लिखा।''[7]

इसी सन्दर्भ में गाँधीजी का मानना था कि ''सत्याग्रह रूपी सिद्धान्त का जन्म इसके नामकरण से पहले ही अस्तित्व में आ गया था। वास्तव में जब इसका जन्म हुआ था तब मैं खुद भी नहीं जानता था कि ये क्या है?''[8] सत्याग्रह मूल रूप से संस्कृत शब्द है। यह दो शब्दों सत्य+आग्रह अर्थात् सत्य के लिए आग्रह के मिश्रण से बना है। साधारण शब्दों में सत्य पर टिके रहना तथा सत्य की उपलब्धि हेतु दृढ़तापूर्वक लगे रहना या जमे रहना या कर्तव्यनिष्ठ रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह को परिभाषित करते हुए गाँधीजी ने स्वयं लिखा है कि ''सत्य प्रेमपूर्वक आग्रह की बात करता है और इस प्रकार यह आग्रह ताकत के एक पर्यायवाची के रूप में बदलते जाते हैं, यही कारण है कि मैंने भारतीय आन्दोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध के बजाय सत्याग्रह कहना शुरू किया जिसका आशय ऐसी ताकत से है जिसकी बुनियाद सत्य, प्रेम व अहिंसा के मजबूत खम्बों पर टिकी है।''[9] अपनी आत्मकथा ''सत्य के प्रयोग'' के अन्तर्गत गाँधी जी ने लिखा है कि ''मेरे निरन्तर अनुभव ने मुझे विश्वास दिलाया है कि सत्य से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है अर्थात् सत्य ही ईश्वर है और सत्य की सिद्धी का एकमात्र उपाय अहिंसा है। अहिंसा की पूर्ण सिद्धी से ही सत्य का पूर्ण साक्षात्कार किया जा सकता है। वस्तुतः सत्य की सिद्धी या ईश्वर की प्राप्ति एक ही बात है और यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। परन्तु इसका सही–सही ज्ञान प्राप्त करना कठिन है क्योंकि वह बहुत रहस्यमयी है।''

बड़े–बड़े ऋषि–मुनि, ज्ञानी, मनीषि, त्यागी, तपस्वी उसके भेद को नहीं जान सके तो साधारण मनुष्य उसे पहचानने में कहाँ समर्थ होगा? वह तो उसकी प्राप्ति के मार्ग पर चल सकता है और वह मार्ग है ''अहिंसा''। इसलिए यह कहा गया है कि ''अहिंसा परमोधर्म'' अर्थात् अहिंसा ही परमधर्म है। महाभारत के प्रणेता, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म आदि का सार तत्व भी यही है। साधारण शब्दों में अहिंसा किसी जीव को पीड़ा न पहुँचाने का द्योतक है, जो अहिंसा के नकारात्मक पक्ष को इंगित करता है परन्तु महात्मा गाँधी द्वारा जो पक्ष स्वीकार किया गया है, वह सकारात्मकता लिए हुए है जो यह भी स्पष्ट करता है कि इस पथ पर मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं? यह मानव प्रेम पर आधारित है। अहिंसक व्यक्ति की नजर में कोई भी घृणा का पात्र नहीं हो सकता, पापी भी नहीं। यदि कोई पापी भी तुम्हारे सम्पर्क में आता है तो अपने चरित्र बल से उसे भी पापमुक्त करके सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। अहिंसा का पुजारी अपने सहचरों के दुःख से द्रवित होकर उसके निवारण के लिए ही प्रयत्नशील रहेगा। आत्मशुद्धि के बिना मनुष्य अहिंसा के नियम का पालन नहीं कर सकता क्योंकि जब तक उसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं होगा वह अन्य प्राणियों की अनुभूति से अपनी अनुभूति को एकाकार नहीं कर सकेगा। वह सहानुभूति और संवेदना का सही अर्थ नहीं समझ सकेगा। उदार मन वाले व्यक्ति के लिए अपने पराये का भेद नहीं रहता क्योंकि उदार चरित्र वालों के लिए तो सम्पूर्ण धरती ही कुटुम्ब के समान है।

अतः महात्मा गाँधी का मानना था कि मनुष्य स्वार्थ को सर्वथा त्याग कर परमार्थ को ही सर्वोपरी माने तभी वह अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य के लक्ष्य तक पहुँच सकता है। इस प्रकार उसकी आत्मशुद्धि वातावरण को शुद्ध करती हुई दूसरों की आत्मा को भी शुद्ध करती चलेगी, जिससे अन्ततः आदर्श समाज की स्थापना होगी। गाँधी जी के सन्दर्भ में अहिंसा निर्बल का आश्रय नहीं है बल्कि बलशाली का अस्त्र है। अहिंसा स्वयं एक शक्ति है जिससे विरोधी के हृदय पर विजय प्राप्त की जाती है। यह भौतिक शक्ति को आत्मिक शक्ति के आगे झुकाने की कला है। यही कहा जा सकता है कि गाँधी के अनुसार अहिंसा का साधक सत्य के प्रति अनन्य निष्ठा रखकर झूठ की शक्ति को परास्त करने की क्षमता रखता है। सत्य ही गाँधीजी के सिद्धान्त का केन्द्र–बिन्दु माना जा सकता है। उनका मानना है कि ''मैं सत्य और अहिंसा अर्थात् प्रेम के सहारे धर्म की और अग्रसर होता हूँ। मैं प्रायः अपने धर्म को सत्य का धर्म कहता हूँ। मैं एक लम्बे समय से 'ईश्वर सत्य है' कहने की अपेक्षा 'सत्य ईश्वर है' कहता आया हूँ।''[10] ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और वही सत्य है। सत्य एक उच्चतम सिद्धान्त है। उनके अनुसार ''ईश्वर के निषेध से तो हम परिचित हैं किन्तु सत्य के निषेध से नहीं। अत्यधिक अज्ञानी मानव में भी सत्य का कुछ अंश होता है। हम सभी सत्य की चिंगारियाँ हैं। इन चिंगारियों की समष्टि 'ईश्वर' अवर्णनीय है और अज्ञेय सत्य है।

सत्य धर्म का सामाजिक जीवन में प्रभाव प्रतिदिन के सामाजिक आदान–प्रदान में दिखाई देता है। ऐसे धर्म का सच्चा अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यन्त अविरत सेवा में स्वयं को भुला देना होगा। हमने प्रभु के सत्य के हजारों रूपों में दर्शन किये हैं। कभी मैं उसका दर्शन चर्खे में करता हूँ, कभी हिन्दु–मुस्लिम एकता में और कभी छुआछूत निवारण में। सभी मनुष्य जन्म से समान हैं और उनमें एक ही आत्मा विद्यमान है।'' अतः ईश्वर साक्षात्कार का एकमात्र उपाय उसकी सृष्टि में तथा उसमें एकत्व दर्शन है।[11] इस प्रकार महात्मा गाँधी ने अपने जीवन का मन्थन करके जो नवनीत सार सत्य के सम्बन्ध में निकाला है उसे उन्होंने निम्नानुसार प्रकट किया है[12]–

- सत्य वज्र के समान कठिन और कमल के समान कोमल है।
- सत्य एक विशाल वृक्ष है, ज्यों–ज्यों उसकी सेवा की जाती है वैसे–वैसे उसमें से अनेक फल पैदा होते दिखाई देते हैं। उसका अन्त ही नहीं होता। हम जैसे–जैसे उसकी गहराई में उतरते हैं वैसे–वैसे उसमें से अनेक रत्न मिलते जाते हैं, सेवा के अवसर प्राप्त होते जाते हैं।
- जहाँ सत्य की साधना और उपासना होती है वहाँ भले ही परिणाम हमारी धारणा के अनुसार न निकले फिर भी जो अनपेक्षित परिणाम निकलता है वह कभी–कभी कल्याणकारी नहीं होता और कई बार अपेक्षा से अधिक अच्छा होता है।

अतः सत्य की शाश्वतता तथा आध्यात्मिकता से गाँधीजी ने यह निष्कर्ष निकाला कि उस सत्य की प्राप्ति मनुष्यों द्वारा असम्भव है। उन्होंने यह अवश्य स्वीकार किया कि केवल ऐसी निर्मल आत्मा ही, जो पूर्णतः पवित्र हो, निरपेक्ष सत्य का दर्शन कर सकती है। मानव शरीर को धारण करते हुए पूर्णता के उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचा नहीं जा सकता, अतः भौतिक नेत्रों से उस निरपेक्ष सत्य का साक्षात्कार किया जाना अत्यन्त कठिन है। गाँधीजी के मत में व्यक्ति निरपेक्ष सत्य की ओर बढ़ने के लिए सापेक्ष सत्य को माध्यम बना सकता है। उन्होंने सापेक्ष सत्य को अंतरात्मा की पुकार या विशेष परिस्थितियों के विषय में निर्मल हृदय से सोची हुई बात के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार सापेक्ष सत्य, निरपेक्ष सत्य का निषेध नहीं करता। वस्तुतः ''निरपेक्ष सत्य'' में विश्वास रखते हुए ''सापेक्ष सत्य'' पर दृढ़तापूर्वक चलकर ही व्यक्ति, निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकता है। गाँधीजी ने समय–समय पर यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सापेक्ष सत्य पर चलना भी कोई सरल मार्ग नहीं है। उनके लिए पवित्रता, दृढ़ता और साहस की आवश्यकता होती है। उनका मत है कि सापेक्ष सत्य मानव जीवन में प्रेम के आदर्श को अपना लेने से सिद्ध किया जा सकता है और प्रेम का अर्थ है कि व्यक्ति अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाए और स्वयं को शून्य समझने लगे।[13]

गाँधीजी के अनुसार सापेक्ष सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह ढाल लेगा और प्रत्येक जीवित तत्व को अपना ही अंश समझने लगेगा। गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायण व्यक्ति स्वार्थ, लोभ और अहंकार से मुक्त होगा। क्योंकि वह सापेक्ष सत्य पर आचरण कर ही तब सकेगा, जबकि उसे प्राणीमात्र के अनिवार्य ईश्वरत्व में विश्वास हो। इस प्रकार एक सत्य परायण व्यक्ति न तो स्वयं को किसी से हीन समझेगा और न ही किसी अन्य को स्वयं से हीन। ईश्वर में उसकी अगाध निष्ठा, उसे किसी भी भौतिक भय से भयभीत नहीं होने देगी। इस प्रकार सत्यपरायण व्यक्ति दूसरों के प्रति पूरे आदर का भाव रखते हुए, किसी भी अन्याय के विरूद्ध पूरी तरह संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। गाँधीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि सत्य भाषण के प्रति निष्ठा वाणी की कठोरता का समर्थन नहीं करती। यद्यपि एक सत्यपरायण व्यक्ति को सदैव सत्य बात ही कहनी चाहिए, तथापि सत्य बोलने के पीछे किसी को दुःख पहुँचाने या पीड़ित करने का भाव नहीं होना चाहिए। गाँधीजी के मत में कटु सत्य को विनम्रतापूर्वक और निश्छल भाव से ही कहा जाना चाहिए। इस प्रकार महात्मा गाँधी की सत्य की अवधारणा यही स्पष्ट करती है कि इसे पूर्णतया अहिंसक होना चाहिए। इसी क्रम में गाँधीजी की अहिंसा की अवधारणा भी पूर्ण व्यापकता लिए हुए है।

स्थूल और परम्परागत अर्थ में अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है, जिसका अर्थ है 'हिंसा न करना' अथवा हिंसा का अभाव। किन्तु गाँधीजी अहिंसा के नकारात्मक अर्थ को अपूर्ण मानते हैं। उन्होंने अहिंसा के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अहिंसा का मर्म किसी को क्षति न पहुँचाने की स्थूल व भौतिक क्रिया की अपेक्षा, इस क्रिया के पीछे मंतव्य में निहित है। इस प्रकार नकारात्मक या निषेधात्मक विचार के रूप में अहिंसा का अर्थ है – किसी प्राणी को विचार, शब्दों या कार्यों से हानि न पहुँचाना।[14] परन्तु यह नकारात्मक अर्थ तभी पूर्ण होता है जबकि इसकी जड़ में इस नियम की सकारात्मक प्रेरणा "प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव" विद्यमान हो। गाँधीजी के अनुसार, "प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जाग्रत प्रेम या करुणा अहिंसा का सटीक मानदण्ड है।" उन्होंने उदाहरण दिया "यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो मुझ पर आक्रमण करने आए, बदले में प्रहार न करूँ तो यह मेरा कृत्य अहिंसक हो भी सकता है और नहीं भी। यदि मैं भय के कारण उस पर प्रहार नहीं करता हूँ तो यह निश्चित रूप से अहिंसा नहीं है। किन्तु यदि मैं पूर्णतः सचेतन होकर, प्रहार करने वाले के प्रति करुणा और प्रेम के कारण उस पर हमला नहीं करता हूँ तो यह निश्चित रूप से अहिंसा है।"[15] सच्चा अहिंसक दृष्टिकोण वह है, जो व्यक्ति को अपने विरोधियों और शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए प्रेरित करे।

उन्होंने ऐसी परिस्थितियों को भी स्वीकार किया जबकि किसी दूसरे प्राणी के शरीर को नष्ट कर देने अथवा उसके प्राण ले लेने को भी हिंसा न माना जाए। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि "यदि कोई प्राणी ऐसी पीड़ा से कराह रहा है, जिसका उपचार असम्भव है तो उसे उस असहनीय पीड़ा से मुक्त करने की दृष्टि से मार डालना हिंसा नहीं माना जाएगा।" कुछ लोगों ने गाँधीजी के इस निर्णय के अहिंसक होने में सन्देह किया तो गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य पूरी तरह अहिंसक है, क्योंकि इसके पीछे कोई स्वार्थ भावना नहीं है, अपितु पीड़ित को कष्ट से मुक्त करने का उद्देश्य निहित है। ऐसी स्थिति में किसी कृत्य को अहिंसक ठहराने के लिए दो पूर्व शर्तें होना आवश्यक है –

- ऐसे कृत्य के पीछे पवित्र उद्देश्य ही नहीं, सम्बन्धित प्राणी का हित भी निहित होना चाहिए।
- यह भी भली–भाँति सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उस प्राणी को भौतिक क्षति पहुँचाना, उसके हित की पूर्ति के लिए एकमात्र संभव उपाय है तथा स्वयं उसके हित की पूर्ति, ऐसे भौतिक रूप से क्षति पहुँचाने के अलावा अन्य किसी रीति से की ही नहीं जा सकती।[16]

गाँधीजी के लिए अहिंसा ''आस्था व निष्ठा'' का विषय है। कोई व्यावहारिक नीति नहीं है। नीति व्यक्ति के स्वार्थपरक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित की जा सकती है। किन्तु एक नैतिक आस्था के रूप में अहिंसा के प्रति आस्था, किसी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अडिग रहती है। गाँधीजी के अनुसार ''अहिंसा मानव के गरिमामय अस्तित्व का शाश्वत् नियम है, किन्तु उसकी असीम शक्ति तभी सक्रिय हो सकती है जबकि उसे अपनाने वाले व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और आचरण अहिंसा के प्रति आस्था से पूरी तरह ओत–प्रोत हो।[17] उन्होंने कहा ''अहिंसा सर्वोच्च सद्गुण है, कायरता निकृष्टतम दुर्गुण।'' अहिंसा में कष्ट सहने की तत्परता है, कायरता में कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति है। पूर्ण अहिंसा सर्वोच्च शौर्य है। अहिंसक कृत्य कभी नैतिक विषाद् उत्पन्न नहीं कर सकता, जबकि कायरतापूर्वक कृत्य सदैव नैतिक पतन का कारण होगा।[18] गाँधीजी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि ''शौयपूर्ण हिंसा, कायरतापूर्ण अहिंसा की तुलना में कम पापमय है। जब हृदय में हिंसा विद्यमान हो तब अपनी नपुंसकता को छुपाने के लिए अहिंसा का कवच धारण करने की तुलना में हिंसक हो जाना श्रेयस्कर है।[19] अतः गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि शाश्वत् प्रेम के रूप में अहिंसा एक जीवन्त शक्ति है। उनका विश्वास था कि पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित और संचालित है। उन्होंने कहा ''प्रत्येक वस्तु में एक केन्द्रमुखी शक्ति विद्यमान है, जिसके बिना कोई वस्तु अस्तित्ववान रह ही नहीं सकती।

जिस प्रकार जड़ पदार्थों में भी एक ऐक्य बल विद्यमान रहता है। उसी प्रकार जीवन्त तत्वों में भी निश्चित रूप से ऐक्य बल विद्यमान होता है। जीवित तत्वों में विद्यमान रहने वाले इस ऐक्य बल का नाम है – "प्रेम"। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, घृणा तो केवल विनाश के मार्ग पर ले जाती है।''[20] इस प्रकार सत्य व अहिंसा का यह अटूट सम्बन्ध ही सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है और यही सत्याग्रह सामाजिक क्रांति का गाँधीवादी तरीका है जिसमें गाँधीजी ने स्वयं मनुष्य के अन्तःकरण को ईश्वर का मंदिर माना और स्वीकार किया कि जब मनुष्य चारों ओर से अन्धकार से घिरा हो, उसे अपना मार्ग न सूझे तो ईश्वर की शरण ही उसे सही मार्ग दिखाती है। अपनी आत्मकथा में अनेक ऐसे प्रसंगों का उल्लेख गाँधीजी ने किया जब उन्हें स्पष्टतः ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव हुआ और मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। जब व्यक्ति अपनी आत्मशुद्धि के लिए व्रत, उपवास व प्रार्थनाऐं करता है तो उसका अन्तःकरण पूर्णतया स्वच्छ होकर सत्य की राह दिखाता है। यही ईश्वर अथवा सत्य के साक्षात्कार की स्थिति है। सत्य की सिद्धी कठिन तो है परन्तु अन्ततः विजय उसी की होती है इसीलिए यह वाक्य प्रसिद्ध है कि ''सत्यमेव जयते नानृतम्''। इस प्रकार एक सत्याग्रही कभी पराजय स्वीकार नहीं करता। वह किसी भी परिस्थिति में सत्य के पथ से विचलित नहीं होता। स्वयं सत्य पर दृढ़ रहकर ही विरोधी का ह्रदय परिवर्तन करने को तत्पर रहता है।

अतः गाँधीजी ने अपनी पुस्तक ''इण्डियन ओपीनियन'' में सत्याग्रह को एक पवित्र उद्देश्य हेतु ''दृढ़ता'' के रूप में रेखांकित किया है।[21] वहीं ''यंग इण्डिया'' में इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सत्याग्रह ''आत्मदुःख भोग'' के सिद्धान्त का एक नवीन रूप भर है और ''हिन्द स्वराज'' में वे इस बात की घोषणा करते हैं कि दूसरों के बलिदान की तुलना में आत्मबलिदान अनन्तगुणा अधिक श्रेयस्कर है।[22] अतः एक आत्मबलिदानी यानि स्वदुःख भोगी अपनी गलतियों से दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाता है।[23] सत्याग्रह जो गाँधीजी की सर्वोच्च खोज, आविष्कार या कृति है, सत्य के ऐसे अनवरत व अविराम खोज की बात करता है जहाँ हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष का कोई स्थान नहीं। उनकी अवधारणा का मतलब निष्क्रियता, दुर्बलता, निःसहायता या स्वार्थपरायणता नहीं था। वास्तव में यह मानवीय मस्तिष्क की ऐसी सोच तथा जीवन दर्शन को इंगित करता है जिसकी बुनियाद पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा घृणा पर प्रेम की विजय के सिद्धान्त पर असीम श्रद्धा, ह्रदय परिवर्तन हेतु स्वैच्छिक आत्मदुःख बोध तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अहिंसक तथा न्यायपूर्ण तरीकों का धीरता तथा सक्रियता से इस्तेमाल पर टिकी थी। प्रसिद्ध गांधीवादी आचार्य जे.बी.कृपलानी ने लिखा है कि ''सत्याग्रह प्रहार के अलावा भी कुछ और अधिक की माँग करता है। यह कुछ अधिक संघर्षरत लोगों की माँग करता है। यह कुछ अधिक संघर्षरत लोगों के सतत् नैतिक उत्थान की भी बात करता है। इसका अर्थ विरोधियों को नैतिक रूप से परास्त करना भी है।

एक सत्याग्रही हड़ताली की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर असहयोगी होता है। वास्तविक रूप में सत्याग्रही के लिए अनवरत कार्यविमुख खोज तथा असत्य के खिलाफ अहिंसक संघर्ष है।[24] सत्याग्रह का अर्थ राजनैतिक व आर्थिक आधिपत्य के खिलाफ मानवीय आत्मा की शक्ति की दृढ़ता भी है। क्योंकि आधिपत्य हमेशा अपने झूठ व स्वार्थ के लिए सत्य को खारिज करता है। सत्याग्रह मानवीय चेतना की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। चेतना मानव के सत्य की प्राप्ति हेतु अहिंसक संघर्ष की और जोरदार ढंग से अभिप्रेरित करती है[25] और इसके लिए साधन व साध्य के अन्तर्सम्बन्ध को भी गाँधीजी ने प्रमुख माना। गाँधीजी ने राजनीति व नीतिशास्त्र की परस्पर एकता स्वीकार करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि ''राजनीति के क्षेत्र में साधन व साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए।'' गाँधीजी ने राजनीति को आध्यात्मिक आधार देकर उसे स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी। धर्म को कभी भी उन्होंने संकुचित अर्थ में नहीं लिया और ना ही कभी किसी धर्म की साम्प्रदायिक भावना को उकसाया। वे धार्मिक सहिष्णुता व उदारता के समर्थक थे। राजनीति के धार्मिक आधार से उनका तात्पर्य यह था कि प्रत्येक राजनीतिक कृत्य या संस्था को नैतिक कसौटी पर कसना आवश्यक है। भौतिक जीवन की उपलब्धियों के लिए शाश्वत तत्व सत्य का बलिदान करना बुद्धिमत्ता नहीं है। जो राजनीतिक धर्म से विहिन है वह मृत्युजाल के समान है जो आत्मा को पतन के गर्त में धकेलती है। अतः वे नीतिशास्त्र को राजनीति व अर्थशास्त्र से ऊँचा स्थान देते हैं। उनकी दृष्टि में राजनीति उसी सीमा तक स्वीकार्य है जहाँ तक वह नैतिकता के अनुरूप व उसकी साधक हो। अतः गाँधीजी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन को पृथक–पृथक नहीं देखा बल्कि सम्पूर्ण जीवन को अखण्ड मानकर धर्म को उसका सारतत्व समझा।

वे गीता के इस वचन में विश्वास करते हैं कि ''योगः कर्मसु कौशलम् – अर्थात् कर्म में कुशलता ही योग'' है। धर्म मनुष्य को निकम्मा रहना नहीं सिखाता बल्कि कर्मठ व्यक्ति ही धर्मनिष्ठ हो सकता है। स्वयं गाँधीजी की धर्मनिष्ठा उन्हें राजनीति के क्षेत्र में ले आयी। अतः भारतीयों की पराधीनता को उनके नैतिक उत्थान के मार्ग में बाधक जानकर ही उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ–साथ उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता को भी समान महत्व दिया तथा चरखा, खादी, कुटीर उद्योग और स्वदेशी वस्तु प्रयोग के आन्दोलन चलाकर इस दिशा में मार्गदर्शन किया क्योंकि राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता दोनों ही नैतिक जीवन की आवश्यक शर्त है। प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को शारीरिक श्रम द्वारा अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करना चाहिए। इससे सभी को भोजन, वस्त्र और मकान की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बौद्धिक कार्य करने वालों का स्तर उन्नत होगा। जब सभी श्रमशील होंगे तो सामाजिक विषमता समाप्त हो जाएगी तभी वर्गहीन समाज की स्थापना हो सकेगी। उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ आवश्यकताओं पर

नियंत्रण करके आत्मनिर्भर बनने का उनका सपना रहा। उनका मानना है कि तृष्णा की तृप्ति का कोई मार्ग नहीं है। मरूस्थल में मरीचिका के पीछे भटकने वाला मृग कभी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह शान्ति मनुष्य को उसके भीतर ही मिल सकती है। अतः गाँधीजी सांसारिक ऐश्वर्य व रसविलासमय जीवन की अपेक्षा त्याग व संयम का जीवन बिताने का उपेदश देते हैं क्योंकि वही मनुष्य के नैतिक जीवन को सार्थक बनाने में सहायक होता है। गाँधीजी के जीवन व विचारों की उक्त पृष्ठभूमि से ही उनके जीवन में सत्याग्रह का उदय हुआ।

सत्याग्रह श्रृद्धा, विश्वास, विवेक, प्रेम और विनम्रता की महानतम् अभिव्यक्ति है और यह अपने आप में ही एक महान् विजय है।[26] सत्याग्रह सत्य के अनुसंधान तथा उस तक पहुँचने का अनवरत प्रयास है।[27] यह अपना कार्य शांति, स्थिरता लेकिन तीक्ष्णतापूर्वक करता है। वास्तव में संसार में इसके समान लचीला, सौम्य व स्पष्ट कोई भी ताकत नहीं है।[28] यह अन्याय, अनीति व दमन, शोषण के खिलाफ आत्मबल को खड़ा करता है और एक दबाव पैदा करता है जिसे कह सकते हैं ''सत्य का दबाव'' जो अपनी अभिव्यक्ति आत्मदुःख भोग, श्रद्धा, संयम, संकल्प, आत्मशुद्धि तथा आत्मविश्वास में साकार करता है। सत्याग्रह के सिद्धान्त को गाँधीजी ने शुद्धता के विचार से जोड़ने का जोरदार प्रयास किया। सत्याग्रह को कामधेनु बताते हुए गाँधीजी ने इसे सत्याग्रही और उसके विरोधी तत्वों दोनों के लिए उपयोगी माना।[29] सत्याग्रह का सम्बन्ध वैदिक आर्य युग के यज्ञों से भी रहा है। मानव व पशुबली के मौलिक रूप तथा सत्याग्रह में इसकी समकालीन अभिव्यक्ति के मध्य है क्योंकि यह उपनिषदों के बौद्धिक शुद्धिकरण तथा जैनों तथा बौद्धों के मानवतावादी सरोकारों के तिष्ण बदलावों के दौर से गुजरा है।[30] अतः सत्याग्रह व्यक्ति को असीम शक्ति से सम्पन्न कर देता है। एक अहिंसक कार्यपद्धति के रूप में सत्याग्रह का अर्थ है ''ऐसा दृष्टिकोण जिसमें सबके प्रति जाग्रत प्रेम और सबके लिए कष्ट सहने की तत्परता व्यक्ति की प्रेरणा बन जाए।[31] सत्याग्रह को उन्होंने आत्मशक्ति, प्रेमशक्ति व सत्य की शक्ति हेतु आग्रह अर्थ में प्रतिपादित किया है।[32] स्वीकार्य होगा कि सत्याग्रह की मूल अवधारणाऐं, सत्य, अहिंसा, ईश्वर में श्रद्धा, भाईचारा, नैतिक मूल्यों की सर्वोच्चता, साधनों की पवित्रता आदि है।

इस तरह सत्याग्रह एक श्रेष्ठ, सरल, निष्कपट, निःस्वार्थ, आत्मभाव प्रधान जीवन बिताने की अनुशासित श्रृंखला है और दूसरी ओर वह समूहगत, समाजगत, अन्यायों के निवारण का उपाय भी है। वह अहिंसा को सक्रिय एवं संगठित करता है। सामूहिक स्तर पर समाज के दूषित कार्यों के निवारण के लिए उद्बद्ध, क्रियात्मक अहिंसा ही सत्याग्रह है। दूसरे शब्दों में समाज–स्थिति पर अहिंसा का आरोपण एवं उसकी उपलब्धि का प्रयत्न ही सत्याग्रह है। गाँधीजी के शब्दों में सत्याग्रह राजनीतिक क्षेत्र में उसी नियम का विस्तार है, जो नियम किसी परिवार के सदस्यों का शासन करता है।[33] गाँधी के अनुसार सत्याग्रही का यही कर्त्तव्य है कि अहिंसा के माध्यम से सत्य के लिए कभी न खत्म होने वाला प्रयास करे। एक सत्याग्रही के

धार्मिक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों के विरूद्ध यदि कोई कार्य किया गया हो तो उसके विरोध में संघर्ष करने की दृढ़ क्षमता व दृढ़ निश्चय उसमें होना चाहिए। सत्याग्रह आत्मशुद्धि के लिए एक प्रयत्न है। इसका अर्थ "सत्य के लिए एक दृढ़ तथा यथार्थ खोज है।"[34] सत्याग्रह स्वाश्रित है। इसके करने से पूर्व विरोधी की अनुमति आवश्यक नहीं होती। वस्तुतः जब विरोधी प्रतिरोध करता है तो यह बहुत अधिक प्रकाशमान रहता है। सत्याग्रही अपने विरोधी के सम्मुख अपना आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्थापित करता है और इसके हृदय में यह भावना जगा देता है कि अपने व्यक्तित्व को हानि पहुँचाये बिना उसे हानि नहीं पहुँच सके। इस प्रकार सत्याग्रह के कार्य का अन्तिम विश्लेषण "आत्मानुभूति और संयोग" की कला द्वारा आगे बढ़ना है। सत्याग्रह एक दिन की साधना से कभी फलदायी नहीं होता। उसमें तो निरन्तर कष्ट सहने की क्षमता का विकास होता है।

सत्याग्रह सदैव शुद्ध आत्मा की भावना से सम्बद्ध होता है। उसमें वैर भावना के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं होता। अतः किसी भी सत्याग्रही के लिए सत्याग्रह की निम्न मौलिक मान्यताओं का पालन अनिवार्य है[35] –

- **तात्विक मान्यता** – सर्वप्रथम ईश्वर में विश्वास ही प्रमुख है, क्योंकि इसके द्वारा ही पीड़ा सहने की शक्ति प्राप्त होती है। सत्याग्रह की भावना का उदय मानव स्वभाव में तब होता है जब गहरी आस्था जन्म ले, जहाँ पर संत व शहीद के व्यक्तित्व का उदय होता है और धार्मिक व्यक्ति इस तत्व का साक्षात्कार करता है, जिसे वह ईश्वर मानता है।
- **नैतिक मान्यता** – सत्याग्रह एक नैतिक विकल्प है। अतः सत्याग्रही के लिए गाँधी के एकादश व्रत का पालन अनिवार्य है जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईश्वर विश्वास, अस्वाद, निर्भयता, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी व स्पर्श भावना है। केवल उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करने पर ही सत्याग्रह संभव है।
- **मनोवैज्ञानिक मान्यता** – सत्याग्रह के गहन अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें मनोवैज्ञानिक तत्व भी सम्मिलित है जो अंततः नैतिक ही है। अक्रोध, प्रतिपक्षी को अपमानित न करना, प्रतिरोध न करना, साम्प्रदायिकता से दूर रहना, जेल में भी विनम्रतापूर्वक नियम पालन, सत्याग्रह के नेताओं के आदेश का पालन इसमें सम्मिलित है।

अतः सत्याग्रह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। वह पवित्र अधिकार ही नहीं अपितु पवित्र कर्त्तव्य भी है। जो अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता है उसे सब प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उपरोक्त विवरणानुसार स्पष्ट है कि महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के कुछ महत्वपूर्ण तत्व जिनका पालन करने से सत्याग्रह सफल होता ही है ऐसा गाँधीजी का मानना था निम्नानुसार है –

- ❖ सत्याग्रह में आत्मबल महत्वपूर्ण होता है अपेक्षाकृत शारीरिक बल के।
- ❖ सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या के बारे में सत्य का पता लगाना होता है। अपराधी को गलती करने से रोका जाए। उसके लिए सहानुभूति का भाव अपनाया जाए।
- ❖ सत्याग्रह न्याय व सच्चाई पर आधारित हो।
- ❖ यह प्रेम, शांति, त्याग पर आधारित हो।
- ❖ सत्याग्रह अन्याय का प्रतिकार, शोषण व दमन का विरोध करे परन्तु अहिंसात्मक रूप से मनुष्य की मूलभूत इच्छाओं की पूर्ति करते हुए।
- ❖ अन्यायी का हृदय परिवर्तन कर उसे अन्यायी पथ से हटाये। यह कार्य शुद्ध साधनों के प्रयोग द्वारा स्वयं पीड़ा सहन कर किया जाए। अन्यायी के प्रति सत्याग्रही के मन में तनिक भी द्वेष भाव नहीं होना चाहिये।
- ❖ त्याग में किसी को भी जीतने की शक्ति होती है। इस सत्य को सत्याग्रही समझे।
- ❖ सभी मनुष्य बदल सकते हैं, अहिंसा द्वारा सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, हर मनुष्य में सत्प्रवृत्ति होती है, (उसे सत्याग्रही द्वारा जगाया जाए) इस पर सत्याग्रही का विश्वास होना चाहिए।
- ❖ जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए सत्याग्रही को क्लेश सहन की तैयारी रखनी चाहिए।
- ❖ अच्छे साध्य के लिए साधन भी अच्छे अपनाए जाएँ।
- ❖ सत्याग्रही त्यागी व प्रामाणिक प्रवृत्ति का हो।
- ❖ सत्याग्रह सक्रियता को अधिक महत्व देता है।
- ❖ अपने व्यक्तिगत लाभ को नहीं बल्कि सामाजिक हित में कार्य करना सत्याग्रही का लक्ष्य होता है।
- ❖ कम से कम माँगे और निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर ही सत्याग्रही आगे बढ़े।
- ❖ समझौता पद्धति का उपयोग कर संघर्ष व माँगों का निपटारा होना चाहिए।
- ❖ अनुशासित सत्याग्रही अपने नेताओं द्वारा दी गई सभी आज्ञाओं का शत–प्रतिशत पालन करे।

- ❖ जीत की निश्चितता का सत्याग्रही को पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपनी यशकीर्ति बनाए रखने का निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए।
- ❖ वक्त व आवश्यकतानुसार ही सत्याग्रह किया जाए।
- ❖ प्रथमतः सत्याग्रही को अन्यायी या संबंधित अधिकारी से मिलना चाहिए, जनमत जाग्रत कर उसे अपने अनुकूल बनाना चाहिए, शांति के साथ अपना पक्ष रखे। इन सभी उपायों के बाद ही सत्याग्रह की विभिन्न तकनीक काम में ली जानी चाहिए।
- ❖ अपनी स्वयं की गलती होने पर सत्याग्रही द्वारा उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

अतः महात्मा गाँधी का विशेष आग्रह यही रहा कि सत्याग्रह करते समय इन तत्वों का शत–प्रतिशत पालन होना चाहिए, यही सच्चा सत्याग्रह है।

गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह ने पूरे विश्व में एक अद्वितीय चमत्कार दिखाया। इससे मानव जाति को सामाजिक व राजनीतिक जीवन के अन्याय का सामूहिक प्रतिकार करने का एक सभ्य, सुसंस्कृत, सुलभ व विश्वसनीय, असरदार मार्ग मिला। सत्याग्रह ने देश में आतंक पीड़ित व परतंत्र प्रवृत्ति के दीनदुर्बलों में से शांतिपूर्ण तरीकों से अन्याय के विरोध में लड़ने वालों की सेना निर्मित की। यह केवल एक मार्गदर्शक व दर्शन बनकर ही नहीं रहा वरन् अन्याय व अत्याचार के खिलाफ लड़ने का सुकर मार्ग बना। गाँधीजी ने समय–समय पर यह स्पष्ट किया कि सत्याग्रह डरपोक का नहीं बल्कि धैर्यवान व निर्भीक व्यक्ति की आवश्यकता है। एक कृशकाय दिखने वाला व्यक्ति भी मन की मजबूती से शक्ति सम्पन्न व्यवस्था के विरूद्ध सत्याग्रह कर सकता है। यह बंदूक से निकली गोली से भी अधिक घातक है। स्वयं गांधीजी के अनुसार अहिसांत्मक क्रांति हिसांत्मक क्रांति की अपेक्षा गुणात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की क्रांति होती है और इससे लाया गया परिवर्तन चिरस्थायी होता है। उनके अनुसार वैश्विक स्तर पर भी सत्याग्रह का प्रयोग किया जा सकता है। अस्पृश्यों के अत्याचार कम करने के लिए, महिलाओं की दुरावस्था में सुधार लाने, हिंदु–मुस्लिम तनाव कम करने, लम्बे समय से चली आ रही दुष्ट रूढ़िवादी परम्पराओं को खत्म करने, वांशिक, धार्मिक व जातीय विवाद नष्ट करने के लिए सत्याग्रह एक अतुलनीय व अनमोल शस्त्र है। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति चाहे वह युवा–वृद्ध, स्त्री–पुरूष, किसान–व्यापारी, शहरी–ग्रामीण, अमीर–गरीब हो अपने पर होने वाले अत्याचार के विरूद्ध इसका उपयोग कर सकता है।

सत्याग्रह में वंश, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सत्याग्रही को अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार के अटूट, दृढ़ निश्चय से उसे विश्व जीतना भी संभव हो जाएगा। प्रायः सत्याग्रह की अवधारणा को साधारण अवधारणा मान

लिया जाता है परन्तु यह एक विशिष्ट अवधारणा है। जब सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों के अन्याय, दमन, शोषण व विभिन्न दुर्गुणों व दुःस्थितियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है तो यह सौम्य, तीव्र व अतितीव्र हो सकता है। इसके बिना सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। सत्याग्रह का केन्द्र रचनात्मकता लिए हुए है। दैनिक जीवन में कई रचनात्मक कार्य किये जाते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम वास्तव में सत्य व अहिंसा के माध्यम से दरिद्रता, विषमता, अज्ञान, गुलामी, शोषण मुक्त सर्वोदयी समाज निर्माण का क्रांतिकारी मार्ग है। इसके माध्यम से स्वराज्य सम्पादित करना व सम्पादित स्वराज्य को सुराज्य मे परिवर्तित करना सम्भव होता है। अतः गांधीजी का कहना है कि "मुझे राजनीतिक कार्य की तुलना में रचनात्मक कार्य सौ गुना प्रिय है जो कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे खादी ग्रामोद्योग, ग्रामसफाई, छुआछूत निवारण, शराबबंदी, प्रौढ़ शिक्षा, नई तालीम, नारी सेवा, राष्ट्र–भाषा, स्वास्थ्य आदि।"

अतः सत्याग्रह में बिना खून बहाए अनुकूल परिणाम लाने की क्षमता होती है। यह बहुत ही शुद्ध, स्पष्ट व सरल रामबाण उपाय है परन्तु यही माना जाएगा कि सत्याग्रही सत्याग्रह की रीढ़ होता है, जिस पर ही सम्पूर्ण सत्याग्रह निर्भर होता है। इसी क्रम में गांधीजी ने सन् 1921 में सत्याग्रही कार्यकर्ताओं के लिए एक अनुशासन सम्बन्धी प्रतिज्ञा निकाली थी। 1930 में सत्याग्रही के लिए 19 नियम भी बताए थे, 26 मार्च 1939 को गांधीजी ने अपने लेख के द्वारा सत्याग्रही के लिए कम से कम कुछ गुणों का होना आवश्यक माना। यहाँ यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि सत्याग्रही में कौन–से गुण होने चाहिए जिससे वे एक लम्बे समय तक अपने पथ पर टिके रह सकें, जो निम्नानुसार है–

- सत्याग्रही ईश्वर का अनुयायी, सत्य से प्रेम करने वाला होना चाहिए। सत्य विचार, सत्य आचरण वाला, दृढ़ निश्चयी, व्यक्ति ही सत्याग्रह को पूर्णतया ग्रहण कर सकता है।
- ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करने के लिए लोग स्वतः ही प्रवृत हो जाएंगे।
- सत्य के साथ–साथ उसको अहिसांत्मक व्यवहार द्वारा अपनी रणनीति का चुनाव कर प्रश्नों के भीतर छिपे सत्य को मुक्त कराना होगा। अहिंसा एक प्रकार का नैतिक धैर्य है जो नैतिक नियमों के पालन से ही सम्भव है।
- प्रतिपक्ष के विरोध में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए। अपना उद्देश्य, बदलाव हिंसात्मक प्रतिकार नहीं होना चाहिए। बल्कि हृदय परिवर्तन द्वारा आत्मशुद्धि के माध्यम से परिवर्तन किया जाए। स्वयं गांधीजी ने स्वीकार किया है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं।

- सत्याग्रही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे क्योंकि तब तक मन नियंत्रण में नहीं रहता। एक तरह से ब्रह्मचर्य आत्मनियंत्रण व आत्मसंयम के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में शब्द, कृति, व सर्वेन्द्रियों का नियंत्रण अपेक्षित है। इससे ही विचार व आचार शुद्ध रखे जा सकते हैं।
- निर्भयता सत्याग्रही का प्रमुख गुण है। लोकभय, राजभय, धर्मभय या मृत्युभय सभी से मुक्त होकर, सत्यनिष्ठ बने रहना चाहिए। अनैतिक सामाजिक बंधन, राजनीतिक कानून व धार्मिक बंधनों के खिलाफ सत्य की रक्षार्थ आवाज उठानी चाहिए और इसके लिए चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जब व्यक्ति अपनी समस्त आसक्ति व विकारों का त्याग कर देता है तभी वह निर्भयी बन सकता है। व्यक्ति समाज, सरकार, दरिद्रता व मृत्यु से भी न डरे, यही निर्भयता है।
- सत्याग्रही आदतन खद्दरधारी हो, साथ ही सूत कातने वाला हो।
- वह निर्व्यसनी हो और सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं से दूर रहे, जिससे उसकी बुद्धि सदा निर्मल व मन अचंचल रहे।
- सत्याग्रही को धन के लोभ को त्याग देना चाहिए। अपनी आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति को ट्रस्ट में देकर जरूरत मंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। अतः सम्पत्ति के प्रति निरासक्ति ही सत्याग्रही का आवश्यक गुण होता है।
- सत्याग्रही को आत्मानुशासन द्वारा अपने मोह पर नियंत्रण रखना चाहिए। अन्य की सम्पत्ति पर गलत अधिकार नहीं जताना चाहिए और आवश्यकता से अधिक भोग विलास की वस्तुओं का सग्रंह नहीं करना चाहिए। उसे एक साधारण जीवन जीना चाहिए, जो गाँधीजी के इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि "सादा जीवन उच्च विचार" ही मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीने की ओर प्रवृत्त करता है।
- सत्याग्रही को बुद्धि शुद्ध एवं पवित्र रखनी चाहिए और ऐसा उसे बनाए रखने का निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए। अपने मन को दृढ़ संकल्प कर स्थिर व पूर्वाग्रहों से मुक्त रखना चाहिए। उसका स्वभाव सहनशील, संयमी व प्रेममयी होना चाहिए। उसे सदैव त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए। विरोधी पक्ष के सत्य के अंश को सहर्ष स्वीकार कर खुद के मतों में निःसंकोच परिवर्तन करने की तैयारी रखनी चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करने की क्षमता भी सत्याग्रही में होनी चाहिए। सत्याग्रही में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह न्याय व अन्याय को पहचानकर निर्णय कर सके।

- समय–समय पर बनाए गए अनुशासन के नियमों का वह प्रसन्नता पूर्वक मन से पालन करे।
- क्रोध भावना का त्याग कर सत्याग्रही को सहनशील व संयमी होना चाहिए।
- अपने विचार व आचरण में अन्तर ना रखे। हमेशा अपना आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, व आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए।
- रचनात्मक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर हो, योजना के अनुसार पूरी निष्ठा से रचनात्मक कार्यों को करे। शारीरिक श्रम कर राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे देश की दरिद्रता व विषमता दूर हो।
- सम्मानजनक समझौते द्वारा प्राथमिक स्तर पर निर्णय लाने का प्रयास करे, परन्तु अनैतिक प्रश्नों पर किसी भी प्रकार का अनैतिक समझौता ना करे।
- हर परिस्थिति में न्याय का पक्ष ही लेना चाहिए।
- जुलूस में सर्वधर्म समभाव की भावना का अनुसरण करना चाहिए।
- जानबूझकर विरोधी पक्ष को बदनाम ना करे, किसी प्रकार की गलत टीका–टिप्पणी ना करे। विरोधी का मुकाबला नम्रता, शांति, संयम व धैर्य से करना चाहिए, उसके दुष्कर्मों को सत्कर्मों से उत्तर देना चाहिए।
- विरोधी से किसी प्रकार की शत्रुता नहीं रखना चाहिए।
- सत्ता की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, परन्तु समाज के हित के लिए प्राप्त होने वाली सत्ता को अपना लेना चाहिए।
- अपने सभी कार्य नियमित रूप से सम्पन्न करे।
- पूर्व सूचना देकर ही सत्याग्रही सत्याग्रह प्रारम्भ करे।
- सत्याग्रही को हमेशा आशावादी रहना चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रयास करते रहना चाहिए।
- जेल जाने पर भी सत्याग्रही का व्यवहार, सभ्य व सुसंस्कृत ही रहे। जेल में सहयोगात्मक रवैया अपनाए और अपराधियों में नैतिक सुधार लाने का प्रयास करे। वह मानभंग करने के लिए बनाए गए कानूनों का विरोध करे।

किसी भी सत्याग्रही द्वारा उक्त गुणों को शत–प्रतिशत अपनाने से ही वह सच्चा सत्याग्रही बन सकता है और एक सफल सत्याग्रह का अनुसरण कर सकता है। वास्तव में मानवीय भलाई हेतु यह मानव श्रद्धा का मिलन है और हम सब एक–दूसरे के पूरक हैं इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि यह "जियो और जीने दो" का सिद्धान्त भी है। श्री राम वर्मा के अनुसार "सत्याग्रह को नीतिगत रूप में ही अपनाया जा सकता है।"[36] ये व्यवस्था परिवर्तन की प्रभावशाली पद्धति है अतः निष्कर्षतः गांधीजी ने सफल सत्याग्रह की मूल अवधारणाओं को इस प्रकार चित्रित किया है –

- सत्याग्रहियों के मध्य आम ईमानदारी की भावना होनी चाहिए।
- अपने नायक के प्रति अनुशासन की भावना का प्रदर्शन करना चाहिए।
- उन्हें अपना सर्वस्व खोने (आजादी, नकदी, भूमि, सम्पत्ति, परिवार) को तैयार रहना चाहिए। हर क्षण अपने सीने पर लाठियां, गोलियां सहन करने को तत्पर रहे। मृत्यु का भय भी उन्हे डरा ना पाए।
- उन्हें अपने दुश्मन या सहयोगियों के प्रति हिंसा की भावना का अत्यन्त अनुकूल परिस्थितियों में भी तन–मन से परित्याग करना चाहिए। पवित्र साध्य के लिए यदि अपवित्र साधन उपलब्ध हों तो उस साध्य को ही त्याग देना ठीक है। स्वयं गाँधीजी ने स्वीकार किया कि ''मैं अहिंसा व सत्य हेतु देश को होमने को तैयार हूँ, देश के लिए सत्य व अहिंसा को नहीं।[37] इसी क्रम में गांधीजी ने यह भी स्वीकार किया है कि सत्याग्रही को कुछ व्रतों का पालन भी करना चाहिए जो सफल सत्याग्रह के परम्–आवश्यक, व्रत माने गए हैं।[38]

➢ मुख्य व्रत
(1) सत्य
(2) अहिंसा
(3) ब्रह्मचर्य
(4) जीभ पर संयम
(5) अस्तेय
(6) अपरिग्रह

➢ गौण व्रत
(1) सामाजिक व धार्मिक सममानसिकता
(2) जीविका श्रम
(3) स्वदेशी
(4) निडरता
(5) विनम्रता या विनयशीलता

अतः कहा जा सकता है कि सत्याग्रह सत्य के लिए एक दृढ़ व यर्थाथ खोज है। सत्याग्रह सत्य, प्रेम, अहिंसा, से उत्पन्न एक मानवीय बल है। सत्याग्रह घृणा व द्वेष के

वातावरण में सत्य व अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्ति का एक नवीन आग्रह है। इस प्रकार गांधीजी ने इसे आत्मशक्ति, प्रेमशक्ति और सत्य शक्ति हेतु आग्रह अर्थ में स्वीकार किया है।[39] सत्याग्रह का विचार राज्य की असीम प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं करता। राज्य की प्रभुसत्ता समस्त नागरिकों से निर्विवाद आज्ञापालन की अपेक्षा करती है। परन्तु गांधीजी के अनुसार मनुष्य का कर्त्तव्य है ''सत्य के प्रति दृढ़ रहना''। वह सत्य की पहचान अपने अन्तःकरण से कर सकता है लौकिक राज्य के कानून के आधार पर नहीं। यदि राज्य की आज्ञा व्यक्ति की अन्तरात्मा से प्रेरित सत्य के अनुरूप है तो वह इसका पालन करेगा। यदि वह इसके प्रतिकूल है तो उसे इसके विरोध का अधिकार है। यदि आज्ञापालन कराने के लिए उस पर बल प्रयोग किया जाता है तो सत्याग्रही को सत्याग्रह की विधि से उसका तब तक विरोध करना चाहिए, जब तक कि अत्याचारी के मन में न्याय बोध जाग्रत न हो जाए और जब तक उसका हृदय परिवर्तन न हो जाए। जहाँ सत्याग्रह का सिद्धान्त व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में राज्य का विरोध करने का अधिकार देता है वहाँ गाँधीजी उस पर कुछ प्रतिबन्ध भी स्वीकार करते हैं। ऐसे विरोध द्वारा अव्यवस्था और अराजकता नहीं फैलना चाहिए और ना ही उसे किसी भी सूरत में हिंसक रूप धारण करने देना चाहिए। दूसरी ओर नैतिक दबाव द्वारा विरोधी को बाध्य करने का रास्ता तब अपनाना चाहिए। जब संवैधानिक साधन विफल हो चुके हों।

सत्याग्रह की विधि विदेशी शासन के विरोध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। लोकतंत्र में सत्याग्रह की विधि का उपयोग बहुत सीमित स्तर पर ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इसका सहारा लेने से पहले संवैधानिक तरीकों को आजमा लेना जरूरी है। दुर्भाग्य से हम गांधीजी द्वारा निर्दिष्ट इन मर्यादाओं को भूलाकर अपनी नासमझी से सत्याग्रह को एक खिलवाड़ समझ बैठे हैं और स्वतंत्र भारत में भी आए दिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए आमरण अनशन व आत्मदाह की धमकियों का प्रयोग होता रहता है, जिससे जनता में आंतक व अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। अतः यह आवश्यक है कि हम सत्याग्रह के सही–सही अर्थ व उसकी मर्यादाओं को समझकर इसकी शक्ति से लाभ उठाने के लिए इसके दुरूपयोग से बचें तभी सम्पूर्ण समाज कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। गाँधीजी ने सत्याग्रह की उपयोगिता प्रभाव व परिणाम को स्पष्ट करते हुए यही स्वीकार किया है कि सत्याग्रह ऐसी तलवार है जिसके सब और धार है। उसे काम में लेने वाला और जिस पर वह काम में लायी जाती है दोनों सुखी होते हैं। स्वयं का खून बहाकर भी वह बड़ी कारगर होती है। उस पर न कभी जंग लगता है और ना ही कोई उसे चुरा सकता है।[40] सत्याग्रह स्वंय आर्त हृदय की एक मूक व अचूक प्रार्थना है। इस सन्दर्भ में मैथिलीशरण गुप्त का एक दोहा अति प्रचलित है "सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखे कोई भी वार, हार मानकर शत्रु स्वयं ही, यहाँ करेंगे मित्राचार।[41]"

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सत्याग्रह को समझा जा सकता है और ऐसा लगता है कि एक अहिंसक क्रांति के सार्वभौमिक अस्त्र के रूप में सदैव अपनी उपयोगिता बनाए रखेगा और इस आधार पर गाँधी सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। गाँधीजी इसी आधार पर भारतीय आजादी की ओर बढ़ते गए और अपने आन्दोलन में मजबूती लाते गए और अन्ततः साफ कह दिया कि ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। गाँधीजी की मृत्यु पर जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली देते हुए कहा कि "हमारी जिन्दगी से रोशनी चली गयी है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यह रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी। यह ऐसी रोशनी थी जिसने तात्कालिक समय से कहीं अधिक चीजों का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने जीवन्त शाश्वत सत्य को दर्शाया है। हमें सही रास्ते के बारे में बताया। हमें गलतियों से दूर रखा और इस प्राचीन देश को आजादी के मुकाम तक पहुँचाया। एक बड़ी त्रासदी हमें जिन्दगी की सभी बड़ी चीजों के बारे में याद दिलाने तथा छोटी चीजों को भूल जाने का प्रतीक है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। अपनी मौत से भी वह अपने जीवन की बड़ी चीजों शाश्वत सत्य व अहिंसा की याद दिला गए। अगर हमें यह आदर्श याद रहे तो यह भारत के लिए अच्छा ही होगा"।[42]

अतः निष्कर्षतः स्वयं गाँधीजी ने सत्याग्रह की अपनी अवधारणा का एक संक्षिप्त परिचय स्वयं अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है जो उनके सत्याग्रह का सार भी माना जा सकता है, जो निम्नानुसार है[43] –

- ''सत्याग्रह एक प्रक्रिया है जिससे जनमत को प्रशिक्षण मिलता है। यह समाज के सभी तत्वों को अपने अन्दर समाहित करता है व साफ–सुथरा वातावरण तैयार करता है।
- सत्याग्रह सत्य के लिए एक कठिन शोध है और सत्य की खोज करने के लिए दृढ़ निश्चयी है।
- सत्याग्रह हमारे अन्दर जो आत्मा है उसका स्वभाव है।
- सत्याग्रह का सिद्धान्त – सत्य के आधार पर ही निर्मित हुआ है।
- सभी प्रकार के सत्याग्रह और उपवास आदि त्याग की भावना पर आधारित है और यह सम्पूर्ण रूप से क्रूरता के विपरीत प्रकाश में आया जनमत है।
- सत्याग्रह की जो लड़ाई है वह आत्मा की अजेयता है। यह किसी डरपोक का हथियार नहीं है। अतः सत्याग्रह हमें वीरता से जीने और मरने की कला सिखाता है।
- सत्याग्रह जीवन की सार्वभौमिक विधि है।

- सत्याग्रह अपने आप में त्रुटिरहित व मूक प्रार्थना है जो आत्मा का गुण है।
- सत्याग्रह एक ऐसा सार्वभौमिक हथियार है जो व्यक्ति और परिवार से प्रारम्भ होता है और धीरे–धीरे सभी जगह विस्तार पा लेता है।
- सत्याग्रह समाज की सभी बुराईयों से मुक्ति दिलाता है। सत्याग्रह का बलप्रयोग से कोई वास्ता नहीं है। यह तो एक खुला आध्यात्मिक हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को उत्तेजित नहीं करता, चाहे विरोधी सत्याग्रही का सम्मान करे या न करे।
- सत्याग्रह एक दबाव अवश्य पैदा करता है, जिससे धीरे–धीरे विरोधी सत्याग्रही के पक्ष में तैयार हो जाता है।
- सत्याग्रह किसी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं करता। यह पूर्णतः आन्तरिक क्षमता का प्रतिबिम्ब है।
- सत्याग्रही अपने लिए बहुत अच्छा होने का तर्क नहीं देता।
- सत्याग्रही आश्वस्त होता है और कभी भी निराश नहीं होता। यदि उसके लिए थोड़ा–सा भी आगे बढ़ने का रास्ता है तो वह आगे बढ़ता है।
- सत्याग्रह के शब्द–कोष में कोई शत्रु नहीं है।
- सत्याग्रही क्रूरता के पक्ष में कभी नहीं होता।
- सत्याग्रह हिंसा व युद्ध का एक सम्पूर्ण विकल्प प्रस्तुत करता है।
- सत्याग्रह के ब्रिगेडियर वही हैं जो सत्य व अहिंसा में पूर्ण विश्वास करते हैं।
- सत्याग्रह के लिए नागरिक अवज्ञा से आरम्भ व अन्त होना जरूरी नहीं है।
- सत्याग्रह किसी भी रूप में suffering के पक्ष में नहीं है।
- यदि सत्याग्रही की इच्छा शुद्ध नहीं है तो उसके लिए विजय होना कठिन हो जाता है।
- युद्ध के जो दूसरे साधन हैं, उनके अन्दर ही उनकी असफलता भी छिपी हुई है परन्तु सत्याग्रह में नहीं।
- जब भी सत्याग्रह की बात की जाती है तो उसमें निर्धारित अधिकार और कर्त्तव्य संलग्न होते हैं। यदि कहीं कोई दोष छुपे हुए हैं तो सत्याग्रह उनके लिए एक सर्च लाइट का कार्य करता है।

- सत्याग्रही को असीमित धैर्यवान होना चाहिए। मजबूत विश्वास व अडिग आस्था वाला होना चाहिए।
- सत्याग्रह का जो आधार है या जहाँ कहीं वह टिक सकता है वह ईश्वर है।
- सत्याग्रही व्यक्तिगत गलत कार्य के लिए कम और सामाजिक गलती के लिए ज्यादा अग्रसर होता है।
- सत्याग्रही अपने तथाकथित शत्रु को भी अपने मित्र की तरह ही प्रेम करता है अतः यह माना जाता है कि उसका कोई शत्रु नहीं होता।
- सत्याग्रही सत्याग्रह करने से पूर्व अपनी पूरी तैयारी कर लेता है।
- सत्याग्रही मानव प्रेम के आगे क्रूरता को नहीं टिकने देता।
- सत्याग्रही के कष्ट सहन करने की कोई सीमा नहीं होती।
- सत्याग्रह का अहसास विरोधी के हृदय को अवश्य छूता है।

ऐसा है गाँधीजी का सत्याग्रह, और अपने बताए हुए इन्हीं आदर्शों के आधार पर गाँधीजी उनके सपनों का भारत बनाना चाहते थे जो उन्हीं के एक लेख से स्पष्ट होता है कि "मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है और इसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें ऊँच, नीच वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदायों में पूरा मेल–जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता की, शराब और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को समान अधिकार होंगे। सारी दुनिया के साथ हमारा सम्बन्ध शांति का होगा, यानी न तो हम किसी का शोषण करेंगे और न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे। ऐसे सब हितों का, जिनका करोड़ों मूक लोगों के हितों से कोई विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जाएगा, फिर वे हित देशी हों या विदेशी। यह है "मेरे सपनों का भारत"। इससे भिन्न किसी चीज से मुझे संतोष नहीं होगा"[44]

परन्तु आज की हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को पैरों तले रौंदकर समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट–भ्रष्ट करने में जी–जान से जुटी हुई है। अरबों–खरबों के घोटाले हो रहे हैं। प्रकृति का दोहन, पर्यावरण विनाश कर हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सरकार देश की गरीब जनता को कंगाली की ओर तेजी से ढकेल रही है।

भ्रष्टाचार का संकट बड़ा व गहरा होता जा रहा है। हमारे पास साहस ही नहीं बचा है कि हम इस उपभोक्तावादी, भोग–परायण, परोपजीवी, मानवता विरोधी संस्कृति का विरोध कर

सकें। ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी के सपने क्या सपने ही रह जाएंगे? हमारे देश की सभी व्यवस्थाऐं भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर सड़ चुकी हैं और सबसे ज्यादा बेकद्री आम आदमी की हुई है। 1947 के बाद दो दशकों का समय बीतते–बीतते आजादी और लोकतंत्र का चरित्र जनता की नजरों के सामने आने लगा। 1975–1977 के आपातकाल और उसके बाद की संसदीय राजनीति ने स्थिति एकदम साफ कर दी लेकिन जनता के सामने कोई क्रांतिकारी विकल्प नहीं था। भारतीय जनता बहुत दिनों तक सिर झुकाये यह सबकुछ बर्दाश्त करती रहेगी। आँसुओं के सागर में विद्रोह की सुनामी उठेगी और भ्रष्टाचार के टापुओं को नष्ट कर देगी यह तय है। जरूरत है तो बस इस बात की कि समाज के अगुवा तत्व उठ खड़े हों और नयी क्रांति के सन्देश को देश के कोने–कोने तक पहुँचाने में जुट जाए। महात्मा गाँधी के 1909 के ''हिन्द स्वराज'' में जो बातें उन्होंने हमारी बरबादी के कारण के रूप में दिखाई वह आज हमारे सामने मुँह बाये खड़ी है। लेकिन हमने उन्हें नजरअन्दाज कर उनसे मुँह ही फेर लिया, यह कहकर कि उनकी बातें आज विज्ञान के युग में बेमानी है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने की जो सोच बनायी, हमारी कमजोरी आज भी वही है।

जब आजादी से पूर्व अंग्रेजों ने हमारी बेहतरीन व्यवस्था को गुलामी की जंजीरों से बाँधा और हमारे राष्ट्रीय नेताओं, स्वतंत्रता संग्रामियों ने हमें विशेषकर बापू (महात्मा गाँधी) के सत्याग्रह द्वारा जो प्रयास किये गए और जो हमारे जीवन मूल्य, सभ्यता, संस्कृति की बात उन्होंने कही आज वही बातें कहीं दिखाई नहीं देती। समय बदलता गया, विकास के रास्ते चलते–चलते हम कब भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद जैसी बड़ी बुराईयों से ग्रस्त हो गए और अपने ही घर में गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता को हुआ। परन्तु समय के गर्भ में आज महत्वपूर्ण बदलाव के बीज पल रहे हैं। विकल्प के निर्माण के लिए उन्हें ही आगे आना होगा जो ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं और आवाज उठाने पर कुचले जा रहे हैं। इस व्यवस्था में जिनका कोई भविष्य नहीं है, उन्हें ही नयी व्यवस्था बनाने के लिए आगे आना होगा। इसी सन्दर्भ में गाँधी युग के प्रतिनिधि महान् समाज सुधारक जिन्होंने गाँधी के पथ पर चलते हुए सत्याग्रह को अपना हथियार बनाकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए एक बड़ा आन्दोलन छेड़ा जो एक बड़े परिवर्तन का द्योतक है वे किशन बाबूराव हजारे (अन्ना हजारे) ही हैं। हमारे प्रथम अध्याय का सरोकार अन्ना हजारे से भी है जिन्होंने आजादी के बाद अपने ही घर (भारत) में अपने ही लोगों (सरकार) से भ्रष्टाचार जैसी गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए ''लोकपाल बिल'' को लेकर लोहा लिया।

एक साधारण–सी बात कि ''परायों से लड़ना आसान होता है, बनिस्बत अपने ही भाई–बन्धुओं के'', और यही बात यहाँ सन्दर्भित है कि महात्मा गाँधीजी के सत्याग्रह के सामने अन्ना हजारे का आन्दोलन और व्यक्तित्व अत्यन्त बौना है, परन्तु समय व परिस्थिति का बदलाव

भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन आदर्शों को ध्यान में रखकर हमारे देश की सम्पूर्ण व्यवस्था निर्धारित की, उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए हमारे शीर्ष नेताओं और विभिन्न कार्यालयों में कुर्सीधारियों ने अपने हितों को प्रमुखता देकर सामान्य जन के शोषण की अति कर डाली है। गाँधीजी को अपने लोगों को अपने साथ लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं था, क्योंकि उनके उद्देश्य एक थे – आजादी। हालांकि उनका कार्य आसान नहीं था क्योंकि वहाँ अंग्रेजों की हमसे भावनाऐं नहीं जुड़ी थीं, परन्तु आज भावनात्मक समाज में जनता को अपने ही लोगों पर जिसे उसके द्वारा ही चुना जा रहा है, उंगली उठानी है। यहाँ भाई–भाई को लूटे जा रहा है। ऐसे में क्षुब्ध अन्ना के सामने अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था सिवाय सत्याग्रह के और उनके प्रयासों से एक बार फिर पूरी जनता का सहयोग सत्याग्रह को मिला अन्ना द्वारा। अन्ना 15 जनवरी 1938 से अभी तक संघर्षमय जीवन जीते हुए कई उतार–चढ़ावों के साथ कार्य करते रहे हैं। उनकी बचपन की परिस्थितियाँ अत्यन्त कठिन रही व वे उसका सामना बहादुरी से करते रहे। यही कारण रहा कि आम जनता की वेदना को उन्होंने समझा।

कुछ समय फूल विक्रेता का कार्य करने के बाद अपने अन्दर की देशभक्ति से वशीभूत होकर वे भारतीय सेना की ओर मुखर हुए। वहाँ उन्हें ड्राइवर की नौकरी मिली। यहाँ भी उनका सफर आसान नहीं था। अविवाहित रहते हुए देश सेवा में लगे रहे। विभिन्न युद्धों में अपने मरते हुए साथियों को देख इनका मन अनासक्त हो गया और वे जीवन का अर्थ तलाशने लगे और सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और समाजसुधार व भ्रष्टाचार निवारण के कार्य में लग गए। सर्वप्रथम अपने ही गाँव की यातनाओं से इनका सामना हुआ और इन्होंने रालेगण सिद्धि को एक आदर्श गाँव बना डाला। इसी क्रम में इन्होंने महाराष्ट्र में अनेक बार सफल सत्याग्रह कर सरकार से अपनी कई माँगों को मनवाया, जिसमें सूचना का अधिकार (2005) प्रमुख उपलब्धि माना जा सकता है। चूँकि इनके भ्रष्टाचार निवारण और समाज सुधार के अनेक प्रयास सत्य पर ही आधारित है और उन्होंने गाँधीजी का ही अनुसरण कर सत्य व अहिंसा को अपने कार्य का आधार बनाया। अपने जीवन के कई सुखों का त्याग कर भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में कार्य कर रहे अन्ना हजारे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। इसी कारण आम जनता उन्हें दूसरा गाँधी या छोटा गाँधी, जननायक हजारे, क्रांतिदूत हजारे के नाम से जानने लगी है।

21वीं सदी में पूरे भारत में भ्रष्टाचार निवारण के अपने प्रयासों के कारण उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके समर्थकों का यही मानना है कि गाँधीजी का समय अलग था और उस समय की परिस्थितियों के सन्दर्भ में उनके कार्य व आन्दोलन सामयिक थे। गाँधी के बाद परिस्थितियाँ बदलती गयी और नए प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया तथा विकास की दृष्टि से अभी तक भारत को जहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था वहाँ वह नहीं पहुँच पाया है और इसका कारण सार्वजनिक जीवन में व सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त होना है। इसलिए राजनीतिक,

सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में दूसरी क्रांति की आवश्यकता है, जिसका श्रीगणेश महान् सुधारक अन्ना हजारे ने किया, जिसका विस्तृत विवरण आगामी अध्यायों में स्पष्ट रूप से किया गया है। यहाँ यही कहा जा सकता है कि अन्ना हजारे सब प्रकार से प्रयास करके गाँधीजी के पथ पर ही अग्रसर हैं, इसी कारण सभी ने अन्ना हजारे की महात्मा गाँधी से समानता दिखाने पर जोर दिया है। प्रस्तुत शोध की दृष्टि से यह आवश्यक है कि दोनों का कुछ तुलनात्मक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाए। इस दृष्टि से दोनों में निम्न समानताएँ व असमानताएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिनमें समानताएँ इस प्रकार हैं –

- दोनों के ही परिवार बड़े थे।
- दोनों के परिवारों में ही कर्त्तव्यनिष्ठा व संयम पर बल था।
- दोनों का ही जीवन एक तरह से सादा जीवन व उच्च विचार के आदर्श से जुड़ा रहा।
- दोनों ही अपने–अपने ढंग से राजनीति व समाज में व्याप्त बुराईयों को समाप्त करने के लिए तत्पर रहे हैं।
- दोनों का ही सम्बन्ध एक तरह से महाराष्ट्र से रहा है।
- दोनों ही इस बात में विश्वास करते हैं कि कुशलतापूर्वक अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ही एक योगी या कर्मयोगी का प्रमुख लक्षण है।
- आम जन का त्रस्त जीवन देखकर दोनों का ही मन उद्वेलित हो उठा और दोनों ने अपना शेष बचा जीवन समाजसेवा में लगा दिया। साधारण वस्त्र, सादगीपूर्ण जीवन, आवश्यकताभर भोजन, अति आवश्यक सम्पत्ति ही स्वीकार की।
- दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर देते हैं। मन, वचन, कर्म से व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विचार व वास्तविकता में अन्तर नहीं होना चाहिए। वचन, व्यवहार व कर्म में समानता का भाव होना चाहिए।
- दोनों ने सत्य व अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह व उसकी विभिन्न तकनीकों को ही अपने आन्दोलनों का आधार बनाया।
- दोनों ने ही सामान्य जनता में आत्मानुशासन, आत्म–स्वाभिमान व आत्मनिर्भरता लाने का भरपूर प्रयास किया।
- जनता को अन्याय का प्रतिकार करने को आक्रोशित कर उन्हें एकजुट होने का सन्देश देकर देश की एकता व अखण्डता को बनाए रखने का प्रयास किया।

- सर्वधर्म समभाव का भाव जन–जन तक पहुँचाया।
- अपने हितों से परे सर्वहित का भाव अपनाकर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया।
- गाँधीजी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके सरोकार समसामयिक थे, परन्तु वे अब सार्वलौकिक हो गए हैं। अन्ना हजारे भी कुछ ऐसे ही रहे हैं कि विकट परिस्थितियों में भी अपने जीवन का संचालन करते हुए सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के लिए अग्रणी बन गए हैं।
- तुलनात्मक दृष्टि से अन्ना हजारे भले ही अद्वितीय ना हो परन्तु गाँधी के पथ पर अन्ना हजारे की भी अद्वितीय छवि है। महात्मा गाँधी को विश्वभर में और अन्ना हजारे को भारतभर में भारी प्रशंसा मिली, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनता में जागरूकता लाने का प्रयास किया।

अतः हम मान सकते हैं कि दोनों के विचार, जीवन–दृष्टि, कार्यप्रणाली और निश्चित आदर्शों में पर्याप्त समानताएँ देखी जा सकती हैं, परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से दोनों में पर्याप्त असमानताएँ भी देखी जा सकती हैं और जो समर्थक अन्ना को गाँधी के समान मानते हैं, उनसे निम्न प्रश्न किये जा सकते हैं –

- क्या अन्ना व उनके आन्दोलन को गाँधी व उनके आन्दोलन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है?
- क्या दोनों की योग्यताएँ बराबर हैं?
- क्या दोनों में कष्ट सहने की क्षमता बराबर है?
- क्या अन्ना भारतीय राष्ट्रीय आकाश के गाँधी के समान चमकते सितारे हैं?
- क्या दोनों की नेतृत्व क्षमता बराबर है?
- क्या गाँधीजी का कार्यक्षेत्र ज्यादा व्यापक व ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है?
- क्या गाँधी का जीवन इतना असाधारण नहीं है कि अन्ना आसानी से उनका अनुसरण कर सके?
- क्या गाँधीजी की तुलना में अन्ना कुछ बौने लगते हैं? क्या दोनों को बराबर मानना दोनों का सही मूल्यांकन है? क्योंकि अंग्रेजों से गाँधीजी की लड़ाई "भारतीय स्वतंत्रता" के लिये थी जबकि अन्ना हजारे की लड़ाई "स्वतंत्रता के उपरांत" पैदा हुई समस्याओं से है। क्या हम इन स्थितियों में तुलना करके न्याय कर सकेंगे?

इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढते हैं तो यही लगता है कि दोनों के वैयक्तिक व वैचारिक आयामों में इतना अन्तर है कि यह तुलना उचित नहीं जान पड़ती। हर तरह से यह विचारणीय है कि एक राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के तौर पर अन्ना का अनुभव बहुत ही कम है जबकि महात्मा गाँधी अनेक दशकों तक भारतीय मानस व परिकल्पनाओं पर छाए रहे हैं व छाए रहेंगे। अतः अन्ना के अन्दर पूर्णतया गाँधीजी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को तलाशना संभवतया उचित नहीं होगा। गाँधीजी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस त्याग व समर्पण के साथ जो रास्ता अपनाया वह इतना आसान नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि राजघाट पर शीश नमाने या खास तरह की टोपी पहन लेने या 12 दिन अनशन कर लेने भर से गाँधीजी को श्रद्धांजली दी जा सकेगी तो यह उनका भ्रम ही है। कर्म व विचार के स्तर पर कई चीजें हैं जो अन्ना को गाँधीजी के भौतिक स्वरूप के कुछ करीब लाती हैं। हालांकि आत्मनिर्भर गाँव, सामुदायिक चेतना, शाकाहार व आचरण की एक खास तरह की अवधारणात्मक शुद्धता पर जोर, अपने मूल स्वरूप में गाँधीवादी विचार का ही विस्तार है, परन्तु दोनों के मध्य सीमा रेखा खींची जा सकती है।

वास्तविकता यह है कि अन्ना में एक स्थूलता है, जबकि गाँधी में एक सूक्ष्मता। गाँधीजी व अन्ना हजारे पर विचार करने वालों का मानना है कि अन्ना Old Testament के ''जीसस'' जैसे लगते हैं जो सूदखोरों को चाबुक से मारते हैं। गाँधी New Testament के क्राइस्ट हैं, जिनमें सबको क्षमा करने का बड़प्पन है। यही कारण है कि एक ही तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने के बावजूद गाँधी की लड़ाई डराती नहीं, अन्ना की लड़ाई सावधान रहने का आग्रह करती है। क्योंकि गाँधीजी की लड़ाई अंग्रेजों से थी जबकि अन्ना की लडाई अपने ही लोगों की बुरी प्रवृत्तियों से है जो आसान नहीं लगती। यह भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गाँधी की अपनी एक स्वयं की विचारधारा है, एक दर्शन है, परन्तु अन्ना का ऐसा कोई स्पष्ट व स्वीकार्य दर्शन दिखाई नहीं देता, जिसे ''अन्नावाद'' नाम दिया जा सके। वे गाँजी के ही अनुसरणकर्ता हैं। गाँधी सत्य के खोजी हैं और यही लगता है कि उन्होंने उसे खोजा भी है और ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में अनेकों बार स्वीकार भी किया है कि आपका जो अन्तर्मन है, आपकी जो आत्मा है, उसका सीधा सम्बन्ध सत्य रूपी ईश्वर से होता है। अतः उस आवाज को आप हमेशा सुनें और उसे सुनकर हर एक के आँसू पोंछने का दृढ़ निश्चय करें। अतः गाँधीजी अधिक खरे, कढ़े, दृढ़ निश्चयी व प्रखर नजर आते हैं। निडरता व निर्भरता का सच्चा जीवन जीने का सन्देश देते हैं। गाँधी इस दृष्टि से एक महान् व्यक्तित्व लिए हुए हैं, जो अपनी निष्ठा व ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। अतः उच्च स्तरीय निष्ठाएँ गाँधीजी में अधिक देखने को मिलती हैं। गाँधीजी का जोर व्यक्ति को पूरी तरह नैतिकतापूर्ण जीवन में ढालने पर रहता है, उसे पूरी तरह बदल डालने पर रहता है, जबकि अन्ना ऐसा कोई बहुत कड़ा आग्रह नहीं करते। वे अपने देशवासियों को बुराइयों से मुक्त करना चाहते हैं और इस दिशा में वे लगातार

प्रयासरत हैं। गाँधीजी अस्पृश्यता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, अशिक्षा आदि के खिलाफ संघर्ष को केवल मौखिक, वैचारिक या संवेदनात्मक नहीं रहने देते, उसे बिल्कुल कर्म के स्तर पर उतार लाते हैं। जिन कामों को लोग करना नहीं चाहते, वे सब कार्य गाँधीजी करवाते हैं।

अतः स्पष्ट है कि गाँधीजी का दर्शन एक पूरी सभ्यतादृष्टि का नाम है, यही वजह है कि गाँधी परम्परा को पूरी तरह बदलकर भी पारम्परिक बने रहते हैं और आधुनिकता को पूरी तरह चुनौती देकर भी आधुनिक बने रहते हैं। अतः यही लगता है कि गाँधी के विस्तृत उद्देश्य के आगे अन्ना ने देश सुधारने का एक अथक प्रयास किया है। संगठनात्मक दृष्टि से व आन्दोलनात्मक दृष्टि से लोगों को अपने अनुसार चलाने की दृष्टि से भी गाँधीजी अन्ना के प्रेरणा स्त्रोत हैं। उनका स्वदेश व स्वराज्य का विचार स्पष्ट और प्रखर है। गाँधी का स्वराज्य ना भूगोल में, ना राजनीति में, ना जज्बाती नारों में है। वह बिल्कुल निर्मल व उजली मनुष्यता के लिए समाज बनाने की ऐसी आन्तरिक दृष्टि से उद्भूत है जिसमें राज्य को अन्ततः खत्म होते जाना है। स्वराज को मजबूत होना है। गाँधीजी बड़ी सावधानी से अपने भजन सुनते हैं, उनमें निहित कविता, मर्म व परिशुद्धता का खयाल रखते हैं। हाँ यह कहा जा सकता है कि आचार के स्तर पर अन्ना लगातार गाँधी के आदर्शों को अपना रहे हैं। सादगी व सात्विकता को अन्ना ने अपनी जीवनशैली बनाई है तथा उपवास व अहिंसा को अपनी संघर्ष शैली। वे पूर्णतया गाँधीजी का अनुसरण करते नजर आते हैं, परन्तु गाँधी का नाम आते ही हम विचार की स्थिति में आ जाते हैं और यह सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि अन्ना की उच्चता को गाँधी के बराबर आने में समय लगेगा।

फिर भी कहा जा सकता है कि अन्ना हजारे पूर्णतया गाँधीजी के पथ पर अग्रसर हैं और जीवन के इस पड़ाव पर भी उत्साहपूर्वक गाँधीयन तकनीक का सहारा लेते हुए सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार मिटाने को कटिबद्ध हैं। अतः उनके जीवन से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था के शास्त्रागार से एक नया अन्नारूपी हथियार सामने आया है, जो व्यवस्था बदलने की लड़ाई में लगे लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करेगा।[45] अन्ना हजारे ने विभिन्न वक्तव्यों में देश का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ''उन्हें जो तुरन्त व प्रबल समर्थन पूरे भारत से मिला वही उनका बल है। उसी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया एवं उनकी क्षमता में वृद्धि की।'' अतः वह केवल भ्रष्टाचार उन्मूलन ही नहीं वरन् बहुत से मुद्दों को उठाकर लोगों की आशाओं पर खरे उतरेंगे।[46] अतः यही कहा जा सकता है कि आजादी के बाद जो कुछ घटित हो रहा है, उन परिस्थितियों के कारण गाँधीजी के एक बार फिर जीवित होने की तलाश में अन्ना हजारे हमारे सामने हैं। गाँधीजी का एक 14 खण्डों का वृत्तचित्र भी है जो छः घण्टे की अवधि वाला है। उनका जन्मदिवस 2 अक्टूबर अन्तर्राष्ट्रीय

अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी हत्या की तारीख 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है।

उनके दो मंदिर एक उड़ीसा के सम्बलपुर में और दूसरा कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के काडूर के पास बना है। हर भारतीय नोट पर उनकी तस्वीर अंकित है। मानना होगा कि वे विश्व इतिहास के पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने शांति, सद्भाव और मानवता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अतः हम यहाँ तक कह सकते हैं कि गाँधी व उनके विचार चिरायु हों और उसी दिशा में अन्ना हजारे को भी उपलब्धियाँ प्राप्त हों और भ्रष्टाचार में जकड़ी आम जनता को न्याय मिल सके। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि सत्याग्रह पुनः–पुनः उभर कर आएगा, क्योंकि यह अहिंसात्मक संघर्ष है और एक तरह से शांति स्थापना का सही मार्ग भी है।

अध्ययन का क्षेत्र –

प्रस्तुत शोध विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, अनुभवात्मक है। गाँधीजी और अन्ना हजारे ने जिस तरह से व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अपने को प्रतिष्ठित किया है वह महत्वपूर्ण है और उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं उनका उल्लेखनीय प्रभाव यह ही अच्छा होता कि गाँधीजी के मॉडल को अपनाया जाता और परिष्कृत किया जाता। परन्तु भारत की यह विडम्बना है कि गाँधीय मॉडल न तो स्वीकार किया गया है और ना ही उसका परिक्षण। परन्तु चूँकि शोध प्रबन्ध का केन्द्र सत्याग्रह की अवधारणा एवं गाँधीजी व अन्ना हजारे का तुलनात्मक अध्ययन करना है, अतः शोध ने गाँधीयन जीवन–दर्शन और क्रियाकलापों के सत्याग्रह की निम्न प्राक्कल्पनाओं को जाँचने का प्रयास किया है –

- ❖ क्या यह नकारात्मक उपाय है?
- ❖ क्या महात्मा गाँधी की तुलना अन्ना हजारे से की जा सकती है?
- ❖ वर्तमान में जन–आन्दोलनों के आधार क्या हैं?
- ❖ कीमतें, बेरोजगारी, आतंक, सरकारी भ्रष्टाचार, राजनैतिक व्यवस्था की अकर्मण्यता, कानून एवं व्यवस्था की चिंतापूर्ण स्थिति, राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक अभाव, सामान्य जन का शोषण, समुचित विकास न होना, धर्म एवं जातीय समस्याएँ आदि यदि आन्दोलनों के आधार हैं तो जन–असंतोष का उपचार क्या केवल सत्याग्रह है?
- ❖ क्या इन समस्याओं को सत्याग्रह के माध्यम से निजात मिल सकती है?
- ❖ क्या दोनों के व्यक्तित्व में नेतृत्व की आकांक्षा का अभाव है?
- ❖ संचार साधनों का जनचेतना में क्या योगदान है?
- ❖ क्या मतभेद निवारण में गाँधी और अन्ना के विचार और प्रयास सही उतरते हैं?

अध्ययन पद्धति –

चूँकि यह अध्ययन दो प्रभावी व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्बन्धित है। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सरोकारों को अपने में समाए हुए है। अतः वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा सत्यता तक पहुँचने के लिए प्रयास किये हैं। इस सम्बन्ध में रोनाल्डो यंग का कहना है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सत्यता तक पहुँचने के लिए 5 चरण आवश्यक है –

- ➢ कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण
- ➢ तथ्यों का पर्यवेक्षण, संकलन व आलेखन
- ➢ आँकड़ों का अनुक्रमों या श्रेणियों में वर्गीकरण
- ➢ निगमों का प्रतिवेदन

इसके साथ ही वैज्ञानिक पद्धति में भविष्य के संकेत भी दिख जाते हैं।

चूँकि यह अध्ययन सार्वजनिक प्रश्नों पर गाँधी और अन्ना हजारे की विचारधारा और उसको बदलने के प्रयास तथा उसकी निष्ठाओं से सम्बन्धित है, अतः इस शोध प्रबन्ध में मिश्रित अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। जिससे ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर दोनों की पृष्ठभूमि को समझा गया है। उनके कालक्रम के बारे में जानकारी ली गई है। तुलनात्मक पद्धति के आधार पर उनके प्रयासों का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया गया है। और इसी आधार पर उनके कार्यनिष्पादन का आकलन किया गया है, उनकी समानताओं और असमानताओं को समझा गया है और साथ ही अनुभवात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही समय–समय पर समाज के प्रबुद्धजन, अपने गुरूजन, वयोवृद्ध सदस्यों, राजनेताओं, सामान्यजनों, विशेषज्ञों, आदि से औपचारिक प्रश्न पूछ कर जानकारी हासिल करने का भी प्रयास किया गया है। समय–समय पर सामाजिक पत्र–पत्रिकाओं में जो लेख और विश्लेषण सामने आते हैं, उनका भी सहारा लिया गया है। यहाँ तक कि अन्ना हजारे से व्यक्तिशः मुलाकात करके प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने की चेष्टा की है।

स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध हेतु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही प्रकार के स्रोतों का सहारा लेकर उसे पूर्णता प्रदान की गई है। अतः यह अध्ययन अनेक पद्धतियों के मिश्रण व सम्मिलन का प्रयास है। हम यही कह सकते हैं कि यह अध्ययन ऐतिहासिक, तुलनात्मक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, अधिक विश्वसनीय, लाभप्रद और निश्चयात्मक है। कमियों की ओर संकेत करके उनकी कार्यशैली को प्रमाणित व अप्रमाणित सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। सभी तरह से इसे उपयोगी व सामाजिक बनाने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से इस शोध प्रबन्ध में आधुनिक शोध विधि विज्ञान की अधिकतम प्रणालियों का प्रयोग किया गया है। अतः गाँधीजी

और अन्ना के जीवन, चुनौतियों और उनसे निपटने के विकल्प को जानने की दृष्टि से इस अध्ययन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे इस क्षेत्र के भावी शोधकर्ता, विचारक और अन्य रूचि रखने वाले पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि आज भी समाज गाँधी की अहिंसात्मक तकनीक से परिवर्तन लाने के प्रति आकर्षित है। इससे ही एक सकारात्मक समाज व राष्ट्र का निर्माण सम्भव है। अतः यह अध्ययन युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा तथा एक जागरूक व समझदार मतदाता को जन्म देगा, क्योंकि गाँधी और उनकी नीतियाँ आज भी देश के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी हुई हैं।

वर्तमान में हिंसा, घृणा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, आतंक का जो साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में गाँधी और एक तरह से उनके अनुयायी अन्ना हजारे के विचारों को पुनःस्थापित कर राष्ट्र को एक नई दिशा दी जा सकती है। नैतिकता को प्राथमिकता देकर लोगों को उन्नत बनाया जा सकता है। अतः इस अध्ययन का औचित्य और योगदान स्वयंसिद्ध है। इसीलिए इस विषय को छः अध्यायों में बाँटकर अध्ययन में सम्पूर्णता लाने का प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष और अध्याय सार –

जैसा कि इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि गाँधीजी कदम–दर–कदम उस ऊँचाई पर पहुँचे जहाँ पहले कोई भी नहीं पहुँच सका था अतः वे पूरी दुनिया में प्रेरणास्त्रोत बने हुए हैं। अन्ना हजारे भी उन्हीं के पथ पर समर्पित हैं, अतः उन्हें आधुनिक गाँधी की संज्ञा भी दी जा रही है। गाँधीजी ने लाखों लोगों को राजनैतिक, सामाजिक और मानवीय स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने लोगों को गलत कार्य के खिलाफ आवाज बुलन्द करने के लिए अधिकारों के अहिंसक व्यवहार का तरीका बताकर व्यावहारिक तरीका भी सुझाया।

संक्षेप में कहा जाए तो गाँधीजी सच्चाई से सच्चाई तक का सफर तय कर रहे थे और विश्व इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परिवर्तन के लिए अहिंसा की संस्कृति से इतनी गहराई से विश्व को अवगत कराया। हालांकि अब गाँधीजी नहीं रहे परन्तु उनके मूलभूत सिद्धान्तों और तत्वों को अब अपनाने का समय आ गया है। गाँधीवादी सिद्धान्त सभी धार्मिक विचारों का निचोड़ है और यह मानव केन्द्रित दृष्टिकोण के लिए अनिवार्य भी है। यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि अन्ना हजारे अगर गाँधी बनना चाहते हैं या गाँधी बनने के पथ पर अग्रसर हैं तो उन्हें अभी बहुत सी परीक्षाऐं देनी होगी अर्थात् उनसे भ्रष्टाचार के विरूद्ध बहुत सारी अपेक्षाऐं हैं। हालांकि गाँधीजी का जन्म 20वीं और अन्ना हजारे का जन्म 21वीं शताब्दी में हुआ, अतः दोनों के समय में बहुत अन्तर है।

अन्तिम पंक्तियों में यही कह सकते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रमुख

कारण प्रत्येक युग में नए विचार, विचारक, तथ्य, नयी घटनाऐं, नयी व्यवस्थाऐं विकसित होती हैं और समाज में उनको उपयोगी बनाने की दृष्टि से उनकी प्रासंगिकता को परखना पड़ता है। त्रुटियों व अच्छाइयों को सामने लाना होता है। अतः शोध अध्ययन द्वारा यह कार्य करके सामाजिक सेवा का अवसर मिलता है, बौद्धिक प्रसन्नता मिलती है। समाज में उपस्थित समस्याओं का हल ढूँढा जाता है और ज्ञान के क्षेत्र में, समाज में कुछ आदान–प्रदान किया जाता है। साथ ही शोधकर्ता को उससे एक सम्मान और पहचान मिलती है। शोधार्थी ने भारतीय चिन्तन और चिन्तकों के प्रति अपनी रूचि से प्रेरित होकर यह विषय प्रस्तुत किया है। शोध से सम्बन्धित जो भी लक्ष्य, औचित्य, योगदान, महत्व, अध्ययन पद्धति, अध्ययन प्रविधि, उपलब्ध साहित्य की समीक्षा हो सकती है, उसे इस अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है और इन सभी ने आगे के अध्यायों में प्रकटीकरण प्राप्त किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(1) जैन पुखराज; भारतीय राजनीतिक विचारक; साहित्य भवन पब्लिकेशन्स; पृ.150

(2) डॉ. रावत राजेश; डॉ. चतुर्वेदी सतीश; डॉ. शर्मा; अशोक; गाँधी बनाम सत्य का प्रयोग (गाँधी चिन्तन में सत्याग्रह); पोइन्टर पब्लिशर्स; जयपुर; 2013; पृ.12

(3) मिश्र अनिल दत्त; गाँधी एक अध्ययन; पियर्सन पब्लिकेशन; न्यू दिल्ली; 2012; पृ. 4

(4) वही; पृ. 68

(5) ठाकुर गौरीकान्त; महात्मा गाँधी; फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह; किशोर विद्या निकेतन; वाराणसी; 1988; पृ. 31

(6) पूर्व उद्धृत; पृ. 31

(7) जोशी शंभू; थोरो; टॉलस्टाय और गाँधी; पृ. 116–117

(8) गाँधी एम.के.; द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी; माई एक्सपेरीमेन्ट विद ट्रुथ; अहमदाबाद; 1956; पृ. 239

(9) गाँधी एम.के.; सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका; प्रथम संस्करण; गणेशन्; मद्रास; 1928; पृ. 1731

(10) Gandhi M.K.; "Contemporary Indian Philosophy"; P. 21 [Ed.: Radhakrishnan & J.H. Murihead;

(11) Gandhi; "Harijan"; August 29, 1936

(12) डॉ. मिश्रा एम.के.; डॉ. दाधीच कमल; गाँधी और सत्याग्रह; अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस; 2011; पृ. 38

(13) कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी; खण्ड 33; पृ. 452

(14) हरिजन; 7 सितम्बर 1935

(15) नवजीवन; 31 मार्च 1929

(16) कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी; खण्ड 50; पृ. 207

(17) हरिजन; 19 सितम्बर 1936

(18) यंग इण्डिया; 31 अक्टूबर 1929

(19) कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी; खण्ड 51; पृ. 17

(20) श्रीवास्तव डी.पी.; कतिपय प्रमुख राजनीतिक विचारक; पृ. 358

(21) सम्पूर्ण गाँधी वांङ्गमय; खण्ड VIII; प्रकाशन विभाग – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; भारत सरकार; दिल्ली; 1962; पृ. 22–23

(22) वही; खण्ड XVIII; 1965; पृ. 1331

(23) गाँधी एम.के.; हिन्द स्वराज्य और इण्डियन होमरूल; II[nd] संस्करण; नवजीवन; अहमदाबाद; 1958; पृ. 79

(24) कृपलानी जे.बी.; गाँधीयन टर्मिनोलॉजी; A.I.C.C. पेपर्स फाइल नं. 15; 1936; पृ. 271

(25) वर्मा वी.पी.; द पोलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गाँधी एण्ड सर्वोदय; लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा; चतुर्थ संस्करण; 1981; पृ. 162

(26) यंग इण्डिया; 26–2–1925; पृ. 73

(27) यंग इण्डिया; 19–3–1925; पृ. 95

(28) यंग इण्डिया; 4–6–1925; पृ. 89

(29) सम्पूर्ण गाँधी वाङ्गमय; खण्ड XIII; पृ. 582

(30) श्रीधरनी के.एल.; वॉर विदाउट वॉइलेन्स; बम्बई; 1962; पृ. 162

(31) धवन गोपीनाथ; सर्वोदय तत्व दर्शन; पृ. 134

(32) गाँधी महात्मा; सत्याग्रह अहमदाबाद; नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस; 1958; पृ. 3

(33) गाँधी; एम.के.; सत्याग्रह; पृ. 22; उ.प्र.; गाँधी स्मारक विधि; वाराणसी

(34) महात्मा गाँधी; सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा; काशीनाथ त्रिवेदी (अनु.) अहमदाबाद; नवजीवन प्रकाशन मंदिर; 1957; पृ. 398

(35) सिंह डॉ. दशरथ; गाँधीवाद को विनोबा की देन; बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी; 1975; पृ. 484

(36) वर्मा श्रीराम; भारतीय राजनीतिक विचारक; कॉलेज बुक सेंटर; जयपुर; 2008; पृ. 416

(37) नाटाणी प्रकाश नारायण; "आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक"; पोइन्टर पब्लिशर्स; जयपुर; 2007; पृ. 148

(38) दिवाकर आर.आर.; सागा ऑफ सत्याग्रह; गाँधी पिस फाउण्डेशन; नई दिल्ली; 1969; पृ. 225

(39) महात्मा गाँधी; सत्याग्रह; अहमदाबाद; नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस; 1958; पृ. 3–6

(40) शर्मा हरिवंश राय; साहित्यिक सुभाषित कोष; राजपाल एण्ड सन्स; दिल्ली; 639

(41) वही; पृ. वही

(42) ज्यूडिथ एम.ब्राउन; गाँधी प्रिजनर ऑफ हॉफ; नई दिल्ली; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1919; पृ. 384

(43) Mishra Anil Dutt; Fundamentals of Gandhism; Mittal Publications; New Delhi; 1995, Pg. 159-162

(44) प्रो. कुमार वीरेन्द्र; गाँधी और जनक्रांति; पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग वाराणसी; पृ.XII

(45) ठाकुर प्रदीप; राणा पूजा; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012; पृ. 154

(46) भाटिया सुदर्शन; क्रांतिदूत अन्ना हजारे; डायमण्ड बुक्स; पृ. 92

द्वितीय अध्याय

सत्याग्रह की तकनीक,
गांधी की मूल अवधारणा

द्वितीय अध्याय

सत्याग्रह की तकनीक, गांधी की मूल अवधारणा

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का यह द्वितीय अध्याय है जो सत्याग्रह के विभिन्न रूप व तकनीकों से सम्बन्धित है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि सत्याग्रह अहिंसक क्रांति का विज्ञान है एवं सत्य के लिए एक तपस्या है। यह विरोधी को पीड़ा देकर नहीं अपितु स्वयं को पीड़ा में डालकर सत्य की रक्षा करना है। गाँधीजी की मान्यता है कि ''सत्य के प्रति आग्रह व्यक्ति को असीम शक्ति से सम्पन्न कर देता है। अहिंसक साधनों द्वारा ही सत्य की शक्ति को अधिक सक्रिय किया जा सकता है। एक अहिंसक कार्य–पद्धति के रूप में सत्याग्रह में सबके लिए कष्ट सहने की तत्परता व्यक्ति की प्रेरणा बन जाती है। अतः सत्याग्रह को आत्मबल व प्रेमबल का नाम दिया जा सकता है।''[47] अतः यह कहना सही होगा कि सत्य व अहिंसा वह तना है, जिस पर सत्याग्रह की अनेक शाखाएँ पुष्पित व पल्लवित होती हैं। यह बलप्रयोग के सर्वथा विपरीत है, हिंसा के सम्पूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। गाँधीजी के अनुसार ''अहिंसा मानव के गरिमामय अस्तित्व का शाश्वत नियम है। किन्तु उनकी असीम शक्ति तभी सक्रिय हो सकती है जबकि उसे अपनाने वाले व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और आचरण अहिंसा के प्रति आस्था से पूरी तरह ओतप्रोत हो।''[48]

पूर्ण अहिंसा सर्वोच्च शौर्य है। अहिंसक कृत्य कभी नैतिक विषाद् उत्पन्न नहीं कर सकता जबकि कायरतापूर्ण कृत्य सदैव नैतिक पतन का कारण होगा। इसी के साथ गाँधीजी ने यह भी स्वीकार किया है कि ''शौर्यपूर्ण हिंसा, कायरतापूर्ण अहिंसा की तुलना में कम पापमय है। जब हृदय में हिंसा विद्यमान हो तब अपनी नपुंसकता को छुपाने के लिए अहिंसा का कवच धारण करने की तुलना में हिंसक हो जाना श्रेयस्कर है''।[49] अतः गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि शाश्वत् प्रेम के रूप में अहिंसा एक जीवन्त शक्ति है। उन्होंने कहा कि ''प्रत्येक वस्तु में एक केन्द्रमुखी शक्ति विद्यमान है, जिसके बिना कोई वस्तु अस्तित्ववान रह ही नहीं सकती। जिस प्रकार जड़ पदार्थों में भी ऐक्य बल विद्यमान रहता है, इसी प्रकार जीवन्त तत्वों में भी निश्चित रूप से ऐक्य बल विद्यमान रहता है। यह बल प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, घृणा तो केवल विनाश के मार्ग पर ले जाती है।[50] इस प्रकार सत्याग्रह को एक चमत्कारिक उपचार के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को भय रहित होकर स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। सत्याग्रह दर्शन सत्य के सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ है। सत्य के पुजारी का पुनीत कर्त्तव्य है कि सत्य की कसौटी तथा उसके आधारों की रक्षा करे।

प्रचलित भाषा में सत्याग्रह केवल अहिंसक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों में असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास करना आदि तक सीमित नहीं है। सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिरोध से

कहीं अधिक व्यापक है। सत्याग्रह की महिमा को गाँधीजी ने बड़ी अनूठी बताया है। उन्हीं के शब्दों में, ''सत्याग्रह ऐसी तलवार है, जिसके सभी ओर धार है, उसे जैसे चाहे काम में ला सकते हैं। उसमें काम लेने वाला और जिस पर काम लाया जाए दोनों सुखी होते हैं। यह खून नहीं बहाता, पर काट गहरी करता है। उस पर जंग नहीं लगता, न कोई इसे चुरा सकता है। सत्याग्रही को किसी का मुकाबला करना पड़े तो वह इसमें थकता नहीं। सत्याग्रही की तलवार को म्यान की जरूरत नहीं होती, उसे कोई छीन भी नहीं सकता। फिर भी आप सत्याग्रह को कमजोर हथियार मानें तो यह शुद्ध अंधेरा ही होगा।'' अतः सत्याग्रह का अर्थ – जिसे हम सत्य समझते हैं, उसे मरणपर्यन्त न छोड़ना। सत्य के लिए चाहे जितनी तकलीफें उठानी पड़े, सब उठाना।[51] एक ऐसी अहिंसक कार्यपद्धति, ऐसा दृष्टिकोण जिसमें सबके प्रति जागृत प्रेम और सबके लिए कष्ट सहने की तत्परता व्यक्ति की प्रेरणा बन जाए।

सत्याग्रह केवल असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, धरना आदि तक ही सीमित नहीं है। यह सर्वोच्च सत्य है, आध्यात्मिक एकता और उसकी प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। सबसे प्रेम करना और सबके लिए कष्ट सहन करना, आदि के साथ इसमें जब विधायक सुधारों और संवैधानिक सेवा के कार्यों का समावेश हो जाता है तो यह सत्याग्रह की व्यापक अवस्था हो जाती है। इस अर्थ में सत्याग्रह संवैधानिक पद्धतियों का निराकरण नहीं करता। वास्तव में गाँधीजी की दृष्टि में अहिंसक प्रतिरोध नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।[52] सामाजिक जीवन में भी सत्याग्रह की वह ही महत्वपूर्ण भूमिका है जो व्यक्तिगत जीवन में है। सामाजिक कुरीतियों के निराकरण में सत्याग्रह सर्वाधिक प्रभावशाली अस्त्र है। सत्याग्रह एक आध्यात्मिक तरीका है जिसमें अपने अत्याचारों के विरूद्ध कोई द्वेषभाव न रखते हुए अपनी अन्तरात्मा की आवाज का अनुसरण किया जाता है और किसी भी परिस्थिति में सत्य से पीछे नहीं हटा जाता। नैतिक बल के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग सभी के द्वारा नहीं किया जा सकता। सत्याग्रह केवल उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो सत्याग्रही स्थिति को अर्जित कर ले और जिनके मन में सत्य की सर्वोच्चता और उसकी अमोघ शक्ति के प्रति अडिग आस्था हो।

गाँधीजी ने सत्याग्रह करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति को उत्पन्न करने के लिए आचरण के नियमों का प्रतिपादन किया है जो निम्नानुसार है –

- सत्याग्रही को नश्वर शरीर से पृथक अस्तित्व और शाश्वत सत्ता रखने वाली आत्मा में आस्था रखनी चाहिए। उसे भौतिक बल के विरूद्ध आत्मिक शक्ति की सर्वोच्चता में अटूट श्रद्धा व अडिग विश्वास रखना चाहिए।
- सत्याग्रही को अपने विरोधी के अनिवार्य ईश्वरत्व में विश्वास होना चाहिए। गाँधीजी के शब्दों में ''यदि विपक्षी सत्याग्रही को असंख्य बार धोखा भी दे दे तो भी सत्याग्रही

अगली बार उस पर विश्वास रखने को तत्पर रहता है। मानव प्रकृति में अटूट आस्था रखना सत्याग्रह धर्म का मुख्य तत्व है।[53]

- निष्क्रिय प्रतिरोध नकारात्मक व्यावहारिकता है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता, ऐसा सत्याग्रही का विश्वास होता है।
- सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को सेवा, प्रेम, धैर्य एवं आत्मपीड़न द्वारा जीतना है। सत्याग्रह अपने विरोधी से नहीं बल्कि उसकी बुराई से घृणा करता है।
- साध्य के साथ–साथ साधनों की पवित्रता पर भी विश्वास होना चाहिए।

अतः इस सन्दर्भ में सत्याग्रही के गुणों को प्रथम अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि सत्याग्रह की सफलता के लिए उसमें सहभागी हुए सत्याग्रहियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि उनकी योग्यता महत्वपूर्ण होती है, जो सत्–असत् में विवेकपूर्ण भेद करने वाली, मन से दृढ़ निश्चयी, अहिंसा का शत–प्रतिशत पालन करने वाली, सत्य का आचरण करने वाली होनी चाहिए। महात्मा गाँधी ने सत्य व सत्याग्रहियों के लिए कुछ योग्यताएँ या गुण तो निर्धारित किये हैं, साथ ही सत्याग्रह की कुछ निर्धारित तकनीकों के द्वारा ही प्रयोग में लाये जाने को आवश्यक मानते थे, जिनका विस्तृत वर्णन करने से पूर्व आर.आर. दिवाकर द्वारा प्रस्तुत सत्याग्रह के आयामों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इन्होंने सत्याग्रह के तीन प्रमुख आयाम स्वीकार किये हैं, जो इस प्रकार हैं[54] –

- **आन्दोलनात्मक व संघर्षात्मक** – सत्याग्रह का यह आयाम प्रचलित बुराईयों से संघर्ष के रूप में सामने आता है। सत्याग्रह के इस रूप से ही हमारा परिचय अधिक है। सत्याग्रह के इस स्वरूप का आर्ने नैश ने व्यापक विवरण दिया है तथा तीन श्रेणियों में विभक्त कर विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है[55] –

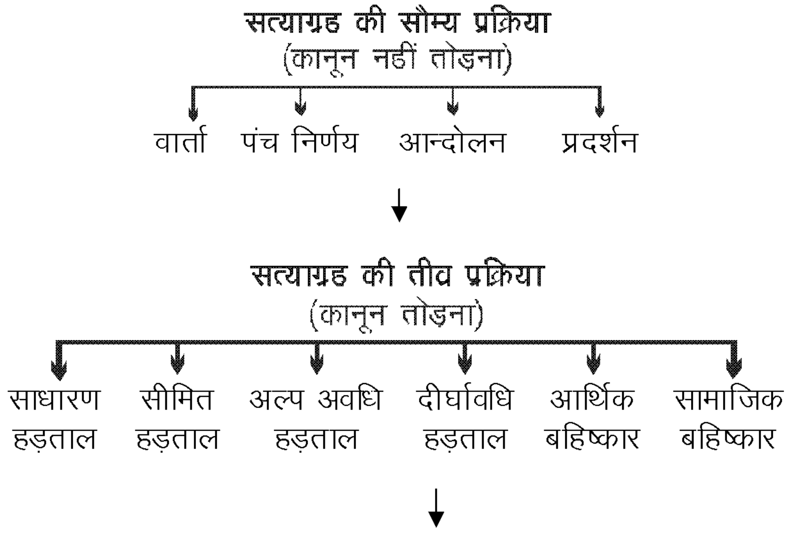

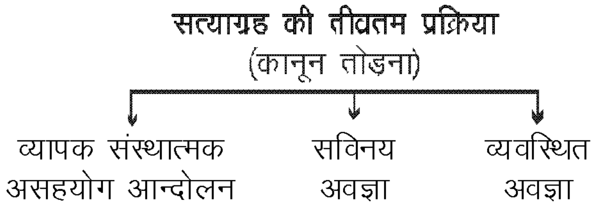

चित्र 2.1 आर्ने नैश का सत्याग्रह वर्गीकरण

इस प्रकार आर्ने नैश ने सत्याग्रह के सौम्य, तीव्र व तीव्रतम रूपों का वर्णन किया है। वहीं श्री जे. बंदोपाध्याय ने सत्याग्रह के विभिन्न सोपानों को लम्बवत् व क्षैतिज दोनों प्रकार से वर्गीकृत किया है[56] जो इस प्रकार है –

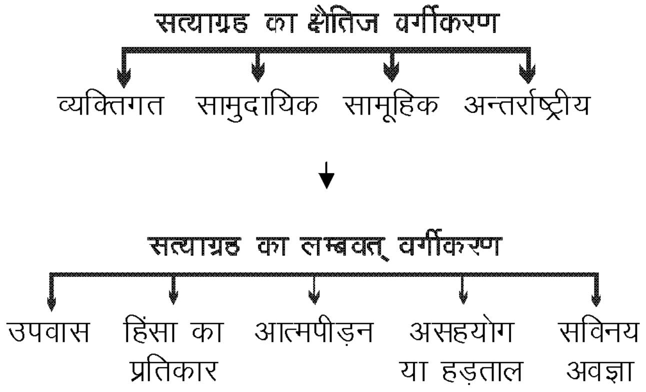

चित्र 2.2 श्री जे. बन्दोपाध्याय का सत्याग्रह वर्गीकरण

एस.जी. कीनी ने इन सभी वर्गीकरणों की आलोचना[57] कर कहा कि यह उच्च नैतिकता द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो अंतर्बोध व ईश्वर में विश्वास नहीं करते, यह गाँधी के सत्याग्रह के विपरीत है क्योंकि गाँधीजी का सत्याग्रह तो ईश्वर व आत्मा का मिलन प्रथम शर्त मानते हैं। इसी क्रम में कीनी के अनुसार गाँधीजी का सत्याग्रह निम्न बातों को प्रमुखता देता है – नैतिकता + आत्मपीड़न + चमत्कार + ईश्वर = सफलता।

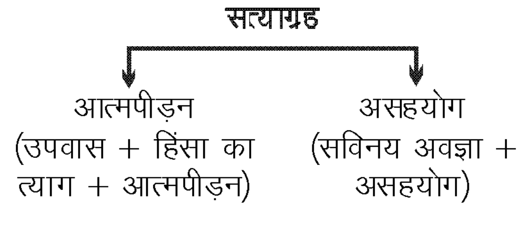

चित्र 2.3 एस.जी. कीनी का सत्याग्रह वर्गीकरण

अतः सम्पूर्ण सत्याग्रह में निष्कर्षतः दो ही सिद्धान्तों को देखा जा सकता है– असहयोग+आत्मपीड़न।[58]

गाँधीजी के सत्याग्रह में व्यक्तिगत साधन के साथ सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन हेतु आत्मपीड़न सहना सम्मिलित है। आत्मपीड़न से सफलता का यह रहस्य है कि जब प्रतिपक्षी की निर्दयता ओर सत्याग्रही की निरपराधिता का संघर्ष होता है तो प्रतिपक्षी अपने कृत्यों का मनोवैज्ञानिक समर्थन चाहता है। यह समर्थन उसे अपने प्रतिपक्षी के भौतिक प्रतिरोध, क्रोध और कायरता से प्राप्त होता है। परन्तु जब अहिंसक प्रतिकार के कारण सत्याग्रही, प्रतिपक्षी का सामना कष्ट सहिष्णुता के द्वारा करता है तो प्रतिपक्षी के मन में पश्चाताप होता है और विरोधी के अहिंसात्मक व्यवहार में अपने दुष्कर्म का कोई मनोगत समर्थन न हो पाने के कारण वैराग्य उत्पन्न होता है और ह्रदय परिवर्तन हो जाता है।[59]

- **रचनात्मक आयाम** – रचनात्मक कार्यक्रम गाँधीजी की एक अमूल्य देन है, जिसके कारण आन्दोलन न होने की स्थिति में भी जनता लक्ष्यहीन व दिग्भ्रमित नहीं होती तथा समाज का सर्वतोमुखी विकास भी उपेक्षित नहीं होता।
- **मूल्य परिवर्तनात्मक आयाम** – शासन चाहे कितना भी कठोर व नृशंस क्यों न हो हमें यह समझना चाहिए कि उसका ह्रदय परिवर्तित हो सकता है और ऐसे अन्यायी की आज्ञा पालन करना, प्रजा का धर्म नहीं है। जब समाज का विशेष समुदाय इसे मानने लगता है तो परिवर्तन व्यक्ति से बढ़कर समुदाय तक आता है। जब समूचे समाज में यह मूल्य परिवेष्ठित हो जाता है तो सामाजिक क्रांति होती है।

गाँधीजी ने उक्त उद्धरणों में यही स्पष्ट किया है कि सत्याग्रह को सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के बल पर आधारित अवधारणा मानना चाहिए। वस्तुतः गाँधीजी ने सत्याग्रह के इन लक्षणों के आधार पर इसे विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे सत्य–बल, अहिंसात्मक प्रतिरोध, प्रेमबल एवं आत्मबल। अतः कहा जा सकता है कि गाँधीजी का सत्याग्रह एक आदर्श है, कर्मयोग का एक व्यावहारिक दर्शन है और एक क्रियाशील अवधारणा है।

उपरोक्त विवरण से या इन विचारों व चिंतनों से प्रस्तुत सत्याग्रह की विभिन्न पद्धतियों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उनके अनुसार सत्याग्रह किसी एक विशेष पद्धति से किया जा सकता है ऐसा नहीं है। व्यक्ति या समाज की क्षमता, मानसिकता एवं तत्कालीन परिस्थिति पर गौर करते हुए सत्याग्रह पद्धति का चयन किया जाना चाहिए। उनके मत से परिस्थिति के अनुरूप निम्नांकित पद्धतियों का प्रयोग कर सत्याग्रह किया जा सकता है –

(1) हड़ताल व धरना –

इसका सामान्य अर्थ है अस्थाई समय के लिए अपना निजी धंधा बंद करके अन्याय के विरूद्ध अपने प्रतीकात्मक प्रतिरोध को प्रदर्शित करना। इसके अन्तर्गत न केवल अपना निजी कार्य, नौकरी, व्यवसाय बन्द करना सम्मिलित है, बल्कि स्कूल और कॉलेज न जाना भी शामिल

है। हड़ताल एक प्रतीक का कार्य करती है। कोई भी शासन तब तक प्रजाजन के प्रति अन्याय एवं शोषण की अनीति का पालन करने में समर्थ होता है जब तक कि इसे अज्ञान एवं भय के कारण प्रजाजन का सहयोग प्राप्त होता है। अतः ऐसे अत्याचारी शासन को आत्मसुधार हेतु प्रेरित करने के लिए प्रजाजन को उसके प्रति असहयोगात्मक हड़ताल का पालन करना चाहिए। अतः विरोध हेतु कार्य को स्वेच्छापूर्वक बन्द करना ही हड़ताल है।

रोलेट एक्ट के विरोध में गाँधीजी ने सम्पूर्ण भारत में 6 अप्रेल 1919 को पूर्ण हड़ताल करने का आह्वान किया था।[60] जब सत्याग्रही कार्य करना स्थगित कर देता है या कार्य स्थगित करने की सूचना देता है तब हड़ताल होती है। श्री के.एल. श्रीधरनी के अनुसार ''हड़ताल श्रमिकों द्वारा अपने नियोक्ताओं से सेवा एवं जीविका के बेहतर प्रबन्ध तथा मानक की माँग का एक प्रभावी उपाय है।''[61] राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हड़तालों का आयोजन खुले रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अपने दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान अपनी सलाह पर उन्होंने भारतीय कोयला खान मजदूरों तथा रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल 1913 के अक्टूबर–नवम्बर माह में सरकार के 2–3 करों को खत्म करने के लिए राजी करने हेतु आयोजित करवाई थी।[62]

यद्यपि हड़ताल का उद्देश्य राजनीतिक हो या आर्थिक उसे सत्याग्रह में शामिल करने के लिए कुछ निश्चित मानदण्डों को पूरा करना अनिवार्य है –

- एक शान्तिपूर्ण हड़ताल के दायरे को पीड़ित समुदाय तक ही सीमित रखना चाहिए तथा उसे अपने खुद के मानदण्डों पर खरा होना चाहिए।
- यह स्वतः–स्फूर्त हो, न कि छल योजित।

अपने अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान गाँधीजी ने सफल व प्रभावी हड़ताल के लिए कुछ और शर्तों की रूपरेखा रखी जो निम्न है[63] –

- हिंसा का हर हाल में परित्याग।
- हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले को किसी भी प्रकार की परेशानी से सुरक्षा, ऐसा वह व्यक्ति होता है जिसे गाँधीजी ने ब्लेक लैग कहा है, जो नियमित कर्मियों के हड़ताल की स्थिति में भी कार्य करने को तैयार रहता है।
- भिक्षा पर निर्भरता कदापि नहीं।
- दृढ़ता बनी रहे, चाहे हड़ताल कितनी ही लम्बी क्यों ना खिंचे, इस दौरान अपने ही श्रम से अपनी रोटी का प्रबन्ध करना चाहिए।
- हड़ताल उचित कारण पर ही हो। छोटी–छोटी बातों पर न हो, बार–बार न हो।

- हड़तालकर्ताओं को प्रतिपक्ष से बातचीत, समझौता पद्धति पर ध्यान देना चाहिए, पर सत्य की बलि देकर नहीं।

यद्यपि गाँधीजी ने जन–उपयोग की सेवाओं के दायरे से हड़ताल को मुक्त रखने की वकालत की, क्योंकि उनका मानना था कि आवश्यक वस्तुओं में हड़ताल से उत्पन्न बाधाओं व अनुपस्थितियों से जनसमुदाय को बड़े पैमाने पर हानि या असुविधा हो सकती है, जो कि सत्याग्रह की मूल आत्मा के विपरीत है। उनका विचार था कि इनके विस्थापन से जन–जीवन का विस्थापन होगा। शांतिपूर्ण धरना भी अहिंसा का एक वैध व उपयोगी तरीका है। हड़ताल की तरह ही धरने का स्वरूप भी रजामन्दी वाला होना चाहिए न कि बलप्रयोग वाला। असहयोग आन्दोलन तथा 1930–31 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन दोनों के दौरान गाँधीजी ने दोनों से, विशेषकर महिलाओं से विदेशी तथा देशी शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने का आह्वान किया था।

यद्यपि गाँधीजी ने पिकेटिंग (प्रदर्शन, जमा होना) के एक तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने धरना को एक बर्बर, क्रूर तथा बाध्यकारी कायराना कार्यवाही बताया। इसलिए उनका यही आग्रह रहा कि सत्याग्रह के एक अंग के रूप में पिकेटिंग का पूर्ण रूप से अहिंसक होना अनिवार्य है। अहिंसक धरना देने वाले का कर्त्तव्य है कि वह जनमत को जगाए, उपयुक्त वातावरण बनाए, सामने वाले व्यक्ति को चेतावनी दे और उसे हृदय परिवर्तन द्वारा वस्तुस्थिति को समझाए। धरना देने का उद्देश्य ''विचारों को बदलने से'' होता है। ये शांतिमय होना चाहिए। इसमें 'असभ्यता का व्यवहार', 'जोर–जबरदस्ती', 'धमकी का प्रयोग' नहीं होना चाहिए।[64] धरना और हड़ताल के नजदीक ही गाँधीजी ने एक और उपाय को स्वीकार किया है, जिसे स्वैच्छिक कार्यबन्दी नाम दिया गया है अर्थात् शांतिपूर्ण तरीके से काम रोक देना, अर्थात् – कार्य का स्वैच्छिक स्थगन। यह भी जनता व सरकार दोनों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए है और गाँधीजी के अनुसार यह आत्मशुद्धि का तरीका है।[65] यह सरकारी योजनाओं के खिलाफ असहमति जताने का सबसे कारगर माध्यम है। यह राष्ट्रीय मत को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित बड़ी–बड़ी सभाओं से कहीं अधिक प्रभावी व सफलताजनक है।[66]

यद्यपि इसका स्वरूप पूर्णतया स्वैच्छिक होना चाहिए अन्यथा यह हिंसा तथा प्रतिहिंसा में तब्दील हो सकता है। जबरन हड़ताल करना सत्याग्रह की भावना के अनुकूल नहीं है। इसे आयोजित करने के लिए रजामन्दी, सौम्यवाद, संवाद तथा प्रचार–प्रसार का तरीका अपनाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका आयोजन बार–बार नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसकी प्रभावशीलता क्षीण हो जाएगी। गाँधीजी के मत से हड़ताल करना कामगारों का अधिकार है। वे लिखते हैं – "Know that strikes are inherent right of the working men for the purpose of securing justice."[67] उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के

कामगारों की समस्या हल करने के लिए हड़ताल का उपयोग किया। उनके मतानुसार कामगारों को हड़ताल का उपयोग केवल खुद की समस्या हल करने के लिए न होकर एक व्यापक राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तथा समाज परिवर्तन के लिए करनी चाहिए। अतः गाँधीजी ने हड़ताल को भी सत्याग्रही का हथियार माना जिसका प्रयोग समय–समय पर उन्होंने किया व वे इसमें सफल रहे।

(2) असहयोग व बहिष्कार –

गाँधीजी द्वारा बम्बई में 18 जून 1921 को दिया गया भाषण 19 जून 1921 को बॉम्बे क्रॉनिकल में छपा जिसमें उन्होंने कहा –

"असहयोग आन्दोलन एक आध्यात्मिक आन्दोलन है; यह हमारे जीवन की आध्यात्मिक अवस्था है। सभी धर्मों में यह बताया गया है कि हमें बुराई से दूर भागना चाहिए और उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मैं डायर को निभाने को तैयार हूँ, परन्तु डायरशाही को नही। ब्रिटिश शासन से सामान्य भारतीय समाज को कोई लाभ नहीं पहुँचा है, जिसका सबसे अच्छा प्रमाण हमें दादाभाई नारौजी की लिखी पुस्तकों और गोखले की साक्षी से मिलता है। मणिपुर मामले में जब बातचीत की जा रही थी तो सर जॉन गर्स्ट ने ही कहा था कि "समाज के प्रमुखों को समाप्त कर देना ब्रिटिश सरकार की नीति है। मेरी आँखें इससे पहले नहीं खुलीं, यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरा कहना यह है कि अंग्रेजी राज्य से कुछ लोगों को शायद लाभ पहुँचा हो, वहाँ बहुत बड़े जनसमुदाय को और अधिकांश जनता को आर्थिक या नैतिक अथवा शारीरिक दृष्टि से जरा भी लाभ नहीं पहुँचा है।" असहयोग आन्दोलन की सफलता की चर्चा करते हुए गाँधीजी ने कहा – "लोग इस आन्दोलन की जितनी सफलता की आशा कर रहे थे, वह उससे अधिक सफल हुआ है। उससे लोगों के दिमागों में से अधिकारियों का और कष्टों का सब भय निकल गया है तथा देश के लिए त्याग और काम करने से वे अब बिल्कुल नहीं डरते।"

यंग इण्डिया 27–10–1921 के अनुसार – "इसमें कोई शक नहीं कि असहयोग एक ऐसी तालीम है जिससे लोकमत विकसित ओर एक स्पष्ट स्वरूप पाता जा रहा है। हिंसात्मक वातावरण में लोकमत का संगठन नहीं किया जा सकता। जो लोग अपने को शौकिया या मजबूरी से असहयोगी कहते हैं, सच्चे असहयोगी नहीं हैं। वे सहायक नहीं उल्टे बाधक हैं। अगर लोगों पर हम अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपेंगे तो हमारा यह जुल्म इस नौकरशाही के अंगभूत मुट्ठी भर अंग्रेजों के जुल्म से भी खराब होगा। अतएव हमें अपने आन्दोलन से हर किस्म के दबाव को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अगर हम लोग केवल मुट्ठी भर ही हों, परन्तु असहयोग के सिद्धान्त के पक्के पाबन्द हों, तो हमें विरोधी मत को अपने पक्ष में करते हुए चाहे प्राण गँवाने पड़ें, किन्तु हम फिर भी सचमुच अपने उद्देश्य की रक्षा कर सकेंगे और साथ ही

उसके प्रतिनिधि कहे जा सकेंगे। लेकिन यदि हम लोगों को दबाव डालकर अपने दल में शामिल करेंगे तो हम ऐसा करके अपने उद्देश्य को भ्रष्ट करेंगे और ईश्वर से विमुख होंगे और यदि हमें इसमें सफलता मिलती हुई दिखे तो वास्तव में हम एक अधिक बड़ी निरंकुश शासन सत्ता की स्थापना में ही सफल होंगे। अगर हम असहिष्णुता दिखाकर दूसरों को अपना मत प्रकट न करने देंगे तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में बाधा डालेंगे, क्योंकि उस अवस्था में हम यह कभी नहीं जान सकेंगे कि कौन हमारे साथ है? कौन खिलाफ है?

अतः सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त यही है कि हम लोगों को अपनी राय ज्यादा से ज्यादा आजादी से प्रकट करने के लिए उत्साहित करें। हमारा यह असहयोग निरंकुश शासन प्रणाली का खुल्लम–खुल्ला विरोध करता है।अतएव हम खास इसी लड़ाई में, जिसे हम मत प्रकाशन की पाबन्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, खुद ही दूसरों की राय पर उस पाबन्दी को लगाने का अपराध न करें। इस प्रश्न पर कि देश में कितने ही लोग अर्द्धनग्न रह रहे हैं, और अगले जाड़े के खयाल मात्र से थरथर काँप रहे हैं, तब क्या आप कपड़ों की होलियाँ जलाने में अच्छाई बताते हैं? महात्मा गाँधी का उत्तर था : हाँ बताता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनकी अर्द्धनग्नता का कारण हम भारतीयों द्वारा जीवन के इस मूलभूत सिद्धान्त की अक्षम्य अवहेलना करना है कि ''जिस प्रकार हम अपने ही घर का पका खाना खाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने ही हाथ के कते सूत का कपड़ा भी पहनना चाहिए।'' यदि मैं उन्हें अपनी विदेशी उतरन दूँ तो इससे उनकी व्यथा की अवधि और भी बढ़ जाएगी। लेकिन इन होलियों से उत्पन्न होने वाली गर्मी अगले जाड़े तक ठहरेगी और अगर ये होलियाँ बराबर तब तक जलती ही रहीं जब तक कपड़े का अन्तिम टुकड़ा नहीं जल जाता, तो वह गर्मी चिरस्थायी हो जाएगी और हम देखेंगे कि आगे आने वाले हर जाड़े में यह देश क्रमशः अधिकाधिक शक्तिमान होता जाएगा।''

'यंग इण्डिया' में 3 नवम्बर 1921 को एक पत्र के उत्तर में गाँधीजी ने लिखा – ''हमारा यह अहिंसात्मक आन्दोलन कुल मिलाकर इतने विनयपूर्वक व शान्त ढंग से चल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते, वे उसी प्रणाली के अधीन अपने बच्चों को शिक्षा देते रहें, जिस प्रणाली के खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। इस विनय से आन्दोलन को और भी अधिक बल मिल रहा है, जिसके साक्ष्य भावी इतिहासकार कृतज्ञता के साथ देंगें। हमें उस शिक्षा प्रणाली पर गर्व करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता, जिस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा का लाभ हमारी विशाल आबादी के सिर्फ मुट्ठीभर लोगों को ही मिल रहा है या मिल पाता है। हम अपनी बेहोशी में नहीं देख पा रहे हैं कि यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश पर कैसा विनाशकारी प्रभाव डाल रही है। अगर शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है तो वर्तमान प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना होगा। यह केवल असहयोग से ही सम्भव है। इससे अधिक किसी अन्य नरम उपचार से भारतीय जनता की अन्तरात्मा को जागृत नहीं किया जा सकता।''

गाँधीजी ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने अहिंसक असहयोग लियो टॉलस्टाय से सीखा। अहिंसक असहयोग एक पवित्र कर्त्तव्य है तथा अराजकता का एक बेहतर विकल्प है, यह विश्व को ज्ञात विरोधियों को परास्त करने का सबसे कारगर व त्वरित माध्यम है। किसी बुरे के प्रति असहयोग की राजनीति अधिक सफल भले ही न हो लेकिन व्यापक जन–आन्दोलन का रूप देकर इसे अधिक सटीक व सुनिश्चित माध्यम बनाया जा सकता है। यह घृणा के मुकाबले प्रेम को खड़ा करने का माध्यम है। यह अहिंसक असहयोग पिता व पुत्र के मध्य भी हो सकता है तथा निर्दयी व निरंकुश शासक व शासित वर्ग के मध्य भी स्वाभाविक रूप से हो सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यवस्था के खिलाफ हम असहयोग करते हैं, उस व्यवस्था के सारे लाभों से हम किनारा कर लें। एक असहयोगी के लिए यह वांछनीय है कि वह एक बुरी व्यवस्था के अन्तर्गत स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेशन, कोर्ट, उपाधि, विधान–परिषद तथा उसी तरह की अन्य संस्थाओं का लोभ त्याग दे।

बुराई व अन्याय करने वालों के विरूद्ध असहयोग करना सत्याग्रह का प्रभावशाली उपकरण है, जिसे व्यक्ति ''असत्य'', ''अवैध'', ''अनैतिक'' या ''अहितकर'' समझता है, अर्थात् जिसे व्यक्ति बुराई समझता है, उसके साथ सहयोग नहीं करता। गाँधीजी इसे ''स्वर्णिम अस्त्र'', ''देवास्त्र'' कहते हैं। यदि असहयोग अंतिम सीमा तक चला जाए तो सरकार या उक्त व्यक्ति समाज का कार्य बिल्कुल ठप्प कर सकता है।[68] महात्मा गाँधी द्वारा 1920–21 में असहयोग आन्दोलन भारत में किया गया। असहयोग आन्दोलन के समय सभी भारतीयों ने महत्वपूर्ण सरकारी उपलब्धियों तथा पदों का परित्याग किया। सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालयों से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया। विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थाओं का परित्याग किया तथा स्वदेशी का नारा बुलन्द किया। स्वदेशी हमारे अंदर वह भावना है जो हमको सुदूर की अपेक्षा निकटतम पर्यावरण का प्रयोग एवं सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। महात्मा गाँधी की असहयोग नीति के पीछे यह सिद्धान्त था कि सत्याग्रही अपने असहयोग के तरीकों से बुरी ताकतों को अभिभूत कर पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर सकता है। गाँधीजी ने भी इस बात की अपेक्षा की थी कि इस तरीके को अपनाने के दौरान सत्याग्रहियों को पीड़ा सहने व नुकसान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।

गाँधीजी के विचारों में असहयोग, अनुशासन व आत्मबलिदान का पैमाना है। इसके अभाव में कोई भी राष्ट्र सही अर्थों में प्रगति नहीं कर सकता है।[69] गाँधीजी द्वारा चलाया गया 1920 के पहले असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भिक उद्देश्य खिलाफत तथा पंजाब की गलतियों को दुरूस्त करना तथा अन्तिम उद्देश्य स्वराज्य की उपलब्धि था। इस कार्यक्रम के निम्न हिस्से थे[70]–

- उपाधियों व सम्मानों का त्याग तथा स्थानीय निकायों के मनोनीत तथा अवैतनिक पदों से इस्तीफा।
- सरकारी कार्यालयों या शासकीय संस्थाओं द्वारा या उनके सम्मान में आयोजित सभी प्रकार के सभा–सम्मेलन व दरबारों का पूर्ण बहिष्कार।
- विभिन्न राज्यों में स्कूलों व कॉलेजों से बच्चों का क्रमिक बहिर्गमन।
- वादियों व वकीलों द्वारा अंग्रेजी अदालतों का क्रमिक बहिष्कार तथा निजी विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थ न्यायालयों की स्थापना।
- मेसोपोटामिया में सेवा हेतु मिलिट्री, क्लर्क तथा श्रमिक वर्गों की ओर से स्पष्ट इन्कार।
- विधान–परिषदों के चुनाव से उम्मीदवारों की नाम वापसी तथा मतदाताओं द्वारा ऐसे किसी भी मतदान से इन्कार जिसमें कांग्रेस की सलाह को नजरअन्दाज कर अपनी उम्मीदवारी जनता के सामने रखी हो।
- विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, हथियारों का समर्पण, करों का स्थगन, असहयोग के दो अन्तिम चरण थे।

अहिंसक असहयोग के कई रूप मसलन हड़ताल, धरना, बहिष्कार, तालाबन्दी तथा हिजरत, कुछ भी हो सकते हैं और सविनय अवज्ञाओं के रूप में यह अपनी अन्तिम परिणती को प्राप्त करता है। इसी क्रम में असहयोग को तीन प्रमुख प्रकारों के रूप में समझाया गया है –

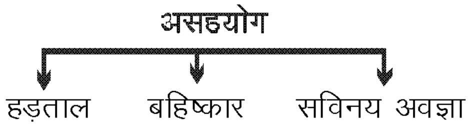

चित्र 2.4 असहयोग के प्रकार

महात्मा गाँधी द्वारा असहयोग आन्दोलन चौराचौरी काण्ड के फलस्वरूप स्थगित कर दिया गया, परन्तु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह प्रथम विशाल जनआन्दोलन था। 1946 में उन्होंने कहा था कि पूर्ण अहिंसक असहयोग कितना भी सुंदर क्यों न हो, परन्तु लोकप्रिय शासन में इसके लिए स्थान नहीं है। क्योंकि वे अनुभव करने लगे थे कि यदि प्रत्येक व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले ले तो इससे अराजकता छा जाएगी तथा स्वतंत्रता की हत्या होगी। गाँधीजी ने यही कहा कि "मेरे हृदय में ऐसी सरकार के लिए न सम्मान रह सकता है और ना ही प्रेम जो अपनी अनैतिकता की रक्षा के लिए एक के बाद एक कार्य करती चली जा रही है। मैंने इसलिए असहयोग का सुझाव रखा है, जिससे वे लोग जो ऐसा करना चाहे, सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर सके और यदि सत्याग्रह या अहिंसक असहयोग अहिंसात्मक बना रहा तो सरकार को अपना मार्ग बदलना होगा तथा अपनी भूलों को सुधारना होगा।[71]

गाँधीजी कहते थे कि कोई भी सरकार जनता के सहयोग व समर्थन से ही कार्य करती है और जब जनता सहयोग करना बन्द कर देती है तो सरकार का टिके रहना कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव हो जाता है। असहयोग चाहे जिस रूप में हो, सत्याग्रह की क्रिया को शक्ति प्रदान करता है। यह सत्याग्रह का क्रांतिकारी रूप है, जो असीम है। जहाँ आत्मपीड़न, सत्याग्रह की एक स्थिर व शांत शक्ति है, वहाँ असहयोग अहिंसा की गतिशील अवस्था है। गाँधीजी के अनुसार "सभी प्रकार के शोषण, शोषित के ऐच्छिक या बाह्य सहयोग पर निर्भर है। यदि शोषित शोषक की आज्ञा का पालन बन्द कर दे तो शोषण नहीं होगा।" गाँधीजी ने पूँजीपति वर्ग के समर्थन के स्थान पर "ग्रामोद्योग कार्यक्रम" प्रारम्भ कर सच्चे अर्थों में समाजवाद को प्रतिष्ठित किया है। गाँधीजी ने कहा था "भारतीय जनता का असहयोग न तो ब्रिटेन के प्रति है और न ही पश्चिम के प्रति है। असहयोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित तंत्र से है, जो भौतिक सभ्यता को जन्म देती है तथा समाज के दुर्बल अंगों का शोषण करती है।[72] अतः गाँधीजी ने देश के लोगों के विकास पर जोर दिया, जिसका प्रतीक चरखा बना। यह भी हमें स्वीकार करना होगा कि गाँधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन में चरखे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, जिससे लोग स्वदेशी खादी की तरफ आकर्षित हुए और आत्मनिर्भर होने का एक सहज मार्ग उन्हें मिला।

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के आर्थिक ढाँचे में चरखे व खादी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, साथ ही खादी वस्त्र की न केवल भारत वरन् विश्व के अन्य देशों में भी भारी माँग थी तथा यह उद्योग समृद्ध था जो कि मध्यकाल तक फलता–फूलता रहा। परन्तु आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन की नीतियों के परिणामस्वरूप यह उद्योग नष्टप्राय होने लगा। गाँधीजी द्वारा इस उद्योग को पुनर्जीवित किया गया। उनका मानना था कि "मुझे इस बात पर जरा भी सन्देह नहीं है कि हमारे हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहाँ लाखों आदमी बेरोजगार हैं, वहाँ लोग ईमानदारी से अपनी जीविका चला सकें इस हेतु उन्हें किसी न किसी कार्य में लगाए रखना जरूरी है।" इसका एक प्रमुख उपाय खादी उद्योग है। अतः खादी वृत्ति का अर्थ है "जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और उनके बँटवारे का विकेन्द्रीकरण"।[73] गाँधीजी ने हरिजन में लिखा है कि "हम लोगों में यदि खादी के प्रति श्रद्धा होगी तो हम एक दिन पायेंगे कि सुदूर पूर्व से आने वाले कपड़ों के टुकड़े बेचने वाले लोग जिन करोड़ों ग्राहकों को ये टुकड़े बेचते हैं, उन्हीं करोड़ों को हम खादी बेच सकते हैं"।[74] गाँधीजी के अनुसार "खादी का परित्याग करना भारत की आत्मा को बेच देना है"।[75] बेशक हर एक शहर, हर एक गाँव, हर एक कस्बे के लिए आदर्श तो यही है कि वह खुद अपने लिए काते और बुने।[76]

खादी बेरोजगारी मिटाने की रामबाण औषधि है। यही कारण है कि गाँधी चरखे को "कामधेनु" कहा करते थे तथा निर्धनताग्रस्त भारत के लिए खादी गाँधी की अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय स्थान रखती है।[77] जवाहर लाल नेहरू ने गाँधीजी के ग्रामोद्योग सम्बन्धी विचार के बारे

में लिखा है कि गाँधीजी ने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर चरखा और ग्रामोद्योग की योजना बनाई थी। अगर देश के अनगिनत बेकारों ओर अर्द्धबेकारों को फौरन राहत पहुँचानी थी और अगर उस सड़न को जो सारे देश में फैलती जा रही थी और जनसाधारण को पंगु बनाती जा रही थी, दूर करना था। अगर गाँववालों की जीवनशैली को सामूहिक रूप से थोड़ा–बहुत भी ऊपर उठाना था, अगर उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना था और अगर यह सब काम बिना पूँजी के होना था तो कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।[78] महात्मा गाँधीजी ने खादी व चरखे का आजादी से सम्बन्ध बताते हुए कहा कि जिस प्रकार सूर्य के बिना सौरमण्डल का कोई अर्थ नहीं, जिस प्रकार सेनापति के बिना सेना शव के समान होती है, जिस प्रकार राम नाम के बिना सारे कार्य निरर्थक हैं, उसी प्रकार चरखे के बिना स्वराज्य की सभी प्रवृत्तियाँ मिथ्या हैं।

अतः खादी जहाँ एक ओर जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन थी, वहीं दूसरी ओर यह लोगों को स्वावलम्बी बनाने का तरीका भी था। गाँधीजी ने खादी को स्वाधीनता आन्दोलन से जोड़कर इस उद्योग की महत्ता और बढ़ा दी। ब्रिटिश शासन की स्थापना और औद्योगिक क्रान्ति के बाद प्राचीन काल से जो भारतीय वस्त्र उद्योग समृद्ध था, उस पर गोरे लोगों (अंग्रेजों) का कब्जा हो गया, जिससे धन का निष्कासन और बेरोजगारी बढ़ गई। इसे रोकने हेतु गाँधीजी ने खादी उद्योग को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। खादी मात्र एक वस्त्र ना होकर बेरोजगारी मिटाने, आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी वस्त्र के प्रयोग को बढ़ावा देने व विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने के साथ ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का एकमात्र प्रमुख साधन थी। खादी स्वाधीनता प्राप्ति का एक कारगर हल थी, क्योंकि भारत कपास की खान था। चरखे की उपयोगिता के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी ने कहा ''चरखे में मेरा अत्यधिक विश्वास है ओर मेरा खयाल है कि उसमें देश का हित करने की क्षमता बहुत है। खाद्य समस्या के बाद जनसाधारण के सामने तन ढँकने की समस्या आती है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र हो और स्वयं का गुजारा अपनी ही मेहनत से करे''।

'नवजीवन' 23 अक्टूबर 1921 में गाँधीजी द्वारा ''गीता में चरखा'' पर व्यक्त विचार – ''मैं तो गीता में भी चरखा ही देखता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं उनका जो अर्थ करता हूँ वह 'गीता' की टीकाओं में प्रत्यक्ष रूप से देखने में नहीं आता। परन्तु आज जबकि हिन्दुस्तान के नाश की घड़ी आ गई है, उस समय अगर कोई वस्तु इस स्थिति को सुधार सकती है तो वह केवल चरखा ही है। इसलिए वह सच्चा यज्ञ है। स्वदेशी का पूरा–पूरा और तात्कालिक प्रभाव देखने के लिए जरूरी है कि हम केवल देश–भर में बिखरे करोड़ों घरों में सूत और वस्त्र तैयार करना शुरू करें। स्वदेशी उनमें जितनी एकता पैदा करेगी उतनी दूसरी अन्य कोई वस्तु नहीं कर सकती।'' गाँधीजी ने शांतिपूर्ण असहयोग एवं अहिंसात्मक सत्याग्रह को अंग्रेजों को

परास्त करने का उपर्युक्त साधन स्वीकारा तथा राष्ट्र की एकता के लिए सामाजिक समानता को आवश्यक बताया।[79] जैसा कि हम जानते हैं कि गाँधीजी जनवरी सन् 1915 में भारत आए तथा जैसा कि पोलक ने लिखा है कि वे अफ्रीका से अपने साथ जीवन का एक विशेष दर्शन तथा एक ऐसी राजनीतिक पद्धति लाए, जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, विपिन चन्द्र पाल आदि पुराने नेताओं का उत्साह कुछ ठण्डा पड़ रहा था। गोपालकृष्ण गोखले और फिरोजशाह मेहता का देहावसान हो चुका था और तिलक बीमार थे। ऐसी स्थिति में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व स्वतः ही महात्मा गाँधी के हाथों में आ गया।

गाँधीजी जिस समय भारतीय राजनीति में आए वे भारतीय शासन एवं राजनीति की त्रुटियों व कमियों के प्रति सचेत होते हुए भी अंग्रेज व ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे तथा वे समझते थे कि भारतीय शासन की त्रुटियों को प्रकाश में लाए जाने पर ब्रिटिश सरकार उनका उपचार अवश्य करेगी। यही कारण था कि उस समय चल रहे प्रथम विश्वयुद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जन–धन से पूरी सहायता की और भारतीय जनता से भी ऐसा करने की अपील की। इसी कारण शासन की ओर से उन्हें केसरी हिन्द की उपाधि प्रदान की गई, परन्तु बाद में कुछ घटनाएँ ऐसी घटी जिनसे गाँधीजी बड़े क्षुब्ध हुए और वे सहयोग छोड़कर ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग के मार्ग पर चल पड़े। कारण यही था कि मॉन्टफोर्ड सुधार अपर्याप्त माने गए। रोलेट एक्ट दमनकारी माना गया। जलियांवाला बाग जिसमें जुलूस बिल्कुल शान्तिपूर्ण था, वहाँ बर्बरता का प्रयोग करने से लोग मारे गए। हंटर कमेटी की रिपोर्ट में भी गाँधीजी के दिल पर लगे घावों पर कोई मरहम नहीं लगाया। अतः गाँधीजी ने यही कहा कि ''हमने माँगी रोटी और मिले पत्थर।''

उक्त पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी) की विशेष बैठक सितम्बर–1920 में हुई। महात्मा गाँधी ने समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा और उसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत के विषय में दिए गए अपने वचन का पालन नहीं किया और ना ही उसने पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा अत्याचारी अधिकारियों से की, वरन् उसने उनके बर्बरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें क्षमा कर दिया, इसलिए इस कांग्रेस का यह विचार है कि भारत में असंतोष ही रहेगा जब तक ये त्रुटियाँ ठीक ना कर दी जाए तथा भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने और राष्ट्रीय सम्मान का प्रदर्शन करने का प्रभावशाली ढंग केवल यह है कि स्वराज्य की स्थापना हो जाए। भारत के लोगों के पास अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं रहा कि वे महात्मा गाँधी के बताए गए प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम को स्वीकार करें और उसे तब तक चलाएँ जब तक ऊपर बताई गलतियाँ ठीक न हो जाए और स्वराज्य की स्थापना न हो जाए। कुछ मतभेदों के होते हुए भी

यह प्रस्ताव कार्यसमिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा उनकी पुष्टि 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन द्वारा की गई।

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन ने इस विषय पर दो महत्वपूर्ण निर्णय किए जो उसकी अब तक की नीति से भिन्न दिशा में थे। जैसे कि कांग्रेस का ध्येय अब तक का ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य था परन्तु अब महात्मा गाँधी के शब्दों में स्वराज्य का अर्थ ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत और यदि आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य हो गया। इसी अधिवेशन में ध्येय की प्राप्ति के साधनों में परिवर्तन स्वीकृत किया गया और वह यह था कि कांग्रेस अब अपने को वैधानिक उपायों तक सीमित रखने के लिए बाध्य नहीं है। अपितु आवश्यकतानुसार वह अन्य शान्तिपूर्ण एवं उचित उपायों का, जिसमें करबन्दी जैसे उग्र उपाय भी सम्मिलित थे, प्रयोग कर सकती है। इसी प्रकार दक्षिण तथा वामपंथी दोनों विचारधाराओं के राष्ट्रवादियों द्वारा स्वीकृत एक मार्ग निश्चित किया गया, जिस पर देश का स्वतंत्रता आन्दोलन चलना था और यह आन्दोलन था अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन। इसके विरोधात्मक व रचनात्मक दोनों ही पक्ष थे। प्रथम पक्ष विरोधात्मक था, जिसके मुख्य बिन्दु उपरलिखित हैं, दूसरा पक्ष रचनात्मक है, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि –

- सरकारी शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना।
- सरकारी न्यायालयों के स्थान पर गैर सरकारी पंच न्यायालयों की स्थापना करना।
- सरकारी विधानपरिषदों का स्थान कांग्रेस समितियों को देना।
- घर–घर में हाथ कता और जुलाहों द्वारा हाथ से बने कपड़े के प्रयोग का प्रचार करना।
- हिन्दु–मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन देना।
- अस्पृश्यता निवारण का प्रचार करना।

यदि असहयोग आन्दोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए तो यह अधिक सार्थक सत्याग्रह होगा। गाँधीजी ने शांतिपूर्ण असहयोग व अहिंसात्मक सत्याग्रह को अंग्रेजों को परास्त करने का उपयुक्त साधन स्वीकारा और राष्ट्र की एकता के लिए सामाजिक समानता को आवश्यक बताया। रचनात्मक कार्यक्रम गाँधी की एक अमूल्य देन है, जिसके कारण आन्दोलन न होने की स्थिति में भी जनता लक्ष्यहीन नहीं होती तथा समाज का सर्वतोन्मुखी विकास भी उपेक्षित नहीं होता। गाँधीजी के अनुसार यदि प्रतिकारात्मक सत्याग्रह को रचनात्मक सत्याग्रह से न जोड़ा गया तो वह पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं हो सकेगा। गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में 15 कार्यक्रम प्रमुख रूप से है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं – साम्प्रदायिक एकता, अछूतोद्धार, मद्यनिषेध, साक्षरता, नई तालीम, चरखा आदि। अतः रचनात्मक कार्यक्रम आर्थिक विकास के साथ सामाजिक कुरुतियों को दूर कर एक नए समाज निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति का साधन है।

यदि असहयोग आन्दोलन की प्रगति पर विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता ने बड़े उत्साहपूर्वक आन्दोलन में भाग लिया। सैंकड़ों भारतीयों ने अपनी उपाधियाँ वापस की। मजिस्ट्रेट ने त्यागपत्र दिए। वकीलों ने अदालतें छोड़ी तथा विद्यार्थियों ने शिक्षा संस्थाओं का त्याग किया। अनेक राष्ट्रीय शिक्षालयों की स्थापना की गई। नवीन एक्ट (1919) के अन्तर्गत बनी व्यवस्थापिका सभाओं का भी यथासंभव बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा मद्यनिषेध भी किया गया। फिर भी यह एक तथ्य रहा कि आन्दोलन का विरोधात्मक पक्ष अधिक सफल नहीं रहा। पुनर्गठित व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव हुए। उनके 784 स्थानों के लिए लगभग 2000 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, केवल 6 स्थानों पर प्रत्याशियों के अभाव में चुनाव नहीं हो सके। अनेक अवसरवादी लोग व्यवस्थापिका में पहुँचे, सरकारी कॉलेज, अदालतें व कार्यालय भी चलते रहे। प्रायः आन्दोलन अहिंसक रहा। यद्यपि सरकारी अधिकारियों से कहीं—कहीं हिंसापूर्ण संघर्ष भी हुआ।

प्रारम्भ में सरकार ने आन्दोलन को कोई महत्व नहीं दिया परन्तु थोड़े दिनों में ही सरकार की नींद हराम होने लगी। परिणामस्वरूप सरकारी दमनचक्र का दौर चला और हजारों भारतीय जेलों में भर दिये गए। सरकार की दमन नीति के फलस्वरूप मालेगाँव, गिरिडिह, आसाम आदि में दंगे हुए। जुलाई—1921 की कांग्रेस समिति की बैठक में प्रिंस ऑफ वेल्स का, जो उस समय भारत आने वाले थे, बहिष्कार किए जाने का तथा उनके आगमन पर हड़ताल करने का निश्चय किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर बम्बई में दंगा हो गया, जिसमें अनेक व्यक्ति घायल हुए तथा अनेक मारे गए। हालांकि गाँधीजी आन्दोलन में हिंसा का प्रयोग कदापि नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने यहाँ आन्दोलन को थोड़ा स्थगित कर दिया और यह कहा कि हम जब तक अहिंसात्मक आन्दोलन चलाने लायक न हो जाएँ तब तक इसका स्थगन किया जाता है। गाँधीजी ने वायसराय को पत्र लिखा और सरकार को सूचित कर दिया कि 7 दिन में सरकारी नीति में परिवर्तन ना हुआ तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जाएगा। बारडोली उसके श्रीगणेश का स्थान होगा। वायसराय को दिया गया समय पूरा होने से पहले ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौराचौरी गाँव में वहाँ की जनता ने आवेश में आकर एक थाने में आग लगा दी। जिसमें एक थानेदार व 21 सिपाही जल कर मर गए। अहिंसा के पुजारी गाँधीजी इसे सहन न कर सके और उन्होंने सविनय अवज्ञा का विचार भी स्थगित कर दिया।

फरवरी—1922 में बारदोली में हुई कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने आन्दोलन को निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा। देशबन्धु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाषचन्द्र बोस आदि नेताओं द्वारा आन्दोलन चालू रखने पर जोर दिया, पर गाँधीजी ने यही उचित समझा कि आन्दोलन बन्द कर दिया जाए। सुभाषचन्द्र बोस ने तो इस सम्बन्ध में यहाँ

तक कहा "ठीक उस समय जब जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दिया जाना राष्ट्रीय दुर्भाग्य ही था।[80] पर गाँधीजी के विचार के महत्व को मानते हुए कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा को निलम्बित कर दिया और देश की सभी संस्थाओं से इस बात की अपील की कि सर्वत्र अहिंसात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए तथारचनात्मक कार्यक्रम, जिसमें हाथ की कताई व बुनाई, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक एकता की वृद्धि तथा शराबबंदी सम्मिलित थी, उसे अपनाया जाए। सरकार ने वातावरण शान्त होने पर आन्दोलन के निलम्बन के दो दिन बाद ही गाँधीजी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष का कारावास या दण्ड दे दिया। इस प्रकार असहयोग आन्दोलन 2 वर्ष चलकर बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति के समाप्त हो गया। महात्मा जी ने एक वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति का आश्वासन दिया था, परन्तु स्वराज्य के स्थान पर देश में घोर निराशा छाई थी। वस्तुतः असहयोग आन्दोलन ने भारतीयों की शक्ति का प्रदर्शन कर यह दिखा दिया कि वे अपने अधिकारों के लिए मर मिटना जानते हैं तथा साथ ही साथ इससे भारतीयों को एक ऐसे अमोघ अस्त्र की प्राप्ति हुई जिसका प्रयोग आगामी स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रायः होता रहा और जिसके कारण अन्त में स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त जब तक देश में असहयोग आन्दोलन चलता रहा, सरकार उदारवादियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्सुक रही और उसमें सुधारों को भी ठीक से क्रियान्वित करने का उद्योग किया। असहयोग के 1 वर्ष में राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नवीन अध्याय का श्रीगणेश हुआ और भारत में ऐसी राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन को ग्रामीण भारत का आन्दोलन बनाकर उसे वह जनशक्ति प्रदान की, जिसकी प्रत्येक ऐसे आन्दोलन को महान् आवश्यकता होती है। जैसे कि कुपलैण्ड ने लिखा है,[81] "असहयोग आन्दोलन के माध्यम से गाँधीजी ने वह काम किया जो तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक क्रांतिकारी आन्दोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया – सरकार के ऊपर वैधानिक दबाव डालकर नहीं, वाद–विवाद तथा समझौतों द्वारा नहीं, वरन् अहिंसा की शक्ति के द्वारा। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को क्रांतिकारी के साथ–साथ जनप्रिय भी बनाया। वह नगरों के साथ–साथ गाँव की जनता तक भी पहुँच गया।" इसमें 1919 के सुधारों को उदारतापूर्वक लागू किया गया। खादी कांग्रेसियों की एक निश्चित पोशाक बन गई और अहिंसा की शक्ति का महत्व प्रकट हुआ।

यदि बहिष्कार पर विचार किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि गाँधीजी के सत्याग्रह का यह दूसरा प्रभावी तरीका था। जिसमें विरोधी पक्षों पर दबाव डालने तथा अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाना शामिल था जिससे कार्य भी सम्पन्न हो सके और विरोधियों को थोड़ा सबक भी मिल सके। सामाजिक बहिष्कार का उग्र रूप से प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। गाँधीजी के अनुसार "जिस व्यक्ति का बहिष्कार किया

जा रहा है, उसके साथ सामाजिक सम्बन्धों का विच्छेद कर लेने तथा उसकी सेवाओं को अस्वीकार कर देने का भाव निहित है।[82] गाँधीजी भारत की दीनता, दरिद्रता एवं हीनता के प्रति परतंत्रता को कारण मानते हुए एवं परतंत्रता को मृत्यु के समान बताते हुए उसके विनाश हेतु कृत संकल्प हो जाने की प्रेरणा देते हैं। 1920–22 के दौरान उन्होंने हिन्दुस्तान में विदेशी कपड़ों के विनाश का आह्वान किया। 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का शुभारम्भ किया। राजनीतिक क्षेत्र में बहिष्कार सविनय अवज्ञा का रूप धारण कर लेता है। इसके अन्तर्गत उपाधियों व सम्मानों की वापसी तथा लोकप्रिय इच्छाओं को अभिव्यक्त नहीं करने वालों से सभी प्रकार की सेवाओं का इन्कार शामिल है। राजनीतिक जुलूस से परहेज, शैक्षणिक, वैधानिक व इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के बहिष्कार से आशय है कि आदर्श विचारों को केन्द्र में रखकर अहिंसक मॉडल पर आधारित इसी तरह की समानान्तर संस्थाओं की स्थापना ताकि स्वदेशी का प्रचार बढ़े और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सके।

उल्लेखनीय है कि असहयोग व बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम भी चलता है और यह सत्याग्रह आन्दोलन का अभिन्न सकारात्मक पहलू है। इसका निर्माण सबसे निम्न स्तर से राष्ट्र के चहुँमुखी विकास के लिए किया गया था। इसका अर्थ प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था। इसका विश्वास है कि अहिंसक तरीकों से स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा की अपरिहार्यता नहीं होगी, यदि रचनात्मक कार्यक्रम में सम्पूर्ण राष्ट्र के सहयोग को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए गाँधीजी के लिए रचनात्मक कार्यक्रम हृदय से जुड़ा, अहिंसक अभियान का स्थाई हिस्सा बताया। बिना रचनात्मक कार्यक्रम के सत्याग्रह के अभियान को चलाना उनके शब्दों में लकवाग्रस्त हाथ से चम्मच उठाने की कोशिश करना है।

1928 के बारदोली सत्याग्रह के पूरे समय के दौरान कताई व सामाजिक कल्याण गतिविधियाँ पूरे जोर–शोर से जारी रही, जिसमें सम्पूर्ण खादी कार्यक्रम पर विशेष जोर डाला गया। 1930 के नमक सत्याग्रह में सत्याग्रहियों द्वारा हस्तनिर्मित खादी पहनना अनिवार्य था। इसी प्रकार अन्य जनकल्याण व आत्मनिर्भरता से सम्बन्धित कार्यों को भी स्वराज्य की उपाधि के एक अभिन्न हिस्से के रूप में चलाया जाता रहा। यद्यपि रचनात्मक कार्यक्रम को सुनिश्चित व स्पष्ट तरीके के रूप में मान्यता दिसम्बर–1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के उत्तरवर्तीय समय में ही मिली, क्योंकि इस काल के दौरान गाँधीजी ने 25 पृष्ठों की ''रचनात्मक कार्यक्रम'' शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें गाँधीजी ने 13 विषयों को सूचीबद्ध किया –

(1) साम्प्रदायिक एकता

(2) छुआछूत उन्मूलन

(3) मद्य निषेध

(4) खादी

(5) अन्य ग्रामीण उद्योग (कुटीर)

(6) ग्राम स्वच्छता

(7) नवीन व बुनियादी शिक्षा
(8) वयस्क शिक्षा
(9) महिला सशक्तिकरण
(10) स्वास्थ्य व स्वच्छता की शिक्षा
(11) देशी भाषाएँ सीखें
(12) राष्ट्रभाषा का प्रचार–प्रसार
(13) आर्थिक सामान्यता का प्रचार–प्रसार

15 फरवरी 1945 को गाँधीजी ने कस्तूरबा निधि कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया और ''रचनात्मक कार्यक्रम'' पुस्तिका को संशोधित कर उसमें कुछ अन्य विषयों को शामिल किया –

(1) किसान
(2) श्रम
(3) आदिवासी
(4) कुष्ठ रोगी
(5) विद्यार्थी

गाँधीजी की मृत्यु के बाद रचनात्मक कार्यक्रम को और धारदार बनाने के उद्देश्य से उनके सहयोगियों ने कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी ऊपर लिखित सूचियों में जोड़ा –

(i) गौरक्षा
(ii) प्राकृतिक चिकित्सा
(iii) भूदान
(iv) ग्रामदान
(v) शांतिसेना

अतः राष्ट्रीय आन्दोलन में असहयोग व बहिष्कार गाँधीजी की बहुत बड़ी देन है।

(3) उपवास व आमरण अनशन –

सत्याग्रह का सबसे नाजुक रूप उपवास है। सत्याग्रह के अन्य स्वरूपों की तुलना में उपवास गाँधी का खुद का अपना तरीका है। उपवास मुख्य रूप से व्यक्तिगत शुद्धि व आत्मलोचन का माध्यम है। उपवास करने की शारीरिक क्षमता से ही उसकी पात्रता निर्धारित नहीं की जा सकती। ईश्वर में जागृत आस्था के बिना इसका उपयोग नहीं है। यह एक यांत्रिक प्रयास के रूप में कभी नहीं किया जाना चाहिए। उपवास की प्रेरणा व्यक्ति की आत्मा की गहराई से आनी चाहिए। विशुद्ध उपवास में स्वार्थ, क्रोध, आस्थाहीनता, अधैर्य का कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें असीम धैर्य, दृढ़ संकल्प, उद्देश्य के प्रति अडिग, निष्ठापूर्ण शांति तथा क्रोध का अभाव होना परम् आवश्यक है। उपवास एक प्रबल चीज है। सत्याग्रही उपवास विशुद्ध सत्य तथा अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। आमरण उपवास सत्याग्रह के शास्त्रागार का

अंतिम एवं सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। यह एक पवित्र शस्त्र है। इसे इसके सम्पूर्ण निहितार्थ के साथ स्वीकार करना चाहिए। महत्वपूर्ण स्वयं उपवास नहीं बल्कि उसका निहितार्थ है। इसके लिए पूर्ण आत्मशुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए गाँधीजी ने कुछ विशिष्ट सामान्य सिद्धान्तों व शर्तों की रूपरेखा रखी जिसके अन्तर्गत एक सत्याग्रही ही उपवास का तरीका अपना सकता है।

एक सत्याग्रही को अनशन का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब सारे उपाय निष्प्रभावी व निष्फल हो जाए। आमरण अनशन और फिर अनवरत उपवास सत्याग्रही का अन्तिम हथियार होना चाहिए। यह सत्याग्रही का अन्तिम कर्त्तव्य है, जिसे उसे निभाना है। यह किसी भी हालत में किसी पर भी दबाव डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दबाव के लिए किये गये उपवास को आत्म–अत्याचार कहना उचित होगा क्योंकि इसमें विपक्षी को कष्ट न देकर स्वयं कष्ट सहन किया जाता है। यह आत्मपीड़न विपक्षी के ह्रदय में न्याय और सत्य को जगाता है।[83] उनका विचार था कि उपवास उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो इसमें समर्थ व सक्षम हो। उपवास का उद्देश्य आत्मशुद्धि व आत्मसंयम है, साथ ही विरोधी पक्षों के अच्छे पक्षों को उभार कर उसे उसकी गलती का अहसास कराने वाला होना चाहिए। इसे हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने, कटुता मिटाने या राजनैतिक माहौल को शुद्ध करने के लिए भी आजमाया जा सकता है, लेकिन इसका स्वरूप त्याग हो न कि विरोधी पक्षों पर नाजायज रूप से दबाव डालना। उपवास पीड़ित आत्मा की ऐसी करूण पुकार होती है, जो सामान्यजन समूह के साथ ही अन्यायी की आत्मा को भी द्रवित कर देती है और उसका ह्रदय परिवर्तन कर देती है, किन्तु जब उपवास के साधन का प्रयोग ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि आवेगों के साथ किया जाता है तो वह असफल रहता है, गाँधीजी ने इसे उपवास नहीं भूख–हड़ताल कहा है।[84] यदि कोई व्यक्ति किसी के उपवास को स्वार्थपूर्ण मानता है तो उसे दृढ़तापूर्वक उसके सामने झुकने से इनकार कर देना चाहिए। अगर लोग ऐसे निकृष्ट उपवासों की उपेक्षा करने की आदत डाल लें जिनका उद्देश्य निकृष्ट है तो ऐसे उपवासों से जोर–जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव का कलंक दूर हो जाएगा।

उपवास सफलता के प्रति आसक्ति के साथ कभी नहीं करना चाहिए परन्तु सत्याग्रही अपनी दृढ़ धारणा से एक बार उपवास आरम्भ कर दे तो फिर उस पर कायम रहना चाहिए चाहे उसकी सफलता की सम्भावना हो या न हो। सच्चे उपवास में आन्तरिक आनन्द की अनुभूति आवश्यक है। जब उपवास कर्त्तव्य के रूप में सामने आए तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता, अतः यह एक आध्यात्मिक कृत्य है, इसलिए इसे ईश्वर को निवेदित करना चाहिए। सत्याग्रह के एक विशेषज्ञ के रूप में गाँधीजी ने खुद अपने जीवन में विभिन्न मौकों पर लगभग 17 बार अनशन किया लेकिन उन्होंने अपने मित्रों व सहयोगियों को अपना अन्धानुकरण या

भावनात्मक अनुकरण के खिलाफ चेतावनी दी। जब भारत छोड़ो आन्दोलन चल रहा था तब सरकार ने पाश्विक हिंसा की थी, जिसके विरोध में गाँधीजी ने 21 दिन का उपवास किया। उनके आत्मबल ने मृत्यु की चुनौती पर विजय प्राप्त की और 21 दिन बाद ही उन्होंने उपवास तोड़ा। उन्हें यह आशा थी कि वे आन्दोलन को विकसित करके अपने ढंग से एक अहिंसात्मक रूप प्रदान कर सकेंगे।[85] गाँधीजी के अनुसार ''उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार में एक महान शक्तिशाली अस्त्र है परन्तु इसे हर कोई नहीं चला सकता।'' इस प्रकार गांधी जी ने अपने जीवनकाल में कुल 17 मौकों पर उपवास किया।

अतः स्पष्ट है कि गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करते समय अनेक बार उपवास सामाजिक व राजनीतिक लक्ष्यों के लिए किया। भारत में 1924, 1932, 1933 एवं 1943 में सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तथा 1947 में कलकत्ता में 1948 में दिल्ली में साम्प्रदायिक एकता हेतु गाँधीजी ने उपवास किया। गाँधीजी के अनुसार, ''उपवास तभी किया जाना चाहिए जब सभी अन्य साधन असफल हो जाए''। इसी प्रकार उनके अनशनों में से 3 शासकीय अन्याय के खिलाफ, 4 छुआछूत के खिलाफ, 4 अन्य हिंसक कार्यों के खिलाफ थे। इसके अतिरिक्त उनके 3 अनशन आत्मशुद्धि तथा प्रायश्चित के उद्देश्य से तथा अहमदाबाद मिल कर्मियों द्वारा वेतन वृद्धि के उद्देश्य से किए जा रहे हड़ताल के समर्थन में किये गए।[86]

जिन ब्रिटिश पत्र–पत्रिकाओं ने गाँधी के किए व्रतों की खिल्ली उड़ाई थी, उन्होंने भी बाद में उनके व्रतों के महत्व को समझा। उन्होंने महसूस किया कि महात्मा गाँधी के व्रत की सफलता एक ऐसी शक्ति का दर्शन कराती है जो परमाणु बम से भी बड़ी साबित हो सकती है। लंदन में टाइम्स पत्रिका में लिखा गया कि ''श्री गाँधी का साहसिक आदर्शवाद कभी इतने स्पष्ट ढंग से पुष्ट नहीं हुआ था'' एवं कलकत्ता के ''द स्टेट्समेन'' के भूतपूर्व सम्पादक आर्थर मूर इतने विचलित हुए कि उन्होंने खुद सहानुभूति में एक व्रत आरम्भ कर दिया। स्वयं गाँधीजी के शब्दों में ''यदि पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन उपलब्ध नहीं हो तो उस साध्य को त्याग देना ही ठीक है।'' मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन उपवास द्वारा ही संभव है। मनुष्य को स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर के निर्वाह के लिए ही खाना चाहिए। संयमी मार्ग में उपवास एक साधन के रूप में है किन्तु ये ही सब कुछ नहीं है और यदि शरीर के उपवास के साथ मन का उपवास न हो तो उसकी परिणती दंभ में हो सकती है और वह अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होता है।

(4) सविनय अवज्ञा आन्दोलन –

अनिल दत्त मिश्र का मानना है कि असहयोग के सभी अंगों व उपांगों की अन्तिम परिणती सविनय अवज्ञा में होती है। अतः यह भी गाँधीजी का महत्वपूर्ण हथियार है। वास्तव में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का एक सक्रिय, प्रभावी, सक्षम व उग्र रूप है। गाँधीजी के अनुसार सविनय अवज्ञा असहयोग का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। इसका उद्देश्य अनैतिक नियमों को तोड़ना है, परन्तु अहिंसक तरीके से। यह सत्याग्रह का सक्रिय व गत्यात्मक रूप है, जिसे गाँधीजी ने जन्मसिद्ध अधिकार बताया। उन्होंने लिखा कि ''आदर्श स्थिति में सविनय अवज्ञा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।'' यह असहयोग से इस रूप में भिन्न है कि जहाँ असहयोग में सभी भाग ले सकते हैं, परन्तु सविनय अवज्ञा में कुछ प्रशिक्षित व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं। हालांकि सविनय अवज्ञा केवल गलत कानूनों के उल्लंघन पर बल देता है जबकि असहयोग सरकारी व्यवस्था से व्यक्ति को अलग करने पर जोर देता है फिर भी व्यापक अर्थ में सविनय अवज्ञा असहयोग का ही एक रूप है।

गाँधीजी ने यंग इण्डिया में 5 अगस्त 1921 को लिखा – ''पूर्ण सविनय अवज्ञा एक शान्त विद्रोह की दशा है – वह सभी सरकारी कानूनों को मानने से इन्कार करने की दशा है। यह निश्चय ही सशस्त्र विद्रोह से अधिक खतरनाक है, क्योंकि सत्याग्रहियों की घोर कष्ट सहन करने की तत्परता की दशा में इसका दमन सर्वथा असम्भव है। इसका आधार है, यह पूर्ण आस्था कि हमारे अन्दर निर्दोष होने पर भी कष्ट सहन करने की पूर्ण क्षमता है। सत्याग्रही बिना शोर–गुल मचाए जेल जाता है तो वह अवश्य ही वातावरण को शान्त बनाता है। प्रतिरोध की अनुपस्थिति में अन्यायकारी का सारा आनन्द चला जाता है। इतने बड़े पैमाने पर एक आन्दोलन चलाने से पहले कम से कम जनता के प्रतिनिधियों को सफल सविनय अवज्ञा की सब शर्तों का पूरा ज्ञान कर लेना आवश्यक है। जल्दी–से–जल्दी लाभ पहुँचाने वाली औषधियों में हमेशा ज्यादा से ज्यादा खतरा होता है और उनको बड़ी चतुराई से काम में लाना पड़ता है।

गाँधीजी के अनुसार ''रचनात्मक कार्यक्रम रहित सविनय अवज्ञा आन्दोलन का संचालन इस प्रकार होगा जैसे एक लकवाग्रस्त व्यक्ति चम्मच उठाने का प्रयास करे।'' सविनय अवज्ञा का प्रथम प्रयोग अमेरिकन थोरो द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य राज्य के द्वारा निर्मित अनैतिक कानूनों का विनम्रतापूर्वक उल्लंघन था। यह परतंत्र राज्य के नागरिकों हेतु प्रतिरोध का अस्त्र था। इसके रूप हैं – करो को देने से इन्कार, राज्य सत्ता मानने से इन्कार, अनैतिक कानूनों का विरोध कर सरकार के ढाँचे को ठप्प करना।[87] 7 नवम्बर 1921 को 'द हिन्दू' में गाँधीजी द्वारा 4 नवम्बर 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली बैठक में दिया गया भाषण छपा, जिसमें गाँधीजी ने कहा था कि अगर सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनी हो तो काफी सोच–समझकर ही वैसा करें। हमें सरकार से किसी प्रकार की नरमी की आशा नहीं करनी

चाहिए और न ऐसी आशा करने का हमें अधिकार ही है। हमारे साथ कितना ही बड़ा अन्याय किया जाए, हमें कितनी ही अधिक यातनाएँ दी जाए, हम उतना ही अधिक धैर्य और अडिग संकल्प दिखाएँगे और हमें उतनी ही जल्दी स्वराज्य मिलेगा। गाँधीजी का मानना था कि सविनय अवज्ञा ही सविनय क्रान्ति है, जिसका तात्पर्य है, सरकार की सत्ता समाप्त करना। सविनय अवज्ञा सरकार तथा उसके कानूनों को खुली चुनौती है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, जिसकी अद्‌भुत उपलब्धि को देखकर सारी दुनिया की आँखें खुल जाएँगी।

यह एक ऐसा बाध्यकारी तरीका है जिसे कानून पालन करने वाली कोई भी जनता इस शर्त पर अपना सकती है कि हिंसा की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी और अन्तिम बलिदान के लिए वह सदैव तत्पर रहेगी। गाँधीजी के अनुसार राज्य निर्मित प्रत्येक कानून को अस्वीकार करने वाला पूर्ण सविनय अवज्ञा एक अत्यन्त ही प्रभावशाली व शक्तिशाली आन्दोलन का रूप धारण कर सकती है ओर इसका परिणाम निर्णायक हो सकता है। गाँधीजी की राय में सविनय अवज्ञा इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि जब हमें सरकार दायें हाथ का आदेश दे तो बायें जाने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सशस्त्र विद्रोह एक पूर्ण प्रभावी व पूर्णतया एक अहिंसक विकल्प है। सविनय अवज्ञा को कुछ निश्चित, अनैतिक, वैधानिक व्यवस्थाओं के उल्लंघन या राज्य के खिलाफ सांकेतिक अहिंसक विद्रोह के रूप में अपनाया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में यह सत्ता के प्रति सम्मान भाव को व्यक्त करने वाला नहीं होना चाहिए।

10 नवम्बर 1921 के ''नवजीवन'' में उल्लेख था कि विनय का तकाजा है कि सजा का अनादर नहीं होना चाहिए, अनादर तो हुक्म का होता है। सविनय अवज्ञा की उत्पत्ति आत्मबल से होती है। अत्याचारी अपने शरीर–बल पर मुग्ध हो जगत् को अपने अधीन करने का प्रयत्न करता है। आत्मबली अपना शरीर अत्याचारी को सौंपकर आत्मा को स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि अत्याचारी आत्मा का स्पर्श तक भी नहीं कर सकता। इसका अन्तिम लक्ष्य स्वैच्छिक सहयोग को अनैच्छिक सहयोग तथा इच्छुक आज्ञाकारिता को बाध्य आज्ञापालन के प्रति स्थापित करना है। इस रेखांकित लक्ष्य पर चलकर ही सत्याग्रही अपने अन्तःकरण की आवाज पर टिके रह पाएँगे।[88] सविनय अवज्ञा का आश्रय अन्तिम परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए तथा प्रथम दृष्ट्या यह कुछ चयनित लोगों के माध्यम से ही होनी चाहिए। सविनय अवज्ञा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं –

- आक्रामक
- सुरक्षात्मक

इन दोनों ही रूपों को व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर चलाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा जहाँ स्वयं प्रेरित होती है वहाँ जन सविनय अवज्ञा के लिए नेतृत्व की

आवश्यकता होती है। गाँधीजी सविनय अवज्ञा को मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का मानते थे तथा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी व सफलतापरक मानते थे। उनके अनुसार आक्रामक समझौता लेन–देन पर आधारित होता है, लेकिन सत्याग्रह में लेन–देन जैसी कोई चीज मौलिकता में सम्भव नहीं है और मौलिकता पर कोई भी समझौता आत्मसमर्पण के सदृश्य है क्योंकि इसमें सब–कुछ देना ही शामिल है लेना नहीं।[89] यद्यपि अन्य सूचियों की तुलना में सविनय अवज्ञा सम्बन्धित यह सूची सम्पूर्ण या सार्वभौम नहीं है। जिस तरह अन्याय, अत्याचार, अनीति के विभिन्न रूप हो सकते हैं, यह सब निर्भर करता है कि विभिन्न तत्वों की प्रकृति तीक्ष्णता तथा उसका अन्य तत्वों के साथ क्या सम्बन्ध है। इन सब बातों के मध्यनजर गाँधीजी ने अनैच्छिक सहयोग की जगह स्वैच्छिक सहयोग को प्रतिस्थापित करने की बात कही थी। आर.आर. दिवाकर के शब्दों में ''गाँधीजी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया वरन् सत्याग्रह ने गाँधीजी की रचना की...''। असहयोग आन्दोलन स्थगित होने के बाद 1928–29–30 तक आते आते भारत इंग्लैण्ड से अपने सभी सम्बन्धों का विच्छेद करे – स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा के इस संकल्प ने देश में उत्साह जागृत किया।

शासन से सम्बन्ध विच्छेद करने के प्रत्येक रूप में इस विचार ने जोर पकड़ा कि उसके अनुचित कानूनों व कार्यों की अवज्ञा की जाए तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फरवरी–1930 में कांग्रेस कार्यसमिति की साबरमती बैठक में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। वायसराय को लिखे अपने एक पत्र में गाँधीजी ने शासन के सामने 11 माँगें रखी जिसमें प्रमुख थी – मादक वस्तुओं का निषेध, लगान की कमी, नमक कर की समाप्ति, आत्मरक्षा के लिए बिना लाइसेन्स हथियार रखने की व्यवस्था आदि। सरकार का कोई उत्तर प्राप्त ना होने पर अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने गाँधीजी को आन्दोलन का संचालक नियुक्त कर दिया।

सविनय अवज्ञा का प्रारम्भ महात्मा गाँधी द्वारा सर्वप्रथम साबरमति से लगभग 200 मील दूर स्थित दांडी स्थान पर सरकारी कानून के विरूद्ध नमक बनाकर करने का निश्चय किया गया। नमक कर अधिनियम के विरोध में गाँधीजी कहते हैं कि ''अधार्मिक नियमों में नमक सम्बन्धी नियम सबसे अधिक पापीयान् है। इसलिए अपने अनुयायियों के साथ उसको सबसे पहले तोड़ूँगा''।[90] (अधर्म्येषु विधानेषु पापिष्ठो लावणो नयः तस्य भगमतः पूर्व करिष्येऽहं सहानुगैः।। सत्याग्रह गीता 10/40)

5 अप्रेल 1930 को गाँधीजी दांडी पहुँचे और 6 अप्रेल 1930 को प्रार्थना के बाद नमक बनाकर कानून भंग किया। वहाँ पहुँचकर गाँधीजी ने यही कहा कि, "I want world sympathy in this battle of right against might." यह लिखकर 5–4–1930 लिखा व हस्ताक्षर किये।[91]

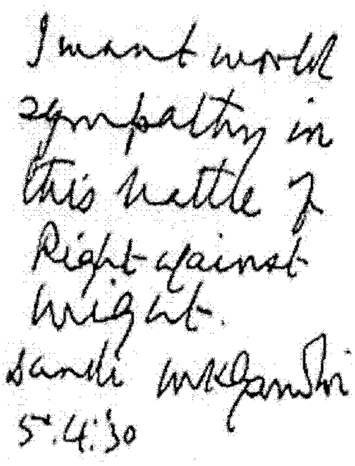

'I want world sympathy in this battle of right against might'.

– Dandi, April 5, 1930

सविनय अवज्ञा कार्यक्रम में क्या किया जाए, इस विषय में गाँधीजी ने निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए –

- गाँव–गाँव में नमक कानून की अवहेलना करके जनता द्वारा नमक बनाया जाए।
- विद्यार्थी अपने विद्यालयों को व सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों को छोड़े।
- विदेशी वस्त्रों को बन्द कर उन्हें सार्वजनिक रूप से जला दिया जाए।
- महिलाऐं शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना करें।
- जनता सरकारी कर न दे।

इनके अलावा उपाधियों का त्याग भी इसका एक हिस्सा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाँधीजी ने राजा की ओर से प्राप्त ''कीर्ति मुद्रा'' लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सम्राट द्वारा सम्मानित होने पर अपनी सम्मान मुद्राओं का सविनय परित्याग किया। गाँधीजी का विश्वास था कि ''यदि हिंसा रहित संसार एक लक्ष्य में रत् होकर हिंसा रहित आचरण को प्रयोग में लाए तो पत्थरों के हृदय भी नरम हो जाएंगे''। 1921 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में सामूहिक सविनय अवज्ञा की शुरूआत बारदौली (सूरत जिले का) ताल्लुके से की जानी स्वीकार की और 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव में जमींदारों को यह आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस का इरादा किसी भी प्रकार से उनके वैध अधिकारों का अतिक्रमण करना नहीं है। जमींदार अवैध कर न वसूले और मनमाने ढंग से मालगुजारी न बढ़ाए। गुंटूर (आन्ध्रप्रदेश) में कर अदायगी नहीं करने का आन्दोलन सविनय अवज्ञा का ही एक हिस्सा था।

1 अगस्त 1925 को ''स्टेट्समेन' पत्र को भेजे गए खत का अंश – ''मुझे सविनय अवज्ञा की और सहयोग की इच्छा में कोई विसंगति दिखाई नहीं देती। अन्याय का सविनय

प्रतिकार मेरे नजदीक कोई नया सिद्धान्त या आचार नियम नहीं है। इसमें मेरा विश्वास सदा से है और मैंने इस पर अपने जीवन में सदा आचरण किया है। देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने का अर्थ है, उसे रचनात्मक कार्यार्थ संगठित करना। रचनात्मक कार्य एवं चरखा दोनों मेरे लिए पर्यायवाची शब्द है। स्पष्ट ही आपका विचार यह जान पड़ता है कि मुझे असहयोग या सत्याग्रह करने पर पछतावा हुआ है, यह बात हरगिज नहीं है। मैं अब भी पक्का असहयोगी हूँ। मैं अपने कुछ साथियों को यह विश्वास कराने में सफल नहीं हो सका हूँ कि हमने 1920 में जिस प्रकार का असहयोग शुरू किया था, उससे वर्तमान अवस्था में भी देश का हित–साधन हो सकता है। स्वयं के कमजोर रहते हुए मैं खुद सरकार से स्वेच्छापूर्वक सहयोग का इच्छुक नहीं हूँ, वह तो गुलाम का सा सहयोग होगा। मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ और अपनी शक्ति बढ़ाकर उस इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। भारत में हिंसात्मक तौर–तरीकों का सिद्धान्त कदापि सफल नहीं हो सकता। अतएव इसके लिए एक दूसरे शस्त्र की आवश्यकता है, और वह है 'सविनय अवज्ञा''।

गाँधीजी ने कहा ''हम प्रशासकों पर हथियारों द्वारा आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ अन्याय से मुक्ति चाहते हैं। अनुचित कानूनों को न मानकर तथा उसके लिए दी जाने वाली सजा को स्वीकार करके हम सरकार के अनुचित शासन से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। हमारा सरकार से कोई द्वेष नहीं है। जब हम इनके भय से मुक्त हो जाते हैं तो वे हमारी इच्छाओं के आगे झुक जाएंगे।''[92] 5 जनवरी 1922 के 'यंग इण्डिया' पत्र में महात्मा गाँधी ने लिखा कि ''सविनय अवज्ञा प्रत्येक नागरिक का जन्म–सिद्ध अधिकार है। अगर वह यह अधिकार छोड़ देगा तो मनुष्य ही नहीं रह पाएगा। सविनय अवज्ञा से कभी अराजकता नहीं पैदा हो सकती। हाँ, अपराध मूलक अवज्ञा से अराजकता पैदा हो सकती है। प्रत्येक राज्य ऐसी अपराधमूलक अवज्ञा को बलात् समाप्त करता है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो स्वयं खत्म हो जाता है। लेकिन सविनय अवज्ञा को दबाना तो मनुष्य की अन्तरात्मा को कैद करने की कोशिश करने जैसा है। सविनय अवज्ञा से तो शक्ति व पवित्रता बढ़ती है। सत्याग्रही शस्त्रों का कभी उपयोग नहीं करता और इसलिए वह उस राज्य के लिए सर्वथा हानिरहित होता है, जो लोकमत की आवाज सुनने हेतु थोड़ा भी तैयार हो। इसके विपरीत वह स्वेच्छाचारी राज्य के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि वह जिस उद्देश्य के लिए राज्य की अवज्ञा करता है, उस ओर जनता का ध्यान आकर्षित करता है और उस राज्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए उस राज्य में जहाँ कोई कानून नहीं है या दूसरे शब्दों में जो राज्य भ्रष्ट है, वहाँ सविनय अवज्ञा एक पवित्र कर्त्तव्य बन जाती है और जो नागरिक इस प्रकार के राज्य से लेन–देन का व्यवहार रखता है, वह उस राज्य के भ्रष्टाचार और गैरकानूनी हरकतों में साझेदार है। यह जरूरी है कि जब सविनय अवज्ञा के अधिकार पर जोर दिया जाए तो उसके साथ ही सभी सम्भव प्रतिबन्ध

लगाकर इस बात की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि उसका समुचित उपयोग हो। इस बात की पूरी सावधानी रखी जानी चाहिए कि कहीं भी हिंसा न भड़क उठे और अराजकता न फैल जाए। असहयोग जब तक अहिंसात्मक रहता है, तब तक उसे बिना रूकावट चलने देना चाहिए।''

इस प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन के परिणाम भी महत्वपूर्ण रहे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आशा से अधिक सफल रहा। बम्बई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हुई जिससे लगभग 32000 मजदूर बेकार हो गए। श्री एच.एन. बेल्सफोर्ड ने अपनी रचना – रिबेल इण्डिया में स्वीकारा कि विदेशी व्यवसायों की 16 मिलें बंद हो गई, जबकि भारतीय व्यवसायों की मिलों ने दुगनी गति से काम किया। किसानों ने लगान देने से इन्कार कर दिया। एक तरह से सरकार की नाक में दम हो गया और एक वर्ष में शासन को 14 अध्यादेश जारी करने पड़े। सविनय अवज्ञा के दौरान ही नेहरू व जिन्ना प्रतिवेदन के 14 बिन्दु, गाँधी इरविन समझौता, मैकडोनल्ड का साम्प्रदायिक पंचाट सामने आया। इसके विरोध में किये आमरण अनशन को लेकर पूना समझौता हुआ। नवम्बर–1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इन सबके फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 का आगमन हुआ। सविनय अवज्ञा आन्दोलन मूल्यांकनात्मक रूप से अधिक सफल नहीं रहा। लोगों में आत्मबल की कमी रही, हिंसक गतिविधियाँ भी बीच–बीच में होती रही। आन्दोलन को बंद करना या स्थगित करना भी आलोचनापूर्ण रहा। यद्यपि इस आन्दोलन से स्वराज्य नहीं मिला परन्तु यह आन्दोलन एक महत्वपूर्ण कड़ी अवश्य रहा। इससे मिली असफलता के बाद गाँधीजी ने पुनः व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया, जिसका नेतृत्व पहले विनोबा भावे और बाद में श्री जवाहर लाल नेहरू को सौंपा गया। जवाहर लाल नेहरू ने इसे अपने निवास स्थान पर ही किया। गाँधीजी द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शर्त रखी गई थी कि सत्याग्रही ऐसा करने से पहले समय व स्थान की सूचना सम्बन्धित जिला अधिकारी को दिया करेगा।

व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन 14 माह तक चला। कांग्रेस महामंत्री प्रतिवेदन के अनुसार इस काल में लगभग 23 हजार 233 आन्दोलनकारी गिरफ्तार हुए और लगभग 5,42,775/– रूपये जुर्माने के रूप में वसूल हुए।[93] द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी व जापान के विरूद्ध लड़ रहे मित्र राष्ट्रों के प्रति कांग्रेस का सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहा और शासन के विरूद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया। गाँधीजी ने निर्णय लिया कि देश की रक्षा के लिए उचित संगठन व वातावरण उत्पन्न किया जाए। अतः सविनय अवज्ञा की व्याख्या करते हुए गाँधीजी लिखते हैं ''सविनय कानून भंग सच्चा शत–प्रतिशत सविनय हो तो प्रतिपक्ष को यह अहसास हो जाना चाहिए कि इसके कानून भंग के मूल में हमें किसी भी प्रकार का दुख पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। यही कारण है कि कानून भंग

में अन्याय करने वालों के सम्बन्ध में आत्मा होती है''। वे आगे कहते हैं ''सभ्यता, संयम विवेक एवं अहिंसा आदि गुण न रहने वाला कानून भंग निश्चय ही विनाश ही है। प्रेम से परिपूर्ण कानूनभंग साक्षात् जीवन का सुधार है। सविनय कानून भंग जीवन की विकास प्रक्रिया का सुरेख उन्मेष यह कुछ विसंवादी तत्व नहीं है।''

(5) **हिजरत** –

इसका अर्थ है – ''स्वैच्छिक देश निकाला''। सत्याग्रह के अन्तर्गत इसका अर्थ है ''दमन के स्थान को दमन के विरोधस्वरूप छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना'' अर्थात् अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना।[94] इसमें अपने स्थायी व परम्परागत निवास स्थान को स्वेच्छापूर्वक छोड़कर अन्य स्थान पर बस जाना। ऐसा उन व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो अपने मूल निवास स्थान में आत्मसम्मानपूर्ण ढंग से रहने में असमर्थ हो तथा दुखी व अन्याय के विरोध में न तो सत्याग्रह करने का नैतिक बल रखते हों और ना ही हिंसात्मक विरोध की शक्ति रखते हों। हिजरत या देश त्याग बुराईयों से मुकाबला करने का एक प्राचीन तरीका है। अपनी समझी जाने वाली भूमि से उस परिस्थिति में स्वैच्छिक उपवास जबकि अत्याचार, अनाचार व शोषण की पराकाष्ठा हो जाए तथा उनकी आवाज का कोई महत्व न रह जाए। लेकिन गाँधीजी के नियम में सत्याग्रह के शुद्ध स्वरूप में हिजरत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शोषक के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध और यहाँ तक कि हिंसक प्रतिरोध भी नहीं कर सकने की स्थिति में गाँधीजी का विकल्प शोषण व अत्याचार के खिलाफ कायराना समर्पण के बजाय हिजरत था। गाँधीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह बुद्धिमत्ता का काम है कि प्लेग से ग्रस्त घरों या स्थानों को खाली कर दिया जाए और शोषण प्लेग का ही एक रूप है और जब यह हमें कुछ कमजोर करने की स्थिति में हो तो ऐसे परिदृश्यों का परित्याग ही बुद्धिमानी है।[95] गाँधीजी ने 1930–1940 में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान सिन्ध प्रान्त के हिन्दुओं को हिजरत की सलाह दी।

उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विदेशी सैनिकों के आपराधिक आक्रमणों से बचने के लिए नगर में रह रही महिलाओं को भी इसी तरह की सलाह दी। इससे पहले 1928 में बारदोली में सत्याग्रहियों के हिजरत की उन्होंने प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त 1939 में जूनागढ़, लम्बड़ी व विट्ठलगढ़ के हिजरत को भी उन्होंने सराहा था। हिजरत का अनुकरण अत्यन्त अपवाद की स्थितियों में किया जाना चाहिए। यह नियोजित हो न कि कायराना संघर्ष। लेकिन नियोजित हिजरत के लिए साहस व दूरदर्शिता की जरूरत होती है। इसी प्रकार उन्होंने 1935 में केंथा के हरिजनों को हिजरत के साधन को अपनाने की सलाह दी थी। भारतीय इतिहास में हिजरत यानि स्थानान्तरण के कई उदाहरण हैं, परन्तु ये सभी स्थानान्तरण हिंसा के उपयोग से किये हुए दिखाई देते हैं। परन्तु महात्मा गाँधी के मत से स्थानान्तरण अहिंसा के मार्ग से होना

चाहिए। उनके लिए सत्याग्रह की तकनीकें ऐसा हथियार थी, जिसमें सत्य की खोज के प्रति दृढ़ता थी। जिसका लक्ष्य था पूर्वाग्रह, वैमनस्य, कट्टरता, संघर्ष व दंभ के घेरे को भेदना तथा विरोधी के हृदय तक पहुँचकर उसे उत्प्रेरित कर देना तथा आत्म तत्व को जगा देना। चाहे कोई मनुष्य कितना ही कट्टर व दुर्भावनापूर्ण विचारों वाला क्यों न हो, उसमें आत्मा होती है तथा वह अन्य मानवीय प्राणियों की भावना को समझने में समर्थ होता है, इस प्रकार वह अपने साथ मानवता के अर्थ को समझने के काबिल भी होता है।

सत्याग्रह आत्मा की शल्यक्रिया है, यह आत्मा को जगाने वाली प्रभावी तकनीक है। वेदनासिक्त प्रेम इसका सबसे अच्छा तरीका है। सहयोगपूर्ण वार्ता की उपयोगिता बताते हुए गाँधीजी ने कहा कि "इसका मुख्य लक्ष्य विरोधी पक्ष को आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान कर संघर्ष को विराम देकर एक सहयोगपूर्ण माहौल में वार्ता की प्रक्रिया को सम्भव बनाना है"। पूरे सत्याग्रह के दौरान संवाद को कायम रखा गया तथा किसी भी पक्ष को कट्टरता की हद तक जाने से रोकने के लिए यथासम्भव कोशिश की गई एवं मध्यस्थों की भूमिका को प्रेरित किया गया। सत्याग्रहियों को इस बात का वचन देना होता था कि वे हिंसा के किसी भी रूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे तथा अपनी गिरफ्तारी या सम्पत्ति जब्त का विरोध नहीं करेंगे। इसी तरह के नियम गिरफ्तार सत्याग्रहियों के लिए भी निर्धारित किए गए थे कि वे मृदुभाषी रहेंगे, किसी प्रकार के विशेषाधिकारों की माँग नहीं करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, ताकि उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। गाँधीजी के अनुसार आत्मा की शल्यक्रिया के बारे में हमारा ज्ञान इतना तुच्छ व नगण्य है कि हमारे लिए अहिंसा की मीमांसा करना सरल नहीं है। हिंसा में कुछ भी अदृश्य नहीं होता जबकि अहिंसा ¾ अदृश्य होती है और वह चुपचाप बिना दिखावे के काम करती है।

अध्याय निष्कर्ष व सारांश –

वास्तव में सत्याग्रह एक संवर्धित विज्ञान है। इस अध्याय में सत्याग्रह के स्वरूपों और तकनीकों का वर्णन किया है। गाँधीजी ने अपने जीवनकाल में इनकी उपोगिता व क्षमता का प्रदर्शन न केवल राजनीतिक आजादी हासिल करने के लिए किया, वरन् शोषण अत्याचार व अन्य बुराईयों के खिलाफ भी इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया और यह सिद्ध किया कि सत्याग्रह कायरों का हथियार नहीं, वरन् इसके बजाय यह हथियार है उन साहसी व सबल मानवों का, जो मानवता के लिए एक नई संस्कृति को गढ़ना चाहते हैं। सही मायनों में सत्याग्रह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समस्याओं के समाधान का स्वीकार्य, प्रभावी, सूक्ष्म, नायाब तरीका है। इसकी प्रासंगिकता वर्तमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत भी बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद समय–समय पर सत्याग्रह का सफल प्रयोग कई बार किया गया, उनमें से एक अन्ना हजारे का आन्दोलन भी है, जिन्होंने वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और गाँधीजी की सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग कर इसे

हमारे मन–मस्तिष्क में पुनः उजागर किया। अतः सत्याग्रह की प्रासंगिकता तब तक रहेगी जब तक कि समाज में भेदभाव, अत्याचार, लिंगभेद, सामाजिक अन्याय, शोषण, गरीबी रहेगी।

कहा जा सकता है कि सत्याग्रह अहिंसक क्रांति के सार्वभौमिक अस्त्र के रूप में सदैव अपनी उपयोगिता बनाए रखेगा। सत्याग्रह मौलिक रूप से गाँधीजी से सम्बन्धित नहीं था। उनसे पहले भी उपनिषदों, महाभारत, रामायण, गीता, कुरान, बाईबल जैसी धार्मिक व अन्य पुस्तकों में सत्याग्रह के विचार का व्यापक उल्लेख मिलता है। अतः निष्कर्षतः सत्याग्रह व उसकी विभिन्न तकनीकें वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, जिनका सारांश निम्नानुसार है–

- सत्याग्रह मूल रूप से संस्कृत शब्द है और दो शब्दों – ''सत्य'' व ''आग्रह'' के मिश्रण से बना है, जिसका अर्थ है ''सत्य के लिए आग्रह''।

- गाँधीजी ने ''इण्डियन ओपिनियन'' में सत्याग्रह को एक पवित्र उद्देश्य के लिए दृढ़ता के रूप में रेखांकित किया है। ''यंग इण्डिया'' में भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सत्याग्रह आत्मसुख भोग के सिद्धान्त का एक नवीन रूप भर है और हिन्द स्वराज्य में वे इस बात की घोषणा करते हैं कि दूसरों के बलिदान की तुलना में आत्मबलिदान अधिक श्रेयस्कर होता है तथा एक आत्मबलिदानी यानि स्वदुख भोगी अपनी गलतियों से दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाता है।

- यह कह सकते हैं कि यह गाँधीजी का एक सर्वोच्च आविष्कार, खोज या कृति के रूप में है और सत्य के लिए अनवरत अविराम खोज की बात करता है, जहाँ ईर्ष्या, घृणा, दंभ का कोई स्थान नहीं है, उसकी अवधारणा का मतलब निष्क्रियता, दुर्बलता, निःसहायता तथा स्वार्थपरायणता नहीं था। इसकी तकनीकों और रूपों से स्पष्ट है कि यह श्रद्धा, विश्वास, विवेक, प्रेम और विनम्रता की महानतम् अभिव्यक्ति है। यह अपने आपमें ही एक महान विजय है तथा अन्याय, अनीति, दमन व शोषण के खिलाफ आत्मबल को खड़ा करता है, चाहे कोई–सा भी रूप या तकनीक अपनाई जाए, इसका अर्थ सत्य का दबाव ही निकलता है, जो अपनी अभिव्यक्ति ''आत्मदुख भोग, श्रद्धा, संकल्प, आत्मशुद्धि तथा आत्मविश्वास'' में साकार करता है।

- सत्य, अहिंसा, ईश्वर में श्रद्धा, भाईचारा, नैतिक मूल्यों की सर्वोच्चता तथा साधनों की पवित्रता इसके अनिवार्य तत्वों में शामिल है। गाँधीजी ने इसकी सफलता के लिए जो मूल अवधारणा बताई है, उसका अभिप्राय यही है कि सत्याग्रही ईमानदार, अनुशासित सब कुछ खोने को तैयार रहने वाला तथा जहाँ तक सम्भव हो, हिंसा का पूर्णतः परित्याग करने वाला होना चाहिए।

- सत्याग्रह की सफलता तथा सत्याग्रही को विषम परिस्थितियों में कार्य हेतु शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए गाँधीजी ने कुछ विशेष व्रत तैयार किए हैं जो एकादश व्रत नाम से प्रसिद्ध हैं। सत्याग्रहियों को इन व्रतों को अपने निजी तथा सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह अपनाने की अपेक्षा रहती है। इनको मुख्य व गौण व्रत भी कहा गया है।

- सत्याग्रही के लिए आवश्यक है कि ईश्वर में उसकी आस्था हो, सत्य में उसकी आस्था हो, वह पवित्र जीवन जीने वाला हो और अपना सबकुछ कुर्बान करने के लिए तत्पर हो। स्वभाव से खादी बुनने व कातने वाला हो। अनुशासनात्मक नियमों के प्रति वफादार रहे। किसी तरह का नशा ना करे, जेल के नियमों का पालन करे, यदि वे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाले न हों।

- गाँधीजी ने यह स्वीकार किया है कि सत्याग्रह में बुनियादी शिक्षा और रचनात्मक कार्यक्रम की युक्तियों द्वारा रजामंदी, आत्मदुख भोग तथा हृदय परिवर्तन एवं अहिंसक प्रत्येक कार्यवाही या अहिंसक युक्तियों द्वारा अपनी बात मनवाने की दृढ़ धारणा, जो हड़ताल, धरना, बहिष्कार तथा अन्तिम रूप से सविनय अवज्ञा आदि किसी भी रूप में हो सकती है, उसे अपनाने का प्रयास करे।

- आवश्यक है कि द्वन्द्व के समाधान हेतु रजामंदी का प्रयास किया जाए।

- जैसा कि पहले स्पष्ट किया है कि सत्याग्रह आत्मा की शल्यक्रिया है। आत्मा को जगाने वाली प्रभावी तकनीक है। गाँधीजी के लिए वेदनासिक्त प्रेम इसका सबसे अच्छा तरीका था और यह गाँधीजी के लिए प्रेरक सिद्धान्त का आधार भी बना।

- प्रत्येक समुदाय को संगठित रहने के लिए एक व्यापक न्यायपूर्ण अनुभूति की जरूरत होती है।

- गाँधीजी ने सत्याग्रह के सभी प्रयोगों में कुछ मौलिक सिद्धान्तों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है। उन्होंने यही माना कि परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक गहन अध्ययन तथा तथ्यात्मक जानकारियों के धैर्यपूर्वक संग्रहण पर हमारा निरीक्षण आधारित होना चाहिए। हमेशा ही विरोधियों को लोकप्रिय आन्दोलन के तौर–तरीके तथा उन्हें विचार–विमर्श हेतु अन्तिम मौका देना चाहिए।

- सत्याग्रह की दृष्टि से जहाँ इसका नैतिक तथा राजनैतिक महत्व निर्विवाद है, वहीं इसकी अनेक सीमाएँ भी हैं, जिनका ध्यान रखना चाहिए।

- वास्तव में सत्याग्रह एक ऐसा विज्ञान है, जिसका गाँधीजी ने अपने जीवनकाल में उपयोग किया। इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया, जो केवल आजादी प्राप्त करने के लिए नहीं था बल्कि शोषण, अत्याचार व अन्य बुराईयों के खिलाफ भी इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया और यह भी स्पष्ट किया कि यह कायरों का हथियार नहीं है, बल्कि उन साहसी व सबल मानवों का हथियार है, जो मानवता के लिए एक नई संस्कृति को गढ़ना चाहते हैं।

- सही मायनों में सत्याग्रह और उसके रूप व तकनीक सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक साथ ही धार्मिक समस्याओं के सर्वस्वीकार्य समाधान का सबसे प्रभावी सूक्ष्म तथा नायाब तरीका है।

- इसकी प्रासंगिकता वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत भी बनी हुई है। गाँधीजी ने स्वयं इस बात की घोषणा की थी कि सर्वोदय समाज नैतिक पतन, आर्थिक शोषण तथा राजनैतिक दमन से पूर्णतया मुक्त समाज होगा।

अतः गाँधीजी ने विश्व की बढ़ती अस्त्र–शस्त्र की होड़ पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि यह तभी रूक सकती है, जब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अहिंसा व सत्य को एवं सत्याग्रह की सभी तकनीकों को एक सार्वभौम सिद्धान्त के रूप में अपना ले। इसी सन्दर्भ में भीखू पारेख ने भी अपने विचार दिये। उन्होंने लिखा कि "गाँधीजी के अनुसार चूँकि अन्याय से लड़ते हुए तर्कणापरक विवेचन तथा रजामंदी दोनों ही त्रुटिपूर्ण व अपर्याप्त साधन है। इसलिए हमें एक नए साधन की जरूरत है। यह साधन ऐसा होना चाहिए जो आत्मा को झंकृत करे। उसके अतुलनीय ऊर्जा को संचित कर उसे गतिशील करे तथा एक नवीन प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा व शक्ति का सृजन करे जो कि अब तक राजनैतिक जीवन से नदारद रही है। उसे उसका समुचित स्थान नहीं मिला है। इस नए तरीके में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वह विरोधी पक्ष के दिल व दिमाग को खोल दे ताकि युक्तिसंगत विचार–विमर्श की प्रक्रिया सहयोगपूर्ण सुमधुर वातावरण में हो सके। उनके अनुसार उनका सत्याग्रह का तरीका इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम ही नहीं योग्य भी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(1) सी. राजगोपालाचारी; "गाँधीज टीचिंग एण्ड फिलॉसफी"; "भारतीय विद्या भवन बम्बई"; 1963

(2) हरिजन; 19 सितम्बर 1996

(3) कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी; खण्ड 51; पृ. 71

(4) श्रीवास्तव डी.पी.; "कतिपय प्रमुख राजनीतिक विचारक"; पृ. 358

(5) गाँधी एम.के.; "उत्तरप्रदेश गाँधी स्मारक विधि"; वाराणसी; मार्च 1967; पृ. 3

(6) पट्टाभिसितारमैया वी.; "गाँधी और गाँधीवाद"; शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्रा.लि.; पृ. 80

(7) धवन गोपीनाथ; "सर्वोदय तत्व दर्शन"; नवजीवन प्रकाशन; अहमदाबाद

(8) दिवाकर आर.आर.; "सत्याग्रह"; हिंद किताब; बम्बई; 1946; पृ. 4

(9) नाएस आर्ने' "गाँधी एण्ड न्यूक्लियर एज"; पृ. 364

(10) बंदोपाध्याय जे.; "सोशल एण्ड पॉलिटिकल थॉट ऑफ गाँधी"; पृ. 314

(11) कीनी एन.जी.एस.; "टेक्नीक्स एण्ड टूल्स ऑफ गाँधियन रिवोल्यूशन"; गाँधी मार्ग; अप्रैल 1972; पृ. 19–20

(12) सिंह डॉ. दशरथ; "गाँधीवाद को विनोबा की देन"; बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1975.; पृ. 502

(13) वही; पृ. वही

(14) ग्रोवर बी.एल.; यशपाल; "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास"; चतुर्थ संस्करण; एस. चाँद एण्ड कम्पनी; नई दिल्ली; 1998; पेज नं. 236

(15) के.एल. श्रीधरनी; "वार विदाउट वॉइलेन्स : ए स्टडी ऑफ गाँधीज मेथड एण्ड इट्स इकम्पलीशमेन्ट"; प्रथम संस्करण; विक्टर गोलानंग लिमिटेड; लंदन; पृ. 361

(16) सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; खण्ड–I; XII; पृ. 658–681

(17) गाँधी एम.के.; "ऑटोबायोग्राफी"; पृ. 271

(18) नाटाणी प्रकाश नारायण; "आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक"; पोइन्टर पब्लिशर्स; जयपुर; 2007; पृ. 156

(19) एम.के. गाँधी; ऑटोबायोग्राफी; पृ. 562

(20) तेंदुलकर डी.जी.; "गाँधीयन फिलॉसफी"; खण्ड–1; पृ. 3121

(21) यंग इण्डिया; 5–5–1930

(22) नाटाणी प्रकाश नारायण; "आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक"; पोइन्टर पब्लिशर्स; जयपुर; 2007; पृ. 154–155

(23) तेंदुलकर डी.जी.; "गाँधीयन फिलॉसफी"; खण्ड–1; पृ. 131

(24) वही पृ. 121

(25) नारायण इकबाल; "राष्ट्रीय आन्दोलन तथा भारतीय संविधान"; शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी; आगरा; 1981; पृ. 113

(26) बंदोपाध्याय जे.; "सोशल एवं पॉलिटिकल थॉट ऑफ गाँधी"; पृ. 314

(27) गाँधी महात्मा; "मेरे सपनों का भारत"; राजपाल एण्ड सन्स; कश्मीरी गेट; दिल्ली; 2008; पृ. 91

(28) सम्पूर्ण गाँधी वाङ्गमय; खण्ड 62; सूचना और प्रसारण मंत्रालय; भारत सरकार; 1975; पृ. 70

(29) गाँधी मोहनदास करमचंद; "खादी क्यों व कैसे?"; नवजीवन प्रकाशन; पृ. 89

(30) गाँधी पंचायत; "महात्मा गाँधी 125वाँ जन्म समारोह समिति"; संस्कृति विभाग; बाणगंगा भोपाल; म.प्र. शासन; 1997; पृ. 128–129

(31) अग्रवाल अल्का; "गाँधी दर्शन विविध आयाम"; पोइन्टर पब्लिशर्स; जयपुर (राज0); 1999; पृ. 56–57

(32) नेहरू जवाहर लाल; "राष्ट्रपिता"; पोइन्टर पब्लिशर्स; जयपुर; 1999; पृ. 91

(33) त्रिपाठी निरंजन; "आधुनिक भारत के ऐतिहासिक निबन्ध"; आविष्कार पब्लिशर्स; डिस्ट्रीब्यूटर्स; जयपुर; 2007

(34) R. Caupland; "India : Restatmen"; Pg. 119

(35) चतुर्वेदी मधुकर श्याम; "प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक"; कॉलेज बुक हाऊस; 15वाँ संस्करण; 2007; पृ. 298

(36) शर्मा एम.एल.; "व्यू ऑफ सत्याग्रह : गाँधी भवन न्यूज लेटर"; दिल्ली विश्वविद्यालय ; खण्ड–2; नं. I; जनवरी; 1989; पृ. 521

(37) रामरतन; "गाँधीज थॉट एण्ड एक्शन"; कलिंग पब्लिकेशन; दिल्ली; 1991; पृ. 289–292

(38) नागौरी एस. एवं जीतेश नागौरी; "मौलाना अब्दुल कलाम आजाद"; पोइन्टर पब्लिशर्स; जयपुर; संस्करण I; 1996, पृ. 87

(39) सुमन श्री रामनाथ; प्रधान सम्पादक द्वारा सम्पादित सत्याग्रह; गाँधी साहित्य प्रकाशन; इलाहाबाद; मार्च 1967; पृ. 492

(40) कृपलानी कृष्ण; अनुवाद – नरेश नदीम; "गाँधी एक जीवन"; नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया; नई दिल्ली; 9वीं सम्पूर्ण आवृत्ति, 2011; पृ. 187

(41) हरिजन; 24–6–1939

(42) यंग इण्डिया; 23–3–1921

(43) दिवाकर आर.आर.; "सत्याग्रह : इट्स टेक्नीक एण्ड हिस्ट्री"; हिन्द किताब; बम्बई; 1946; पृ. 91

(44) "अधर्म्येषु विधानेषु पाष्ठिो लावणे नयः तस्य भमतः पूर्व करिष्येऽहे सहानुग्रैः।।"; सत्याग्रह गीता; 10/40

(45) मिश्र अनिल दत्त; "रीडिंग गाँधी"; पियर्सन दिल्ली; 2012; पृ. 18

(46) ब्रेल्सफोर्ड एच.एन.; "रिबेल इण्डिया"; सब्जेक्ट इण्डिया; "मई 1941 तक लगभग 14000 लोगों ने सविनय अवज्ञा का कार्य किया।"

(47) कुंभार डॉ. नागोराव; डॉ. गोरे नाना साहेब; "सत्याग्रह : महात्मा गाँधी का दृष्टिकोण"; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर; पृ. 60

(48) गाँधी एम.के.; "बारदौली ऑन ट्रायल"; यंग इण्डिया; 31–5–1928

(49) Non-violence Peace and War; खण्ड 1; नवजीवन पब्लिशिंग हाउस; अहमदाबाद; 1948; पृ. 253–254

तृतीय अध्याय

सत्याग्रह पर आधारित महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य)

तृतीय अध्याय

सत्याग्रह पर आधारित महात्मा गांधी के नेतृत्व में आन्दोलन

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

महात्मा गांधी का सत्याग्रह दर्शन सत्य के सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ है। सत्य के पुजारी का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि सत्य की कसौटी तथा उसके आधारों की रक्षा करे। अतः सत्याग्रह का मूल लक्षण सत्य व अहिंसा द्वारा अन्याय का विरोध करे परन्तु अन्यायी का नहीं। मुख्य रूप से यही कहा जा सकता है कि गांधीजी ने सत्याग्रह का अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग किया और इस दृष्टि से उनकी उपलब्धि भी बहुत व्यापक है। महात्मा गांधी जिस समय सार्वजनिक क्षेत्र में आए, उस समय देश व विश्व का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक वातावरण भ्रष्टता से पूर्ण था। व्यक्तिगत जीवन में तो नैतिक मूल्यों की अवहेलना होती ही थी, सार्वजनिक जीवन में अनैतिक साधनों का प्रयोग खुले रूप में अच्छा समझा जाता था। गांधीजी ने अपने विचारों व कार्यो से संसार को यह बताया कि नैतिकता का प्रयोग व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में भी अच्छे परिणामों के साथ किया जा सकता है। गांधीजी द्वारा संचालित भारत के स्वाधीनता संग्राम का अन्त जिस प्रकार हुआ, उससे यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि सत्य के लिए अहिंसापूर्वक आग्रह से निर्दयी से निर्दयी प्रतिपक्ष पर विजय प्राप्त की जा सकती है और बड़ी से बड़ी राजनीतिक समस्या का समाधान निकल सकता है, यदि निष्ठापूर्वक प्रयत्न करते हुए वांछित परिणाम निकलने तक धैर्य रखा जा सके। स्पष्ट है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह द्वारा ही उन्होंने अपने विभिन्न आन्दोलनों में सफलता अर्जित की इस सन्दर्भ में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक आन्दोलन किये।

गांधीजी के सत्याग्रह संकल्पना की जन्म स्थली या सत्याग्रह का आरम्भ दक्षिण अफ्रीका से हुआ। "जोहान्सबर्ग" शहर के "एम्पायर फिल्म थियेटर" में आयोजित किये गए "ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन" की सभा में एक भाषण दिया। उनके इस भाषण में सत्याग्रह के बीज है। इसलिए 11 सितम्बर 1906 महात्मा गांधी द्वारा प्रायोजित सत्याग्रह का जन्मदिवस माना जाता है।[96] भारत में भी गांधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन के अन्तर्गत अनके कार्यक्रम चलाये गये थे। ये सभी आन्दोलन भारत की आजादी के प्रति महात्मा गांधी के योगदान को परिलक्षित करते हैं। स्वयं गांधीजी ने स्वीकार किया कि ये सभी आन्दोलन सच्चाई व अहिंसा पर कायम हैं, इनमें हिंसा का कोई स्थान नहीं।[97] चूँकि अंग्रेज सत्ता लोगों के आन्दोलन को दमन शक्ति के प्रयोग से दबा डालने का बहुत प्रयास कर रही थी परन्तु सत्याग्रह ने अंग्रेज सत्ता के इस प्रयास को विफल बनाया। सत्याग्रह ने लोगों के मन व हृदय को जीत कर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को प्रवृत्त किया, जिसका परिणाम अंग्रेजों की सत्ता व शक्ति, बिना शस्त्र व हिंसा के प्रयोग के खत्म होने में निकला और अन्ततः भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत में

निःशस्त्र क्रांति हुई जो सत्याग्रह द्वारा गांधीजी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।[98] इसी प्रकार गांधीजी के सत्याग्रह के राजनीतिक परिणाम भी दूरगामी रहे। इससे भारतीय राजनीति में सक्रिय गरम दल का नेतृत्व गांधीजी की ओर आया और इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप व चरित्र, विचार व कार्यपद्धति में परिवर्तन आया। देश में फैला आपसी मतभेद भुलाकर देश की जनता विभिन्नता में एकता की भावना से एक साथ आयी और उनमें आत्मविश्वास आया, स्वाभिमान का निर्माण हुआ व राष्ट्रीयता की भावना अंकुरित हुई।

सत्याग्रह द्वारा भारत में विभिन्न सामाजिक सुधारों का आरम्भ हुआ। यह सत्याग्रह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा कार्यान्वित अनेक आश्रमों द्वारा देश की दरिद्रता, बेरोजगारी, विषमता आदि आर्थिक समस्याऐं हल होने में सहायता मिली। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार, देशी उद्योग व खादी प्रचार को गति मिली। देश की आर्थिक नीतियां व कार्यक्रम निश्चित करने के लिए उचित व सार्थक दिशा मिली।[99] अतः कहा जा सकता है कि सत्याग्रह महात्मा गांधी के दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है यह उनका अहिंसात्मक राजनैतिक हथियार है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता को सर्वमान्य रूप से अंकित किया है। जो अन्ततः वास्तविक, व्यवहारिक व लोकप्रिय बना। इस सन्दर्भ में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत अध्याय में महात्मा गांधी द्वारा प्रायोजित जो भी अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सत्याग्रही आन्दोलन है उनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह –

यह सत्याग्रह गांधीजी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है क्योंकि यहीं से उनके जीवन की सार्वजनिक पृष्ठभूमि का शुभारम्भ हुआ। अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास का वर्णन स्वयं गांधीजी ने इस प्रकार किया है कि "दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों की सत्याग्रह की लड़ाई आठ वर्ष तक चली। सत्याग्रह शब्द की खोज उसी लड़ाई के सिलसिले में हुई और उसी लड़ाई के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अप्रैल 1863 में मैंने दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए जब हिन्दुस्तान छोड़ा उस समय मैं केवल स्वार्थ सिद्धी से ही वहाँ गया था। दादा अब्दुल्ला फर्म के साझेदार ने जो पोरबन्दर में ही था उसने नया वकील (मुझे) दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए चुना था। मैं एक वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था परन्तु पहले दिन ही नेटाल में हिन्दुस्तानियों को जो कष्टों का सामना करना पड़ रहा था वो मेरे लिए आश्चर्य–चकित कर देने वाला असहनीय दण्ड स्वरूप था।"[100] इस प्रकार वकील गांधीजी ने जैसे ही सार्वजनिक जीवन में पैर रखा उनके सामने मुसीबतों का अम्बार खड़ा हो गया था। दक्षिण अफ्रीका के कड़वे अनुभवों ने गांधीजी को वास्तव में महात्मा गांधी बनाया। यहीं से उन्होंने सत्य की कठोर साधना के पथ पर कदम रखा जो आगं बढ़ता ही गया। परिस्थितियों ने दक्षिण अफ्रीका में एक वर्ष के लिए गए गांधीजी को 1914 तक वहां रहने पर विवश कर दिया न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर

उन्होनें अन्याय के खिलाफ विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। 1 जुलाई दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह की अवधि मानी जाती है।

दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में भेदभाव की सरकारी नीति और उसके परिणाम से निकले विभिन्न कानूनी मापदण्ड के कारण हिन्दुस्तानी मूल के लोगों पर प्रत्यक्ष कुप्रभाव पड़ रहा था, इसी का विरोध करने के लिए ट्रान्सवाल एशियाटिक डिपार्टमेंट और ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार के नुमाइंदो तथा गौरी यूरोपीय जनता के खिलाफ सत्याग्रह करना दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का कारण रहा।[101] आरम्भ में दक्षिण अफ्रीका पहुँचते ही उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बावजूद भी तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाने को मजबूर किया गया, इन्कार करने पर सामान सहित ट्रेन से बाहर फैंक दिया गया। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कई होटलों में प्रवेश को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें पगड़ी उतारने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने नही माना। ऐसी अनेकों घटनाओं ने जो उनके स्वंय के साथ दक्षिण अफ्रीका में घटी, उन्हें अन्दर से उद्वेलित कर दिया और ये उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ बन गई जो विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरुकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई।

अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान उन्होनें रंगभेद के खिलाफ जो लडाई लड़ी उसकी प्रमुख परिस्थितियाँ उत्तरदायी रही –

❖ प्रत्येक भारतीय को कुली कहकर पुकारा जाता था।

❖ भारतीयों को फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी और वे रात में बिना परमिट के नहीं निकल सकते थे।

❖ भारतीय रेलगाड़ी में प्रथम व द्वितीय श्रेणी में यात्रा भी नहीं कर सकते थे और अक्सर उन्हें रेल के डिब्बे के पायदान पर ही खड़े होकर यात्रा करने को बाध्य किया जाता था।

❖ जो होटल पूर्णतः यूरोपियों के लिए आरक्षित थे, उनमें भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी।

❖ ट्रासँवाल में भारतीयों को रहने के लिए और व्यापार के लिए एक निश्चित क्षेत्र दिया गया था, यह क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकर थे, न तो वहाँ पानी और बिजली की ही उचित व्यवस्था थी और न ही नालियो की

❖ इसके अतिरिक्त जो पहले अनुबंधित मजदूर रह चुके थे उन्हें तीन पाउंड मतगणना कर देना पड़ता था।

इस प्रकार करीब 2 लाख भारतीयों में कुछ अनुबंधित, कुछ स्वतंत्र मजदूर थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ उनमें क्लर्क व सहायक थे। बागान मालिकों का इनके साथ दासतापूर्ण

व्यवहार से ही गांधीजी के मौलिक राजनीतिक दर्शन का विकास, और सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलन की एक नई विधि का निर्माण हुआ जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया। इसी क्रम में नैटल की सरकार ने एक ऐसा विधेयक प्रस्तावित किया जो कि प्रवासी भारतीयों से मताधिकार वापस लिए जाने का सुझाव रखता था भारतीय व्यापारियों ने इस बिल के विरुद्ध गांधीजी से सहयोग मांगा। संघर्ष को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए गांधीजी का यह पहला कदम था कि नैटल में रहने वाले भारतीय समुदाय के विभिन्न घटकों को एकता के सूत्र में बाँध सकें। अतः उन्होंने इंडियन नैटल ऑर्गेनाइजेशन नामक सभा की स्थापना की इसके साथ ही गाँधीजी का यह भी प्रयास था कि भारतीयों के कष्टों का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, जिससे कि उन्हें भारत व इग्लैण्ड की समस्त जनता व महिलाओं का सहयोग प्राप्त हो सके। गांधीजी ने लगभग 10 हजार भारतीयों से हस्ताक्षर करवा कर एक लम्बी अर्जी इग्लैण्ड के औपनिवेशिक सचिव को भेजी, जिससे यह अपील की गई थी कि महारानी विक्टोरिया इस विधेयक को सहमति ना दे। इस प्रकार एक सशक्त विरोध के कारण लंदन के औपनिवेशिक कार्यालय ने इस बिल को अस्वीकार कर दिया परन्तु नैटल में रहने वाले यूरोपियों ने इसे कुछ सशोधनो से पारित कर दिया। अब इस बिल के आधार पर किसी भी गैर यूरोपीय देशों के व्यक्ति को (जिन देशों मे अभी तक ऐसा संगठन नही है, जो कि ससंदीय मताधिकार प्रणाली पर स्थापित हो) मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह गवर्नर जनरल से अनुमति ना ले आए।

यह संघर्ष चलता रहा। महात्मा गांधी ने कई लेख लिखे और जनता को जागरूक बनाने का कार्य प्रारम्भ रखा परन्तु यूरोपीय इससे और उत्तेजित हो गए और गांधीजी पर हमला कर दिया परन्तु गांधीजी बचा लिये गये। यह पहला हमला था जब गांधीजी ने मौत से साक्षात्कार किया था परन्तु यह घटना भी उन्हें संघर्ष से विचलित नहीं कर पाई। इसी दौरान क्वेटा में कांग्रेस अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पास कराने में वे सफल रहे यह उनकी पहली जीत थी। 1902 से लगातार 12 वर्ष तक रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करते रहे। इसी क्रम में 1913 में दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले समस्त भारतीयों के ऊपर एक और अत्याचार हुआ। दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय के द्वारा उन सभी शादियों को रद्द घोषित कर दिया जो कि ईसाई धर्म विधि से नहीं हुई थी और जिनका विवाह कार्यालय में पंजीकृत नहीं हुआ था। अतः सभी हिन्दु मुस्लिम और पारसी शादियाँ अवैध घोषित कर दी गई एवं इनकी सन्तानें भी अवैध मानी गयी। गांधीजी ने इस निर्णय के दुष्परिणामों के खिलाफ अपील कर इसमें परिवर्तन लाने को कहा परन्तु इसका कोई प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ा तब गांधीजी ने अपने संघर्ष को और तीव्र कर दिया।

6 नवम्बर 1913 के दिन गांधीजी ने ट्रांसवाल की सीमा को पार करने के लिए एक यात्रा प्रारम्भ की। इस यात्रा में 127 महिलाऐं, 57 बच्चे व 237 पुरूषों ने हिस्सा लिया। गांधीजी

को बन्दी भी बना लिया गया परन्तु आन्दोलन कमजोर नहीं हुआ। भारत में गोपालकृष्ण गोखले ने समस्त देश का दौरा कर सहयोग जुटाया, भारत के वायसराय ने (लार्ड हार्डिंग) दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अत्याचारों की निष्पक्ष जाँच के आदेश दिये। अन्त में जनरल स्मट्स ने संधि का एक प्रस्ताव रखा जिसमें बातचीत द्वारा भारतीयों की समस्याओं का निदान किया गया। स्वतंत्र श्रमिकों पर 3 पाउंड का कर समाप्त किया गया, विवाहों को मान्यता प्रदान की गई और दक्षिण अफ्रीका में आने के लिए आदिवासी सर्टिफिकेट पर अँगूठे का निशान लगाया जाना था। इस प्रकार लगातार चला यह सत्याग्रह गांधीजी द्वारा वापस ले लिया गया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस समय तक महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार से अत्यधिक सहानुभूति थी और 1906 तक उनके न्याय में अत्यधिक विश्वास था परन्तु शीघ्र ही उनका यह मोह दूर होने लगा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी याचना के प्रति अंग्रेजों का रवैया बाहरी व्यक्ति का ही था। दक्षिण अफ्रीका में अपने साथियों व सहयोगियों के कष्टों को दूर करने के लिए सत्याग्रह उनके लिए एक अंतिम विकल्प था। इसमें उन्होंने कई साधनों को प्रयुक्त किया जो निम्नानुसार है –

- ❖ सर्वप्रथम उन्होंने देखो और इन्तजार करो की नीति अपनाई जिससे सम्पूर्ण समस्या का समाधान ठोस रूप से किया जा सके इसमें इन्होने सत्य व अहिंसा को प्रमुख माना।
- ❖ सुलह का प्रयास करना।
- ❖ विरोध सभाऐं आयोजित करना।
- ❖ आत्मशुद्धि हेतु निरन्तर प्रार्थना करना।
- ❖ सांकेतिक मार्च निकाले गए।
- ❖ पम्पलेट्स व समाचार पत्र छपवाऐं गए।
- ❖ हड़ताल, बन्द, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, घेराबंदी, गिरफ्तारी देना, आदि तकनीकों का प्रयोग किया।
- ❖ सत्याग्रह की प्रतिज्ञा में सम्पूर्ण सत्याग्रही सहयोग भी महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ।

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हुए विभिन्न प्रकार के संघर्षों का गांधीजी के जीवन व भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। अहिंसात्मक सत्याग्रह की तकनीक गांधीजी का मुख्य अस्त्र बन गई और इसके दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह में निम्न परिणाम निकले –

- ❖ 1 जुलाई 1914 के "Indian Relief Act" ने संघर्ष को सफलता पूर्वक बंद कर दिया। आन्दोलन की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका संघ के प्रधानमंत्री जनरल लुईस बोधा को स्वीकार करना पड़ा कि हिन्दुस्तानीं समुदाय के सत्याग्रह के प्रयत्नों के कारण ही भेदभावपूर्ण कानूनों में परिवर्तन किया जा सका या उन्हें वापस लिया जा सका और इन्हें आगे लागू करने से रोका जा सका।

- ❖ आन्तरिक मामलों के केन्द्रिय मंत्री या संघ के ग्रह मंत्री जनरल स्मट्स पैट्रिक डंकन (एशियाटिक–रजिस्ट्रेशन एक्ट) के लेखक, पंरसी पिजपैट्रिक (हिन्दुस्तानियों की मांगों के घोर विरोधी), सरकार के अधिकारी, विधायक, दंडाधिकारी, जेल अधिकारी, पुलिस और गोरों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ने यह अनुभव किया कि हिन्दुस्तानियों की मांग जायज है।[102] उन्होंने न केवल इस आन्दोलन को अपना सक्रिय सहयोग दिया वरन् अधिकतर लोगों को मनाने में अपनी सार्थक सहमति भी प्रदान की।
- ❖ सत्याग्रह के इन तौर तरीकों ने न केवल भारतीय मांग के प्रति जन चेतना को जाग्रत किया वरन् जनता में एकत्व की भावना के साथ–साथ राजनैतिक जनजागरण की पुख्ता नींव भी डाली।
- ❖ आन्दोलन की सफलता ने सामाजिक व राजनीतिक द्वन्दों को सुलझानें में सत्याग्रह की प्रभावी भूमिका को रेखांकित किया व गांधीजी के सत्याग्रह में विश्वास को और सुदृढ़ किया।

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही उनके जीवन लक्ष्य परिवर्तन की शुरूआत हो गई थी और वे अपने हिन्दुस्तानी भाईयों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकार दिलाने के संघर्ष के लिए समर्पित हो गए। गांधीजी के अनुसार "इस प्रकार मैं हिन्दुस्तानी समाज की सेवा में ओतप्रोत हो गया। उसका कारण आत्म–दर्शन की अभिलाषा थी। ईश्वर की पहचान सेवा से ही होगी, यह मानकर मैंने सेवा धर्म स्वीकार किया था।"[103] इसी दौरान गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की जिसमें भी उन्होंने पश्चातापपूर्ण उपवास किये जिनका उल्लेख भी हमारे शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है –

- ➢ **पश्चातापपूर्ण उपवास** I = 10 Nov. 1913 to 16 Nov. 1913

यह भी उनके द्वारा किये जा रहे सत्याग्रह का ही एक हिस्सा था। आश्रमवासियों का नैतिक क्षरण इसका प्रमुख कारण बना। महात्मा गांधी द्वारा पश्चाताप में आत्मशुद्धि हेतु प्रार्थना व 7 दिन का उपवास किया गया।

- ➢ **पश्चातापपूर्ण उपवास** II = Ap. 1914

इसका भी प्रमुख कारण 1 आश्रमवासी का नैतिक पतन जिसके लिए महात्मा गांधी द्वारा 14 दिन का उपवास रखा गया जिसके परिणामस्वरूप आश्रमवासियों को अपनी गलतियों का अहसास हो गया और उन्हें गांधीजी के सत्याग्रह का मर्म समझ आ गया।

गांधीजी द्वारा लिखित पैम्पलेट "Griendances of British Indians in South Africa" में अन्याय के विरूद्ध जिस शैली का जिक्र किया गया, उसे ही बाद में सत्याग्रह कहा गया। उन्होंने यही लिखा कि "दक्षिणी अफ्रीका में हमारी शैली प्रेम से घृणा को जीतने की है। हम व्यक्तियों को दण्डित नहीं करना चाहते बल्कि सिद्धान्ततः उनके हाथों यातनायें भोगना

चाहते है।" अतः प्रारम्भिक Passive Resistance व्यक्तिगत यातनाओं के माध्यम से अपने अधिकारों की प्राप्ति का तरीका है।[104] दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक विशेष पहचान प्रदान की और महात्मा गांधी ने अपने आपको देश को पूरी तरह समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गांधीजी किसी एक क्षेत्र के या किसी धार्मिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि वे समस्त भारतीयों के अगुवा नेता थे। इस प्रकार की अपनी छवि के कारण ही वे भारतीय जनमानस में बापू नाम से विराजमान है। 9 जनवरी 1915 को गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका के रचनात्मक प्रयोगों व अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व में अनेक सकारात्मक परिवर्तन कर दिये थे।

भारत आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होनें 1 वर्ष तक भारत भ्रमण कर भारतीय जनता की वास्तविक दशा को समझा और 1916 में साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) की स्थापना की, जहाँ सच्चे सत्याग्रही का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार उन्होंने प्रथम अपने आन्दोलनों में सत्याग्रह की शक्ति को मजबूत बनाया एवं किसी भी राजनीतिक गुट में शामिल होने से इन्कार कर दिया। अनेक क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के साथ उनका राष्ट्रीय सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन पर जाकर ही उसने थोड़ा विराम लिया। भारत में स्थानीय संघर्षो के माध्यम से ही वे सम्पूर्ण भारत के नेता के रूप में उभरकर आए और उन्होंने अलग–अलग सत्याग्रह तकनीक का इस्तेमाल कर सत्याग्रह की सफलता को देश में अंकित किया।

2. विरम गाँव आन्दोलन –

गांधीजी के सत्याग्रह का सृजन भले ही दक्षिण अफ्रीका की भेदभावपूर्ण नीतियों के असाधारण वातावरण में हुआ परन्तु उसका पोषण भारत में विदेशी ब्रिटिश शासन तथा देशी रियासतों की सामन्तवादी शासन की असाधारण परिस्थितियों व परिप्रेक्ष्य में हुआ।[105] भारतीय सत्याग्रह या राष्ट्रीय सत्याग्रह का इतिहास वर्ष 1915 की वीरमगाँव की चूँगी की एक छोटी सी लड़ाई से शुरू होती है। जिसका प्रमुख कारण अन्यायपूर्ण सीमाकर रहा। "मोतीलाल बढ़वान" नामक व्यक्ति द्वारा गुजरात के सीमान्त काठियावाड़ व अन्य गाँव से आने वाले यात्रियों पर अन्यायपूर्ण सीमाकर आरोपित कर उन पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया गया। यह आन्दोलन भारत सरकार के विरूद्ध किया गया। मोतीलाल बढ़वान ने महात्मा गांधी को पत्र व्यवहार द्वारा इस बात से अवगत कराया कि जकात जाँच पद्धति से लोगों के मन में घृणा निर्मित हो रही है। अतः महात्मा गांधी द्वारा इस प्रकरण की पूरी जानकारी प्राप्त की गई तथा मुम्बई के गवर्नर लॉर्ड विलिंग्डन के साथ इस प्रकरण के सम्बन्ध में बातचीत की। मुम्बई सरकार के साथ भी पत्राचार किया। लॉर्ड विलिंग्डन के कहने पर लॉर्ड

चेम्सफोर्ड को इसकी जानकारी दी गयी तब चेम्सफोर्ड द्वारा जाँच के आधार पर 11 नवम्बर 1917 को जकात निरस्त कर दी गई। इसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जीत बताई।

सत्याग्रही भाषा का इस्तेमाल करने पर कुछ लोगों के आपत्तिपूर्ण प्रश्नों के जवाब में महात्मा गांधी ने कहा कि "यह लोकशिक्षा है। लोगों को अपना दुःख दर्द दूर कर लेने के सभी न्यायपूर्ण उपाय दिखाना मेरे जैसों का कर्त्तव्य ही नहीं धर्म भी है। जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं उनके पास स्वरक्षा का अंतिम मार्ग होना ही चाहिए। सामान्यतः ऐसे उपाय हिंसक होते हैं। सत्याग्रह एक शुद्ध अहिंसक शस्त्र है। इसका मर्यादापूर्ण उपयोग करना मैं अपना धर्म समझता हूँ।"[106] इस प्रकार सत्याग्रह की शक्ति को अंग्रेजी सत्ता की शक्ति से श्रेष्ठ दर्जा प्रदान कर इसकी महत्ता को गांधीजी द्वारा अंग्रेजी सरकार के सामने स्पष्ट किया गया।

3. बन्धुआ अप्रवासन प्रश्न (गिरमिट–प्रथाबंदी के लिए सत्याग्रह) –

दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटियों पर तीन पौंड का वार्षिक महसूल 1914 में गांधीजी द्वारा सत्याग्रह के माध्यम से रद्द करवाने में सफलता तो प्राप्त कर ली गयी थी परन्तु भारत से गिरमिट भेजने की प्रथा जारी थी। यहाँ गिरमिट से तात्पर्य बन्धुआ मजदूरों से है अथवा 5 या उससे कम वर्ष की मजदूरी करने के "इकरारनामा" पर हस्ताक्षर कर हिन्दुस्तान से बाहर मजदूरी करने के लिए गये मजदूर। भारतीयों की लापरवाही के कारण यह प्रथा अत्यधिक दिनों तक चलती रही। गांधीजी द्वारा अनेक शीर्ष नेताओं से मुलाकात की गयी, समाचार पत्रों मे लेख, विरोध बैठक, सरकार को अल्टीमेट आदि दिये गये। पूरे हिन्दुस्तान का भ्रमण किया गया जिसकी शुरूआत मुम्बई से की गई और इसकी पूर्व सूचना वाईसराय को दी गई। कराची कलकत्ता में संतोषजनक सभाऐं आयोजित की गई, महिलाओं का भी उत्साह सराहनीय रहा। इन सभी कार्यकलापों का प्रभाव सीधे सरकार पर पड़ रहा था और सत्याग्रह की निकट सम्भावनओं को देखते हुए 12 मार्च 1917 को Defence Law of India (भारत सुरक्षा कानून) के तहत भारत से श्रम अप्रवासन पर रोक पर जनरल काउंसिल के फैसले को गजट के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार इसमें सफलता अर्जित करने पर गांधीजी के साथ–साथ सम्पूर्ण भारतवासियों का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था जिसका श्रेय गांधीजी ने शुद्ध सत्याग्रह (सत्य + अहिंसा) को ही प्रदान किया जिसके लिए वे अटूट श्रद्धा, संयम व निरन्तर प्रयास को आवश्यक मानते हैं।

4. चम्पारन सत्याग्रह –

महात्मा गांधी के जीवन में चम्पारण सत्याग्रह का असाधारण महत्व है क्योंकि भारत में किये गये सत्याग्रह का यह पहला बड़ा प्रयोग था। जिसके कारण हिन्दुस्तान को सत्याग्रह का पहला वास्तुपाठ मिला। इस आन्दोलन का प्रमुख कारण नील की खेती करने वाले किसानों की जमीनों को ब्रिटिश नील उत्पादकों द्वारा हड़प लिया जाना। बिहार राज्य का चम्पारण जिला

चावल व नील की खेती के लिए मशहूर था। फायदा हो या न हो नील का उत्पादन करना वहां के किसानों के लिए बंधक कारक हो गया था। लगान भी ज्यादा वसूला जाता था। लगभग 100 वर्षो से किसानों व मजदूरों का इसी प्रकार शोषण हो रहा था जो एक रीति रिवाज की तरह अपनी जड़ें जमा चुका था। 1916–17 में चंपारन का अधिकांश क्षेत्र केवल तीन भूस्वामियों के आधीन थे ये थे, बेतिया, रामनगर और मधुबन जागीरों के मालिक। बेतियां की जागीर सबसे बड़ी मानी जाती थी जिसमें 1500 गाँव आते थे। भू–स्वामी अपनी ज़मीनों को ठेके पर दे दिया करते थे जिनमें सबसे बड़ा ठेका यूरोपीय बागान मालिकों का था। किसानों को अपनी ही जमीन पर स्थाई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें बागान मालिकों से जमीन के पट्टे लेने होते थे जिस पर तीन कथिया व्यवस्था लागू होती थी जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर केवल नील की खेती ही करनी होगी। जमीन का जो हिस्सा सबसे उपजाऊ होगा वो नील की खेती के लिए होगा बदले में कुछ धनराशि मजदूरों को दी जाती थी जो उनके जीवन यापन के लिए नाकाफी थी।

किसानों की हालत निरन्तर गिरती जा रही थी। तभी जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीला रंग तैयार कर लिया जिससे नील की मांग कम हो गयी। अपने नुकसान को बागान मालिकों ने किसानों पर लादना शुरू कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दें तो किसानों को नील की खेती से छुटकारा मिल सकता है साथ ही लगान की दरें भी बढ़ा दी गयीं। इस प्रकार किसानों पर हो रहे शोषण से मुक्ति का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी किसानों के आग्रह पर एक किसान "राजकुमार शुक्ल" ने चम्पारण के नील के दागों को मिटाने के लिए निरन्तर महात्मा गांधी से सम्पर्क करने का प्रयास किया और उनके प्रयासों से गांधीजी का चम्पारण में प्रवेश हुआ। परन्तु उनकी कार्यपद्धति अलग थी और उन्होंने इसके लिए पहले पूरा स्वरूप समझना उचित समझा और वहाँ के सेकेट्ररी से भेंट की जिन्होंने उन्हें परदेशी का लेबल लगा बीच में ना आने की सलाह दी जिस पर गांधीजी ने उन्हें भारतीय होने के नाते समस्त भारतीयों की परेशानी को दूर करने का प्रयास करने की बात कही, अगर भारतीय इस बात पर राजी हो तो। कमीश्नर ने उन्हें धमकी देकर गाँव छोड़ने को कहा, जिसे उन्होंने मानने से इन्कार कर दिया और फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। जनता के आक्रोश को देखकर बिहार सरकार ने मुकदमें को वापस ले लिया और चेतावनी दी की वे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेंगें। अतः एक "चम्पारन एग्रेरियन कमेटी" गठित की गई जिसमें गांधीजी को भी शामिल किया गया जिसके तहत एक एक्ट (26 अप्रैल 1918 को) बनाया गया जिसे चम्पारण एग्रेरियन बिल का नाम दिया गया, जिसमें निम्न नियमों का प्रावधान किया गया –

❖ तीन कथिया पद्धति सम्पूर्णतया नष्ट की जाएगी।

- ❖ शहर सीमा में 20% छूट दी गई तो कुछ अन्य कारखानों में यह छूट 28% की गई।
- ❖ कानून पर पूरी तरह अमल हो ऐसा सुझाव दिया गया। लगान की दरों में छूट प्रदान की गई।
- ❖ नील की खेती जबरदस्ती नहीं की जाएगी, यदि किसानों की मर्जी हुई तो ही वे नील की खेती करेंगे।
- ❖ फैक्ट्रियों ने जो कर आज तक वसूला होगा उसका 25% तवान उन्हें जनता को वापिस देना होगा।[107]

इस एक्ट के तहत किसानों की दशा सुधरने में मदद मिली। चूँकि यह आन्दोलन ब्रिटिश मील उत्पादक व ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ था अतः इसमें गांधीजी द्वारा कुछ साधनों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया जैसे लोक जाँच के द्वारा स्थिति का जायजा, सुलह, विरोध सभा, आत्मशुद्धि हेतु प्रार्थना, अल्टीमेटम, जिला अधिकारी के आदेशों के खिलाफ सविनय अवज्ञा, गलत तरीके से कब्जाए ज़मीन पर तकनीकी अतिक्रमण, भूमि का घेराव तथा वहाँ से प्याज की फसलों की लूट आदि। यहाँ से ही सविनय कानून भंग का सर्वप्रथम आरम्भ हुआ। लोगों के मन का डर खत्म हुआ जिसके निम्न परिणाम निकलेः–

- ❖ सरकार द्वारा चम्पारण कृषक जांच समिति की सभी अनुशंसाओं को मान लिया गया। और तिनकथिया प्रथा को समाप्त कर रैयतों से की गयी गैर कानूनी अतिरिक्त वसूली को लौटा देने का कानूनी अधिकार दिया गया।
- ❖ यह आन्दोलन कृषक समाज में राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने व उनमें एकत्व लाने में निर्णायक पहल साबित हुआ।
- ❖ सत्याग्रह के दौरान चम्पारण जिले में सघन रचनात्मक कार्यक्रम को भी गांधीजी ने गम्भीरता से जारी रखा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई आदि के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये गये।

इस आन्दोलन की सफलता से प्रसन्न गांधीजी ने माना कि "शुद्ध मन से सहन किया गया दुःख पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देता है। इस दुःख सहन की अथवा तपस्या की बहुत बड़ी ताकत है और यही सत्याग्रह का रहस्य है।[108] चम्पारण के सत्याग्रह का महत्व स्पष्ट करते हुए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने ग्रन्थ "चम्पारण में सत्याग्रह" में लिखा है कि "भारतीय स्वराज्य का बीज सचमुच चम्पारण में बोया गया है और वहाँ के गरीब, असहाय व पददलित, आसामियों ने यह स्वतंत्रता उन शिक्षित, अति सजग, और सम्पन्न प्लान्टरों के खिलाफ प्राप्त की है जो शक्तिशाली संरक्षण में रहते थे। सदियों से पददलित भारतीयों की स्वतंत्रता का यह पूर्व लक्षण है। वह स्वतंत्रता अब वे अपने इस संघर्ष के द्वारा प्राप्त करके रहेंगे।"[109] इससे यह स्पष्ट है कि चम्पारण की उपलब्धि कितनी मौलिक थी। लोगों के मन में महात्मा गांधीजी के प्रति

आदर भाव बढ़ा। लोगों ने उनको नेता के रूप में स्वीकार किया। उनकी सादगी, सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता आदि गुणों की वजह से उनका नेतृत्व स्वीकार किया गया। आम आदमी का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ और संचार माध्यमों ने भी उनका समर्थन किया।

➢ **अहमदाबाद सत्याग्रह –**

यह अभियान मिल मालिकों तथा मजदूरों से सम्बंधित था साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि यह महात्मा गांधी के आत्मीय सम्बन्धों वाले मित्रों से ही था। अहमदाबाद औद्योगिक नगर के रूप में पनप रहा था लेकिन मिल मालिकों को अक्सर श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें आकर्षित करने के लिए वे मजदूरी की ऊँची दर देते थे। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली। अधिकतर श्रमिक शहर छोड़कर गाँव जाने लगे। श्रमिकों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उन्हें "प्लेग बोनस" देने का निर्णय किया जो कि कभी–कभी साधारण मजदूरी का 75% होता था। महामारी समाप्त होने के पश्चात् यह भत्ता समाप्त करने का निर्णय लिया गया परन्तु श्रमिकों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे युद्ध के दौरान लगातार बढ़ी महंगाई का सामना करने की स्थिति में नही थे। मिल मालिकों ने 20% की वृद्धि देने की बात कही परन्तु मूल्य वृद्धि को देखते हुए श्रमिक 50% की वृद्धि माँग रहे थे। गुजरात सभा के सचिव "अम्बालाल साराभाई" व उनकी बहन "अनुसुईया साराभाई" से गांधीजी का व्यक्तिगत परिचय था। अनुसुईया साराभाई ने पत्र व्यवहार द्वारा गांधीजी को सूचित किया। काफी विचार विमर्श व जाँच पड़ताल के बाद गांधीजी ने इस समस्या में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया श्रमिक व मिल मालिक इस बात पर सहमत हो गए कि सम्पूर्ण समस्या को एक मध्यस्थता कराने वाले बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाए जिसमें 3 प्रतिनिधि मजूदरों के हों और 3 मिल मालिकों के। अंग्रेज कलेक्टर इस बोर्ड के अध्यक्ष होते थे।

गांधी इसमें एक श्रमिक प्रतिनिधि की भूमिका में थे परन्तु अचानक मिल मालिक बोर्ड से पीछे हट गए क्योंकि उनका मानना था कि श्रमिकों ने ऐसा कोई अधिकार गांधीजी को नहीं दिया है और ना ही श्रमिक इस बोर्ड के निर्णय को स्वीकार करेंगे। तब महात्मा गांधी ने सम्पूर्ण स्थिति का जायजा लेकर यह पता किया कि मिलों की आर्थिक स्थिति क्या है? और मजदूरी की दरें बम्बई में दी जा रही मजदूरी की दरों से कितनी भिन्न है? निष्कर्षतः उन्होंने यह निश्चय किया कि श्रमिकों को 50% के स्थान पर 35% बढ़ोतरी की मांग करनी चाहिए। यह निश्चित हो गया था कि सत्याग्रह किया जायेगा परन्तु श्रमिकों से शपथ लेने को कहा कि जब तक मजदूरी में 35% वृद्धि नहीं होती वे हड़ताल पर ही रहेगें और इस हड़ताल की निम्नलिखित शर्तें भी रखीं गयी[110]–

❖ कुछ भी हो, शांतिभंग नहीं करना है।

❖ जिन्हें काम पर जाने की इच्छा है, उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना है।

- ❖ किसी भी हालत में मजदूरों को भिक्षा में मिला अन्न नहीं खाना है।
- ❖ हड़ताल कितने भी दिनों तक चल सकती है, ऐसी परिस्थिति में उन्हें दृढ़ रहना है और स्वयं के पास पैसे खत्म होने पर अन्य कोई मजदूरी कर अन्न का प्रबंध करना है।

श्रमिकों ने इन शर्तो को मंजूर कर हड़ताल आरम्भ की तथा यह सुस्पष्ट किया कि माँगें पूरी नहीं होने तक वे काम पर नहीं जाएगें। समय समय पर गांधीजी द्वारा बैठक ली जाती थी और वे मजदूरों को अपने भाषण व लेखों द्वारा निरन्तर उत्साहित करते रहते थे। कुछ समय तक श्रमिक पूरे जोश के साथ हड़ताल पर अडिग रहे परन्तु फिर वे कमजोर पड़ने लगे तब गांधीजी ने उपवास करने का निर्णय लिया। तीन दिवसीय उपवास ने समझौते को सम्भव बनाया। पंच नियुक्त करने की शर्त स्वीकृत कर ली गई व हड़ताल समाप्त हुई। 12 मार्च 1917 को तालाबंदी हटाने की घोषणा भी कर दी गई। और 18 मार्च को मजदूरों के पक्ष में 35% की वृद्धि का निर्णय स्वीकार हो गया। 21 दिनों के इस सत्याग्रह आन्दोलन ने श्रमिकों में उत्साह का संचार किया।

इस प्रकार अहमदाबाद सत्याग्रह के निम्न परिणाम प्रस्तुत हुए –

- ❖ इस सत्याग्रह में मध्यस्थता द्वारा श्रमिकों की मांगों को मानकर श्रमिकों में सत्याग्रही सहयोग को बढ़ावा दिया।
- ❖ यह सत्याग्रह मिल कर्मियों को एकजुट करने व उनमें राजनीतिक व सामाजिक चेतना जाग्रत करने में सफल साबित हुए।
- ❖ गांधीजी के अनिश्चित कालीन उपवास ने न केवल मिल मालिकों की नैतिक चेतना को कुरेदा वरन् मिल कर्मियों के हृदय में भी उन्हें स्थापित कर दिया।
- ❖ यह अनशन 3 दिन चला। 21 दिनों बाद समझौता होने पर मजदूरों ने मिठाईयाँ बांटी।

अतः अहमदाबाद सत्याग्रह की कुछ विशेषताऐं भी नजर आती है कि यह सत्याग्रह गांधीजी के सगे सम्बन्धियों व मित्रों के विरूद्ध भी था और इससे गांधीजी ने इस सत्यता की पुष्टि कर दी थी कि अन्याय के विरूद्ध खड़े होने पर सत्याग्रह अपनों के खिलाफ भी किया जा सकता है। सत्याग्रहियों की गलतियों का प्रायश्चित गांधीजी द्वारा अनशन कर किया गया इससे उनकी नीतिमत्ता व कुशल बुद्धिमत्ता का परिचय प्राप्त होता है।

➢ खेड़ा सत्याग्रह –

इस सत्याग्रह का केन्द्रिय विषय था अच्छी फसल न होने के कारण खेड़ा के किसानों द्वारा सरकार से लगान मुल्तवी करने की मांग एवं सरकार द्वारा इस मांग को अस्वीकार किया जाना। खेड़ा अधिक उपजाऊ क्षेत्र था और यहाँ पर उगने वाली खाद्य फसलों, तंबाकू, और रूई को अहमदाबाद में एक सुलभ बाजार प्राप्त था। 1917 में अधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसल को नुकसान हुआ। इसी समय मिट्टी का तेल, लोहा, कपड़ों और नमक की कीमतों में

भी वृद्धि हुई जिसने की किसानों के जीवन स्तर को प्रभावित किया। वहां फसल 25% तथा उससे भी कम हुई थी। इसलिए वहाँ के किसानों ने उस वर्ष की लगान माफ की जाए, ऐसी माँग सरकार से की, परन्तु सरकार किसानों की मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि लगान कानून के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान मौजूद था कि यदि कुल उपज सामान्य उपज के मुकाबले केवल 25% हो तो पूरा लगान माफ किया जा सकता था। बंबई के दो वकीलों श्री वी. जे. पटेल और जी. के. पारख ने इस सम्बन्ध में छानबीन की। नतीजे में पता चला कि किसानों की माँग स्पष्ट व अल्प थी। इसके लिए ऐसे प्रयासों की आवश्यकता भी नहीं थी। चार आना फसल आई तो लगान माफ किया जाए ऐसा कानून तो था ही फिर भी सरकार किसान की माँगों को नजरअंदाज कर रही थी।

खेड़ा के कलक्टर ने यह निर्णय लिया कि लगान माफ करने की माँग का कोई औचित्य नहीं है। सरकारी धारणा यह बन गई थी कि किसानों को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा भड़काया जा रहा है। परन्तु सच्चाई यही थी कि यहाँ आन्दोलन की मांग तो वास्तव में मोहनलाल पांडे जैसे स्थानीय गाँव के नेताओं द्वारा उठाई गई थी। स्वयं गांधीजी इस समय गुजरात सभा से जुड़े हुए थे। खेड़ा किसानों की समस्या की काफी जांच पड़ताल के बाद इनकी मांगे सही है, यह महात्मा गांधी ने निर्णय किया और विचार व्यक्त किया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उपज का मूल्य सही रूप से नहीं लगाया और किसानों का यह वैध अधिकार है कि वे लगान न दें। इसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही थी। उन्होंने नाडियाद के आश्रम में मुकाम किया। वहाँ उन्होंने किसानों की ओर से प्रतिज्ञा पत्र लिखा, उस पर अपने हस्ताक्षर किये जो इस प्रकार थी –

"हमारे गाँव की फसल चार आने से भी कम हुई है, यह हमें मालूम है। इसके लिए आने वाले वर्ष तक लगान वसूली स्थगित करने की हमने सरकार को विनती की, तो भी वह बंद नहीं की गई। इसलिए हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सरकार का लगान इस वर्ष का पूरा या जो रहा हो वह भरेंगें ही नहीं। इस लगान को वसूल करने के लिए सरकार को जो कुछ कानूनन इलाज करना हो उसे हम करने देंगें तथा उससे होने वाला कष्ट सहन करेंगे। जमीन जब्त हुई तो भी कुछ नहीं कहेंगें परन्तु लगान भर कर हम शर्मिन्दा व झूठा साबित नहीं होंगें। सबलों द्वारा लगान भरे जाने पर गरीब डर जाएगें और दुःख में (वस्तुऐं बेचकर, उधार लेकर) आ जाएंगे। अतः गरीबों को बचाना सबलों का कर्त्तव्य है ऐसा हम मानते हैं।"[111] इसी प्रतिज्ञा के साथ खेड़ा सत्याग्रह आरम्भ हुआ।

इस अभियान में किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनके हृदय से सरकार का भय निकालने के लिए गांधीजी ने अनेक गाँवों का दौरा किया। लोगों का उत्साह बढ़ने लगा। उधर सरकार ने गम्भीर विरोध किया। जमींदारों ने किसानों के जानवर, घर, अनाज, फसलें,

आदि के जरिये उनका दोहरा शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। जिससे लोग भय युक्त हो गए। गांधीजी द्वारा उनमें पुनः उत्साह का संचार हुआ और उन्होंने 12 अप्रैल 1918 को ग्रामवासियों के समक्ष एक सभा का आयोजन किया। 2,337 किसानों ने यह शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। इस प्रकार लगातार संघर्ष करने पर इस सत्याग्रह का अंत हुआ। महात्मा गांधी ने मध्य का मार्ग निकाला क्योंकि उन्हें ये महसूस हो गया था कि किसान थकने लगे हैं। इसमें उन्होंने सरकार से समझौता कर यह आदेश निकलवाया कि लगान वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जानी चाहिए जो कि उसको दे सकते हैं और गरीब किसानों पर इसके लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इसे गांधीजी द्वारा लिखित रूप में लिया गया और इसी के साथ यह सत्याग्रह 6 जून 1918 को स्थगित करने का ऐलान भी गांधीजी ने कर दिया।

वास्तविक तौर पर देखा जाए तो इस आन्दोलन का सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रभाव नहीं था। खेड़ा के 559 गाँवों में से केवल 70 गाँवों में ही यह सफल रहा। यही कारण था कि गांधीजी ने थोड़ी रियायत मिलने पर ही सत्याग्रह वापस ले लिया था। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सत्याग्रह से गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में गांधीजी के सामाजिक आधार का विकास हुआ था। जैसी गांधीजी की भावना थी उसके अनुसार खेड़ा सत्याग्रह का अंत इतना समाधान कारक नहीं रहा परन्तु इसकी उपलब्धि बड़ी थी ऐसा उनका मानना था जो निम्नानुसार है –

- ❖ गुजरात के देहातियों की जाग्रति, राजकीय शिक्षा का प्रारम्भ हुआ।
- ❖ स्वयंसेवकों को अपने कार्यों के लिए उचित सम्मान मिला, उनकी त्याग शक्ति बढ़ी।
- ❖ गुजरात के जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह आया और लोगों को यह समझ में आने लगा कि अपनी स्वतंत्रता का आधार हम स्वयं होते हैं, त्याग शक्ति स्वयं के अन्दर ही होती है। इस प्रकार भविष्य में दुःख निवारण का राजमार्ग उन्हें मिला।
- ❖ लोगों को धर्म, नीति, कानून, सत्य व अहिंसा की शिक्षा मिली और सरकार द्वारा लोकमत को सम्मान देने की सीख मिली।
- ❖ लोगो ने सत्य, निर्भयता, एकता, दृढ़ता एवं स्वार्थत्याग की मिठास का परिचय प्राप्त किया और उस पर खरे उतरे।
- ❖ पूरे गुजरात के किसान समाज में अभूतपूर्व राजनीतिक व सामाजिक चेतना का प्रसार हुआ और उनमें आत्मविश्वास व आत्मसम्मान का संचार हुआ।
- ❖ जनता को यह अहसास हुआ कि उनके भी कुछ अधिकार हैं व एक जुट होकर वे उन अधिकारों को सार्थक व साकार कर सकते हैं।

इस प्रकार खेड़ा सत्याग्रह का अपना विशेष महत्व है। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी कार्यकर्ता को सत्याग्रह करते समय खेड़ा सत्याग्रह के बहाने व्यक्त किया हुआ उनका चिन्तन उपयुक्त व मार्ग–दर्शक रहेगा।

➢ रोलेट एक्ट सत्याग्रह –

इस क्रम में मूल बात यह थी कि सन् 1919 के अराजक अपराध कानून के खात्मे व उस जैसे अन्य "प्रस्तावित कार्यक्रमों के पारित होने पर रोक एवं इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए राजनैतिक जाग्रति में तेजी लाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। यह आन्दोलन भारत में कार्यरत अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध था। गांधीजी ने सन् 1917–18 में हुए देशव्यापी मुद्दों पर कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली थी। उन्होंने एनीबीसेंट की नजरबंदी का विरोध किया था और अली बंधुओं (मुहम्मद अली और शौकत अली) की जेल से रिहाई की माँग भी की थी। अली बंधु "खिलाफत" को लेकर गिरफ्तार किए गए थे। उस समय के अन्य राजनीतिक नेताओं की तरह ही गांधीजी ने सुधार प्रस्तावों में कोई विशेष रूचि नहीं ली थी लेकिन जब अंग्रेजी सरकार ने रौलट ऐक्ट को पारित करने का निर्णय लिया तो गांधीजी ने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का निर्णय लिया।

1917 में भारतीय सरकार ने जस्टिस सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों के कार्यो की जाँच पड़ताल करते हुए उनके दमन के लिए कानून का प्रावधान करना था। स्थिति का जायजा लेने के बाद रौलेट कमेटी के कानून में कई प्रकार के परिवर्तन किये जाने का सुझाव रखा इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय काउंसिल के सामने 6 फरवरी 1919 के दिन दो विधेयक प्रस्तुत किये। सरकार ने दावा किया कि षड्यंत्रकारी अपराधों को रोकने के लिए यह विधेयक केवल अस्थायी आधार पर अपनाए जा रहे हैं। वास्तव में ये विधेयक जो प्रतिबंध युद्ध के समय लगाए गए थे उन्हें स्थायी रूप देने के उद्देश्य से प्रभावित थे। इसके अन्तर्गत अपराधियों पर एक विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना था जिसके 3 सदस्य हाईकोर्ट के जज होने थे। इसके विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नही था और कोई कार्यवाही भी खुले तौर पर नहीं होती थी। किसी भी व्यक्ति को बिना वारेंट निकाले गिरफ्तार किया जा सकता था, तलाशी ली जा सकती थी, दो वर्ष तक बिना मुकदमा जेल में रखा जा सकता था।

भारतीय राष्ट्रवादियों की नजर में यह बिल उस गैर सरकारी और सरकारी जनमत को संतुष्ट करने के लिए लाए गये थे जिसने कि मोंटेग्यू सुधार प्रस्तावों का विरोध किया था। सम्पूर्ण भारत में इन बिलों की घोर निन्दा की गई। गांधीजी ने इसके विरोध में एक आन्दोलन शुरू कर दिया। उनके अनुसार जो शक्तियाँ सरकार को दी जा रही थी वे खतरे से खाली नहीं थीं और वायसराय को बहुत पहले से ही आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये दमनकारी बिल सभी सुधारों के प्रस्तावों को रद्द कर देते हैं। ऐसे में 24 फरवरी 1919 के दिन बम्बई में इन बिलों का विरोध करने के लिए गांधीजी ने एक सत्याग्रह सभा का संगठन किया जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करने का आह्वान किया। सत्याग्रह

आन्दोलन का प्रारम्भ करते हुए गांधीजी ने यह कहा था कि "मेरा यह पक्का विश्वास है कि हमें कष्ट सहकर ही अपनी मुक्ति प्राप्त होगी, न कि अंग्रेजों द्वारा किये गये सुधारों से। वह क्रूर शक्ति इस्तेमाल करते हैं जबकि हम आत्मा की शक्ति।"

इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में विरोध किये जाने के बाद भी सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटी तथा एक बिल पारित कर दिया जिसे वायसराय द्वारा स्वीकृति भी मिल गई। इसके लिए गांधीजी ने कहा कि सभी देशवासियों को हड़ताल करने को कहा जिसकी तिथि 30 मार्च रखी गई परन्तु बाद में बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई। भारत के सभी क्षेत्रों में यह सफल रही। दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल के दौरान पुलिस की गोली से 10 व्यक्ति मारे गये। अन्य जगहों पर 6 अप्रैल को हुई हड़ताल सफल रही। 7 अप्रैल को गांधीजी ने प्रतिबंधित साहित्य सम्बन्धी कानून व समाचार पत्रों के पंजीकरण सम्बन्धी कानूनों को न मानने को कहा। 4 किताबों को जो प्रतिबंधित थी जिनमें स्वयं गांधीजी की हिन्द स्वराज भी थी, बिक्री के लिए चुना गया। गाँधीजी 8 अप्रैल 1919 को मुम्बई से दिल्ली होते हुए पंजाब के लिए चल पड़े जो कि खतरनाक माना गया और उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर वापस बम्बई भेज दिया गया जिससे बम्बई, अहमदाबाद और वीरांदभ में भी हिंसा हुई। अहमदाबाद में तो सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया।

अमृतसर में डॉ. किचलू व डॉ. सत्यपाल को गिरफ्तार किये जाने पर वहां कि जनता हिंसा पर उतारू हो गई और गुस्साई जनता ने सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी और 5 अंग्रजों की हत्या कर दी। इस पर गांधीजी ने कहा कि "यदि मेरे सीने पर खंजर घोंप दिया जाता तो भी मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती, जितनी हिंसा की इस घटना से हुई है।"[112] अतः इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 3 दिन का उपवास किया। उसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम को लगभग 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियों की बौछार करवा दी जिसमें हजारों लोग मारे गये कई घायल हो गए जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के गोलियाँ चलवाई थी जिसका उद्देश्य जनता को मानसिक तौर पर भयभीत करना था। 13 अप्रैल की रात को ही पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इन सभी घटनाओं ने गांधीजी को क्षुब्ध किया और उन्होंने हिंसात्मक घटनाओं के चलते अपना सत्याग्रह वापस लेने का आह्वान कर दिया।

स्वयं गांधीजी ने स्वीकार किया कि यह आन्दोलन करके उन्होंने एक बड़ी भूल की है क्योंकि जनता अभी सत्याग्रह के लिए आवश्यक अनुशासन को नहीं समझ पाई है। अतः हम कहते हैं कि रोलट कानून के विरूद्ध किया गया सत्याग्रह किसी योजनाबद्ध तरीके पर आधारित नहीं था। अधिकांश क्षेत्रों में जनता ने अंग्रेजी शासन के विरूद्ध अपनी सामाजिक व आर्थिक शिकायतों के कारण स्वयं हिस्सा लिया था परन्तु फिर भी स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है

कि गांधीजी ने सभी वर्गों व समुदाय के लोगों को एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। यह आन्दोलन नगरों तक ही सीमित रहा ग्रामीण क्षेत्रों में यह न के बराबर था। गांधीजी का इस सन्दर्भ में कहना था कि "मैं अति उत्साह और बिना वजह अव्यवस्थित होने का समर्थक नहीं हूँ, ऐसा होने पर सत्याग्रह सत्याग्रह नहीं रह जाता बल्कि दुराग्रह से भी बुरा हो जाता है।[113] "इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि "भारत में जिस सत्याग्रह का समर्थन किया जा रहा है उसमें हिंसा और अभद्रता तथा दूषित साधनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सत्याग्रह के नाम पर इमारतों को जलाना, हथियार छीनना, पैसे छीनना, ट्रेनों को बंद करना, टेलीग्राम आदि के तार काटना, मासूम लोगों को मारना दुकानों व निजी घरों को नुकसान पहुँचाना उचित नहीं है। ऐसा करके क्या आप मुझे जेल जाने से बचा पाओगे और यदि ऐसा करके मुझे बचाया जा सकता है तो मैं इसे पसन्द नहीं करूँगा।"[114]

इस प्रकार यह आन्दोलन अभूतपूर्व जनचेतना का प्रसार करने में सफल साबित हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि गांधीजी की एक राष्ट्रीय नेता के रूप में छवि उभरकर सामने आई। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व में उनकी स्थिति सबसे ऊपर हो गई। अतः यह कहा जा सकता है कि गांधीजी को भारतीय राजनीति में आने के लिए रौलेट एक्ट ने मजबूर किया।

➢ अहिंसक असहयोग आन्दोलन । –

असहयोग सत्याग्रह का एक प्रमुख भाग है। इसकी प्राथमिक अवधारणा यह है कि अन्यायी शोषित का सहयोग मिलने पर ही अपने शोषण कार्य में सफल हो सकता है। 20 वीं सदी के दूसरे दशक का अंतिम वर्ष 1920 भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में मॉर्शल लॉ ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फैर दिया। जनता समझ गई थी कि अंग्रेजी हुकूमत सिवाय दमन के उसे और कुछ नहीं देगी।[115] सामान्यतया देखा जाए तो इस आन्दोलन के मुख्य कारण निम्न रहे –

❖ राष्ट्रवादियों ने सुस्त पड़े होमरूल लीग आन्दोलन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों, रोलेट एक्ट (1919), जलियांवाला बाग हत्याकांड (13/4/1919), पंजाब में मार्शल लॉ, हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जलियांवाला बाग कांड की लीपापौती, तुर्की के प्रश्न को लेकर चल रहे खिलाफत आन्दोलन, अंग्रेजी सरकार की ढुलमूल व दमनकारी नीति, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 द्वारा लागू की गई दोषपूर्ण दोहरी प्रणाली आदि कारणों के चलते गांधीजी के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन छेड़ने का निश्चय किया गया। खिलाफत कमेटी के नेता हिन्दु–मुस्लिम एकता के लिए बेहद उत्सुक थे। अतः तिलक व गांधीजी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं ने खिलाफत

आन्दोलन को हिन्दु मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुस्लिम जनमानस को राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ आकर्षित करने की दृष्टि से एक स्वर्णिम अवसर माना।[116]

❖ पंजाब के निर्दोष लोगों को सुरक्षा देने तथा उनकी ओर असभ्य व असैनिक हरकत करने वाले दोषियों को सजा देने में सरकार की आपराधिक नाकामी।

❖ भारत के लिए स्वराज्य की उपलब्धि।

इस आन्दोलन के दो प्रमुख पहलू थे जिनमें प्रथम रचनात्मक और दूसरा विध्वंसात्मक था। रचनात्मक कार्यो में स्वदेशी को प्रोत्साहन, असहयोग आन्दोलन के लिए तिलक कोष में एक करोड़ की राशि एकत्र करना, स्वयं सेवकों की एक विशाल संख्या भर्ती करना 20 लाख चरखों को बेरोजगारों को बंटवाना आदि सम्मिलित थे। वहीं दूसरी ओर विध्वंसात्मक कार्यक्रम तीन वस्तुओं के बहिष्कार से सम्बन्धित था जिनमें (1). अंग्रेजी विधान सभाओं का बहिष्कार (2) अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार (3) मदिरा निषेध

विधानसभाओं के बहिष्कार में असहयोग आन्दोलन असफल रहा। निर्वाचित विधानसभाऐं वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकी। सरकारी शिक्षा पद्धति का बहिष्कार भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देने सम्बन्धी बात भी असफल रही परन्तु सरकारी उपाधियों के प्रति आकर्षण कम हुआ। विदेशी कपड़ों व शराब के प्रयोग के बहिष्कार की नीति सफल रही। नवम्बर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन से भारत सरकार अत्यधिक प्रभावित हुई। अतः इस प्रकार बहिष्कार सविनय अवज्ञा, हड़ताल, उपवास, प्रार्थना, रचनात्मक कार्यक्रम आदि साधनों का प्रयोग कर गांधीजी ने यह सिद्ध कर दिया था कि जिसे व्यक्ति "असत्य" अवैध, अनैतिक या अहितकर समझता है उसके साथ सहयोग नहीं करता। गांधीजी इसे "स्वर्णिम अस्त्र देवास्त्र" कहते हैं। यदि असहयोग अन्तिम सीमा तक चला जाए तो सरकार या उक्त व्यक्ति व समाज का कार्य बिल्कुल ठप्प कर सकता है।[117]

इन सब परिस्थितियों का प्रभाव सरकार पर पड़ रहा था अतः उन्होंने कुछ सुविधाओं के बदले में असहयोग आन्दोलन को वापस लेने का प्रस्ताव रखा लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। अंग्रेजी सरकार ने अहिंसात्मक आन्दोलनकर्ताओं पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए परन्तु फिर भी लोग अडिग थे और आन्दोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रान्त के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर कांग्रेस और खिलाफत कमेटी द्वारा अनाज की बढ़ती हुई कीमतों व शराब की बिक्री के विरोध में जुलूस निकाला गया। कुछ पुलिसवालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया जिसके नतीजे में जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई जिससे भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने थाने को घेरकर आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए।

गांधीजी को इसकी खबर मिलने पर उनकी सहनशक्ति खत्म होने लगी क्योंकि वे आन्दोलन में किसी तरीके की भी हिंसात्मक कार्यवाही नहीं चाहते थे और उन्होंने बारदौली प्रस्ताव में इस आन्दोलन को स्थगित करने व किसानों से लगान व कर अदा करने की अपील की।[118] और इसी के साथ गांधीजी ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गांधीजी की आलोचना भी होने लगी जिसका लाभ उठाकर गांधीजी को 10 मार्च 1922 को बंदी बना लिया गया और राजद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा दे दी गई। यंग इण्डिया में गांधीजी ने अपनी सफाई में दो तर्क प्रस्तुत किये "एक तो उन्होंने अहिंसा में अपनी दृढ़ निष्ठा को भावपूर्ण ढंग से दोहराया और कहा कि आन्दोलन के हिंसक होने से बचने के लिए मैं हरेक अपमान, हरेक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार यहां तक मौत भी सहने को तैयार हूँ।" एक चौंकाने वाली अभ्यर्थना "मान लीजिए अहिंसक अवज्ञा आन्दोलन को ईश्वर सफल कर देता और भारत सरकार आन्दोलनकारियों के हाथ में सत्ता सौंप देती तो उच्छृंखल तत्वों को कौन नियंत्रित करता?[119]

अतः आन्दोलन वापस लेने के पीछे गांधीजी की मंशा आन्दोलन की ऊर्जा को बरकरार रखने व जनता को हतोत्साहित होने से बचाने की थी नहीं तो सरकारी दमन से जनता में ज्यादा निराशा व्याप्त हो जाती। इस आन्दोलन से हिन्दु मुस्लिम एकता की स्थापना हुई जो ब्रिटिश नौकरशाही दृष्टिकोण से गांधीजी द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध माना गया परन्तु फिर भी इससे सम्पूर्ण भारत में राजनीतिक चेतना का अभूतपूर्व सूत्रपात हुआ और विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ जनजागरण की अभिनव ठोस व सर्वांगीण शुरूआत हुई।

हांलाकि असहयोग आन्दोलन अपने घोषित लक्ष्यों जैसे खिलाफत के प्रति अंग्रेज नीति में परिवर्तन, पंजाब के हत्याकांड के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा उपचार, एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। विधानसभाओं, न्यायालयों और विद्यालयों का बहिष्कार भी उतना सफल नहीं हुआ। रक्षात्मक कार्यक्रम में चर्खे का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं किया गया परन्तु इस आन्दोलन को निष्फल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे लोगों में राष्ट्रप्रेम, देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना पहली बार प्रस्फुटित हुई और लोग ज्यादा से ज्यादा बलिदान व त्याग की भावना से सरोबार हो गए। कांग्रेस जन आंदोलन संचालित करने वाली संस्था बन गई और संघर्षशील हो गई। यह क्रांतिकारी परिवर्तन था जो महात्मा गांधी की ही देन थी।

➢ वायकोम सत्याग्रह –

इस आन्दोलन का प्रमुख कारण अछूतों द्वारा वायकोम शिव मन्दिर की ओर जाने वाली सड़क उपयोग पर मनाही और हिन्दुत्व को छुआछूत के धब्बों से मुक्ति दिलाना रहा। यह त्रावणकोर के रूढिवादी हिन्दु तथा महाराजा, दिवान तथा त्रावणकोर के विधान परिषद् के

सदस्यगणों के विरूद्ध रहा। उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव वायकोम त्रावणकोर रियासत का छोटा सा गांव था। जहां एक मशहूर मंदिर था जिसमें अस्पृश्यों का प्रवेश निषेध था यहां तक कि मंदिर के नजदीक से आने–जाने वाले रास्ते भी उनके लिए बंद कर दिये गये थे। तर्क यही था कि अस्पृश्यों के आने जाने से मंदिर का वातावरण दूषित हो जाएगा और यदि उनकी छाया भी भक्तगणों (उच्च कुल) पर पड़ी तो वे भ्रष्ट हो जाएगें ऐसा पुराण–वादियों का मानना था। अस्पृश्यों द्वारा वहां शांतिपूर्ण रूप से सत्याग्रह किया गया परन्तु कुछ ब्राह्मणों द्वारा उकसाए जाने पर कुछ लोगों ने वहां हिंसा कर शांति भंग करने का प्रयास किया। सरकार ने शांति बिगड़ ना जाए इसलिए प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू किया जिसमें कुछ सत्याग्रहियों को जेल जाना पड़ा।

इस प्रकार यह संघर्ष 2 साल तक चलता रहा। महात्मा गांधी का ध्यान इस ओर आने पर 9 मार्च 1925 को वे वायकोम गए जहाँ सत्याग्रह आश्रम था जिसमें 50 से ज्यादा स्वयंसेवक रहते थे। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अस्पृश्यों को मंदिर के आस पास का रास्ता खुला करना था। गांधीजी के हस्तक्षेप ने सम्पूर्ण भारत का ध्यान इस ओर खींचा। गांधीजी के प्रयासों में प्रथम बार उन्होंने नुम्बुद्री पंडितों का मन अपनी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने त्रावणकोर की रानी साहेबा तथा दीवान से भेंट की। ज्यादा कुछ नतीजा नहीं निकला क्योंकि सरकार पुराणमतवादियों के समर्थन में थी परन्तु सत्याग्रह जारी रहा। सत्याग्रहियों ने अपने क्रियाकलापों को शांतिपूर्ण निरन्तरता देते हुए सत्याग्रह किया। वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर जाकर खड़े हो जाते, धरना देते, सूत कताई करते रहते। यह क्रम चलता रहा अन्ततः सरकार की भूमिका बदली और मंदिर के तीनों ओर के दरवाजे खोल दिए गए, रास्ते खोल दिए गए और यह सत्याग्रह सफल हुआ।

इस प्रकार इस सत्याग्रह के बहाने पूरे देश का ध्यान अस्पृश्यता निवारण की ओर गया। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार व मन से विचरण की आजादी होनी चाहिए। यह हिन्दु धर्म की शुद्धिकरण का कार्य है जो अहिंसात्मक होना चाहिए। न ढलने वाली शांति व कमजोर न पड़ने वाला धीरज सत्याग्रह की ताकत है जिसे हर सत्याग्रही को ध्यान में रखना चाहिए। कई प्रकार की कुप्रथाऐं, दुराग्रह–पूर्वाग्रह दीर्घ समय से समाज में प्रचलित थे और वायकोम सत्याग्रह देश की अस्पृश्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफल सिद्ध हुआ। उसमें कार्यरत संयमी, प्रतिष्ठित व सच्चे सत्याग्रही अपनी दिशा में जनमत परिवर्तित करने में सफल हुए और इस प्रश्न पर प्रतिकूल रहने वाली सरकार पुनः अनुकूल बनी। स्वयं गांधीजी के अनुसार शुद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय व किसान भगवान की दृष्टि में महान व समान है, विकार तो स्वयं मनुष्य ने बनाए है।[120] हरिजनों का निरादर करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, यह केवल मलिन काम करने योग्य है, यह कहना भी पाप

है।[121] उनका उद्धार करना सबसे बड़ा धर्म है।[122] इस प्रकार इस सत्याग्रह से गांधीजी के छुआछूत सम्बन्धी विचारों की व्यापकता लोगों के सामने आई और एक बार फिर उन्होंने महात्मा व बापू की उपाधि को सार्थक किया।

➢ बारदौली सत्याग्रह –

यह सत्याग्रह 12 फरवरी 1928 – 4 अगस्त 1928 तक चला। इसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा मनमाने ढंग से भूमिकर निर्धारण में 22% की वृद्धि तथा बारदौली के किसानों द्वारा भूमिकर निर्धारण में पुनर्विचार व उसके स्थगन की मांग रही। यह कर विभाग बारडोली जिला पुलिस, बम्बई सरकार को केन्द्रित था। 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव में जमींदारों को यह आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस आन्दोलन का इरादा किसी भी प्रकार से उनके वैध अधिकारों का अतिक्रमण करना नहीं है। लेकिन चौरा चौरी की घटना से लगान की बात का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध तक नहीं था।[123] विपिनचंद्र के अनुसार "गांधीजी के आलोचकों ने उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं किया। एक दूरदराज के गाँव में हिंसात्मक वारदात आन्दोलन को वापस लेने का कारण नहीं हो सकती, यह तर्क वजनदार नहीं दिखता।" गांधीजी ने बार–बार कहा था कि "बारदौली में आन्दोलन नहीं होना चाहिए – अहिंसक भी नहीं।" विपिनचंद्र के अनुसार "गांधीजी सोचते थे कि इस समय देशव्यापी आन्दोलन छेड़ने से हिंसा भड़क उठने का खतरा है जैसा कि 1921 में बम्बई में और बाद में चौरी चौरा में हुआ था।

इस तरह की वारदातों से सरकार को पूरे देश में आन्दोलन के खिलाफ दमनात्मक कदम उठाने का बहाना मिलता।" गांधीजी के अनुसार "यदि दमनकारी सत्ता इस आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही करेगी तो उसका चरित्र बेनकाब हो जाएगा क्योंकि अहिंसक व निहत्थे लोगो पर हमले से पूरा जनमत उनके खिलाफ हो जाएगा।" बारदौली आन्दोलन को दबाने के लिए उन्हें चौरा–चौरी घटना का बहाना मिल जाता।[124] पूरे आन्दोलन के दौरान कांग्रेस ने कभी भी जमींदारों के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था अतः बारदौली प्रस्ताव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नीतियों की महज पुष्टि की थी। इस प्रकार अन्त में ब्रूम फील्ड जाँच समिति का गठन हुआ। समिति के प्रस्ताव के आधार पर बढ़ाए गए कर दर को 6.25% तक घटाया गया। हिन्दु मुस्लिम के मध्य सहयोग व संस्कृति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कृषक समुदाय में व्यापक जागरण हुआ। कर न देने का आन्दोलन असहयोग आन्दोलन का एक हिस्सा था, जो आन्दोलन के स्थगन के साथ ही समाप्त हो गया था।

➢ सविनय अवज्ञा आन्दोलन (नमक सत्याग्रह) –

महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ने का संकल्प घोषित किया तब कईयों के मन में उसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में सन्देह था। परन्तु महात्मा गांधीजी को पूरा विश्वास था कि

नमक का प्रयोग सभी करते हैं। नमक के कानून का परिणाम आम से आम लोगों के जीवन पर होता है। इसलिए नमक के सत्याग्रह में बहुत व्यापक मात्रा में जनसमुदाय सहभागी होगा और प्रत्यक्ष रूप से वैसे ही घटित हुआ। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में नव जाग्रति व नव प्रेरणा प्रज्जवलित की। इस सत्याग्रह की शुरूआत 12 मार्च 1930 को हुई जिसका प्रमुख कारण नमक पर सरकार को एकाधिकार देने व बे रोक टोक जब गरीब लोग शोषण का माध्यम बने तो नमक कानून को खत्म करने की मांग उठी और साथ ही भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग भी रही। गांधीजी ने 2 मार्च 1930 ई. को गवर्नर जनरल इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन माँगों का उल्लेख किया गया जो जनवरी 1930 में भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। ये मांगें निम्नलिखित थी[125]–

- शराब व्यापार बंद करना
- रूपए का पुनर्मूल्यन
- सेना और नौकरशाही पर किए जाने वाले खर्च में कमी,
- भू राजस्व में 50% कमी
- विदेशी कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध
- नमक कर को समाप्त करना
- भारतीय जहाजों के लिए समुद्र व्यापार की सुविधा
- सी. आई. डी. को समाप्त करना
- राजनीतिक बंदियों को जेल से छोड़ना
- भारतीयों को हथियार रखने की सुविधा

इस प्रकार गांधीजी ने ब्रिटिश प्रशासन से उपर्युक्त मांगों को पूरा करने में जरा–सी भी लापरवाही होने पर नमक कर कानून का उल्लंघन कर दांडी यात्रा करने की चेतावनी दे दी थी। यह भारत सरकार को केन्द्रित था। इसमें गांधीजी द्वारा कई साधनों का इस्तेमाल किया गया जिनमें विरोध बैठक, सार्वजनिक सभाएें, आत्मशुद्धि हेतु प्रार्थना, सांकेतिक शोभा यात्रा, समाचार पत्र, हड़ताल, राष्ट्रीय दिवस व सप्ताह, अहिंसक असहयोग व सविनय अवज्ञा, कर नहीं, बहिष्कार, घेराबन्दी, धरना, गिरफ्तारी, नमक उत्पादन व संग्रह केन्द्र पर अहिंसक धावा, विरोध स्वरूप त्यागपत्र, कब्जा, नमक के गोदामों पर धावा, रचनात्मक कार्यक्रम, सत्याग्रही सहयोग आदि प्रमुख हैं।

महात्मा गांधी द्वारा 1921 में प्रारम्भ किया गया असहयोग आन्दोलन चौरा चौरी काण्ड के फलस्वरूप स्थगित कर दिया गया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम विशाल जन आन्दोलन था जिसके परिणाम पर पहुँचने से पहले ही यह समाप्त हो गया। परन्तु एक बार

फिर सविनय अवज्ञा को अपना जन्मसिद्ध अधिकार स्वीकार करते हुए इसे सत्याग्रह का एक अन्य सक्रिय व गत्यात्मक रूप स्वीकार किया। यह आन्दोलन कुछ इस प्रकार शुरू हुआ कि सरकार ने 1923 में नमक के ऊपर कर दुगुना कर दिया जिससे आम आदमी परेशान हो गया अतः उन्होंने पहले नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। अहमदाबाद शहर से करीब 200 मील दूरी पर दांडी गांव जो समुद्र के किनारे पर बसा था, नमक कानून के लिए चुना गया। महात्मा गांधी सहित उनके कुछ 75 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारम्भ की जिसको सभी का समर्थन मिला। मार्ग में हजारों लोग सहभागी बने।

200 मील की पदयात्रा पूरी करने के बाद दांडी के समुद्र किनारे पर नमक का कानून तोड़ना तय हुआ। 6 अप्रैल को प्रातः गांधीजी ने समुद्र तट से नमक एकत्र किया और नमक कानून का उल्लंघन प्रारम्भ कर दिया। सभी ओर सभा, आंदोलन एवं प्रदर्शन हुए। हजारों सत्याग्रही तथा नेता जेल गए। लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, कुछ ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे दे दिये। लोग पुलिस व सेना से न डरते हुए सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। सम्पूर्ण देश में देशभक्ति का उफान आया जिससे सभी हैरत में पड़ गए। 5 मई 1930 को गांधीजी को कैद कर लिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने आरम्भ में इस आन्दोलन को तुच्छ समझा था परन्तु जैसे–जैसे इसका प्रभाव बढ़ता गया और सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ती गई, जिससे इरविन को इस आन्दोलन की गम्भीरता का आभास हो गया था।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी जून 1930 में प्रकाशित हुई। जिसमें डोमिनियन स्टेट प्रदान करने का कहीं वर्णन नहीं था। इससे भी इरविन को असंतोष हुआ। इरविन के सारे रास्ते बंद हो गए थे। इनके पास अब एक ही रास्ता बचा था, संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर तुरंत जोर देना तथा गोलमेज सम्मेलन बुलाकर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करना। इरविन ने भारत सचिव पर दबाव डालकर गोलमेज सम्मेलन की योजना को स्वीकार करवाया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को नजर अंदाज कर दिया लेकिन इरविन किसी भी प्रकार की आशापूर्ण घोषणा भारत सरकार से नहीं करवा पाया। जब इरविन ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कुचला जाना अब सम्भव नहीं होगा तो उसने गांधीजी से समझौता कर लिया जिसके अनुसार भारत के आगामी संविधान के विषय में संघीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। प्रशासन में भारतीय उत्तरदायित्व की स्थापना हुई परन्तु साथ ही अल्पसंख्यकों, प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों तथा भारतीय वित्तीय कुशलता के लिए कुछ विशिष्ट अधिकारों का अंग्रेजों के हाथ में रखना भी स्वीकार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा को स्थगित किया गया। सरकार की ओर से लोगों को निकटवर्ती क्षेत्रों में नमक बनाने की छूट दे दी गई।

इस समझौते से गांधीजी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनके अनुसार इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि पहली बार अंग्रेज सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ समानता के स्तर पर बातचीत की थी। वह इस समझौते को दोनों पक्षों की विजय कहते थे जबकि अन्य इससे इतने सहमत नहीं थे क्योंकि यह पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नही था। फिर भी इस सत्याग्रह के कुछ परिणाम सामने आए जो निम्नानुसार है –

- ❖ इस अभियान में हिन्द वासियों को एक विशिष्ट नैतिक विजय प्राप्त हुई जिसने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया तथा सत्याग्रह रूपी अस्त्र पर लोगों को भरोसा हुआ।
- ❖ युवा मुसलमान व हिन्दुओं में एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णुता पैदा हुई तथा उन्होंने यह अनुभव किया कि हिन्दु और मुसलमानों के बीच व्याप्त विरोध दोनों तरफ के चरमपंथियों के कारण है जो संख्या में कम है।
- ❖ हिन्दुस्तान के संविधान संशोधन सम्बन्धी अगली वार्ता में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।
- ❖ यद्यपि इस आन्दोलन से तात्कालिन एवं दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई, परन्तु सरकार ने नमक कानून में संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया और कुछ वर्ग के लोगों को घरेलू उपयोग तथा ग्राम स्तर पर बेचने के लिए नमक बनाने अथवा जमा करने की अनुमति दे दी।
- ❖ चूंकि नमक सभी के जीवन में प्रतिदिन उपयोग में आने वाली चीज होने से इस कानून भंग का महत्व देश में रहने वाले सामान्य से सामान्य आदमी के ध्यान में आया और एक संगठन का निर्माण हुआ जो एकता के सूत्र में बंधा था।

अतः स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने अनैतिक व अन्यायी कानून को ही तोड़ने की बात कही है क्योंकि उनके अनुसार अनैतिक कानून भंग करना नागरिकों का अधिकार व नैतिक कर्त्तव्य बनता है। वे कानून जो सरकार के गलत कार्यो को प्रोत्साहन दे उनका विरोध जनता द्वारा किया जाना गलत नहीं है। अतः कानून भंग सरकार या समाज की ओर से किए जाने वाले अत्याचार को नष्ट करने के लिए होता है। सविनय कानून भंग स्वतंत्रता एवं कानून में मेल निर्माण करने का काम करता है। इसका उद्देश्य न्याय प्रस्थापित करना, सरकार या लोगों को अत्याचारी बनने से रोकना होता है। आम से आम, शील सम्पन्न, न्याय–अन्याय में भेद करने वाला व्यक्ति जो निर्भय, संयमी, क्रोधमुक्त, अनुशासित, अहिंसक आचरण वाला हो कानून भंग कर सकता है। अतः आदर्श स्थिति में सविनय अवज्ञा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।[126] वास्तव में यह आन्दोलन बहुत उल्लेखनीय था क्योंकि इसमें सविनय अवज्ञा का उपयोग भी किया गया था।[127] अतः गांधीजी के शब्दों में "सत्याग्रही समाज के जिन कानूनों का सम्मान करेगा, वह सम्मान ऐसा मानकर करेगा कि सोच समझ कर, स्वेच्छा से, सम्मान करना उसका

धर्म है। जिसने इस प्रकार समाज के नियमों का विचारपूर्वक पालन किया है, उसी को समाज के नियमों में नीति अनीति का भेद करने की शक्ति प्राप्त होती है, और उसी को मर्यादित परिस्थितियों में अमुक नीतियों को तोड़ने का अधिकार प्राप्त होता है।[128]

➢ अहिंसक असहयोग आन्दोलन ॥ –

यह आन्दोलन 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934 तक चला। इसका प्रमुख कारण पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। सरकार ने 26 जनवरी 1931 को गांधी को गांधी इर्विन समझौते के लिए बिना शर्त रिहा कर दिया। गांधी–इर्विन वार्ता प्रारम्भ हुई। गांधीजी ने गोलमेज परिषद् में भाग लेना स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वे लन्दन में आयोजित गोलमेज परिषद् में शामिल हुए परन्तु ब्रिटिश रवैये में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया अतः गांधीजी ने पुनः 31 दिसम्बर 1931 को सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। 14 जनवरी 1932 को बम्बई में गांधीजी तथा सरदार पटेल को 1818 के रेग्यूलेशन 3 के अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी द्वारा यरवदा जेल में मेकडॉनल्ड के साम्प्रदायिक पंचाट, जिसमें हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक करने के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था के विरोध में 20 सितम्बर 1932 को आमरण अनशन प्रारम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने का निर्णय किया। 1933 में उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण उपवास, हरिजन उपवास, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि किये और लगातार सविनय कानून भंग का कार्य करते रहे जिसमें उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1934 में अस्पृश्यता विरोधी कार्य किये और राजनीति से सन्यास लेकर ग्रामोद्योग के विकास, हरिजन संघ व बुनियादी शिक्षा के लिए कार्य करने की घोषणा की।

इस प्रकार इस आन्दोलन में भी गांधीजी ने बहिष्कार, असहयोग, घेराबंदी, प्रतिबंधित बैठक, सांकेतिक मोर्चों का आयोजन आदि साधनों का प्रयोग किया परन्तु परिणामतः सरकार के द्वारा आन्दोलन को अभूतपूर्व व्यापक व बेलगाम तरीके से दबाने कुचलने व खत्म करने की मुहिम की वजह से यह आन्दोलन पूर्ण स्वराज्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया तथा इसे अन्ततः छोड़ देना पड़ा परन्तु इससे सम्पूर्ण देश में अभूतपूर्व जनजागरण का प्रसार हुआ। यद्यपि सत्याग्रह के शस्त्रगार में असहयोग एक मुख्य शस्त्र है, तथापि यह नही भूलना चाहिए कि आखिर तो वह सत्य और न्याय की रक्षा करते हुए विरोधी का सहयोग पाने का केवल एक साधन ही होता है। अहिंसा की कला का सार यही है कि वह वैर खत्म करना चाहती है, न कि खुद वैरियों को। अहिंसात्मक संघर्ष में कुछ हद तक आपको उस प्रणाली की परम्पराओं और तरीकों से बंधकर चलना होता है जिससे आपको लड़ना है। इसलिए विरोधी ताकत से किसी भी तरह का सम्पर्क न रखना कभी भी सत्याग्रही का उद्देश्य नहीं हो सकता, बल्कि उसका उद्देश्य उस सम्पर्क को नया रूप देना और शुद्धि बनाना है।[129]

➢ भारत छोड़ो आन्दोलन –

यह आन्दोलन 9 अगस्त 1942 से 21 जून 1945 तक चला। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन की तुरन्त समाप्ति की भारतीय मांग तथा पूर्ण स्वराज की उपलब्धि रहा। यह स्पष्ट होता है कि 1942 तक आते – आते महात्मा गांधी और उग्र प्रदर्शन के समर्थक हो गए थे और उनका मन्तव्य यही था कि अंग्रेज तुरन्त भारत छोड़ दे इसी में उनकी भलाई है। दूसरी तरफ भारतीयों को भी पूर्ण तैयारी रखने के लिए गांधीजी ने सचेत किया और करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि 9 अगस्त से यह आन्दोलन प्रारम्भ किया जाएगा परन्तु सरकार को भनक लगते ही सुबह सवेरे ही बड़े – बड़े नेताओ को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी जितनी मजबूती से आन्दोलन चला उससे यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजो का भारत में अधिक समय तक रहना सम्भव नहीं है। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया गया कि भारत की स्वतंत्रता न्यायपूर्ण है। इसके लिए उन्होनें कानूनी और गैरकानूनी दोनों ही तरीके अपनाए परन्तु उन्होनें अनैतिक व झूठे तरीको का प्रयोग नही किया। उनका हर कार्य अहिसांत्मक था। 24 मई 1942 को उन्होनें लिखा था "अंग्रेजो, तुम चले जाओ। भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ दो, होने दो अराजकता, डकैतियां और गृहयुद्ध। जो आज झूठा भारत हम देख रहे हैं उसके स्थान पर इन सबसे एक सच्चा भारत जन्म लेगा। "

14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने मांग की कि "भारत में अंग्रेजी राज्य तुरन्त समाप्त होना आवश्यक है और यह केवल भारत के हित में नहीं अपितु इससे संसार की सुरक्षा होगी और संसार में नाजीभावना, उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद तथा अन्य प्रकार के साम्राज्यवाद और अन्य देशों का दूसरे देशों पर अधिकार समाप्त होने में सहायता मिलेगी।" इस प्रकार भारत छोड़ो आन्दोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम महान जन संघर्ष था। क्रिप्स योजना का विफल होना और जापान की बढ़ती हुई सफलता तथा बर्मा व मलेशिया से भागे हुए भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, युद्ध के कारण बहुत सी आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध न होना और मूल्यों में वृद्धि से अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। तब गांधीजी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि यदि अंग्रेज भारत से अपना नियंत्रण हटा लेते हैं तो भारतीय जनता विदेशियों का सामना करने के लिए हर प्रकार से तैयार है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पार कर दिया और कहा कि यदि अंग्रेजों ने अपना शासन समाप्त नहीं किया तो अंहिसात्मक असहयोग को जारी रखा जाएगा जो कि गांधीजी के नेतृत्व में किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वंय का नेता की भावना रखी गई। गवर्नर जनरल लिनलिथगो ने बैठक खत्म होते ही सभी

कांग्रेस प्रतिनिधियों को जेल में बंद कर दिया। पूरे भारत में बात फैलने से विभिन्न क्षेत्रों में जनता ने शांत हड़ताल व जुलूस निकाले परन्तु सरकार ने उन पर भी प्रहार किया।

विश्व के इतिहास में स्वतंत्रता का कोई भी आन्दोलन इतना अहिसांत्मक नहीं था। इस आन्दोलन की कोई स्पष्ट रुपरेखा बनाए बिना, यह एक स्वतः स्फूर्त जन आन्दोलन था। अंग्रेज सरकार ने इसका सारा दोष गांधीजी को देते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पूना के आगाखाँ महल में कैद कर कर लिया। वहाँ कैद के दौरान ही उन्होंने 21 दिन का अनशन रखा। इतने लम्बे समय तक कारावास के दौरान वायसराय से पत्रव्यवहार करते रहे, और आजादी के लिए लड़ रहे सत्याग्रहियों का मार्गदर्शन भी करते रहे। 6 मई 1944 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रचनात्मक कार्यों को सुदृढ़ बनाने व साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने के लिए गांधीजी देश के विभिन्न भागों का दौरा करते रहे। इस प्रकार इस आन्दोलन के निम्न परिणाम हुए –

❖ स्वतंत्रता संघर्ष अब केवल कुछ संस्थानों व दलों तक ही सीमित नहीं रहा। सम्पूर्ण भारत में एक साथ आन्दोलन की लहर फैल गई।

❖ सामान्य से लेकर प्रबुद्ध वर्ग तक सभी स्वतत्रंता के लिए जीवन बलिदान के लिए तैयार हो गए।

❖ इस आन्दोलन ने अंग्रेजी युद्ध प्रयत्नों को काफी सीमा तक प्रभावित किया, पूर्व भारत में यातायात के साधनों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया।

❖ महत्वपूर्ण तथ्य यही था कि बर्मा के मोर्चे पर अंग्रेजी सेना की हार में 1942 के आन्दोलन का बहुत बड़ा हाथ रहा।

यह आन्दोलन सफल तो नहीं रहा परन्तु इसने भारत की स्वतंत्रता को बहुत नजदीक ला दिया था। चूँकि अंग्रेज सरकार ताकतवर तो थी ही दमनकारी व अत्याचारी भी थी जिनके सामने भारत की जनता असहाय सी ही लगती थी परन्तु सत्याग्रह ने अब उनके अन्दर एक नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया था जहां से उनके कदम वापस नहीं जा सकते थे। इस सन्दर्भ में मनोबल को स्पष्ट करते हुए गांधीजी ने लिखा है कि –

शरीर बल का उपयोग करना, गोला बारूद काम में लाना सत्याग्रह के कानून में बाधा पहुँचाने वाले हैं। शरीर बल के उपयोग का अर्थ तो यह हुआ कि जो कुछ हमें पसन्द है, सो हम दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। यदि यह बात सही है तो विपक्षी भी अपनी रूचि का काम करने का अधिकारी है। इस तरह तो हम कभी अपने गन्तव्य तक नहीं पहुँच सकेंगे। कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बंधी रहने के कारण हम यह भले ही मान लें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, परन्तु वास्तविकता तो यही है कि हम उस बैल की तरह, उस वर्तुल

की प्रदक्षिणा ही करते है। जो ऐसा मानते है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून उसे पसन्द न आए, उस पर चलने के लिए बंधा हुआ नहीं है, उनके लिए सत्याग्रह ही एकमात्र सच्चा साधन है। अन्यथा नतीजा बड़ा विकट होगा।"[130]

इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में महात्मा गांधी द्वारा कई आन्दोलन किये गये जिनमें कुछ बड़े आन्दोलनों का वर्णन ऊपरलिखित है साथ ही कुछ आन्दोलन छोटे–छोटे भी हैं जो भी हमारे शोध कार्य की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

➢ **हिंसा विरोधी उपवास** –

(I) 14 अप्रैल 1919 – 16 अप्रैल 1919

इसका प्रमुख कारण अराजकता वादियों द्वारा नाडियाद में ट्रेन को पटरी से उतारना रहा। यह अराजकतावादी और अहमदाबाद के मिल श्रमिकों पर केन्द्रित था। इसमें सत्याग्रहियों ने थोड़ा हिंसा का सहारा लिया और रेलगाड़ी को पटरी से उतारने के कारण यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ा। इसमें उन्होंने उग्रता का सहारा लिया इसलिए गांधीजी ने इसके विरूद्ध उपवास किया जिसके परिणामस्वरूप अहमदाबाद में स्थिति सामान्य हुई। 14 अप्रैल को सरकार ने सैनिक घोषणा वापस ले ली।

(II) 19 नवम्बर 1921 – 22 नवम्बर 1921

कारण – प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के खिलाफ अराजकतावादियों द्वारा विरोध।

केन्द्रित – अराजकतावादी तत्व।

प्रयुक्त साधन – 3 दिन का उपवास

परिणाम – शांति की पुर्नस्थापना जिसके फलस्वरूप गांधीजी ने हिन्दु मुस्लिम तथा पारसियों के बीच अपना उपवास तोड़ा।

(III) 12 फरवरी 1922 – 17 फरवरी 1922

कारण – चौरा चौरी में हिंसा

केन्द्रित – अराजकतावादियों द्वारा प्रयुक्त तौर तरीके।

प्रयुक्त साधन – 5 दिन का उपवास

परिणाम – दंगों का फैलाव तेजी से कम हुआ।

- **हिन्दु मुस्लिम एकता उपवास**

(I) 18 सितम्बर 1924 – 8 अक्टूबर 1924

कारण – दिल्ली, गुलबर्गा, कोहट तथा लखनऊ के हिन्दु–मुस्लिम दंगे।

केन्द्रित – साम्प्रदायिक तत्व

प्रयुक्त साधन – 21 दिन का उपवास

परिणाम – दंगे तेजी से रूके, दिल्ली के एकता सभा में एक प्रस्ताव पारित कर साम्प्रदायिकता से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय पंचायत बोर्ड का गठन किया गया।

(II) 1 सितम्बर 1947 – 4 सितम्बर 1947

कारण – कलकत्ता और पंजाब में हिन्दु मुस्लिम दंगें

केन्द्रित – साम्प्रदायिक तत्व विशेषकर उक्त हिन्दु व मुस्लिम।

साधन – दौरे में पदयात्रा व 3 दिन का उपवास

परिणाम – उपवास ने लोगों को ठीक दिशा में उद्वेलित करने में थोड़ी सफलता प्राप्त की। दंगों की तीव्रता, प्रसार व बारम्बारता में तेजी से कमी आई।

(III) 13 जनवरी 1948 – 18 जनवरी 1948 तक

कारण – दिल्ली में हिन्दु मुस्लिम दंगें।

केन्द्रित – साम्प्रदायिक तत्व विशेषकर हिन्दु उग्र तत्व

साधन – 5 दिन का उपवास

परिणाम – हिन्दु व मुस्लिम प्रतिनिधियों ने एक साझे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसमें शांति स्थापना के लिए गांधीजी को आश्वस्त किया गया और दंगों में तेजी से कमी आई।

- **पश्चाताप उपवास** – 24 नवम्बर 1923 – 30 नवम्बर 1923

कारण – साबरमती आश्रम के कुछ आश्रमवासियों का नैतिक पतन

केन्द्रित – दोषी आश्रमवासी

प्रयुक्त साधन – आत्मशुद्धि हेतु प्रार्थना, 7 दिन का उपवास।

परिणाम – युवाओं को नैतिकता का अभ्यास कराने तथा उन्हें आत्मदर्शन के लिए प्रेरित करने में गांधीजी सफल हुए।

- **नील मूर्ति सत्याग्रह** – 1 सितम्बर 1927 – 13 अक्टूबर 1927

कारण – 1857 के विद्रोह के दौरान बर्बरतापूर्वक विद्रोह का दमन करने वाले नील नामक ब्रिटिश जनरल की प्रतिमा को हटाने की जनमांग।

केन्द्रित – मद्रास सरकार।

प्रयुक्त साधन – सुलह, विरोध बैठक, समाचार पत्र, गिरफ्तारियां।

परिणाम – जन उत्साह में कमी के कारण गांधीजी ने सत्याग्रह को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और अन्ततः 1937 में कांग्रेस मंत्रिमण्डल उस प्रतिमा को हटवाने में सफल हुए।

- **कर्नाटक सत्याग्रह** – मार्च 1931 – मई 1931

कारण – फसलों के खराब होने के कारण कर्नाटक के सिरसी, सिद्धपुर तथा हिरकेरू तालुका के किसानों द्वारा भूमिकर वसूली के स्थगन की मांग तथा स्थगन से सरकार का साफ इन्कार।

केन्द्रित – वहां की स्थानीय सरकार

प्रयुक्त साधन – विरोध बैठक, सुलह, कर नहीं अभियान, गिरफ्तारी देना, शांतिपूर्ण घेराबन्दी

परिणाम – निर्धारित भूमिकर देने में असमर्थ लोगों को भूमिकर के भुगतान से राहत दी गई।

- **छुआछूत विरोधी उपवास**

(I) 20 सितम्बर 1932 – 26 सितम्बर 1932

कारण – दलित वर्ग को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाले मेकडॉनल्ड अवार्ड (साम्प्रदायिक पंचाट) के खिलाफ विरोध जताना।

केन्द्रित – साम्राज्यवादी तथा भारतीय सरकार

प्रयुक्त साधन – सुलह, आत्मशुद्धि हेतु प्रार्थना, अल्टीमेटम, छः दिन का उपवास

परिणाम – 24 सितम्बर 1932 को गांधीजी व अंग्रेज अधिकारियों के मध्य पूर्ण समझौते पर सहमति हुई तथा 26 सितम्बर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मेकडॉनल्ड अवार्ड के विकल्प स्वरूप यर्वदा समझौते पर सहमति की घोषणा की। गांधीजी द्वारा किया गया उपवास सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जनचेतना जाग्रत करने में उल्लेखनीय रूप से सफल हुआ।

(II) 3 दिसम्बर 1932 –

कारण – अप्पा साहिब पटवर्धन के प्रति सहानुभूति जिन्होंने रत्नागिरी जैल में मैला कचरा उठाने का कार्य करने को कहा लेकिन अधिकारियों ने इस बात से साफ–साफ इन्कार कर दिया।

केन्द्रित – भारत सरकार

प्रयुक्त साधन – सुलह, आत्मशुद्धि हेतु प्रार्थना, अल्टीमेटम, एक दिन का उपवास

परिणाम – अपने विरोधियों के खिलाफ नैतिक बल का सफलतापूर्वक प्रयोग करने में गांधीजी सफल रहे।

(III) 8 मई 1933 – 29 मई 1933

कारण – छुआछूत का उन्मूलन

केन्द्रित – स्वर्ण हिन्दु

प्रयुक्त साधन – भारत सरकार के साथ सुलह, आत्मशुद्धि हेतु प्रार्थना, 21 दिन का उपवास।

परिणाम – उपवास छुआछूत के पोषक व भुगतभोगी दोनों वर्गो के हृदय को छुने में सफल रहा तथा उन्हें आत्म मंथन के लिए स्पन्दित किया। उपवास को देखते हुए उन्हें 8 मई 1933 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया।

(IV) 16 अगस्त 1933 – 23 अगस्त 1933

कारण – बम्बई सरकार द्वारा गांधीजी को जेल के भीतर से हरिजन कार्य करने की अनुमति देने से इन्कार

केन्द्रित – भारत सरकार के कर्ता धर्ता

प्रयुक्त साधन – 7 दिन का उपवास

परिणाम – उनकी स्थिति की गम्भीरता के कारण उन्हें 23 अगस्त को बिना शर्त रिहा कर दिया गया।

(V) 7 अगस्त 1934 – 14 अगस्त 1934

कारण – एक युवा कांग्रेसी के द्वारा की गई हिंसा जिसने स्वामी लालनाथ के सिर पर प्रहार किया था।

केन्द्रित – युवा कांग्रेस सदस्य

प्रयुक्त साधन – 7 दिन का उपवास

परिणाम – इससे उन्हें इस बात का पूर्ण रूप से अहसास हुआ कि छुआछूत का खात्मा केवल शुद्ध हृदय से ही सम्भव है।

➢ **राजकोट सत्याग्रह** – 3 मार्च 1939 – 17 मई 1939

कारण – राजकोट के शासक द्वारा जनता के साथ हुए समझौते का उल्लंघन तथा विभिन्न अध्यादेशों द्वारा सत्याग्रही गतिविधियों पर बलपूर्वक नियंत्रण की कोशिश तथा देशी राज्यों में प्रतिनिधि–मूलक सरकार की जनता की मांग।

केन्द्रित – राजकोट के अंग्रेज शासक

प्रयुक्त साधन – लोक जांच के माध्यम से स्थिति का जायजा, सुलह, विरोध बैठक, आत्मशुद्धि हेतु प्रार्थना, सात दिन का उपवास, समाचार पत्र, सत्याग्रही सहयोग।

परिणाम – अपने तात्कालीन लक्ष्य को पाने में गांधीजी असफल रहे। गांधीजी को बहुत बातें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा विशेषकर ग्वायर अवार्ड जो उन्हें मिला था।

वायसराय के हस्तक्षेप की उनकी कोशिश से राजकोट ठाकोर तथा दरबार श्री किरबाला को नाराज करने की अपनी अनचाही गलती का उन्हें अहसास हुआ।

➢ **व्यक्तिगत सत्याग्रह** – 17 अक्टूबर 1940 – 4 दिसम्बर 1941

कारण – सरकार के द्वितीय प्रयासों के दौरान असहयोग का प्रचार प्रसार करने की भारतीयों की मांग। भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की उपलब्धि।

केन्द्रित – भारत सरकार

परिणाम – सत्याग्रहियों ने सफलतापूर्वक सकारात्मक असहयोग का प्रचार प्रसार करने में सफलता प्राप्त की तथा उन्होंने खुशी–खुशी अपनी गिरफ्तारी दे दी। 1941 के अन्त तक आते–आते जन उत्साह थोड़ा ठण्डा पड़ गया परिणामस्वरूप आन्दोलन को रोक देना पड़ा। चूँकि यह सामूहिक सत्याग्रह न होकर एक व्यक्तिगत सत्याग्रह था जिसके लिए एक शुद्ध सत्याग्रही के तौर पर गांधीजी ने सर्वप्रथम विनोबा भावे को चुना था। इस सन्दर्भ में गांधीजी का कहना था कि –

सत्याग्रहियों को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि उनमें से एक भी शुद्ध होगा तो उनका यज्ञ फल देने के लिए पर्याप्त होगा। पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है। असत् अर्थात असत्य का अर्थ है "नहीं है" और सत् याने सत्य का अर्थ है "है"। जब असत् का अस्तित्व ही नहीं है तब वह सफल कैसे हो सकता है ? और जो सत् है उसका नाश कौन कर सकता है ? इसी में सत्याग्रह का समूचा शास्त्र आ जाता है।[131]

इस प्रकार सामुहिक, व्यक्तिगत व अन्य प्रकार के गांधीजी द्वारा स्वचालित सत्याग्रह आन्दोलन का वर्गीकरण करें तो राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, सामुहिक व व्यक्तिगत सत्याग्रह, पश्चाताप व हिंसा विरोधी उपवास पर आधारित मुद्दे और कुछ अन्य मुद्दे आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है जो निम्नानुसार है –

(I) सामुहिक आन्दोलन –

❖ राष्ट्रीय मुद्दों पर

- दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह
- रोलेट एक्ट सत्याग्रह
- अहिंसक असहयोग आन्दोलन
- नमक सत्याग्रह
- अहिंसक असहयोग आन्दोलन
- भारत छोड़ो आन्दोलन

❖ **स्थानीय मुद्दों पर** –

- चम्पारण सत्याग्रह
- खेड़ा सत्याग्रह
- अहमदाबाद सत्याग्रह
- राजकोट सत्याग्रह

(II) **व्यक्तिगत सत्याग्रह**

- हिन्दु मुस्लिम एकता उपवास I
- छुआछूत विरोधी उपवास I
- छुआछूत विरोधी उपवास II
- छुआछूत विरोधी उपवास III
- व्यक्तिगत सत्याग्रह
- हिन्दु मुस्लिम एकता उपवास II
- हिन्दु मुस्लिम एकता उपवास III

(III) कुछ अन्य उपवास –

- पश्चातापपूर्ण उपवास I
- पश्चातापपूर्ण उपवास II
- हिंसा विरोधी उपवास I
- हिंसा विरोधी उपवास II
- हिंसा विरोधी उपवास III
- पश्चातापपूर्ण उपवास
- हिंसा विरोधी उपवास

(IV) सत्याग्रही तरीकों से थोड़े अलग किस्म के सत्याग्रह

- विरमगांव प्रश्न
- बंधुआ अप्रवासन प्रश्न

(V) गांधीजी द्वारा समर्थित आन्दोलन (started by others supported by Gandhiji)

- वायकोम सत्याग्रह
- नील मूर्ति सत्याग्रह

- बारडोली सत्याग्रह
- कर्नाटक सत्याग्रह

अतः स्पष्ट है कि भारत और भारत से बाहर (दक्षिण अफ्रीका) सत्याग्रह और उससे जुड़े हुए दूसरे आन्दोलनों के कारण महात्मा गांधी एक सुप्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए और अनेक लोगों के लिए अनेक तरह से प्रेरणा स्त्रोत का काम करने लगे। विश्व में नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर जो रूझान था वह और तीव्र हो गया।[132] गांधीजी एक नैतिक आन्दोलनकारी और अहिंसक साधनों का उपयोग करने वालों के रूप में भी उभर कर आए।[133] पार्थ चटर्जी ने इस सम्बन्ध में कहा कि महात्मा गांधी इस आन्दोलन के कारण प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुँचे।[134] यह भी स्वीकार किया कि गांधीजी और अम्बेडकर के आन्दोलनों से राष्ट्रीय आन्दोलन तो पुख्ता हुआ साथ ही दलितों में भी उत्साह का संचार हुआ तथा जो स्वतंत्रता आन्दोलन चल रहे थे और विभाजन की खबरे फैली थी उसमें भी तीव्रता आई।[135]

परिणाम यही निकलने लगा कि सभी गांधीजी की शैली के समर्थक बनने लगे। इस तरह निरन्तर सर्वोच्च समर्पण के आधार पर गांधीजी ने जो स्थिति हासिल की उसके आधार पर ही अन्त में उनको "Father of the Nation" स्वीकार किया गया। उल्लेखनीय है कि गांधीजी से प्रेरित होकर केवल पुरूष ही नहीं महिलाऐं भी सत्याग्रह आन्दोलन में निरन्तर हिस्सा लेने लगी उनका उत्साह यहां तक बड़ा किया कि यदि नैतिकता और सत्य के नियमों के अनुकूल हमारे घर वाले भी कार्य ना करें तो हम उनके विरूद्ध भी सत्याग्रह कर सकते हैं।[136] धीरे–धीरे स्थिति यह होती गई कि गांधीजी का समर्थन करना व अनुसरण करना हर भारतीय अपना कर्त्तव्य समझने लगा।[137]

चूँकि कोई भी आन्दोलन जब अपना रास्ता लेकर आगे बढ़ता है और उसमें कहीं बाधा और कहीं सफलता आती है तो प्रायः इस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि इस आन्दोलन से हमें क्या मिला ? इसी क्रम में डॅा. H.N. व्यास एवं B.L. आर्य ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया या इस प्रश्न का उत्तर देने की हमने कोशिश की है कि गांधीजी द्वारा कार्यान्वित सत्याग्रह से हमें क्या मिला इस ख्याल से कि इस तरह सोचने वालों की समझ में यह बात आ जाए, हम संघर्ष के नतीजे दे रहे है। वे क्रमशः निम्नलिखित है[138] –

- भारतीय समाज की शपथ पूरी हुई। कहावत है, जिसकी नाक बची उसका सब–कुछ बच गया।
- खूनी कायदा रद्द किया गया।
- सारे भारत में भारतीयों की तकलीफों के प्रति लोगों की दृष्टि गई।

- ❖ सारे संसार को भारतीयों के संघर्ष के बारे में मालूम हो गया और सबने भारत के साहस की प्रशंसा की।
- ❖ नेटाल में गिरमिटिया मजदूरों के प्रवास पर प्रतिबन्ध लगाने वाला कानून बना।
- ❖ नेटाल के परवाना कानून में उपयोगी संशोधन हुआ—इस संशोधन का एक कारण सत्याग्रह का संघर्ष था।
- ❖ रोडेशिया में ट्रान्सवाल—जैसा ही कानून बन गया था, वह अस्वीकृत कर दिया गया।
- ❖ नेटाल में एक बहुत खराब परवाना कानून बन चुका था, वह भी अस्वीकृत किया गया। इस अस्वीकृति का कारण भी यह संघर्ष था।
- ❖ सारे दक्षिण अफ्रीका में ट्रान्सवाल जैसे कानून का बनाया जाना रूक गया व ट्रान्सवाल में अन्य बेहूदे कानून नहीं बन पाये।
- ❖ ट्रान्सवाल में जो रेलवे विनियम खास तौर पर काले और गोरे का भेद रखकर बनाये गये थे, वे रद्द किये गये और उनकी जगह सब पर लागू हो सकने वाला कानून बना।
- ❖ सभी जानते है कि 1907 में जो खूनी कानून बना था, वह भारतीय विरोधी कानून के निर्माण की दिशा में प्रथम चरण था। उसी के खिलाफ भारतीयों ने डटकर लोहा लिया और स्थानीय सरकार के मन की मन में रह गई।
- ❖ श्री हॉस्केन की अध्यक्षता में जो यूरोपीय समिति बनी, वह भी अन्यथा सम्भव नहीं थी। मुमकिन है, इस समिति से भारतीय लोगों को दूसरी बातों में भी मदद मिली।
- ❖ इसके सिवा, अनेक गोरों की सहानुभूति, और प्रीति प्राप्त हुई।
- ❖ भारतीय समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी है और जो पहले भारतीयों का तिरस्कार करते थे, वे अब इन्हें सम्मान देने लगे है।
- ❖ सरकार समझ गई है कि भारतीयों को अजेय बल प्राप्त हुआ है।
- ❖ भारतीय समाज कायरता छोड़कर बहादुर हो गया है और जो बकरी की तरह मिमियाने में भी डरते थे, वे अब दहाड़ने लगे है।
- ❖ स्त्रीयों का भी आन्दोलन में पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।
- ❖ भारतीय समाज जेल से बहुत डरता था। वह भय अब बहुत हद तक चला गया है।
- ❖ यद्यपि कई सज्जनों को पैसे की क्षति हुई है, तथापि वे यह जानते है कि उनमें एक प्रकार का जोश और बल आ गया है। यह संघर्ष के अनुभव के बगैर लाखों रूपया खर्च करके भी सम्भव नहीं था।

- ❖ इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही भारतीय समाज जान पाया है कि भारतीय समाज में अनेक वीर–पुरूष और स्त्रियाँ मौजूद है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है और वे सत्याग्रही तौर तरीकों द्वारा विजय प्राप्त कर सकते है।
- ❖ भारतीय समाज पर धोखाधड़ी करने का जो आरोप था, वह धुल गया।
- ❖ पहले भारतीयों के खिलाफ कानून बनाते समय सरकार सोच समझ कर कोई कार्य नहीं किया करती थी। अब वह विचारपूर्वक कानून बनाती है। इतना हीं नहीं, बल्कि उसे अभी यह भी सोचना पड़ता है कि भारतीयों की प्रतिक्रिया उस विषय में क्या होगी।
- ❖ समाज ने सिद्ध कर दिया है कि सत्य में कितनी शक्ति है।
- ❖ समाज ने ईश्वर पर विश्वास रखकर, धर्म का महत्व संसार पर प्रकट कर दिया है। जहाँ सत्य और धर्म है, वहीं विजय है। यदि हम और भी गहराई से विचार करें, तो सम्भव है कि हमें अनेक सुपरिणाम दिखाई पड़े, किन्तु हमने जो अन्तिम परिणाम सूचित किया है, वह सर्वोपरि है। ईश्वर पर विश्वास रखे बिना इतना महान् संघर्ष लड़ सकना कदापि संभव नहीं था। हमारा सच्चा आधार तो केवल वही था। यदि हमने इस संघर्ष के द्वारा उसी पर अधिक निर्भर रहना सीख लिया हो, तो इतना काफी है, क्योंकि और सब बातें तो इसके पीछे चली आयेंगी।
- ❖ सत्याग्रह द्वारा एक महान् जनक्रांति का आह्वान हुआ जिसने एक नवीन जनजागरण को पैदा किया जिसमें दबे कुचले लोगों द्वारा आवाज उठायी गई और अन्ततः सत्य, अहिंसा, प्रेम द्वारा सत्याग्रह कार्य किया गया। निष्कर्षतः एक सम्पूर्ण सत्याग्रही सहयोग प्रदान करने के लिए जनमानस तैयार हो चुका था। सत्याग्रह कोई बड़ा शब्द नहीं है। सत्य पर आरूढ़ रहना ही सत्याग्रह है। धर्म में अन्य बहुत–सी बातें भले ही हों, किन्तु सत्य के बिना धर्म होता ही नहीं। यदि हम उस सत्य को समझ लें तो उसका पालन सुगमता से किया जा सकता है।
- ❖ गांधीजी ने लोगों द्वारा समय–समय पर होने वाली सत्याग्रही गलतियों के उत्तर में अनेकों बार आत्मपीड़न सहन कर लोगों को सत्याग्रह के असली शुद्ध अर्थ को स्पष्ट किया जिससे लोग और अधिक जागरूक व समर्पित हुए।
- ❖ 1930 में गांधीजी द्वारा किये गए नमक सत्याग्रह के भाग के रूप में दांडी यात्रा का 2005 में बहुचर्चित पुनः क्रियान्वयन सम्भवतः समकालीन भारत में राजनीतिक गतिशीलता के लिए गांधीजी की अपनाई तकनीकों की प्रासंगिकता को सुझाता है।
- ❖ चम्पारण, खेड़ा व अहमदाबाद में उनके सत्याग्रह व उनकी राजनीतिक रणनीति ने कांग्रेस में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उसके प्रभाव क्षेत्र को गांवों तक पहुँचा दिया। इन तीन आन्दोलनों ने गांधी को ऐसे उभरते नेता के रूप में प्रस्तुत किया जिसकी

लोगों को सक्रिय करने की भिन्न पद्धति थी। इन तीनों आन्दोलनों में जो बात समान थी, वह यह तथ्य था – (अ) उन्हें स्थानीय मुद्दों के लिए प्रारम्भ किया गया (ब) लोगों को सक्रिय करने में स्थानीय नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

❖ चम्पारण, खेड़ा, अहमदाबाद में जन आन्दोलन में शामिल होकर गांधी ने प्रतिरोध की प्राचीन पद्धति के साथ ही सभी प्रकार के हिंसक विरोध के लिए औपनिवेशिक सेन्सर, को स्वीकार करके भारत में विरोध करने के लिए एक नई भाषा गढ़ी। दो परस्पर पूरक प्रतिक्रियाऐं काम करती दिखाई दी – एक स्तर पर स्थानीय बस्तियों के लोगों को प्रतिरोध आन्दोलन में सक्रिय करने के लिए स्थानीय मुद्दों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, दूसरी ओर, महत्वपूर्ण क्षणों में गांधी की उपस्थिति से आन्दोलन, सम्भवतः जो स्थानीय आयोजकों में बढ़ती निराशा के कारण अपनी गति खो बैठे थे, को चलाते रहने में सहायता मिली।

महात्मा गांधी के बाद भी अहिंसक आन्दोलन, सत्याग्रह, बातचीत द्वारा समझौता, मध्यस्थता व अनेक तौर तरीके चलते रहे। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, आम्टे, मेघा पाटकर आदि अन्य युवा संघर्षशील कार्यकर्ताओं में सत्याग्रह सदा अभिव्यक्त होता रहा है और गांधीवादी प्रतिनिधि अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रही मुहिम छेड़ी हुई है एवं अभी भी नित नए रूप में और अधिक सुदृढ़ता से इस दिशा में निरन्तर प्रयास देखे जा सकते है। गांधीजी ने भारत की सनातनी परम्परा "परोपकार ही धर्म है" व "परपीड़न ही पाप है" को "अहिंसा परमोधर्म" से संयुक्त करके ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया जो मतभेद युद्ध और विवाद की स्थिति में अपनाना सदा ही श्रेयस्कर है। सत्याग्रह के माध्यम से मतभेद निवारण के अनेक तरीके सुझाए गए है जैसे – बातचीत, मध्यस्थता, समझौता, अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग, पंचनिर्णय, अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा न्यायिक सुलह और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग है परन्तु इनमें भी अन्ततः शांति से सत्य को स्वीकार करने की अपील ही महत्वपूर्ण है।

अध्याय सारांश – प्रस्तुत अध्याय के सन्दर्भ में सारांश स्वरूप यह कहा जा सकता है कि गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलनों के बारे में जो कुछ भी अभिव्यक्त किया गया है उससे यही साबित होता है कि वे यथार्थवादी व आदर्शवादी थे और उनके क्रियाकलाप सत्य, अहिंसा, धर्म, सद्भावना, प्रेम आदि की दिशा में कार्य करते थे अतः सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों को दूर करने का उनका अपना अलग विकल्प रहा। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका व भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से यह सिद्ध कर दिया कि अन्याय व अत्याचार का स्थायी तथा न्याय संगत विरोध केवल शांतिपूर्ण सत्याग्रह के रास्ते से ही संभव है। एक ऐसे रास्ते पर चलकर जिसमें न तो असत्य, हिंसा, अन्याय, भेदभाव, वैमनस्य तथा ढोंग सार्वजनिक दिखावे अथवा स्वार्थ सिद्ध का कोई स्थान होता है और

न ही विरोधी के प्रति घृणा व द्वेष का। सत्याग्रही अपनी इस मान्यता पर दृढ़ रहता है कि उसके विरोधी अथवा विपक्षी को भी उसी सत्य रूपी परमात्मा ने जन्म दिया, उसमें भी उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विराजता है, उसमें भी तर्क करने तथा आत्मसंयम की क्षमता है तथा इन सबके आधार पर उसे दुनिया में जीने का अधिकार है। इसलिए सत्याग्रही अपने विरोधी के अन्यायपूर्ण धारणा, अभिव्यक्ति तथा कार्य से घृणा करता है, अपने विरोधी से नहीं। उसके असत्य, हिंसा, अन्याय, विद्वेष का उत्तर तो वह सत्य, अहिंसा, न्याय व उसके प्रति अघात प्रेम से देता है। उसे अपनी आत्मा व तर्क का अनुसरण करने को प्रेरित करता है तथा सदा सत्य रूपी परमात्मा जो आत्मा के रूप में हम सब में वास करता है, से ही प्रार्थना करता है कि वह उसे तथा उसके विरोधी दोनों को सम्मति प्रदान करे जिससे सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय का वातावरण बने, यही वह गांधीवादी रास्ता है जो स्थायी समाधान की ओर अग्रसर कर सकता है।

इस प्रकार सत्याग्रह अन्याय के प्रतिकार और विश्व में व्याप्त समस्याओं को हल करने का साधन है। अतः कहा जा सकता है कि गांधीजी का सत्याग्रह एक जीवनशैली, एक जीवनदर्शन है। यह जीवनशैली एक नवीन दिशा की ओर संकेत करती है अथवा मनुष्य के जीवन की समस्याओं के लिए अलग ही समाधान प्रस्तुत करती है। उस विकल्प के अनुसार गांधीजी द्वारा किए गए प्रयास व आन्दोलन जिनका अनुसरण करते–करते उनके अनुयायियों ने गांधीवाद का निर्माण कर दिया परन्तु स्वयं गांधीजी ने स्पष्ट किया कि "मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपने विचारों व स्थिति के अनुसार कार्य करता हूँ ना कि किसी वाद के आधार पर। अतः मैं अपने पीछे गांधीवाद नाम जैसी कोई चीज (सिद्धान्त) नहीं छोड़ रहा और ना ही इसके पीछे कोई ऐसा सम्प्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ।" सत्याग्रह उनका ऐसा हथियार था जिसमें यह स्वीकार कर लिया गया था कि छल कपट व धोखाधड़ी के बिना भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। गांधीजी के अनुसार केवल सत्य ही नित्य व वास्तविक है। यह वह साधना है जो मानव का अन्तिम लक्ष्य है। सत्याग्रह में अत्याचारी के आगे ना तो आत्मसमर्पण किया जाता है और ना ही उसकी बातों को माना जाता है और यदि अत्याचारी को यह विश्वास हो गया कि सत्याग्रही नहीं झुकेगें तो उसे अपना मत बदलना पड़ेगा। उसके हृदय पर एक प्रभाव पड़ेगा। इससे मानव की प्रसुप्त भावना जाग्रत होगी और उसका हृदय परिवर्तन होगा। उसे लोकमत के कारण भी मजबूर होना पड़ेगा। अतः आत्मबल का पशुबल से संघर्ष होने पर आत्मबल की ही विजय होती है। अतः महात्मा गांधी का सत्याग्रह राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सफलता प्राप्त करता रहा, प्रसिद्धी प्राप्त करता रहा।

गांधीजी ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरूद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया अपितु भारत की प्राचीन परम्पराओं के नाम पर शोषक सामाजिक संरचनाओं, रीति रिवाजों, मानकों व मूल्यों के

विरूद्ध भी संघर्ष किया। इसलिए गांधी के विचार न शुद्ध रूप से राजनीतिक है और न ही पूर्ण रूप से सामाजिक, बल्कि इन दोनों का जटिल मिश्रण है जो गांधीजी के उद्देश्य की अवधारणाजन्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। भारत को विश्व भातृत्व व विश्व सेवा का एक प्रमुख आधार दिया। एक तरफ उन्होनें क्षेत्रीयता को समाप्त किया दूसरी तरफ "वसुदैव कुटुम्बकम्" को प्राथमिकता दी। कहा जा सकता है कि गांधीजी के विचार व क्रियाऐं विश्व के लिए एक महान् संदेश है एवं विश्व की अधिकांश समस्याऐं इन्ही विकल्पों के माध्यम से समाधित हो सकती है। आज के आण्विक युग में शस्त्रीकरण की होड़ समाप्त कर सत्य, प्रेम व अहिंसा के सिद्धान्तों को अपनाकर युद्ध की विभिषिका से बचा जा सकता है। आज मानव के दुःखों को दूर करने की एकमात्र रामबाण औषधि गांधीजी के विचार ही है अतः हमें कामना करनी चाहिए कि उनके कार्य व विचार सदैव हमें प्रेरित करते रहे और हम सफल होते रहें।

इस प्रकार गांधीजी ने भारत को ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व को अन्याय के प्रतिरोध के लिए एक नैतिक व मूल्यवान साधन प्रदान किया। जन–चेतना जागृत करने, जनता को निर्भय बनाने, पहल करने की क्षमता प्रदान करने, अनुशासित करने, आत्मपीड़न के लिए साहस प्रदान करने में सफल व सार्थक भूमिका निभाई है। यही कारण है कि इसमें आस्था न रखने वाले इसके विरोधियों के लिए भी यह प्रशंसा का पात्र है। दलित, पीड़ित, दमित मानवता के हाथ में यह विरोध का एक शक्तिशाली नैतिक शस्त्र है, जो देशकाल की सीमाओं से परे है। जिसके लिए किसी प्रकार की विदेशी सहायता या सामग्री की आवश्यकता नहीं है और जिसका प्रयोग व्यक्तिगत या विश्वव्यापी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है जो राजनीतिक क्षेत्र में गांधी की मानवता का अनूठा उपहार है। हम यह कह सकते हैं कि हम सत्याग्रह को स्वीकार करें या अस्वीकार, जब तक मानव–समाज में अनुचित नीतियों के प्रति विरोध रहेगा, तब तक सत्याग्रह का महत्व समाप्त नहीं हो सकता।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. कुंभार नागोराव; डॉ. नानासाहेब गोरे; सत्याग्रह महात्मा गांधी का दृष्टिकोण; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर 2011; पृ. 8
2. Achhikhobar.com. Sep. 24-2014; By Gopal Mishra
3. डॉ. कुंभार नागोराव; डॉ. नानासाहेब गोरे; सत्याग्रह महात्मा गांधी का दृष्टिकोण; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर 2011; पृ. 83
4. डॉ. कुंभार नागोराव; डॉ. नानासाहेब गोरे; सत्याग्रह महात्मा गांधी का दृष्टिकोण; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर 2011; पृ. 84
5. डॉ. मिश्रा एम.के.; डॉ. दाधीच कमल; गाँधी और सत्याग्रह; अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस; नई दिल्ली; पृ. 6–7
6. दास वर्षा एवं सहकर्मी; राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय; सत्याग्रह की कहानी तस्वीरों में; राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय राजघाट; नई दिल्ली 2007; पृ. 32
7. वही; पृ. 33
8. गांधी एम.के.; माई एक्सपेरीमेन्ट विद ट्रूथ; नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस; अहमदाबाद; 1927; पृ. 118
9. चतुर्वेदी मधुकर श्याम; भारतीय राजनीति; कॉलेज बुक हाऊस; जयपुर 1994
10. वर्मा श्री राम; भारतीय राजनीतिक विचारक; कॉलेज बुक हाऊस; जयपुर 2008; पृ. 441
11. डॉ. कुंभार नागोराव; डॉ. नानासाहेब गोरे; सत्याग्रह महात्मा गांधी का दृष्टिकोण; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर 2011; पृ. 62–63
12. डॉ. कुंभार नागोराव; डॉ. नानासाहेब गोरे; सत्याग्रह महात्मा गांधी का दृष्टिकोण; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर 2011; पृ. 69–70
13. सम्पूर्ण गांधी वांग्ड्मय; खण्ड 29; पृ. 17
14. डॉ. प्रसाद राजेन्द्र; चम्पारण में सत्याग्रह; प्रभात प्रकाशन; 1 जनवरी 2017; पृ. 49
15. डॉ. कुंभार नागोराव; डॉ. नानासाहेब गोरे; सत्याग्रह महात्मा गांधी का दृष्टिकोण; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर 2011; पृ. 75
16. डॉ. कुंभार नागोराव; डॉ. नानासाहेब गोरे; सत्याग्रह महात्मा गांधी का दृष्टिकोण; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर 2011; पृ. 71–72
17. डॉ. व्यास एच.एन.; डॉ. आर्य बी.एल.; सत्याग्रह का दर्शन; ग्रन्थ विकास; 2016; पृ. 140–141
18. यंग इण्डिया; 12–12–1921; पृ. 33
19. Speeches and Wrilings of Mahatma Gandhi; Pg. 470

20. डॉ. रावत राजेश; डॉ. चतुर्वेदी सतीश; डॉ. शर्मा अशोक; गांधी चिन्तन में सत्याग्रह; पोइन्टर पब्लिकेशन्स; जयपुर 2013; पृ. 85
21. रामगोपाल; भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक इतिहास; मीनाक्षी प्रकाशन; मेरठ 1910; पृ. 131
22. नाटाणी प्रकाश नारायण; आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक; पोइन्टर पब्लिकेशन्स; जयपुर 2007; पृ.154–155
23. चंद्र विपिन; भारत का स्वतंत्रता संघर्ष; हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय; नई दिल्ली; 1998; पृ. 140–141
24. गांधी मोहनदास करमचंद; यंग इण्डिया; 16 फरवरी 1922
25. शूद्रों व ब्राह्मणों वापि क्षत्रियों वा कृषीवलः।
देवदृष्ट्या समाः सर्वे विकृतिस्तु नरोद्भव।।
(सत्याग्रह गीता, 2–19) रचयित्री लब्ध प्रतिष्ठ दक्षिणात्य विदुषी पण्डिता क्षमाराव; पूना; 1932 में लिखा गया।
26. अतोऽत्यजनानवज्ञातुं नाधिकरोऽस्ति कस्यचित्।
अभी मलिनकर्मार्हा इत्युक्तिर्नर्नु किल्विषम्।।
(सत्याग्रह गीता, 2/21)
27. अतस्तेषां समुद्धारो धर्मो गुरूतमो हि नः।
तदेव साधनं सम्यग् देशस्योद्धारसिद्धये।।
(सत्याग्रह गीता, 2/22)
28. दत्त रजनीपाम; इण्डिया टुडे; कलकत्ता; 1970; पृ. 290
29. चंदू विपिन; भारत का स्वतंत्रता संग्राम; हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय; नई दिल्ली; 1998, पृ. 141
30. डॉ. यादव D.S.; गांधी दर्शन : विविध आयाम; आस्था प्रकाशन; जयपुर ; 2012; पृ. 82
31. महात्मा गांधी; यंग इण्डिया; 5 जनवरी 1922
32. मिश्र अनिल दत्त; गांधी एक अध्ययन; पियर्सन; दिल्ली 2012; पृ. 269
33. महात्मा गांधी; सम्पूर्ण गांधी वांग्डमय; खण्ड 69; पृ. 354
34. महात्मा गांधी; सम्पूर्ण गांधी वांग्डमय; खण्ड 69; पृ. 45
35. सम्पूर्ण गांधी वांग्डमय; खण्ड 10; पृ. 49
36. सम्पूर्ण गांधी वांग्डमय; खण्ड 29; पृ. 214
37. Hardimen devid; Gandhi in his time and ours permanent black; New Delhi 2007; P.No. 1

38. Johama Mcgeary; Mohandas Gandhi; Time Magzine; 31 Dec. 1999; Pg. 95

39. Chatterjee Parth; Nationalist thought and the colonial world; A derivative discourse Zed books; London; 1986; Pg. 131, 66

40. Gailomvedt; Dalit and The Democratic Revolution; Dr. Ambedker and The Dalit Movement in Colonial India; Sage Publications; New Delhi; 1994; Pg. 226

41. Letter to Esther Tearing; 11 June 1997; CWMG; Collecting Works of Mahatma Gandhi Volume 15; Pg. 436

42. All India Cow Protection Sabha में अभिव्यक्त विचार; 15 March 1925; CWMG; Vol. 30; Pg. 428, 30

43. व्यास एच.एन. व आर्य बी.एल., सत्याग्रह का दर्शन, ग्रन्थ विकास, राजापार्क, जयपुर, पृ. 156–160

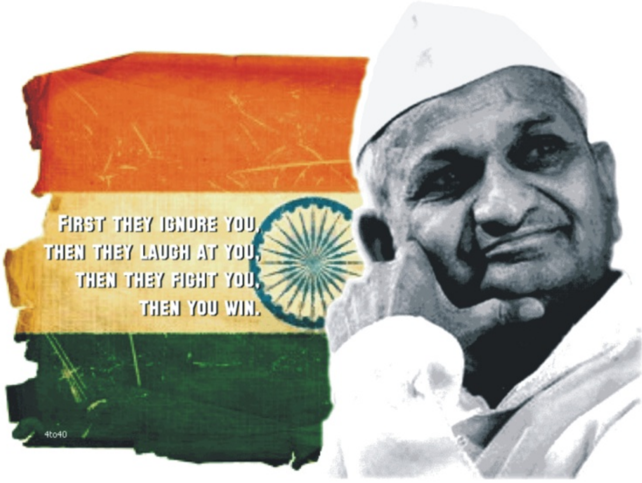

चतुर्थ अध्याय

21 वीं शताब्दी में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन :– कारण, जनसमर्थन एवं सीमायें

चतुर्थ अध्याय

"21 वीं शताब्दी में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन : कारण : जनसमर्थन व सीमाऐं

प्रस्तुत अध्याय हमारे शोध का चतुर्थ अध्याय है जिसका शीर्षक है – "21वीं शताब्दी में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन : कारण, समर्थन व सीमाऐं।" यह अध्याय मुख्यतः अन्ना हजारे के द्वारा किये गये आन्दोलनों से सरोकार रखता है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध समाज सेवी किशन बाबूराव हजारे जिन्हें लोग प्यार से अन्ना हजारे कहते हैं, जिन्होंने गांधीजी के सत्याग्रह का अवलम्बन कर ही स्वच्छ व पारदर्शक प्रशासन व भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए सूचना के अधिकार व लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना जैसे गम्भीर समस्याओं के प्रति सशक्त आन्दोलनात्मक आवह्‌ान कर सम्पूर्ण देश की जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। इन्हें इन प्रयासों के लिए कई पदों से नवाजा गया है। साफ सुथरी छवि वाले अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। जिन्होंने लोकपाल विधेयक लाने के लिए आमरण अनशन को प्रमुख रूप से अपनी सत्याग्रही तकनीक बनाया और सरकार को अपनी मांगें मनवाने को विवश किया। अन्ना हजारे का जीवन त्याग और बलिदान की एक अविस्मरणीय गाथा है। समाज व देश के प्रति उनके समर्पण भाव से हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिली है। इनके त्याग व बलिदान और सच्चे समर्पण के संघर्ष ने आज की नौजवान पीढ़ी को भ्रष्टाचार के खिलाफ उद्वेलित करने का पावन कार्य किया और उनकी सोई हुई चेतना को जाग्रत कर नवीनता की ओर कदम बढ़ाने को प्रेरित किया।

चूँकि हमारा अध्याय अन्ना हजारे के द्वारा किये गए आन्दोलनों से सम्बद्ध है और यह इसी दिशा की ओर अग्रसर है। 15 जून 1938 को जन्मे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का बचपन अत्यन्त गरीबी व मजबूरियों में निकला। इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमद नगर के भिंगर कस्बे में मजदूर के घर में हुआ। पिता मजदूर व दादाजी फौज में थे। दादा की मृत्यु के बाद पुरखों की भूमि रालेगण सिद्धी में होने से गाँव छोड़कर सभी रालेगण आ गए। अन्ना के पिता बड़ी कठिनाई से अपना व परिवार का गुजारा कर पाते थे। अन्ना हजारे चूँकि घर में बड़े थे, अतः उन पर जिम्मेदारी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान न देकर केवल 7 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ काम करने की सोची। प्रारम्भ में उन्होंने अपने भाईयों के साथ मिलकर फूल बेचने का कार्य किया। कठोर परिस्थितियाँ और पूरे परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी अन्ना की ही थी। अपनी कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्हें 1962 में चीन–भारत युद्ध में फौज में ड्राइवर की नौकरी का उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ। 1965 में भारत पर पाकिस्तान का हमला हुआ। उस समय पाकिस्तान ने भारतीय अड्डे

पर हवाई हमला कर दिया और उस हमले में अन्ना के कई साथी शहीद हो गए, किस्मत से अन्ना बाल–बाल बचे क्योंकि एक गोली उनका सर छूकर निकल गई थी। बस यही क्षण उनके जीवन की दिशा परिवर्तित करने वाला क्षण रहा, जहां वे अपने जीवन का अर्थ तलाशने लगे, कि जीना तो किसके लिए, क्यों जीना, जीवन का मकसद क्या है ? जीवन का अन्तिम ध्येय क्या होना चाहिए ? और उन्होंने अपने आपको अन्धकार में पाया।

चूंकि उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था और इन्होंने फौज की नौकरी के दौरान ही स्वामी विवेकानन्द व महात्मा गांधी के कई साहित्य पढ़ दिये थे। इसी दौरान उन्होंने एक दिन स्टेशन पर स्वामी विवेकानन्द की पुस्तकें "शक्तिदायी किताब", "आत्मतत्व", "कर्मयोग", "जीवन का धागा" आदि पढ़ी। इनको पढ़कर इन्हें एक नयी रोशनी प्राप्त हुई, नया जीवन दर्शन इन्हें मिला, जिसने इन्हें एक नया जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की। अन्ना महात्मा गांधी के सत्याग्रह से भी प्रेरित हुए, अतः इन्होंने आदर्श रूप में महात्मा गांधी को अपने जीवन में आत्मसात करने की ठानी और उनकी पद्धति सत्याग्रह द्वारा देश व समाज की सेवा को अपना अन्तिम लक्ष्य स्वीकार किया। इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि "मैं 25 वर्ष का एक युवक था। जीवन क्या है? क्यों सभी लोग इतनी भाग दौड़ करते हैं ? व्यक्ति क्या लेकर आता है ? और क्या लेकर (अपने साथ) जाता है ? आता भी खाली हाथ, जाता भी खाली हाथ ? इस प्रकार के अनेक विचार मेरे मन में आते जाते रहते थे। तभी स्वामी विवेकानन्द की कुछ पुस्तकें आत्मतत्व, कर्मयोग आदि पढ़ने से जीवन का अर्थ समझ में आ गया कि जीवन देश व समाज की सेवा के लिए मिला है।"[139] अन्ना हजारे ने विवेकानन्द की पुस्तक पढ़ने के अपने अनुभवों में कहा कि "स्वामी विवेकानन्द की पुस्तक ने मुझे समझाया कि जीवन सेवा के लिए है, सेवा में आनन्द है, सेवा में ही जीवन की सफलता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भाग दौड़ है, वह केवल आनन्द प्राप्ति के लिए है और उस आनन्द को प्राप्त करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वह अंदर ही मिलेगा, सेवा द्वारा।

इस प्रकार अपना अन्तिम ध्येय देश व समाज के लिए मर मिटना स्वीकार किया। निःस्वार्थ भाव से कर्म कर, सेवा भाव को सम्पूर्ण आत्मा से स्वीकार कर आगे बढ़ने की सोची। अब कोई प्रश्न नहीं था। अपने जीवन काल में 16 बार अनशन किया और स्वीकार किया कि "आगे भी जब–जब जनता पर अन्याय होता है, देश कमजोर होता है तब–तब मैं आन्दोलन करता रहूँगा।" अतः उन्होंने महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा स्त्रोत बनाया। उनके हर कार्य में गांधीजी की झलक देखने को मिलती है। इसी क्रम में फौज से पेन्शन के बाद उन्होंने अपना समस्त जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। अतः अन्ना ने तय किया कि सिर्फ रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगें और इसी कारण उन्होंने अविवाहित रहते हुए 12 साल बाद सेना की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली। 1975 में

रालेगण लौट आए। तभी से उन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरूआत की और अपने जीवन के पाँच सूत्र स्वीकार किये जो इस प्रकार है[140] –

- त्याग
- शुद्ध विचार
- शुद्ध आचरण
- निष्कलंक जीवन
- अपमान सहने की शक्ति

उन्होंने प्रत्येक युवा को इन पाँचों सूत्रों को अपने जीवन में लाना महत्वपूर्ण माना। गांव व राष्ट्र को एक मंदिर, जनता को ईश्वर माना और इस जनता की सेवा ही भगवान की सेवा माना। इसी में आत्मा व जीवन की भलाई निहित है। जिस प्रकार फसल को उगाने में एक दाने का त्याग महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार जीवन में त्याग का महत्व है। उन्होंने माना कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को निःस्वार्थ भाव से समाज व देश के लिए काम करना चाहिए। फल की अपेक्षा ना करके किया हुआ कर्म ही ईश्वर की पूजा है। व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कलंक (बुरी आदतें) नहीं होना चाहिए और उसके विचारों में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसका आचार व्यवहार शुद्ध हो और उसमें अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए। उनका मानना है कि "कुछ लोग जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना, बल्कि जो तुम्हें सराह रहें हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध रहना ज्यादा जरूरी है। किसी के द्वारा निन्दा किये जाने के डर से अगर तुम कदम ही आगे ना बढ़ाओ तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें कैसे होगी।" अतः प्रत्येक व्यक्ति को ध्येयवादी बनना होगा, अपना अन्तिम लक्ष्य निर्धारित कर ही आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार अन्ना हजारे का दर्शन आज की युवाशक्ति के लिए उपयोगी है। उन्होनें युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति माना और स्वीकार किया कि अगर आज का युवा जाग जाए, राष्ट्रीय व सामाजिक दृष्टिकोण उनके जीवन में आ जाए तो देश का उज्जवल भविष्य दूर नहीं है क्योंकि युवक ही इस देश को बदल सकता है।

उन्होंने आज के युवक जो भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक, जो कुछ भी वे बनना चाहते है, परन्तु उन्हें अपनी सेवाऐं निःस्वार्थ भाव से और अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करते हुए देने को कहा क्योंकि उनका मानना है कि जो खुद के लिए जीया वह मिट गया और जो दूसरों की भलाई के लिए जीया, सम्पूर्ण देश को अपना परिवार मानकर चला सबके ह्रदय में हमेशा जिन्दा रहा है। अतः कथनी व करनी के भेद को समाप्त कर करनी को महत्वपूर्ण बनाना हर युवक का प्रथम उत्तरदायित्व होना चाहिए। सभी को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाना है क्योंकि आजादी के 70 साल बीत गए, 70 साल में एक सत्ता गई, दूसरी आ गई, यही क्रम

चलता रहा। सत्ता परिवर्तित होती गई परन्तु व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वप्न देखा था "बलशाली भारत का" वह अभी तक स्वप्न ही है। बलशाली भारत के निर्माण के लिए मौजूदा व्यवस्था परिवर्तन लाना जरूरी है। परन्तु आज की सोच पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा की बनी हुई है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया उसमें समानता व न्याय की बात कही। परन्तु आज कई लोग खाने के लिए जी रहे हैं और कई लोग जीने के लिए खा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं क्या खाँऊ ? और दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं क्या क्या खाँऊ? इस प्रकार विषमता बढ़ गई है और इस विषमता के लिए भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण रहा है जिसके कारण गरीब और गरीब, अमीर और अमीर बनता जा रहा है।

हमें आजादी तो मिली परन्तु उस रूप में नहीं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी। इसलिए आजादी की यह दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। साधन तो वही है परन्तु तरीके बदल गए हैं क्योंकि उस समय शत्रु पराया था, अंग्रेज था, इसलिए विरोध अधिक था। समस्त जनता एकजुट थी। परन्तु आज ये सत्ता में विराजमान लोग जो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने देते हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, इनका विरोध गोली चलाकर नहीं कर सकते। इसलिए कार्यकर्ताओं को सोचना होगा कि अगर देश में बदलाव लाना है तो केवल भाषण से काम नहीं चलेगा इन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम भी उठाने पड़ेगें। जब तक शब्द व कृति, कथनी व करनी जुड़ नहीं जाते, तब तक समाज में प्रभाव नहीं आएगा और शब्दो में वजन नहीं आएगा। प्रतिष्ठा व सम्मान, अवार्ड, के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए इसके लिए निःस्वार्थ होकर लोगों के कष्टों को अपने अन्तर्मन द्वारा महसूस कर, उनके लिए सच्ची सेवा भाव से कर्म करना चाहिए। अन्ना हजारे ने भी अपने सामाजिक जीवन की शुरूआत अपने गाँव रालेगण सिद्धी से की। रालेगण की भयंकर व दयनीय हालत व बंजर लहरदार जमीन से वे दुःखी थे। आरम्भ में उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा कर "तरूण मंडल" नामक एक संगठन बनाया। उन्होंने पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए 'पानी पुरावत मंडलों' (वाटर सप्लाई एसोसिएशन) का गठन करने में भी सहायता की। वर्षा जल संग्रह, सौर ऊर्जा, बायो गैस, पवन ऊर्जा आदि के उपयोग से गांव को स्वावलम्बी व समृद्ध बनाया। यह गांव विश्व के अन्य समुदायों के लिए आदर्श गांव बन गया। अन्ना का कहना है कि "इस कार्य के पहले गांव में 80% लोग भूखे सोते थे, इस कार्य के बाद देश की अर्थनीति बदल गई। गांव की दशा बदलने में किसी बाहरी का कोई सहयोग नहीं। गांव के लोगों के पसीने की कमाई, उनकी मेहनत से ही गांव की दशा सुधरी।"[141]

आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन के अगले चरण के रूप में अन्ना हजारे व युवक समूह ने शराबखोरी का मुद्दा उठाने का निर्णय किया। मंदिर में आयोजित एक सभा में ग्रामवासियों ने शराब के अड्डों को बंद करने व गांव में शराब पीने पर रोक लगाने का संकल्प उठाया। अन्ना

ने महाराष्ट्र सरकार से एक ऐसा कानून लाने की अपील की जिसमें अगर गांव में 25% औरतें शराबबंदी की मांग करती है तो वहाँ नशाबंदी लागू कर दी जाए। इसी क्रम में जुलाई 2009 में राज्य सरकार ने बम्बई मद्य निषेध अधिनियम 1949 में 50% मतदाताओं के वोटिंग के आधार पर शराब बंदी कानून लाने की बात मानी और इसमें अन्ना ने महिलाओं की भूमिका को प्रमुख माना। महिलाओं ने अन्ना के साथ मिलकर इसके खिलाफ एक आन्दोलन चलाया जिसमें इन्हें सफलता मिली। रालेगण सिद्धी गांव में युवक मंडली ने होली के दिन बुराई को जलाकर (तम्बाकू, शराब, सिगरेट, बीड़ी) होली की ज्वाला में नष्ट कर दिया। इसी प्रकार गांव में दुग्ध उत्पादन, नए मवेशियों, कृत्रिम गर्भादान द्वारा नस्ल में सुधार, पशु चिकित्सक आदि की भी व्यवस्था की गई साथ ही शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, सामूहिक विवाह, ग्राम सभा आदि की भी व्यवस्था की गई, जिससे गांव का विकास बढ़ा और गांव आदर्श गांव बन गया। यह समाज सेवा की दिशा में आन्दोलन कर जीत हासिल करने का अन्ना का प्रथम प्रयास था। अब अन्ना अकेले नहीं बल्कि पूरा रालेगण उनके साथ था और इसी के साथ वह सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके थे। उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा होने लगा था।

इस प्रकार व्यक्ति निर्माण से ग्राम निर्माण और देश निर्माण के गांधीजी के मंत्र को अन्ना हजारे ने हकीकत में उतार कर दिखाया और गांव से प्रारम्भ उनका यह अभियान आज 85 गांवों तक सफलतापूर्वक जारी है। व्यक्ति निर्माण के लिए मूल मंत्र देते हुए उन्होंने युवाओं में उत्तम चरित्र, शुद्ध आचार विचार, निष्कलंक जीवन व त्याग की भावना विकसित करने व निर्भयता को आत्मसात कर आम आदमी की सेवा को आदर्श के रूप में स्वीकार करने का आह्वान किया है। क्योंकि आज हमारा समाज व देश गरीबी, अशिक्षा, असमानता, अन्याय, जातिवाद, आंतकवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो गया है। आज भारत में समानता का कोई नाम नहीं, न्याय की आवाज दबकर रह गई है क्योंकि यहां सत्ता की चलती है। हम एक गरीब देश में रहते है। गरीब इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है या हममें अमीर बनने की क्षमता नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे नेताओं ने हमें निराश किया है। हमने उनके हाथों में ज्यादा सत्ता सौंप दी है इसलिए उन्होंने हमारे वोट को चोरी करने का लाइसेंस समझ लिया। भारत में एक आम आदमी का जीवन इसलिए दूभर हो जाता है क्योंकि उसे कदम–कदम पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। भारत में अब तंत्र के सामने लोक बौना हो चुका है। सत्ता में बैठे राजनेताओं व नौकरशाहों ने अपना वर्चस्व इस कदर कायम कर लिया है कि आम आदमी आज इन दोनों पाटों के बीच पिस रहा है।

भ्रष्टाचार को सम्पूर्ण विश्व में घृणित समझा जाता है। आम जनता के मन में भ्रष्टाचार के प्रति घोर अनादर के बावजूद भ्रष्टाचार रूपी यह व्याधि तेजी से फैल रही है। भ्रष्टाचार ने

व्यक्ति से समाज व समाज से राष्ट्र को अपनी पकड़ में ले लिया है। और इस दिशा में जो भी प्रयास हुए हैं वे प्रायः अधूरे व एकांगी हैं। इनके माध्यम से भ्रष्टाचार के एक छोटे अंश को ही प्रकाश में लाया जा सकता है क्योंकि इसका सम्यक् परिभाषीकरण एवं सीमांकन नहीं हुआ है। आज हमें विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की झलक देखने को मिल जाती है चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या राजकीय खरीद में, लोक निर्माण कार्यो में, चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा, यहां तक कि मीडिया भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं रही, सिनेमा, न्याय पालिका, धर्म, समाज, राजनीति, व्यापार, सभी भ्रष्टाचार से ग्रस्त क्षेत्र हैं, जिस कारण देश ने स्व–उन्नति की जगह आत्म अवनति का मोड़ ले लिया है। आम जनता के मन में भ्रष्टाचार के प्रति घोर असंतोष है, मगर उसके हाथ सत्ता ने मजबूरी की बेड़ियों से बांध दिये हैं कि वो इतना सक्षम नहीं हो पाता कि इन सब के खिलाफ आवाज उठाने का साहस ले आए क्योंकि आवाज उठाने से उसको पता नहीं किस रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़े, इससे उसे डर लगता है।

स्पष्ट है कि परम्परागत मर्यादाओं, जीवन मूल्यों के क्षरण, सरकार के भ्रष्टाचार नियंत्रण में विफल रहने तथा सामाजिक मानस में भ्रष्टाचार को मौन स्वीकृति मिलने के कारण भ्रष्टाचार का प्रसार बढ़ता जा रहा है और भारत विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक बन गया है। आज राष्ट्रीय आय के बराबर काली मुद्रा विद्यमान है आखिर ऐसा क्या है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है ? इस प्रश्न का उत्तर अन्ना हजारे के अनुसार वे प्रेरक तत्व हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं जिनका खात्मा करना हर नागरिक का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए[142] जो निम्नांकित है –

❖ भ्रष्टाचार को कानून की सीमाओं में बांधनें के प्रयास अधूरे रहे हैं। इसे कठोर कानूनी सीमाओं में नहीं बांधा गया है।
❖ भ्रष्टाचार नियंत्रण के जो कानून बने हैं वे भ्रष्टाचार के एक छोटे से अंश को ही अपनी परिधि में लेते हैं। अनेक बार इन कानूनों की विसंगतियां ही भ्रष्टाचारियों की रक्षक बन जाती है।
❖ भ्रष्टाचार की कानूनी परिसीमाओं में संविधान की शपथ की अवहेलना, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, भाई भतीजावाद, सिफारिश, नैतिक मानदण्डों का उल्लंघन आदि को अपराध नहीं माना गया है। इसके कारण ये बेलगाम बढ़ता गया है।
❖ किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के विरूद्ध भ्रष्टाचार का अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल अनुमति दे दे। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में अपराधी को बचाव की रणनीति बनाने का अवसर मिल जाता है।

❖ व्यवहार में जुगाड़बाजी, गिरोहबंदी, अनैतिकता, झूठ, पाखंड, धोखाधड़ी आदि कर्मो का बोलबाला हो गया है और श्रेष्ठ कहे जाने वाले गुण जैसे – सदाचार, नैतिकता, ईमानदारी, कर्त्तव्यपालन, राष्ट्रहित आदि केवल पुस्तकों में व चर्चा का विषय ही रह गए हैं।

❖ शासन का उद्देश्य आर्थिक विषमता को समाप्त करना रहा है परन्तु पूँजीपति, ठेकेदार, अधिकारी, सरकारी धन को हड़प कर अधिक से अधिक सम्पन्न होते चले गए। इससे औसत आदमी को यह लगने लगा कि इस व्यवस्था में भ्रष्ट हुए बिना उसके लिए समृद्धि के द्वार नहीं खुलेगें।

❖ निरन्तर बढ़ती बेरोजगारी कई तरह के संकट पैदा कर रही है। भविष्य की असुरक्षा का बोध बेरोजगारों को अवैध स्त्रोतों से धन संचय के लिए विवश करता है जो भ्रष्टाचार को बढ़ाता है।

❖ बढ़ती महंगाई, नगरीकरण तथा व्यक्ति की समाप्त होती पहचान ने लोगों में भय की भावना पैदा कर दी है। अधिक धन संचय की भावना ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है।

❖ जल्दी सफल होने की भावना ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ाया है।

❖ जाति, समुदाय, परिवार, क्षेत्रीयता ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

❖ निरन्तर बढ़ती महंगाई ने भी भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी की है।

❖ प्रशासनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण स्त्रोत निम्नलिखित हैं –

- लाइसेंस व परमिट के बदले रिश्वत,
- प्रशासनिक कार्यवाही को तेज करने के लिए दी जाने वाली रिश्वत।
- सरकारी सेवाओं में तबादले व पोस्टिंग के लिए दी जाने वाली रिश्वत।
- विभिन्न प्रकार के सरकारी निरीक्षणों को अप्रभावी बनाने के लिए दी जाने वाली रिश्वत
- टेलीफोन, बिजली, पानी का कनेक्शन, सामग्री आदि की प्राप्ति, रखरखाव के लिए दी जाने वाली रिश्वत
- राशन की वस्तुओं की कालाबाजारी
- सरकारी ठेकों की प्रगति के लिए दी जाने वाली रिश्वत
- विभिन्न सरकारी खर्चों में लीकेज

❖ करों की त्रुटिपूर्ण सरंचना व करों की ऊँची दर भी लोगों को आर्थिक अनियमितता के लिए प्रेरित करती है।

- ❖ बढ़ते उपभोक्ताओं ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसमें संचार साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन माध्यमों ने उपभोक्ताओं में उन वस्तुओं के प्रति ललक पैदा कर दी है जिनकी आवश्यकता उन्हें नहीं है।
- ❖ आज धन नैतिक व अनैतिक किसी भी तरीके से कमाऐं जाने पर व्यक्ति का अत्यधिक ध्यान है।
- ❖ निर्धनों को सहायता पहुँचाने के लिए विविध प्रकार की योजनाऐं, ऋण, अनुदानों की योजनाऐं हैं पर ये गरीब विरोधी व भ्रष्टाचार का पोषक बन चुका है।
- ❖ अपरिपक्व अशिक्षित राजनीतिज्ञों की सत्ता में भागीदारी ने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया है।
- ❖ अपर्याप्त व विषमतापूर्ण शिक्षा सुविधाओं के चलते रहने के कारण भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है।
- ❖ समस्त सरकारी काम अंग्रेजी में होने, राजकीय सेवाओं में योग्यताओं को प्राथमिकता के स्थान पर आरक्षण को स्थान देने राष्ट्रीय हितों से परिचालित होने वाली अफसरशाही तथा राजनीतिक पार्टियों व नेताओं के अभाव ने भ्रष्टाचार को फलने फूलने में पूरा योगदान दिया है।

इसी प्रकार भ्रष्टाचार के विकास के कारणों की खोज हमें भारतीय आजादी के बाद के वर्षों में भी करनी होगी। इन वर्षों के दौरान स्वाधीनता संघर्ष की ऊष्मा व संवेग के क्रमशः निःशेष होते जाने के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर गतिरोध की शक्तियाँ हावी होती गयी तथा सभी सकारात्मक मूल्य क्षरित होते गए। राष्ट्रीय आजादी का एकांकीपन प्रकट हुआ तथा राष्ट्रीय विकास के लिए चुने गए मार्ग की सीमाऐं एवं विकृतियाँ भी उधड़ती गयी। समाजवाद एक नारा मात्र बनकर रह गया जो यथार्थ सामने आया वह था – कुरूप, बौना और विकलांग पूंजीवाद। राजकीय स्वामित्व, जनता का स्वामित्व सिद्ध न होकर नौकरशाहों नेताओं का स्वामित्व सिद्ध हुआ और ऐसे उद्यमों, संस्थानों का भाग अन्ततोगत्वा निजी क्षेत्र को ही मिला। इस पूरे क्रमिक विकास की एक तार्किक परिणति भ्रष्टाचार केरूप में सामने आया।

यह सही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में नैतिक विपथगामिता, उत्कट धनलोलूपता, स्वेच्छा चारितापूर्ण महत्वाकांक्षा तथा निहित स्वार्थों की एक विशिष्ट भूमिका होती है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक काल में भ्रष्टाचार को एक विशिष्ट व स्वतंत्र संस्थागत आधार प्राप्त हो गया है। जिसमें शीर्ष के राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी तथा चोटी के धनाढ्य लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सत्ताधारी लोग अपने व्यक्तिगत और राजनैतिक जीवन को सुखी समृद्ध तथा सुरक्षित बनाने के लिए राजकीय धन व सम्पत्ति का दुरूपयोग करते हैं जिसके

फलस्वरूप भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े कारनामें सामने आते हैं। स्वतंत्रता के बाद कई करोड़ों अरबों रूपये के आर्थिक घोटाले सामने हं मगर फिर भी सरकार चुप्पी साधे बैठे रहती है।

देखा जाए तो भ्रष्टाचार ने अवधारणाओं में ही जहर घोल दिया है। अतः इसके देश और समाज पर निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं[143] –

❖ व्यापक भ्रष्टाचार के फलस्वरूप धन ही सफलता का एकमात्र सूचक माना जाने लगा है। अन्य बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक गुण व विशेषताएँ द्वितीयक होते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप लोगों की निष्ठाएँ केवल धनोपार्जन तथा पत्नी व बच्चों तक में सिकुड़ती जा रही है।

❖ सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के प्रोत्साहन के फलस्वरूप भ्रष्टाचार निरन्तर सघन हुआ है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले निश्चय ही कम हैं किन्तु सत्ता–सम्पन्न हैं। भ्रष्टाचार से पीड़ितों की संख्या बहुत अधिक है किन्तु वे संगठन, जागरूकता तथा शक्तिहीन हैं। भ्रष्टाचार की लपटें आम जन की आस्थाओं को झुलसाती हैं, जीवन के प्रति निराशा व कुंठा पैदा करती हैं। इस दीर्घकालीन संत्रास के फलस्वरूप वे भी भ्रष्टाचार के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं।

❖ जो लोग भ्रष्टाचार की निर्मम प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, उनके मानस से सभी मानव मूल्यों के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता है तथा वे एक धन पशु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।

❖ आज लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई भी कार्य कराया जा सकता है। इस विचारधारा के चलते कानून का उल्लंघन करने, दुरूपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

❖ भारतीय जनजीवन में भ्रष्टाचार धीमे जहर की भाँति घुलता जा रहा है, लोग भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णु होते जा रहे हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचारियों के मन में समाज का कोई डर नहीं है।

❖ यह भ्रष्टाचार का ही प्रभाव है कि भारी भरकम विदेशी व आन्तरिक ऋणों तथा अरबों–खरबों रूपये व्यय किये जाने के बाद भी देश का समुचित विकास नहीं हुआ है। भ्रष्टाचारी लोग, विकास की राशि को हजम कर गये तथा देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती रही।

❖ भ्रष्टाचार के फलस्वरूप व्यक्तिगत निहित स्वार्थ, व्यापक हितों व सिद्धान्तों पर हावी हो जाते हैं। इससे नियमों में शिथिलता आ जाती है। नियमों का पालन न होने से समाज में असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है, सामाजिक संस्थाओं का क्षरण होने लगता है। राजकीय एवं न्यायिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है, क्षेत्रवाद,

जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक व सामाजिक विकास के कार्यक्रम भ्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हो पाते।

- ❖ भ्रष्टाचार के कारण व्यक्तिगत स्तर पर सिद्धान्त हीनता तथा सामाजिक स्तर पर जंगलराज की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे चारों ओर अव्यवस्था फैलती है तथा वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता।
- ❖ भ्रष्टाचार प्रशासन को पंगु बना देता है। यह एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि विविध कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में प्रशासन का आधारभूत स्थान होता है। गैर–जिम्मेदार अनैतिक कर्मचारियों से राष्ट्रीय हितों के अनुकूल सक्षमता, तत्परता व ईमानदारी से कार्य करने की अपेक्षा कभी नहीं की जा सकती। भ्रष्ट कर्मचारी निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कल्याणकारी योजनाओं के विसंगतिपूर्ण व विलम्बित क्रियान्वयन के द्वारा उन्हें अप्रासंगिक बना देते हैं।
- ❖ निरंतर फैलता संगठित भ्रष्टाचार न केवल प्रशासन की कार्य क्षमता को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, बल्कि योग्य व ईमानदार कर्मचारियों को हतोत्साहित, कुंठित व निष्क्रिय बना देता है।
- ❖ प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार अधिक प्रत्यक्ष तथा श्रृंखलाबद्ध रूप में दिखाई देता है। राजनीतिज्ञ चोटी के भ्रष्ट अधिकारियों को राजनैतिक संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण प्राप्त अधिकारी अपने अधीनस्थों को भ्रष्ट बनाते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार संगठित तरीके से उच्चस्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक पहुँच जाता है। कभी–कभी तो इसके स्त्रोतों तक को ज्ञात करना असम्भव हो जाता है।
- ❖ जिस प्रकार शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचारियों के गिरोह उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही निम्न स्तर पर भी स्थानीय गुण्डों, स्थानीय पुलिस, राजनीतिज्ञों व अधिकारियों में समझदारी विकसित हो जाती है। ये लोग अपने निकट के लोगों को ही लाभान्वित होने देते हैं, शेष लोग उपेक्षित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप विषमता की खाई और भी चौड़ी हो जाती है।
- ❖ सुसंगठित भ्रष्टाचार के चलते विविध राजनैतिक, आर्थिक विदोहन के लिए नए–नए सामाजिक, आर्थिक संगठन खड़े किये जाते हैं। चूँकि ये संस्थाएँ राजनैतिक, आर्थिक हित साधने के लिए छद्म आवरण के रूप में खड़ी की जाती है, अतः भ्रष्टाचार को बढ़ाने तथा संश्लिष्ट बनाने में सहायक सिद्ध होती है।
- ❖ भ्रष्टाचार के कारण विकास के असली लाभार्थी वंचित रह जाते हैं जिससे पिछड़ापन बदतर स्थिति में पहुँच जाता है तथा जन असंतोष पनपने लगता है। इसे भ्रष्टाचार की उपलब्धि ही कहा जाएगा कि दशकों तक गरीबी उन्मूलन का प्रयास करने के बाद भी

देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़कर लगभग चालीस करोड़ हो गई है। ये लोग आधारभूत जरूरतों तथा सम्मानजनक जीवन से भी वंचित कर दिये गये हैं।

❖ भ्रष्टाचार ने राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनेताओं में आम जनता की आस्था को आश्चर्यजनक रूप से घटाया है। यह एक दुःखद तथ्य है कि अधिकांश राजनीतिज्ञों पर भ्रष्टाचार के भारी–भरकम आरोप लगे हैं तथा अरबों रूपये के घोटाले सामने आये हैं। इसने राजनेताओं को बदमाशों, गुण्डों तथा लुटेरों के समकक्ष खड़ा कर दिया है।

❖ भ्रष्टाचार के कारण योग्यता व गुणवत्ता उपेक्षित होती है तथा इनका स्थान सिफारिश व धन ले लेता है। इसी प्रकृति के चलते आज नियुक्तियों व तबादलों, विद्यालयों में प्रवेश, अस्पताल में मरीजों की भर्ती, राशन–पैट्रोल पम्पों–यातायात परमिट आदि कार्यों में रिश्वत व सिफारिश का बोलबाला देखने को मिलता है।

❖ जब भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर फैल जाता है तो प्रशासन, विधि तथा सरकार भी स्वयं उनके सामने बेबस महसूस करने लगती है। यह कमजोर स्थिति भ्रष्टाचारियों के लिए उत्साहवर्धक तथा प्रेरणामय सिद्ध होती है।

❖ स्वतंत्रता के पश्चात् कालाबाजारी, तस्करी, नशीली दवाओं का व्यापार, दिनदहाड़े हत्यायें, अकूत काला धन तथा उन्मुक्त करचोरी के प्रकरण बढ़े हैं पर यह जानना एक करूण, प्रसंग होगा कि कितने नामी कर चोर, तस्कर, काला बाजारिये, ड्रग व्यापारी, माफिया दण्डित किये गये? वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार के चलते छुटभैय्या तो पकड़े गये किन्तु कुख्यात बड़े मगरमच्छ पकड़ से बाहर हैं।

❖ भ्रष्टाचार से लाभान्वित होने वाले लोगों ने संस्कृति, कला, खेल, नारी–अस्मिता, मानव मूल्यों को बिकाऊ बना दिया है।

❖ संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों का भी राजनीतिकरण हो गया है। अधिकांश अपराधियों ने विविध पार्टियों की सदस्यता ले ली है तथा अनेक पार्टी पदाधिकारी हो गये हैं। इस स्थिति से जहाँ अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण मिलता है, वहीं पार्टियों को आय तथा दबंग समर्थकों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार व्यवस्था का अपराधीकरण हो रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं। राज्यों में सत्तारूढ़ दल अपने समर्थ अपराधियों को छूट देते हैं तथा विरोधी दल से सम्बन्धित अपराधिक तत्वों को जेल भेजते हैं। जब दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो वह भी इसी प्रक्रिया को अपनाती है। इस प्रकार भ्रष्ट अपराधी तत्व सुरक्षित बने रहते हैं तथा आम जनता असुरक्षित व शोषित।

- ❖ भ्रष्टाचार से उत्पन्न काले धन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि काले व सफेद धन के बीच का भेद ही मिट गया है। समरस का भाव व्याप्त हो गया है, दुविधा मिट गई है – 'साधन की पवित्रता पर नहीं, साध्य पर ध्यान दो; धन कमाओ, चाहे जैसे भी हो।' शेयरों में पैसा लगाने, लाटरी खेलने, दलाली, सट्टा, कमीशनखोरी व घूसखोरी के बीच सभी विभाजक रेखायें मिट गई हैं। यह विचार प्रबल हुआ है – 'कोई भी रास्ता अपनाओ। बस यह ख्याल, रखो कि फँसने न पाओ और घाटा न उठाओ।'
- ❖ आरम्भ में भ्रष्टाचार के विरूद्ध समाज विशेषकर मध्यम वर्ग काफी मुखर था। अब इसकी आवाज काफी मरियल हो गई है। इसकी आवाज में निराशा, खोखलापन तथा पाखण्ड भी आ गया है। विकल्पहीनता तथा पराजय की मानसिकता के चलते उसूलों का आग्रह रखने वाले इस वर्ग में भी यह सोच घर कर गई है कि भ्रष्ट व्यवस्था का कारगर विरोध सम्भव नहीं हो पा रहा तो क्यों न खुद बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। क्यों न मौके का लाभ उठाकर कुछ कमा ही लिया जाए। इसे मध्यम वर्ग के आम जनता के विरूद्ध 'सदी के सबसे बड़े विश्वासघात' की संज्ञा भी दे सकते हैं।
- ❖ भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े घोटालों की जानकारी, सबसे परेशान लोगों–शहरी दिहाड़ी मजदूरों, छोटे व्यापारियों, खेत मजदूरों, छोटे कारखानों व वर्कशाप के मजदूरों, कस्बे व देहात के कारीगरों, आदिवासियों तथा किसानों को नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर बोफोर्स, चारा या हवाला को मुद्दा बनाने पर असफलता ही मिली है।
- ❖ भ्रष्टाचार के चलते प्रतिभा–सम्पन्न लोगों को प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर तथा वातावरण नहीं मिल पाता। फलस्वरूप विदेश पलायन उनकी मजबूरी बन जाती है।
- ❖ भ्रष्टाचार में संलग्न शक्ति–सम्पन्न गिरोह इतने उद्दण्ड हो चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके विरूद्ध आवाज उठाता है अथवा उनके काम में रोड़े अटकाता है तो वे उसे जान से मारने में भी नहीं हिचकते।

इन सब परिस्थितियों से आहत अन्ना हजारे ने इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का ध्येय बनाया है। और इस क्रम में उनकी शुरूआत 1991 में पुणे के अलांडी में सरकार की भ्रष्ट मशीनरी के खिलाफ आमरण अनशन कर हुई। 6 मंत्रियों व 400 अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया। 1995 में अन्ना हजारे महाराष्ट्र के 3 भ्रष्ट मंत्रियों "शशिकांत सुतार, महादेव शिवशंकर और बबन घोलाप" के खिलाफ अनशन पर बैठे। अन्ना को इसमें सबूत नहीं पेश करने के कारण जेल भी जाना पड़ा। उस समय के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। पर इस सजा से गहरा झटका लगा। भाजपा व शिवसेना को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के नेतागण उनके समर्थन में निकल पड़े। बाद में व्यापक जन विरोध के कारण महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी

किया। सरकार को झुकना पड़ा और सुतार व शिवशंकर को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया और घोलप ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। इसी क्रम में 2003 में महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP गठबंधन सरकार के 4 मंत्री सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गवित व पद्मसिंह पाटिल भी अन्ना हजारे के अनशन के शिकार हुए। इनके खिलाफ भी अन्ना ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 19 अगस्त से 17 अगस्त 2003 तक आमरण अनशन किया। अन्ना की भूख हड़ताल काम आई और सरकार को झुकना पड़ा। मलिक व जैन ने इस्तीफा दे दिया। तात्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उनके आरोपों की जाँच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की (पी. बी. सांवत आयोग) जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक जैन, मलिक व पाटिल पर लगाए आरोप सही निकले व गवित निर्दोष साबित हुए।

लगातार महाराष्ट्र से भ्रष्टाचार की सफाई करते हुए 2000 के दशक के शुरू में इन्होंने महाराष्ट्र में **"शक्तिशाली महाराष्ट्र सूचना अधिकार अधिनियम"** आन्दोलन का नेतृत्व किया। जिसे केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए "सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए मूल दस्तावेज माना गया। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रही कि जनता के प्रतिनिधि व सरकारी नौकर से नागरिकों को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि वे सार्वजनिक धन को कैसे और कहाँ खर्च करते हैं। इसे सूचना प्राप्त करने वाला अधिकार **(Right to information Act)** कहा गया। इसके लिए अन्ना हजारे को काफी संघर्ष करना पड़ा। इसके विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं।[144]

- ❖ 12 जनवरी 1998 को सरकार को भेजे गए एक पत्र में अन्ना हजारे ने सूचना के अधिकार का कानून बनाने की मांग की।
- ❖ कई पत्र लिखने के बाद सरकार ने जब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अन्ना ने 6 अप्रैल 1995 को आजाद मैदान, मुम्बई में धरना दिया।
- ❖ 6 अप्रैल 1998 व 2 अगस्त 1999 के मध्य फिर सरकार से पत्र व्यवहार किया।
- ❖ सरकार बदल गई परन्तु कानून नहीं बना। अनेकों बार पत्र व्यवहार का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तब 6 अप्रैल 2000 को सरकार को चेतावनी दी कि 1 मई को कलेक्टर कार्यालयों के आगे धरना शुरू हो जाएगा और 20 मई को वे अनशन पर चले जाएगें।
- ❖ जैसा कि निर्धारित था 2 मई को पूरे राज्य में धरना आन्दोलन शुरू हुआ। केन्द्र सरकार ने लोकसभा में सूचना प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी एक बिल पास कर दिया था इसलिए अनशन स्थगित हो गया।

❖ कोशिशें चलती रही। लगभग 1 साल में 14 बार पत्र व्यवहार के बाद 1 मार्च 2001 को उन्होंने सरकार को लिखा कि यदि सरकार ने कानून नहीं बनाया तो वे 1 मई से राज्यव्यापी मौन व्रत आन्दोलन प्रारम्भ कर देगें। सरकार ने बैठक के बाद यह निर्णय किया कि आगामी सत्र में बिल पास कर देगी।

❖ कई दिन बीत जाने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो 9 अगस्त 2001 को मौन व्रत आरम्भ कर दिया, लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में आन्दोलन कर दिया।

❖ 4 दिनों के मौन व्रत के बाद कानून व न्याय मंत्री विलास काका उनदलकर अन्ना से चर्चा करने आए और आश्वासन मिलने पर अन्ना ने अपना मौन व्रत समाप्त कर दिया।

❖ कोई नतीजा नहीं निकलने पर 21 सितम्बर 2002 को दुबारा मौन व्रत किया। 5 दिन बाद आश्वासन मिलने पर आन्दोलन समाप्त किया गया। यह सिलसिला चलता रहा मुख्यमंत्री भी बदल गए आखिर में अन्ना 9 अगस्त 2003 को मुम्बई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठ गए। सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा क्योंकि भारी मात्रा में जनता उनके साथ थी। कानून पर ही सरकार का बने रहना तय था अतः भारत के राष्ट्रपति ने अन्ना अनशन के 12 वें बिल पर हस्ताक्षर कर दिये और घोषणा भी कर दी कि उक्त अधिनियम 2002 से लागू होगा। इस प्रकार अन्ना ने जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री तुकाराम दादा गीताचार्य के हाथों अपना अनशन समाप्त किया।

❖ इस प्रकार "सूचना अधिकार अधिनियम" महाराष्ट्र में 2002 से लागू हुआ परन्तु अन्ना की यात्रा केन्द्र में यह अधिनियम लाकर ही समाप्त हुई। 12 अक्टूबर 2005 को केन्द्र सरकार ने भी इस कानून को लागू कर दिया।

भ्रष्ट नेताओं के दबाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें संशोधन के लिए एक बिल प्रस्तुत किया जो इसके मूल उद्देश्यों के लिए हानिकारक थे। अगस्त 2006 में इसके खिलाफ अन्ना ने 11 दिन तक आमरण अनशन किया जिसे देशभर में समर्थन मिला और संशोधन नहीं हुआ, यह उसी रूप में पारित हुआ जिस रूप में अन्ना ने इसे चाहा। इस प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम अन्ना के मुताबिक बनने से आधा भ्रष्टाचार तो खत्म होने लगा परन्तु बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार जैसी व्याधि बड़ी होती है अतः अन्ना के अनुसार "देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो जन लोकपाल बिल जरूरी है। यह अधिकारिक वर्ग के रवैये से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बनी संस्था है। यह एक ऐसा कानून है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए काफी जरूरी है। ओम्बुड्समेन यानि सरकारी तंत्र की निगरानी करने वाला सरकार का नुमाइंदा। 1949 में हमारा संविधान बना, 1950 में हमारे देश में प्रजा सत्ता युग आ गया। 1952 में हमारे देश में पहला चुनाव हुआ। उस समय देश में इतने दल नहीं थे। चुनाव में चुनकर आने के बाद इन दलों में वैचारिक बदलाव व सत्ता प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। किसी भी तरीके

को अपनाकर दल सत्ता में आने का प्रयास करने लगे। दलों की संख्या बढ़ गई। उम्मीदवार गुंडा है, भ्रष्ट है, लुटेरा है, सब जानते हुए भी उन्हें टिकट मिलता गया और इसने भ्रष्टाचार को और भी बढ़ा दिया। क्योंकि लोकशाही का मंदिर समझी जाने वाली संसद में भी भ्रष्ट मंत्री (नेता) चुनकर जाने लगे अतः वहां सभी बुराईयों की घुसपैठ शुरू हो गई। जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई।

1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक द्विस्तरीय प्रणाली की स्थापना की जिसके तहत केन्द्र में एक लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना पर जोर दिया गया था। सरकारें आती रही, जाती रही परन्तु विधेयक नहीं आया। कई बार 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 2001, 2005, 2008 आदि में इसे संसद में पेश किया गया परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला किसी ना किसी बहाने इसे पास होने से रोका गया। लोकपाल विधेयक 8 बार संसद में रखा गया परन्तु पास नहीं हुआ जिसका उद्देश्य इतना ही था कि भारत की जनता को ज्वलंत गति से व किफायती न्याय मिलना चाहिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की रोकथाम हो, प्रशासनिक अनियमितता पर रोक लगे, अवैध कार्यो पर रोक लगे कि इन सब पर रोक लगाकर स्वच्छ व पारदर्शी लोकतंत्र व्यवस्था बने क्योंकि यह लोकों का, लोकों ने लोक स्वभाव से बनाया लोकतंत्र है। इस व्यवस्था की मांग के लिए लोगों की व्याकुलता बढ़ रही है। सत्तारूढ़ व विपक्ष की उदासीनता के कारण इतने सालों में भी यह बिल पास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ गया, महँगाई बढ़ गई। जनता परेशान हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही की ताकत देने वाला लोकपाल विधेयक कई बार सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया परन्तु हर बार औंधे मुहँ गिर पड़ा। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी मुहिम में अन्ना को जीत हासिल हुई।

इससे प्रेरित अन्ना हजारे ने देशव्यापी जन–लोकपाल आन्दोलन छेड़ने की ठानी और सरकार को गम्भीरता से सोचने को मजबूर कर दिया। अन्ना हजारे चाहते है कि ऐसा कानून बने, जिसके तहत भ्रष्ट राजनेताओं व अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर आसानी से दंडित किया जा सके। साथ ही अन्ना हजारे चाहते थे कि जो कमेटी इस बिल पर काम करे, उसमें जनता की भागीदारी भी हो। आन्दोलन से पहले लोकपाल का मसौदा तैयार था, उसमें भ्रष्ट नेताओं व अफसरों के बच निकलने के चोर दरवाजे खुले थे, व मामलों के लंबा खिंचने की तमाम सम्भावनाऐं थी। उन्होनें जन साधारण को जन लोकपाल बिल के बारे में समझाया कि आखिर जन लोकपाल बिल क्या है ? जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल आदि के द्वारा अन्ना के लोकपाल बिल को प्रारूप प्रदान किया गया जो कि लोगों द्वारा वेबसाईट पर दी गई प्रतिक्रिया और जनता के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया

गया था। इस बिल को शांतिभूषण, जे. एम. लिग्ंदोह, किरन बेदी, अन्ना हजारे के साथ आम जनता का भी समर्थन प्राप्त था।

इस बिल की रूपरेखा इस प्रकार है[145] –

- ❖ इस कानून के अनुसार, केन्द्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा।
- ❖ ये संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी। कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता।
- ❖ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लम्बे समय तक मुकदमें लम्बित नहीं रहेंगे। जांच 1 साल में पूरी होगी, ट्रायल अगले 1 साल में पूरा होगा, अधिकारी या जज को दो साल के अन्दर जेल भेजा जाएगा।
- ❖ अपराध सिद्ध होने पर भ्रष्टाचारियों के द्वारा सरकार को हुए घाटे को वसूल किया जाएगा।
- ❖ यदि किसी नागरिक का काम तय समय में नहीं होता तो लोकपाल दोषी अफसर पर जुर्माना लगाएगा और वह जुर्माना शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में मिलेगा।
- ❖ अगर आपका राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि तय समय सीमा के अन्दर नहीं बनता है या पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तो आप इसकी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं। और उसे ये काम 1 माह में कराना होगा। आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं।
- ❖ क्या सरकार भ्रष्ट और कमजोर लोगों को लोकपाल का सदस्य नहीं बनाना चाहेगी? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोकपाल के सदस्यों का चयन जजों, नागरिकों और संवैधानिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा, न कि नेताओं द्वारा इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और जनता की भागीदारी से होगी।
- ❖ अगर लोकपाल में काम करने वाले अधिकारी भ्रष्ट पाए गए ? तो लोकपाल/लोकायुक्त का काम काज पूरी तरह पारदर्शी होगा। लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जांच अधिकतम दो माह में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- ❖ मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों का क्या होगा ? सीवीसी, विजिलेंस विभाग, सीबीआई को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एंटी करप्शन विभाग) का लोकपाल में विलय कर दिया जाएगा। लोकपाल को किसी जज, नेता या अफसर के खिलाफ जांच करने व मुकदमा चलाने के लिए पूर्ण शक्ति और व्यवस्था भी होगी।

❖ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उत्पीड़ित किए जा रहे लोगों को संरक्षण प्रदान करना। लोकपाल का प्रमुख कर्त्तव्य होगा।

उपर्युक्त लोकपाल विधेयक अन्ना लोकपाल बिल के नाम से विख्यात हुआ। इसमें भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों व नेताओं के बच निकलने की सम्भावना बहुत कम थी। इस जन लोकपाल बिल को लेकर फैली जनक्रांति का कारण यही माना जा सकता है कि भारत भ्रष्टाचार का गुलाम बनता जा रहा है, यह हर छोटे तबके से लेकर बड़े विभाग में देखा जा सकता है। इसकी घुसपैठ इतने धीमे कदमों से और बहुत तेजी से हुई है कि एक आम आदमी इसकी चक्की में पिसता चला गया। इन्हीं परिस्थितियों से क्षुब्ध अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक क्रांतिदूत के रूप में पहचाना जाने लगा है। आज स्वतंत्रता के बाद भी देश भ्रष्टाचार का गुलाम हो अपने ही लोगों पर अत्याचार व अनाचार कर रहा है। आज अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकार से अपने ही देश के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इन सब परिस्थितियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने वाले अन्ना हजारे का प्रयास मामूली नहीं है।

महाराष्ट्र में अपने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनों की सफलता के बाद उन्होंने सम्पूर्ण देश में लोकपाल विधेयक लाने की ठानी और अपना यह प्रारूप सरकार को भेजा, सरकार ने कहा जन लोकपाल बिल आएगा परन्तु मसौदा सरकार तैयार करेगी। अन्ना हजारे का मानना है कि कानून लोकसभा व विधानसभा में एक लम्बी बहस के बाद ही बनना चाहिए और इसमें जनता की सहभागिता भी होनी चाहिए। जब मसौदा भी सरकार बनाएगी व कानून भी सरकार बनाएगी तो अंग्रेज व भारतीय सरकार में क्या अन्तर रहा ? 1923 में अंग्रेजों नें एक गोपनीयता का कानून बनाया था कि दफ्तर की कोई भी जानकारी भारत के लोगों को नहीं देना। इस प्रकार उन्होंने भारतीयों को लूटा। चूँकि देश में लोकतंत्र है और कोई भी मसौदा जनता की राय लेकर ही बनाना चाहिए परन्तु सरकार के कई मंत्री कहने लगे कि संसद के बाहर के लोगों से क्या पूछना, क्यों पूछना ? तब अन्ना हजारे ने ठाना कि इन्हें बताना पड़ेगा कि बाहर के लोग कौन है ? ये वे हैं जिसकी वजह से आज मंत्री सत्ता में बैठे हैं। सन् 1950 संविधान निर्माण के साथ ही जनता मालिक बन गई व नेता उसका सेवक और इसलिए मालिक की बात मानना जरूरी है।

इस प्रकार अन्ना हजारे ने सरकार की मनमानी पर जनता की आवाज बन कर 30 जनवरी 2011 को रामलीला मैदान में एक बड़ा मोर्चा निकाल, आन्दोलन का आह्वान किया व सरकार को जागरूक कर दिया कि अगर उन्होंने विधेयक पर सहमति नहीं दी तो वे अप्रैल में अनशन शुरू कर देंगे। पर सरकार का रवैया वही रहा। 4 अप्रैल 2011 को प्रातः 9 बजे अन्ना हजारे ने नई दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की फिर मार्च निकालते हुए जंतर–मंतर पहुंचे। 5 अप्रैल 2011 को आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन पर

बैठने से पूर्व अन्ना जी की अपील घर–घर पहुँचायी गई थी, उसमें उन्होंने जनता से निवेदन किया कि[146] –

- ❖ वो एक, दो, तीन या जितने दिन भी हो सके उतने दिन मेरे साथ उपवास पर बैठे।
- ❖ उपवास के दौरान जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो उसी भगवान से भ्रष्टाचारमुक्त भारत की प्रार्थना करें, देश भर के लोग एक साथ प्रार्थना करें तो इसका असर जरूर होगा।
- ❖ प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करें कि वो जनलोकपाल बिल पारित करें, नहीं तो हमारे पास अगले किसी भी चुनाव में उनकी पार्टी को वोट नहीं देने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।
- ❖ शांति बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर आजादी की इस दूसरी लड़ाई के लिए जेल जाने को तैयार रहें।

इस तरह अपने साथ असंख्य जनसमर्थन को अपने साथ लेकर अन्ना हजारे ने अनशन प्रारम्भ किया। अपने इसी संघर्ष व समर्पण के कारण ही अन्ना हजारे त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बन गए। अन्ना हजारे की मांग थी कि सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए सरकार लोकपाल विधेयक पारित कराए और इस विधेयक में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े प्रावधान हो। अपने आन्दोलन को उन्होंने पूर्णतया अहिंसात्मक बनाने पर ही जोर दिया और सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने निडरता से आन्दोलन की शुरूआत की। सारा जन सैलाब उनके साथ था, यही वह पल था जब ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी का दूसरा जन्म हमारे साथ है जो इतने सारे जनमानस को अपने साथ अहिंसात्मक संघर्ष की ओर प्रवृत्त कर पाया। उनका यह ऐसा संघर्ष है जिसमें एक ऐसा कानून समाज व देश की भलाई के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाना है जो देश का सम्पूर्ण विकास नहीं होने दे रहा है। जिसकी पकड़ में प्रधानमंत्री, सांसद व मंत्री आदि भी आते है। उन्होंने लगातार जन साधारण को जन लोकपाल बिल के बारे में समझाया कि आखिर जन लोकपाल बिल क्या है ? क्यों जरूरी है ? इस बिल की एक–एक प्रति प्रधानमंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के पास 1 दिसम्बर 2010 को भेज दी गई थी जिसका अभी तक (5 अप्रैल 2011) कोई जवाब नहीं मिला। इस जनक्रांति को अन्ना के आमरण अनशन से गति मिली।

"दैनिक हिन्दुस्तान" में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ[147] जिसमें अन्ना हजारे ने अपने 5 दिनों (5–10 अप्रैल) के अनुभवों को पत्रकार महोदय को बताया कि (श्रीमान् अन्ना के अनुसार) "ये दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर में उमड़े जनसैलाब का हर दूसरा चेहरा किसी नौजवान का था। जोश और उत्साह से भरे इन चेहरों ने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया। मुझे यकीन नहीं था कि आधुनिक युग का

नौजवान इस कदर एकजुट हो जाएगा।" भ्रष्टाचार ही देश में सभी समस्याओं की जड़ है। यह नौजवानों, किसानों, कामगारों सहित हर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता है। मेरा मानना है कि इसका समूल नाश करने के लिए व्यवस्था के सभी अंगों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए मैं इसे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कहता हुँ और R.T.I. और लोकपाल इस लड़ाई के हथियार मात्र हैं। लोकपाल विधेयक की निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए संयुक्त समिति की कार्यवाही को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये पूरे देश में दिखाए जाने की पहल करूंगा, जिससे देश का हर व्यक्ति कानून बनाने की प्रक्रिया में खुद को न सिर्फ हिस्सेदार समझे, बल्कि हमारे काम से इत्तेफाक न रखने पर हमें सुझाव देकर इस प्रक्रिया में हिस्सेदार भी बने। R.T.I. की मदद से बड़े–बड़े घोटाले सामने आ गए। अब लोकपाल की मदद से इन घोटालेबाजों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। इससे गांधीजी के स्वराज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकेगा। इसी के साथ चुनाव सुधार प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा, जिससे संसद और विधानसभाओं में योग्य लोग पहुँच सके। हमें दुःख है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली आज भी अंग्रेजों के समय की होने के कारण कृषि उन लोगों को मजबूरी में करना पड़ रही है। जो लोग पढ़–लिख नहीं पाए, गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कृषि को शिक्षा और तकनीक से जोड़ने की जिससे यह मुनाफे का काम बन सके। पढ़े–लिखे युवा देश के विकास में सकारात्मक सहयोग करें और भ्रष्टाचार को खत्म करवाने में सहयोग कर सके। हमारे प्रति जनता का विश्वास और युवाशक्ति का जज्बा देखकर मेरा उत्साह पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब हम रूकेंगे नहीं।"

भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अगुवाई में महाराष्ट्र से उठी आंधी 5 अप्रैल को दिल्ली पहुँची और केवल 4 दिन में ही सरकार को हिला कर रख दिया। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में यह पहली मुहिम थी। इससे पहले भी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन व योग गुरू बाबा रामदेव भी समाज का कोढ़ बन चुकी इस महामारी के खिलाफ शंखनाद कर चुके हैं, लेकिन उनके भ्रष्टाचार आन्दोलन व अन्ना के आन्दोलन में बुनियादी फर्क है। ये अन्य सभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या काली कमाई को लेकर किसी न किसी रूप में कटघरे में खड़े किये जा चुके हैं इसी कारण इन्हें वो समर्थन नहीं मिल पाया जो गांधीवादी अन्ना हजारे को मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के छात्र आन्दोलन के बाद देश में कोई आन्दोलन नहीं हुआ जो युवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में उद्वेलित कर सके। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन ने देश की युवा पीढ़ी में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। अभी तक सामाजिक या राजनीतिक बदलाव से खुद को दूर रखने वाले युवा अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। उनके अंदर भ्रष्टाचार की आग भीतर ही भीतर कुनमुना

रही थी, वह अब बाहर आती दिखाई दे रही है। अन्ना के आन्दोलन ने युवाओं में उम्मीद की नई किरण जगाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह अन्ना की साफगोई, बेदाग व ईमानदार छवि है। वे अपने लिए नहीं, बल्कि देशवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अन्ना की असली जीत तो इसी में है कि आज पूरे देश की जनता उनके साथ है। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को रंगकर्मी, नाट्यकर्मी, बॉलीवुड की हस्तियाँ, लेखक–साहित्यकार, संगीतकार, स्कूली बच्चे और विभिन्न वर्गों के लोगों का समान रूप से समर्थन हासिल है।

इस अनशन के दौरान प्रख्यात अभिनेत्री व सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी, दीया मिर्जा, उर्मिला मातोंडकर, आमिर खान आदि भी खास अंदाज में दिखे।[148] श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव और स्वामी अग्निवेश जैसे आध्यात्मिक गुरूओं के अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव और अनेक लब्ध–प्रतिष्ठ व्यक्तियों ने माइक्रो–ब्लॉगिंग साइट ट्वीटर के जरिए अपना समर्थन व्यक्त किया। आंदोलन आरंभ करने के एक दिन के अंदर ही 30,000 से अधिक लोगों ने जन लोकपाल बिल के लिए अपना समर्थन दर्ज कराया। 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के आयोजकों ने बताया कि महाराष्ट्र से 30,000 लोगों ने उनकी वेबसाइट पर आंदोलन के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है। एक सक्रिय फेसबुक पृष्ठ पर 60,000 से अधिक प्रशंसकों की सूची और ट्वीटर के जरिए अपने विचार प्रस्तुत करने वाले 3,300 से अधिक समर्थकों को देखकर यह अवश्य महसूस होता है कि 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन पहले ही एक बड़ी सफलता का रूप ले चुका है। इस वेबसाइट पर अकेले मुंबई में 20,000 से अधिक सदस्यों के नाम हैं। 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' (अर्थात् भ्रष्टाचार के विरूद्ध भारत) की ओर से खोले गए फेसबुक पृष्ठ पर कुछ दिनों के अंदर ही समर्थकों की संख्या 1,50,000 से अधिक जा पहुँची।

'इकोनॉमिक टाइम्स' (9 अप्रेल 2011) के अनुसार – ''केवल 3 दिन के अंदर भारत में 79 नगरों में जगह–जगह मौजूद 8,26,000 उपयोगकर्ताओं से कुल 44 लाख ट्वीट (संदेश) प्राप्त हुए। यह अन्ना हजारे और भ्रष्टाचार के विरूद्ध उनके धर्मयुद्ध के पक्ष में भारतवासियों द्वारा कंप्यूटर के जरिए सीधे–सीधे व्यक्त की गई भावनाओं का एक नमूना भर है। इनमें सर्वाधिक संख्या उन लोगों की हैं, जिनकी आयु 36 और 45 वर्ष के बीच है, फिर उनका नंबर आता है जो 46 वर्ष से ऊपर के हैं।

आमतौर पर यदि कई हजार लोग कुछ हजार वर्गमीटर की जगह में ठसाठस भरे हों तो धक्का–मुक्की होने, जेबकतरों की बन आने और बुरे बरताव का माहौल बन जाना एक सामान्य बात हो जाती है। लेकिन जन लोकपाल बिल आंदोलन के चलते ऐसा कुछ नहीं हुआ। अन्ना के पाँच दिनों के अनशन के दौरान दिल्लीवालों ने अपने श्रेष्ठतम् व्यवहार का परिचय दिया। वहाँ जोश एवं उत्साह था, लेकिन अक्खड़पन नहीं था। कंधे से कंधा भिड़ा होने के

बावजूद छेड़खानी और दुर्व्यवहार की कोई घटना नहीं हुई, जबकि दिल्ली इन घटनाओं के लिए बदनाम है। व्यापार मेला हो या नए साल की पार्टी, घटिया हरकतों के कारण दिल्ली का नाम खराब होता है। आदेशों की अवहेलना के लिए कुख्यात दिल्लीवासियों ने 'आमरण अनशन' के मंच से लगाई गई गुहारों का उसी तरह पालन किया जैसे घड़ी अपना काम करती है। जब उनसे बैठने के लिए कहा गया, वे चुपचाप बैठ गए और पंजीकरण डेस्क पर अपनी बारी के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, यहाँ तक कि उन्हें 'पहले आप' कहते हुए भी देखा गया; जबकि अन्य अवसरों पर ऐसे उदाहरण कम ही सामने आते हैं। फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, एस. एम.एस. अभियान और जनसंचार माध्यमों द्वारा लगातार रिपोर्ट देते रहने का ही नतीजा था कि अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध चलाए गए अभियान को इतनी भारी सफलता प्राप्त हुई। विमुख रहने वाले या बोलने में कंजूसी करने वाले नवयुवकों तथा मध्य वर्ग के लोगों द्वारा इस आंदोलन में भारी तादाद में हिस्सा लेने के पीछे भी यही कारण था।[149] इस प्रकार इस आन्दोलन में मिला भारी जनसमर्थन से यह साबित हो गया कि देश अभी पूरी तरह सोया नहीं है उसे एक गांधी की जरूरत थी जो अन्ना के रूप में मिल गया। अन्ना का कहना है कि "सरकार ने व अन्ना टीम के 5–5 सदस्यों ने मिलकर एक ड्राफ्ट बनाया। 9 मिटिंगें हुई, 3 माह तक मीटिंगें चलती रही। परन्तु सरकार अचानक पलट गई और उसने ड्राफ्टिंग कमेटी को अस्वीकार कर दिया। सरकार ने धोखाधड़ी कर दी और एक नया ड्राफ्ट बनाया जिसमें सभी मंत्री, (M.L.A.) सांसद, प्रधानमंत्री आदि इस बिल से बाहर हो गए। अन्ना हजारे का आक्रोश ओर बढ़ गया क्योंकि 3 महिने सरकार ने व्यर्थ में बरबाद कर दिये थे। यह बात सरकार की कथनी व करनी में अन्तर को बताता है।"

इस प्रकार अन्ना के आह्वान पर भारत सरकार ने लोकसभा के मानूसन सत्र (2011) में इसके शुरूआती हफ्ते में ही एक नया बिल बनाकर पेश कर दिया। अन्ना के अप्रैल प्रथम सप्ताह के अनशन का यह परिणाम है परन्तु इसका प्रारूप पूरी तरह सरकारी होने के कारण अन्ना टीम ने इसे रिजेक्ट कर, अपने द्वारा बनाए बिल को पेश करवाने का अभियान शुरू कर दिया। अप्रैल से अगस्त तक अन्नाजी व उनके सहयोगी इसी काम में दिन–रात एक करके जुटे रहे।[150] अन्ना जिस रूप में चाहते थे उस रूप में यह स्वीकृत होता तो यह अन्ना हजारे की एक महान् उपलब्धि होती परन्तु सरकारी लोकपाल विधेयक व जन लोकपाल विधेयक अलग–अलग हो गए। (जिसकी एक समीक्षा India Against Corruption ग्रुप ने प्रस्तुत की है)[151] जो इस प्रकार है –

सारणी 4.1 सरकारी लोकपाल विधेयक व जन लोकपाल विधेयक में अन्तर

S.No.	सरकारी लोकपाल विधेयक	जन लोकपाल विधेयक
(1)	सरकारी लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के मामलों पर खुद या आम लोगों की शिकायत पर सीधे कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।	प्रस्तावित जन लोकपाल बिल के तहत लोकपाल स्वयं किसी भी मामले की जाँच शुरू करने का अधिकार रखेगा।
(2)	सरकारी विधेयक में लोकपाल विधेयक केवल परामर्शदात्री संस्था बनकर रह जाएगा।	जन लोकपाल सशस्त संस्था होगी। जिसमें मामले की जाँच के बाद मुकदमा चलाने का अधिकार होगा।
(3)	सरकारी विधेयक में लोकपाल के पास पुलिस शक्ति नहीं होगी।	जनलोकपाल केवल प्राथमिकी ही दर्ज नहीं करा पाएगा बल्कि उसके पास पुलिस फोर्स भी होगी।
(4)	सरकारी विधेयक के लोकपाल का अधिकार क्षेत्र सांसद मंत्री व प्रधानमंत्री तक सीमित होगा।	उसके दायरे में प्रधानमंत्री, समस्त नेता, अधिकारी, न्यायाधीश सभी आएगें।
(5)	इस लोकपाल में 3 सदस्य होगें जो सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे।	जन लोकपाल में 10 सदस्य होगें और इसका एक अध्यक्ष होगा 4 सदस्यों की कानूनी पृष्ठभूमि होगी, बाकी का चयन किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र से हो सकता है।
(6)	सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल को नियुक्त करने वाली समिति में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के नेता, विपक्ष के नेता, तथा कानून व गृहमंत्री होगें।	प्रस्तावित जन लोकपाल बिल में न्याय क्षेत्र के लोग मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक व महालेखा परिक्षक, भारतीय मूल के नोबेल व मेग्सेसे पुरस्कार विजेता भी इसके साथ रहेगें।
(7)	सरकारी लोकपाल विधेयक में दोषी को छः से सात माह की सजा हो सकती है और घोटाले के धन को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।	जन लोकपाल बिल में कम से कम 5 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही दोषियों से घोटाले के धन की भरपाई का भी प्रावधान है।
(8)	गलत तरीकों से अर्जित धन–दौलत को बरामद करने की कोई व्यवस्था कानून में नहीं दी गई है। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति जेल से बाहर आ सकता है और उस धन दौलत पर मजे कर सकता है।	भ्रष्टाचार के कारण सरकार को हुए नुकसान की भरपाई सभी अभियुक्तों से की जाएगी।
(9)	राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठाने वाले अनेक लोगों की हत्या की जा रही है। लोकपाल के पास उन्हें संरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं है।	लोकपाल के पास पर्याप्त अधिकार होंगे कि वह भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वालों को शारीरिक एवं व्यावसायिक उत्पीड़न से बचा सके तथा उन्हें संरक्षण दे सके।

S.No.	सरकारी लोकपाल विधेयक	जन लोकपाल विधेयक
(10)	हमारी समस्त शासन–प्रणाली में लोक शिकायत निवारण व्यवस्था बहुत लचर व अपर्याप्त है, जिसके कारण लोगों को घूस देने के लिए विवश होना पड़ता है। लोकपाल बिल में इस समस्या का समाधान नहीं है।	लोकपाल के पास ऐसे अधिकार होंगे कि वह शिकायत को एक समयबद्ध ढंग से निपटाने के आदेश जारी कर सके। लोकपाल दोषी अधिकारियों पर वित्तीय दंड लगा सकेगा, जिसका भुगतान मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता को किया जाएगा।
(11)	अध्यक्ष फैसला करेगा कि लोकपाल द्वारा किन शिकायतों की जाँच की जाएगी।	लोकपाल शिकायत की सुनवाई किए बिना जनता से प्राप्त किसी भी शिकायत को खारिज नहीं कर सकेगा।
(12)	यह बिल जजों के विरूद्ध शिकायतों की जाँच की बात नहीं करता है।	लोकपाल को जजों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने का अधिकार होगा।
(13)	यह बिल अधिकारी वर्ग के भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिए नहीं है। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारी किसी भी कार्यवाही के भय के बिना अपने पद पर बने रहेंगे।	लोकपाल को अनुशासनिक कार्यवाही का निर्देश देने, यहाँ तक कि भ्रष्ट अधिकारी को पद से बर्खास्त करने का भी अधिकार होगा।
(14)	हालाँकि जाँच करने के लिए लोकपाल के लिए 6 माह से एक साल तक की समय–सीमा निर्धारित की गई है, परन्तु उसके बाद मुकदमें की कार्यवाही पूरी करने की कोई समय–सीमा नहीं रखी गई है।	जाँच 1 साल के अंदर पूरी होनी चाहिए, विचारणा या मुकदमें की कार्यवाही अगले 1 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो जानी चाहिए।

इस प्रकार "जन लोकपाल बिल (सिटीजन्स ओम्बुड्समैन बिल) प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं (न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल) द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार–विरोधी बिल का प्रारूप है जिसे पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। अतः ये जन लोकपाल के रूप में एक स्वतंत्र निकाय ही माना जाएगा। सेवा–निवृत्त I.P.S. अधिकारी किरण बेदी और स्वामी अग्निवेश, श्री श्री रविशंकर, अन्ना हजारे तथा मल्लिका साराभाई जैसे जाने–माने लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं जिसे 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' का नाम दिया गया है। इसकी वेबसाइट पर इस आंदोलन का वर्णन इस प्रकार किया गया है "यह भ्रष्टाचार के विरूद्ध भारत के लोगों के सामूहिक आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हम सभी जन लोकपाल बिल को कानून बनाने हेतु सरकार को बाध्य करने/निवेदन करने/मनाने/सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि यह बिल अगर कानून बन जाता है तो यह भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक कारगर प्रतिरोधक सिद्ध होगा।"[152]

सरकार द्वारा जन लोकपाल के प्रति बेरूखी का वातावरण व इसे सरकारी बिल से बदलने की प्रवृत्ति से क्षुब्ध अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने लिखे पाँच–सूत्री पत्र में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र की शब्दावली इस प्रकार है –[153]

प्रिय डॉ. मनमोहन सिंह जी,

मैनें जंतर–मंतर पर अपना अनिश्चितकालीन अनशन आरंभ कर दिया है। मैंने 5 अप्रैल को आपको भी उपवास करने और एक भ्रष्टाचार–मुक्त भारत के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया था। यद्यपि आपकी तरफ से कोई उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपने ऐसा अवश्य किया होगा।

मेरे उपवास के प्रति आपकी सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़कर और सुनकर मुझे दुःख हुआ है। कांग्रेस पार्टी और सरकार की ओर से जो मुद्‌दे उनके प्रवक्ताओं द्वारा उठाए गए हैं और मीडिया के जरिए जिस रूप में पेश किए गए हैं, उनको स्पष्ट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ –

- यह कहा जा रहा है कि इस अनशन पर बैठने के लिए मुझे कुछ लोग उकसा रहे हैं। प्रिय मनमोहन सिंहजी, यह बात मेरे विवेक और मेरी समझ का अपमान है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, जिसे अनिश्चितकालीन उपवास पर जाने के लिए 'उकसाया' जा सके। मैं अनेक मित्रों और आलोचकों से सलाह अवश्य लेता हूँ, लेकिन करता वही हूँ जिसे करने के लिए मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है। यह मेरा अनुभव रहा है कि चारों तरफ से घिर जाने के बाद सरकारें ऐसा ही दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने पर उतर आती है। मुझे दुःख इस बात का है कि भ्रष्टाचार के मसले का कोई हल तलाशने के बजाय सरकार कुचक्र रचने का आरोप लगाने की चेष्टा कर रही है ; जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
- यह कहा जा रहा है कि मैंने अधैर्य दिखाया है। प्रिय प्रधानमंत्रीजी, असल बात तो यह है कि अब तक प्रत्येक सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के प्रति पूरी उदासीनता और राजनीतिक वचनबद्धता की कमी का परिचय दिया है। स्वतंत्रता मिलने के 64 वर्ष बाद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई स्वतंत्र और कारगर प्रणाली नहीं है। पिछले 42 वर्षो में बहुत ही कमजोर लोकपाल बिल आठ बार संसद में पेश किए गए हैं। संसद ने उन कमजोर बिलों को भी पास नहीं किया। इसका अभिप्राय यही लिया जा सकता है कि राजनीतिज्ञ और अधिकारीगण चाहते हैं कि इसे उन्हीं की मरजी पर छोड़ दिया जाए और वे कभी भी ऐसा कोई कानून पास नहीं करेंगे, जो उन्हें किसी जाँच के घेरे में लाने वाला हो। आज जब इस देश के सामने भारी–भरकम घोटाले निकलकर आ रहे हैं, ऐसे में पूरे देश में बेचैनी का फूट पड़ना न्यायोचित ही है। और हम आपसे पुकार लगाते है कि आप पूर्वोदाहरण तलाशने के बजाय साहस दिखाएँ और अभूतपूर्व कदम उठाएँ।

- ऐसा कहा जा रहा है कि मैं अधीरता दिला रहा हूँ, जबकि सरकार ने प्रक्रिया 'आरंभ कर दी' है। क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि वास्तव में कैसी प्रक्रिया चल रही है ?

- आप कहते है कि आपका मंत्री–समूह भ्रष्टाचार–विरोधी कानून का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस मंत्री–समूह के अनेक सदस्यों का अतीत इतना कुत्सित है कि यदि कोई कारगर भ्रष्टाचार–विरोधी व्यवस्था मौजूद होती तो उनमें से कुछ लोग आज सलाखों के पीछे होते। क्या आप हमसे इस प्रक्रिया में विश्वास रखने की अपेक्षा करते हैं, जिसमें शामिल इस देश के कुछ बहुत ही भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार–विरोधी कानून बनाने में लगे हो ?

- एन.ए.सी. की उप–समिति ने जन लोकपाल बिल पर चर्चा की है। लेकिन वास्तव में उसका क्या मतलब निकलता है ? क्या सरकार एन.ए.सी. उप–समिति की सिफारिशें स्वीकार करेगी ? अब तक यू.पी.ए.–2 ने एन.ए.सी. द्वारा उठाए गए अत्यंत अहानिकर विषयों की ओर भी तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा है।

- 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' से मैंने और मेरे अन्य मित्रों ने 1 दिसंबर के बाद कई पत्र आपको लिखे। 1 दिसंबर को मैंने जन लोकपाल बिल की एक कॉपी भी आपको भेजी थी। हमें कोई उत्तर नहीं मिला। जब मैंने आपको लिखा कि मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाऊँगा, तब जाकर आपने तत्परता दिखाई और मुझे 7 मार्च को विचार–विमर्श के लिए बुलाया। मुझे आश्चर्य है कि सरकार अनिश्चितकालीन अनशन की धमकियों का ही जवाब देती है। उसके पहले 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के प्रतिनिधि विभिन्न मंत्रियों से मिलते रहे और जन लोकपाल बिल के लिए उनका समर्थन मांगते रहे। आपके साथ हमारी भेंट के कुछ घंटों पहले हमें श्री मोइली के दफ्तर से एक फोन आया और हमें सूचित किया गया कि जन लोकपाल बिल की कॉपी उनके दफ्तर में मिल नहीं रही है और उन्हें इस बिल की एक और कॉपी भिजवा दी जाए। इस उदाहरण से ही पता चलता है कि सरकार जन लोकपाल बिल के बारे में कितनी गंभीरता दिखा रही है।

- प्रिय डॉ. मनमोहन सिंहजी, अगर आप मेरी जगह होते, तब भी क्या उपर्युक्त प्रक्रियाओं में आपका इतना ही विश्वास होता ? अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो कृपया उसके बारे में भी मुझे बताने का कष्ट करें। यदि आप अब भी सोचते हैं कि मैं बेचैन हूँ तो मुझे खुशी है कि मैं बेचैन हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी सरकार द्वारा विश्वसनीय प्रयासों के अभाव में सारा देश इस समय बेचैनी महसूस कर रहा है।

- हम क्या माँग रहे हैं ? हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा बिल स्वीकार कर लें, जो हमने बनाया है। लेकिन चर्चा करने के लिए एक विश्वसनीय मंच–एक संयुक्त समिति का गठन तो किया ही जा सकता है, जिसमें कम–से–कम आधे सदस्य, हमारे सुझाव के अनुसार, सिविल सोसाइटी से हो। आपके प्रवक्तागण यह कहकर राष्ट्र को भ्रमित कर रहे हैं कि ऐसी कोई संयुक्त समिति बनाने का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। महाराष्ट्र में कम–से–कम सात कानूनों का प्रारूप ऐसी ही संयुक्त समितियों द्वारा तैयार किया गया था और महाराष्ट्र की विधानसभा में पेश किया गया था। उस समय के कानूनों में एक सबसे बढ़िया कानून, 'महाराष्ट्र आर.टी.आई. एक्ट' था, जिसका मसौदा एक संयुक्त समिति ने बनाया था। केंद्र में भी जब दो वर्ष पहले 25,000 आदिवासी दिल्ली आए थे, आपकी सरकार ने भूमि संबंधी मसलों पर एक संयुक्त समिति का गठन 48 घंटों के अंदर कर दिया था। आप स्वयं उस समिति के अध्यक्ष थे। इसका मतलब है कि सरकार, भ्रष्टाचार को छोड़कर, किसी भी अन्य विषय पर संयुक्त समिति बनाने के लिए तैयार है। क्यों ?
- यह भी कहा जा रहा है कि सरकार तो हमसे बात करना चाहती है, हम ही उनसे बात नहीं कर रहे हैं। यह बिल्कुल झूठी बात है। कोई भी एक बैठक बताएँ, जब आपने हमें बुलाया और हम नहीं पहुँचे ? हम संवाद में और संवाद को बनाए रखने में पक्का विश्वास रखते हैं। कृपया यह कहकर राष्ट्र को भरमाएँ नहीं कि हम बातचीत से पीछे हट रहे हैं।

आपसे हमारा अनुरोध है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए कुछ विश्वसनीय कदम उठाएँ। कृपया हमारे आंदोलन में दोष निकालना और कुचक्रों का संदेह करना बंद करें। हमारे आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी, तब भी उसकी आड़ लेकर आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

सादर !

के.बी.हजारे

इसी क्रम में अन्ना और उसकी टीम द्वारा समर्थित लोकपाल विधेयक आन्दोलन सरकार से असहमति होने पर पहले अप्रैल 2011 और उसके बाद मई जून–जुलाई से होते हुए अगस्त तक पहुँचा। इस बीच सरकार के साथ कई स्तरों पर बातचीत करनी पड़ी, देश भ्रमण कर लोगों को जाग्रत करना पड़ा। लगभग दो माह तो उन्हें वार्ता, मनाने व मनने में ही लग गया।

उनके कार्य में कई प्रकार की बाधाऐं आई। कुछ बाधाऐं विरोधियों द्वारा जानबूझकर खड़ी की गई क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अन्ना का मिशन सफल हो परन्तु सर पर कफन बांधकर निकल चुके अन्ना को तो तब तक चैन नहीं लेना था जब तक आन्दोलन को परिणति तक नहीं पहुंचा लेते। कहीं सरकारी तंत्र उन्हें धमकियां दे रहा था तो कहीं गैर सरकारी लोग उनकी टांग खींचने की तरकीबें लड़ा रहे थे। बीच में रहकर, विश्वास पात्र बनकर भी कुछ ने उनको लक्ष्य से गिराने की भी कोशिशें की। अन्ना की तैयारी के बाद 16 अगस्त–28 अगस्त 2011 तक अन्ना हजारे ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन छेड़ दिया। अन्ना ने अपने समर्थको के साथ लोकसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए कमजोर लोकपाल बिल के खिलाफ विरोध शुरू करते हुए मुम्बई के दादर से 15 अगस्त को एक रैली निकाली।

गांधी टोपी पहने सैकड़ों समर्थकों और दो पहिया एवं 4 पहिया वाहनों में सवार लोगों के दल के साथ हजारे ने सुबह 9 बजे रैली शुरू की। महात्मा गांधी की तर्ज पर ही इस गांधीवादी ने अपने आंदोलन का शांतिपूर्ण तरीके से आगाज किया। अब अन्ना का आन्दोलन दुबारा शुरू हो गया। अपनी पूरी तैयारी के बाद 15 अगस्त 2011 को अन्ना ने दिल्ली वालों को लाइट ऑफ करके यह बताने को कहा कि क्या वो अभी भी अन्ना के साथ है और साथ है तो यही आन्दोलन की दुबारा शुरूआत होगी ? जनता ने ऐसा ही किया। रामलीला मैदान में 16 तारीख सुबह 10 बजे आन्दोलन शुरू होने वाला था। 7 बजे ही पुलिस के 250 ऑफिसर की फौज व अफसर अन्ना के निवास स्थान (प्रशांत भूषण जी का खाली घर) पर आ पहुँची और अन्ना को कहा कि विधेयक के लिए वरिष्ठ अधिकारी को आपसे चर्चा करनी है। इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। वे उन्हें न्यायालय ले गए, जहाँ उन्हें बिना आदेश 8 दिन की सजा सुनाई गई व तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सारी जनता गुस्से में थी और जेल के बाहर एकत्र होकर जयकारा लगा रही थी, तब सरकार और डर गई और उन्हें 1 दिन में ही वापस न्यायालय ले जाकर सजा खारिज कर दी गई और उन्हें मैदान में छोड़कर आने की बात कही यह अन्ना के लिए आश्चर्य की बात थी कि 8 दिन 1 दिन में कैसे पूरे हो गए ? उन्होने तय किया कि उन्हें कहीं नहीं जाना व वे ऑफिस में ही रहकर अपना अनशन जारी रखेंगे। बड़ी कठिनाईयों में रहकर अन्ना ने 3 दिन बिताए। इस बारे में अन्ना का कहना है कि "यह सरकार की चाल थी कि उन्हें जेल से दिल्ली एयरपोर्ट व वहां से पुणे एयरपोर्ट, फिर सीधे भंडारदरा, जहां कोई लोक नहीं है, जहां कोई नहीं जाता, भेजने की साजिश थी, इस प्रकार मेरे गायब हो जाने से आन्दोलन स्वतः ही समाप्त हो जाता। इसलिए उन्हें अचानक रामलीला मैदान छोड़ने की बात सरकार ने कही।"[154]

विशाल जनसमर्थन को देखते हुए तीसरे दिन अन्ना को रामलीला मैदान जाने की स्वीकृति मिल गई, अन्ना जब वहाँ गए तो वह दृश्य अन्ना के जीवन का अविस्मरणीय सन्दर्भ

था। इतने विशाल जन आन्दोलन को जारी रखने वाली जनता अभी भी उनके साथ थी और उनके आने का इन्तजार कर रही थी। उनके विश्वास पर पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था। लाखों की संख्या में जमा भीड़ उनके भारी समर्थन का अहसास करा रही थी। अन्ना को जैसे वही स्मृति हो उठी जब स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधीजी को ऐसा जन सैलाब समर्थित करता था, यानि सत्याग्रह की ताकत स्पष्ट थी। अन्ना ने एक ही बात अपने चाहने वालों से कही कि "अन्ना रहे या ना रहे, ये मशाल जलती रहे।" और इसी के साथ अन्ना का लोकपाल आन्दोलन एक बार फिर अपनी दिशा ले चुका था, दुगने जोश के साथ वह आगे बढ़ रहा था। सर्वप्रथम अन्ना ने गांधीजी की समाधि राजघाट पर नमन किया और उन्हें सहृदय धन्यवाद ज्ञापित कर कहा कि "दे दी हमें आजादी तूने खड़ग बिना ढाल, साबरमति के संत तूने कर दिया कमाल" जो आजादी का स्वप्न आपने देखा वह हमें पूरी नहीं मिली। आपका प्रयास था तानाशाह अंग्रेजों को बाहर निकालना, लोकतंत्र को लाना परन्तु अंग्रेज तो चले गए, पर सही तरह से लोकतंत्र की स्थापना न हो सकी। संविधान में तो लिख दिया परन्तु मूल्यों को व्यक्ति अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाया। देश में इस लोकतंत्र को लाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप हमें वो अहिंसक सत्य की सत्याग्रही शक्ति प्रदान करें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।" इसी के साथ वे आगे बढ़े जहां आजादी के लिए शहीद हुए शहीदों के स्मारक को नमन किया और कहा कि "हमें लाखों शहीदों का बलिदान याद है, समय आने पर हम भी उस बलिदान को दोहराएगें'' और इसी के साथ रामलीला मैदान में अनशन जारी रखा। अन्ना द्वारा 16 अगस्त 2011 को ही इस दूसरी क्रांति का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने "अंग्रेजों, भारत छोड़ो" का नारा दिया था और भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरूआत की थी।[155] 16 से 28 अगस्त 2011 के अनशन का सफर कैसा रहा, इन 13 दिनों में ऐसा क्या–क्या हुआ जिसे याद रखना अत्यन्त अनिवार्य है। अतः इनकी एक संक्षिप्त तस्वीर प्रस्तुत है –

सारणी 4.2 अन्ना हजारे का 16–28 अगस्त 2011 के अनशन का संक्षिप्त विवरण

दिन	तिथि	घटनाऐं
(1)	16 अगस्त	अनशन के लिए सीढ़ियों से उतरकर जा रहे अन्ना हजारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें घुमा–फिराकर आंख मिचौली करते हुए सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया गया जैसे ही बात फैली, पूरे देश में केन्द्र सरकार की भर्त्सना हुई, सरकार का सम्मान कम होने लगा, अन्ना का कद बढ़ने लगा। पुलिस की कार्यवाही की भी खूब निन्दा हुई। एक विशाल जन आक्रोश उमड़ा।
(2)	17 अगस्त	दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में टीम अन्ना को सशर्त आंदोलन की इजाजत दी। परन्तु शर्ते ऐसी जिन्हें मानना मुश्किल, अनशन की अवधि को लेकर मतभेद बढ़ते रहे, टीम अन्ना की भागदौड़ काम नहीं आई।

दिन	तिथि	घटनाऐं
(3)	18 अगस्त	तिहाड़ जेल में भी अन्ना का अनशन जारी रहा। उन्हें 15 दिन तक अनशन करने की इजाजत दी गई। लोग तिहाड़ जेल के बाहर हजारों की तादाद में 24 घण्टे जमे रहे और नारेबाजी करते रहे।
(4)	19 अगस्त	हालातों की वजह से अन्ना को रिहा करना पड़ा। उनकी यह रिहाई 60 घण्टों के बाद हुई। अन्ना विशाल रैली के साथ रामलीला मैदान में पहुँचे, अनशन जारी था, देश भर में समर्थन में रैलियां व अनशन होने लगे। लोग रामलीला मैदान में ऐसे पहुँचे कि दिन–रात वहीं बिताने लगे और अन्ना को समर्थन देने लगे।
(5)	20 अगस्त	प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आज लोकपाल के मसले पर बीच के रास्ते के संकेत देकर अन्ना समर्थकों को शांत करने का प्रयास किया। इसी दिन टीम अन्ना की ओर से एक नई मांग उठी। उन्होंने कहा कि सरकार लोकपाल पर जनमत संग्रह करवाए।
(6)	21 अगस्त	देश में क्रोध बढ़ता रहा। लोगों में सरकार तथा इसके दो–तीन मंत्रियों के विरूद्ध आक्रोश रूकने का नाम नहीं ले रहा था। भारी जनसमर्थन देकर अन्ना हजारे ने 30 अगस्त की तिथि देकर कहा – इस दिन तक या तो सरकार जन लोकपाल विधेयक पास करे या गद्दी छोड़े। इस चेतावनी से सरकार में हड़बड़ी जैसा माहौल पैदा हो गया।
(7)	22 अगस्त	कपिल सिब्बल तथा पी. चिदंबरम के प्रति रोष इतना बढ़ गया कि अन्ना ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने कह दिया कि वे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी के अलावा और किसी से बात नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन दोनों के सिवा वे किसी और की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगें।
(8)	23 अगस्त	आज अन्ना की तबीयत बिगड़ती ही गई। देश भर में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री की चिंता बढ़ी। उन्होंने अन्ना हजारे को पत्र लिखकर उनके जीवन को बहुमूल्य बताया तथा अतिशीघ्र अनशन तोड़ने को कहा। उन्होंने यह भी लिखा कि सरकार उनकी कुछ शर्ते मानने को तैयार है। सरकार ने नरमी अपनायी।
(9)	24 अगस्त	कुछ वार्ता हुई, परन्तु सरकार व टीम अन्ना में वार्ता विफल हो गई। इसी शाम सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने विचार–विमर्श किया और सरकार ने बनती बात बिगाड़ते हुए अपने तेवर कड़े कर लिए। सरकार ने कह दिया कि अन्ना की तीन मांगें किसी भी हालत में नहीं मानी जा सकती।
(10)	25 अगस्त	आज अन्ना की तबीयत और भी बिगड़ी। अन्ना पक्ष भी कठोर हुआ। इस पर सरकार के तेवरों में कुछ नमी आई। उसने कह दिया कि वह जन लोकपाल विधेयक को लोकसभा में पेश करने को तैयार है, फिर भी हजारे की तीन मांगों का क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।
(11)	26 अगस्त	आज लोकसभा में जन लोकपाल पर बहस होनी थी, परन्तु यह नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने 7 पृष्ठों का वक्तव्य लोकसभा में पढ़ा। इसने खेल और भी बिगाड़ दिया। राहुल के वक्तव्य पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई।
(12)	27 अगस्त	सदन में दिन भर बहस चलती रही। प्रणव मुखर्जी के बयान के बाद सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता ने लम्बा वक्तव्य दिया, फिर एक के बाद एक सभी पार्टियां अपना पक्ष रखती रही। सरकार ने अन्ना की तीनों मांगों को मानने की बात कह दी, बल्कि उन्हें कहनी पड़ी। अन्ना को जब लिखित सहमति विलासराव देशमुख ने पहुंचाई तो अन्ना ने भी अनशन तोड़ने की बात कहकर सबको राहत पहुंचाई।

दिन	तिथि	घटनाऐं
(13)	28 अगस्त	सरकार के लिखित आश्वासन को मानते हुए अन्ना ने रविवार 28 अगस्त 2011, प्रातः सवा दस बजे नारियल व शहद के साथ अपना अनशन तोड़ा। 5 साल की सिमरन व इकरा ने नारियल पानी व शहद पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। रामलीला ग्राउंड तथा पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जहां–जहां भी अनशन चल रहे थे, सब तोड़े गए। अन्ना ने इसे लोगों की जीत बताकर बहुत से वर्गो का धन्यवाद दिया।

दरअसल जब अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ी, उन्होंने अपना धैर्य कायम रखा और लोगों को इसी प्रकार अहिंसक रहते हुए आन्दोलन को आगे बढ़ाने को कहा। जब सरकार ने एक और बनावटी ड्राफ्ट अन्ना के सामने रखा। अन्ना ने उसे अस्वीकार कर दिया। पूरे देश की जनता में जो जोश दिखाई दे रहा था वह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। बारिश में भी लोग ग्राउण्ड में बैठे थे। बढ़ते जन समर्थन को देखते हुए सरकार चिंतित हो गई और 28 अगस्त तक अभियान चलता रहा। प्रधानमंत्री मनमोहनजी ने अन्ना को पत्र लिखकर सूचना भेजी कि आपका जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, अनशन छोड़िये, आपका व हमारा एक ही मकसद है, देश से भ्रष्टाचार मिटाना। तब मनमोहन सरकार ने अन्ना को एक पत्र लिखा कि हम व हमारी सरकार एक ऐसा लोकपाल कानून लाने को सोचती है जो सबसे बेहतर होगा। सम्पूर्ण लोकपाल पर चर्चा होती रहेगी तब अन्ना ने कहा अभी संसद चालू है, चालू संसद में इसे रखो और इन तीन बातों पर भी सहमति कराओ –

1. क्लास 1, 2, 3, 4 यानि बड़े बड़े मंत्री, अफसरों का भी लोकपाल के दायरे में आना।
2. जनता की राय महत्वपूर्ण
3. हर राज्य में सशक्त लोकायुक्त कानून बनाना।

शाम को ही संसद की कार्यवाही शुरू हो गई और इसे दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। पत्र के नीचे मनमोहन सरकार का हस्ताक्षर भी था जिस पर अन्ना ने विश्वास कर आन्दोलन वापस ले लिया।

परन्तु कुछ भी असल में लागू नहीं हुआ। बाकि की मांगों की तरफ सरकार का रवैया वैसा ही रहा। तब अन्ना हजारे को महसूस हुआ कि सरकार उनके साथ खेल खेल रही है। उनका विरोध जारी रहा। 17 दिसम्बर 2013 के बाद 25 दिसम्बर क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एक विशेष बैठक बुलाई गई। संसद में एक बार फिर लोकपाल बिल का जमकर मखौल उड़ाया गया, बिल की कॉपियाँ तक सांसदों, मंत्रियों के द्वारा फाड़ दी गई। अतः स्पष्ट है कि हमारा लोकतंत्र बहुमत में बैठी पार्टियों का गुलाम हो चुका है। इस लोकतंत्र का पवित्र मंदिर हमारी संसद अब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो जनता की खुशहाली के लिए नहीं बल्कि उसकी मेहनत की कमाई को लूटने आते है। ऐसे लोगों से जनता के भले के लिए सख्त कानून बनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए बीते एक साल में जनता को एक के

बाद एक धोखे दिए गए। हमारे सामने प्रश्न ये है कि लोकपाल व लोकायुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण कारण है और उसके लिए जनता को बार–बार अनशन करना पड़ रहा है। ये तो स्वयं सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है।

जब 17 दिसम्बर 2013 को रालेगण में अन्ना हजारे ने इस आन्दोलन के लिए फिर से अनशन किया तो सरकार ने इसे पारित कर दिया परन्तु धारा 63 व धारा 44 में बदलाव के साथ जिसमें सशक्त लोकपाल बनाने वाले कानूनों को कमजोर कर दिया गया। इन धाराओं में संशोधन मात्र 3 दिन में हो गया 1 दिन में लोकसभा, 1 दिन में राज्यसभा व 1 दिन में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कानून संशोधन हो गया। अन्ना ने इस पर टिपण्णी की "भ्रष्ट्राचार को बढ़ावा देने वाले कानून को 3 दिन में संसद की मजूंरी मिल जाती है परन्तु भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाला कानून वर्षो तक लम्बित है क्योंकि इस बिल के दायरे में 90% नेता, 95% सरकारी कर्मचारी व सभी राजनीतिक दल आते हैं।

इस प्रकार यह सरकार की मनमानी है। 18 दिसम्बर 2013 को यह बिल पारित किया गया, 1 जनवरी 2014 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और 16 जनवरी 2014 भारत सरकार के राजपत्र में जारी किया गया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जन लोकपाल बनाने को लेकर महाराष्ट्र के समाज–सेवी अन्ना हजारे ने 12 दिन तक जमकर अनशन किया। अंततः कुछ आश्वासनों पर अन्ना हजारे ने इसे आधी जीत बताकर समाप्त कर दिया। टीम अन्ना के मुताबिक, इन तीन मुद्दों को सरकार ने नहीं माना –[156]

❖ लोकपाल बिल में सभी अफसरों, कर्मचारियों को शामिल किया जाए।
❖ केन्द्र में लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त विधेयक लाया जाए।
❖ हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर बने। हर काम को निपटाने की समय सीमा निर्धारित हो।

जबकि इन मुद्दों पर सरकार टीम अन्ना की बात मानने के लिए तैयार थी –

❖ लोकपाल चुनने की प्रक्रिया जन लोकपाल बिल के अनुरूप होगी।
❖ लोकपाल को हटाने के लिए दरख्वास्त करने का अधिकार जनता का होगा।
❖ प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की लोकपाल जाँच कर सकेगा।
❖ C.B.I. की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का लोकपाल में विलय होगा।
❖ संसद में सांसदों के आचरण की जाँच विशेषाधिकारों के बाद भी की जा सकती है।
❖ उच्च न्यायालय के भ्रष्टाचार से, न्यायपालिका जवाबदेही विधेयक निपटेगा। इसे भी मौजूदा सत्र में पेश किया जायेगा।

❖ लोकपाल की जाँच, F.I.R. दर्ज करने और मुकदमा चलाने का अधिकार होगा।

इस मसौदे के अनुसार अन्ना हजारे ने कहा कि "यह आधी जीत है। लोग फूल रहे हैं। जश्न मनाए जा रहे हैं। दूसरी बात लोगों को यह भी लग रही है कि परम्परागत समाज सेवी और राजनीतिक संगठन अब चेत गए हैं। वैसे हम यहां स्पष्ट कर दें कि इन अनशन की समाप्ति से कोई हारा नहीं है कि किसी को विजेता बताया जाए।"[157] अन्ना के अनशन खत्म से देशभर में उपजा तनाव खत्म हो गया। अब मामला चुनाव सुधार की तरफ मुड़ गया है। वे कहते हैं कि वे महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और यह नहीं भूलना चाहिए कि गाँधीजी छवि राजनीतिक संत की रही है। अन्ना हजारे की वाक्पटुता गजब की है। उनका एक–एक वाक्य जनमानस में प्रभाव डालता है। महाराष्ट्र के समाज सेवी अन्ना हजारे आज पूरे देश के जनमानस में 'महानायक' बन गए हैं। वजह साफ है कि देश में जनसमस्यायें विकराल रूप ले चुकी हैं और इससे उपजा असंतोष उनके आन्दोलन के लिए ऊर्जा का काम कर रहा है। पहले अप्रैल (2011) और फिर अगस्त (2011) में उनके द्वारा किया गया अनशन आम जन को जगाने में काफी सहायक साबित हुआ। जब अप्रैल में उन्होंने अनशन समाप्त किया, तब उनका मजाक उड़ाया गया था कि वे तो केवल प्रयोजित आन्दोलन चला रहे हैं। दूसरी बार अगस्त में उन्होंने 12 दिन तक अनशन किया। इस अनशन से भारत हीं नहीं बल्कि विश्व जनमानस पर पड़े प्रभावों का अध्ययन अभी किया जाना है, क्योंकि इसका प्रचार विदेशों तक हुआ है। फिर जिन लक्ष्यों को लेकर यह अनशन किया गया, उनके पूरे होने की स्थिति अभी दूर दिखाई देती है, मगर देश के चिंतकों के लिए इस समय उनकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है।

अनशन समाप्ति पर महानायक अन्ना हजारे ने कहा "यह जीत अभी अधूरी है और अभी मैंने अनशन स्थगित किया है, समाप्त नहीं।" इस बयान से एक बात तो समझ आती है कि अन्ना में राजनीतिक चातुर्य कूट कूटकर भरा है। देश के सांसदों में अनेक ऐसे हैं, जिन्होंने इस बात को अनुभव किया कि अन्ना की देश में एक महानायक की छवि है और उन पर आक्षेप करने का मतलब होगा देश में आंदोलित युवा पीढ़ी के दिमाग में अपने लिए खराब विचार भरना। अन्ना ने एक ऐसे भारत की कल्पना लोगों के सामने प्रस्तुत की जो अभी स्वप्न ही लगता है, पर सबसे बड़ी बात वह अभी अपने प्रयास जारी रखने की बात भी कह रहे हैं। मुश्किल यह है कि वे अनशन शुरू कर देते हैं तब आदमी का हृदय काँपने लगता है। उन्होंने जिस तरह आज की युवा पीढ़ी को वैचारिक रूप से सशक्त बनाया, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, जो कि अन्ततः हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के वाहक है। अन्ना हजारे के 12 दिनों तक चले अनशन में तमाम उतार चढ़ाव आए। अगर हम तकनीकी दृष्टि से बात करें तो अन्ना के प्रस्तावित जन लोकपाल ने अभी एक इंच कदम ही बढ़ाया है, पर अन्ना के गिरते स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह भारी सफलता है। इस आन्दोलन को लेकर अनेक विवाद है, पर यह तो

इसके विरोधी भी स्वीकारते हैं कि इसके प्रभावों को अनदेखा करना ठीक नहीं है। प्रचलित व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। व्यवस्था के जनविरोधी चरित्र से जिन लोगों का मोह भंग हो रहा था उस पर अन्ना ने एक ब्रेक लगाया है।

अन्ना हजारे ने सत्ताधारी वर्ग के लिए अपने आन्दोलन के माध्यम से ऑक्सीजन का कार्य किया और उस पर ऑक्सीजन सिलेण्डर को ढोने के लिए उन्हीं लोगों के कन्धों का इस्तेमाल किया है जो सत्ताधारी वर्ग के शोषण के शिकार हैं। अन्ना हजारे के 13 दिनों के इस आन्दोलन को भारत के इतिहास की एक अभूतपूर्व व युगान्तरकारी घटना के रूप में रेखांकित किया जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें लाखों लोगों की भागीदारी रही या T.V. चैनलों ने रात दिन इसका प्रसारण किया। किसी भी आन्दोलन की ताकत या समाज पर पड़ने वाले उसके दूरगामी परिणामों का आंकलन मात्र इस बात से नहीं किया जा सकता कि उसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। यदि ऐसा होता तो जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से लेकर, रामजन्मभूमि आन्दोलन, विश्वनाथ प्रतापसिंह का बोफोर्स काण्ड व अन्य भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन जो पिछले 35–40 वर्षों से चल रहे हैं, जिनमें लाखों लोगों की भागीदारी रही, इतने सफल न हो सके। अन्ना का आन्दोलन अतीत के आन्दोलनों से गुणात्मक तौर पर भिन्न है। क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय समाज में बदलाव के लिए संघर्षरत शक्तियों के मध्य यह ध्रुवीकरण का कार्य करेगा। किसी भी हालत में इस आन्दोलन के मुकाबले देश की वामपन्थी क्रान्तिकारी शक्तियां न तो लोगों को जुटा सकती है और ना इतने लम्बे समय तक टिका सकती है जितने लम्बे समय तक अन्ना हजारे रामलीला मैदान में टिके रहे। इसकी सीधी वजह व्यवस्था, आन्दोलन के मूल चरित्र के अनुसार तय करती है कि उसे उस आन्दोलन के प्रति किस तरह का व्यवहार करना है। मीडिया भी इसी आधार पर निर्णय लेता है।

इस तथ्य को बार–बार रेखांकित करने की जरूरत नहीं है कि भ्रष्टाचार का मूल स्त्रोत सरकार की नव उदारवादी आर्थिक नीतियाँ है। इन नीतियों ने ही पिछले 20–25 वर्षो में कुछ लोगों को अरबपति तो कुछ मेहनतकश लोगों को हाशिये पर धकेल दिया है। जहां कॉर्पोरेट घरानों के लिए अपार सम्भावनाओं के द्वार खुले हैं वहीं जल, जंगल और जमीन पर गुजर बसर करने वालों को अभूतपूर्व पैमाने पर विस्थापित कर दिया है और प्रतिरोध करने पर उनका सफाया कर दिया गया। इनकी बदौलत ही आज मीडिया को इतनी ताकत मिल गई कि वह सत्ता समीकरण का मुख्य घटक बन गया है। जिन लोगों को इन नीतियों का लगातार लाभ मिल रहा है वे भला क्यों चाहेगें कि ये नीतियां समाप्त हो। इनके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में जो उथल पुथल चली उससे सत्ताधारी वर्ग के होश उड़ गए। यह उथल पुथल मचाने वाला व्यक्ति अन्ना हजारे जिनका जीवन निष्कलंक है, जिसके अन्दर सत्ता का रत्तीभर भी लोभ नहीं, उनका मकसद समस्या पर प्रहार करना है, वे इस आन्दोलन के नेतृत्वकर्ता हैं,

को जनता अपने हाथों पर तो लेगी ही क्योंकि जनता के लिए तो उनसे बड़ा उद्धारक और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अन्ना हजारे के आन्दोलन ने इस सदी में (21 वीं) स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों व आन्दोलनों की उन लोगों के सामने एक तस्वीर पेश की जिन्होंने फिल्म या तस्वीरों में उनके आन्दोलन को देखा था। गांधीजी के समय में भी दूसरी धाराऐं थी जो गांधी के दर्शन का विरोध करती थी। जब भी किसी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने वाली ताकतें सर उठाती है तो उन्हें वहीं खामोश करने की कोशिशें की जाती है।

28 अगस्त 2011 को अनशन तोड़ने के बाद अन्ना हजारे ने अपने भाषण में आगे आने वाले दिनों में अपना प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने उन सारे मुद्दो को भविष्य में उठाने की बात कही जो सतही तौर पर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का आभास देते हैं। जो इस व्यवस्था को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ और मजबूत बना सकेगी। अन्ना हजारे का आन्दोलन समाप्त हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता बल्कि हमें यह कहना होगा कि उस दिन से अन्ना की विजन या दृष्टि के अनुसार काम करने की शुरूआत हुई है। यह माना जा सकता है कि व्यवस्था के शस्त्रागार से सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जो व्यवस्था बदलने की लड़ाई में लगे लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा और भ्रष्टाचार के जो भी प्रभाव हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा। अतः अन्ना आन्दोलन एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा।

इन सबके अतिरिक्त हमें लोकपाल विधेयक के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रयास भी भ्रष्टाचार के विरूद्ध किये जाने चाहिए जैसे [158]–

- त्वरित कार्यवाही और लगातार निगरानी।
- भ्रष्टाचार को लेकर नियमित सर्वेक्षण।
- भ्रष्टाचार को हटाने के लिए प्रशासनिक कार्यों में देरी ना करना।
- .सरकारी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्ण कार्य किया जाना।
- मध्यस्थों को समाप्त करना।
- प्रशासन को उसकी क्षमता के अनुसार ही कार्य सौंपना।
- कर्मचारियों की रोजमर्रा की कठिनाईयों का निस्तारण करना।
- ऐसी आचार संहिता तैयार की जाए जिससे सुनिश्चित हो कि कर्मचारी विपथगामी नहीं होगा।
- अधिकारियों को अपने अधीन कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखना।

- नियुक्ति में सत्यनिष्ठा व कार्यक्षमता को प्राथमिकता देना।
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठाने वालों को सुरक्षा दी जाए।
- यह तय किया जाए कि कौनसा तथ्य गोपनीय है।
- भ्रष्टाचार निवारण का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।
- विशिष्ट अधिनियम बनाया जाए और सजा तय की जाए।
- भ्रष्टाचार को राजद्रोह के समक्ष मान्यता दी जाए।
- सरकारी अधिकारियों से उच्च नैतिक मूल्यों की अपेक्षा की जाए।
- सुविधाऐं इस तरह से दी जाए कि उनका दुरूपयोग ना हो।
- सभी को प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी चाहिए इससे बेनामी सम्पत्ति या कालाधन पर रोक लगेगी।
- भ्रष्टाचार निवारण के मामले में अनुमति में देरी ना हो।
- राजनीतिज्ञों के लिए कल्याणकारी वातावरण निर्मित होना आवश्यक है। राजनीतिज्ञों को उच्च नैतिक चरित्र से ओत–प्रोत होना होगा। अतः सभी व्यक्तियों को साथ मिलकर इस तरह प्रयास करना होगा। सभी को अन्ना हजारे बनना होगा।

जैसा कि यह सर्वविदित है कि अन्ना हजारे जब दिल्ली में अनशन पर बैठे तो पूरा देश हिल गया और जब अनशन समाप्त हुआ तो जैसे देश रातों रात बदल सा गया और मोमबत्तियाँ बुझाकर सारे आन्दोलनकारी अपने–अपने घर लौट गए। इस उम्मीद में कि अब जनलोकपाल विधेयक आएगा और जैसे देश में भ्रष्टाचार मिट जाएगा। यदि इस बात पर गौर करें कि इस अनशन के निहितार्थ क्या है ? और इससे क्या हासिल हुआ ? तो मानना होगा कि देश में भ्रष्टाचार है यह एक खुला रहस्य है और इसे दूर करना इतना आसान नहीं। अन्ना हजारे का आन्दोलन पूरी तरह से तो नहीं परन्तु कुछ हद तक आम जनता में एक किरण पैदा करने में जरूर सफल हुआ है जो इस आशा पर खत्म होती है कि एक दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस अपने अन्दर महसूस कर रहे हैं जो कि अच्छे समय के शुभ संकेत हैं।

इस प्रकार अन्ना हजारे के अनशन ने एक नया इतिहास भारत में बनाया जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न हैं[159] –

❖ भारत में पिछले दिनों यह सोच बन गई थी कि आर्थिक सुधारों ने एक ऐसा सुविधाभोगी, मूल्यविहीन, अराजनीतिक वर्ग पैदा कर दिया है जिसका देश की राजनीति

और समाज से कोई लेना–देना नहीं है, जो सिर्फ अपने लिए जीता है। अन्ना के अनशन ने इस मिथ को तोड़ दिया कि पैसे और समृद्धि ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है और वह राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका भूल गया है। दरअसल, वह निराश था, हताश था, बेबस था। उसे लगने लगा था कि वाकई में इस देश में कुछ नहीं हो सकता। राजनेता ऐसे ही रहेंगे। इस निराशा को एक मसीहा का इंतजार था। अन्ना ने लोगों की निराशा को उम्मीदों में बदल दिया और लोग जुटने लगे।

❖ भ्रष्टाचार ही जीवन है, यह सोच भारत की तस्वीर बन गई थी। घूस लेना और देना अपराध है। ऐसा सोचने वालों को पागल कहा जाने लगा था। लोग कहते थे कि ऊपर की कमाई नहीं होगी तो बेटी का ब्याह कैसे होगा और जिंदगी कैसे चलेगी। घूस लेकर महल खड़ा करने वाले को लोग घृणा की नजर से नहीं, तारीफ की नजर से देखते थे। आम बोलचाल में कहते थे कि आदर्श बघार के क्या होगा, दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक हर चीज के लिए घूस देना अनिवार्य हो गया। सरकारी दफ्तर में जाने का मतलब है दुत्कार सुनना। अन्ना के अनशन ने आम आदमी को समझाया कि वह गरीब सही, लेकिन दुत्कार सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ है और जो सरकारी अफसर या क्लर्क उसको दुत्कार रहे हैं, उन्हें हकीकत में जेल में होना चाहिए। अन्ना ने इस दुत्कार खाने वाले को 'डिगनिटी' दी और अचानक रातोंरात भ्रष्टाचार देश के पटल पर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, इसलिए लोग जुटने लगे।

❖ अन्ना के अनशन ने लोगों को समझाया कि देश की संसद सर्वोच्च है लेकिन अब वह देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने में नाकाम साबित हो रही है। वहां जनता के नुमाइंदों की जगह मर्सीडीज पर सवार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। लोग समझने लगे कि संसद सिर्फ ईंट–गारे की दीवारों का नाम नहीं है, वह लोगों से बनती है। बहस–चर्चा की जगह एक–दूसरे पर कीचड़ उछाला जाने लगा, माइक तोड़े जाने लगे, संसद की आत्मा रोज शर्मसार होने लगी। इसलिए इन दीवारों के बीच जनता के लिए कानून बनने बंद हो गए। अन्ना ने कहा कि कानून बनाने में अगर जनता के प्रतिनिधि नाकाम हैं तो आम आदमी की भागीदारी होनी चाहिए। अन्ना के अनशन ने आम आदमी को यह ताकत दी, इसलिए लोग जुटने लगे।

❖ अन्ना के अनशन ने इस मिथ को तोड़ा कि संसद सबसे ऊपर है और बाकी सब उसके नीचे। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बराबर हैं और इनके बीच संतुलन देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है।

विधायिका में यह अहं बैठ गया था कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वे जनता के द्वारा चुने गए हैं। इसलिए उन्हें कुछ भी करने का अधिकार है। जनता ने कहा कि हमने चुना जरूर है लेकिन अगर आप हमारी भावनाओं, इच्छाओं, आशाओं, निराशाओं को आवाज नहीं देंगे तो आपको दिया हुआ भरोसा वापस भी ले लेंगे। अनशन ने साफ संकेत दे दिए कि जनता सर्वोपरि है और संसद को उसकी सुननी पड़ेगी। संसद की संप्रभुता ठीक है लेकिन संप्रभुता का अधिकार हवा में नहीं हो सकता, इसलिए लोग जुटने लगे।

- ❖ अन्ना के अनशन ने यह भी साबित किया कि देश का लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली अब भी पूरी तरह खोखली नहीं हुई है। वह देर से ही सही, लेकिन जनता की आवाज को ज्यादा समय तक अनसुनी नहीं कर सकती।
- ❖ इस देश में जन आंदोलन की जमीन सूख गई थी। पिछले बीस सालों में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। अन्ना ने ऐसे लोगों को हिम्मत दी कि अब भी ऐसे लोग खत्म नहीं हुए हैं, जो राममनोहर लोहिया की तरह सोचते हैं कि जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं। फिर यह भी साबित हुआ कि जनांदोलन अहिंसक तरीके से भी हो सकते हैं, बस नैतिक सत्ता का बल चाहिए। अब लोग यह नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गांधी को नहीं देखा। आने वाली पीढ़ी अब यह भी पूछेगी कि क्या तुमने अन्ना को देखा है!

कुछ भी हो इतना माना जा सकता है कि अन्ना हजारे के अनशन से देशभर में उपजा तनाव खत्म हो गया और मामला चुनाव सुधार की ओर मुड़ गया। अन्ना हजारे अपने आपको गांधीजी का अनुयायी मात्र मानते हैं, उन्होंने यह साफ कहा कि वह गांधी नहीं है, मात्र उनके अनुयायी हैं जो उनके सत्याग्रह से प्रेरित हैं। अन्ना हजारे की छवि एक राजनीतिक संत की रही है। उनकी वाक्पटुता भी गजब की है, उनका एक–एक वाक्य जनमानस पर प्रभाव डालता है। इसलिए उनको जननायक व महानायक भी कहा गया है। यह भी सत्य नजर आता है कि उस दौरान देश की समस्याएँ विकराल रूप ले चुकी थी और इससे उपजा असंतोष आन्दोलन के लिए ऊर्जा का काम कर रहा था, परन्तु अन्ना ने यही कहा कि “यह जीत अभी अधूरी है और अभी मैंने अनशन स्थगित किया है, समाप्त नहीं।” अन्ना हजारे ने एक ऐसे भारत की कल्पना लोगों के सामने प्रस्तुत की जो कई बार स्वप्न हीं लगता है। परन्तु उन्होंने जिस तरह आज की युवा पीढ़ी को वैचारिक रूप से सशक्त बनाया है, उसकी प्रशंसा ही की जानी चाहिए, क्योंकि यह स्थिति हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है और वास्तव में युवा ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के वाहक हैं।

अन्ना हजारे के अनशन के 12 दिनों में तमाम उतार चढ़ाव आए। अब उनकों भूलना उचित नहीं। हालांकि उनसे जो सफलता मिली वह आंशिक है परन्तु उनके गिरते स्वास्थ्य के दृष्टिकोंण से उनका यह कदम महत्वपूर्ण है। इस आन्दोलन को लेकर अनेक विवाद है परन्तु यह तो आन्दोलन के विरोधी भी स्वीकार करते है कि यह एक प्रभावोत्तक आन्दोलन हैं। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अंत में यही कहा कि मेरा पूरी तरह से मानना है कि हिंसा के सहारे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, नाराजगी या निराशा जाहिर करने के और भी सभ्य तरीके हैं जिनमें सत्याग्रह के विभिन्न रूपों को साथ लेकर चलना एक समझदारी है।" अतः हम यही कह सकते हैं कि सत्याग्रह का अवलम्बन करके पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ व पारदर्शक प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज आदि को वास्तविक बनाया जा सकता है।

अब तो देखा जाए तो देहातों के कार्यकर्ता सत्याग्रह का उपयोग करते दिख रहे है। पिछले 50–60 वर्षो में लोगों ने सरकार को कई गलत निर्णय लेने से बचाया है, कई गलत कार्य, कानून निर्माण, नियम पीछे लेने पर मजबूर किया है। सामाजिक एवं राजकीय पुनर्रचना के लिए सत्याग्रह का उपयोग हुआ है। अतः यह सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन का प्रभावी साधन है, यह स्पष्ट हो गया है। वास्तव में सत्याग्रह में ही शोषितों के शोषण का निवारण करने की सत्य व प्रेम की एक बड़ी शक्ति है और वह गुलामी का स्वतंत्रता में, अन्याय का न्याय में और विषमता का समता में रूपान्तरण की शक्ति रखता है। इसमें लोगों का आत्मबल बढ़ता है और यदि उचित ढंग से समझकर बदलते समय में नये आयामों के साथ इसका उपयोग करने तो सत्याग्रह अन्याय व भ्रष्टाचार के निवारण के शस्त्र के रूप में बहुत उपयुक्त साबित हो सकता है अतः अन्ना हजारे का आन्दोलन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किया गया और इसी कारण इसे आजादी की दूसरी लड़ाई व अन्ना को आधुनिक युग का गांधी भी कहा गया है जिनके निम्न शब्द प्रेरणादायी है "बदलाव लाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यह उम्मीद सिर्फ शब्दों से नहीं है, मेरा मानना है कि जहाँ 99% घोर चारित्रिक पतन और भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहाँ चरित्र की कसौटी पर खरे उतर सके ऐसे 1% लोग भी देश का भाग्य बदल सकते है।[160]

यहाँ जहाँ हम अन्ना के आन्दोलन के कारण, जनसमर्थन प्रभाव व लोकप्रियता का विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं तो यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि अन्ना हजारे के आन्दोलन की सीमाएँ क्या थी ? यह स्वीकार करना होगा कि सत्याग्रह का नैतिक, चारित्रिक व राजनैतिक महत्व निर्विवाद है वहीं इसकी अनेक सीमाऐं भी है। अतः यह सोच विचार करने पर कुछ तथ्य सामने आते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इतने बड़े जनसमर्थन मिलने के बाद, इतने बड़े जनआन्दोलन को क्यों सफलता नहीं मिल पाई? अन्ना हजारे के इन आन्दोलनों

की कुछ सीमाऐं रही, जिनसे कि अन्ना हजारे को अपने आन्दोलन को दुबारा करने का संकेत देना पड़ा, वे इस प्रकार हैं –

❖ हालांकि सत्याग्रहियों का तर्क है कि नैतिकता या दिल व दिमाग की एकता जायज है लेकिन उनकी यह सोच गलत है कि सभी तथा अत्यन्त उलझे सामाजिक द्वन्दों का समाधान भी विरोधियों के ह्रदय स्पर्श मात्र से सम्भव है, ऐसा हमेशा नहीं होता। क्योंकि निष्कपट व भले व्यक्तियों की भावनाओं को जब ठेस लगती है तो वे आक्रामक होकर कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। क्रमशः कई देशों ने युद्ध का भी सहारा लिया है। सोच विचार करने पर अन्ना हजारे के आन्दोलन ने उस समय अपनी जड़ें कमजोर देखी जब अरविन्द केजरीवाल, किरण बेदी जैसे उनके मजबूत कन्धों ने पार्टी बनाने का विचार उनके सामने रखा क्योंकि अन्ना किसी पार्टी के समर्थक नहीं वे केवल भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फैंकने की बात कहते हैं। इस प्रकार अन्ना अकेले ही रह गए, अन्ना की टीम बिखर गई, उनसे प्रेरित आम आदमी पार्टी का स्वरूप ही बदल गया, उनके साथी तितर–बितर हो गए हैं। अब वे अन्ना के आन्दोलन को दूसरी तरह से संचालित करने की बात कहते हैं परन्तु गांधीवादी अन्ना हजारे अपने सिद्धान्तों के पक्के हैं, वे एक साहसी योद्धा हैं, उन्होनें जो कुछ किया वो राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत होकर किया, और आगे भी वे समय–समय पर आन्दोलन को पुनः शुरू करने की बात इसी भावना से करते हैं। साथ ही सरकार की धोखाधड़ी, अपनी बात से मुकरना, मीडिया की असमर्थता या भ्रष्टाचारिता ने अन्ना को आहत किया है।

❖ आज भारत की राजनैतिक व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। अवसरवादी राजनीति, व्यावसायिक राजनीति, राजनीति का अपराधिकरण, दबाव समूहों की नकारात्मक भूमिका, वोट बैंक की राजनीति, आरक्षण की राजनीति, सत्ता की लालसा, पूंजीपतियों की राजनीति में अपने लाभ को प्रथम रखने की राजनीति, आदि ऐसे कारण हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को दूषित कर दिया है। दलीय प्रजातंत्र को अपनाने वाले हमारे भारतीय संविधान को ''उधारी संविधान–दूषित लोकतंत्र'' की संज्ञा देना उचित ही होगा।

❖ स्वाभिमान की इस लड़ाई में अन्ना हजारे की यह बड़ी विडम्बना रही कि कहें तो किसे कहें क्योंकि सरकार सुनना नहीं चाहती, व्यवस्था को बदलना नहीं चाहती। इसलिए अन्ना अपने मकसद में अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। 2011 में लोकपाल विधेयक (आधा अधूरा) पारित होने के बाद से इस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया और इसके लिए अन्ना हजारे ने समय–समय पर सरकार को पत्र–व्यवहार भी किया परन्तु शायद सरकार भ्रष्टाचार की गुलाम इस कदर हो गयी है कि उसे जवाब देना भी उचित नहीं

लगता। अन्ना को अपने मकसद में सफलता नहीं मिली और इसके लिए उन्हें बार–बार सत्याग्रह करना पड़ रहा है। अन्ना अपने साथियों के साथ जिस ऊँचाई पर पहुँचे वहाँ वह अपने सिद्धान्तों की वजह से अकेले रह गए। यह भी उनकी एक सीमा ही रही कि उन्होंने गाँधीजी के सपनों का भारत बनाने का जो बीड़ा उठाया है उसे वे गाँधीवादी सिद्धान्तों पर अमल कर ही पूरा करना चाहते हैं जो बदलती व्यवस्था में थोड़ा संकटपूर्ण रहेगा।

- ❖ उधर जनता खुद का अहित नहीं होने देना चाहती या उसे डर रहता है कि सच बोलने पर जान की कीमत ना चुकानी पड़ जाए इसके लिए वो भ्रष्ट होना ज्यादा पसन्द करती है और कहती है "लहर के विपरीत जाने से संकटों का सामना करना पड़ सकता है इससे अच्छा जिधर लहर चले उस और ही चल पड़ो"। यह गन्दगी इस कदर फैल गई है कि जनता अब इसका निवारण चाहते हुए भी चुप है। अन्ना हजारे भी इसका शिकार हो गए, एक तो सरकार ने उनसे वादे किये व उन्हें पूरा भी नहीं किया और दूसरी और उनके साथी किसी ना किसी पार्टी के सदस्य बन अन्ना का साथ छोड़ गए। इससे अन्ना आहत हुए परन्तु हाेंसला नहीं छोड़ा।
- ❖ हिन्दू मुस्लिम के बाद अब सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी भी आरक्षण की माँग उठाएगें और नेता अपने वोट की रोटी सेकने की ताक में है। इस प्रकार की नई–नई माँगों ने सरकार को निरन्तर संकट में डाला हुआ है, ये मुद्दे समय–समय पर बलशाली हो जाते हैं, इसलिए अन्ना का आन्दोलन कमजोर पड़ गया, क्योंकि जनता तो अन्ना के साथ थी परन्तु उनमें ये मुद्दे उठाकर जनता को बिखरने की कोशिश की गई। इसके अलावा पूंजीपतियों व सांसदों ने लोकपाल बिल को संसद में पास होने से रोका जिससे पता चलता है कि सरकार इनके दबाव में है क्योंकि सरकार को अपनी सत्ता बचानी है और वोट बैंक को मजबूत रखना है तो इनकी बात माननी होगी। इसलिए अन्ना हजारे की बात नहीं सुनी गई। व्यक्तिगत स्वार्थो की राजनीति शांतिपूर्ण आन्दोलनों को निहित स्वार्थ व हिंसा की तरफ मोड़ देती है और कुछ उदाहरण अन्ना के आन्दोलन में भी हुए जिनसे थोड़ी बहुत हिंसा उभरने के संकेत हुए परन्तु अन्ना ने समय रहते अपने नेतृत्व से इन्हें संभाल लिया। आम नागरिक की दृष्टि में अदालते व संसद धोखेबाजी, बेईमानी व जोड़–तोड़ को वैधता दिलाने के साधन बनकर रही गई हैं। देश की आधी जनता अभी भी गरीब व अशिक्षित हैं, उन्हें हर कानून की जानकारी नहीं है। इस गरीब जनता में निरन्तर आर्थिक सुरक्षा की जरूरत पैदा हो रही है। निरन्तर बढ़ते दबावों से जनमानस पर आत्मकेन्द्रित समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें वो व उसका हित सबसे प्रमुख है बाकि जीवन मूल्य बाद में।

- यह समाज तुच्छ निजी स्वार्थों, आत्म–संवर्द्धन व स्वार्थी आकांक्षाओं से हटकर दूर तक देख पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। अधिकतर राजनेताओं की नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है, वे मौकापरस्त हो गए हैं, वे अपराधियों व बेईमानों की श्रेणी में है, समाज इन्हें अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखता है। धन की ताकत को सर्वत्र देखा जा सकता है। राजनीतिक दलों ने भारत की एकता और अखण्डता के लिए कार्य ना करने की ठानी है क्योंकि अपने चुनावी लाभ के लिए जाति, धर्म, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।
- मीडिया की लाचारी व सौदेबाजी भी अन्ना को कमजोर करने का साधन रही क्योंकि स्वतंत्र भारत में हर कोई व्यक्ति आजाद है। मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। जन–जन तक संदेश पहुँचाने व उसे जागरूक करने में मीडिया महत्वपूर्ण है, अन्ना हजारे के साथ 2011 में मीडिया सपोर्ट होने से ही इतना बड़ा जनसमर्थन उन्हें मिला। परन्तु 2018 में उनके द्वारा किया गया आन्दोलन मीडिया के बिना सहयोग से हुआ। इसका कारण मीडिया सरकार के दबाव में थी और जन–जन तक उनके कार्यक्रमों की सही जानकारी जनता को नहीं मिली। इस कारण इस बार वे इतना जनसमर्थन नहीं जुटा पाए। सरकारी गोपनीयता अधिनियम एक ऐसा अस्त्र है, जिसका भारत में अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। सरकार जो कुछ छिपाना चाहती है, उसे गलीचे के नीचे सरका दिया जाता है। अन्ना राजनीति में ना जाने को अडिग हैं परन्तु निर्मल छवि रखने वाले लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिये और यदि आज बदलाव चाहिए तो राजनीति में आना जरूरी है।
- अन्ना हजारे का गैर राजनीतिक होना भी उनकी सीमा बन गया, क्योंकि अगर कोई समूह अपने मनपसंद का कानून बनाना चाहता है तो उसके पास चुनाव लड़ना ही एक जरिया है। किसी गैर राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से कानून बनाना एक आत्ममुग्ध प्रक्रिया हो सकती है, जिससे परिणाम प्रकट नहीं होता, चाहे नारे कितने भी लग जाऐं। अन्ना हजारे दिल्ली में अनशन पर बैठे तो जैसे पूरा देश उनके साथ हो गया और अनशन समाप्त होते ही जैसे देश रातों–रात बदल गया। सभी व्यक्ति मोमबत्तियाँ बुझाकर अपने घर चल दिये। अन्ना के अनशन के निहितार्थ क्या है? इससे क्या हासिल हुआ? इस पर गौर किया जाए तो क्या लोकपाल संस्था भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाएगी? पहले हमारे यहाँ राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए सी.बी.आई. एकमात्र संस्था थी। पेचीदा प्रकरण सी.बी.आई. देखती थी। इस पर विश्वास का संकट खड़ा हो गया तो सी.वी.सी. की संस्था बनाई गई, उस पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया तो अब यदि जन लोकपाल बिल बनकर लागू भी हो गया तो

उससे हम किस चमत्कार की आशा करते हैं? क्या रातों–रात भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? इसके लिए सबसे जरूरी है कि लोगों के नैतिक पतन पर रोक लगे, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो।

❖ अन्ना हजारे पर भी उनके आन्दोलन के दौरान कई तरह के आरोप लगाए गए। उनके साथ कार्य करने वाले लोगों की छवि भी धूमिल करने का प्रयास किया गया। कुछ युवक बाइक पर उपद्रव मचाने की स्थिति में भी उपस्थित हुए, ये अन्ना के नाम से हुआ परन्तु इसके पीछे अन्ना व उनकी टीम का कोई हाथ नहीं था। कहने का तात्पर्य यही है कि आज हमारी राजनीति इतनी काली हो गई है कि वह वे ही पैंतरे आजमा रही है जो अंग्रेजों ने किया कि असंख्य गद्दार बनाकर अपने ही देश को खत्म करवा कर गुलाम बना लिया। सत्ता के नशे में चूर पक्ष व विपक्ष अपने घिनौने पैतरे चलना बंद नहीं करवाता। चुनाव में जीत के लिए कई बलि चढ़ानी पड़े तो भी वे पीछे नहीं हटते। आज लोग खुलकर अन्ना हजारे का साथ देने से डरते हैं क्योंकि यदि उन्होंने सरकार मंत्री व सांसदों के लिए कोई भी टिप्पणी कर दी तो यह उनके गले की फांस बन जाती है।

जहाँ तक अन्ना के अनशन की बात है तो समाधान बातचीत व समझौते से ही निकल सकता है ना कि अपनी बातों पर अड़े रहने से। परन्तु इसके उत्तर में अन्ना ने सरकार से कई बार पत्र–व्यवहार व बातचीत करने का प्रयास किया पर असफल रहे। यह सत्ता की हठधर्मिता ही है कि वह यह कानून नहीं बनने देना चाहती। भ्रष्टाचार के खिलाफ पनपे जनांदोलन से सबक लेना तो दूर सरकार ने इसे जनांदोलन मानने से ही इन्कार कर दिया। देश की भ्रष्ट ताकतें भ्रष्टाचार निरोधी प्रभावी कानून तैयार करने की प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए एकजुट हो गई है और यह अन्ना के लिए पीड़ा की बात है। सत्ताऐं चाहे अधिनायकवादी हों या फिर लोकतांत्रिक, उनके मूल में एक समानता होती है, "विरोधी सुरों को आसानी से स्वीकार नहीं करना"। सत्ता का यह लौह आवरण ही है कि वह जल्द झुकती भी नहीं। इसका उदाहरण अपने ही देश के छोटे–छोटे आंदोलनों में दिख जाएगा। यह लौहआवरण अन्ना के आन्दोलन की एक बड़ी सीमा बनी है।

अतः हम कह सकते हैं कि अन्ना हजारे के आन्दोलन की कई सीमाएँ रही जिनमें रहकर अन्ना ने अपना कार्य किया और इन्हीं सीमाओं की वजह से वह अपनी पूरी सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाए। परन्तु उनका प्रयास मामूली नहीं माना जा सकता। वे भारतीय नवयुवकों के लिए एक महानायक हैं व सदैव रहेंगे।

निष्कर्ष –

सत्याग्रह राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में विवादों को सुलझाने का एक नैतिक अस्त्र है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान महात्मा गांधी ने इसकी उपयोगिता व क्षमता का प्रदर्शन किया और राजनीतिक आजादी हासिल करने के लिए इसका उपयोग किया। साथ ही शोषण, अत्याचार व भ्रष्टाचार जैसी बुराईयों के खिलाफ भी इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया और स्पष्ट रूप से यह साबित कर दिया कि यह कायरों का हथियार नहीं है। प्रस्तुत अध्याय में अपने आपको गांधीजी का अनुयायी मानते हुए अनके मामलों में अन्ना हजारे ने भी इस हथियार का इस्तेमाल किया वास्तव में यह ऐसा हथियार है जो सबल, साहसी, और समर्पित व्यक्तियों द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है और मानवता को बिना हिंसा के प्रयोग किये अनेक हिंसक कार्यवाहियों से बचाया जा सकता है। यह तरीका बहुत नाजुक सा दिखाई देता है परन्तु कठिन से कठिन समस्या का समाधान करने में सक्षम है। अन्ना हजारे एक समाज सुधारक है और समाज में जो कुरीतियां है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है आदि को समाप्त करने का सत्याग्रह ही सबसे अच्छा तरीका स्वीकार करते हैं। इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है।

भ्रष्टाचार जो हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में गहरी जड़ें जमा चुका है को एकदम उखाड़ फेंकना कठिन कार्य है परन्तु अन्ना हजारे ने जो जनलोकपाल बिल पारित करने का सुझाव दिया है वह बहुत कारगर साबित होगा। सरकार द्वारा सहयोग न दिये जाने के कारण उनका आन्दोलन आंशिक सफलता ही प्राप्त कर पाया। अन्ना टीम व मीडिया को गुमराह करने के लिए इस मुद्‌दे पर जोर दिया गया कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे या नहीं ? कुछ लोगों की राय है कि इससे संवैधानिक संरचना बिगड़ सकती है। इसलिए देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के जरिये ही कोई हल निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री पर कार्यवाही और उनसे पूछताछ करने का अधिकार किसी भी संस्था को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे संसद व कार्यपालिका दोनों पर असर पड़ सकता है। परन्तु दूसरी राय यह है कि अगर प्रधानमंत्री ईमानदार है तो उसे लोकपाल के दायरे में आने से क्या आपत्ति है ? लोकतंत्र में जनता की राय सर्वोपरि होती है। जनता पिछले कई सालो से नए नए घोटालों से रूबरू हो रही है। कई नेता व मंत्री जेल में हैं और कईयों को इस्तीफा भी देना पड़ा। लोगों का यही मानना है कि सभी सरकारी व राजनीतिक पदों पर विराजमान व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

अतः कहा जा सकता है कि कानून बनने या लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। लोकपाल बनाने का मकसद तो यहीं होना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसे सजा मिले और वे बच न पाए। इसकी जरूरत इसलिए है कि अब तक भ्रष्टाचार करने वाले लोग कानून को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। जिन लोगों को सजा मिली है, उन्हें हम

अपवाद मान सकते हैं। अन्ना के आंदोलन के बाद 10 लोगों की संयुक्त समिति बनी। कई बैठको के बाद सरकार ने लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया, लेकिन कुछ मुद्दों पर सरकार और अन्ना हजारे की टीम के बीच मतभेद थे, जो आज भी बरकरार हैं। अभी हाल ही में अन्ना ने दुबारा इस मांग को उठाया है और किसानों का पक्ष प्रमुख रखते हुए अपने आन्दोलन को गति प्रदान की है। और इसी सन्दर्भ में उन्होंने पूरे भारत में यात्रा कर जन समर्थन जुटाने व जन जाग्रति के लिए प्रयास किया है और पूरे देश की जनता को 23 मार्च 2018 को दिल्ली में किये जाने वाले सत्याग्रही आन्दोलन में शामिल होने का आह्वान किया है।

अन्ना हजारे के 4 साल तक चुप रहने का कारण सरकार के लगातार मिलने वाले आश्वासन रहे परन्तु इन चार सालों में भी सरकार द्वारा कुछ ना करने पर अन्ना ने अब आन्दोलन को पुनः प्रारम्भ कर निर्णय कराने की ठानी है। अभी भी उनकी मांग यही है। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले जितने अधिकारी है उनकी पत्नी के नाम पर जो चल–अचल सम्पत्ति है उसे 31 मार्च को जाहिर करना होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमने संविधान को प्रमुखता दी है। जब भी किसी कानून में संशोधन करना होता है संसद में एक लम्बी चर्चा या विचार विमर्श के बाद दोनों सदनो की सहमति व राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही होता है। अन्ना का कहना है कि "नरेन्द्र मोदी की सरकार आने पर मोदीजी सशक्त लोकपाल की जगह इसे कमजोर बनाने वाला बिल लाए। धारा 44 में संशोधन किया गया, पत्नी व बच्चों के नाम पर सम्पत्ति छुपाने का रास्ता खुला कर दिया, जितने भी सांसद, M.L.A., मंत्री, सभी की सम्पत्ति को जाहिर करने का प्रावधान हटा दिया विशेष तौर पर यह बिल 27 जुलाई 2016 को लोकसभा में एक दिन में बिना चर्चा के पास हो गया, 28 जुलाई 2016 को राज्यसभा में बिना बहस के पास होकर 29 जुलाई 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर लौटा दिया। इस प्रकार लोकपाल या लोकायुक्त को कमजोर करने वाला कानून सिर्फ 3 दिन में और भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने वाला कानून 5 साल में भी नहीं बनता।"

इस बारे में अन्ना हजारे का मानना है कि लोकसभा व राज्यसभा में बिना चर्चा के इस प्रकार के कानून बनाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसी प्रकार अन्ना हजारे ने ग्राम सभा को प्रमुखता देते हुए अपनी टिप्पणी दी है कि "1857 से 1947 तक जिन शहीदों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दी, बलिदान किया, उनका सपना अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना लेकिन देश में लोकतंत्र लाना। लोकों का, लोकों ने, लोक सहभाव से चला तंत्र ही लोकतंत्र है। इसके लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना बहुत जरूरी है, तभी देश सही तरह से विकास कर पाएगा। सवाल तो यह है कि सरकार सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती भी है या नहीं ? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इसके स्वरूप को समझना जरूरी है। भारत के सरकारी तंत्र में अलग–अलग स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है। सरकार की समस्या यह है कि वह जिन नीतियों को

बढ़ावा दे रही है, जिस विचार को सही मान रही है, असल में वही भ्रष्टाचार की जड़ है। 1991 के बाद से भारत में भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया है। जबसे देश में उदारवाद और निजीकरण का दौर चला है तबसे हमने उद्योग जगत के जानवरों को समाज में लूट मचाने की खुली छूट दे दी है।

पिछले बीस साल का इतिहास यहीं बताता है कि कॉरपोरेट जगत भ्रष्टाचार का केन्द्र बन चुका है। बड़े–बड़े उद्योगों ने अपने मुनाफे के लिए न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र को दूषित कर दिया। विभिन्न राजनीतिक दल, नेता और अधिकारी भ्रष्टाचार के इस भयंकर खेल में एक छोटे खिलाड़ी बन गए है, पालतू जीव की तरह बड़े–बड़े उद्योगपतियों की कठपुतली बन गए है। देश की जनता का रोज भ्रष्टाचार से सामना होता है। अगर सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल लाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम जमीन स्तर से शुरूआत करनी होगी। क्योंकि भ्रष्टाचारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सदियों से भारत पर कब्जा करने वाले राजे–रजवाड़े और दो सौ साल तक हुकूमत करने वाले अंग्रेजी राज का खात्मा भी जन आंदोलनों की देन है। इसलिए लोकपाल विधेयक आने में मुश्किलें आ सकती है परन्तु यह नामुमकिन नहीं है। आखिर जो लोकतंत्र ताकतवर राजनीति के लिए नाजायज लूट और वंशवाद का हिस्सा बन चुका है, वह क्यों चाहेगा कि पकड़ कमजोर पड़े।

नेता, नौकरशाह और कारोबारियों का गठजोड़ आम लोगों पर न केवल भारी रहा है, बल्कि वर्तमान व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखने की चेष्टा रखता है। परन्तु स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार की गुलामी से आजादी व काले अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए अन्ना हजारे के रूप में एक नया गांधी भारत को मिल गया है। अतः कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने आजादी से पूर्व सत्याग्रह की जो लहर चलाई 21वीं सदी में उसका अनुसरण करते हुए अन्ना हजारे ने जनता में एक नई सोच की ज्योति जगाई। यह जब तक प्रासंगिक व उपयोगी रहेगा जब तक कि समाज में भेदभाव, अन्याय, शोषण, अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक बुराईयाँ व्याप्त है। अतः हम स्वीकार कर सकते है कि अन्ना हजारे ने 21वीं सदी में अभूतपूर्व कार्य करके अहिंसक क्रांति के सार्वभौमिक अस्त्र के रूप में सत्याग्रह को पुनः उपयोगी सिद्ध कर दिया।

प्रस्तुत अध्याय को सारांशतः निम्नानुसार देखा जा सकता है –

❖ धार्मिक पुस्तकों में सत्याग्रह का व्यापक उल्लेख मिलता है जिसका शाब्दिक अर्थ "सत्य के लिए प्रेमपूर्वक आग्रह" माना जाता है।

❖ किसी पवित्र उद्देश्य के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग करके न्याय की

स्थापना की जा सकती है। इसमें हिंसा, द्वेष, घृणा, दंभ, ईर्ष्या आदि का कोई स्थान नहीं बल्कि साहस, दृढ़ता, उत्साह, परोपकार आदि के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

- ❖ सत्याग्रह का उपयोग करने वाले में श्रद्धा, विश्वास, विवेक, प्रेम, विनम्रता, सहनशक्ति का होना अत्यावश्यक है जिसका परिचय अन्ना हजारे ने बखूबी दिया है। यह अपने आप में (स्वयं) एक विजय है।
- ❖ यह अन्याय, अनीति, दमन, शोषण के खिलाफ आत्मबल को खड़ा करता है और अपराधी पर सत्य का दबाव पैदा करता है और यह दबाव आत्मदुख बोध, श्रद्धा, संकल्प, आत्मशुद्धि और आत्मविश्वास के माध्यम से साकार होता है।
- ❖ अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के लिए इसका भरपूर सहारा लिया है।
- ❖ सरकार से जनलोकपाल विधेयक पारित करने का आग्रह पूर्ण रूपेण सत्याग्रह पद्धति पर आधारित है। अन्ना ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने में देश की अधिकांश जनता के पूर्णरूपेण सहयोग बटोरा और पूरी आत्मिक शक्ति से जन लोकपाल विधेयक पारित करवाने पर जोर दिया। उसके लिए अनशन का सहारा लिया।
- ❖ 7. इस विधेयक में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्र में एक स्वतंत्र संस्था लोकपाल के गठन की परिकल्पना की गई। इसे 1 साल में पूरा करने की बात रखी गई। इसमें जनता की शिकायत पर कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा और कार्यवाही शुरू करने के लिए उसे सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जन लोकपाल के पास पुलिस अधिकार भी होगें, अधिकतम 2 साल में अपराधी जेल की सलाखों में होगा। अपराधी को सरकारी नुकसान की भरपाई भी करनी होगी।
- ❖ लोकपाल सदस्यों का चुनाव जज, नागरिक व संवैधानिक प्राधिकरण एक पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के जरिये करेगें। भ्रष्टाचार से जुड़ी जो भी संस्थाऐं व एजेन्सियां है, उनका विलय लोकपाल में ही हो जाएगा। इन्हीं प्रयासों को रखते हुए अन्ना ने अप्रैल व अगस्त 2011 में अनशन करके सरकार को चेताया परन्तु आखिरी सहमति सरकारी लोकपाल बिल पर बनी जिससे अन्ना हजारे संतुष्ट नहीं है।
- ❖ ज्यो–ज्यों समय बीतता गया वैसे–वैसे अन्ना हजारे अधिक लोकप्रिय होते चले गए और पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। अन्ना इसके माध्यम से एक जननायक के रूप में उभरे और उन्हें 21वीं सदी का गांधी कहकर पुकारा जाने लगा। अन्ना हजारे ने यह सिद्ध कर दिया कि गांधीजी का सत्याग्रह सब जगह स्वीकार्य है और हर समय, हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त हल है। इसका प्रयोग करके ही समाज सुखी व सम्पन्न बन सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://youtu.be/WlZMquaesKI
2. https://youtu.be/UUoGJ6xAxrw
3. पूर्वोक्त
4. त्रिपाठी विनायक; आधुनिक गाँधी अन्ना हजारे; आर्या पब्लिकेशन्स; 2012; पृ. 34–38
5. वही; पृ. 89–95
6. राणा पूजा; ठाकुर प्रदीप; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012; पृ. 24–27
7. भटिया सुदर्शन; क्रांतिदूत अन्ना हजारे; डायमण्ड बुक्स; दिल्ली; 2011; पृ. 19–20
8. वही; पृ. 18
9. दैनिक हिन्दुस्तान; 12 अप्रैल 2011; पत्रकार निर्मल यादव
10. डॉ. बघेल विरेन्द्र सिंह; अण्ण हजारे; अनुराग प्रकाशन; नई दिल्ली; 2013; पृ. 51
11. ठाकुर प्रदीप; राणा पूजा; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012; पृ. 35–36
12. भटिया सुदर्शन; भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी अन्ना की जंग; डायमण्ड बुक हाऊस; नई दिल्ली; 2012; पृ. 24
13. indiaagainstcorruption.org.in (Anna Hazare Fight Against Corruption Has Taken A Social Media Turn)
14. ठाकुर प्रदीप; राणा पूजा; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012; पृ.111
15. वही; पृ. 113–116
16. httPs : //youtu.be/ibu18fuxaA4
17. राणा पूजा; ठाकुर प्रदीप; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012; पृ. 117
18. वही; पृ. 141
19. वही; पृ. 147
20. त्रिपाठी विनायक; आधुनिक गाँधी अन्ना हजारे; आर्या पब्लिकेशन्स; दिल्ली; 2012; पृ. 95
21. भारद्वाज राजकुमार; गाँधी व अन्ना के मध्य का फासला; अनामिका पब्लिशर्स; 2012; पृ. 53
22. खान शमीम; महान सुधारक अन्ना हजारे; हिन्द पॉकेट बुक्स; नई दिल्ली; 2013; पृ. 51

पंचम अध्याय

महात्मा गांधी एवं अन्ना हजारे के आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन

पंचम अध्याय

महात्मा गाँधी एवं अन्ना हजारे के आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध सत्याग्रह से सम्बन्धित है और यह इस शोध प्रबन्ध का पंचम अध्याय है जिसमें महात्मा गाँधी और अन्ना हजारे के द्वारा सत्याग्रह को लेकर किये गए आन्दोलनों की तीन आधारों पर तुलना की गई है। प्रथम : वातावरण व परिस्थितियों की भिन्नता, द्वितीय : नेतृत्व की भिन्नता, तृतीय : सत्ता की भिन्नता। तुलना को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाना है, उस रूप में गाँधीजी व अन्ना हजारे का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही समाहित है। इस क्रम में कुछ प्राकल्पनाओं को लेकर आगे बढ़ा गया है।

- 20वीं सदी व 21वीं सदी की भिन्नता को प्रदर्शित करने पर यह पता चलता है कि दोनों में कोई साम्य नहीं है।
- जनता हेतु नकारात्मक एकता का अभाव है और अंग्रेजों के समान विरोध का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है।
- यह भी मान लिया गया है जिसे अन्ना स्वयं स्वीकार करते हैं कि गाँधीजी के सामने अन्ना कम ही हैं।
- वर्तमान में जन–आन्दोलनों के आधार भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यवस्था की अकर्मण्यता, आर्थिक विकट परिस्थितियाँ एवं सामान्य जन का शोषण, जिससे अन्याय को बढ़ावा मिलता है। गाँधीजी के समय में आन्दोलन का मूल आधार विदेशी सत्ता को यहाँ से हटाना था, अपने सम्पूर्ण जीवन में वे ऐसा ही प्रयास करते रहे और भारत को अंग्रेजी सत्ता से मुक्त कराने में सफल भी रहे। भिन्न परिप्रेक्ष्य में अन्ना हजारे अभी भी संघर्षरत है।
- यह मानकर चला गया है कि दोनों में ही नेता बनने की आकांक्षा नहीं है। सत्ता लोलुपता का अभाव है।
- नेतृत्व में कोई स्वार्थ नहीं है।
- सार्वजनिक जीवन को समृद्ध व सम्पन्न बनाने तथा सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने का ही उद्देश्य दिखाई देता है।
- संचार व आवागमन के साधनों का जनचेतना में बड़ा योगदान है।

इस क्रम में सर्वप्रथम यदि मोहनदास करमचंद गाँधी को लेते हैं तो स्पष्टतः स्वीकार किया जा सकता है कि गाँधी खुद अपने और बाकी दुनिया के लिए इतिहास बनाने वाले एक रचनात्मक व्यक्ति थे। वे एक बेहद जटिल विचारक भी थे और अनोखे व्यक्तित्व के धनी भी थे।

इसी कारण उन्हें बड़े पैमाने पर तारीफ मिली। उनकी चिंता के विषय समकालीन होने के साथ–साथ समय से परे भी थे। गाँधी अपने बचपन से लेकर कदम–दर–कदम चलते हुए उस ऊँचाई तक पहुँचने में सफल रहे जहाँ तक शायद पहले कोई भी नहीं पहुँच सका था। हालांकि अंग्रेजी शासन के दौरान उनके जीवन के कई कार्यकलाप रहे फिर भी अपने जीवनकाल में उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज भी दुनियाभर में वे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। उनके विचार सर्वकालिक समयसिद्ध और आम लोगों के लिए सरल भाषा में लिखे हुए हैं, वह एक आम आदमी की तरह लाखों लोगों के बीच से एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरे और लाखों लोगों को राजनीतिक, सामाजिक व मानवीय स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने लोगों को गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अधिकारों के अहिंसक व्यवहार का व्यावहारिक रास्ता भी अपने सत्याग्रह आन्दोलनों के माध्यम से सुझाया और व्यवहार में अपनाकर भी दिखाया।

वास्तव में अहिंसा व सत्याग्रह की संस्कृति से परिचित कराने वाले वे विश्व इतिहास के पहले व्यक्ति भी माने जाते हैं। महात्मा गाँधी बापू अथवा राष्ट्रपिता के रूप में 20वीं सदी के दुनिया के नेताओं में सबसे ऊँचे पायदान पर है। पूरी दुनिया में शान्ति, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, सनातन–पवित्रता, करूणा के प्रति उनका लगाव तथा समूची आबादी को एकजुट करने और औपचारिक दासता से देश को स्वतंत्र कराने तथा दुनिया को नया रास्ता दिखाने के लिए सत्याग्रह के आन्दोलन और पवित्र साधनों का उपयोग करने में उनको अधिकतर सफलता ही मिली और इस सफलता के लिए उनको अभी भी याद किया जाता है। उनके द्वारा समय–समय पर किये गये सत्याग्रह आन्दोलन ने एक तरह से इतिहास की दिशा ही बदल दी और नए इतिहास का सृजन किया। उन्होंने हमेशा वही कार्य किया जिसके लिए उन्होंने कहा। परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी परन्तु उनके लिए सिद्धान्त व व्यवहार में कोई विरोधाभास नहीं था और ना ही वे सार्वजनिक तथा निजी जिंदगी को अलग रखते थे। जनसमुदाय, खासकर वंचितों, दबे कुचले लोगों की भाषा को समझाने और उसे आवाज देने के कारण ही गाँधी व्यापक स्तर पर दुनिया में स्थायी असर छोड़ने में सफल रहे, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी गाँधी विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया, शान्ति निर्माताओं और स्वप्नदृष्टाओं का न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं।

गाँधीजी के व्यक्तित्व की इन विशेषताओं को अन्ना हजारे के संदर्भ में देखते हैं तो वे भी संघर्षरत रहकर प्रजातन्त्र के प्रहरी बने। अब जब उनकी उम्र 80 साल के लगभग है तब भी वे कोई आन्दोलन करने लगते हैं तो बम्बई से लेकर दिल्ली तक हर नेता उठकर बैठ जाता है और उनकी हर बात पर ध्यान देता है। यहाँ तक कि उनको बदनाम करने वाले लोग व राजनीतिज्ञ भी जो उनके साहस से घृणा करते हैं, अनिच्छापूर्वक यह स्वीकार करते हैं कि वही

एकमात्र इन्सान है जो देश में जनसाधारण को एकजुट करने और सरकार को हिलाने की ताकत रखता है। जब 1975 में उन्होंने आम जनजीवन की सेवा का व्रत लिया तब से आज तक उन्होंने अनगिनत आन्दोलनों, भ्रमणों और भूख–हड़तालों के कई प्रहारों को अपनी छोटी–सी दुर्बल काया पर झेला है। आज वे ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। उच्चतम स्तर पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं और इस लड़ाई में उन्होंने जानी मानी हस्तियों से एक सम्मान व समर्थन प्राप्त कर लिया है और इन समर्थकों की संख्या सैंकड़ों से हजारों में बढ़ती जा रही है। उनके ग्रामवासी और देशवासी उनका बहुत आदर करते हैं। भ्रष्टाचार के विरूद्ध उनका संघर्ष उनके गाँव से ही आरम्भ हुआ। वे पहले उस भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़े हैं जो ग्रामीण भारत में विकास नहीं होने दे रहा था। उनका संगठन भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन कहलाता है और वे भूख हड़ताल, अनशन, सत्याग्रह के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करते हैं जो उनका अचूक अस्त्र है और उनका मुख्य लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ऐसा माना जाता है कि उनका यह हथियार अत्यन्त सशक्त है। अन्ना हजारे हैं कि वे भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपने संघर्ष को लगातार एक के बाद एक लड़ाई में बदलते चले जा रहे हैं।

अन्ना की समाज व राष्ट्र के प्रति निष्ठा व उसके जीवन को निष्कलंक बनाने के लिए जो प्रयास किये हैं, उनके कारण ही अनेक लेखक व दूसरे लोग इनको आधुनिक गाँधी, जननायक, क्रांतिदूत आदि कहकर इनकी महात्मा गाँधी से तुलना करने लगे हैं। हम मान भी सकते हैं कि गाँधीजी ने जिस निष्ठा व ईमानदारी से कार्य किया, उसी प्रकार की निष्ठा व ईमानदारी अन्ना के जीवन व क्रियाकलापों में भी देखी जा सकती है। उनके प्रयासों को यदि निरन्तर सफलता मिलती है तो गाँधीजी से इनकी तुलना करने के आधारों को खोजना एक सद्प्रयास ही मानाजायेगा। और ये निरन्तर इस दिशा में सक्रिय व लोकप्रिय होते हैं तो इनके प्रयासों को भी हमें जाँचना होगा और यह भी पता लगाना होगा कि गाँधीजी व अन्ना हजारे के जीवन में क्या समानताएँ व असमानताएँ हैं, जिनके कारण कहीं ये एक–दूसरे में समाये हुए नजर आते हैं और कहीं दूर। ऐसे अध्ययन पर सेमिनार और विचार गोष्ठियाँ भी हुई हैं, जिनमें लोगों ने गाँधीजी और अन्ना हजारे में समानताएँ ढूँढ निकाली हैं और उन्हें महात्मा गाँधी जैसा स्थापित करने में पूर्ण नहीं तो आंशिक सफलता अवश्य प्राप्त की है। इस क्रम में इन सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों व सेमिनारों को मद्देनजर रखते हुए गाँधीजी (1869–1948) एवं अन्ना हजारे (1938–अभी तक) को लेकर कुछ सामान्य बातें निम्नानुसार चिन्हित की जा सकती हैं –

- दोनों का समय एक नहीं है, अतः कालक्रम में अन्तर दिखाई देता है।
- गाँधी व अन्ना के पारिवारिक वातावरण में भी अन्तर दिखाई देता है। गाँधीजी का जन्म रियासत के एक दीवान के घर हुआ और गाँधीजी अपने भाईयों में सबसे छोटे थे।

दूसरी तरफ अन्ना का जन्म गरीबी में संघर्षरत हुआ एवं वे अपने भाईयों में सबसे बड़े हैं।

- गाँधीजी विवाहित थे अतः उनके पास उनका अपना एक परिवार था परन्तु अन्ना हजारे अविवाहित हैं और इस दृष्टि से अकेले हैं।
- गाँधीजी उच्च शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं परन्तु अन्ना हजारे को ऐसा मौका नहीं प्राप्त हो सका और वे 7वीं कक्षा ही पास कर पाए। उल्लेखनीय है कि गाँधीजी विदेश में वकालत कर भारत आए थे।
- गाँधीजी ने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद वस्त्रों का परित्याग कर आवश्यकता भर वस्त्र, भोजन, धन की प्रतिज्ञा कर ली थी। अतः उनके शरीर पर केवल एक धोती और एक कपड़ा ही दिखता है। सदैव सादा भोजन ही उन्होंने स्वीकार किया। दूसरी तरफ अन्ना हजारे की पोशाक कुर्ते–पायजामे के साथ गाँधी टोपी भी है, जिसे वे हमेशा पहने रहते हैं।
- गाँधीजी के सत्याग्रही आन्दोलन परिपक्वता लिये हुए है, उन्हें इस दिशा में महात्मा व बापू की उपाधि भी देशवासियों ने प्रदान की। अन्ना हजारे के आन्दोलन गाँधीजी से प्रभावित हैं एवं वे उनके अनुयायी कहलाना ही पसन्द करते हैं और देखने से यही लगता है कि वे इस दिशा में अभी पूर्णतया परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
- गाँधीजी ने सत्याग्रह में अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया है परन्तु अन्ना भूख हड़ताल व अनशन कर सरकार से अपनी बात मनवाते हैं।
- गाँधीजी का स्वयं का लिखा काफी मात्रा में साहित्य हमें उपलब्ध है परन्तु अन्ना द्वारा अभी स्वयं रचित कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है।
- गाँधीजी अंग्रेजों से घृणा होते हुए भी उनका सम्मान प्रदर्शित करते थे। अन्ना सरकार पर सीधा कटाक्ष करते हैं।
- उल्लेखनीय है कि गाँधीजी विदेशियों के विरूद्ध लड़े जिनमें अहंकार भरा था कि हम ही श्रेष्ठ हैं। शासन विदेशियों का था, जिनसे लड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अन्ना अपने ही देश के सरकारी तंत्र से लड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचार से घिर गया है। अतः कहा जा सकता है कि संघर्ष इतना आसान भी नहीं।
- गाँधीजी का संघर्ष चुनौतीपूर्ण था परन्तु अन्ना का संघर्ष व प्रयास भी प्रशंसनीय ही माने जाएंगे।
- गाँधीजी अपना स्वयं का कार्यक्रम बनाते थे, उनके निर्णय स्वयं के होते थे, दूसरी तरफ अन्ना हजारे के कार्यक्रम व निर्णय उनकी कमेटी द्वारा तय किये जाते हैं।

- गाँधीजी ने एक दास के रूप में अपनी लड़ाई लड़ी क्योंकि उस समय भारतवासी अंग्रेजों के दास थे। जबकि अन्ना हजारे स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए आन्दोलन करते हैं।

उल्लेखनीय है कि यह जो भिन्नताएँ यहाँ बताई गयी हैं वे अत्यन्त सामान्य हैं व इनकी शारीरिक मानसिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित हैं और इनको लेकर कोई अनिश्चितता की स्थिति नहीं है। इसी क्रम में दोनों में कुछ **समानताएँ** भी उल्लेखित की जा सकती हैं –

- दोनों में ही लोगों के बारे में सोचने, उनके दुःख–दर्द महसूस करने, उनकी संकटापन्न स्थिति से लड़ने की आत्मिक ताकत दिखाई देती है।
- दोनों ने ही सकारात्मक अहिंसा का सहारा लिया और शांतिपूर्ण तरीके से अपने क्रोध व रोष को प्रकट करने की तकनीक अपनाई।
- दोनों सदैव सरल व सहज दिखाई देते हैं। "सादा जीवन उच्च विचार" दोनों के लिए सही चरितार्थ होता है।
- दोनों ही जनसाधारण के साथ घुलने–मिलने की आकांक्षा रखते हैं, राजनीति में आने की नहीं।
- दोनों ही अपने आन्दोलनों के समय दृढ़ निश्चयी दिखाई देते हैं, उत्साहित दिखाई देते हैं, समाज के लिए समर्पित दिखाई देते हैं।
- मंशा, वाचा, कर्मणा, दोनों ही पवित्र उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं।
- दोनों में निर्भयता का गुण विद्यमान है।
- दोनों ही साहस एवं संकल्प के धनी हैं और अपने–अपने ढंग से सत्याग्रह के आधार पर अपनी माँगें मनवाने का प्रयत्न करते हैं जो कि समाज सुधार की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

अतः यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि जहाँ गाँधीजी एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने सत्य, अहिंसा, शांति पर आधारित सत्याग्रह द्वारा विवादों को सुलझाने का प्रयास किया वहीं अन्ना हजारे भी दृढ़तापूर्वक अहिंसक आधार पर समाज सुधारक के रूप में प्रगतिशील हैं। इस दिशा में अन्ना भले ही गाँधी की बराबरी ना करे परन्तु गाँधीयन पथ के निडर प्रहरी अवश्य हैं। चूँकि हमारे अध्याय का सरोकार विशेष रूप से तीन आधारों पर इनकी तुलना तक ही सीमित है, अतः उनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

❖ वातावरण व परिस्थितियों की भिन्नता –

वास्तव में गाँधीजी ने जिस कालखण्ड में काम किया उसे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधी युग ही कहा जाता है। उस समय अंग्रेजी शासन था और भारतीय व अंग्रेजों के मध्य वातावरण सहिष्णुतापूर्ण नहीं था, चारों तरफ कटुता की स्थिति थी। अंग्रेज भारतीयों को "टूम काला आदमी" कहकर उनका उपहास करते थे। डॉ. इकबाल नारायण ने लिखा है कि "1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों व भारतीयों के मध्य जिस जातीय भेदभाव व कटुता का प्रादुर्भाव हुआ उससे भारतीय दुःखी थे और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित थे। अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति घृणापूर्ण भावनाएँ थी"।[161] इसी सन्दर्भ में गैरेट ने लिखा है कि अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति अपने व्यवहार की एक विचित्र नीति अपनाई जिसमें तीन प्रमुख सिद्धान्त थे[162]–

- एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है।
- भारतीयों पर शासन भय के द्वारा ही किया जा सकता है। इनमें डर पैदा करना जरूरी है।
- अंग्रेज लोग यहाँ लोकहित के लिए नहीं वरन् अपने निजी लाभ व वैभव का जीवन व्यतीत करने के लिए आते हैं।

अतः अंग्रेजों की इस मनोवृत्ति के कारण रोज भारतीयों का अपमान किया जाने लगा। भारतीयों से अंग्रेजों द्वारा अपने जूते साफ करवाया जाना, उनको खुलवाने जैसे कार्य करवाए जाते थे। अंग्रेजों की नजर में भारतीय इसी काबिल थे। न्याय में भी भेदभाव था, स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं थी, नई नस्लों का गुलामी की बेड़ियों के अलावा कोई भविष्य नहीं था। अतः भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा व विद्रोह की भावना भड़कना स्वाभाविक था। इस सन्दर्भ में गाँधीजी का कहना था कि "मेरे हृदय में ऐसी सरकार के लिए न सम्मान रह सकता है और ना प्रेम, जो सरकार अपनी अनैतिकता की रक्षा करने के लिए एक के बाद एक दुष्कार्य करती चली जा रही है। मैंने इसलिए असहयोग का सुझाव रखा जिससे वे लोग जो ऐसा करना चाहे सरकार से अपना सम्बन्ध–विच्छेद कर सके और यदि वह अहिंसात्मक बना रहा तो सरकार को अपना मार्ग बदलना होगा तथा अपनी भूलों को सुधारना होगा।"[163] इसी कारण राष्ट्रीय आन्दोलन में हमें उग्र व क्रांतिकारी धारा दिखाई देती है। अंग्रेजों के इस भेदभावपूर्ण व कटुतापूर्ण व्यवहार के कारण ऐसे वातावरण की सृष्टि हुई जिसमें भारत के लिए नवीन चेतना का उदय हुआ और अंग्रेजों के विरूद्ध भारतीय तन–मन से तैयार होने लगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गाँधीजी के समय में जो परिस्थितियाँ व वातावरण था वह स्वतंत्रता, सहयोग व सहिष्णुता का नहीं था। अंग्रेजों की स्थिति वर्चस्व की थी और भारतीयों की अधीनता की।

अंग्रेजों की स्थिति आदेश देने वाली थी और भारतीयों की आज्ञापालन की, अंग्रेजों की स्थिति श्रेष्ठता की थी और भारतीयों की निम्नता की। जो अंग्रेज कह देते थे, वही न्याय व जो वे करते थे वही सही कार्य था। शासन, सेना व सभी ताकतें उनके हाथ में थी, अतः भारतीयों का जीवन अतिकष्ट साध्य हो गया था। महात्मा गाँधी द्वारा इन स्थितियों को दक्षिण अफ्रीका में अपनी आँखों से देखा गया फिर भी वे उग्रवादियों व क्रांतिकारियों को किसी हिंसा के सैलाब में उतरने से मना करते रहे।

पोलक के अनुसार, "गाँधीजी अपने साथ (दक्षिण अफ्रीका से) जीवन का एक विशेष दर्शन तथा एक ऐसी राजनीतिक पद्धति लाए जिसकी उपयोगिता वहाँ सिद्ध हो चुकी थी।" दक्षिण अफ्रीका आन्दोलन से वे भारत में भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी व विपिनचंद्र पाल आदि पुराने नेताओं का उत्साह ठण्डा पड़ रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले व फिरोजशाह मेहता का देहावसान हो गया था, तिलक बीमार थे, ऐसी स्थिति में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व स्वतः ही महात्मा गाँधी के हाथों में आ गया। उन्होंने शांति व सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, अपमान सहा, गालियाँ सुनी, जेल गए और सब तरह से अंग्रेजों की कटुता सहन करते हुए विरोधी परिस्थितियों में कार्य कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। वातावरण ऐसा ही था कि अंग्रेज कोई बात मानने को तैयार नहीं थे फिर भी गाँधीजी उनके प्रति नरम व उदार थे। जब वे भारतीय राजनीति में आए, भारतीय अंग्रेजी शासन की त्रुटियों से वे अवगत हुए। प्रथम महायुद्ध के बाद मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के आधार पर सुधारों की अनुशंसा मात्र ही हुई, उन पर अमल नहीं हुआ। अकाल, महामारी, आदि प्राकृतिक प्रकोपों से स्थिति और बिगड़ती चली गयी। रोलेट एक्ट में "न वकील, न अपील और ना दलील" जैसे काले कानूनों के विधेयकों का विरोध होना स्वाभाविक ही था। परन्तु जब जलियाँवाला बाग की घटना हुई और हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई तो गाँधीजी सहयोगी से असहयोगी बने और उनका असहयोग का मार्ग सत्याग्रह ही था। जिसकी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उन्होंने आन्दोलन किया, भारतीयों को जाग्रत किया तथा अंग्रेजों को सचेत किया। अंग्रेज विरोधी भावना को उन्होंने जन–जन तक पहुँचाया। यह सब उनके नेतृत्व का ही परिणाम था कि गाँधीजी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन जन–जन का आन्दोलन बन गया।

इसी क्रम में यदि 21वीं सदी में अन्ना हजारे के आन्दोलन के वातावरण व परिस्थितियों को लिया जाए तो जब वे लगभग 10 साल के रहे होंगे, महात्मा गाँधी दुनिया से विदा ले चुके थे और उनके सद्प्रयासों से भारत को 1947 में स्वतंत्रता भी प्राप्त हो चुकी थी, भारत का संविधान भी 1950 में बन गया था। अतः भारत स्वतंत्रतापूर्वक संविधान के अनुसार अपना शासन स्वयं चलाने को स्वतंत्र हो गया था। जैसे–जैसे भारत में लोकतंत्र व्यवहार रूप में आता गया, इसमें कई कमियाँ सामने आई जिससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता तो नाम की स्वतंत्रता थी।

क्योंकि हिन्दुस्तान में कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, ऐसा कोई बंधन नहीं था जो लोगों को एक सूत्र में बाँध सके और उन्हें उद्देश्यपरक ढंग से भविष्य की तरफ ले जा सके। इस दृष्टिकोण ने उस दावे को जन्म दिया कि यह ब्रिटिश शासन ही था जिसने भारतीयों में इस फूट को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन की मानसिकता सदैव ऐसी रही कि "अगर हमने कभी भारतीयों को उनका शासन चलाने की छूट प्रदान की तो यहाँ अराजकता छा जाएगी।भ्रम, अव्यवस्था, उलझन व बुरी स्थिति यहाँ आ जाएगी। अगर हिन्दुस्तान हमारे अधीन रहा तो यहाँ के महान लोग कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको अपने पर छोड़ दिया जाए तो शासन या राजनय के मामले में वे अभी भी बहुत बचकाने किस्म के लोग हैं और उनके तथाकथित नेता घटिया किस्म के हैं"।[164] साथ ही उनकी यह भी भविष्यवाणी थी कि "अगर ब्रिटिश भारत से चले जाते हैं तो उनके द्वारा निर्मित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएँ, रेल्वे और लोक निर्माण की संस्थाओं का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा और हिन्दुस्तान बहुत तेजी से शताब्दियों पहले की बर्बरता व मध्ययुगीन लूट–खसोट के दौर में वापस चला जाएगा"।[165]

आजाद भारत का जन्म अभावों व गृहयुद्ध जैसे हालातों के बीच हुआ था। यहाँ के लोग जाति, वर्ग, भाषा और धर्म जैसे मुद्दों पर आपस में बँटे हुए थे। आजादी के बाद यही विचार किया जाने लगा कि यहाँ की जमीन एक राष्ट्र के अस्तित्व में बने रहने के हिसाब से ज्यादा ही विविधता लिए हुए है और यह लोकतंत्र के फलने–फूलने के हिसाब से बहुत ही गरीब देश है। फिर भी भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि हमारे देश के दिग्गज नेताओं ने इसे प्राथमिकता देना उचित समझा। यह एक तरह से सही भी था। परन्तु भारतीय लोकतंत्र में कई कमियाँ सामने आने लगी जिससे स्पष्ट हुआ कि सरकार व जनता में कोई सहमति नहीं है और सरकार जनता के प्रति कोई मित्रवत व्यवहार नहीं करती। साधारण जीवन जीने वालों की उपेक्षा करती है। सरकारी भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोग लोभ–लालच में आकर हर छोटे कार्य को करने के लिए रिश्वत का सहारा लेते हैं। देखा जाए तो यह परिस्थिति गाँधीजी के समय से बिल्कुल भिन्न थी। गाँधीजी की परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें देश बाहरी लोगों के द्वारा लूटा जा रहा था और अन्ना हजारे का समय ऐसा है जिसमें हमारे अपने लोग अर्थात् देशवासी ही एक–दूसरे को लूटने में लगे हैं। 21वीं सदी में तेजी से फैली इस बुराई के लिए अन्ना हजारे का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने यह अच्छी तरह से समझ लिया कि सरकार को केवल सत्ता प्राप्ति का लालच है अन्यथा जनता व सरकार में कोई एकता नहीं है। और यह एक कष्टपूर्ण स्थिति है कि जहाँ सरकार को जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए वहाँ वह जनता को मूर्ख व अज्ञानी जानकर मनमाना व्यवहार कर रही है।

अतः अन्ना हजारे ने महात्मा गाँधी के सत्याग्रह पथ पर चलकर मुख्यतया अनशन को अपनी तकनीक बनाकर आन्दोलन शुरू किये। जनता इन परिस्थितियों व वातावरण से इतनी

क्षुब्ध है कि अन्ना हजारे की आवाज में उन्हें गाँधीजी का आह्वान ही लगने लगा। अन्ना को मिला भारी जनसमर्थन जनता के व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश का सूचक ही माना जा सकता है, जहाँ आजादी के इतने वर्षों में भी हम उन उद्देश्यों को ठीक से नहीं प्राप्त कर पाए जिनका उल्लेख संविधान में किया गया था। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आम जनता हर गलत कार्य को भी शान्त रहकर सहन करने पर मजबूर है, क्योंकि उनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुँचती। आधी आबादी अशिक्षित होने की वजह से सरकार के कानूनों के रहस्यों को नहीं समझ पाती या बेईमान व्यक्ति को पहचान नहीं पाती। अतः ऐसे माहौल में अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल विधेयक अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण के लिए आगे कदम बढ़ाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण माना जाएगा। यह कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी व अन्ना हजारे के जनता की समस्याओं का निवारण हेतु किये जाने वाले सत्याग्रह आन्दोलनों की वातावरण व परिस्थितियाँ पूरी तरह से भिन्न थी। महात्मा गाँधी ने पराधीन भारत की जनता के लिए स्वशासन व स्वराज्य प्राप्ति हेतु आन्दोलन किये, बाहरी व्यक्तियों से जिनका भारत में आने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं था। वे केवल सोने की चिड़िया को अपने अधीन करने का उद्देश्य लाए थे और उन्होंने हमारे जीवन व नैतिक मूल्यों और विश्वासों का फायदा उठा कर हम पर प्रहार किया। एक दिन में अगर हजारों भारतीय भूख या गरीबी से मर जाते थे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका उद्देश्य स्पष्ट व मतलबी था, भावनाएँ उन्हें रोक नहीं पाती थी। उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज क्षणभर में चुप करा दी जाती थी। परिस्थितियाँ विकट थी, समस्याएँ ज्यादा। ऐसे में महात्मा गाँधी जैसे महान व्यक्तित्व और सत्याग्रही का हमारे देश में होना ईश्वर के सम्पूर्ण आशीष के समान ही लगता है। उनके सत्याग्रही कार्यक्रमों ने अनैतिकतापूर्ण कार्यों के लिए जो आन्दोलन किये, वे अविस्मरणीय ही रहेंगे।

दूसरी तरफ अन्ना हजारे के आन्दोलन आजाद भारत में, आजादी की खुली हवा में सांस लेने वाली जनता जिनके लिए संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय की व्यवस्था की गई है। अधिकार व कर्त्तव्य निश्चित किये गए हैं। सरकार चुनने व वापस बुलाने की व्यवस्था की गई है, परन्तु इनके बावजूद अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई विरासत ने हमें अभी तक नहीं छोड़ा और उनकी पूर्वोक्त दलीलें सही लगती हैं कि देश इतना विभिन्नताओं में बंटा है कि पूरी तरह समान नहीं हो सकता। लूट–खसोट आम जिन्दगी का नियम बन गई है। भ्रष्टाचार कदम–दर–कदम साथ चलता है। सरकार कुछ करना नहीं चाहती क्योंकि वो भी इसमें शामिल है। अतः परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की हैं कि इसमें अपने ही लोगों से अपने अधिकारों व न्याय के लिए लड़ना है, जहाँ जनता के भी विभिन्न मत हो जाते हैं। जनता अन्याय को अपनी नियति मान चुपचाप भ्रष्टाचार में साथ देती चली जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कर्त्तव्य निश्चित किये, जिस सत्य को लोगों को आचरण में लाने के निर्देश दिये वे प्रायः धूमिल से ही

हो गए हैं। आज स्थिति है कि धन के लिए भाई–भाई का झगड़ा हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि वातावरण आपसी कलह, फूट, अविश्वास, भय का हो रहा है। ऐसे में अन्ना के आन्दोलन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आजादी के इतने सालों बाद इतनी सशक्त आवाज में व इतने भारी जनसमर्थन के साथ उनका भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन जनता के लिए अंधेरे में जलती मशाल के समान ही है। सोयी हुई जनता को जगाने का कार्य अन्ना हजारे की सबसे बड़ी जीत ही मानी जाएगी। स्वयं गाँधीजी ने स्वीकार किया कि "गम्भीर परिस्थितियाँ ही महापुरूषों का विद्यालय है और पुरूषार्थ उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में है।"[166]

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में दोनों की वातावरण व परिस्थितियाँ विपरीत होते हुए भी दोनों के महान व्यक्तित्व की ओर ही संकेत कर रही हैं। दोनों के द्वारा चुना गया मार्ग कठिन ही रहा और गाँधीजी ने जो कुछ भी किया वह गुलाम भारत की स्थिति के लिए किया, वे महात्मा व बापू के पद पर विराजमान हैं। अन्ना ने बदहाल लोकतंत्र के भारत के लिए जो आवाज उठायी उन्हें दूसरे गाँधी का नाम दे दिया गया है। हमारा मानना है कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं हो सकता इसलिए अन्ना पूरी तरह महात्मा गाँधी नहीं बन सकते परन्तु उनके द्वारा सुझाए मार्ग पर वे अविरत, अविराम आगे बढ़ रहे हैं। अतः स्पष्ट होता है कि दोनों की पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शासनिक, कानूनी आदि जो व्यवस्थाएँ या परिस्थितियाँ उनके समय में रही उन्होंने उन्हें समाज सुधार व पारदर्शिता के साथ–साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा भ्रष्टाचार निवारण की प्रेरणा दी।

❖ सत्ता की भिन्नता –

सत्ता को प्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सत्ता हर राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा है, शक्ति का स्त्रोत है। इसका कारण यह है कि अनेक बार अन्य दृष्टियों में उपयुक्त न होते हुए भी सत्तारूढ़ होने के कारण अनेक व्यक्तिगत व राजनैतिक संस्थाएँ शक्तिशाली हो जाती हैं। दो प्रभावशाली व कम शक्तिशाली व्यक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता के कारण कभी–कभी किन्हीं दूसरे कम प्रभावशाली व कम शक्तिशाली व्यक्तियों को भी सत्तासीन कर दिया जाता है और धीरे–धीरे वे शक्तिशाली हो जाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, येन–केन–प्रकारेण सत्ता की प्राप्ति व शक्ति संचय। शोध की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो भारत में सत्ता आजादी से पूर्व भी महत्वपूर्ण थी और आजादी के बाद भी महत्वपूर्ण है। 16वीं शताब्दी में भारत आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से अपने शिखर पर पहुँच चुका था, उसके धन व वैभव की चर्चा दूर–दूर विदेशों तक फैल चुकी थी। कई अंग्रेज व्यापारी व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। भारत सदियों तक क्षेत्रवाद से ग्रसित ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न जातियों व सम्प्रदायों का सदा से ही निवास रहा है और उनके क्रियाकलापों, संस्कृतियों में पर्याप्त भिन्नताएँ हमें देखने को मिलती है। अंग्रेजों की सोची–समझी

साजिश के तहत भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति को हावी बनाने की चाल चली गई थी, जिसका असर आज हमारे जीवन पर देखा जा सकता है। लॉर्ड मैकाले द्वारा सन् 1835 में एक नोट लिखा गया कि "भारत सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध व धन–धान्य से भरपूर देश है .... अंग्रेजों के लिए इस देश पर विजय पाना तब तक संभव नहीं होगा, जब तक हम इनकी सांस्कृतिक रीढ़ को नहीं तोड़ देते।" इसी के आधार पर अंग्रेजों ने अपने आपको श्रेष्ठ बनाया व हमें हीन व गुलाम।

साम्राज्य विस्तार की लालसा मनुष्य का गुण होता है और इसी वजह से सभी राजा अपने क्षेत्र की रक्षा के साथ–साथ अपने साम्राज्य विस्तार की कामना भी रखते थे। अखण्ड भारत, एकछत्र भारत का स्वप्न नहीं था। जातीय अहंकार की भावना अधिक थी। इन्हीं वजहों का फायदा उठाकर व्यापारी राजा बन बैठा। आपसी कलह, फूट, एकता के अभाव व बाहरी चमक–दमक के मध्य भारतीय राजा अंग्रेजों की चालाकियों को समझने में असफल रहे। जिन्होंने इस भावना को भाँप लिया वे गद्दारी के शिकार हो गए। थोड़े से धन के लिए और सत्ता की लालसा के लिए अपने ही देश के खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्तियों का इतिहास काफी लम्बा है। अंग्रेजों ने शासन की स्थापना के लिए अनेक ढंग अपनाए। स्थानीय राजाओं व नवाबों की आपस की प्रतिद्वन्द्विता, फूट–कलह का उन्होंने डटकर लाभ उठाया। मुगल साम्राज्य के अन्त के बाद सभी राज्य स्वतंत्र आधिपत्य की स्थिति में आ गए और इनकी आपसी फूट और अधिक प्रबल हो गई। यूरोपीय कम्पनियों को अपने पैर जमाने का अवसर मिला, उन्होंने भारतीयों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाना प्रारम्भ कर दिया और अंग्रेज धीरे–धीरे शासक की भूमिका में आ गए। इस प्रकार धीरे–धीरे सम्पूर्ण भारत की भूमि उनके अधीन हो गई। जिन राजाओं ने उनके साथ संधि की वे उनके गुलाम राजा बन गए व जिन्होंने उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहाँ वह कहानी चरितार्थ होती है कि "अगर लकड़ी के पूरे गट्ठर में से लकड़ियाँ अलग–अलग हो जाती हैं तो उन्हें तोड़ना आसान हो जाता है, परन्तु पूरे गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है।" यही कारण रहा कि क्षणिक लालच में भारतीयों ने अपनी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में सौंप दी, जिनके लिए भारतीय सिवाय मूर्ख के और कुछ नहीं थे। अंग्रेजी सरकार के भारतीय प्रतिनिधियों को इंग्लैण्ड से ही चुनकर भेजा जाता था, जिसमें भारतीयों की सहमती व असहमति का प्रश्न भी नहीं था। भारतीय जानवरों की श्रेणी में थे, जिनमें अंग्रेजों के हिसाब से चुनाव में हिस्सा लेने की समझ नहीं थी।

सन् 1857 तक अंग्रेजों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि पेशावर से लेकर बर्मा तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतवर्ष के सम्पूर्ण प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गए। इस प्रकार आगे की स्थिति भारतीय एकता पर बड़ा आघात मानी गई। अंग्रेजों की नीति दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, अपमान पर आधारित थी, भारतीय धार्मिक विश्वासों,

रीति–रिवाजों, प्रथाओं पर एक बड़ा आघात थी। अपनी शिक्षा व संस्कृति जबरदस्ती भारतीयों पर लादने की स्थिति थी। इस प्रकार अंग्रेजों ने जो सत्ता प्राप्त की वह जन भावनाओं के अनुकूल सार्वजनिक हित, जनता के सम्मान व विकास पर आधारित नहीं थी। इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं था। परन्तु यह अंग्रेजी सत्ता अब भारतीयों के जीवन का निर्णय करने वाली सर्वोच्च सत्ता बन गई थी, जिनकी आज्ञापालन प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यावश्यक हो गया था। ऐसी अन्यायपूर्ण अंग्रेजी सत्ता के मध्य गाँधीजी का जन्म हुआ। हालांकि गाँधीजी एक समृद्ध परिवार से थे, उनका प्रारम्भिक जीवन व शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था अच्छी थी। परन्तु जैसा कि हर व्यक्ति का जीवन कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुमूल्य होता है, उसी तरह गाँधीजी ने भी कभी यह निर्धारित नहीं किया था कि वे एक दिन महात्मा व बापू के पद पर लोगों के हृदय में विराजमान होंगे। जब वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ उन्हें अंग्रेजी सत्ता के असली चेहरे से मुलाकात हुई। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है और वे हर भारतीय को किन हीन नजरों से देखते हैं, इसका अहसास गाँधीजी को अच्छी तरह से हो चुका था। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका से ही गाँधीजी के सार्वजनिक जीवन की पृष्ठभूमि तैयार हुई और उसका अन्त भारत की आजादी से ही हुआ। गाँधीजी को यह समझ आ गया था कि इतने वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को आजाद करवाना बड़ा कठिन साध्य है और हठी अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह के अलावा अन्य कोई उपाय अपनाना अत्यधिक नरसंहार को आमंत्रण देना होगा, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति दमन व शोषण पर आधारित थी। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन के दिशा–परिवर्तन के साथ–साथ सत्य, अहिंसा, प्रेम को अपना हथियार बनाया। स्वयं गाँधीजी का मानना था कि सत्याग्रह का प्रयोग पत्थर–हृदयी व्यक्ति के मन को पिघला सकने की ताकत रखता है। चूँकि अंग्रेजी सत्ता औचित्यपूर्ण व न्यायसंगत नहीं थी, भारतीय जनता के लिए अहितकारी थी। अतः इसे चुनौती दिया जाना आवश्यक है। महात्मा गाँधी की इस निरंकुश सत्ता को यह औचित्यपूर्ण चुनौती थी, जिसमें धैर्य, साहस व निर्भयता की अत्यन्त आवश्यकता थी, जिसका परिचय गाँधीजी ने प्रस्तुत किया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा गाँधी के समय की सत्ता भारतीय न होकर विदेशी थी। यह गुलामी की बेड़ियों में गहरे रूप से जकड़े भारतीयों के दमन का इतिहास है, जिससे आजादी नामुमकिन सी ही प्रतीत होती थी। यह सत्ता भारतीयों के लिए असहनीय थी। अपने आन्दोलनों में गाँधीजी ने सदैव नीति का साथ दिया, अपने व्यवहार को अंग्रेजों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण ही रखा। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। परन्तु वे एक महान नेता की भूमिका में सदैव भारतीयों का सम्बल बने रहे, जो एक मजबूत चट्टान की तरह अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को मनवाने के लिए खड़े रहे और जनता को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने सत्याग्रह को अपना हथियार बना अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आन्दोलनों का संचालन नीतिपूर्वक किया

और एक–एक भारतीय के मन में आजादी का स्वप्न जागृत किया, उस घृणा का विस्फोट सत्याग्रह द्वारा हुआ जो भारतीय जन अंग्रेजों से करते थे और अन्ततः 1947 में भारत को छोड़ अंग्रेज चले गए। इस दिशा में महात्मा गाँधी ने जो कुछ भी किया वह राष्ट्रीय आन्दोलन का गाँधी युग कहलाया।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि गाँधीजी ने जिस सत्ता के अधीन काम किया, उसमें वैधता का अभाव था, क्योंकि –

- यह शासक व शासितों के मध्य किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं था।
- यह जनता के विश्वास पर आधारित नहीं था।
- यह सहमति व स्वीकृति पर आधारित नहीं था।
- जनता की योग्यता व क्षमता पर विचार नहीं किया गया था।
- यह प्रायः जनस्वीकृति प्राप्त करने का तरीका होता है, जो नहीं अपनाया गया था।
- सत्ता में औचित्यपूर्णता का एक मनोवैज्ञानिक गुण होता है, क्योंकि इसका आधार भय व प्रलोभन नहीं बल्कि विश्वासों व मूल्यों पर आधारित स्वीकृति होती है।

अतः गाँधीजी के समय में सत्ता की जो आवश्यक सीमाएँ होती हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसलिए यह सत्ता कभी भी जनहितकारी नहीं बन पाई। गाँधीजी ने निरन्तर इसे जनहितकारी बनाने के लिए ही प्रयास किया और भारतीयों को जागृत किया कि वे खुद को ऐसी सत्ता से दूर कर लें। इस प्रकार स्पष्ट है कि सत्ता का जो वास्तविक स्वरूप है, उससे भिन्न स्थिति में ही गाँधीजी ने काम किया और निरन्तर संघर्षरत रहते हुए एक तपस्वी की भाँति अपने उद्देश्य को पूर्णतया प्राप्त कर ही आराम किया।

इसी क्रम में तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक अन्ना हजारे का प्रश्न है, उनका जन्म स्वतंत्रता के पहले ही हो गया था, परन्तु जब होश सम्भाला वे आजाद भारत में थे। आजादी के सबसे कठिन संघर्ष को उन्होंने देखा है, अनुभव किया है और आजादी के जश्न में भी वे शरीक हुए। अतः उनकी भावनाएँ व संस्कार उसी प्रकार के माने जा सकते हैं जिस प्रकार के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के थे। संविधान निर्माण की कहानी व संविधान में लिखित नियमों व कानूनों से अन्ना अच्छी तरह परिचित हैं। आजाद भारत में संविधान निर्माण के साथ ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। सत्ता का स्वरूप बदल चुका था क्योंकि राजनीतिक जीवन में जो व्यवस्था बनी

- उसमें हमने विश्वास व्यक्त कर दिया था।
- उसकी एकरूपता को स्वीकार कर समझौता कर लिया था।

- उस व्यवस्था पर अहितकारी व अनीतिपूर्ण कार्य करने पर कुछ दबावों की व्यवस्था कर ली थी।
- इस व्यवस्था में वैधानिकता का भाव विद्यमान था और पदमोपानिय व्यवस्था व योग्यतानुरूप चयन पद्धति को स्वीकार कर लिया गया था।

यह एक ऐसा माहौल था जहाँ देश के दो भागों में (भारत, पाकिस्तान) विभाजन का दर्द भी लोगों में था और आजादी व स्वनिर्णय की खुशी भी उनमें विद्यमान थी। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत विविधताओं का देश है अतः हमारे संविधान में इन विविधताओं में एकता की व्यवस्था की गई है। शासन व सत्ता भारतीय जनता के हाथों में आ गई थी और "लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन" अर्थात् लोकतंत्र की पूरी तरह से स्थापना हो गई थी। अतः सरकार भारतीय जनता द्वारा चुनी जाती है और सरकार अपने शासन काल में पूरी तरह से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यह उल्लेखनीय है कि एक वैध सत्ता पर कई प्रकार की सीमाएँ होती हैं, जैसे –

- प्राकृतिक सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का स्वतः ही पतन हो जाता है।
- नैतिक व धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल सत्ता आदेश देती है तो उसका पालन करवाना लोकतंत्र के विरूद्ध व अत्यन्त कठिन हो जाता है।
- सत्ता को समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता।
- सर्वोच्च सत्ता के लिए संविधान के प्रारूप का पालन आवश्यक होता है।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम व उपनियम बना लेती है, ये ही सत्ता की सीमाएँ निर्धारित करते हैं।
- आर्थिक साधन व क्षमताएँ सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं।
- अधीनस्थों की आदेश मानने व निर्णयों को समर्थन देने की क्षमता भी सत्ता की सीमा निर्धारित करते हैं जो सामूहिक सौदेबाजी पर नियंत्रण लगाती है।
- वर्तमान समय में U.N.O. व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सत्ता पर कुछ विश्व स्तरीय सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है।
- प्रत्येक राजव्यवस्था के कुछ निर्धारित उद्घोषित लक्ष्य होते हैं, अतः सत्ता इन लक्ष्यों व आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकती।

प्रस्तुत सीमाओं में कार्य करने वाली सत्ता का कार्यकाल अधिक लम्बा होता है और जनता में उसके प्रति विश्वास की भावना का स्तर ज्यादा होता है। अतः जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वशासन की स्थापना हुई, इन सीमाओं को तय कर दिया गया था। दरअसल हमने आजादी के बाद जिस समाजवादी व पूंजीवादी मॉडल को स्वीकार किया था,

भ्रष्टाचार की जड़ें उसी के साथ पड़नी शुरू हो गई थी। सच तो यह है कि इस देश की अधिकांश सरकारों ने जिस तरह नेहरू मॉडल के माध्यम से विकास के सपने बुने, वे केवल छलावा थे। इस मॉडल से जुड़ी सारी योजनाएँ व सब्सिडी का लाभ पहले से आर्थिक रूप से ताकतवर घरानों ने अधिक उठाया। अतः 1965 खत्म होते–होते भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने लगे। जैसे–जैसे समय निकलता गया, विभिन्न विचारधाराओं में से विभिन्न पार्टियों का उदय भारत में हो गया और सभी पार्टियों में विजय की उच्च अभिलाषा के चलते कड़ी प्रतिस्पर्द्धा स्थापित हो गई, जिसमें वे दूसरी पार्टी को पूरी तरह से नीचे गिराने में लगे रहते हैं और इसके लिए किसी भी प्रकार (तन, मन, धन) से प्रयास करते हैं कि विजय उन्हीं की हो। उनके कार्यकाल के दौरान उनके पास इतनी धन सम्पत्ति इकट्ठी हो जाती है कि इसके बाद उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता।

अतः सत्ता का स्वरूप शक्ति व धन संचय करना हो गया है। संविधान में मौजूद नैतिकता का पतन हो रहा है। देश अशिक्षा, गरीबी, शोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद व क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से ग्रसित हो रहा है। भ्रष्ट नेता उन्हीं कानूनों को प्राथमिकता देते हैं, जिनमें उनका हित निहित होता है। व्यापारी व बड़े–बड़े संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में धन देकर अपने मनमाने कार्यों को पूरा करवाते हैं। आज चुनावों में पारदर्शिता का अभाव हो गया है। उम्मीदवार भ्रष्ट है, आरोपी है, बदमाश व गुण्डा है तो भी वह अपनी ताकत से चुनाव में विजयी हो जाता है और उसकी पहुँच संसद में हो जाती है, जिससे यहाँ अपने हितों की पूर्ति करने के लिए ही कानून पास होते हैं। वहाँ जनता से किसी नए कानून के निर्माण में राय नहीं ली जाती। जिन उद्देश्यों को लेकर संविधान बनाया गया उनका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। जनता चुपचाप तमाशा देखने को मजबूर है। हर पाँच साल में सरकार को चुनने की जिम्मेदारी जनता की होती है और उम्मीदवारों के वादे भी बड़े होते हैं परन्तु जैसे ही जनता का विश्वास व समर्थन पाकर वे विजयी हो जाते हैं उसके बाद अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकलते। आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने का स्थान ही तलाशता रह जाता है और एक दिन थक–हार कर यह स्वीकार कर लेता है कि इसके बिना जीवन नहीं चलेगा अतः इसे अपनाना ही सही होगा। इस तरह भारत में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक भ्रष्टाचार बुरी तरह फैल चुका है।

धन की कीमत पर व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को भी अनसुना कर देता है, नेता अपने ईमान को बेच देते हैं और निःसहाय जनता के हाथों में शक्ति होते हुए भी मुँह ताकती रह जाती है। ये हालात बहुत अशोभनीय हैं कि महात्मा गाँधी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस आजाद भारत का सपना देखा था वह अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। इसी मुहिम के साथ अन्ना हजारे ने अपने हृदय की आवाज को अपने बुलन्द इरादों से संजोया है और

भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में लोकपाल विधेयक, जो कि 8 बार संसद में पेश किया जा चुका है, पर निर्णय करवाने के लिए सत्याग्रह आन्दोलन को अपना हथियार बनाया है। वर्षों से सरकार इस बिल को लेकर असमंजस में थी, लेकिन अन्ना हजारे के आन्दोलन ने सरकार को जन–लोकपाल बिल पर गम्भीरता से सोचने को मजबूर कर दिया। इसके जरिये अन्ना हजारे यही चाहते हैं कि ऐसा कानून बने, जिसके तहत भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर आसानी से दंडित किया जा सके, साथ ही जो कमेटी इस बिल पर काम करे, उसमें जनता की भागीदारी भी हो। अन्ना आन्दोलन से पहले सरकार ने जैसा लोकपाल बिल तैयार किया था, उसमें भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के बच निकलने के चोर दरवाजे और मामलों के लंबा खिंचने की तमाम संभावनाएँ थी, लेकिन अन्ना अड़े तो झुक गई सरकार।[167]

परन्तु हमारी सरकार की मनोदशा यही थी कि इसे पूरी तरह से पास ना किया जाए क्योंकि इससे उनकी कालाबाजारी व चोरी के रास्ते बंद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्री व सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई की ताकत देने वाला लोकपाल विधेयक कई बार सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया परन्तु हर बार यह विधेयक औंधे मुँह गिर पड़ा।[168] क्योंकि यह संस्था निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी। कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी जाँच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अतः स्पष्ट है कि जब सार्वजनिक जीवन में पतन आ जाए, भ्रष्टाचार देश के नैतिक चरित्र का पतन कर दे, व्यवस्थाओं का पर्याय बन जाए तो गाँधी प्रेमी अन्ना हजारे के प्रयासों से हमें भी कुछ सीख मिलती है, जिन्होंने अपनी सत्ता के स्वरूप व अपनी संवैधानिक व्यवस्था के मद्देनजर सत्याग्रह का रास्ता चुना और धीरे–धीरे 21वीं सदी के भ्रष्टाचार निवारण के प्रमुख प्रणेता बन गए। चूँकि अन्ना हजारे के आन्दोलन को गाँधी जी के आन्दोलनों से जोड़कर देखा जा रहा है तो सत्ता की भिन्नता के सन्दर्भ में यही कहा जा सकता है कि समयानुसार सत्ता के आयामों व कार्यप्रणाली में अन्तर था। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि गाँधीजी की सत्ता अंग्रेजों की अनौचित्यपूर्ण सत्ता थी, जिनका उद्देश्य केवल हमें मजदूरों की भाँति उपयोग करना व हमारा शोषण कर हमें गुलाम बनाना रहा, जिनका प्रमुख उद्देश्य भारत आने का यही रहा कि वे हमारे यहाँ अपना साम्राज्य विस्तार कर सकें और हमारी उपजाऊ भूमि व संसाधनों का भरपूर उपयोग कर सकें। परन्तु नियम व कानून भी अंग्रेजों के थे, उनको गलत तरीके से उपयोग करने की पूरी छूट भी उन्हें थी। इनके लिए वे भारतीयों पर नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार के प्रति उत्तरदायी थे।

अन्ना हजारे के समय की सत्ता भारत के लोगों द्वारा ही चुनी गई है और भारत के लोगों ने ही इसे वैधता व औचित्यता प्रदान की है। जिसके लिए सारे नियम व कानून संविधान में मौजूद है, सरकार को उनके अनुरूप ही कार्य करना है, इसमें संशोधनों का भी प्रावधान है,

परिस्थितियों के अनुसार नया कानून बनाने का भी प्रावधान है। परन्तु दुनिया की चकाचौंध से अंधी हो चुकी जनता व सरकार केवल धन कमाना अपना अंतिम उद्देश्य समझकर भ्रष्ट हो रहे हैं, जिनपर नियंत्रण अत्यावश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार, जनता को मूर्ख बना रही है, उन्हें शासन से बाहर का हिस्सा बता रही है। ऐसे में यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि लुटेरे अब अपने ही घर के लोग हैं, जो देश के विकास से ज्यादा अपने विकास पर ध्यान देते हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि दोनों के मध्य सत्ता की भी पर्याप्त भिन्नता है परन्तु उद्देश्य व तकनीक एक ही है।

❖ नेतृत्व की भिन्नता –

महात्मा गाँधी व अन्ना के नेतृत्व में भी पर्याप्त भिन्नताएँ हमें दिखाई देती हैं। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि नेतृत्व से हमारा क्या अभिप्राय है? प्रत्येक प्रकार के संगठन व समूह में नेतृत्व की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। संगठन व कार्यक्रमों की सफलता व असफलता बहुत कुछ हद तक नेतृत्व पर निर्भर करती है। यदि नेतृत्व कुशल व दूरदर्शी है, अनुभवी व परिपक्व, स्वाधिकार युक्त है, ईमानदार व संवेदनशील है, उसके व्यक्तित्व में आकर्षण व संकल्प है और वह निर्णय लेने में हिचकता नहीं है, यदि वह अपने समूह के सदस्यों व कर्मचारियों को संगठन व कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ जोड़े रख सकता है और अपने सहकर्मी में प्रेरणा फूँककर उनकी कार्यकुशलता को बनाए रख सकता है, उसमें मानव सम्बन्धों को समझने की शक्ति और उनमें समन्वय करने की क्षमता है, पहल व चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इस सम्बन्ध में पीटर एफ. ड्रेकर ने भी स्वीकार किया है कि "नेतृत्व एक ऐसी मानवीय विशेषता है जो व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक बना देती है, व्यक्ति के कार्य निष्पादन के स्तर को ऊँचा उठा देती है और उसके व्यक्तित्व को सामान्य सीमाओं से आगे विकसित कर देती है"।[169]

नेतृत्व इस प्रकार एक गतिशील तत्व है। इसकी गतिशीलता का सर्वोत्तम उदाहरण भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के उस नेतृत्व की श्रृंखला से दिया जा सकता है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को भारतवासियों में निरन्तर बनाए रखा। इसमें कई समर्पित, सत्यनिष्ठ, साहसी, योग्य और दूरदर्शी नेताओं का निर्णायक योगदान रहा है, जिनमें महात्मा गाँधी का नाम प्रमुख है। गाँधीजी की नेतृत्व क्षमता में नेतृत्व के सभी गुणों का समावेश माना जा सकता है क्योंकि उनका जीवन स्वयं के द्वारा परिष्कृत व निर्माणित था, सत्याग्रह के पथ पर उतरने से पहले वे एक समर्थ परिवार से तो थे परन्तु उनके उच्च आदर्श भी थे।

लंदन में बिताए गए तीन साल गाँधीजी के लिए सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व होने का समय था। इस दौरान उन्होंने न केवल शैक्षिक रूप से अवसर का इस्तेमाल

किया बल्कि बौद्धिक, धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से प्रमाणित भी हुए। इसी समय उन्हें अपने परम्परागत नैतिक मूल्यों को आँकने का भी समय मिला। इसी समय उन्हें पहली बार यह अवसर भी मिला कि वे अपने जीवन को दिशा दें और अपनी प्राथमिकताएँ व मूल्य तय करें।[170] गाँधीजी राष्ट्रीय आन्दोलन और वर्तमान भारत के सर्वोच्च नेता माने गए। वे राष्ट निर्माता, मुक्तिदाता, संत, समाज सुधारक, अहिंसा के पुजारी और कुशल राजनीतिज्ञ थे। 1920 के बाद वे देश के मुख्य कर्णधार बन गए और जीवन पर्यन्त कांग्रेस के बेताज बादशाह भी बने रहे। प्रमुख रूप से गाँधीजी ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापक बनाया। जो आन्दोलन बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग तक सीमित था उसे उन्होंने जन आन्दोलन का रूप दिया। कांग्रेस को सार्वजनिक संस्था बनाने में सहयोग दिया, जिससे उसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति बन गया। उनके द्वारा संचालित असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आन्दोलनों ने प्रत्येक गाँव, प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को प्रभावित किया और एक तरह से सभी को सत्याग्रहियों की पंक्तियों में शामिल कर लिया। गाँधीजी ने ही विकट से विकट परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं को स्वतंत्रता के लिए एक निश्चित कार्यक्रम प्रदान किया एवं उनका मार्गदर्शन किया। सर्वसाधारण में साहस, निडरता व निर्भयता का संचार किया और यह उस समय किया जब लोगों में दम घुटने वाला भय विद्यमान था। गाँधीजी ने अन्यायी और अत्याचारी नीतियों का विरोध करने के लिए लोगों में साहस पैदा किया। उन्हीं के नेतृत्व से लोग अपने सीने पर गोली खाने को सदैव तैयार रहते थे, उनके लिए कारागार दुःखदायी और अपमानजनक नहीं रह गए थे, कायरता उनसे कोसों दूर भाग गई थी। त्याग कष्ट और बलिदान उनके नित्य के आहार बन गए थे और उनमें आत्मविश्वास की भावना आने लगी थी। इसी प्रकार गाँधीजी के प्रभावशाली नेतृत्व के पीछे उनके द्वारा अपनाए जा रहे नैतिक साधन भी प्रमुख रहे। उन्होंने नैतिक शक्ति को पशु शक्ति के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। नैतिक साधनों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग भी उन्होंने दिखाया। उनके सिद्धांतों (सत्य व अहिंसा) के प्रति वे इतने दृढ़ थे कि सत्य व अहिंसा के लिए देश होमने को तैयार थे परन्तु सत्य व अहिंसा को नहीं, अतः राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया। स्पष्ट है कि गाँधीजी ने इतिहास की दिशा बदल दी और नए इतिहास का सृजन किया।

वे सिद्धान्तों व दृढ़ प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा वही कार्य किया जिसका वह दूसरों को उपदेश देते थे। उनके लिए सिद्धान्त व व्यवहार में कोई विरोधाभास नहीं था और न ही वह सार्वजनिक व निजी जिंदगी को अलग रखते थे। जनसमुदाय, खासकर वंचितों व दबे–कुचले लोगों की भाषा को समझने व उसे आवाज देने के कारण ही गाँधी व्यापक स्तर पर दुनिया में स्थायी असर छोड़ने में सफल रहे। यहाँ तक कि अपनी मौत के बाद भी गाँधी विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया, नीति निर्माताओं और स्वप्न–दृष्टाओं का न

केवल भारत बल्कि विदेशों में भी ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। अतः गाँधीजी हरेक लिहाज से एक महान व्यक्ति थे। गाँधीजी के नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता हासिल की और वे दुनियाभर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रेरणा स्त्रोत बने। महात्मा गाँधी जितने सरल उतने ही जटिल विचारक व अद्वितीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। गाँधीजी ने मार्टिन लूथर किंग, जेम्स लासन, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खाँ, स्टीव बिको, आंग सान सू की और और बेनिग्नो अकिनो जैसे कई प्रमुख नेताओं और राजनीतिक आन्दोलनों को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1955 में कहा –

"यीशू ने हमें लक्ष्य दिये और महात्मा गाँधी ने उन्हें हासिल करने के खास तरीके बताये।" अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सितम्बर 2009 में वेकफील्ड हाईस्कूल में दिये अपने भाषण में कहा कि "वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महात्मा गाँधी से प्रेरित हुए।" ओबामा ने 2010 में भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा –

"मुझे इस बात का एहसास है कि अगर गाँधीजी और अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए दिये गए उनके संदेश नहीं होते तो मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आज आपके समक्ष खड़ा नहीं होता।"[171]

अतः कहा जा सकता है कि गाँधीजी की नेतृत्व क्षमता उस समय से आज तक इतनी सशक्त है कि आज भी उनकी जिंदगी की सरलता व शिक्षाओं ने बहुतों को प्रभावित कर उनका मार्गदर्शन किया है और इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गाँधीजी के विचारों के प्रचार–प्रसार के लिए समर्पित कर दी। गाँधीजी की पहली जीवनी "गाँधी : ए पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका" 1910 में लंदन इण्डियन क्रॉनिकल में जब प्रकाशित हुई थी, उस समय गाँधीजी अधिक चर्चित शख्सियत नहीं थे। यूरोप में रोमा रोलां ने 1924 में, ब्राजील की अराजकतावादी–नारीवादी लेखिका मारिया लासेर्दा दि मूरा ने शांतिवादी सम्बन्धी लेखन में, गाँधीजी का उल्लेख किया है। डी.जी. तेंदुलकर की आठ खण्डों में प्रकाशित "महात्मा : लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गाँधी" और प्यारेलाल व सुशीला नायर की दस खण्डों में प्रकाशित महात्मा गाँधी की पुस्तकें शामिल हैं। फिल्मों, साहित्य व रंगमंच में भी गाँधीजी एक जननायक की भूमिका में हैं। गाँधीजी के जीवन व उनके कृत्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करता वृत्तचित्र "महात्मा : लाइफ ऑफ गाँधी" भी है जो 14 खण्डों में है और छः घण्टे की अवधि वाला है। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने 1930 में गाँधीजी को साल का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया था। 1999 में कराये गए एक सर्वेक्षण में गाँधीजी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। टाइम पत्रिका ने ही इन्हें वर्ष 2011 में 25 सर्वकालिक राजनीतिक हस्तियों में से एक बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर 2 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाये जाने का फैसला किया। 30 जनवरी को अहिंसा व शांति दिवस और

शहीद दिवस जन्मदिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित रहता है। गाँधीजी की तस्वीर हर भारतीय नोट पर भी अंकित रहती है। अतः यह कहा जा सकता है कि गाँधीजी अपने सशक्त व सुदृढ़ नेतृत्व क्षमता के कारण ही उस ऊँचाई तक पहुंचे जहाँ पहले कोई भी नहीं पहुँच सका था। अपने जीवनकाल में करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाले गाँधीजी आज भी दुनियाभर में लोगों की प्रेरणा के स्त्रोत बने हुए हैं। उनके विचार अमर और समय सिद्ध हैं तथा उन्हें आम आदमी समझ में आ सकने लायक भाषा में लिखा गया है। वह आम इंसानों के मध्य बड़ी शख्सियत के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने लोगों को गलत कार्यों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए "अधिकारों के अहिंसक व्यवहार" का तरीका बताकर व्यावहारिक रास्ता भी सुझाया।

गाँधीजी की इतनी उच्च सोच, व्यवहार व नेतृत्व कला का कुछ खास पुस्तकों व पुस्तक अंशों ने गहराई तक प्रभावित किया था। इन्हीं पुस्तकों ने उन्हें लोगों के बारे में बेहतर समझ बनाने में भी सहयोग किया। वे एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने भारत में पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल 1917 में बिहार के चम्पारण में किया, फिर अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आन्दोलन और 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व किया। उनकी दूरदृष्टि व चिन्तन दृष्टि इतनी थी कि उन्होंने सुशासन से परिपूर्ण व्यवस्था में सार्वजनिक नीतियों की प्रभावोत्पादकता आँकने के लिए सख्त पैमानों का समूह भी सुझाया था। उन्होंने कहा "क्या इस नीति से सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति को अपनी जिंदगी और किस्मत पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी?" दूसरे शब्दों में, क्या यह भूखे और आध्यात्मिक रूप से वंचित लाखों लोगों को स्वराज्य दिला पाएगा? सच्चा लोकतंत्र गरीब के साथ–साथ विकलांग, दृष्टिहीन व मूक–बधिर व्यक्ति समेत सभी लोगों के लिए मायने रखना चाहिए। वे आदर्श पेश करने के लिए सिर्फ जुबानी सहानुभूति में भरोसा नहीं करते थे बल्कि कर्म में विश्वास करते थे। उनकी इतनी गहरी चिन्तन क्षमता उन्हें भारतीयों में एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान करती है और लोगों को उनका अनुसरण करने को प्रेरित करती है। गाँधीजी ने अर्थ और मोक्ष, धर्मनिरपेक्षता आध्यात्मिकता तथा शक्ति और न्याय जैसे मूल्यों के बीच सामंजस्य बिठाने का रास्ता दिखाया। वे एक ऐसे रचनात्मक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय की चुनौतियों का बखूबी मुकाबला किया। वे अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। वे 20वीं सदी के सबसे बड़े नेता, उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण ही कहलाते हैं। पूरी दुनिया में उन्हें शांति, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, शाश्वत पवित्रता, करूणा के प्रति उनके प्रेम, समूची जनता को एकजुट करने, औपनिवेशिक ताकत से देश को स्वतंत्र कराने में मदद करने तथा विश्व को नया रास्ता दिखाने में इन साधनों के इस्तेमाल में मिली कामयाबी के लिए याद किया जाता है। गाँधीजी एक सृजनात्मक व्यक्ति थे और वह अपने समय की चुनौतियों का सामना अहिंसक

तरीके से कर वर्तमान व भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण भी पेश करते हैं। गाँधीजी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अस्पृश्यता की भावना का अंत करने के लिए सवर्णों का आत्म–परिवर्तन व दलितों का सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान, प्रमुख माना। उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा उनमें जागृति लाने का कार्य किया। उन्होंने अपना सारा जीवन साम्प्रदायिक एकता में लगा दिया। उनके अनुसार "हिन्दू–मुस्लिम एकता इस बात में निहित है कि हमारे उद्देश्य, लक्ष्य तथा सुख–दुःख एक समान हों। एक दूसरे का सुख–दुःख बाँटने तथा परस्पर सहिष्णुता बढ़ाना इस एकता की भावना को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है।"

अतः कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी ने अपने विचारों व नेतृत्व क्षमता के आधार पर समाज को बदलने की कोशिश की तथा अपने कर्मक्षेत्र के प्रयोग से मिलने वाले अनुभव से अपने विचारों में संशोधन किया। चौरीचौरा काण्ड, जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड, मॉर्शल लॉ, रौलेट एक्ट आदि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के चलते जब जब भी भारतीय जनता का मनोबल खत्म होने लगा गाँधीजी ने उन्हें टूटने नहीं दिया और उन्हें आगे बढ़ते रहने का उपदेश पूरी स्फूर्ति व दुगने जोश के साथ दिया जिससे भारतीयों में एक नई समझ विकसित हुई और वे सदैव गाँधीजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। अपने आन्दोलनों में गाँधीजी इतने सशक्त व मजबूत नेता के रूप में दुनिया के सामने आए कि जनता ने उनके सामने अपना आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। उनकी राजनीतिक रणनीति ने कांग्रेस में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उसके प्रभाव क्षेत्र को गाँवों–गाँवों तक पहुँचा दिया। चम्पारण, खेड़ा, अहमदाबाद में जन आन्दोलन में शामिल होकर गाँधीजी ने "प्रतिरोध की प्राचीन पद्धति के साथ ही सभी प्रकार के हिंसक विरोध के लिए औपनिवेशिक सेन्सर को स्वीकार करके भारत में विरोध करने के लिए एक नई भाषा गढ़ी"[172]। इन आन्दोलनों के समय दो पूरक प्रतिक्रियाएँ रही – एक स्तर पर स्थानीय बस्तियों के लोगों को प्रतिरोध आन्दोलन में सक्रिय करने के लिए स्थानीय मुद्दों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, दूसरी ओर महत्वपूर्ण क्षणों में गाँधीजी की उपस्थिति से आन्दोलन, सम्भवतः जो स्थानीय आयोजकों में बढ़ती निराशा के कारण अपनी गति खो बैठे थे, को चलाते रहने में सहायता मिली। गाँधीजी के एक उभरते हुए सर्वोच्च नेता व उनकी नेतृत्व क्षमता के सन्दर्भ में व्याख्या करते हुए जवाहर लाल नेहरू ने कहा "गाँधीजी भारत को हमसे बेहतर जानते थे तथा एक व्यक्ति, जो लोगों की इतनी अधिक प्रतिबद्धता व भक्ति प्राप्त करता है, में ऐसा अवश्य कुछ होगा जो लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं से मेल खाता हो।[173]

असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन व राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन इन तीन अखिल भारतीय आन्दोलनों, जिनका गाँधीजी ने नेतृत्व किया, के दो लक्षण हर बार उभरे; पहला गाँधीजी निर्विवाद नेता रहे, जिन्होंने जनता को अपने करिश्मा व जादूई शक्ति से प्रभावित किया और द्वितीय अखिल भारतीय गुणों के बावजूद ये आन्दोलन ग्रामीण निहित स्वार्थों तथा सरकार

द्वारा उनके समर्थन की स्थानीय शिकायतों को आधार बनाकर प्रतिभागियों द्वारा स्वतंत्र रूप से आयोजित किये गए। गाँधीजी ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरूद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया अपितु भारत की प्राचीन परम्पराओं के नाम पर शोषक सामाजिक संरचनाओं, रीतिरिवाजों, मानकों व मूल्यों के विरूद्ध भी संघर्ष किया। इसलिए गाँधीजी के विचार न शुद्ध रूप से राजनीतिक हैं, न पूर्ण रूप से सामाजिक बल्कि इन दोनों का जटिल मिश्रण है जो गाँधी के उद्देश्य की अवधारणाजन्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। जनसामान्य के लिए लिखते समय उन्होंने, भारतीयों को उनकी सशक्त परम्पराओं व उनकी योग्यताओं की शिक्षा देने के लिए उनके धार्मिक उपदेशों का प्रयोग किया। यह उनका एक तरीका था जिनके माध्यम से उन्होंन ब्रिटिश साम्राज्यवाद, अस्पृश्यता व साम्प्रदायिक झगड़ों के विरूद्ध भारतीयों को शामिल किया। गाँधीजी ने उभरते जन असंतोष का उपयोग किया तथा उसे सत्याग्रह में परिवर्तित किया। इस प्रकार सत्याग्रह के विचार को सक्रिय करने के सिद्धान्त, जो गाँधीजी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय अभियान में शामिल लोगों के व्यवहार को संचालितकर्ता के रूप में अवधारित किया तथा जितना अधिक सांगठनिक मानकों, जिनसे राष्ट्रीय आन्दोलन को संचालित होना था, के लिए चिन्तित हुए उतना ही अधिक उन्होंने अहिंसा के विचार को व्याख्यायित करना प्रारम्भ किया।[174]

असहयोग आन्दोलन के प्रथम चरण के दौरान प्रदर्शनों को "विचार रहित भीड़"[175] कहने में गाँधीजी को हिचक नहीं हुई और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि "ऐसे प्रदर्शन भारत को स्वराज्य नहीं दिला सकते, जब तक वे राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए अनुशासित एवं सुसज्जित न हों। देश के समक्ष सबसे बड़ा कार्य प्रदर्शनकारियों को अनुशासित करना है। यदि वे एक सार्थक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो राष्ट्र को जनआन्दोलनों को सौम्य व पद्धतिबद्ध तरीके से चलाने के लिए अनुशासित होना चाहिए। .... हम तब तक प्रभावशाली काम नहीं कर सकते जब तक भीड़ को निर्देश दें और स्पष्ट आज्ञाकारिता की अपेक्षा करें।"[176] इस प्रकार प्रथम असहयोग आन्दोलन के दौरान फैली हिंसा के लिए गाँधीजी ने खुद को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि यह नेतृत्व की कमी का नतीजा ही था, जिसे परिष्कृत करना होगा। अहिंसा के सिद्धान्त के कड़े रूप से पालन का दायित्व नेतृत्व पर था न कि जनता पर बिल्कुल सेना के एक सिपाही की तरह। जिस तरह एक सिपाही अपने कमाण्डर पर विश्वास करता है और उनके आदेश का ईमानदारी से पालन करता है तथा मृत्यु को सहन करने को पूरी तरह से तैयार होता है, उसी प्रकार सत्याग्रही को भी अपने नेता के प्रति ह्दय से स्वयं अनुशासित होने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके मन में किसी प्रकार की शंका ना हो। जनता को दिशा–निर्देश देने में नेता की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है परन्तु गाँधीजी ने समस्त सत्याग्रहियों को इस

प्रकार प्रशिक्षित कर दिया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में सभी व्यक्ति स्वयं की स्वतंत्र इकाई थे, स्वयं के नेता स्वयं थे।[177]

अतः स्पष्ट है कि गाँधीजी में नेतृत्व के वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक सफल नेता में होने चाहिए बल्कि उन गुणों से भी उच्च स्तर का एक अनजाना आकर्षण जनता गाँधीजी में महसूस करती थी, गहरा आत्मबल उनमें स्पष्ट झलकता था और वे अपने सिद्धान्तों के प्रति सदैव दृढ़ रहते थे। जनता के लिए वे हमेशा बापू के पद पर थे व रहेंगे और हम उन्हें व उनके योगदान को सदैव याद कर अपने जीवन की दिशा तय करते रहेंगे, चूँकि गाँधीजी के बाद समय बदला, परतंत्रता से स्वतंत्रता आ गयी, व्यवस्थाओं का समागम भारत में हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हो गई परन्तु जैसा कि पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत विविधताओं से भरा देश है और इन विविधताओं में एकता स्थापित करने के लिए एक कुशल नेतृत्व का होना जरूरी है। आजादी के बाद थोड़े वर्षों तक हमें कुशल नेतृत्व व महान् नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ परन्तु यह काफी लम्बा न चल सका। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना भारत में दुष्कर कार्य था और उसका जिम्मा हमारे नेताओं पर था। वास्तविक लोकतंत्र न केवल कुछ लोगों बल्कि निर्धनतम व्यक्ति समेत सभी लोगों के लिए मायने रखता है, अपंग, नेत्रहीन, मूक–बधिर के लिए भी लोकतंत्र वहीं है तो अमीर व गरीब के लिए भी वही है। आदर्श दिखाने के लिए महज बड़े–बड़े वादों में नहीं (जैसा कि मौजूदा समय के अधिकतर नेताओं में आसानी से देखा जा सकता है) बल्कि व्यवहार में भी अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान भारत वास्तविक लोकतंत्र के उद्देश्यों के प्रति अव्वल दर्जे की गंभीरता तथा अत्यावश्यकता की अपेक्षा करता है। आज मूलभूत सवाल यह है कि क्या शासकों व राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक शासन के उद्देश्य के प्रति गम्भीरता व अत्यावश्यकता की भावना दर्शायी है? इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से सकारात्मक ही है। इतने सारे कानूनों के बावजूद भारत में चुनाव प्रणाली और समूची चुनाव प्रक्रिया जनमत की ईमानदार तस्वीर सही तरीके से पेश नहीं कर पा रही है। अपराधी भी चुनाव जीतकर राजनीतिक पदों पर आसीन हो रहे हैं। अब चुनावों में नेतृत्व की अपेक्षा शक्ति अधिक विश्वसनीय हो गई है।

चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है, चुनावों में पूरी धांधली भी होती है, निष्पक्षता का इसमें अभाव होता जा रहा है। उम्मीदवारों को व्यापारियों द्वारा धन सम्बन्धी सहायता दी जाती है। इस प्रकार उम्मीदवार निर्वाचित न होकर खरीद फरोख्त का परिणाम होते हैं। सभी मानवीय पहलुओं पर राजनीति का भारी पड़ जाना चुनावी दौर के सबसे दुःखद पहलुओं में से एक है। भारत में लोग नैतिक नेतृत्व के लिए लालायित और प्रतीक्षारत हैं लेकिन यहाँ के राजनेता नैतिक नेतृत्व देने के बजाय पहले से ही दूषित हो चुकी व्यवस्था को बनाए रखने में ही जुटे हुए हैं। यह व्यवस्था सामूहिक दुरावस्था से जहरीली होने के साथ ही निजी

हितों को महत्ता देने के कारण दूषित हो चुकी है। लोगों को दूरदृष्टि और कल्पना पर आधारित सेवाएँ देने के स्थान पर उन्हें धोखे में रखा जा रहा है और छला जा रहा है। एक नागरिक का कर्त्तव्य न केवल मतदान करना बल्कि समझदारीपूर्वक मतदान करना भी है। उसे तर्क से संचालित होना चाहिए। उसे किसी भी तरह के विचारों और दलीय आधार से ऊपर उठ कर सबसे सही उम्मीदवार को ही मत देना चाहिए। यह मानने में कोई बुराई नहीं कि आज के नेता चुनाव प्रणाली के जरिए और नौकरशाह कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में गड़बड़ी करके अपनी महत्ता बढ़ाने की कोशिश करते हैं जबकि अभिजात्य वर्ग राजनीति व नौकरशाही के साथ अपने अनुचित सम्बन्धों के माध्यम से इस शोषणकारी व्यवस्था में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा रहता है। आज आम नागरिक की दृष्टि में अदालतें और संसद धोखेबाजी, बेईमानी, जोड़–तोड़, भ्रष्टाचार आदि को वैधता दिलाने के उपाय भर बनकर रह गयी है। घोटाले रोजमर्रा की बात हो गई है। धन की ताकत सभी जगह देखी जा सकती है। जनता में भारी असंतोष विद्यमान हो चुका है। यह डर है कि हम उस स्थिति में न पहुँच जाएँ जहाँ उदासीनता एक संक्रामक रोग बन जाए अथवा अत्यधिक थकान की भावना धीरे–धीरे समूचे देश में फैल जाए। इसी डर के बीच एक आशा की उम्मीद के रूप में अन्ना हजारे 21वीं सदी में हमारे सामने हैं जो भ्रष्टाचार व राजनीति में फैली अनैतिकता की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। इन्होंने दबी हुई जनता को संगठित कर आम लोगों को एक नैतिक मंच मुहैया कराया है।

वर्ष 2011 में लोकपाल व लोकायुक्त कानून लागू करवाने की मुहिम में आगे आए अन्ना हजारे समस्त भारत में दूसरे गाँधी के नाम से विख्यात हो गए। 15 अगस्त 2011 को प्रधानमंत्री जब लालकिले से देश को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की खूबियाँ गिना रहे थे तब शायद उन्होंने यह कतई नहीं सोचा होगा कि आने वाले कुछ घंटों में उसी सरकार के खिलाफ एक जनसैलाब सड़कों पर उतर आएगा। सरकार के बड़े–बड़े दिग्गज मंत्रियों को भी शायद यह अहसास नहीं था कि बेहद शांत दिखने और रहने वाले अन्ना हजारे नाम की एक आँधी आएगी और करीब–करीब समूचा देश उस आँधी के समर्थन में उठ खड़ा होगा। सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने इससे पहले शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की लड़ाई को एक बूढ़े और जिद्दी आदमी की सनक समझा था, लेकिन कई महीने पहले अन्ना हजारे ने सरकार को चेतावनी दी थी कि देश में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अगर जन लोकपाल बिल नहीं लाया गया तो वह अनशन पर बैठेंगे और अहिंसावादी तरीकों से आन्दोलन करेंगे और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ उनका नहीं, सारे देश का आन्दोलन होगा। 16 अगस्त 2011 को अनशन शुरू हुआ। अपनी सत्यनिष्ठा, स्पष्ट वाणी व वादे, ईमानदारी, गम्भीरता और आज की राजनीति में दुर्लभ, बेदाग, सरल व निःस्वार्थ छवि वाले अन्ना अचानक ही देश के नेतृत्व में उपजे शून्य को भरने के लिए एक अनूठे नायक की तरह उभरे। उनके नेतृत्व में शुद्ध आचार,

शुद्ध विचार, त्याग, अपमान सहने की शक्ति, निष्पक्ष न्याय आदि गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। आमजन भ्रष्टाचार के विरूद्ध जिस नेतृत्व की तलाश में थे, वो उसे उन्ना हजारे के रूप में मिला और समस्त जनता भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एकजुट हो गयी। अन्ना के अभियान 2011 के सफल होने में मीडिया व प्रौद्योगिकी की भी बड़ी भूमिका रही। इंटरनेट, संचार के नए माध्यम और मीडिया ने राष्ट्रीय मुद्दों को आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यह स्पष्ट है कि भारत ऐसे लोगों का देश है जो गरीबी के दो डॉलर प्रतिदिन के वैश्विक मानक पर बमुश्किल गुजारा करते हैं और अन्ना ऐसे लोगों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। भारत ऐसी भूमि है, जहाँ आम लोगों को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर नहीं मिलता है और अन्ना भी उन्हीं में से एक हैं। इसके बाद भी उनके जीवन की शिक्षा बहुत से ज्ञानी पुरूषों को सबक सिखा चुकी है। भारत गाँव में बसता है, अन्ना भी गाँव में रहते हैं, भारत का दिल अभी भी सोने का है और उसी तरह अन्ना का भी।

अन्ना का निःस्वार्थ होना, उनका सीधा व सरल रहन–सहन, उनके साधारण पर ईमानदार और सशक्त विचार, उनके प्रति हमारे आदर भाव को और अधिक कर देते हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता को स्पष्ट कर देते हैं। जंतर–मंतर पर अन्ना के आह्वान पर जमी भीड़, लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन और उनका उत्साह आजादी के इतने सालों में पहली बार देखने को मिला। युवा चकित थे – क्या ऐसा भी हो सकता है? 50 की उम्र से ऊपर जो थे, उन्हें लग रहा था, वक्त ठहर–सा गया है। ये वे लोग थे, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को देखा था। ऐसे लोगों की संख्या भी थी, जिन्होंने गाँधीजी को भी देखा था, अब वे अन्ना को देख रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था, मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा है। गाँधी टोपी व मोटी खादी का कुर्ता पहनने वाले अन्ना हजारे महात्मा गाँधी के रास्ते पर चलते हैं। ये वही रास्ता है जिसमें जयप्रकाश नारायण ने मील के पत्थर लगाए थे। अन्ना का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं। भारत में बहुत दिनों बाद ऐसी पहल हुई थी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। वैसे तो जंतर–मंतर पर रोजाना ही उपवास व धरने–प्रदर्शन होते हैं परन्तु उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, अन्ना हजारे जैसे ही उपवास पर बैठे तो हजारों हाथ उठ खड़े हुए अन्ना के साथ। महात्मा गाँधी के बाद अन्ना हजारे ही दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने भूख हड़ताल और आमरण अनशन को सबसे ज्यादा बार बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। भ्रष्ट प्रशासन की खिलाफत हो या सूचना का अधिकार, चुनाव सुधार हो या किसान के लिए न्याय की माँग, अन्ना हमेशा आम आदमी की आवाज उठाने के लिए आगे आते हैं। भारत सरकार से पद्म भूषण, U.S.A. के केयर इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सियोल ने भी उन्हें सम्मानित किया परन्तु पुरस्कार स्वरूप उन्हें जो राशि मिली, उसे उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए एक संस्था को दान कर दी।

अतः अन्ना की ईमानदारी, उनकी जिद, उनकी सोच और उनके जुनून से पूरी दुनिया परिचित है, तभी तो किसी को वह महात्मा गाँधी लगते हैं, तो किसी को लाल बहादुर शास्त्री, कोई उन्हें विनोबा भावे की तरह मानता है तो कोई उन्हें स्वामी विवेकानन्द का दूत समझता है। मानवता के लिए कार्य करने वाले अन्ना को दुनियाभर के लोगों ने जो आदर दिया है, उसे किसी पुरस्कार या अवार्ड के तराजू से तौलना संभव नहीं। अतः यह माना जा सकता है कि अन्ना ने भी एक निश्चित दिशा में लोगों का नेतृत्व किया है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। उनका निरन्तर यही प्रयास रहता है कि समाज में कुरीतियाँ ना हो और लोकतंत्र का इस तरह से शुद्धिकरण हो कि उसमें पारदर्शिता रहे। परन्तु उनका यह विचार गाँधीजी से थोड़ा अलग दिखाई देता है कि अपराधियों को समझाने पर न मानने पर उन्हें कोड़ों से पिटवाया जाए। अन्ना को 2011 में मिले जनसमर्थन का यही कारण रहा कि सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि अन्ना को इतना जनसमर्थन मिल जाएगा। उस समय मीडिया भी अन्ना के साथ था, जिसके कारण देश का हर नागरिक अन्ना से जुड़ गया था। अतः अन्ना के नेतृत्व को गाँधी के नेतृत्व के समान माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गाँधीजी का नेतृत्व ऐसी जनता के लिए था जो पराधीन भारत की जनता थी, जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था, जो गुलामी की बेड़ियों को अपना भाग्य मान बैठी थी, जिनके पास अपना जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका यह नेतृत्व अंग्रेजों के खिलाफ था परन्तु अन्ना हजारे का आन्दोलन ऐसी सरकार के खिलाफ है जो हमारी अपनी है, पर वो अपना वोट बैंक किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती, अपने निहित स्वार्थों को नहीं छोड़ना चाहती, सत्ता की लालसा उन्हें आन्दोलन में साथ देने से रोकती है। अतः आज अन्ना का नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया भी सरकार के दबाव से मुक्त नहीं हो पा रही है।

अन्ना एक साधारण इन्सान हैं और उनका जीवन दर्शन भी बहुत सरल है। उन्होंने कई महान कार्य किये हैं। उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु वे सदैव स्पष्टीकरण देते हैं, यह उनके व गाँधीजी में एक बड़ा अन्तर है, क्योंकि गाँधीजी कभी स्पष्टीकरण नहीं देते थे, उनके कार्य ही सबकुछ समझा देने के लिए पर्याप्त थे। इस प्रकार अन्ना के वाट्सएप से संकलित संक्षिप्त स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं[178] –

- मेरे लिए कोई काला, सफेद नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी तीखी फटकार ने मुझे हजारों मराठियों के साथ–साथ सम्पूर्ण भारत के लोगों के दिलों में जगह दिलाई है।
- मैं सोचता हूँ कि जब महान सिकन्दर भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा सका तो फिर यह लालसा क्यों? सेवा करो, सेवा में ही आनन्द है, यह संदेश मेरा प्रेरणास्त्रोत है।

- मैं निराश होकर बैठने वाला नहीं हूँ और मैं अपनी वचनबद्धता के लिए सबकुछ बलिदान करने को तैयार हूँ। मेरा जीवन मेरे देशवासियों को समर्पित है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ना मेरा एजेंडा है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध खूब सोच–समझकर बनाई गई एक योजना है।
- मुझे आश्चर्य है, लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि एक गणराज्य में असली सत्ता उन्हीं में निहित होती है। लेकिन यह सत्ता राजनीतिज्ञों या नौकरशाहों के पास चली गई है, हालांकि उन्हें लोकसेवक समझा जाता है। कैसी विडंबना है, हमारे अंदर या हमारे घर के शत्रु के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए? मैं समझता हूँ हमें एक और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और इस संघर्ष में हिस्सा लेने वालों को उसी प्रकार जेल जाने तथा अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों को बाहर करने के लिए संघर्ष किया था।

माना जा सकता है कि कर्म व विचार के स्तर पर कई चीजें हैं जो उन्हें महात्मा गाँधी के करीब लाती हुई नजर आती है। जैसे अपने गाँव रालेगणसिद्धी में सुधार के जो कार्यक्रम उन्होंने किये हैं उसके पीछे गाँधीवादी सोच व सांचा है। आत्मनिर्भर गाँव, सामुदायिक चेतना, शाकाहार और आचरण की एक अवधारणात्मक शुद्धता पर जोर अपने मूल स्वरूप में गाँधीवारी विचार का ही विस्तार है।[179] परन्तु ध्यान देने पर यही स्पष्ट होता है कि अन्ना में वे ही गुण कड़ाई के साथ नजर आते हैं जो गाँधीजी में थे, परन्तु उस समय की वातावरण व परिस्थितियाँ भिन्न होने के कारण हमें दोनों के व्यक्तित्व व नेतृत्व में थोड़ी भिन्नता अवश्य दिखाई देती है। फिर भी गाँधीजी यदि श्रेष्ठतम है तो उस मार्ग पर अन्ना भी श्रेष्ठ अवश्य है, क्योंकि अन्ना के रूप में गाँधी व गाँधीयन मूल्यों का पुनर्आवरण महत्वपूर्ण है और हमें अन्ना का साथ देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत शोध का उद्देश्य गाँधी के सामने अन्ना हजारे को छोटा समझना नहीं है, क्योंकि आज के समय में इतना कुछ कर पाना व जनता को एकजुट कर भारी जनसमर्थन जुटाकर सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए राजी करना कोई छोटी बात नहीं, फिर भी अन्ना स्वयं ये मानते हैं कि वे महज गाँधीजी के सच्चे अनुयायी हैं और सदैव गाँधीपथ पर चलने को अपनी आत्मा व गाँधीजी के प्रति सच्चे समर्पण भाव से प्रतिबद्ध हैं। अतः अन्ना के संदर्भ में यही स्पष्ट होता है कि आचार के स्तर पर लगातार गाँधी का अनुसरण कर रहे हैं। सादगी व सात्विकता को उन्होंने अपनी जीवनशैली बनाया है तथा उपवास व अहिंसा को अपनी संघर्ष शैली। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन मोर्चों पर वे अपने नायक को बिल्कुल टक्कर देते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, परन्तु विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि वे मात्र गाँधीजी को अपना आदर्श मान उनका अनुसरण कर रहे हैं।

कुछ भी हो यह निर्विवाद है कि अन्ना हजारे देशप्रेमी हैं, सहज हैं, सरल हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं, सात्विक हैं, आशावादी हैं, सत्य व अहिंसा के समर्थक हैं, आम आदमी के लिए चिन्तित हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक हैं और देश के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं, अनासक्त कर्मयोगी हैं, दिखावे से दूर हैं, उनकी प्रमुख चिंता यही है कि कैसे आम आदमी को उस पर पड़ने वाले दबावों से बचाया जाए तथा उसे एक सम्पन्न व खुशहाल जीवन दिया जा सके। इन सब विचारों के लिए उनके प्रयास निष्कलंक व निर्विवाद है। अतः यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि वे देशसेवा व मानवसेवा के लिए गाँधीयन पथ के साथ अग्रसर हैं। व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, गाँव व उसके ऊपर के स्तर पर सुधार लाने के उनके प्रयास और ग्राम स्वराज्य पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य का ख्याल उनके भी अन्दर रहता है और वे निःस्वार्थ भाव से गाँधीजी के सपनों को साकार करने में लग जाते हैं। जनता उनसे इतनी प्रभावित है कि शिमला के ऐतिहासिक गेयरी थियेटर में करीब तीन घंटे तक चले एक सम्मेलन में न्यायाधीश, शिक्षाविद् उपस्थित रहे। सैंकड़ों छात्र–छात्राओं के अतिरिक्त कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन पर फिल्म भी बन चुकी है और कई गोष्ठियाँ भी हो चुकी हैं। इनमें इनके गाँधीजी से तुलना पर काफी बहस हो चुकी है। कुछ विशेषज्ञ इस पक्ष में नहीं कि अन्ना हजारे की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी से की जाए मगर कुछ लोग मुखर होकर इस तुलना को ठीक मान रहे हैं, परन्तु समाजसेवी व गाँधीवादी अन्ना हजारे ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना आन्दोलन भली प्रकार सम्पन्न कर पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई, इसलिए उनकी समानता महात्मा गाँधी से करना उचित है ऐसा कहने वाले भी मौजूद हैं। परन्तु विपक्ष में कुछ का तर्क होता है कि "भूखे रहने को तपस्या या अनशन के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भूखा तो भिखारी भी रहता है, उसे हम तपस्वी या महान व्यक्ति की श्रेणी में कैसे शामिल कर सकते हैं?" इस पर पक्ष में तर्क आए कि "भिखारी तो अपने कर्मों तथा काम न करने की इच्छा के कारण भूखा रहता है, जबकि महान व्यक्तित्व के स्वामी अन्ना हजारे के सामने ऐसी कोई विवशता या मजबूरी नहीं रही। यदि अन्ना चाहते तो घर बैठकर बड़े आराम से सुखी जिन्दगी जी सकते थे, लेकिन देश के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए उन्होंने सराहनीय त्याग किया। उन्होंने देश तथा समाज की व्यवस्था सुधारने, इसे पटरी पर लाने के लिए जो संघर्ष किया, उसे नमन तो करना ही चाहिए।

अन्ना का मानना है कि आज देश में चोरी, डकैती, लूटपाट के साथ भ्रष्टाचार जैसे अपराध ने घर बना लिया है, जिसके लिए कई कानून हैं परन्तु उन पर अमल सही तरीके से नहीं होता, यह एक चिंता का विषय है। अब माना जाने लगा है कि इन अपराधों पर रोक तभी लगेगी जब इसके लिए नैतिक साहस पैदा हो और यह नैतिक साहस हमें अन्ना में दिखाई देता

है। जिसके बल पर वे बड़े–बड़े कार्य कर जाते हैं। अन्ना हजारे ने स्वयं को भी गाँधीजी का भक्त, अनुयायी, प्रतिनिधि ही माना, गाँधी तो कभी नहीं। वर्तमान में अन्ना हजारे ही हैं जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में वो साहस पैदा किया जिससे वे सही व गलत समझकर उसके प्रति साहसपूर्ण कार्य कर सकें। अतः यह पंक्तियाँ सही हैं कि कुछ समय पहले लोग पूछते थे, "कौन है अन्ना?" आज लोग कहते हैं, "कौन नहीं है अन्ना?" अतः यह सजीव है कि "मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, सब हैं अन्ना।" इस सन्दर्भ में कई जानी मानी हस्तियों ने अन्ना का समर्थन किया, फिल्म जगत के भी कई बड़े अभिनेता अन्ना के साथ थे। अन्ना हजारे का 2011 का आन्दोलन तो जनजागरूकता लाने में सफल रहा परन्तु इस पर अमल लाने की बात पर सरकार चुप रही। इस सिलसिले में अन्ना ने तत्कालीन व वर्तमान प्रधानमंत्री जी को कई पत्र लिखे और समय–समय पर उन्हें अपने अगले कदम की जानकारी देते रहे। इससे वर्तमान 23 मार्च 2018 में अन्ना ने किसानों को लेकर जो मुहिम छेड़ी उसमें उनका नेतृत्व उभरकर सामने नहीं आ पाया, क्योंकि सरकार को पूरी उम्मीद थी कि अगर मीडिया अन्ना के साथ हो गई तो आन्दोलन जन–जन तक पहुँच जाएगा। इसलिए सरकार ने पहले से ही आन्दोलन को दबाने के सारे प्रयत्न कर रखे थे, जिससे अन्ना का आन्दोलन इतना सशक्त न बन पाया। 7 दिवसीय अपने अनशन में अन्ना ने हौसला नहीं खोया और सरकार से आश्वासन मिलने पर अपना अनशन समाप्त किया तथा साथ ही आगामी छः माह में सरकार को निर्णय करवाने की चेतावनी दी वरना फिर से आन्दोलन करने की घोषणा की। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि अन्ना का नेतृत्व आज इतना उभर कर नहीं आ पाया जिसके पीछे कई कारण जिम्मेदार रहे, जिनमें प्रमुख रूप से सरकार की पूर्व तैयारी, सरकार का मीडिया पर नियंत्रण, रहा जिसका उद्देश्य अन्ना की आवाज को जन–जन तक न पहुँचने देने की मानसिकता रही। इसके अलावा अवसरवादी व दल–बदल की राजनीति, व्यावसायिक राजनीति, राजनीति का आपराधिकरण, दबाव समूह व हित समूहों के हितों की पूर्ति, आरक्षण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, सत्ता की लालसा, व्यक्तिगत नुकसान पहुँचने की आशंका, मीडिया की सौदेबाजी, व्यक्तिगत स्वार्थों की राजनीति आदि भी प्रमुख कारण रहे।

स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण आन्दोलनों को कुछ निहित स्वार्थ हिंसा की तरफ मोड़ देते हैं। जैसा कि गाँधीजी के समय चौराचौरी में हुआ और वर्तमान में तो यह आम बात हो गई है। परन्तु गाँधीजी का नेतृत्व इतना सशक्त था कि उन्होंने इसे बढ़ने से रोका और जनता को बिखरने से रोका परन्तु ऐसा अन्ना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ अब बिल्कुल भिन्न हैं, जिसमें सरकार का कोई सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अतः अन्ना हजारे व महात्मा गाँधी की वातावरण व परिस्थितियों में भिन्नता के चलते सत्ता की भिन्नता पर्याप्त रूप

से मौजूद है जिनमें दोनों का नेतृत्व सुदृढ़ व जन सहयोगी रहा है। निष्कर्षतः इस सन्दर्भ में कुछ लोगों के तर्क हैं, जो इस प्रकार हैं –

- अन्ना कहते हैं कि गाँधीजी उनके प्रेरणा स्त्रोत हैं परन्तु गाँधीजी के लिए उपवास आत्मशुद्धिकरण का एक साधन था। गाँधीजी के अनुसार उपवास गुस्से की भावना के तहत नहीं किया जाना चाहिए। अन्ना हजारे का उपवास सरकार को झुकाने के लिए है, जिसमें मौजूदा परिस्थितियों के प्रति गुस्सा व निराशा है। यह सही है कि दशकों से सुलग रहा लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर सड़कों पर उतर आया परन्तु यह अन्ना की विलक्षणता है कि उन्होंने इसे एक शांतिपूर्वक सशक्त भ्रष्टाचाररोधी कानून के लिए दृढ़ निश्चय में बदल दिया।
- सांसदों के बंगलों का घेराव एक आकर्षक प्रदर्शन जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें "सब नेता चोर हैं" जैसी राजनीति विरोधी अल्फाजों का प्रयोग सही नहीं है, इससे संसदीय लोकतंत्र में हमारे विश्वास को ठेस पहुँच सकती है। यह उल्लेखनीय है कि गाँधीजी ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा था कि "मैं मानता हूँ आप लोग अंग्रेजों से घृणा करते हैं परन्तु उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं, अतः सद्भावनापूर्ण सत्याग्रह द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना हमारी सबसे बड़ी जीत होगी।" टीम अन्ना के कुछ सदस्यों ने कुछ अवसरों पर जिस भाषा का उपयोग किया उसकी विवेकपूर्ण संवाद की स्थिति की उपेक्षा ही की जानी चाहिए। न्यूज चैनलों व अलोकप्रियतावादी सहयोगियों ने मीडिया में जिस किस्म के उन्माद की स्थिति निर्मित की है, वह बड़ी आसानी से एक वास्तविक आन्दोलन को जन आक्रोश के अशालीन प्रदर्शन में बदलकर रख सकता है।
- यह सच है कि कोई भी आन्दोलन तब तक समाप्त नहीं हो सकता, जब तक उसके प्राथमिक लक्ष्य न अर्जित कर लिए जाएँ। स्वयं महात्मा गाँधी अक्सर "समझौते के सौंदर्य" की बात कहते हैं। निश्चित ही यह अपने आपमें एक बड़ी उपलब्धि है कि अन्ना ने एक अड़ियल सरकार को लोकपाल पर फुर्ती से कार्य करने को विवश कर दिया।
- एक अहिंसात्मक आन्दोलन में विशेषकर जब वह महात्मा गाँधी से प्रेरित हो, कुछ नियमबद्धताओं का होना उसमें शोभा बढ़ा देगा, जैसे विचारों और शब्दों में असंयमित, उद्यत व उग्र शब्दों का बहिष्कार, मूल सिद्धान्तों पर अडिग रहते हुए क्रियाविधियों व कार्यप्रणालियों में लचीलापन, स्थिरता और कठोरता के अंतर का ज्ञान, नैतिकता और दंडात्मकता के अंतर का भान आदि का ध्यान आवश्यक है। किसी पथभ्रष्ट सांसद व मंत्री से सीधा मुकाबला किसी सामूहिक परिसर या प्रांगण में करना एक बात है और

उनके आवास पर जाकर उन्हें व्याकुल करना दूसरी बात। कोई कितना भी आलोचना के लायक क्यों न हो, वह एकांत व गोपनीयता का अधिकारी होता है।[180]

- जिस प्रकार महात्मा गाँधी ने 1923 में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में एक रूपये की जमानत देने से भी इन्कार कर दिया था और जज को यह कहना पड़ा कि अगले निर्णय तक बिना जमानत ही गाँधीजी को रिहा किया जा रहा है। ठीक वैसे ही 16 अगस्त को अन्ना हजारे ने जमानत लेने से मना कर दिया और सरकार के निर्देश पर बिना जमानत ही अन्ना को रिहा किया गया।
- महात्मा गाँधी के समय भारत को अंग्रेज व्यापारियों जिन्हें चोरों की संज्ञा दी जा सकती है, से खतरा था, परन्तु आज अन्ना के समय देश आजाद है और इसके लिए जनता ने जिन पहरेदारों को चुना है, उनसे ही देश को खतरा उत्पन्न हो गया है।
- अन्ना का आन्दोलन पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। इसके यही मायने हैं कि देश की जनता में महात्मा गाँधी द्वारा रोपे गए अहिंसा के पादप अभी सूखे नहीं हैं। गाँधीजी की लम्बी छाया में यह देश आज भी जीता है। देश के तमाम हिस्सों में ऐसे ही प्रदर्शनों की मनोहारी छवियाँ दिख रही हैं। आधुनिक मीडिया और उसकी प्रस्तुती ने प्रदर्शनों में विविधता व प्रयोगों को भी रेखांकित किया है। सत्ता के लिए जूझने वाले दल यहाँ अप्रासंगिक हो गए हैं। युवाओं, बच्चों, महिलाओं के समूह में एक बदलाव की प्रेरणा आई है।
- भारत विभाजन के समय बापू के द्वारा कोई उपवास नहीं किया गया, क्योंकि उनका तर्क था कि जब भी मैं आत्मशुद्धि हेतु उपवास या अनशन करता हूँ वो मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का आन्तरिक बल होता है जो मुझे प्रेरणा देता है, परन्तु अब यह बल मेरे पास नहीं, मैं भारत विभाजन को नहीं रोक पाया। अतः इस बार गाँधीजी को यह अहसास था कि अगर वे अब उपवास करेंगे तो जनता पर अपनी बात जबरदस्ती से थोपेंगे। प्रश्न उठता है कि क्या अन्ना के पास गाँधी की आत्मशुद्धि का जंतर है, उन पर आरोप लग रहा है कि वे अपनी बात मनवा रहे हैं। निश्चय ही अन्ना के पास न गाँधी का बौद्धिक तेज है, न संवेदनात्मक गहराई और यदि है तो वे इसे ठीक से प्रकट नहीं कर पाते। परन्तु वे अपने शुद्धतावादी कार्यक्रमों में गाँधी के करीब जाने की कोशिश अवश्य कर रहे हैं और वर्ष 2011 के आन्दोलन में बिल्कुल अहिंसक होकर तो कम से कम उन्होंने अपने प्रेरणापुरूष को टक्कर दी है।
- अन्ना की टीम ने गाँधीजी से अहिंसा का मंत्र तो सीख लिया है, वह उनका आत्मपरीक्षण भी सीख लें तो बहुत अच्छा रहे। गाँधीजी जीवनभर बहुत सख्त आत्मनिरीक्षण में जुटे दिखते हैं। वे पहले सनातनी और परम्परावादी हिंदू नजर आते हैं,

बाद में प्रगतिशील और उदारमना वैष्णव और आखिरी में वे जैसे इन सारे चोलों की व्यर्थता समझ गए और उन्होंने कहा कि "पहले मैं समझता था कि ईश्वर ही सत्य है, अब समझ गया हूँ कि सत्य ही ईश्वर है।" इस सन्दर्भ में अन्ना टीम का कहना था कि हम पहली बार ऐसा अहिंसात्मक आन्दोलन देख व कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ समझना व सीखना बाकी है। आत्मनिरीक्षण उनके लिए लगातार जरूरी है।

- अन्ना में निश्चय ही गाँधी वाली शख्सियत या उन जैसा फैलाव नहीं है, लेकिन जो गाँधीजी की रोशनी में देर तक चले तो वह कुछ गाँधी की तरह तो हो ही जाता है। भरोसा करना चाहिए कि अन्ना भी गाँधीजी को सिर्फ रणनीति के स्तर पर नहीं बल्कि अपने अन्तर्मन की रोशनी की तरह इस्तेमाल करते हैं।
- कोई भी जनआन्दोलन पूर्णतया नियंत्रित नहीं होता कि बिल्कुल नेतृत्व द्वारा निर्धारित की गई लीक पर चले। महात्मा गाँधी भी ऐसा नहीं कर पाए थे। जिस किसी आन्दोलन में जन की भागीदारी होती है तो वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है।
- अन्ना के आन्दोलनों ने लोगों में इस विश्वास को पुनर्जीवित व पुनर्स्थापित किया, जिसके प्रणेता महात्मा गाँधी थे, कि एकजुट संघर्षों से बड़ी से बड़ी सत्ताओं से टकराया जा सकता है और उन्हें झुकाया जा सकता है। लोकतंत्र के आदर्श को सच्चाई में तब्दील करने का अचूक मंत्र अन्ना के आन्दोलन ने सिखाया है। यह उसी तरह की बात है कि जैसे महात्मा गाँधी ने कहा था कि "यदि तुम मुझे एक किलो चावल देते हो तो मैं एक दिन अपनी भूख मिटा सकता हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे चावल पैदा करने का हुनर देते हो तो मैं सारी जिंदगी पेटभर खा सकता हूँ।"
- महात्मा गाँधी ने कहा था कि स्वदेशी उद्देश्य की प्राप्ति स्वदेशी संसाधनों से होती है। उन्होंने नमक सत्याग्रह भी इसी उद्देश्य से किया, विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई। देश की भावना बनाने के लिए उन्होंने स्वदेशी को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। परन्तु अन्ना के साथियों में से कई ऐसे हैं जो अपना भला या देश का भला विदेशी धन या विदेशी पुरस्कारों से प्राप्त हुए धन के सहारे करना चाहते हैं। ऐसे में इस व्यवस्था से निपटने की चुनौती बहुत बड़ी है, जिसके लिए अन्ना टीम को व्यापक व संस्थागत तैयारी करनी होगी।
- गाँधी निजी जीवन में अहिंसा को बहुत महत्व देते थे। अन्ना फौजी रहे हैं, उनका अंदाज भी ऐसा है जैसे कोई कमांडर अपनी फौज को लक्ष्य की तरफ मर मिटने के लिए उकसा रहा हो, जबकि गाँधीजी वकील होने के नाते तर्क–वितर्क अच्छा कर लेते थे।

- एक राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के तौर पर अन्ना का अनुभव कुल मिलाकर कुछ सालों का है, जबकि महात्मा गाँधी कम से कम चार दशक तक भारतीय जनमानस व परिकल्पना में छाए रहे।
- अन्ना के आश्रम में गाँधीजी के आश्रम के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ाई है। गाँधीजी भी नियम कायदे में बेहद कठोर हैं, लेकिन यहाँ कायदे तोड़ने वालों को खंभे से बाँधकर पीटा नहीं जाता। गाँधी के आश्रम में शरीर से ज्यादा मन पर दबाव है, जिसका परिचय गाँधीजी ने समय–समय पर उपवास कर किया कि अगर कोई आश्रमवासी गलती कर देता था तो उसे दण्ड स्वरूप गाँधीजी का उपवास मिलता था।
- गाँधीजी में एक तरह की सूक्ष्मता है और अन्ना में एक तरह की स्थूलता नजर आती है। अन्ना ओल्ड टेस्टामेंट के जीसस जैसे लगते हैं, जो "मनी चेंजर्स" यानि सूदखोरों को चाबुक से मारते हैं। गाँधी न्यू टेस्टामेंट के क्राइस्ट हैं, जिनमें सबको क्षमा करने का बड़प्पन है। इस लिहाज से अन्ना को अभी काफी लंबा सफर तय करना है।
- हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भी गाँधीजी की लड़ाई डराती नहीं, अन्ना की लड़ाई सावधान रहने का आग्रह करती है।
- अन्ना हजार एक ऐसे जमींदार लगते हैं जो जनता का कल्याण तो करता है लेकिन बिल्कुल तानाशाह अंदाज में। अन्ना सिर्फ एक कानून बनाने की माँग को दूसरी आजादी के सपने से जोड़ देते हैं? अगर ध्यान से देखें तो अन्ना का कमाल यह है कि उनकी लड़ाई सिर्फ कानून बनाने की नहीं, देश बनाने और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में बदलती जा रही है। शायद इस करिश्मे की कुछ वजह उस राजनीतिक–सामाजिक माहौल में भी है जिसमें नौजवानों के सामने हताशा और पहचान का संकट है और इससे पैदा हुई मूल्यहीनता है। अन्ना का आंदोलन इस पीढ़ी को एक पहचान देता है और एक अस्मिता–बोध देता है।
- गाँधी कहीं ज्यादा कड़े और खरे हैं। वे जैसे लगातार अपना भी इम्तिहान लेते चलते हैं। उनकी कसौटियाँ बेहद कड़ी हैं। एक छोटी सी पेंसिल का टुकड़ा कहीं गुम कर देने पर वे मीराबेन को आधी रात को जगाकर उसके बारे में पूछ सकते हैं। वे वकील के तौर पर अपने मुवक्किल को सलाह दे सकते हैं कि वह अदालत में एक झूठ पर लड़ने की जगह अपनी गलती मान ले और बाहर समझौता कर ले। वे जब नमक बनाने का आंदोलन करते हैं तो अपने आंदोलनकारियों के लिए सारे नियम तय कर देते हैं। कौन क्या खाएगा, किन हालात में रहेगा, कैसे जिएगा, सब कुछ। वे अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष को सिर्फ मौखिक, वैचारिक या संवेदनात्मक नहीं रहने देते। उसे बिल्कुल कर्म के स्तर पर उतार लाते है। जिन कामों को लोग बिल्कुल गर्हित मानते

रहे, वे सारे काम करवाते हैं। गरज यह कि गाँधी का जोर मनुष्य को पूरी तरह बदल डालने पर है।

- निश्चय ही अन्ना गाँधी नहीं है। न गाँधी जैसी गहन वैचारिकता उनके पास है। गाँधी तो जैसे एक पूरी विचारधारा, एक पूरी सभ्यता दृष्टि का नाम है। यही वजह है कि गाँधी परंपरा को पूरी तरह बदल कर भी पारंपरिक बने रहते हैं और आधुनिकता को पूरी तरह चुनौती देकर भी आधुनिक बने रहते हैं। गाँधी नाम के समंदर के आगे अन्ना एक छोटा तालाब भर लगते हैं।
- अन्ना के पूरे आंदोलन में देशभक्ति के नारे लगते रहे, देशभक्ति के गीत गूंजते रहे। लेकिन यह कौन सा देश है, अन्ना जिसका नाम लेते हैं? वे काले अंग्रेजों से मुक्ति की बात करते हैं। गाँव–देहात की भी बात करते हैं। इन सबसे इतना भर नतीजा निकाला जा सकता है कि देश के रूप में ग्राम स्वराज्य पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य का मोटा सा ख्याल उनके भीतर है, लेकिन गाँधी के पास स्वदेश और स्वराज्य का विचार इतना स्पष्ट और प्रखर है कि देखकर हैरत होती है। गाँधी का स्वराज्य एक पूरे सभ्यता विमर्श से निकलता है और पश्चिम की उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों के समानांतर एक वैकल्पिक जीवनशैली प्रस्तावित करता है। गाँधी का स्वराज्य न भूगोल में है, न राजनीति में, वह जज्बाती नारों में तो कतई नहीं है। वह बिल्कुल निर्मल और उजली मनुष्यता के लिए जगह, घर और समाज बनाने की ऐसी आंतरिक दृष्टि से उद्भूत है, जिसमें राज्य को अंततः खत्म होते जाना है, स्वराज्य को मजबूत होना है। फिर कहना होगा कि यहाँ भी गाँधी का देश स्थूल नहीं, सूक्ष्म संवेदनशीलता से बनता है। उनका देश देशभक्ति के नारों और गानों से नहीं बनता।
- गाँधी की आत्मपरीक्षण की कठोरता से तो नहीं लेकिन अपने अनुभवों के आलोक में और अपनी अपेक्षाओं के दबाव में आंदोलन ने अपने आपको बदला है। पहले सिर्फ जन लोकपाल को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब दूसरे संवैधानिक सुधारों की भी बात कर रहा है। इसी तरह वह दूसरे आंदोलनों के साथ भी अपना नाता जोड़ रहा है।
- एक लिहाज से यह गाँधी का ही छूटा हुआ काम है जो राजनीतिक लड़ाई के साथ–साथ सामाजिक लड़ाई भी लड़ रहे थे। अक्सर गाँधी पर आरोप लगता था कि वे संत होकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। गाँधी कहा करते थे कि वे राजनीतिज्ञ हैं जो संत होने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, यह स्वदेश और समाज को बदलने में सूक्ष्म और स्थूल के तार एक साथ साधने का और राजनीति और अध्यात्म को जोड़ने का एक विराट यज्ञ था जिसमें गाँधी ने अपनी भी आहुति दे डाली। आजादी के बाद के भारत को फिर से एक गाँधी की तलाश है जो उसे उसकी

आत्महीनता से उबार सके। अन्ना हजारे अगर गाँधी बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारी परीक्षाएँ लेनी और देनी होंगी। सबको पता है कि अन्ना गाँधी नहीं है, किंतु वे गाँधी के रास्ते पर चल रहे हैं। इतना तय मानिए कि वे हिंदुस्तान के आम और खास हर आदमी की आवाज बन गए हैं। अन्ना को नहीं, उस भारतीय मनीषी को सलाम कीजिए जो अपने गाँव की माटी और इस देश के आम आदमी में परमात्मा के दर्शन करता है। अन्ना के इस आध्यात्मिक बल को सलाम कीजिए। इस देश पर पड़ी गाँधी की लंबी छाया को सलाम कीजिए कि जिनकी आभा में पूरा देश अन्ना बनने को आतुर है। अन्ना अगर गाँधी को नहीं समझते, विवेकानंद को नहीं समझते तो तय मानिए कि वे देश को भी अपनी बात नहीं समझा पाते। उनका नैतिक बल इन्हीं विभूतियों से बल पाता है। अन्ना का आंदोलनकारी व्यक्तित्व भारत की माटी में गहरे बसे लोकतांत्रिक चैतन्य का परिणाम है। जहाँ एक आदमी भी अपनी आध्यात्मिक चेतना और नैतिक बल से महामानव हो सकता है। गाँधी ने यही किया और अब अन्ना यह कर रहे हैं। सफलताएं और असफलताएं मायने नहीं रखतीं। गाँधी भी देश का बंटवारा रोक नहीं पाए। अन्ना भी शायद उम्र के इस पड़ाव में जीवित रहते हुए भ्रष्टाचार को खत्म होता न देख पाएँ। किंतु उन्होंने देश को मुस्कराने का एक मौका दिया है। उन्होंने नई पीढ़ी को राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा दी है। खाए–अघाए मध्यवर्ग को भी फिर से राजनीतिक चेतना से लैस कर दिया है। एक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ लोगों को समझाने की कोशिशें शुरू की हैं। एक पूरी युवा पीढ़ी जिसने गाँधी, भगत सिंह, डॉ. लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय या जयप्रकाश नारायण को देखा नहीं है, उसे उस परंपरा से जोड़ने की कोशिश की है। अन्ना ने जनांदोलन और उसके मायने समझाए हैं। हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना में लिखी पंक्तियों के मायने को समझ सकें तो अन्ना का आंदोलन सार्थक होगा और अपने लक्ष्य के कुछ सोपान जरूर तय करेगा।

- असल में अन्ना आन्दोलन की सीमाओं का बखान करने वाले लोग हर तरफ से जनपक्षधर होने के बावजूद सरकार के संकटमोचक बन गए हैं। याद करें कि गाँधी के भारत छोड़ो आह्वान के जवाब में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कहा था कि अगर अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में अराजकता फैल जाएगी। इस पर गाँधीजी ने बहुत तकलीफ से कहा था कि आपके इस शासन की जगह जो भी होगा वह इससे बेहतर ही होगा। जाहिर है कि गाँधीजी औपनिवेशिक सत्ता की ये चाल समझते थे कि वह यही दलील देगी कि अगर वे शासन से हट जाएंगे तो सारा मुल्क अराजकता का शिकार हो जाएगा। असल में सत्ता प्रतिष्ठान, वह चाहे देशी हो या विदेशी, का यह एक स्थायी तर्क होता है कि अगर हम न हुए तो जनता आपस में लड़–लड़ कर मर

जाएगी। जबकि सत्ता के बदलाव या हस्तांतरण का कोई भी अध्ययन यही बताता है कि शुरूआती मुश्किलों के बाद हरेक समाज स्थिरता के तरीके ढूँढ लेता है और अक्सर तो मुक्ति के आंदोलन का नेतृत्व उन्मूलित शासन से ज्यादा दक्ष, जवाबदेह और समझदार साबित होता है।

अध्याय सारांश –

जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि 19वीं व 20वीं शताब्दी के महानायक महात्मा गाँधी व 21वीं शताब्दी के महानायक अन्ना हजारे का तुलनात्मक विश्लेषण बदलते समय के अनुसार आवश्यक है, क्योंकि दोनों के द्वारा समर्थित पद्धति एक ही है "सत्याग्रह"। आन्दोलनों के लिए यह वही सत्याग्रह है जिसका प्रतिपादन गाँधीजी ने किया था और इसी का अनुसरण वर्तमान में अन्ना हजारे द्वारा किया जा रहा है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, जनता को अन्याय व शोषण से बचाना और उन्हें अपने जीवन को जीने के अधिकारों का उपयोग करने लायक बनाना। परन्तु दोनों के वैयक्तिक व वैचारिक आयामों में इतना अंतर है कि यह तुलना उचित नहीं जान पड़ती, क्योंकि गाँधीजी का पूरा एक दर्शन है, उनका जीवन एक तपस्या है, बरसों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े अपमानित भारतीयों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का स्वप्न दिखाकर उसे पूरा करने का जो दृढ़ निश्चय गाँधीजी में था वैसा जज्बा शायद ही किसी में दुबारा नजर आए। उनके द्वारा किया जाने वाला अनशन या उपवास आत्मशुद्धिकरण का एक तरीका था जिसे वे खुद को या जिसकी गलती हो उसे अन्तर्मन तक आत्मग्लानि का अहसास कराती थी, जिससे वो दुबारा घृणित कार्य करने से बचता था अर्थात् गाँधीजी का उपवास धर्म से जुड़ा था, ईश्वर से जुड़ा था, माफी से जुड़ा था। उसमें अंग्रेजों के प्रति कभी रोष की भावना नहीं रही, उनके पास हर उस सवाल का जवाब होता था जो वे अक्सर भारतीयों में देखते थे। उन्होंने भारतीयों को कष्ट सहकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सिखाया कि एक दिन पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। यह हिन्दुस्तान की नियती थी कि बहुत सारी नस्लें और संस्कृति उसकी तरफ खिंचती चली आई और धीरे–धीरे पूरे हिन्दुस्तान को अपने मुट्ठी में बन्द कर लिया।

सम्पूर्ण भारत में घुटन, दर्द, कराह के अलावा कुछ भी शेष नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में गाँधीजी ने भारत को आजादी दिलाने का बीड़ा उठाया और उसमें अपने विभिन्न आन्दोलनों से सफलता भी पाई। उस समय एक नेता (गाँधीजी) व्यापक जन असंतोष को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, निर्देश देने के लिए उत्तरदायी थे। जनता प्रशिक्षित नहीं थी तथा प्रतिरोध में भी उनका व्यवहार एक भीड़ की भाँति ही था। एक सार्थक कार्य के लिए भीड़ को एक संगठित संमूह में परिवर्तित करने के लिए नेतृत्व का महत्व था। जैसा कि गाँधीजी ने स्वयं स्वीकार किया कि "भीड़ को प्रशिक्षित करना इतना आसान नहीं है, एक सहज कारण से कि

उनके खुद के विचार नहीं हैं, पूर्व चिन्तन नहीं है। वे आवेश में कार्य करते हैं। वे शीघ्र ही पश्चाताप करते हैं।" असहयोग आन्दोलन के प्रथम चरण के दौरान प्रदर्शनों को विचार रहित भीड़ कहने में गाँधीजी को हिचक नहीं हुई। यह भी स्वीकार करना होगा कि गाँधीजी ने अपना सत्याग्रह उस सत्ता के लिए किया जो अपनी अर्थात् भारत की नहीं थी। वे भारतीयों को देखकर शासन नहीं करते थे, वे इंग्लैण्ड से चुनकर आते थे, जिसमें भारतीयों का कोई रोल नहीं होता था। अतः स्पष्ट है कि गाँधीजी की परिस्थितियाँ, – गुलाम, सत्ता – विदेशी व नेतृत्व – बहुत कठिन था। दूसरी तरफ अन्ना हजारे जब देश की बिगड़ती स्थिति से रूबरू हुए तो उन्होंने भी समाज सेवा का बीड़ा उठाया है।

भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में अम्बेडकर का संविधान कहीं खो गया है। 1947 से शुरू हुई आजाद भारत निर्माण की यात्रा आज कहाँ आ पहुँची है? भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव, गाँधीजी, सरदार पटेल, लालाजी आदि देशभक्तों के संघर्षों से मिली आजाद भारत की हवा आज किस तरफ बह रही है? 1947 के बाद देश के सामने एक ही लक्ष्य था "एक समाजवादी देश का निर्माण।" ये निर्माण इतना आसान नहीं था, कई चुनौतियाँ थी, परन्तु देश निर्माण का संकल्प लेकर तात्कालिक महापुरूषों ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। सरदार पटेल ने देश को एकीकृत किया। नेहरू जी ने निर्गुट विदेश नीति से देश को नई पहचान दी और भीमराव अम्बेडकर ने देश निर्माण के रास्ते को संविधान के रूप में बनाया और महात्मा गाँधी ने सत्य, अहिंसा व प्रेम की परिपाटी हर व्यक्ति को अपनी विरासत में दी।

हमारा संविधान किसी नागरिक के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाता बल्कि जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा आदि विभिन्नताओं के बावजूद आपस में प्रेम करना सिखाता है। संविधान बना लेने से चुनौतियाँ समाप्त नहीं हो गयी बल्कि अब संविधान को न केवल देश में लागू करना था, साथ ही पूरे भारतवर्ष को उसके उद्देश्य को भी समझाना था। देश में दो विचार प्रमुख रूप से थे – एक कट्टरवादी सोच और दूसरी सहिष्णु। 70 साल से सहिष्णु सोच के लोग कट्टरवादी सोच का डटकर मुकाबला करते रहे हैं। बावजूद इसके आज सहिष्णु विचारधारा धीरे–धीरे कमजोर होती जा रही है। हर एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह की दृष्टि से देखने लगा है और एक–दूसरे पर अपना नियंत्रण बनाने में लग गया है। साथ ही बड़ी बेशर्मी से इस माहौल पर राजनीति होती है और इनका राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। इन घटनाओं को सहिष्णु विचारधारा के बुद्धिजीवी मूकदर्शक बनकर देखने को मजबूर हैं। ये सभी वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र इसी मिट्टी की संतानें हैं और भारत माता अपनी ही संतानों के आपस के संघर्ष को देख आँसू बहा रही है। हमारा प्रश्न है कि क्या ये वो देश है, जिसके लिए हजारों शहीदों ने हँसते–हँसते अपनी जान गँवा दी? क्या ये वो देश है जिसकी उम्मीद में संविधान बनाया गया? ए मेरे देशवासियों एक घड़ी रूको और इन प्रश्नों के जवाब ढूँढो। ये देश हम सभी का है।

जिस समाजवादी और सम्पन्न देश की परिकल्पना हमारे महान क्रांतिकारियों ने की थी, उस देश के निर्माण में अभी कई ईंटें लगानी है। भ्रष्टाचार छोड़कर भारत निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएँ। तो अभी भी वक्त है संभलने का, आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य देने का।

और इसी मुहिम में लगे अन्ना हजारे किसी भी कीमत पर अपने देश की आजाद जनता को यूँ घुटते हुए देखने के लिए राजी नहीं। वे हठी हैं और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम में बड़े उनके कदम अब पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ उनका स्वयं का यही कहना है अथवा लोगों से निवेदन है कि "मैं रहूँ या ना रहूँ, यह मशाल सदैव जलती रहे।" इस प्रकार आकलन करने पर अन्ना का नेतृत्व भारत के लिए एक नया इतिहास ही बना है, इतना अधिक जनसमर्थन आजादी के बाद अन्ना को ही मिला है, यह उनकी घुटती जनता की आवाज है जो अन्ना के रूप में सामने आयी है। हालांकि सरकार भ्रष्ट है, अपना वोट बैंक किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती और चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद सभी नीतियाँ अपनाती है व बेचारी जनता जिसने उसे चुना है, का शोषण करती है। इस प्रकार देखा जाए तो अन्ना के आन्दोलन करने के कारणों में देश की परिस्थितियाँ ही मानी जा सकती हैं जहाँ "माल खाए मदारी व नाच करे बंदर" जैसी हमारी जनता का हाल हो रहा है। अतः कहा जा सकता है कि गाँधीजी के समान विकट परिस्थितियाँ तो नहीं कही जा सकती, परन्तु सड़ी गली व्यवस्था में सांस लेने को मजबूर परिस्थितियाँ जरूर हैं जो ना इधर की ना उधर की रही। आवाज उठाओ तो किससे कहो? कौन सुनेगा? आन्दोलन करो तो 7–8 दिन बाद मंत्री–प्रधानमंत्री झूठा आश्वासन देकर अनशन व आन्दोलन खत्म करवा देते हैं। व्यवस्था वही बनी रहती है, बदलाव आने नहीं देना चाहते। फिर भी अन्ना के नेतृत्व को हम सलाम करते हैं, क्योंकि यह आज के भारत में आसान नहीं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(1) नारायण इकबाल; राष्ट्रीय आन्दोलन तथा भारतीय संविधान; शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा; प्रथम संस्करण; 1981; पृ. 112

(2) गैरेट; एन इण्डियन कॉमेन्ट्री; पृ. 116; उद्धृत पूर्वोक्त

(3) नारायण इकबाल; राष्ट्रीय आन्दोलन तथा भारतीय संविधान; शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा; प्रथम संस्करण; 1981; पृ. 113

(4) ई.एच.डी. सीवेल; एन आउटडोर वाला; लंदन; स्टेनली पॉल एंड कम्पनी; 1945; पृ. 110

(5) विंस्टन चर्चिल; इंडिया; स्पीचीज एण्ड इंट्रोडक्शन; लंदन; थॉर्नटन बटरवर्थ; 1931; पृ. 38, 120, 125

(6) गाँधी महात्मा; उद्धृत साहित्यिक सुभाषित कोष, हरिवंश राय शर्मा; राजपाल एण्ड सन्स; नई दिल्ली; पृ. 365

(7) चौधरी देव प्रकाश; लोकनायक अन्ना हजारे; हिन्द पॉकेट बुक्स; दिल्ली 2011; पृ. 51

(8) वही; पृ. 53

(9) चड्डा पी.के.; भारतीय राजनीतिक व्यवस्था; यूनिवर्सिटी बुक हाउस; जयपुर; 2001–2002; पृ. 361

(10) मिश्र अनिल दत्त; गाँधी एक अध्ययन; पियर्सन पब्लिकेशन्स, 2012; पृ. 3

(11) वही; पृ. 6–7

(12) हार्डिमेन डेविड; गाँधी इन हिस हाइक्स एण्ड अवर्स; नई दिल्ली; परमानेन्ट ब्लैक; उद्धृत चक्रवर्ती विद्युत; आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन; सेज पब्लिकेशन्स; 2012; पेज नं. 60

(13) वही; पृ. वही

(14) चटर्जी; 1948; बी; 27; उद्धृत पूर्वोक्त; पृ. 65–66

(15) गांधी, 1920, 1971 ई. : 240–44,उद्धृत पूर्वोक्त; पृ.66

(16) पूर्वोक्त, पृ.वही

(17) गाँधी एम.के.; 1933 बी; गाँधी टू जवाहरलाल नेहरू; 1975 सी; 428, उद्धृत पूर्वोक्तः पृ. 67

(18) ठाकुर प्रदीप, राणा पूजा; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012; पृ. 31–33

(19) भारद्वाज राजकुमार; गाँधी व अन्ना के बीच का फासला; अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागंज, न्यू देल्ही; 2012; पृ. 161

(20) वही; पृ. 24–25

षष्ठम् अध्याय

निष्कर्ष एवं भावी सम्भावनाऐं

षष्ठम् अध्याय

निष्कर्ष व भावी सम्भावनाऐं

प्रस्तुत अध्याय इस शोध प्रबन्ध का अन्तिम अध्याय है जिसमें इस शोध का निष्कर्ष, वर्तमान प्रासंगिकता और भावी सम्भावनाओं को स्पष्ट किया गया है। इस दृष्टि से महात्मा गांधी व अन्ना हजारे दोनों की ही भूमिका को चिन्हित किया गया है। यह शोध प्रबन्ध महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह अवधारणा पर आधारित है जिसकी तुलना अन्ना हजारे से की गई है जिन्होनें गांधीजी का अनुसरण कर 21वीं सदी में सत्याग्रह का आह्वान किया है। सैकड़ों वर्षो से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारतमाता को स्वतंत्र कराने की दिशा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को स्वतंत्रता प्राप्ति का सशक्त साधन बनाया। वे जानते थे कि मुगलों के शासनकाल के बाद भारत की सत्ता पर आसीन ब्रिटिश शासक देश की प्राचीन परम्परा, रीति–रिवाज, भाषा शैली और आर्थिक व्यवस्था को अपने हितों के अनुकूल बनाकर सम्पूर्ण भारत की परम्परागत चिन्तन व्यवस्था को जर्जर कर चुके हैं। भारत की शस्य श्यामला भूमि की उपज का उपभोग सिर्फ ब्रिटेनवासी ही करें ऐसा अंग्रेजों का मानस था। गांधीजी जानते थे कि किसी भी देश की सत्ता व सम्प्रभुता पर आसीन विदेशी शासक सर्वप्रथम परतंत्र देश के मनोबल तथा हाथ के हुनर पर प्रहार करता है, जिससे शासित देश की जनता निरीह होकर उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता को खो दे। अंग्रेज ऐसा कर कुछ हद तक भारतीयों के मनोबल को तोड़ने में कुछ हद तक सफल रहे। लेकिन अंग्रेज भारत की प्राचीन संस्कृति, परंपरा, चिंतन व मनन की जड़ों पर प्रहार नहीं कर पाए। इसी का परिणाम था कि भारतवर्ष में सदैव ही विदेशी आक्रमणकारियों व शासकों का विरोध पुरजोर ढंग से हुआ। प्रतिरोध की मशाल की लौ में अंग्रेज सदैव ही झुलसे और इस प्रतिरोध के लिए गांधीजी ने अहिंसा व सत्य को अपना अजेय शस्त्र बनाया तो साथ ही सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा को प्रतिरोधात्मक पक्ष के रूप में प्रतिष्ठापित किया।

सत्याग्रह राष्ट्रीय जीवन में सत्य व शालीनता की प्रतिष्ठा है। यह अधिकतम विनम्रता, असीम धैर्य तथा प्रदीप्त आस्था है। यह अपना पुरस्कार स्वयं है। सत्याग्रह सत्य की खोज और उस तक पहुँचने का दृढ़ संकल्प है। संसार में इससे ज्यादा प्रत्यक्ष व द्रुत गति से काम करने वाला कोई दूसरा बल नहीं है। सत्याग्रह की कोई सीमा नहीं है और यदि है तो केवल सत्याग्रही की दुःख सहन करने की शक्ति की। सत्याग्रह में शारीरिक बल का प्रयोग नहीं है, क्योंकि यह शत्रु को कष्ट नहीं देता, शत्रु का नाश नहीं चाहता। इसमें द्वेष की भावना का सर्वथा अभाव होता है। सत्याग्रह का संघर्ष उनके लिए है जो भावना का दृढ़ हो, जिसके मन में न संशय हो और न भय। यह जीने और मरने दोनों की कला सिखलाता है। गांधीजी के

अनुसार "अहिंसात्मक युद्ध में अगर थोड़े भी मर मिटने वाले लड़ाके मिलेंगे तो करोड़ों की लाज रखेंगे और उनमें प्राण फूँकेंगे, अगर यह मेरा स्वप्न है तो भी मेरे लिए मधुर है।" इसी प्रकार सत्याग्रह सरकार को बिना वजह नुकसान पहुँचाने में नहीं है, वह केवल ईश्वर से डरता है। शस्त्र या सजा के भय से वह अपने कर्त्तव्यों का परित्याग नहीं करता। सत्याग्रह विशुद्ध आत्मिक शक्ति है; आत्मा सत्य का स्वरूप है। इसलिए इस शक्ति को सत्याग्रह कहते हैं, आत्मा ज्ञानमय है, उसमें प्रेम भाव प्रज्वलित होता है। अज्ञान से यदि कोई हमें कष्ट देगा तो हम उसे प्रेम भाव से जीत लेंगे। "अहिंसा परमोधर्मः" इस शक्ति का प्रमाण है। एक अंग्रेजी कहावत है –"माइट इज राइट" अर्थात् शक्ति ही सत्य है – दूसरा "सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट" अर्थात् बलिष्ट ही संसार में बचे रहते है। उपर्युक्त दोनों कहावतें सत्याग्रह की विरोधी हैं क्योंकि यदि वैर–भाव ही इस जगत में प्रधान रहता तो संसार कभी का नष्ट हो चुका होता। प्रेम भाव के लिए ही आज हम जी रहे हैं और इसके साक्षी स्वयं हम हैं। इस प्रकार गांधीजी ने भारत के हर सत्याग्रही में निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक बताया –

- ❖ उसे ईश्वर में जीती–जागती आस्था होनी चाहिए, क्योंकि वही तो उसका एकमात्र अवलंब है।
- ❖ उसे सत्य व अहिंसा को अपना धर्म मानते हुए उनमें विश्वास रखना चाहिए और इसी कारण, उसे मानव–प्रकृति की अंतर्निहित अच्छाई में भी आस्था होनी चाहिए। उसे आशा रखनी चाहिए कि वह इसी अच्छाई को अपने पीड़ा–भोग के जरिए सत्य व प्रेम की अभिव्यक्ति करके जगाने में कामयाब होगा।
- ❖ उसे पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने ध्येय की पूर्ति के लिए अपने जीवन और अपनी सम्पत्ति को न्यौछावर करने के लिए तैयार व इच्छुक रहना चाहिए।
- ❖ वह आदतन खादी धारण करने वाला तथा चरखा कातने वाला होना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक है।
- ❖ वह मद्यत्यागी और अन्य नशीले पदार्थो के सेवन से मुक्त होना चाहिए ताकि उसका विवेक सदा जाग्रत रहे और चित्त स्थिर रहे।
- ❖ वह समय–समय पर निर्धारित अनुशासन के नियमों का स्वेच्छा से पालन करे।
- ❖ उसे जेल के नियमों का पालन करना चाहिए, सिवाय उन नियमों के जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हों।
- ❖ एक सत्याग्रही को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखना चाहिए, हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखे।

इस प्रकार शुद्धि के प्रत्येक कार्य से, साहस की प्रत्येक उपलब्धि से सत्याग्रह आन्दोलन से प्रभावित प्रजा–पक्ष की शक्ति बढ़ती है। सत्य की आराधना के लिए ही हमारा अस्तित्व है और इसी के लिए ही हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति है, हर साँस में सत्य व अहिंसा का समावेशन हो जाने पर दूसरे सब नियम सहज ही सत्याग्रही के हाथ लग जाएगें, फिर उनका पालन भी सहज हो सकता है। हालांकि सत्याग्रह अन्याय निवारण करने का सर्वोत्तम मार्ग है परन्तु इस पर कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनके समय–समय पर गांधीजी द्वारा संतोषजनक उत्तर दिए गये हैं जैसे कि –

- ❖ सत्याग्रह का हेतु प्रतिपक्ष का हृदय परिवर्तन करना होता है। अगर प्रतिपक्ष पत्थर हृदय वाला हो तो वहाँ सत्याग्रह का उपयोग होगा ? इसके जवाब में गांधीजी का कहना था कि सत्याग्रह की सच्ची कसौटी पत्थर हृदयी प्रतिपक्ष का हृदय परिवर्तन करने में ही होती है। सभ्य व सहृदय व्यक्ति का हृदय परिवर्तन में कुछ बड़प्पन नहीं होता जैसे उष्णता से सख्त से सख्त लोहे का भी पानी हो जाता है। उसी प्रकार सत्याग्रह के सत्य व अहिंसा से वज्र से भी कठोर रहने वाले पाषाण हृदयी व्यक्ति भी पिघले बिना नहीं रह सकता। क्योंकि प्रतिपक्ष कितना भी क्रूर हो उसमें भी अन्तःकरण होता है और उसमें भी भावनाऐं अनुकम्पा व सहानुभूति निर्मित हो सकती है।
- ❖ समाज के कई लोग जो सत्याग्रह के मार्ग चलते हैं वे अन्याय, जुर्म, शोषण ना हो, परिस्थिति में बदलाव आए इसके लिए केवल शांति के मार्ग को ही प्रमुख मानते है, परन्तु क्या कभी–कभी अति–आवश्यक होने पर हिंसा का मार्ग भी अपनाया जा सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में गांधीजी ने कहा कि सत्याग्रह ही अन्याय निवारण का सर्वोत्तम मार्ग है। हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करना ही सत्याग्रह है इसके बजाय एक सत्याग्रही को यह सोचना चाहिए कि सत्याग्रह की शक्ति कहीं तो कम पड़ रही है और इसके लिए सत्याग्रही को अपनी सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास परमावश्यक है।
- ❖ सत्याग्रह करने पर भी सत्याग्रही द्वारा कुछ प्रसंगों में हिंसा व खून खराबा देखा गया है। इस पर गांधीजी का कहना है कि इसमें गलती सत्याग्रह की नहीं, सत्याग्रही की है, सत्याग्रही इस पर ध्यान देकर इसे दूर कर सकता है और हिंसा व रक्तपात को टाला जा सकता है।
- ❖ कई बार प्रश्न यह उठता है कि सत्याग्रह पद्धति राजनीतिक क्षेत्र में भी धार्मिक भावना संचार कर रही है, इससे देश का नुकसान है। यदि अहिंसा व असहयोग तत्वों द्वारा देश का नियंत्रण संभव है तो मानव स्वभाव को क्या हम भूल गए हैं? धार्मिक व राजनीतिक ये दो अलग–अलग पहलू हैं इनमें कैसे सामंज्यस्य हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में गांधीजी का कहना था कि धार्मिक व राजनैतिक ये दो अलग पहलू हैं।

यह सही है परन्तु इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति को नैतिकता का और धर्म का आधार न दिये जाने के कारण ही ऐसे अनेक प्रश्न निर्मित हुए हैं।

- ❖ सत्याग्रह की वजह से देश में अराजकता फैलेगी इसका संदेह भी है क्योंकि शिक्षा पर असहयोग, और स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा का मार्ग बंद करने से शिक्षा ही बंद करनी पड़ेगी। नैतिक दृष्टि से किया गया असहयोग कई बार हिंसात्मक भी हो सकता है। इस पर गांधीजी ने स्वदेशी को प्रमुखता दी और कहा कि भारत वर्षो से अच्छी शिक्षा पद्धति के लिए विख्यात है, तो विदेश में जाकर ही क्या उसे उच्च शिक्षा प्राप्त होगी ? वह अपने देश में अपनी शिक्षा प्राप्त कर देश को गौरान्वित कर सकता है।
- ❖ सत्याग्रह के सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि आज के विज्ञान एवं तंत्रज्ञान के युग में सत्याग्रह सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने में क्या सफल माध्यम बन पाएगा ? इसके सन्दर्भ में दो विरोधी मत उपस्थित हैं (i) सत्याग्रह महत्वपूर्ण है परन्तु आज के विज्ञान–तंत्रज्ञान के युग में सत्याग्रह सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त साधन नहीं है। अतः यह वर्तमान स्थिति में अप्रासंगिक माध्यम है। (ii) इसके विपरित कुछ विद्वानों का मत है कि सत्याग्रह ही रामबाण है, सत्याग्रह हर समय प्रासंगिक है क्योंकि सत्याग्रह की उपाय–योजनाओं से सभी सामाजिक व राजनीतिक कुरीतियों को दूर करना संभव है। मानव को विध्वंस से बचाने के लिए सत्याग्रह अतुलनीय मार्ग है। आज कई लोग पागल की तरह सत्ता, सम्पत्ति एवं झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव, संभ्रम निर्मित हो रहे हैं, युद्ध को अपनाकर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। सत्याग्रह द्वारा ही इन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है, इसी से मनुष्य हिंसा, युद्ध एवं शोषण पर विजय प्राप्त कर सकेगा। इसमें गांधीजी दूसरे मत के समर्थक हैं।
- ❖ क्या जनतंत्र शासन प्रणाली में सत्याग्रह का स्थान है ? परतंत्रता में सत्याग्रह का प्रयोग करना आवश्यक था परन्तु अब तो स्वतंत्रता मिली है और हमने जनतंत्र को स्वीकार किया है यह तो अपना ही राज है फिर यहां सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों रहेगी ? इस पर गांधीजी ने स्पष्ट किया कि सरकार स्वकीयों की रहे या विदेशियों की, तानाशाही शासन व्यवस्था हो या जनतंत्र अगर वहां अन्याय, जुल्म व शोषण होता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए सत्याग्रह आवश्यक एवं उपयुक्त होगा। स्वकीयों के जनतंत्र में भी कई बार समाज हित विरोधी निर्णय लिये जाते है। इस प्रकार के निर्णयों का विरोध करने के लिए सत्याग्रह उपयुक्त व आवश्यक है।

अतः गांधीजी ने हर स्थिति, परिस्थिति में सत्याग्रह रूपी हथियार को सही माना। उनके अनुसार देश, काल, समय परिवर्तित हो जाए परन्तु सत्याग्रह सन्देश वही रहेगा कि सत्य, अहिंसा व प्रेम द्वारा हिंसा, झूठ, द्वेष व अन्याय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में गांधीजी के दर्शन पर लगाए गए आक्षेपों का विवरण दिया हैं परन्तु हमें यह मानना होगा कि उनके विचारों पद्धति व कार्यप्रणाली का व्यावहारिक रूप इतना अप्रासंगिक नहीं है जितना आलोचकों ने दर्शाया है। इस क्रम में गांधीजी के पक्ष में निम्न तर्क उल्लेखनीय हैं–

- गांधीजी ने राज्य की वास्तविक प्रकृति को प्रकट किया।
- पाश्चात्य लोकतंत्र की महानता और सर्वश्रेष्ठता का जो भ्रम था उसे तोड़ा।
- हमें यह मानना चाहिए कि अधिकारों का मूल आधार कर्त्तव्य है। गांधीजी ने एक वार्तालाप में यह स्वीकार भी किया है कि मेरी निरक्षर परन्तु समझदार माँ ने मुझे यही बताया कि हे पुत्र। अधिकारों के लिए ज्यादा लड़ाई मत करना, कर्तव्य पर ध्यान देना और जो कर्त्तव्य तुम स्वीकार करोगे उनके साथ जुड़े हुए अधिकार तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगें।
- स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का समर्थन किया जो कि लोकतंत्र के महान् मूल्य है। उन्होंने मनुष्यों के बीच आध्यात्मिक एकता व समानता के धार्मिक एवं नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर सभी जातियों, वर्णो, सम्प्रदायों, आर्थिक वर्गो आदि तथा स्त्री पुरूषों के मध्य सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में समानता के सिद्धान्त का समर्थन किया तथा सदियों से उपेक्षित तथाकथित, शुद्ध वर्ण, दलित जातियों तथा महिलाओं के लिए सामयिक विशेषाधिकारों का समर्थन किया। गांधीजी के विशेष प्रयत्नों से ही इन वर्गो के हिंसात्मक संघर्ष अथवा गम्भीर सामाजिक उथल पुथल के मध्य भी महत्वपूर्ण सामयिक विशेषाधिकार भी प्राप्त हुए हैं।
- उनका आध्यात्मिक समाजवादी दर्शन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने वर्ग संघर्ष हिंसक क्रांति, मजदूरों की तानाशाही आदि के कारण साम्यवाद का विरोध किया और इसके स्थान पर एक विशिष्ट प्रकार के आध्यात्मिक समाजवाद के विचारों का प्रतिपादन किया। उनका यही मानना है कि व्यक्ति अपने आप में एक आध्यात्मिक इकाई है और उनसे ही समाज बनता है अतः आध्यात्मिक और नैतिक आधार पर ही समाज को वरीयता दी जानी चाहिए इसलिए उन्होंने आर्थिक समानता की ओर ध्यान दिया और यह स्वीकारा कि व्यक्ति को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए और यदि वह करता है तो न्यासिता के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए।
- उन्होंने यह भी भलीभांति समझा कि अन्तिम दृष्टि से राष्ट्रवाद सदैव अन्तर्राष्ट्रवाद का पूरक है।

- ❖ आधुनिक भारत के लिए गांधीजी के विचारों और क्रियाकलापों की अनेक प्रासंगिकताऐं है और भारतीय संविधान में भी उनके विचारों का प्रभाव परिलक्षित होता है। जैसे पंचायतीराज व्यवस्था, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सामाजिक एवं आर्थिक समानता एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त आदि।
- ❖ सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अपनाया गया उनका विवेकपूर्ण दृष्टिकोण व कार्यक्रम कभी भी कालातीत नहीं हो सकते। स्वतंत्र भारत में गांधीवादी चिन्तन को अनेक लोगों ने आगे बढ़ाया विशेषकर आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय आन्दोलन के रूप में और अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के अपने प्रयासों व आन्दोलनों में। वर्तमान में सत्ता, भ्रष्टाचार, कालाधन, अपराध, जातिवाद, साम्प्रदायिकतावाद, गरीबी, कुपोषण, भूख से होने वाली मृत्यु अशिक्षित जनमत आदि के अनेक दोषों से पीड़ित भारतीय राजनीति के लिए गांधीवादी चिन्तन ऐसे व्यावहारिक आदर्शों व कार्यपद्धति को प्रस्तुत करता हैं जो भारतीय जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक हो सकता है।
- ❖ मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसंग में भी गांधीवाद का महत्व है। वैयक्तिक स्वच्छंदता, व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा की उपेक्षा, सामाजिक विघटन, धार्मिक कट्टरवाद, नस्लवाद, रूढ़िवाद, आर्थिक शोषण, उपभोक्तावादी जीवन दृष्टि, गरीबी, राज्य की सत्तावादी प्रवृत्ति, हिंसा, युद्ध, सशस्त्रीकरण की दौड़ आदि आधुनिक मानवता के ऐसे दुःखद पहलू हैं जिनसे मुक्ति का आश्वासन गांधीजी के चिन्तन में ही दिख पड़ता है अतः गांधीवादी चिन्तन अपनी प्रकृति के एक उत्कृष्ट श्रेणी की सांस्कृतिक क्रांति का सन्देश है। यह सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित एक ऐसी व्यापक जीवन दृष्टि है जिसमें आध्यात्मिक एवं लौकिक (सांसारिक) तत्वों में समन्वय स्थापित किया है। यह स्वीकारना होगा कि गांधीजी ने जो कुछ कहा उसमें विचार और कर्म की जो अभिन्नता है वह उसे शाश्वत महत्व की विचारधारा बना देती है। गांधीवादी चिन्तन इसी आशा से आगे बढ़ता है कि शोषण व दमन से रहित तथा सत्य, अहिंसा, सहयोग, प्रेम, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित मानव सभ्यता के निर्माण का चिरआकांशित स्वप्न साकार हो सकता है अतः गांधी की इन मान्यताओं से इन्कार नहीं किया जा सकता –
  - ➢ सृष्टि का मूल तत्व ईश्वर है जो निरपेक्ष सत्य है।
  - ➢ सृष्टि की व्यवस्था का आधार नैतिक मूल्य है जिसमें सत्य, अहिंसा व सहयोग का मुख्य स्थान है।
  - ➢ मानव जीवन का साध्य आत्मदर्शन व आत्म उत्थान है जिससे ईश्वर व सृष्टि के पास तालमेल सुस्थापित हो सके।

- व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नैतिकता में कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिए।
- परिवार, ग्राम, राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय समाज मानव चेतना के विकास के विभिन्न स्तरों को ही प्रकट करते हैं अतः कहीं भी हमें किसी भी व्यवस्था का निर्जीव पुर्जा नहीं होना चाहिए।
- धर्म, सृष्टि के आध्यात्मिक व शाश्वत नैतिक मूल्यों का समूह है अतः हमें इसे पारलौकिक एवं लौकिक सुखों की वृद्धि में सहायक मानना चाहिए।
- राजनीतिक पवित्रता के लिए साध्य एवं साधन पवित्र होना चाहिए।
- मानव सेवा त्यागपूर्वक भोग मानव के आत्म उत्थान की पूर्व शर्त है। अतः इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- जीवन के किसी भी क्षेत्र में अन्याय का प्रतिरोध करना चाहिए यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य दोनों है।
- अन्याय का प्रतिकार सत्याग्रह के आध्यात्मिक शस्त्र के द्वारा ही किया जाना चाहिए जो भावी समाज के लिए आवश्यक है इसलिए –
    - हमें सत्य और अहिंसा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
    - सादा जीवन और उच्च विचार का महत्व स्वीकार करना चाहिए।
    - सहज सुलभता
    - प्रजाजनों की सही स्थिति को जानना चाहिए।
    - प्रजाजनों की तरह रहना और सोचना चाहिए।
    - सेवाभाव को प्राथमिकता देनी चाहिए।
    - समय को पहचानकर कदम रखने चाहिए।
    - चरित्र और व्यवहार को उत्कृष्ट रखे।
    - अपने कायदे न तोड़ें।
    - नैतिकता को लेकर उलझन पैदा न करें।
    - अपने क्षेत्र या राज्य से अधिक समय तक बाहर ना रहे।
    - किसी साम्प्रदायिक संगठन के सदस्य न रहे।
    - भ्रष्टाचार की किसी भी क्रिया व भावना को बढ़ावा ना दें तो हम एक उत्कृष्ट लोकतंत्र के साथ गौरवान्वित हो सकेगें।

महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अत्यंत बुद्धिमत्ता से स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रयोग किया। उनकी उपलब्धि भी लक्षणीय एवं बहुत व्यापक है। अंग्रेज सत्ता लोगों के आंदोलन को दमन

शक्ति के प्रयोग से दबा डालने का बहुत प्रयास कर रही थी परन्तु सत्याग्रह ने अंग्रेज सत्ता के इस प्रयास को विफल बनाया। सत्याग्रह ने लोगों के मन व हृदय को जीतकर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रवृत्त किया। इसका नतीजा अंग्रेजों की सत्ता, शक्ति, शस्त्र या हिंसा का प्रयोग किये बिना खत्म होने में हुआ व भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सत्याग्रह की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। सत्याग्रह का राजनीति में हुआ परिणाम भी दूरगामी स्वरूप का है इससे भारतीय राजनीति में सक्रिय गरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधीजी की ओर आया। उनके नेतृत्व के कारण ही अखिल भारतीय कांग्रेस का स्वरूप एवं चरित्र बदल गया। इसी वजह से स्वतंत्रता आन्दोलन लोक आंदोलन बन सका। सत्याग्रह ने लोगों के मन की कमजोरी को खत्म किया। उनमें आत्मविश्वास का निर्माण किया। सत्याग्रह ने लोगों में स्वाभिमान का निर्माण कर उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना अंकुरित की। इसी प्रकार उनकी सामाजिक जीवन की उपलब्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय व जातिगत समन्वय, पिछड़ापन, अस्पृश्यता निवारण, हिन्दु मुसलमान एकता, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता, धर्म निरपेक्षता पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन आदि के लिए भी उनके प्रयास महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सत्याग्रह की आर्थिक उपलब्धि भी सराहनीय रही। सत्याग्रह के माध्यम से उनके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न आश्रमों की स्थापना से देश की दरिद्रता, बेरोजगारी एवं विषमता आदि समस्या हल हो सकी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी के प्रचार से देशी उद्योग व खादी प्रचार को गति मिली। देश की आर्थिक नीतियां एवं कार्यक्रम निश्चित करने के लिए उचित एवं सार्थक दिशा मिली। शराबबंदी कार्यक्रम की वजह से देश का उत्पादन बढ़ने में तथा मेहनती मजदूरी करने वालों के, कामगारों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ने में सहायता मिली।

महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से सम्बद्ध हर पहलू का सूक्ष्म पद्धति से, विभिन्न अंगों से अत्यन्त मूलगामी तरीके से विचार किया है। परन्तु भारत के सन्दर्भ में तो थोड़ी त्रासदी यह भी रही है कि उनके दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। वे गांधीजी की सोच को ठीक से नहीं समझ पाए कि वे मानवता के लिए सामाजिक न्याय की सतत् तलाश में रहे हैं। उस समय तक यह सब एक स्वप्न ही रहेगा जब तक मानवता को गांधीजी की उस बात की अहमियत का अहसास नहीं होता जिसमें उन्होंने कहा था कि "नैतिक मूल्यों की अवहेलना और उन्हें नजरअन्दाज करने की वजह से अर्थशास्त्र कभी भी सच्चाई के करीब नहीं होता।" गांधीजी के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किये गये अपने लेखों और अपने भाषणों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास को हमेशा महत्ता दी। गांधीजी ने हरिजन के 22 जुलाई 1946 के अंक में लिखा हैं कि "स्वतंत्रता का आरम्भ सबसे निचले स्तर से होना चाहिए।" उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि "मेरे सपनों का स्वराज्य एक गरीब व्यक्ति का स्वराज्य है। जिन्दगी की जरूरतों की पूर्ति एक सामान्य इन्सान के लिए भी वैसी ही होनी

चाहिए जैसे कि किसी साहसी व धनी व्यक्ति के लिए होती है। इसका मतलब यह नहीं हैं कि गरीब के पास भी उनके जैसे महल खड़े हो जाए। प्रसन्नता के लिए गरीबों के पास महल होना जरूरी नहीं है। तुम्हें या मुझे उन महलों को लेकर आसक्त रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि गरीब को भी जिन्दगी की इतनी सुविधाऐं मिलनी चाहिए जो धनी व्यक्ति को मिलती है । मेरे मन में इस बात को लेकर तनिक भी सन्देह नहीं है कि स्वराज्य उस समय तक पूर्ण स्वराज्य नहीं बनेगा जब तक कि इसके भीतर तुम्हें उन सुविधाओं की गारण्टी नही मिल जाती हैं।" परन्तु आलोचक यही प्रश्न उठाते हैं कि क्या यह समाज के निर्धनतम और सबसे कमजोर व्यक्ति को अपनी जिन्दगी और भाग्य पर नियंत्रण स्थापित करने लायक बना पाएगा ? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या शासन और अभावग्रस्त भूखे लोगों को स्वराज्य दिला पाएगा ? पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबी, अज्ञानता, बीमारी तथा अवसर की असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

महात्मा गांधी ने भी सुशासन की व्यवस्था में सार्वजनिक नीतियों की प्रभावोत्पादकता के आंकलन के लिए कुछ सख्त मानदण्ड सुझाए थे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। हांलाकि ये तत्व न्यायालय में न्याय योग्य नहीं है परन्तु देश के शासन के लिए मूलभूत निर्देशों से कम भी नहीं है। लेकिन आजादी के बाद के इतने वर्षो के बाद भी भारतीय राज्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में निःसन्देह नाकाम ही रहा है। हालांकि सत्याग्रह की कुछ सीमाएं रही तो भी उसकी प्रासंगिकता व उपयुक्तता कालातीत है। यह गांधीजी द्वारा मात्र भारतीयों को ही नहीं, अखिल मानव जाति को दी हुई अनमोल देन है। इसमें अन्याय निवारण की बड़ी ताकत है। शक्ति सम्पन्न व्यक्ति या व्यवस्था अन्याय कर रही हो तो आम से आम निःशस्त्र व्यक्ति उसके विरोध में संघर्ष पुकार सकता है। समाज में हमेशा ही अन्याय, शोषण व दमन करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अस्तित्व में होते हैं और सत्याग्रह द्वारा इन पर नैतिक दबाव आने लगता है। इसी वजह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके अन्यायी कृत्यों व विचारों पर नियंत्रण आ जाता है। इसका उपयोग लोगों का सहयोग हासिल करने के लिए उपयुक्त मार्ग है। सत्याग्रह से सम्बन्धित प्रश्न की ओर लोगों का तथा सरकार का ध्यान आकर्षित हो जाता है। उस प्रश्न पर जब व्यापक प्रमाण में सामूहिक चर्चा होती है तब सरकार को मजबूरन वह प्रश्न हल करना पड़ता है। कोई भी सरकार लोगों की भावना एवं विचारों की ओर पीठ फेरकर शासन नहीं कर सकती। सरकार को अच्छे काम करने के लिए या बुरे कार्य करने से पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाला लोकमत सत्याग्रह के सहारे ही तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सामूहिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मानव जीवन में जब तक अन्याय, शोषण तथा दमन वृत्ति है, तब तक उसके खिलाफ लड़ने

और अत्यन्त सुलभ परन्तु निःशस्त्र क्रांतिकारक शस्त्र के रूप में सत्याग्रह की प्रासंगिकता को हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। 21वीं सदी में उनकी प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ रही है।

30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के हत्या के कुछ घण्टों के भीतर ही सरोजनी नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि "ईश्वर करें कि मेरे मालिक, मेरे नेता, मेरे बापू की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि बापू कभी आराम नहीं करते हैं, आइये हम सभी एक प्रण ले। आप हमें शक्ति दे ताकि हम आपके वंशजों, अपने उत्तराधिकारियों से किये गए वादे को पूरा कर सकें, वे ही लोग जिनका आप जिक्र करते रहे हैं, वे ही आपके सपनों के रक्षक और भारत के भाग्य के निर्माता हैं"। सरोजनी नायडू के इन शब्दों की ताकत हमें यह अहसास कराती हैं कि हमें गांधीजी के दो मूलभूत सिद्धान्तों सत्य और अहिंसा को विचार और कर्म के रूप में आत्मसात नहीं होने तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। हमें आशावादी दृष्टिकोंण रखते हुए यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हम दुनिया के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएगें। गांधीजी ने वास्तविक लोकतंत्र के लिए भी यही कहा कि लोकतंत्र न केवल कुछ लोगों बल्कि निर्धनतम व्यक्ति समेत सभी लोगों के लिए मायने रखने वाली होनी चाहिए। अपंग, नेत्रहीन, मूक, बधिर के लिए भी लोकतंत्र के सही मायने होने चाहिए। समूचा सामाजिक ढांचा ही ऐसा होना चाहिए कि इस आदर्श को व्यवहार में भी अपनाया जा सके। एक बार जाग्रत होने पर सुधार और विकास के लिए सभी व्यक्ति क्रांतिकारी ताकत बन सकते हैं। भारत में लोग नैतिक नेतृत्व के लिए लालायित तो हैं परन्तु नेतृत्व के बजाय वे दूषित व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते हैं जिसमें वे सफल नहीं हो पाते हैं।

अतः गांधीजी के दृष्टिकोण का वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है चूँकि भारतीय लोग निम्न जाग्रति वाले लोग हैं अतः हमें पहले उनके साथ काम करके उनके जीवन्त सम्पर्क में आना चाहिए ताकि हम उनके दुःख दर्द को साझा कर सकें और उनकी मुश्किलों को समझ पाएें और उनकी जरूरतों का अनुमान लगा सके। तभी वास्तविक आजादी और खुशहाली की दिशा में कदम रखे जा सकते हैं। वे बारम्बार इस बात का जिक्र किया करते थे कि भारत को आजादी दिलाकर सार्वभौमिक बंधुत्व के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम अपनी कोशिश जारी रखेगें। वह सच्चे अर्थ में मानवता की विस्तारित बेहतरी को हासिल करने में जुटे हुए थे। हमें भी नव–प्रमुदित मानवता के विकास में सहयोग देना चाहिए। गांधीजी ने 4 पुरूषार्थों पर भी जोर दिया – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गांधीजी ने यही कहा कि जो धार्मिक है वह प्रसन्न है, वह एक तरफ आत्मनिष्ठ है, किसी के प्रति उसके मन में दुर्भावना भी कम होती है। धन शक्ति से जुड़ा है। काम शारीरिक सुख और आनन्द की अनुभूति से सम्बन्धित पुरूषार्थ है। जबकि मोक्ष का तात्पर्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाने का है। हमें देखना यही है कि कामना आधुनिक भारत के सार्वजनिक दर्शन का आधार क्यों व कैसे होनी चाहिए ? अतः

हम यही कह सकते हैं कि गांधीजी ने पुरूषार्थ की नयी व्याख्या की और यही निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि ये चारों मिलकर जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टि प्रस्तुत करते हैं अतः हमें वैसे ही करना चाहिए।

यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तरफ समृद्ध अभिजात्य वर्ग हैं तो दूसरी तरफ नागरिक समाज के लोग है, उनमें से नागरिक समाज को छोड़कर बाकी सभी लोग अपनी अहमियत और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते है। "नेता चुनाव प्रणाली के जरिये, नौकरशाह कूननों, नियमों और प्रक्रियाओं के जरिये।" जहाँ तक समृद्ध अभिजात्य वर्ग का सवाल है वे राजनीति और नौकरशाही के साथ अपने अनुचित सम्बन्धों के माध्यम से इस शोषणकारी व्यवस्था में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा रहता है और विकास की सही दिशा पकड़ में नही आती है। नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है निजी स्वार्थ बढ़ रहे हैं राजनीतिक संस्कृति विकृत हो रही है, उदासीनता एक संक्रामक रोक बन गयी है, शिक्षा को जहां एक आदर्श बनना चाहिए वह वसुदैव कुटुम्बकम् की तैयारी करने के लिए अपनी क्षमता और स्थिति को ठीक नहीं कर पा रही है। हकीकत यह है कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों से सम्बन्धित गांधीजी के विचार व नजरिया उनके जीवनकाल की तुलना में अब अधिक प्रासंगिक हैं। नीति निर्माताओं, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों को अपनी सोच और कार्यों में निश्चित रूप से महात्मा गांधी का निम्न मंत्र ध्यान में रखना चाहिए कि "मैं आप लोगों को एक जंतर दूंगा कि "जब कभी आपके मन में कोई संदेह हो अथवा आपका अहम् आप पर भारी पड़ने लगे तो यह तरीका अपनाना – उस सबसे गरीब व कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करना जिसको आपने देखा है और खुद से यह सवाल करना कि अगर तुमने यह कदम उठाया तो उससे उस व्यक्ति को लाभ होने जा रहा है अथवा नहीं? क्या उसे तुम्हारे इस कदम से कुछ मिलेगा ? क्या तुम्हारा कदम उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन और भाग्य पर किसी तरह का नियंत्रण स्थापित करने में मददगार बन पाएगा। दूसरे शब्दों में क्या यह कदम भूख व आध्यात्मिक वंचना से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए स्वराज्य ला पाएगा ? तब तुम्हें अपने सन्देह के जवाब मिल पाएगें और तुम्हारा अहम् भी जाता रहेगा। क्योंकि अन्याय, शोषण व दमन उत्पन्न करने वाले उपनिवेश, पूँजीवादी एवं सामंती वृत्ति की प्रवृत्ति नए–नए रूप धारण कर पुनः प्रबल हो रही है।

विज्ञान–तकनीकी प्रगति के कारण मानव जीवन भौतिक अंगों से उन्नत हुआ परन्तु नैतिक अंग से वह पंगु बना है। मानव जीवन की शान्ति व सहृदयता नष्ट हो रही है। समाज को विघटित रूप प्राप्त हो रहा है इसी वजह से समाज में अमीर गरीब, मालिक मजदूर, शोषक शोषित और शासक शासित के सम्बन्ध बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्ति व समाज का संतुलित विकास होने की अपेक्षा उनमें असंतुलन बढ़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति व समाज से सत्याग्रह द्वारा ही लड़ना पड़ेगा। हिंसा व युद्ध के मार्ग से मानव जीवन के प्रश्न, विवाद या संघर्ष मिटाये नहीं जा

पाएगें, इसका सभी को आभास हो रहा है। हिंसा से प्रश्न हल नहीं हो सकते बल्कि एक और नया प्रश्न उपस्थित हो सकता है। इस सन्दर्भ में गांधीजी ने लिखा है कि **"I object violence because when it appears to do good, good is only temporary, The evil it does it permanent".** मानवीय अस्तित्व एवं संस्कृति एक दूसरे के प्रति विश्वास, सत्य, दया एवं आत्मबल इसी से ही टिकी रहने वाली है, हिंसा से नहीं। इसलिए गांधीजी ने हिंसा व युद्ध को सत्याग्रह जैसा नैतिक विकल्प प्रदान किया। सत्याग्रह का जनतंत्र के दृढ़िकरण एवं संवर्धन करने के लिए उपयोग हो सकता है। जनतंत्र के उद्देश्य व आशय सत्याग्रह पद्धति से मूर्त रूप में लाये जा सकते हैं। जनतंत्र के सबलीकरण के कारण आज भी सत्याग्रह उपयुक्त है। इसी पृष्ठभूमि में गांधीजी ने भावी समाज की रूपरेखा भी रखी है जैसे –

- प्रत्येक मनुष्य को उपयुक्त शारीरिक श्रम करके अपने उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में योग देना चाहिए। इससे श्रम की गरिमा बढ़ेगी और करोड़ों लोगों की आवश्यकताऐं पूरी करने में सहायता मिलेगी।
- इस तरह से सभी प्रकार के श्रम का महत्व है। श्रम ही सारे सामाजिक कार्यक्रम की पूंजी है। और सभी लोग इस प्रकार से श्रम करेंगे तो इतना अवश्य प्राप्त कर लेगें कि सादा जीवन बिता कर अपने नैतिक जीवन को उन्नत कर सकें।
- गांधीजी ने प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों के मुकाबले श्रम प्रधान उद्योगों को वरीयता प्रदान की।
- जनपुंज द्वारा उत्पादन की प्रणाली को उचित ठहराया।
- इससे कुटिर उद्योगों के विस्तार का रास्ता स्पष्ट रहेगा।
- भावी समाज के लिए गांधीजी ने स्वदेशी का सिद्धान्त भी स्वीकार किया और यह माना कि देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करके यहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। संकेत यही था कि लोग अपनी संस्कृति और स्वाधीनता के साथ लगाव अनुभव करे ताकि वे यूरोपीय विचारों और संस्थाओं के अन्धानुकरण से बच जाए।
- प्रशासन के स्तर पर गांधीजी ने विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया।
- उन्होंने यही माना कि आदर्श राज्य छोटे–छोटे आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों का संघ होगा।
- प्रत्येक ग्राम समुदाय का प्रशासन 5 पंचों की पंचायत चलाएगी जिन्हें प्रतिवर्ष निर्वाचित किया जाएगा।
- इन्हें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होगी। परन्तु समाज में मेलजोल और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरन्तर सजग रहना होगा।
- इसके लिए नैतिक सत्ता व जनमत के प्रभाव का सहारा लिया जाएगा।

- ❖ इससे लोगों में हार्दिक सम्बन्ध स्थापित होगें, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा और शालीनता सिखाने के लिए यह उपयुक्त पाठशाला की भूमिका निभाएगें।
- ❖ ग्रामों के समूह को तालूका या जनपदों में बांटा जाएगा। और जनपदों को प्रदेशों में। हर नीचे की इकाई ऊँचे इकाई के लिए प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी।
- ❖ शासन के प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होगी और वह सामुदायिकता की भावना से ओतप्रोत होगी और पूरा देश समुदायों का समुदाय बनेगा।
- ❖ केन्द्रिय सरकार को इतनी सत्ता अवश्य प्राप्त होगी कि वह प्रदेशों को एकता के सूत्र में पिरो सके।
- ❖ केन्द्रीय विधानसभा के प्रत्यक्ष चुनाव के गांधीजी विरूद्ध थे क्योंकि उससे उत्तरदायित्व की भावना का ह्रास होगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- ❖ अधिकारी तंत्र की अधिक जरूरत नहीं होगी।
- ❖ अधिकांश निर्णय प्रक्रिया विकेन्द्रीत होगी और वह ऐसा समाज होगा जिसमें कोई भूखा नहीं रहेगा और सब लोग मिलजुलकर रहेगें।
- ❖ इससे अपराध कम होगें और पुलिस की भी विशेष जरूरत नहीं होगी। यदि भूले भटके कोई अपराध कर बैठेगा तो जनमत का नैतिक प्रभाव उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त होगा और अधिक आवश्यकता पड़ी तो नागरिक ही पुलिस की भूमिका सम्भाल लेगें।
- ❖ इस व्यवस्था में गृह युद्ध की कोई सम्भावना नहीं होगी।
- ❖ सेना की जरूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि जहां लोग अपनी स्वाधीनता के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेगें वहां विदेशी आक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा।

इस प्रकार गांधीजी ने विकास और शासन का जो मार्ग दिखाया वह भारत की संस्कृति और मूल्य परम्परा के अनुरूप था, परन्तु इस देश को प्रौद्योगिकी प्रधान और तनाव भरे विश्व में अपना उपयुक्त स्थान चुनने के लिए गांधी से भिन्न रास्ता चुनना पड़ा। परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गांधीजी ने उपभोग के नियमन और इच्छाओं के नियंत्रण का जो सन्देश दिया वह आज के युग में मानवता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है और गांधीजी का सन्देश महत्वपूर्ण सिद्धान्त बनकर भविष्य के लिए भी प्रासंगिक होने की क्षमता बन रहा है। आज के युग में मानवता के भविष्य की रक्षा के लिए पर्यावरणवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बनता जा रहा है। अतः सत्याग्रह की उपयुक्तता गांधीजी द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। सत्याग्रही होना व सत्याग्रह करना यह बहुत ही कठिन बात है, इसमें संशय नहीं। सत्याग्रही होने के लिए व्यक्ति में अनुशासन, असामान्य धैर्य, मर्यादा, संयम व क्लेश सहन करने की तैयारी

आदि गुण जरूरी है। सच्चे सत्याग्रही द्वारा उसके अल्प सहयोगियों की सहायता से भी सत्याग्रह सफल किया जा सकता है। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग ने अल्प सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी का सत्याग्रह कर वहाँ के नीग्रो लोगों को नागरिक हक दिला दिये थे, नाटो हवाई जहाज से युगोस्लाविया का पूल उड़ा देने के निर्णय से वहाँ के नागरिक पूल पर जाकर बैठ गए व सत्याग्रह किया और नाटो ने अपना निर्णय वापस लिया। इसी प्रकार पठानों के नेता खान अब्दुल गफ्फार, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि ने भी इस तंत्र का कई बार प्रयोग कर विभिन्न आंदोलनों को कर यश प्राप्त किया। इसी से चम्बल घाटी के डकैतों व बिहार के नक्सलवादियों के प्रश्न भी हल हुए। भूदान आंदोलन व समग्र क्रांति में यही मार्ग अपनाया गया। नर्मदा बांध के मामले में मेघा पाटकर, बाबा आमटे आदि ने सत्याग्रह के द्वारा ही मामला सुलझाया।

इसी सुधार क्रम में वर्तमान में छोटी सी कद काठी और हाथ में लाठी लिए आजकल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त लोकपाल विधेयक की मांग कर अनशन पर बैठने वाले अन्ना हजारे को सभी जानते हैं। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध गांधीवादी प्रतिनिधि व समाजसेवी अन्ना हजारे सत्याग्रह का अवलम्ब कर ही स्वच्छ व पारदर्शक प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के एवं सूचना के अधिकारों की मांग कर रहे हैं। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक द्वारा सभी क्षेत्रों में होने वाले भ्रष्टाचार, बड़े से बड़े तबके के व्यक्ति, सभी को शिकंजे में कसना चाहते हैं जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त मिले क्योंकि जैसा कि हम सभी स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में दुनिया मानवीय इतिहास के संकटपूर्ण दौर से गुजर रही है उसे एक विकल्प की तलाश है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण न केवल देश व लोगों की अर्थव्यवस्था का रूप बदल रहे हैं, बल्कि मूलतः यह दुनियाभर में लोगों की जीवन शैली, दृष्टिकोंण, विचारधारा व संस्कृति को भी बदल रहे हैं जिससे व्यक्ति समाज व प्रकृति से अलग होता जा रहा है। हर जगह संरचनात्मक हिंसा फैल रही है। लोगों द्वारा अपने ही लोगों को लूटा जा रहा है। भाई भाई के विरूद्ध खड़ा है। सेवा व जरूरत का स्थान लालच ने ले लिया है। नैतिकता और ईमानदारी अब सार्वजनिक जीवन में आदर्श ही रह गए हैं। आजादी के बाद का भारत जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, जिसका स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था, कहीं गायब हो गया है। क्योंकि आजादी के कुछ सालों बाद ही देश की जड़ें भ्रष्टाचार से जाम हो गई हैं, मानो जैसे इसे खत्म करना एक स्वप्न है। आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत मानवीय व्यवहार की जटिलताओं को खत्म करना हो गया है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता, आर्थिक व राजनीतिक विकेन्द्रीकरण आदि की आवश्यकता है। गांधीवाद हमें एक उत्तर व एक विकल्प प्रदान करता है जो सबसे बढ़कर व्यक्ति, राज्य व समाज के लिए उम्मीद की एक किरण, भविष्य का एक नजरियाँ तथा एक खाका तैयार करता है। जिसका अनुसरण अन्ना हजारे द्वारा किया जा रहा है।

सत्याग्रही अन्नाजी उपवास से कमजोर नहीं पड़ते क्योंकि उन्हें लोगों की ताकत मिल जाती है। यदि सत्य और अहिंसा पर आधारित सच्ची लगन से सत्याग्रह किया जाता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि देश में हजारों गांधी के अनुयायी और पैदा हो जाएगें और गांधी के अनुयायी अन्ना के कार्य चर्चित हो जाएगें। सरकार को मुंह व जबान सत्याग्रही ही प्रदान करेंगे। यदि सत्यागही देश में है तो सरकारों को बनाने वाले लोगों में हर दौर को बदलने की ताकत रहेगी। अन्ना का कहना है कि आजादी के इतने वर्षो बाद सिर्फ हमारे मालिकों की चमड़ी का रंग बदला है पहले वे गोरे थे अब काले हैं परन्तु वही लूट, वही भ्रष्टाचार, वही गुण्डागर्दी, वही बेईमान व्यवस्था व वही शोषण जो आजादी से पहले था आज भी है तो फिर प्रश्न उठता है कि हमारे नेताओं ने क्या बदला ? यह लोकतंत्र है या लूट तंत्र ऐसा लगाता है कि सभी पैसा बनाने का कार्य कर रहे हैं। पूर्व में और अभी भी सरकार हमारी जमीनें कम्पनियों को दे रही है जो हमारा खून चूस कर हमारा पैसा बाहर ले जाए तो फिर हमारी सरकार व अंग्रेजी शासन में क्या अन्तर है। जब तक भ्रष्टाचार इस देश से बाहर नहीं हो जाए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अन्ना का यही मानना है कि "मैं आरोपों से कमजोर नहीं होता, आरोप साबित करो, साबित होने पर मुझे सजा दो परन्तु भ्रष्टाचार को खत्म करो क्योंकि यह भारत के सार्वजनिक जीवन में केंसर की तरह फैल गया है और लोगों को मृत्यु के मुंह में झोंक रहा है। जनता को नेता चुनने का ही नहीं निकम्मे नेताओं को वापस बुलाने का हक होना चाहिए ताकि उन पर नियंत्रण प्रभावी हो और वे चाहे जो करने से डरें। अन्ना ने यह भी माना है कि मेरा मौन व्रत किसी के खिलाफ नहीं है। मौन व्रत से तो मैं अपनी शक्ति संग्रह करता हूँ और बल संचय करता हूँ। इसलिए यह प्रण लेना होगा कि जैसे मैं अन्ना हूँ वैसे तुम भी अन्ना बनो, देश का बच्चा–बच्चा अन्ना बने और हमारा अनुसरण करे तभी हमारे सत्याग्रह की विजय होगी और गांधीजी के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ एक सुशिक्षित सिपाही हमें मिलेगा और हम अन्याय मुक्त, शोषणमुक्त, धोखा, बेईमानी तथा भ्रष्टाचार और कालेधन से निजात पाकर एक नवीन सशक्त और सम्पन्न भारत का निर्माण कर पाएगें। इससे गांधीजी का स्वप्न भी पूरा होगा और हमारी निराशाऐं भी आशा में बदल जाएगी। गरीबी और अन्य खामियां हटेंगी और हम अपने देश को अपमान से उबार सकेंगे तथा उसको अधिक प्रेम देकर अपने सपनों का मजबूत भारत बना सकेंगे।

हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो समस्याऐं पराधीन भारत में थी उन सभी का समाधान नहीं हो पाया है बल्कि आजाद भारत में तो भ्रष्टाचार की समस्या एक बुनियादी समस्या बन कर उभर आई है जिससे समाज और देश की नीतियां निरन्तर जूझ रही है। हालांकि यह हमेशा से ही एक ऐसी जटिल समस्या रही जिसने नौकरशाही व राजनीति को ग्रसित कर रखा है जिसने, हमारी लोकतांत्रिक विशेषताओं को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है

और उसे हाशिए पर लाना शुरू कर दिया है। चूंकि इस समस्या ने नागरिकों को रोजमर्रा की जिन्दगी में पहले से ज्यादा प्रभावित करना शुरू कर दिया है इसलिए इस पर काबू पाने में सरकार की आनाकानी और अक्षमता ने इसे समकालीन राष्ट्रीय बहस का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना दिया है। भ्रष्टाचार को लेकर महाराष्ट्र में कई बार आन्दोलन छेड़ चुके अन्ना ने सफलता भी अर्जित की एवं समाज व राष्ट्र में अपनी पहचान भी बनायी है। प्रचार माध्यमों की निरन्तर निगहबानी व नागरिक समुदाय समूह की सक्रिय भूमिका के कारण विरोध प्रदर्शनों से अन्ना के आन्दोलन ने संगठित रूख अख्तियार कर लिया है। इन्होंने लोकपाल के रूप में पूरी तरह स्वतंत्र व पारदर्शी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकार के गबन की मांग की है व 16 बार आमरण अनशन कर पूरे देश को हैरान किया है। अन्ना हजारे के आन्दोलन ने सरकार को न केवल दशकों से धूल फांक रहे लोकपाल विधेयक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए गम्भीर बातचीत करने के लिए मजबूर किया बल्कि लोगों में शासन को पारदर्शी व ईमानदार बनाने के लिए जागरूकता भी लाई। यद्यपि आन्दोलन को लेकर गम्भीर मतभेद उभरे। आजाद भारत में एक विशाल जनक्रांति हुई, जनआक्रोश सैलाब बन कर सड़कों पर आ गया परन्तु सभी ने अहिंसक तरीके को अपनाते हुए आन्दोलन को सक्रिय बनाए रखा, यह आज भी गांधीजी के सत्याग्रह की ही विजय कहलाएगी।

भ्रष्टाचार को लेकर किये गये अन्ना हजारे के आन्दोलन के समर्थन व विरोध में बहस भी हुई कि आजाद भारत में संविधान निर्माण के बाद भी क्या आज हमें अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए आन्दोलनों का सहारा लेना पड़ेगा ? क्या हमें हमारे ही द्वारा चुने गए सरकारी अफसरों, मंत्रियों, सांसदों, प्रधानमंत्री आदि से हमारी तकलीफों का तोड़ इस प्रकार आन्दोलन कर लेना पड़ेगा ? क्या हमें हमारे ही भाईयों के विरूद्ध सत्याग्रह करना पड़ेगा ? फिर भी सरकार चुप है, नतीजा हमेशा अपने हक का निकालती है, जनता की तकलीफ उन्हें नजर नहीं आती। लोकपाल विधेयक को लेकर संसद में चली बहस में पार्टी सत्ता में आने के लिए, जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए बड़े–बड़े वादे तो कर लेती है परन्तु करना कुछ चाहती नहीं क्योंकि 5 साल उनकी भरपूर कमाई का जरिया होता है जहां वे सारी जिन्दगी आराम से कटने का मसौदा तैयार करते हैं ना कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का। आज भी हालात तो वही है, जो गांधीजी के सामने थे, गरीब जनता भ्रष्टाचार की चक्की में पिसती जा रही है, सरकार गुप्त मंत्रणा कर रही है। आज किसी भी जगह चले जाओ बिना जेब खर्च करे कोई काम नहीं होगा। यहां तक की सरकारी सफाई कर्मचारी भी घरों के बाहर सफाई करने का मनमाना पैसा घरों से वसूल करते हैं, ना दो तो मलबा वापस नाली में डाल जाते हैं। और कुछ कहने पर दलील यहीं देते हैं कि संसद में बैठे बड़े–बड़े नेता तुम्हें लूटने के कानून बना रहे हैं फिर भी तुम उन्हें वोट देकर जीता दोगे फिर हम तो बहुत

छोटे व्यक्ति हैं हमारे पेट पर क्यों लात मारते हो। इस भ्रष्टाचार ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ व्यक्ति चैन की सांस ले सके। क्या सीखेगी हमारी नव पीढ़ी ? क्या माहौल होगा उसके समय में ? अगर भ्रष्टाचार इसी तरह हमें दबोचे रहा तो। हमारे बच्चे तो ईमानदारी, सत्य, प्रेम का मतलब भी जान नहीं पाएगें क्योंकि उनकी हर सांस में भ्रष्टाचार का जहर घुला होगा वे काम करने की जगह आराम करना पसन्द करेगें।

सरकार कैसी भी आए भ्रष्टाचार करना बन्द नहीं करती या ऐसी कोई सरकार नहीं जहां जनता की कमाई लूटने की कोई खबर ना आई हो। फिर भी हमारी मजबूरी देखो, हमें वोट देना है, सरकार चुननी है, विश्वास रखना है, नतीजा जानते हुए भी। स्वतंत्र भारत के लिए गांधीजी ने ऐसे हालातों की तो कल्पना भी नहीं की होगी। यदि कोई व्यक्ति इन हालातों के लिए आवाज उठाता है तो सरकार का दमन चक्र उसके साथ धोखाधड़ी कर, उसे गुमराह कर यहाँ तक की उसे गायब कर पूरा होता है। जैसा कि अन्ना हजारे के साथ होता आ रहा है। सरकार उनके भारी जनसमर्थन से डर जाती है व झूठ बोल आन्दोलन रूकवा कर, लिखित रूप में देकर भी अपने कहे से पलट जाती है। भारी जनआक्रोश देखकर उन्हें ऐसी जगह भेजने की योजना चुपचाप तैयार कर ली जाती है कि जहां कोई लोक नहीं, जहां कोई आता जाता नहीं। सरकार के ये तरीके होते हैं लोकपाल नहीं आने देने के या जनसमर्थन को दबाने के। माननीय अन्ना हजारे जी ने जो लोकपाल मसौदा तैयार किया है वह सरकारी लोकपाल से भिन्न हैं क्योंकि इसमें उन्होंने प्रधानमंत्रियों सहित सभी मंत्रियों व सांसदों, सरकारी अफसरों सभी को शामिल करना चाहा, जो सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ होगा और पंत प्रधान इस दायरे से बाहर ही होना चाहिए क्योंकि वह ऐसा कोई काम नहीं करता। फिर उसे किस बात का डर है कि वो लोकपाल के दायरे में आए या नहीं? मंत्रियों, सांसदों, सरकारी अफसरों आदि अपनी सम्पत्ति अपनी पत्नी व बच्चों के नाम कर जमा कराते रहते हैं। अन्ना बिल यही कहता है कि यह सम्पत्ति भी उजागर हो जिस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। भ्रष्टाचार ने गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सरकार की ओर से आता राशन दलालों द्वारा हड़प लिया जाता है, नरेगा के अधीन मिलते वेतन अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो यह गरीब ही हैं जिसका शोषण होता है।

अभी 23 मार्च 2018 को अन्ना हजारे आत्महत्या से परेशान किसानों की मांग को लेकर आगे आए हैं व 4 साल इन्तजार करने के बाद अपने सशक्त लोकपाल को फिर से लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन 4 सालों में अन्ना हजारे ने लगातार सरकार से पत्र व्यवहार द्वारा उन्हें सचेत किया, रालेगण में आमरण अनशन किया। अन्ना का यही कहना है कि जिस कानून के बनने से सरकार को फायदा होता है वह कानून 3 दिन में बनकर तैयार हो जाता है परन्तु

जिस कानून से वे सत्ता में शायद टिक ना सकें, उसे साल लग जाते हैं, उसे संसद में फाड़ दिया जाता है, वो एक जरूरी वाद विवाद का मुद्दा नहीं लगता और मीडिया को भी सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। ये कैसी स्थिति है, आम जनता हाहाकार कर रही है और सरकार वातानुकूलित घरों व ऑफिसों में जनता को कैसे लूटे, उसकी योजना बना रही है। यह भ्रष्टाचार एक परम्परा, रीति रिवाज बनता जा रहा है जहां आम नागरिक यही कहता मिलेगा कि ऐसा होता है, ऐसा होने दो, कौन परेशानी मौल लेगा या कुछ हो गया तो ? अतः यही सोचने में आता है कि इस भ्रष्टाचार का कारण स्वयं जनता ही तो नहीं कहीं ? और इस सोयी हुई, डरी हुई, जनता को जगाने का कार्य 21वीं सदी में इतने जोश के साथ, विश्वास से भरपूर गांधीवादी प्रतिनिधि अन्ना हजारे द्वारा किया गया। अन्ना के आन्दोलन का परिणाम भले ही संतोषजनक स्थिति को प्राप्त ना कर पाया हो परन्तु आज सड़कों पर हर आम आदमी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिख ही जाता है। लोगों के विचार बदलें है, सोच बदली है, घूस लेने वाले एक बार इस पर विचार करने लगे हैं। यह हर जन की आत्मा की वेदना बन अन्ना तक पहुँची और अन्ना ने उसे समस्त जनता के दुःखों के निवारण में बदल डाला। यह अन्ना हजारे की तपस्या, निःस्वार्थ समर्पण व शुद्ध आचार, विचार, कर्म, त्याग का ही परिणाम है। हालांकि वे खुद भी अपने आपको गांधीजी का अनुयायी मात्र मानते है, स्वयं गांधी होने का दावा नहीं करते परन्तु बदलती परिस्थितियों में जनता में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस जगाने वाले अन्ना हजारे को आधुनिक युग का गांधी कहना या जननायक की उपाधि देना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

हमारा उनके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है जब वे पूर्ण गांधीजी के आदर्शों को अपने अन्दर समाहित कर आगे बढ़ते हैं, सम्पूर्ण जनता से आह्वान करते हैं कि यहां हिंसा का कोई काम नहीं है, हमें अहिंसक तरीके से सत्य व प्रेम पर आधारित सत्याग्रह करना है। इसमें जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए अपने कदम पीछे नहीं हटाना है। वे स्वयं आन्दोलन शुरू करने से पहले गांधीजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सच्चे अनुयायी होने की अनुभूति अपने अन्दर महसूस करते हैं और उनके सपनों के भारत को साकार करने के प्रयास में जुट जाते हैं। हालांकि महात्मा गांधी व अन्ना हजारे के सत्याग्रह में परिस्थिति व समय के अनुसार अन्तर हमें दिखाई देता है कि उस समय गांधीजी ने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई जिसमें सभी जनता का एक ही उद्देश्य था – गुलामी से आजादी और स्वराज्य व स्वशासन की प्राप्ति। वहां एक ही स्वर था जिसकी गूंज दूर दूर तक गयी। स्वराज्य व स्वशासन प्राप्त करने के बाद अर्थात् आजादी के बाद वे ही लोग जो स्वशासन की मांग कर रहे थे स्वार्थी हो अपने ही देश को व इसकी गरीब जनता को लूटने में लग गए। कितनी बड़ी विडम्बना है कि अब यहां व्यक्ति खुली हवा में सांस लेने का दिखावा कर रहा है असल में तो

अन्दर से घुट रहा है, भ्रष्टाचार की अग्नि में झुलस रहा है, पर प्रयास करने में पीछे है। अब स्वर भी अलग–अलग, उनके उद्देश्य भी अलग–अलग और उनके कार्य करने के तरीके भी अलग–अलग हो गए हैं। भाई–भाई की सम्पत्ति अवैध रूप से छिनने में लगा है। यही प्रतीत होता है कि आजादी तो मिली, पर अधूरी, लोकतंत्र तो आया परन्तु जिसमें लोक नहीं है केवल तंत्र ही सर्वेसर्वा है क्योंकि सामान्य जनता को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं। सरकार की कथनी व करनी में फर्क आ गया है। प्रश्न ये है कि जब भ्रष्टाचार शुरू हो रहा था तो ही कोई ठोस कदम क्यों नही उठाया गया ? अब यह खून में शामिल हो गया है क्या यह आन्दोलनों से दूर हो पाएगा ? इस बात की क्या गारण्टी है कि जो लोकपाल चुनकर आए वो कभी भ्रष्ट ना हो। अतः यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल ढूँढें, ना मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार को अपनी जिद छोड़ अन्ना लोकपाल विधेयक पर सहमति दे देनी चाहिए।

अन्ना ने माना कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है लेकिन वर्तमान व्यवस्था को देखकर वे काफी दुखी हैं। करोड़ों का धन भ्रष्ट व्यवस्था के कारण देश से बाहर जा रहा है, और सरकार भी ऐसे तत्वों की मदद कर रही है। देश भर के कार्यकर्ता इसे आजादी की दूसरी लड़ाई की संज्ञा दे रहे हैं। जिसमें अनशन या आमरण अनशन को अन्ना हजारे विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीका मानते हैं। यह वह तरीका है जिसे गांधीजी ने कई बार अपनाया। अनशन इसलिए सफल नहीं होते कि ये सरकार को झुका देते हैं, बल्कि इसलिए कि यह ऐसा खमीर होता है जो जनता को जाग्रत व आंदोलित कर देता है। अन्ना का अनशन भी सरकार को झुकाने के लिए नहीं बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य उस भारत को फिर से उत्थान की स्थिति में लाना है जो लापरवाही और निष्क्रियता की गहरी निद्रा में लीन है, जबकि मुठ्ठी भर राजनीतिज्ञ व उनके पिट्ठू देश की दौलत लूट रहे हैं। अन्ना ने तो हमारी आत्मा को कचोटा है। यदि आपके अंदर आत्मा है तो इस देश को भ्रष्टाचार के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने के लिए उठ खड़े हों, यह अनशन देश को जीवन देने के लिए है अतः अन्ना हमेशा कहते हैं "अन्ना रहे ना रहे, ये मशाल जलती रहे"। देश के सरकारी तंत्र में प्रत्येक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की लम्बे समय से चलती बात, अन्ना द्वारा इसके विरूद्ध उठाये कदम, उनकी इस मुहिम में अन्य समाज सेवी व्यक्तियों की भागीदारी व मीडिया द्वारा इसके हुए प्रचार ने देशभर में भ्रष्टाचार के मामले के प्रति एक क्रांति ला दी है। भारत की अलग–अलग सरकारों से जो कार्य नहीं हो पाया वह अन्ना हजारे के प्रयासों ने कर दिखाया। सरकार द्वारा, इस मामले पर पैदा हुई जन आंदोलन की भावना को देखते हुए अन्ना हजारे की मांगों को मान लेना और लोकपाल विधेयक के मसौदे के लिए सरकार व समाज सेवकों की एक कमेटी बनाने व इस बिल को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश करने जैसी बातें करना, हैरानी व संतुष्टी वाली है। बेशक इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, परन्तु ऐसी घोषणा होने के बाद, जिस तरह

का माहौल बना है, और जितने बड़े स्तर पर समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा खुशी व्यक्त की गई है ; उससे ऐसी आशा बंधी है कि एक तरह से भारतीय समाज को आधुनिक बनाने की कवायद शुरू हो गई है।

एक और अन्य बात जो देखने को मिली कि देशभर में पैदा ऐसी भावना किसी जाति वर्ग या समुदाय से ऊपर है। सभी देशवासी एकता के सूत्र में पिरोये नजर आते हैं। इस भावना ने देश की आजादी से पहले महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए सत्याग्रह आन्दोलन के समय पैदा हुई भावना के दृश्य पुनः साकार कर दिये हैं। अब यह देखना बाकी है कि देश के शरीर से चिपके इस कोढ़ को ये नए बनते हालात किस तरह समाप्त करने में सहायक होते हैं। देश में यदि आम व्यक्ति निश्चिन्त होकर और बिना किसी दबाव या परेशानी के अपने रोजमर्रा के कार्य कर सकने में सक्षम हो जाएगा, तो इससे समाज में एक बड़ी राहत महसूस की जाएगी। कोई शहर, कोई गली मोहल्ला, कोई गांव, कोई चौराहा ऐसा नही बचा जहां अन्ना हजारे के समर्थन में लोगों की भीड़ ना उमड़ी हो। उस ओर वे खुद चले गए जहां अन्ना की आवाज बुलंद हो रही थी, जिनकी अन्ना से उम्मीद बंध गई थी और यह मानना ही पड़ेगा कि 21वीं सदी के इस गांधी को जो जन समर्थन मिला, वह गांधी के बाद इन्हीं को मिला। आज देश त्राहि त्राहि कर रहा है। महंगाई ने हर व्यक्ति को बुरी तरह से मार डाला है। भ्रष्टाचार ने सामान्य नागरिक को भी जीने लायक नहीं रहने दिया। ऐसे में यदि अन्ना हजारे ने कोई उम्मीद जगाई है, तो इसमें हमें उनका सहयोग करना चाहिए ना कि प्रतिदिन नए–नए आरोपों से उन्हें या उनके साथियों को आगे बढ़ने से रोका जाए। क्रांतिदूत अन्ना हजारे आम नागरिक को तो कुछ नहीं कह रहे, उन्हें तो भ्रष्ट आदमियों से चिड़ है जो सरकार बन जनता का रक्त निचोड़ने में लगे हैं। वह भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अपने धर्मयुद्ध को गति देना चाहते हैं। भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों तथा ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को गलत आचरण के लिए दंडित करवाना चाहते हैं। अन्ना ने कई बार यह स्पष्ट किया कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका अपना दामन बेदाग है, इसलिए वह देश के हर नेता, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अन्य सब को ईमानदारी का जीवन बिताने की बात कहते हैं। इसके लिए अन्ना ने हर व्यक्ति को जीवन के कुछ ईमान सूत्र बताऐं हैं जो निम्नानुसार है –

❖ मौजूदा राजनीति के भरोसे न रहें। एक पार्टी जाती है, दूसरी से आशा लगाते हैं, पर तीसरी भी वैसी ही निकलती है। दुर्भाग्य है कि हम उस तरह की चीजों से काम चलाने को मजबूर हैं। हमें मौजूदा राजनीति का विकल्प देना चाहिए।

❖ अगर नौकरी में हैं, तो जो भी सेवाभाव और ईमानदारी आप में है, वह आपके कर्तव्य का हिस्सा है। यह कोई समाजसेवा नहीं है। नौकरी में ताकत होती है, अधिकार होते हैं। इन अधिकारों से बाहर आकर अपना मॉडल बनाइए।

- ❖ युवाओं पर भरोसा कीजिए। परिवार में बचपन से उनके संस्कार बनाइए। जीवन का अर्थ, समाज के प्रति कर्तव्य तथा जिम्मेदारी यदि आप नहीं मानते, तो संतानों से आपकी उम्मीद सही नहीं है।
- ❖ अध्यात्म के नाम पर दिखावा, टीका–माला से काम नहीं चलेगा। मराठी के एक संत ने कहा है– जे का अंजले गांगले, तसी मने जापले, अर्थात समाज में दुखी जो लोग हैं, उनके प्रति मैं क्या कुछ कर सकता हूं, वही करना भगवान की असली पूजा है। यही सभी संतों ने कहा है कि जनसेवा ही भगवान की पूजा है।
- ❖ राजनीति में युवा चुनकर आ रहे हैं, मगर घरानाशाही से बदलाव नहीं आएगा। जो युवक अपने चरित्र और कर्मठता से चुनकर आएगें, वो बदलाव लाएगें। ऐसे लोगों को आगे लाने का रास्ता बनाएं।
- ❖ सूचना के अधिकार का पूरा उपयोग करें। व्यवस्था की भ्रष्टता का बहाना बनाने के बजाय वे रास्ते निकालें, जिनसे नीचे के स्तर पर जीवन बदल सकता हो।
- ❖ विनोबा ने कहा है कि दान इन्सान को नादान बना देता है, लाचार बना देता है। उसका स्वाभिमान चला जाता है। सरकार या पैसे वालों की मदद लेकर योजना चलाने के बजाय सामूहिक श्रमदान की शक्ति बड़ी होती है। इस शक्ति की महत्ता मानें।
- ❖ जहां कोई आदर्श निर्माण होता है, तो लोग उसे आदर्श मानने लग जाते हैं, लेकिन उस आदर्श की तरह खुद को चलने के लिए प्रेरित नहीं करते। उस आदर्श की फोटो लगाना, माला पहनाना, उसका सार्वजनिक स्वागत करना इस सबसे देश का भला नहीं होने वाला। आदर्श को मानना है कि उसका हमें अनुकरण करना होगा, तब उसका सही परिणाम देश को, समाज को देखने को मिलेगा। आज तो हालत यह है कि कोई भी नेता, किसी भी क्षेत्र में दोरे पर निकल जाए, सभा में भाग ले, तो आप देखेंगे कि उस सभा में उसका महिमामंडन होता है। उसकी प्रशंसा में विरूदावली गाई जाती है। यहां तक कि लोग उसके पैर पड़ते हैं। अब ऐसे आदर्श का क्या करें? दर्शन किया, स्वागत करवाया, चमचों से पैर पड़वाए और चले गए। उससे क्या भला होना है देश का, समाज का? ईमान बचाना है, तो ऐसे आदर्शो से बचो।
- ❖ निर्लेप आनंद ही सही आनंद होता है और यह अंदर से मिलता है। अंदर की ताकत हो, तो बुरी–से–बुरी चीज भी बाहर आ सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगें, तो आपके ऊपर ही भ्रष्टाचार का इलजाम लग सकता है। आप मन से साफ होंगे, तो किसी अपमान की चिंता नहीं होगी।

अतः अन्ना हजारे ने बदलते वातावरण व परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को इन्हें अपनाने का आग्रह किया है। यदि जनलोकपाल केन्द्र में आ गया और सभी प्रदेशों में

लोकायुक्त भी पूरी शक्तियों के साथ कानूनी प्रावधान पा गया तो इससे भ्रष्टाचारी तो वैसे ही डरेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार R.T.I. से लोगों को डर लगता है। सशक्त लोकपाल (जिसके पास बड़े–बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, अधिकारी, जज को कटघरे में खड़ा करने, गलत होने पर दंडित करने की ताकत का निर्माण करना) अब अतिआवश्यक हो गया है। इससे भी लोग गलत काम करने, सरकारी कोष पर हाथ मारने, बजट का दुरूपयोग करने, घपला करने आदि से बचने लगेंगे। अतः यह भ्रष्टाचार को उखाड़ पाएगा और हम ईमानदार देशवासी कहलाएगें। अन्ना हजारे ने भी मीडिया, समाज सेवी संस्थाओं, युवाशक्ति, जनता को अपने कार्य का श्रेय प्रदान कर कहा कि आप ने आजादी की दूसरी लड़ाई का श्री गणेश कर दिया है, इसे मंजिल तक पहुंचाना है। अन्ना ने हमारे नेताओं को काले अंग्रेजों का नाम दिया है और कहा कि "भारत माता की जय की गूंज ने इनकी नींदें उड़ा दी है अब ये नहीं सो पाएंगे।"

अतः अन्ना के हर वक्तव्य में वे देश का आभार प्रकट करते हैं कि उन्हें जो तुरन्त व प्रबल समर्थन पूरे भारत से मिला, वही उनका बल है। उसी ने उन्हें आगे बढ़ते रहने को उत्साहित किया है। इससे उनकी क्षमता बढ़ी है और जैसा कि होता आया है, केवल भ्रष्टाचार ही नहीं जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर वे आगे बढ़ते रहेगें। अतः हम यह मान सकते हैं कि यदि हम गम्भीरता से गांधी का अनुसरण करें तो हमें अपने चारों ओर हो रहे गलत कार्य और हमारे समाज व नीतियों को प्रभावित कर रहे गम्भीर समस्याओं के प्रति आंखें मूंदे रखना एक अपराध नजर आएगा। यह कहना कहीं से भी अतिश्योति नहीं होगा कि यदि गांधी आज जीवित होते तो वे बगावत का झण्डा उठाने वाले पहले व्यक्ति होते और घोटालों से संक्रमित सरकारों के खिलाफ आन्दोलनों की अगुवाई कर रहे होते। इसमें कोई सन्देह नहीं की गांधी की विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी। और अन्ना हजारे जैसे और भी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकतंत्र को सही अर्थों में बहाल करने की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आते रहेगें और भविष्य में भी आएगें। इससे गांधीवादी प्रारूप के प्रतिरूप की परीक्षा भी हो रही है और भविष्य में और देखने को मिलेगी। भविष्य में देश के लोग निरन्तर यही देखेंगे कि अन्ना या अन्य लोगों के आन्दोलन सचमुच गांधीवादी हैं या नहीं। अतः देश में भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में कोई भी बदलाव लाना या उसके लिए प्रयास करना गांधीजी के प्रति एक श्रद्धांजलि होगी चाहे वह अन्ना हजारे के आन्दोलन का परिणाम हो या सत्ता प्रतिष्ठान का इस बीमारी पर समय रहते कार्यवाही करना।

गांधीजी के लिए राजनीति सत्ता का खेल और चालाकी नहीं है बल्कि मुक्ति और नैतिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आज जबकि हम अपने लोकतंत्र की सबसे घृणित समस्या भ्रष्टाचार के रूप में देख रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं ऐसे में मौजूदा राजनीति का विश्लेषण करने और उपयुक्त सुधारवादी उपाय तलाशने में गांधी बेहद प्रासंगिक हो गए हैं और

इसी कारण अन्ना के आन्दोलन भी महत्व रखते हैं क्योंकि इन्होंने सरकार की उदासीनता और अक्षमता के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने के लिए गांधीवादी युक्ति को अपनाया है। अन्ना हजारे एक तरह से गांधी की विरासत का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गांधी की विरासत ने हमारी नीतियों को प्रभावित करने वाली सभी बुराईयों के खिलाफ आवाज बुलन्द करने और लड़ने के लिए प्रेरित किया है। अन्ना के आन्दोलनों की न्यायसंगतता पर बहस निश्चित रूप से तब तक अधूरी है जब हम इसमें गांधीजी को शामिल नहीं कर दें। और इसी दिशा में अन्ना देश के शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं, उन्हें याद करते हैं। "दे दी हमें आजादी तूने बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल" के साथ वे गांधीजी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अपना प्रेरणास्त्रोत स्वीकार करते हैं। "अपनी आजादी को हम हरगिज भूला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, मगर सर झुका सकते नहीं" की भावना के साथ अपने संकल्प को मजबूत बनाते हुए अपने अन्तर्मन में लिए अन्ना आगे बढ़ते हैं और "ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, के साथ समस्त जनता को संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। और उनका अन्तिम संदेश समस्त जनता को यही है कि शहीदों की कुर्बानी को याद रखें। उनका यह संदेश शहीदों की देशवासियों से की गई प्रार्थना को बार–बार याद दिलाता है कि "हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों सम्भाल के।" इस प्रकार महात्मा गांधी की सपनों की आजादी अभी अधूरी है, इसे हमें पूर्णता में बदलना है और उन्हें सच्ची आत्मशांति प्रदान करनी है, जो हर नागरिक का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शिक्षा देने और उसका अक्षरक्षः पालन करने वाले गांधी के बारे में इस परिप्रेक्ष्य में पुनः विचार और सत्ता, राजनीति व भ्रष्टाचार को लेकर चली चर्चा और इस बिमारी से निजात पाने के लिए सत्याग्रह रूपी हथियार की आवश्यकता अवश्यमभावी है। अतः इस सन्दर्भ में अन्ना के अग्रणी महात्मा गांधी ही हैं और सदैव रहेगें। अतः हमारे शोध व विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष व भावी सम्भावनाओं का पता चलता हैं –

❖ महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह अवधारणा का महत्व आज भी उतना ही है जितना उस समय था।

❖ सत्याग्रह की सत्य व अहिंसा की शक्ति व्यक्ति को उच्च नैतिक गुणों से सम्पन्न कर देती है जिसमें उसकी हार होना लगभग असम्भव हो जाती है।

❖ सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सत्याग्रही को कुछ व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया जिनको वर्तमान में हर व्यक्ति के आचरण में शामिल होना अत्यन्त आवश्यक है तभी एक विकसित समाज का निर्माण सम्भव है।

❖ गांधीजी के कहे हुए शब्द, उनका लेखन व उनके कार्य सदा ध्वनित होते रहेगें और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

❖ गांधीजी ने सार्वजनिक जीवन के 7 पाप बताए हैं जैसे,

- सिद्धान्तों के बगैर राजनीति
- कार्य के बगैर धन
- अन्तः करण के बगैर आनन्द
- चरित्र के बगैर ज्ञान
- नैतिकता के बगैर व्यवसाय
- मानवता के बगैर विज्ञान
- बलिदान के बगैर आराधना

इनसे हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए तभी एक ईमानदार समाज की स्थापना सम्भव है।

❖ गांधीजी के अनुसार जिन्दगी के लिए जो महत्व सांस का है वही महत्व मानवता व सभ्यता के लिए सत्याग्रह का है।

❖ जब तक दुनिया में आपसी संघर्ष, शत्रुता, जातिय वैमनस्य, धार्मिक अशान्ति, आन्तरिक टकराव, सैनिक कब्जे, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण आदि का भय बना रहेगा, लोग महात्मा गांधी की तरफ रूख करते रहेगें व वे हमेशा प्रासंगिक बने रहेगें।

❖ सत्याग्रह का पालन करते हुए यदि व्यक्ति अपने चारों पुरूषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर काबू कर लेता है तो यह उसके आन्तरिक बल को मजबूत कर उसके उद्देश्यों को आसान बना देता है।

❖ इस शोध से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सत्याग्रह किसी देश काल समय की सीमा में कैद नहीं है, उसकी आवाज व आगाज हर सदी में उतनी ही शक्ति से सम्पन्न रहेगा जितना महात्मा गांधी के समय था। उतनी ही जनक्रांति लाने में सक्षम होगा जितनी 20वीं सदी में यह लाया।

❖ सत्याग्रह ने विश्व शांति को बढ़ावा दिया है। इससे इस सन्देश का गमन होता है कि शस्त्र हिंसा से अच्छा अहिंसा रूपी सत्य, प्रेम व करूणा के शस्त्र मानव ह्रदय को उद्वेलित करने व स्थायी समाधान निकालने के लिए उपयुक्त हैं।

❖ सत्याग्रह से भारतीय समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी, जो पहले हमारा तिरस्कार करते थे, वे अब हमें सम्मान की नजरों से देखते हैं।

❖ भारतीय समाज कायरता छोड़ बहादुर हो गया है, हर व्यक्ति अन्याय, शोषण, दमन के खिलाफ आवाज उठाने में खुद को सक्षम समझने लगा है। उसे अब अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों का पूरा ज्ञान है और समानता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की कल्पना वह कर सकता है।

❖ 20वीं व 21वीं सदी के आन्दोलनों में वीर स्त्री–पुरूषों की महत्वपूर्ण भूमिका ने यही साबित कर दिया है कि गुलामी की बेड़ियाँ चाहे कैसी भी हो उन्हें तोड़ना नामुमकिन नहीं होता, जरूरी होता है बस उस तरफ एक सोच विकसित करने की, अन्याय का प्रतिकार करने की, शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की।

❖ समाज ने ईश्वर पर विश्वास रखकर, धर्म का महत्व संसार पर प्रकट कर दिया। जहां सत्य व धर्म है, वहीं विजय है। ईश्वर पर विश्वास रखे बिना आत्मपीड़न सहन करना, संघर्ष करना कदापि सम्भव नहीं।

❖ सत्याग्रह कोई बड़ा शब्द नहीं परन्तु इसका अर्थ बहुत बड़ा है। सत्य पर आरूढ़ रहना ही सत्याग्रह है। धर्म में अन्य बहुत सी बातें भले ही हों, परन्तु सत्य के बिना धर्म होता ही नहीं। यदि हम उस सत्य को समझ लें तो उसका पालन सुगमता से किया जा सकता है।

❖ भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए भ्रष्टाचार के विरूद्ध दो बड़े आन्दोलनों ने राजनीतिक सत्ता बदल दी, लेकिन भ्रष्टाचार के राक्षस की ताकत बढ़ती रही। भविष्य के लिए यही कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के अंत का संघर्ष कितना कठिन हो सकता है।

❖ अन्ना हजारे जो 21 वीं सदी के गांधीवादी प्रतिनिधि हैं ने भ्रष्टाचार को लेकर आन्दोलन का जो बिगुल फूंका उससे अन्ना की प्रासंगिकता साफ जाहिर है। उनकी प्रासंगिकता उनके बाहरी व्यक्तित्व या फिर उन्हें राजनीति से जोड़कर देखने में नहीं बल्कि उनके द्वारा खड़े किये गए उस आंदोलन की वजह से है, जिसने जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से (मध्यम वर्ग) को नींद से जगाने का काम किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर इस वर्ग को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जिस तरह से सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया, उसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है।

❖ हमें अन्ना आन्दोलन से यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोकपाल विधेयक का अतीत चाहे कैसा भी रहा हो अर्थात् हमें लोकपाल विधेयकों के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वो अब भी नहीं हो सकता। लोकपाल का गठन अब निश्चित लग रहा है। हाँ इसका स्वरूप

क्या होगा, शक्तियां क्या होगी, और यह काम कैसे करेगा आदि प्रश्न अभी अनिश्चित है।

- ❖ लोकशाही में व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में सूचना का अधिकार, लोकपाल विधेयक के बाद अन्ना का अगला कदम शिक्षा व कृषि क्षेत्र है और विकेन्द्रीकरण कर ग्राम स्वराज्य स्थापित करना है। जनता का उत्साह व विश्वास, युवा शक्ति का आगाज, अन्ना हजारे को लोकपाल का द्वारपाल बनने को प्रेरित करती है जो भ्रष्टाचार को और अधिक समय तक देश में टिकने नहीं देगा।
- ❖ वैश्वीकरण के दौर में जिस प्रकार सभी बाजार के प्रभाव में हैं, जिसमें सारे सामाजिक सरोकार खत्म हो गए हैं, जहाँ देश के नेताओं के मन से जनता का डर व आमजन के प्रति आदर भाव खत्म होने लगा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, लेकिन अन्ना हजारे के आन्दोलन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि अगर कोई विश्वसनीय व्यक्ति जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर खड़ा होता है तो देश की जनता का न केवल उसे समर्थन मिलता है बल्कि देश के हर तबके का आदमी उसकी एक आवाज पर घर से निकल कर उसके कदम से कदम मिलाकर सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाता है। अन्ना के सत्याग्रही अनशन ने एक बार फिर से देश के नेताओं में जनता के लिए आदर व जनता का डर कायम कर दिया है।
- ❖ आज जरूरत इस बात की है कि जनलोकपाल विधेयक के मसौदे को लेकर सरकार सकारात्मक रवैया अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति फिर चाहे वह देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो तिहाड़ जेल में नजर आए।
- ❖ निष्कर्षतः हमारे शोध प्रबन्ध के दोनों महानायक स्वराज्य व स्वशासन के पक्षधर हैं। गांधीजी ने स्वराज मांगा था, उन्हें उनका उस समय का स्वराज मिल गया, स्वशासन भी आ गया परन्तु गांधी की राह पर चलकर आज अन्ना का स्वराज आना बाकी है, असली स्वशासन (जनता का शासन) स्थापित होना बाकी है। अतः अन्ना द्वारा गांधीजी के सपनों के भारत के निर्माण की पहल कर दी गई है, जिसे अब उनसे उनकी मृत्यु ही दूर कर पाएगी। फिर भी जिस प्रकार गांधीजी ने 20 वीं सदी में लोगों में सत्य व अहिंसा द्वारा स्वराज की लौ जलाई थी और वे आज मर कर भी हमारे साथ हैं, उसी प्रकार अन्ना भी यहीं कहते हैं कि "मैं रहूँ या ना रहूँ ये मशाल जलती रहे।" ऐसी भावना से सत्याग्रह की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी और जब जब देश में अन्याय व अत्याचार बढ़ेगा गांधीजी का पुनर्जन्म होता रहेगा। ऐसे महानायकों को हमारा सादर नमन है।

अन्तिम पंक्तियों में वस्तुतः भारत की जो भी समस्याऐं हैं, उन पर एक बहुत बड़ा ग्रन्थ लिखा जा सकता है। परन्तु हमारे द्वारा किया गया यह एक छोटा सा प्रयास है। इसमें विचारोत्तेजक स्वरूप के कुछ निष्कर्ष व आधार वाक्य हैं जो सामान्य व विशिष्ट लोगों के लिए चिन्तन मनन, वाद विवाद का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वे अन्तिम तथा आकाट्य सारांश तो नहीं हैं परन्तु उन्हें आसानी से उपेक्षित भी नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सम्बन्ध जीवित व्यक्ति और उनकी जीवित समस्याओं से है अतः यह शोध प्रबन्ध पूर्वाग्रहों एवं पूर्वमान्यताओं से ग्रसित हुए बिना निष्पक्ष तथा बौद्धिक, लौकिक और मानवतावादी दृष्टि से अध्ययन मनन करने पर उसमें विश्लेषित सत्याग्रह सिद्धान्त का सही आरेख प्रस्तुत करता है। अतः यह शोध निश्चय ही सार्थक, समसामयिक व प्रासंगिक होगा और महात्मा गांधी को हमारी और से भी यह एक और श्रद्धांजलि अर्पित होगी कि वे एक शांतिदूत, प्रगति व खुशहाली के प्रेरक के रूप में हमारे ह्रदय में सदा जीवित रहेगें। साथ ही यह शोध उन सबको समर्पित है जो अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त देखने की कामना करते हैं तथा इसके लिए अन्ना हजारे को अपना हर प्रकार का समर्थन देने को तत्पर बैठे हैं।

अन्त में इस शोध प्रबन्ध के पाठकों से कुछ शब्द कविता के बाँटना चाहती हूँ जो हमेशा हमें प्रेरित करते रहेगें –

सत्याग्रही विचारों में गांधी ने किया सवेरा।
रवि ने निज प्रकाश वसुधा पर शीघ्र बिखेरा।।
गांधी का ह्रदय प्रकाशित हुआ तुरंत ही।
उसी रोशनी को हाथ में लिए आया अन्ना भी।।
आत्मग्लानि भी मिटी निशा की झटपट ही।
देखो! भ्रष्टाचार ने छेड़ा है यहाँ विनाश।।
इसे मिटाने को पीड़ायें सहन करूँगा।
बाधाओं का भार शीश पर वहन करूँगा।।
करना यदि पड़ जाये मुझे मृत्यु–आलिंगन।
नहीं हटेगा पीछे मेरा कभी यह चरण।।

इति।।

संक्षेपिका

(Summary)

“संक्षेपिका”

“सत्याग्रहः महात्मा गांधी और अन्ना हजारे, एक तुलनात्मक अध्ययन”

"Satyagrah: Mahatma Gandhi and Anna hazare A Comparative study."

पीएच.डी. हेतु प्रस्तुत शोध विशेष रूप से महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित “सत्याग्रह” अवधारणा पर आधारित है, जिसकी वर्तमान में अन्ना हजारे द्वारा किये गये “सत्याग्रह आन्दोलनों” से तुलना की गई है और सत्याग्रह के विशेष सन्दर्भ में शोधपरक निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

गांधीजी की अनमोल वाणी – "सत्याग्रह" ही प्रेम का अकाट्य नियम है, जिससे सभी लोग स्वशासित होकर दुःसाध्य लक्ष्य को सहजता के साथ प्राप्त कर लेते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता में एक अद्भुत विशेषता यह थी कि वे परिस्थिति, व्यवस्था और परिणाम का सटिक आंकलन कर लेते थे। वे जानते थे कि भारतवर्ष लम्बे समय से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और अंग्रेज शासकों ने यहाँ के ज्ञान एवं चिंतन परम्परा का निर्दयतापूर्वक अपहरण कर लिया है। हालांकि सन् 1947 के पहले भारतवर्ष के सभी नर नारियों में स्वतंत्रता की उदात्त लहरें हिलोरें मार रही थी। लेकिन सिर्फ उत्साह से ही लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं थी अतः अहिंसा का पर्याय सत्याग्रह को उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति का सशक्त माध्यम बनाया। सामाजिक सुधार व राजनीतिक स्वाधीनता को गांधीजी द्वारा समान महत्व दिये जाने का कारण यह था कि वे समाज के सभी व्यक्तियों को केवल राजनीतिक रूप से ही स्वतंत्र कराने से संतुष्ट नहीं थे अपितु कुरीतियों, अंधविश्वासों, परम्पराओं तथा धर्मशास्त्रों की अनुपालना के नाम पर भारतीय समाज में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के प्रति किये जाने वाले दुर्व्यवहार, अमानवीय भेदभाव तथा शोषण को समाप्त कर समाज को समानता व न्याय के आधार पर पुनर्गठित करना चाहते थे।

उनके समाज सुधार की योजना में रचनात्मक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके द्वारा वे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को समाप्त कर स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक रूप से देश को सक्षम बनाना चाहते थे। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि अत्याचार विदेशी लोगों द्वारा किया जा रहा है या स्वयं इसी देश के लोगों द्वारा, उनका लक्ष्य तो अत्याचार को समाप्त करना था। इसलिए उन्होंने न तो बल के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति का समर्थन किया और ना ही नई सामाजिक व्यवस्था को जनता पर थोपना चाहा। दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने जनमत जाग्रत कर जनता के हृदय परिवर्तन द्वारा जन–आंदोलन के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना चाहा और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह व उपवास की शक्ति का प्रयोग किया। वे केवल अंग्रेजी शासन से

मुक्ति को ही स्वराज नहीं समझते थे अपितु उनका मानना था कि सम्पूर्ण ग्रामीण जन में यह चेतना आए कि वह स्वयं अपना भाग्यदाता तथा अपने द्वारा चयनित प्रतिनिधि के रूप में स्वयं विधायक है, यही वास्तविक स्वराज होगा। वे चाहते थे कि आजादी के बाद गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन की आवश्यकताओं का उपभोग कर सके, उन्हें जीवन की वे सब सामान्य सुविधाऐं प्राप्त हों, जो उनके लिए आवश्यक है।

गांधीजी के सामाजिक व राजनीतिक विचार बहुआयामी है। यदि इसका बीज तत्व भारत के सांस्कृतिक स्त्रोतों से उपजा तो इसका वास्तविक विकास दक्षिण अफ्रीका और भारत में उनके अनुभवों से गढ़ा गया। उनकी विचारधारा इस अर्थ में अतीत से क्रांतिकारी रूप से भिन्न थी कि उसमें न तो उदारवादियों की संवैधानिक स्वामीभक्ति थी और ना क्रांतिकारी आतंकवादियों का उग्रवाद था। भारतीय राष्ट्रवाद के अपने विचार में उन्होंने पिछले समय में उपेक्षित राष्ट्रवादी राजनीति के नए उभरते क्षेत्रों को शामिल किया। गांधीजी जन राजनीति का युग लाए। अतः भारत के स्वतंत्रता सघंर्ष में गांधीजी की भूमिका का विश्लेषण स्पष्ट रूप से भारत के बहुसंस्कृतीय समाज के विविध हिस्सों की भागीदारी से आन्दोलन की बदलती प्रकृति की और संकेत करती है। यह इसी कारण सम्भव हुआ क्योंकि गांधीजी सम्भवतः अकेले प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता थे "जिन्होंने एक पद्धति ईजाद करके वर्ग सघंर्ष से ऊपर उठने का प्रयास किया, जो पहली बार अखिल भारतीय विशेषताओं से युक्त राष्ट्रीय एकीकरण लाए। उनके सामाजिक व राजनीतिक विचार भारत की विशिष्ट सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों से उनके जुड़ाव का प्रतिफल थे।" गांधीजी ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरूद्ध आन्दोलन किया बल्कि हमारे देश की प्राचीन रीति रिवाजों, मानकों व मूल्यों के विरूद्ध भी संघर्ष किया। इसलिए उनके विचारों में सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक सभी का मिश्रण मिलता है और इन्हें समझने के लिए उनके दो मूल विचारों को समझना आवश्यक है– सत्य व अहिंसा और इनकी प्रेमपूर्ण प्राप्ति के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह।

गांधीजी के लिए अहिंसा से तात्पर्य "निष्क्रिय व सक्रिय प्रेम" दोनों से था जिसमें प्राणी मात्र के नुकसान या विध्वंस से दूर रहना साथ ही उनके सकारात्मक कल्याण को आगे बढ़ाना शामिल था। इसका एक अर्थ किसी प्राणी को नुकसान न पहुँचाने से है और दूसरा अर्थ प्रेम व दान से है। अहिंसा गांधी के संघर्ष समाधान प्रतिमान की पूरक थी जो निश्चित रूप से सर्वाधिक विषम परिस्थितियों में भी सामाजिक परिवर्तन व राजनीतिक गतिविधि के लिए मौलिक तथा रचनात्मक पद्धति थी। यह राजनीति का वह सिद्धान्त थी जो राष्ट्रीय राजनीतिक आन्दोलन में प्रमुख विचारधारा बन गई जिसमें गांधी सर्वोत्कृष्ट रहे अतः इस विचार ने संगठित राजनीतिक आन्दोलन की प्रत्येक व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए नैतिक आधार प्रदान किया। सत्याग्रह 'शारीरिक बल' नहीं बल्कि आत्मबल है, जो प्रयोगकर्ताओं के स्वाभाविक रूप से

आत्मबलिदान पर आधारित है, और गांधी के अनुसार यही अभियान की विशिष्टता थी। गांधी ने सत्याग्रह को आंतरिक हिंसा से जोड़ा। इसने "दया व समावेशन" के स्थान पर पूर्वाग्रह व अलगाववाद की शक्तियों को मुक्त किया।

सत्याग्रह तथा इसके प्रयोगकर्ता को संचालित करने वाले सिद्धान्त एक विशिष्ट पद्धति के अन्तर्गत उनके द्वारा जन आन्दोलन को आयोजित करने के प्रयास को स्पष्ट करते हैं जो हर सत्याग्रह के कर्तव्य व दायित्व को निर्दिष्ट करते हैं। अतः उन्होंने न केवल स्वतंत्रता के लिए सघर्ष की प्रकृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया बल्कि राजनीतिक सक्रियता के लिए सुनिर्मित पद्धति भी प्रस्तुत की। सकुंचित अर्थ में, सत्याग्रह नैतिक विवेक पर आधारित राजनीतिक सघर्ष की पद्धति थी, व्यापक अर्थ में यह शासक व शासित साथ ही सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित व उपेक्षित वर्ग के मध्य असहमति तथा विवाद से निपटने का अत्यन्त मानवीय तथा रचनात्मक तरीका था। गांधीजी की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण विवेकशील संवाद तथा प्रोत्साहन था, साथ ही वे भिन्न सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में स्थित लोगों के मध्य प्रचलित नैतिक सम्बन्धों को क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित करने की सीमा जानते थे।

यह सत्य है कि 20 वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की भेदभाव नीति के विरूद्ध सत्याग्रह का प्रारम्भ किया और यही माना जाता है कि "दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह" ही गांधीजी के सत्याग्रह की जन्मस्थली है। भारत की भूमि पर चम्पारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह ने इन्हें सर्वोच्च नेता की छवि प्रदान की। इन तीन आन्दोलनों ने गांधीजी को ऐसे उभरते नेता के रूप में प्रस्तुत किया जिसकी अपनी एक अलग पद्धति थी। इन तीन स्थानीय आन्दोलनों के अतिरिक्त गांधी जी ने तीन अखिल भारतीय आन्दोलनों का संचालन भी किया। जिनमें असहयोग आन्दोलन 1919, सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1930, भारत छोड़ो आन्दोलन 1942, प्रमुख रहे। इन सभी जनआन्दोलनों में दो लक्षण हर बार उभरे। पहला– गांधी निर्विवाद नेता रहे, जिन्होंने जनता को अपनी करिश्माई व जादुई शक्ति से प्रभावित किया और ये शक्ति थी उनकी सत्य, अहिंसा व प्रेम बल के आधार पर आत्मपीड़न सहन करने की। दूसरा– अखिल भारतीय गुणों के बावजूद ये आन्दोलन ग्रामीण निहित स्वार्थों तथा सरकार द्वारा उनके समर्थन की स्थानीय शिकायतों को आधार बनाकर प्रतिभागियों द्वारा स्वतंत्र रूप से आयोजित किए गए। इस प्रकार गांधी जन राजनीति का युग लाए। गांधीजी के द्वारा संचालित सत्याग्रह ने अन्याय, दमन और शोषण के प्रति सकारात्मक जनमत प्रकट करने तथा जनता को शिक्षित करने का कार्य किया।

उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से विश्व को एक नया संदेश दिया कि "अन्याय व अत्याचार, शोषण व दमन को चुपचाप सहन करना, ईश्वर व मानवता के प्रति अपराध है। अतः

जहाँ भी अन्याय है, अधर्म है, हिंसा है, शोषण है, दमन है, उसका विरोध सत्य व अहिंसा के आधार पर सत्य का आग्रह करते हुए अर्थात् सत्याग्रह द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह विश्व में घटित घटनाओं व समस्याओं को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।" स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र व जनता की इच्छा, सेवा व कल्याण को प्रमुखता देकर गांधीजी के सपनों के भारत की नींव तो रखी परन्तु उसमें मजबूती नहीं आ पाई क्योंकि सपने देखने व दिखाने वाला चिर शान्ति में विलीन हो गया अथवा गांधीजी देश को "हे राम" का आदर्श देकर सदा के लिए अलविदा हो गए। परन्तु उनके आदर्शों में इतनी ताकत तो थी की हर आम से आम नागरिक के मन में वे आज तक आदरपूर्वक विराजमान हैं। आज भी उनके सपनों को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु स्वार्थी मानवीय कमजोरियाँ जिनकी वजह से बाहरी शक्ति को भारत को गुलाम बनाने का मौका मिला उन्हीं की वजह से आजाद भारत अपने ही सम्पन्न लोगों के हाथों का खिलौना बन गया। स्वार्थी राजनीति ने इसे चारों और से आदर्श विहिन बनाना प्रारम्भ कर दिया। आम नागरिक का शोषण होता गया और वो कुछ ना कर सका। यह एक परम्परा सी ही बन गई कि ऐसा होता है, ऐसा होने दो।

वर्तमान युग भौतिकता की बेड़ियों में जकड़ सा गया है। राजनीतिक जीवन कलुषित, दूषित व पतित हो गया है, नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई है। भ्रष्टाचार, गरीबी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, अशिक्षा, आतंकवाद जैसी गम्भीर बिमारियों ने देश पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में महान् आत्मा गांधीजी का स्मरण स्वतः ही हो उठता है। उन्हीं के प्रकाश की लौ बनकर महान् समाज सुधारक अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। गांधीजी के आदर्शों पर चलने वाले, सत्याग्रही अन्ना हजारे शांति, सद्भाव, प्रेम व सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा द्वारा ही अपने कार्यों की परिणति करते हैं। इन्हें आधुनिक युग का गांधी, जननायक अन्ना हजारे आदि नामों से भी जाना जाने लगा है। वे गांधीजी को अपना प्रेरणा स्त्रोत मानते हैं और सदैव उनके अनुयायी कहलाना ही पसन्द करते हैं। जब देश लगातार इतने वर्षों से भ्रष्टाचार के मलबे में दबा हुआ था और इतने सरकारी प्रयासों से भी कुछ नहीं हो पा रहा था तब सेवानिवृत्ति के बाद अन्ना हजारे का हृदय भर आया। उन्होंने इसे जड़ से मिटाने का बीड़ा उठाया और अपने कदम गांधीजी के पदचिन्हों को रेखांकित कर ही आगे बढ़ने का प्रण किया। लोकपाल बिल विधेयक (भ्रष्टाचार विरोधी कानून 2011) को लाने के लिए एक भारी जन आन्दोलन 2011 में किया जिसमें जनता का इन्हें पूरा सहयोग मिला जिसमें इनके साथ कई बड़े अफसर भी शामिल थे।

किसी आम व्यक्ति द्वारा इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा करना उसकी आन्तरिक ताकत का नमूना है जो गांधीजी के बाद स्वतंत्र भारत में अन्ना हजारे में दिखाई दिया। उम्र के इस

पड़ाव पर पहुँचने के बाद भी वे अपनी बात मनवाने हेतु अभी तक सघंर्षरत हैं और आगे भी रहेगें ऐसी उनसे उम्मीद है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गांधीजी ने सत्याग्रह बाहरी शक्तियों (अंग्रेज) के खिलाफ किया परन्तु अन्ना उन्हीं लोगों से सघंर्षरत हैं जिन्हें आम जनता द्वारा चुना गया। हमारे इतने मजबूत संविधान के बाद भी हमें आज आन्दोलनों की जरूरत होती है। यहाँ आज भी अन्याय, शोषण व दमन किया जाता है, यहाँ का इन्सान आज भी चंद लालच के वशीभूत हो अपने अन्दर के इन्सान को खत्म कर देता है। यहाँ आज इस जनता को अपने साथ लाना जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का हिस्सा है, उसकी आत्मा की आवाज को जगाना एक बड़ा दुश्कर कार्य ही प्रतीत होता है परन्तु अन्ना हजारे ने उसे जाग्रत कर हर आम आदमी को इस और सोचने को विवश किया और एक भारी जनसमर्थन के साथ अपने आन्दोलन को अजांम दिया। हालांकि लोकपाल विधेयक अपने गतंव्य तक नहीं पहुँच पाया परन्तु अभी उसका मार्ग समाप्त नहीं हुआ है। अभी अन्ना हजारे की मुहिम अपने लक्ष्य की और रत है और हमारी उनसे यही आशा है कि वे इसे एक कारगर अन्जाम तक पहुँचाएगें।

इसी दिशा में 23 मार्च 2018 को किसान हक के लिए व अधूरे लोकपाल के लिए उन्होंने फिर से आन्दोलन का आव्हान किया है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भारतीय लोकतंत्र में एक नयी सुबह का श्री गणेश हो और हर व्यक्ति स्वच्छ, स्वस्थ, हवा ग्रहण करे जिसमें भ्रष्टाचार की बू ना हो। हालांकि हमारे शोध का मुख्य सरोकार सत्याग्रह पर आधारित गाँधीजी व अन्ना हजारे के तुलनात्मक विश्लेषण से है। जिसमें तीन आधारों पर इनकी तुलना की गई है – प्रथम "वातावरण व परिस्थिति की भिन्नता", द्वितीय "नेतृत्व की भिन्नता", तृतीय "सत्ता की भिन्नता"। अतः हमने दोनों की सार्वजनिक जीवन में पहचान व उनकी भूमिका आदि के आधार पर दोनों की तुलना करने का प्रयास किया है, साथ ही यह मूल्यांकन भी करने का प्रयास किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में सत्याग्रह की प्रासंगिकता व महत्व कितना है? क्या यह तकनीक आज उतनी ही कारगर व सार्थक साबित होगी जितनी गांधीजी ने कर दिखाई। इसी क्रम में हमने निष्कर्ष व भावी सम्भावनाओं का भी पता लगाने की चेष्टा की है। इसमें निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य किया गया है–

1. 20 वीं व 21 वीं शताब्दी के सत्याग्रही नेता महात्मा गांधी व अन्ना हजारे के व्यक्तित्व व क्रियाकलापों में कितनी समानताऐं व असमानताऐं हैं और इनका समाज को कितना व किस प्रकार का सार्थक योगदान है?

2. 20 वीं व 21 वीं सदी के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य को समझना और उनकी तुलना करना।

3. पराधीन व स्वाधीन भारत की राजनीतिक संस्कृति को समझना और उसकी तुलना करना।

4. कौनसे तत्व व कारक ऐसे हैं जो भारत के विकास में बाधा डालते हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है?

5. महात्मा गांधी के मौलिक विचारों की उपादेयता व प्रासंगिकता का आंकलन वर्तमान परिदृश्य में करना।

6. अन्ना हजारे द्वारा वर्तमान मे भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों की सार्थकता व प्रासंगिकता का पता लगाना और साथ ही यह जानना कि वे महात्मा गांधी से कितना साम्य रखते हैं?

इन्हीं उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे शोध प्रबन्ध को छः अध्यायों में विन्यासित किया है, जो इस प्रकार है –

प्रथम अध्याय

"विषय परिचय, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह अवधारणा, समय व दोनों विचारकों की तुलना"

प्रथम अध्याय प्रमुखतया परिचयात्मक होता है। जिसमें सत्याग्रह के परिचय के साथ, अर्थ, गुण, तत्व आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही महात्मा गांधी और अन्ना हजारे की तकनीक सत्याग्रह पर संक्षिप्त तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। संक्षिप्तः इस अध्याय के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि सत्याग्रह द्वारा हर व्यक्ति किस प्रकार अपनी समस्याओं का हल खोज पाने में समर्थ होगा? महात्मा गांधीजी का सत्याग्रह बाहरी शक्तियों व समकालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण रहा वहीं अन्ना हजारे की परिस्थितियाँ और समय दोनों अलग है क्योंकि उनका सत्याग्रही सघंर्ष आजाद भारत में अपने ही लोगों से है। यहाँ हर व्यक्ति के पास अधिकार व स्वतंत्रता तो है परन्तु निःस्वार्थ कर्त्तव्य की भावना कहीं लुप्त हो गई है और व्यक्ति भ्रष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ गया है। क्या अन्ना हजारे की सत्याग्रह मुहिम इस ओर कोई सार्थक निष्कर्ष प्रस्तुत कर पाएगी? यह जानना हमारे शोध का प्रमुख उद्देश्य रहा है।

इस क्रम में गांधीजी ने सत्याग्रही में आवश्यक मानसिक स्थिति को उत्पन्न करने के लिए आचरण के नियमों का प्रतिपादन किया है जो संक्षिप्तः इस प्रकार है –

- सत्याग्रही को नश्वर शरीर से पृथक अस्तित्व और शाश्वत् सत्ता रखने वाली आत्मा में आस्था रखनी चाहिए। उसे भौतिक बल के विरूद्ध आत्मिक शक्ति को सर्वोच्चता में अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास रखना चाहिए।

- सत्याग्रही को अपने विरोधी के अनिवार्य ईश्वरत्व में विश्वास होना चाहिए। गाँधीजी के शब्दों में "यदि विपक्षी सत्याग्रही को असंख्य बार धोखा भी दे दे तो भी सत्याग्रही अगली बार उस पर विश्वास रखने को तत्पर रहता है, "मानव प्रकृति में अटूट आस्था रखना सत्याग्रह धर्म का मुख्य तत्व है।"
- निष्क्रिय प्रतिरोध नकारात्मक व्यावहारिकता है जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता।
- सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को सेवा, प्रेम, धैर्य एवं आत्म–पीड़न के द्वारा जीतना है। सत्याग्रही अपने विरोधी से घृणा नहीं करता, वह बुराई से घृणा करता है। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग करने वाला विरोधी से घृणा करता है तथा अपने विरोधी को कष्ट देकर उसे समर्पण के लिए विवश करता है।

इस प्रकार सत्याग्रह का सफल प्रयोग भौतिक शक्ति पर आत्मिक शक्ति की विजय है। यह प्रेम, त्याग एवं बलिदान का मार्ग है। इसमें सत्याग्रही सत्याग्रह की रीढ़ होता है। किसी भी सत्याग्रह की सफलता व असफलता सत्याग्रही पर ही आधारित होती है। इसमें कष्ट व यातना सहने की तैयारी रखनी पड़ती है। सत्याग्रह नैतिक समाज खड़ा करने का प्रभावी तंत्र होने के कारण सत्याग्रही को समाज को पसंद न आने वाली अन्यायी प्रवृत्ति या व्यवस्था के विरूद्ध अविश्रांत लड़ने का दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। इसी क्रम में गाँधीजी ने सत्याग्रह के दो प्रकारों का उल्लेख भी किया है –

- **व्यक्तिगत सत्याग्रह** – किसी अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है।
- **सामूहिक सत्याग्रह** – समूह के सहभाग से किया गया सत्याग्रह सामूहिक सत्याग्रह होता है।

दोनों ही सत्याग्रह नैतिक स्तर से करने होते हैं, सामाजिक हित के लिए किये जाते हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अन्ना हजारे 21वीं सदी के गाँधीवादी प्रतिनिधि हैं। चूंकि हमारे अध्याय का सरोकार अन्ना हजारे से भी है जिन्होंने गांधीजी के सत्याग्रह को अन्याय के विरूद्ध अपना हथियार बनाया है। वे एक समाजसेवी हैं, जो भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक मुहिम छेड़े हुए हैं और सत्याग्रह पर कदम दर कदम कष्टों को सहन कर गाँधीजी को अपना आदर्श स्वीकार कर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनके साथ पूरा देश है। उन्होंने भी व्यक्ति के आचरण के 5 नियम स्वीकार किये हैं –

- शुद्ध आचरण
- शुद्ध विचार

- त्याग
- निष्कलंक जीवन
- अपमान सहने की शक्ति

इस प्रकार 20वीं व 21वीं सदी में देश, काल व समय के अनुसार दोनों महानायकों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और इनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सत्याग्रह पद्धति की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी।

द्वितीय अध्याय
"सत्याग्रह की तकनीक, गाँधी की मूल अवधारणा"

प्रस्तुत अध्याय में महात्मा गाँधी की सत्याग्रह तकनीकों पर प्रकाश डाला गया है। सत्याग्रह कैसे किया जाए? इस प्रश्न के सन्दर्भ में समय–समय पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इन विचारों एवं चिंतनों से प्रस्तुत सत्याग्रह की विभिन्न पद्धतियों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उनके मतानुसार सत्याग्रह किसी एक विशेष पद्धति से ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति या समाज की क्षमता, मानसिकता एवं तत्कालीन परिस्थिति पर गौर करते हुए सत्याग्रह पद्धति का चयन किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा प्रायोजित सत्याग्रह की विभिन्न तकनीकों (हड़ताल व धरना, असहयोग व बहिष्कार, उपवास व आमरण अनशन, सविनय अवज्ञा, व हिजरत) जिनका प्रयोग गांधीजी द्वारा विपरीत परिस्थितियों में समयानुसार किया गया है, जो पत्थर दिल पर प्रहार करने के लिए, बहुत साहस वाले व्यक्ति द्वारा ही अपनाएं जा सकते हैं, जिसका परिचय गांधीजी ने दिया। उनके अनुसार "सत्याग्रह की विजय कोमल हृदय अत्याचारी अन्यायी व्यक्ति पर उसे प्रयोग करने से उतनी नहीं होगी जितनी की एक पत्थर हृदय इन्सान का हृदय वह पिघला सके।" उनके अनुसार परिस्थिति के अनुरूप निम्नांकित पद्धतियों का प्रयोग कर सत्याग्रह किया जा सकता है –

- **हड़ताल व धरना –** हड़ताल व धरना पद्धति का उपयोग एक पुराना तंत्र है, जिसे सभी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। महात्मा गाँधी द्वारा इसका प्रयोग कामगारों पर होने वाले अन्यायों के निवारण के लिए किया गया था। इसके लिए उनका सुप्रसिद्ध कथन है "Know that strikes are inherent right of the working men for the purpose of securing justice." इस प्रकार हड़ताल पूरी तैयारी व योजनाबद्ध तरीके से की जानी चाहिए, समाज का समर्थन हासिल होना चाहिए। इसी प्रकार धरना प्रतिकार का नैतिक मार्ग है, जिसका प्रयोग कानूनी मार्ग से किया जाना चाहिए। अन्याय या शोषण करने वाले व्यक्ति एवं संस्था के सामने बैठे रहना ही धरना है। इसके दौरान असभ्य आचरण, असभ्य वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अतः इन दोनों तंत्रों के

कारण कई बार प्रश्न शीघ्र हल हो जाते हैं, अन्याय दूर हो जाता है, परन्तु इसका प्रयोग अहिंसक व कानूनी मार्ग से ही किया जाना चाहिए।

❖ **असहयोग व बहिष्कार** – असहयोग जिसका शब्दगत अर्थ ही किसी कार्य में एक व्यक्ति या संगठन, दूसरे व्यक्ति के या संगठन के लिए सहयोग या सहभाग माँगता हो तो दूसरे के द्वारा वह सहयोग ना करना ही असहयोग है। गाँधीजी के मत में लोगों को अन्यायी, अत्याचारी व भ्रष्ट सरकार को दिया जाने वाला समर्थन व सहयोग के लिए इन्कार कर देना ही असहयोग है। लोगों के सहयोग के बिना कोई भी सरकार कार्य नहीं कर पाती या एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। लोगों को अन्यायपूर्ण कानून स्वीकार्य है या नहीं, यह तय करने पर सरकार अनीतिगत कानून निर्माण नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता उन्हें सहयोग नहीं करेगी। परन्तु कई बार जनता डर या अज्ञान के कारण चुपचाप सरकार के निर्णय को सहन करती रहती है, जो शोषण को निरन्तर जन्म देता रहता है। इसलिए शोषण के खिलाफ लोगों को आवाज उठानी चाहिए, शोषितों द्वारा शोषक को सहयोग देना बंद करने पर उनका शोषण कम हो सकता है। इसलिए उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार को सहयोग न देने को कहा, जिससे सरकार उनकी माँगें मानने को मजबूर हो गई। इसी प्रकार बहिष्कार असहयोग का सर्वोत्तम मार्ग है। जो लोग जनता की भावनाओं की तथा विचारों की परवाह नहीं करते, जनता को सहकार्य में शामिल नहीं करते या स्वार्थ के लिए लोगों के हित के लिए चलाए जाने वाले आन्दोलनों तथा लोकोपयोगी कार्यों का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए।

यह सरकार को एक सजा थी। विदेशी वस्तुओं, विदेशी स्कूल, महाविद्यालय, विभिन्न संस्थाओं, समारोहों, उपाधियों, बैंक, उद्योग, बीमा कम्पनी, सरकारी सेवाओं, वस्तुओं का बहिष्कार करना, इसमें शामिल था। साथ ही गाँधीजी ने इसमें कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों को भी शामिल किया जो स्वयं के साथ–साथ देश के विकास में भी योगदान प्रदान करते हैं, जैसे – पंचायत की स्थापना, कांग्रेस कमेटियों की स्थापना, राष्ट्रीय स्कूलों, कॉलेजों की स्थापना, चरखा, स्वदेशी मेलों का आयोजन, हिन्दू–मुस्लिम एकता, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, स्वच्छता आदि। भारतीय स्वतंत्रता में असहयोग व बहिष्कार ने गाँधीजी के सत्याग्रह की एक सफल तकनीक की भूमिका निभाई। इस सन्दर्भ में गाँधीजी का मानना था कि "असहयोग वास्तव में व्यथित प्रेम का आविष्कार है। असहयोग व बहिष्कार सरकार को परेशान नहीं करना चाहता बल्कि पथभ्रष्ट व अन्यायी सरकार की गलतियों को उनकी नजर में लाना और उन्हें अच्छा मार्ग दिखाना इसका लक्ष्य होता है।"

❖ **उपवास व आमरण अनशन** – सत्याग्रह का सबसे नाजुक रूप उपवास है। सत्याग्रह के अन्य स्वरूपों की तुलना में उपवास गाँधी का खुद का अपना तरीका है। उपवास मुख्य रूप से व्यक्तिगत शुद्धि व आत्मलोचन का माध्यम है। उपवास करने की शारीरिक क्षमता से ही उसकी पात्रता निर्धारित नहीं की जा सकती। उपवास की प्रेरणा व्यक्ति की आत्मा की गहराई से आनी चाहिए। सत्याग्रही उपवास विशुद्ध सत्य तथा अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। आमरण उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार का अंतिम एवं सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। एक सत्याग्रही को अनशन का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब सारे उपाय निष्प्रभावी व निष्फल हो जाए। यह महत्वपूर्ण है कि गाँधीजी ने 17 बार उपवास व अनशन किया।

❖ **सविनय अवज्ञा** – असहयोग के सभी अंगों व उपांगों की अन्तिम परिणती सविनय अवज्ञा में होती है। वास्तव में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का एक सक्रिय, प्रभावी, सक्षम व उग्र रूप है। इसका उद्देश्य अनैतिक नियमों को तोड़ना है, परन्तु अहिंसक तरीके से। सविनय अवज्ञा केवल गलत कानूनों के उल्लंघन पर बल देता है। सविनय अवज्ञा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं –

- आक्रामक
- सुरक्षात्मक

गाँधीजी सविनय अवज्ञा को मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का मानते थे। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी व सफलतापरक मानते थे। सविनय अवज्ञा कार्यक्रम में क्या किया जाए, इस विषय में गाँधीजी ने निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

- गाँव–गाँव में नमक कानून की अवहेलना करके जनता द्वारा नमक बनाया जाए।
- विद्यार्थी अपने विद्यालयों को व सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों को छोड़े।
- विदेशी वस्त्रों को बन्द कर उन्हें सार्वजनिक रूप से जला दिया जाए।
- महिलाएँ शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना करें।
- जनता सरकारी कर न दे।

इस प्रकार सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसका प्रयोग कर भारतीय स्वतंत्रता को गाँधीजी ने सम्भव बनाया।

❖ **हिजरत** – "स्वैच्छिक देश निकाला।" सत्याग्रह के अन्तर्गत इसका अर्थ है "दमन के स्थान को दमन के विरोध स्वरूप छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना।" अर्थात् अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। हिजरत या देश त्याग बुराईयों

से मुकाबला करने का एक प्राचीन तरीका है। अपनी समझी जाने वाली भूमि से उस परिस्थिति से स्वैच्छिक उपवास ले लेना, जबकि अत्याचार, अनाचार व शोषण की पराकाष्ठा हो जाए और कोई रास्ता ना बचे तो हिजरत ही एकमात्र रास्ता बचता है, जिसका पालन सत्य का पालन करते हुए और अहिंसात्मक रूप से ही होना चाहिए।

इस प्रकार गाँधीजी द्वारा विपरीत परिस्थितियों में समयानुसार इन तकनीकों का प्रयोग किया गया। प्रमुखतया यह उपाय पत्थर दिल पर प्रहार करने के लिए बहुत साहस वाले व्यक्ति द्वारा ही अपनाए जा सकते हैं और इनमें इतना साहस है कि एक पत्थर हृदयी व्यक्ति को भी पिघला सकते हैं।

तृतीय अध्याय
"सत्याग्रह पर आधारित महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आन्दोलन"

प्रस्तुत तृतीय अध्याय में गाँधीजी द्वारा किये गए विभिन्न आन्दोलनों (राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय) को रेखांकित किया गया है। इन आन्दोलनों को करने के लिए कौनसी परिस्थितियाँ उत्तरदायी रही? एवं सत्य व अहिंसा द्वारा गाँधीजी ने अपने लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया? आदि की विवरणात्मक जानकारी प्रदान की गई है। महात्मा गाँधी ने अपने जीवनकाल के सार्वजनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सत्याग्रह किए। इसके द्वारा उन्होंने सत्याग्रह कैसे किया जाएँ? इसका आदर्श विश्व के सामने रखा, जिनका परिचय विस्तार से तृतीय अध्याय में दिया गया है।

इनसे हमें यही सबक मिलता है कि अगर सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति दृढ़निश्चयी, स्वाभिमानी, आत्मबल से परिपूर्ण, आत्मपीड़न को सहज सहन करने वाला हो, सबका सुख अपना सुख समझने व उनकी पीड़ा हरने का साहस रखने वाला हो तो उसकी विजय निश्चित है। इन आन्दोलनों से गाँधीजी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि अन्याय व अत्याचार का स्थायी तथा न्याय–संगत विरोध केवल शांतिपूर्ण सत्याग्रह के रास्ते से ही सम्भव है। असत्य, हिंसा, अन्याय, विद्वेष का उत्तर वह सत्य, अहिंसा, न्याय व प्रेम से देता है। सदा सत्य रूपी परमात्मा जो आत्मा के रूप में हम सब में वास करता है, से यही प्रार्थना करता है कि वह उसे तथा उसके विरोधी, दोनों को सम्मति प्रदान करे, जिससे सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम का वातावरण बने, यही वह गाँधीवादी रास्ता है जो स्थायी समाधान की ओर सबको अग्रसर कर सकता है।

चतुर्थ अध्याय
"21वीं शताब्दी में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन : कारण, जनसमर्थन, सीमाएँ"

प्रस्तुत अध्याय मुख्यतः अन्ना हजारे पर आधारित है। 21वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक, जिन्होंने स्वामी विवेकानन्द व महात्मा गाँधी के जीवन को अपने मन में आत्मसात कर लिया है। प्रस्तुत अध्याय में हमने अन्ना हजारे के विषय में जानने का प्रयास किया है, उनके द्वारा किये गए विभिन्न आन्दोलनों का संचालन क्यों व किन परिस्थितियों में किया गया? का पता लगाने का प्रयास किया है। अन्ना हजारे के जीवन परिचय के साथ ही सूचना का अधिकार व सशक्त लोकपाल बिल कानून बनाने की मुहिम का उद्देश्य क्या था? जानने का प्रयास किया है। अन्ना को आन्दोलन में मिले भारी जनसमर्थन से यही निष्कर्ष निकलता है कि जनता भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होने को तत्पर थी। प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार व इसके दुष्परिणामों के साथ अन्ना के इस दिशा में किए गए प्रयासों को उजागर किया गया है साथ ही यह भी जानने का साहस किया है कि क्या अन्ना हजारे गांधीजी के अनुनायी या प्रतिनिधि की भूमिका को पूरा कर पाए हैं? या अभी वे इस दिशा में कार्यरत हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब यही है कि आज भ्रष्टाचार में बेहताशा वृद्धि और सरकारी तंत्र की अक्षमता के कारण भारतीय जनता का लोकतांत्रिक पद्धति से भरोसा तेजी से खत्म होता जा रहा है। ऐसे में हमारी विफलताओं का विश्लेषण करने और इसका सही उपचार तलाशने में गांधीजी सबसे ज्यादा प्रासंगिक व उल्लेखनीय हो जाते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में आजादी के बाद कई प्रयास किये गए हैं जिसमें अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल आन्दोलन (5–9 अप्रेल 2011, 16–28 अगस्त 2011) बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस आन्दोलन ने इस शत्रु के खिलाफ जनमत को संगठित कर दिया और आम लोगों को एक नैतिक मंच मुहैया कराया है। अन्ना हजारे ने अभी तक 19 बार अनशन किया है (6 बार केन्द्र सरकार के विरोध में और 13 बार महाराष्ट्र सरकार के विरोध में)। उनका 19वां अनशन 23–29 मार्च 2018 में किसानों को न्याय, लोकपाल लोकायुक्त कानून पर अमल और चुनाव सुधार के लिए था। यदि हम लोकतंत्र व स्वतंत्रता के बारे में शहीदों के बलिदान को याद करें तो शायद यह शर्मनाक क्षण होगा, क्योंकि जिस आजादी के लिए उन्होंने हँसते–हँसते अपने प्राण दे दिये, उसी आजादी को हमने आज भ्रष्टाचार के पैरों तले रौंद दिया है, जिसके लिए पूरे भारत की जनता को एक साथ प्रयास करना होगा और अन्ना हजारे की जनलोकपाल मुहिम में उनका साथ देना होगा और वास्तविक स्वतंत्रता की खुशी महसूस करनी होगी।

पंचम अध्याय

"महात्मा गांधी व अन्ना हजारे के आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन"

यह अध्याय मुख्यतः गांधीजी व अन्ना हजारे के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। जिसमें तीन आधारों पर दोनों की तुलना का प्रयास किया गया है–

- गांधीजी व अन्ना हजारे के वातावरण एवं परिस्थितियों की भिन्नता।
- राजनैतिक सत्ता की भिन्नता।
- नेतृत्व की भिन्नता।

इन तीनों आधारों पर देखा जाए तो अन्ना हजारे व महात्मा गांधी की वातावरण और परिस्थितियाँ बिल्कुल ही भिन्न हैं क्योंकि एक सत्याग्रह तो परतंत्र भारत में किया गया और एक आजाद भारत मे ंकिया जा रहा है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ था जो बाहर के लोग थे, जिनसे लोहा लेने के लिए समस्त जनता गांधीजी के साथ थी और अन्ना हजारे का सत्याग्रह आजाद भारत में भाई द्वारा भाई पर हो रहे अत्याचारों, अन्याय, शोषण, दमन के खिलाफ है, जहाँ सरकार भी अपनी, शोषक व शोषित भी अपने ही देश के। क्या भ्रष्टाचार की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े लाचार, असहाय हिन्दुस्तानियों के हृदय में वो ज्वाला है कि वो इन बेड़ियों को गला पाएंगे या स्वतंत्रता की स्वच्छन्दता में जनता के हृदय में इतनी आग है कि वो भ्रष्टाचार जैसी गंदगी जिसने देश को अंदर से खोखला कर दिया है, देश से साफ करने में अन्ना हजारे का समर्थन कर पाएगें?

महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग व समर्पण ने उन्हें एक विशाल हृदयी व्यक्तित्व से सम्पन्न कर दिया था और उनका प्रभाव लोगों पर इस प्रकार था मानो अंधेरे में कोई आशा का दिया हमेशा जगमगा रहा हो। लोग आँख बंद कर उनके पीछे हो लेते थे। उनके सत्याग्रह के नियमों को हर अनुयायी द्वारा सहृदय आदर से स्वीकार किया गया। वहाँ शंका की गुजांइश ही नहीं थी। अन्ना हजारे की 21 वीं शताब्दी अर्थात् आजादी के बाद के भारत में जनता को अधिकार प्राप्त हो गए, समानता व स्वतंत्रता की न्यायपूर्ण व्याख्या भी संविधान द्वारा की गई परन्तु कर्त्तव्यों को सही तरह रेखांकित नहीं किया गया। आजादी के प्यासे लोगों को जब आजादी मिली और उन्होंने लोकतंत्र का चुनाव किया तो भारत में जनता का शासन स्थापित हो गया परन्तु जनता को सत्ता के द्वारा बेवकूफ बनाने का कार्य भी जारी रहा। गोरे अंग्रेज तो चले गए, परन्तु विरासत में कुछ काले अंग्रेज छोड़ गए, जिन्होंने भारतीय रीतिरिवाज, परम्पराओं को नजर अन्दाज कर भ्रष्टाचार जैसी बुराईयों को भारत में पनपने दिया और लगातार इनमें घी डालती गई जिससे आज भारत इस भ्रष्टाचार की अग्नि में जल रहा है।

इसी में से निकले अन्ना हजारे ने कुछ विशेष पहले कभी नहीं किया था, तो इतना जनमत भी इनके साथ नहीं था, इनकी ख्याति भी महात्मा गांधी के बराबर नहीं परन्तु जब इन्होंने 2011, में जनता को भ्रष्टाचार के विरूद्ध आह्ववान किया तो जैसे चमत्कार हो गया। इतना भारी जनसमर्थन इन्हें मिला जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। शायद त्रस्त जनता की एक बुलन्द आवाज बन कर अन्ना हजारे जनता के सामने आए और समस्त जनता को महात्मा गांधी की आत्मा के आसपास होने का आभास हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्ना व गांधीजी की 20 वीं व 21 वीं सदी के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में हमने आज के शासन को समझाने का प्रयास किया है। दोनों के वातावरण, परिस्थितियाँ, सत्ता व नेतृत्व में पर्याप्त भिन्नताऐं हैं परन्तु फिर भी अन्ना हजारे एक गांधीवादी प्रतिनिधि हैं और उनके द्वारा किये गए कार्य भी अविस्मरणीय ही रहेगें जिस प्रकार गांधीजी के कार्य अमर हो गए। ऐसे योद्धाओं को हमारा शत्–शत् बार नमन है।

षष्ठम् अध्याय
"निष्कर्ष व भावी सम्भावनाऐं"

यह शोध प्रबन्ध का अन्तिम अध्याय है, इसमें शोध का समग्र मूल्यांकन है, निष्कर्ष या निचौड़ है। उपसंहार है, जिसमें विभिन्न अध्यायों में किये गए विचार विमर्श एवं उससे प्राप्त होने वाले प्रमुख बिन्दुओं एवं सुझावों के साथ अध्ययन समाप्त किया गया है। इसमें हमने गांधीजी के सत्याग्रह पर उत्पन्न विभिन्न प्रश्न–उत्तर, प्रासंगिकता व उपलब्धता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि दृष्टि से सत्याग्रह सम्बन्धी जो भी तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर यही निष्कर्ष निकाला है कि जब तक दुनिया में आपसी संघर्ष, शत्रुता, जातिय वैमनस्य, धार्मिक अशान्ति, आन्तरिक टकराव, सैनिक कब्जे, भ्रष्टाचार अन्याय शोषण आदि का भय बना रहेगा लोग महात्मा गांधी के विचारों की तरफ रूख करते रहेगें व गांधीजी हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में यह आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि न सिर्फ प्रजातांत्रिक व्यवस्थाऐं लायी जाए, बल्कि सहीं मायनों मे ंव्यवस्थाओं का प्रजातांत्रिकरण हो सके। समाज से भ्रष्टाचार के दानव को खत्म करने के सभी सम्भव उपाय किये जाए, जिसमें सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। गांधीजी के सपनों के भारत निर्माण में देश युवा वर्ग व भावी पीढ़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी परन्तु तब जब उन्हें इन संस्कारों का ज्ञान होगा। एक दिन यह घुटन फिर से लावा बन कर फूटेगी और भ्रष्टाचारी चोरों को दुनिया से उखाड़ फेकेगी।

➢ **अध्ययन का योगदान व महत्व –**

इसी क्रम में इस अध्ययन के योगदान पर भी विचार किया गया है। इससे पाठकों को

सत्याग्रह व गांधीजी के विचारों को ठीक से समझने में सहायता मिलेगी। भविष्य में सत्याग्रह की उपयोगिता व प्रासंगिकता विश्व स्तर के समस्या समाधान में होगी और इस सन्दर्भ में अन्ना हजारे की मुहीम को भी लोग ठीक तरह से समझ पाएगें और उनके इस सद्‌प्रयास में अपना सहर्ष योगदान दे पाएंगे। साथ ही इस अध्ययन के महत्व पर भी विचार किया गया है, क्योंकि निरन्तर यही कहा जाता रहा है कि आमजन गांधीजी को ठीक से समझ नहीं पाए हैं तो उनकी समझ बढ़ाने व गांधी के अनुसार उनको सक्षम बनाने में भी इस अध्ययन की बड़ी उपयोगिता है क्योंकि महात्मा गांधी स्वयं अपने आप में एक बड़ा ग्रन्थ हैं जिनकों जितना पढ़ा व समझा जाए उतना कम है। यहाँ तक कि वर्तमान में हम गांधीजी की उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः इस शोध प्रबन्ध में गांधीजी को नए दृष्टिकोण से समझने के नए आयाम प्रस्तुत किये गए हैं, जो निम्नानुसार है –

- इसके माध्यम से महात्मा गांधी की सत्याग्रह की तकनीक को समझा गया है ताकि हर व्यक्ति को यह स्पष्ट हो सके कि सत्याग्रह के विकल्प को गांधीजी ने क्यों चुना और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
- महात्मा गांधी के साथ अन्ना हजारे के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को समझने में हमें सहायता मिलती है और यह भी जान पाते हैं कि वर्तमान राजनीतिक संस्कृति की दशा व दिशा क्या है? वर्तमान में सत्याग्रह कितना सार्थक है?
- जिस तकनीक (सत्याग्रह) को विशेष रूप से फोकस किया गया है उसकी वर्तमान व्यवस्था में विरोध करने, विवाद सुलझाने व परिवर्तन के लिए कितनी सार्थकता है व भविष्य में उसकी व्यावहारिकता व सम्भावनाऐं क्या हैं? इसके बारे में सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसका महत्व यही है कि इससे पाठकों को इस अध्ययन की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी और वे लाभान्वित भी हो सकेंगे।
- महात्मा गांधी और अन्ना हजारे के मध्य तुलना के तीन आधार लिए गए हैं – वातावरण और परिस्थितियाँ, सत्ता का स्वरूप, और नेतृत्व की क्षमता इससे स्पष्ट हो सका है कि गांधी किन कारणों से अव्वल, खास व प्रमुख है?
- जो इस सोच में हैं कि क्या अन्ना वर्तमान युग के गांधी हैं? उनकी इस जिज्ञासा का उनको उत्तर मिल सकेगा तथा वे अन्ना व गांधी के व्यक्तित्व में भिन्नता व समानता को ठीक से समझकर अपना भावी रूझान तय करने में समर्थ हो सकेंगे।

➢ शोध कार्य की समीक्षा–

यह निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि अन्ना हजारे और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, पहचान तथा भूमिका आदि के तुलनात्मक पक्ष को लेकर कोई शोध प्रबन्ध नजर नहीं आते अतः शोधार्थी की राय में यह अपनी तरह का एक अलग ही शोध प्रबन्ध है। ऐसा

होने से इस पर प्राप्त अध्ययन सामग्री कि कुछ सीमाऐं हैं क्योंकि महात्मा गांधी पर तो विशाल साहित्य उपलब्ध है परन्तु अन्ना हजारे के साथ उनकी तुलना को लेकर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अतः इस दृष्टि से यह अध्ययन अतिआवश्यक और उपयोगी है। इस क्रम में जो साहित्य उपलब्ध है उसका उल्लेख संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है जैसे "मेरे सपनों का भारत" (गांधी), "युगावतार गांधी" (गर्ग दामोदर लाल), "महान् व्यक्तित्व व विचार" (कुमार कौशल), "गांधी की विरासत : निरन्तरता और परिवर्तन" (डॉ. माधवी त्रिपाठी), "गांधी एक खोज" (श्री भगवान सिंह), "गांधी व अन्ना के मध्य का फासला" (राजकुमार भारद्वाज), "आधुनिक गांधी अन्ना हजारे" (त्रिपाठी विनायक), "मूल प्रश्न" (डा. मंजू पाण्डे), "भारतीय राजनीति का भविष्य" (मानचंद्र खण्डेला), "भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियां" (A.R.देसाई), "भारतीय राजनीति के नये आयाम" (जैन राजेश), "भारतीय शासन एवं राजनीति" (फाड़िया B.L. एवं जैन पुखराज), "भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियां" (महावीर प्रसाद मोदी), "भारतीय राजनीतिक संस्कृति" (तौमर रघुवीर सिंह), "Reading gandhi" (Anil Dutt Mishra) "गांधी के विचारों की 21 वीं सदीं में प्रासंगिकता" (माणक जैन), "गांधी व आज का भारत" (आशुतोष मुखर्जी), "महात्मा गांधी कथा व व्यथा" (शिप्रा वर्मा) आदि।

इस प्रकार गांधीजी द्वारा लिखित पुस्तकें, सम्पूर्ण गांधी वांग्डमय व अन्य लेखकों द्वारा गांधीजी पर लिखित कई रचनाऐं उपलब्ध हैं। परन्तु अन्ना हजारे जो प्रायः 2010–11 में ही विशेष प्रसिद्धी पा सकें हैं, उन पर इसी दौर की पुस्तकें हैं, जिनमें "भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी अन्ना की जंग" (सुदर्शन भाटिया), "क्रांतिदूत अन्ना हजारे (सुदर्शन भाटिया), "आधुनिक गाँधी अन्ना हजारे" (विनायक त्रिपाठी), "अण्णा हजारे" (वीरेन्द्र सिंह बघेल), "लोकनायक अन्ना हजारे" (देव प्रकाश चौधरी), "महान सुधारक अन्ना हजारे"(शमीम खान), "जननायक अन्ना हजारे"(पूजा राणा, प्रदीप ठाकुर), "गाँधी व अन्ना के मध्य का फासला"(राजकुमार भारद्वाज) आदि प्रमुख हैं। जो केवल उन पर ही है उनका गांधीजी से कोई तुलनात्मक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए वे गांधी और उनकी तुलना में अधिक लाभकारी नही हैं अतः निश्चित रूप से इस अध्ययन की आवश्यकता है जो गांधी व अन्ना के जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट कर सके इसलिए अध्ययन का यह विषय चुना गया और अब इस रूप से पूरा हो गया है।

➢ अध्ययन पद्धति–

चूंकि यह अध्ययन भूतकाल से भी सम्बन्ध रखता है और वर्तमान से भी सम्बन्ध रखता है अतः इसकी शोध प्रविधि निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और तुलनात्मक भी है। यह अध्ययन अपनी प्रकृति से ही ऐतिहासिक, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक है इसके लिए गांधी द्वारा रचित ग्रन्थों का, गांधी अध्ययन केन्द्र जयपुर, दिल्ली, कोटा, अहमदाबाद आदि से अध्ययन सामग्री का सकंलन किया गया है। कोटा में रहते हुए कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के गांधी

सग्रंहालय से विशेष सहायता मिली है और यही प्राथमिक स्त्रोत भी हैं। द्वितीयक स्त्रोत वो हैं जिनमें गांधी व अन्ना हजारे के बारे में लिखी गई पुस्तकें पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र व इंटरनेट आदि पर उपलब्ध सामग्री है। इस तरह से प्रस्तुत शोध के लिए विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा आधुनिक शोध विधि विज्ञान की अन्य प्रणालियों का भी सहारा लिया गया है और इस निष्कर्ष तक पहुँचा गया है कि अन्ना ने गांधीजी की राह पर कुछ कदम उठाए हैं, वे स्वयं गांधी होने से अभी बहुत दूर हैं परन्तु उनका योगदान देश को महत्वपूर्ण है व रहेगा।

➢ **भावी शोध की आवश्यकता—**

उपरोक्त सन्दर्भ में व्यावहारिक पक्ष को लेकर शोध किये जाने की निरन्तर आवश्यकता है। तभी भारतीयों को एक सबल, सक्षम नागरिक के रूप में पहचाना जा सकेगा। हालांकि भारतीय सदियों से वंचित, शोषित और प्रताड़ित रहे हैं अतः अधिकार देने मात्र से उनकी स्थिति में रातों रात बदलाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है जो, कानूनी राजनीतिक व आर्थिक संरचना में बदलाव की सहभागी प्रक्रिया है। इस कार्य में कई दशक या शताब्दी भी लग सकते हैं, क्योंकि आयातित ढाँचा राजनीतिक तो हो सकता है, परन्तु सामाजिक मूल्यों को आयात नहीं किया जा सकता। अभी तक तो भारतीय लोगों ने स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज की सामान्य रोजी रोटी की समस्या में बराबर की भागीदारी बने रहने का प्रयास ही किया है। सरकार की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। समय की मांग है कि वर्तमान शताब्दी में यह जनता जिसने अभी चलना सिखा है, अत्याचारों को सहन करने या उन्हें नियति समझ कर स्वीकार करने का रास्ता नहीं चुने, न ही भ्रष्टाचार के बोझ तले अपने कार्यशील होने की उपादेयता पर ही विचार करने लगे। उन्हें तो अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी व सत्यतापूर्वक निभानी है। अतः आने वाली शताब्दियों में भारत का जो स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था, उसे पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करना हर भारतीय का प्रथम कर्त्तव्य होगा।

पर्यवेक्षक

(डॉ. श्रीमती विजय शर्राफ)
सह—आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
झालावाड़ (राज0)

शोधार्थी

(वैशाली बड़ोलिया)
पीएच.डी. शोधार्थी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
झालावाड़ (राज0)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
(Bibliography)

संदर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

English Books

- Agrawal, Shrimannarayan; Gandhian Constitution for free India; Allahabad; Kitabistan; 1946.
- Alexander, Horace; Gandhi through western eyes; Bombay; Asia publishing House; 1969.
- Ambedkar, B.R., What Gandhi and Congress has done to the Untouchables; Bombay; Thacker and Co. Ltd. 1946.
- Amit; History of the Fasts of Anna Hazare; Kindle Edition, 20 Aug. 2011
- Andrews, C.F.; Mahatma Gandhi's Ideas; London; George Allen & unwin Ltd.; 1949.
- Anjaria, J.J.; An Essay on Gandhian Economics; Vora and Co.; Bombay; 1944.
- Anna Hazare's Success Story : Ralegansiddhi's Victory Over Poverty; Natraj/ Intach (2012).
- Arthur moore; "The evolution of Mr. Gandhi in S. Radhakrishnan (ed.) Mahatma Gandhi: Essays and Reflections"; Allahabad; Kitabistan, 1944.
- Ashutosh; Anna – 13 days that awakened India; Harper Collins (8 Feb. 2012)
- B.S. Sharma, "The Philosophical Basis of Sarvodaya", Gandhi Marg, Vol. 4, No. 3, July 1960
- Baijal Pradip; A Bureaucrat Fights Back: The Complete Story of Indian Reforms; Kindle Edition; Harper Collins India; 15 June 2016.
- Bajpai, Anil; Neo-Gandhism has led to Participatory Development in India, Post Social Movement led by Anna Hazare; Participatory Development in India ; GRIN Publishing ; 27 Aug.2014.
- Bandhakavi Satheesh; Namarivayam; Leading without Licence : Leadership the Anna Hazare Way; Rupa Publications, 1 June 2011.
- Bandhopadhyay, Jayanti; Social and Political Thought of Mahatma Gandhi; Bombay; Allied Publishers; 1969.
- Bedi Kiran and Pavan Choudhary; India Protests; Wisdom Village Publications; 2014
- Bhandari Haveesh and Debroy Bibek; Corruption in India – The DNA and the RNA; Konark Publishes Pvt. Ltd. (1 Dec. 2011)

- Bhenudhar Pradhan, "The Socialist Thought of Mahatma Gandhi", Delhi : G.D.K. Publications, 1980, Vol. 1
- Birla, G.D.; In the shadow of the Mahatma Bombay; Orient Longmans Ltd., 1953.
- Bondurant, Joan; Conquest of Violence : The Gandhian Philosophy of Conflict; Bombay Oxford University Press; 1959.
- Bose N.K., Selection from Gandhi, NPH, Ahmedabad, 1954
- Bose, Anima; Dimensions of Peace and Non-violence : The Gandhian Perspective; Crian Publishing House; New Delhi; 1987.
- Bose, N.K.; Gandhiji : The Man and his Mission; Bhartiya Vidya Bhawan; Bombay; 1966.
- Bose, N.K.; Studies in Gandhism; Ahmedabad; Navajivan publishing House; 1962.
- Bose, Nirmal Kumar; Selections from Gandhi; Ahmedabad; Navajivan Publishing House; 1957.
- Chaturvedi Jagdishwar; Anna Hazare Media Bhrastachar or Digital Capitalism; Neha Publishers & Distributors; 2013.
- Devare Suresh; Anna Hazare; The face of new Gandhigiri; LAP Lambert Academic Publishing 22 Oct. 2015.
- Diwakar, R. K.; Saga of Satyagraha; New Delhi; Gandhi peace foundation; 1969.
- Doke, Joseph J.; M.k. Gandhi; Varanasi, Akhil Sarva Sewa Sangh Prakashan; 1959.
- Dua J.C.; Anna Hazare : Reformer socialist and Anti Corruption Leader; Kaveri Books; 1 Oct 2011.
- Dubey Sharada, Bail Shivani; Anna and us : The Lokpal Story; Sharada Dubey 1st Edition; 28 May 2012.
- Dutta Sanjay; Anna Hazare : The Gandhi of 21st Century; Mahaveer Publication.
- Gandhi, M. K., An Autobiography or the story of my experiments with truth, Ahmedabad, Navajivan Publishing House; 1988.
- Gandhi, M.K.; Constructive Programme : Its meaning and place; Ahmedabad; Navajivan Publishing House; 1975.

- Gandhi, M.K.; Hind Swaraj or Indian Home Rule; Ahmedabad; Navajivan Publishing House; 1975.
- Gandhi, M.K.; Non-Violence in Peace and War; Ahmedabad; Navajivan Publishing House; 1944.
- Gandhian Outlook and Techniques; New Delhi; Ministry of Education; Government of India; 1953.
- Goyal Kaushad; Anna Hazare; Return of the Mahatma; Pigeon Books; 22 Dec. 2011.
- Gregg, Richard B.; The Power of Non-Violence; Ahmedabad; Navajivan publishing House; 1960.
- Guyde, Malloc; Seven Steps to Global Changes: Gandhi's Message for today; Santa Fe; New Mexico; Ocean Tree Hook.
- Hardiman, David; Gandhi in his time and ours; New Delhi; Permanent Black; 2003.
- Iyer, Raghvan; The moral and political Thought of Mahatma Gandhi; Delhi, Oxford University Press; 1973.
- J.B. Kripalani, Gandhian Terminology (Unpublished MSS) AICC Papers, File No. 15, 1936
- Jack, A. Homer (ed.); The Gandhi Reader; Samata Books Mardras; 1984.
- Jolly, S.K.; Reading Gandhi; New Delhi; Concept Publishing Company; 2006.
- K. Kumari; Anna Hazare as A Second Gandhi; Surendra Publications, 2011.
- K. Munirathnam Chetty, "Sarvodaya and freedom : A Gandhian Appraisal", New Delhi ; Discovery Publishing House, 1991
- K.C. Mahendru, "Gandhi's Idea and Technique of Non-violent Class Struggle", Gandhi Marg, August 1985
- Kalelkar, K. (edo) to a Gandhian capitalist, Wardha, Jamnalal Seva Trust, 1951.
- Kalelkar, Kaka; Stray Glimpses of Bapu; Ahmedabad; Navajivan Publishing House; 1957.
- Kejriwal Arvind; Swaraj; Harper Collins; 2012.
- Kripalani, J.B.; Gandhi : His life and thought; New Delhi; Pub. Division, Ministry of Information and Broadcasting, Gov. of India; 1968.

- Kripalani, J.B.; Gandhi: His life and Tought, New Delhi; Publications Division; Ministry of Information and Broadcasting; Government of India; 1968,
- Kumar Arvind; Anna Hazare; Prabhat Prakashan.
- M.K. Gandhi, "Satyagraha", Ahmedabad; Navajivan, 1954
- M.K. Gandhi, Constructive Programme.
- M.L., Sharma, "Mahatma Gandhi's view of stayagraha", Gandhi Bhavan News letter, University of Delhi, Vol.II, No. 1 january 1989,
- Meel Sandeep; From Anna to Arvind; Kindle Edition; 16 Aug. 2017.
- Mishra, Anil Dutta; Challenges of 21st Century and Gandhian Alternative, Mittal Publication; New Delhi; 2003.
- Mishra, Anil Dutta; Fundamentals of Gandhism; Mittal Publications; New Delhi; 1995.
- Mishra, Anil Dutta; Gandhian Approach to Contamporary Problems; Mittal Publication; New Delhi; 1946.
- Mishra, Anil Dutta; Gandhism After Gandhi; Mittal Publications; New Delhi; 1999.
- Mishra, K.P. and Gangal, S.C.; Gandhi and the Contenporay World; Studies in Peace and War, Chanakya Publication; Delhi; 1981.
- Mishra, R.P.; Gandhian Model of Development and World Peace; Concept Publishing Company; New Delhi; 1988.
- N. Raghavan lyer, "Gandhi's view of Human Nature," Gandhi marg, vol.6, No.2 April 1962.
- Narayan, Shriman; Selected Works of Mahatma Gandhi: Navajivan Publishing House; Ahmedabad; 1956.
- Natesan, G.A.; Speeches and writings of Mahatma Gandhi; Madras; G.A. Natesan and Co; 1933.
- Niebuhr, Reinhold; Moral Man and Immoral Society, New York; Charles Scribner's Sons; 1947
- Pangare Ganesh and Lokur Vasudha; Anna Hazare's Model of Water Management for Sustainable Prosperity; Nataraj Publishers 2012
- Prabhu and Rao (ed.) mind of Mahatma Gandhi, Navjeevan, Ahmedabad, 1968.

- Prabhu, R.K. and Rao U.R.; The Mind of Mahatma; Ahmedabad; Navajivan Publishing House; 1967.
- Prasad, Rajindra; Satyagraha in Champaran; Ahmedabad; Navajivan Publishing House; 1951.
- Puniyani R.; Anna Hazare : Upsurge A Critical Appraisal; Sahitya Upkram; 2012.
- Raj Krishna; "Non-violence, War and Peace"; Quest 42; July-Sepetember 1964.
- Ramjee Singh, "Gandhi and The Modern World", New Delhi; Classical Publishing Co., 1988
- Rastogi, G.D.; Psychological Approach to Gandhi's Leadership; Gorakhpur University; 1969.
- Ravindra Varma, "Gandhi's theory of trusteeship - An Essay in understanding Gandhi Marg", Vol.7 , No. 8 & 9 Nov.-Dec, 1985
- Reddy Pro. Dr. G.B.; The Lokpal and Lokayuktas Act 2013; Gorgia Law Agency; 2014.
- Reddy R.; Anna Hazare; Call for Second Independence Struggle; Serials Publication.
- Reem Editional Board; Anna Hazare : The Fakir Who Moved a Country; Reem Publications.
- Romain Rolland, "Mahatma Gandhi : The man who became one with the universal being", New Delhi;, Publications Division; Ministry of Information and Broadcasting; Gov. of India; 1990.
- S. Gopalan, "Means and Ends : The Gandhian View", Gandhi Centenary Volume, 1969
- S.C. Gangal, "Gandhian Thought and Techniques in the Modern World", New Delhi ; Criterion Publications, 1988
- Sarup, Bishan Sharma; Gandhi As political Thinker; Allahabad; Indian Press Pvt. Ltd.; 1956
- Sharma, jai Narain; Gandhi's View of Political Power, New Delhi; Deep and Deep, 1887.
- Sharma, Rashmi; "Gandhian Economics: A Human Approach," New Delhi; Deep and Deep, 1997.

- Sharp, Gene, The politics of Non- Violent Action : Part III, Boston, Porter Sarget Publishers, 1973.
- Shukla, Chandra Shanker, Reminiscences of Gandhiji, Bombay, Vora and Company, 1951.
- Speeches and writings of Mahatma Gandhi, G.A. Nathan of co. madras, IV Edn. 1922.
- Spratt, P. Gandhism : An Analyses, madras, The Huxley Press, 1939.
- Tendulkar, D.G.; Mahatma Gandhi, New Delhi, Publications Division, Ministry of information and Broadcasting, Government of India, 1952 .
- Thakur Gaurikant, "Mahatma Gandhi's Philosophy of Satyagraha", Varanashi; Kishor Vidya Niketan, 1988
- Thakur Pradeep, Rana Puja; Anna Hazare: The face of India's Fight Against Corruption; Pentagon Press; Edition; May 2011.
- The collected works of Mahatma Gandhi, Vol 1 to 100, Publications Division, ministry of information and Broadcasting, Government of India, 1965.
- Tiwari M. Prateeksha; Anna Hazare, The New Revolutionary; Dimond Books; Sep. 21, 2011.
- Tripathi Vinayak; Anna Hazare : His Philosophy & Struggle; Neha Publishers & Distributors; 2011.
- Verma Sunanda; Namaste Anna Hazare; The Indologist Pvt. Ltd., 1st Edition 2018.

हिन्दी ग्रन्थ

- अग्रवाल श्रीमन्नारायण; गाँधी की योजना (द गाँधीयन प्लान); नवजीवन प्रकाशन मंदिर; अहमदाबाद; 1969
- अह्वान एडिटोरियल बोर्ड; भ्रष्टाचार और उसके समाधान का सवाल; राहुल फाउण्डेशन; 2017
- अवस्थी अमरेश्वर तथा अवस्थी; आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन; जयपुर रिसर्च पब्लिकेशन; 1989
- भाटिया सुदर्शन; क्रांतिदूत अन्ना हजारे; डायमण्ड बुक; दिल्ली; 2011

- भाटिया सुदर्शन; भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी अन्ना की जंग; डायमंड बुक्स दिल्ली; 2012
- भारद्वाज राजकुमार; गांधी व अन्ना के मध्य का फासला; अनामिका पब्लिशर्स व डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.लि.); 2012
- भावे, विनोबा; सर्वोदय–ग्रामदान; अखिल भारतीय सर्वसेवा संघ; काशी; 1968
- भावे; विनोबा; स्वराज्य शास्त्र; नई दिल्ली; सस्ता साहित्य मण्डल; 1953
- बोस, वी.सी.; गाँधी–गीता सार; आयर स्पिंग कम्पनी; कलकत्ता; 1948
- चक्रवर्ती विद्युत, पाण्डेय राजेन्द्र कुमार; अनुवादक गीता चतुर्वेदी; आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन (विचार व संदर्भ); सेज व रावत पब्लिकेशन्स; 2012
- चन्द्र बिपिन; भारत का स्वतंत्रता संघर्ष; हिन्दी माध्यम कार्यान्यवयन निदेशालय; नई दिल्ली; 1998
- चौधरी रामनारायण; गाँधी एम.के. : वर्ण व्यवस्था; नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस; अहमदाबाद; 1956
- चौधरी देवप्रकाश; लोकनायक अन्ना हजारे और जन लोकपाल बिल; हिन्दी पॉकेट बुक्स; दिल्ली; 2011
- चतुर्वेदी मधुकर श्याम; प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक; कॉलेज बुक हाउस; जयपुर; 1994
- दादा धर्माधिकारी; सर्वोदया दर्शन; सर्वसेवा संघ प्रकाशन; वाराणसी; पृ.18
- दास वर्षा एवं राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के सहकर्मी; सत्याग्रह की कहानी (तस्वीरों में); राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय; राजघाट; नई दिल्ली; 2007
- देसाई आर.ए.; भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियाँ; साहित्य भवन पब्लिकेशन; जयपुर; 2005
- द्विवेदी सुरेन्द्रनाथ; भार्गव जी.एस.; करप्शन इन इंडिया; पॉपुलर बुक सर्विस; नई दिल्ली; 1967
- धवन गोपीनाथ; सर्वोदय तत्व दर्शन; नवजीवन प्रकाशन; अहमदाबाद

- फड़िया डॉ. बी.एल. व जैन पुखराज; साहित्य भवन पब्लिकेशन; जयपुर; 2010
- फिशर लुई; गाँधी की कहानी; सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन; नई दिल्ली; 2005
- गाँधी, एम.के.; सत्याग्रह; उत्तर प्रदेश; गाँधी स्मारक विधि; वाराणसी
- गाँधी, एम.के.; सत्य के साथ मेरे प्रयोग (आत्मकथा); नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस; अहमदाबाद
- गाँधी एम.के.; मेरे सपनों का भारत; प्रभु आर.के.; नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस; अहमदाबाद; 1947
- गाँधी, एम.के.; सम्पूर्ण गाँधी वांग्ड्मय; वॉल्यूम VIII; प्रकाशन विभाग; सूचना व प्रसारण मंत्रालय; भारत सरकार; दिल्ली
- गाँधी एम.के.; रचनात्मक कार्यक्रम; नवजीवन प्रकाशन; अहमदाबाद; 1941
- गाँधी महात्मा; मेरे सपनों का भारत; राजपाल एण्ड सन्स; दिल्ली; 2013
- गाँधी महात्मा; सत्याग्रह; पिलग्रिम्स पब्लिशिंग; वाराणसी कॉपीराइट 2005
- गाँधी एम.के.; खादी के अर्थशास्त्र; अहमदाबाद; नवजीवन; 1942
- गर्ग दामोदर लाल; युगावतार ''महात्मा गाँधी''; अपोलो प्रकाशन; जयपुर; 2009
- घोष शैलेन्द्रनाथ; गाँधीजी असफल क्यों हुए?; उनका स्वप्न कैसे पूरा होगा?; गाँधी मार्ग; नवम्बर–दिसम्बर 1997
- ग्रोवर; बी.एल. यशपाल; भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास; चतुर्थ संस्करण; एस.चाँद एण्ड कम्पनी; नई दिल्ली; 1998
- गुहा रामचन्द्र; भारत गांधी के बाद; दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास; पेंगुइन बुक्स हरियाणा; 2012
- जैन माणक; गाँधी के विचारों की 21वीं सदी में प्रासंगिकता; आदि पब्लिकेशन्स; जयपुर; 2010
- जैन डॉ. राजेश; भारतीय राजनीति के नए आयाम; कॉलेज बुक डिपो; जयपुर; 2000

- जौली सुरजीत कौर; गाँधी एक अध्ययन; कन्सैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी; नई दिल्ली; 2007
- कालेलकर रविन्द्र; गाँधी, एम.के. : संरक्षता का सिद्धान्त (संग्राहक); नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस; 1960
- खान शमीम; अन्ना हजारे : महान सुधारक; सरस्वती ट्रस्ट; 1 जनवरी 2012
- खंडेला मानचन्द्र; भारतीय राजनीति का भविष्य; अरिहन्त पब्लिशिंग हाऊस; जयपुर; 2008
- कौशल कुमार; महान् व्यक्तित्व व विचार; विश्व भारती पब्लिकेशन्स; नई दिल्ली; 2012
- कृपलानी कृष्णकान्त; अनुवाद – नरेश नदीम; गाँधी एक जीवन; नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया; नई दिल्ली; 9वीं सम्पूर्ण आवृत्ति; 2011
- कुमार डॉ. मनोज; लोकतंत्र एवं विश्वशांति; अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस; 2005
- कुमार प्रो. विरेन्द्र; गाँधी व जनक्रांति; पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग (वाराणसी); 2013
- कुमार अरविन्द; अन्ना हजारे; भ्रष्टाचार के विरूद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक गाँधी; मिनी मैक्स सीरीज; प्रभात प्रकाशन ; 2 नवम्बर 2017
- कुंभार डॉ. नागोराव; गोरे डॉ. नानासाहेब; सत्याग्रह महात्मा गाँधी का दृष्टिकोण; वाईटल पब्लिकेशन्स; जयपुर; 2011
- माहेश्वरी नन्दनी; अन्ना हजारे; राजकमल प्रकाशन; 2013
- मिश्र अनिल दत्त; गाँधी एक अध्ययन; पियर्सन पब्लिकेशन; 2012
- मिश्रा डॉ. एम.के.; दाधीच डॉ. कमल; गाँधी और सत्याग्रह; अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस; 2011
- मोदी डॉ. महावीर प्रसाद, मोदी डॉ. सरोज; भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ; विश्वभारती पब्लिकेशन्स; नई दिल्ली; 1999
- मुखर्जी आशुतोष; गाँधी व आज का भारत; रावत प्रकाशन; दिल्ली; 2012
- नाटाणी प्रकाश नारायण; आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक; पोइन्टर पब्लिशर्स ; जयपुर 2007

- नाथन जी.ए.; महात्मा गाँधी के भाषण व लेख; चौथा–एडीशन; मद्रास; 1922
- पंगारे वसुधा गणेश; अन्ना हजारे के हाथों गरीबी से मुक्ति; नटराज पब्लिकेशन्स; 2012
- प्रकाश अरूणोदय; अन्ना आन्दोलन सम्भावनाएँ और सवाल; हारपर हिन्दी; 14 मार्च 2012
- पट्टाभिसीतारमैया, वी.; गाँधी और गाँधीवाद; शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्रा.लि.
- रंजन आलोक; सिंह आनन्द; कैसा है यह लोकतंत्र और यह संविधान किनकी सेवा करता है; राहुल फाउण्डेशन; 2014
- रावत डॉ. राजेश; चतुर्वेदी डॉ. सतीश; शर्मा डॉ. अशोक; गाँधी चिन्तन में सत्याग्रह; पॉइन्टर पब्लिशर्स; जयपुर; 2013
- रोमौ रोलॉ; महात्मा गाँधी; आगरा; शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी लिमिटेड; 1949
- राय सत्या एम.; भारत में उपनिवेशवाद एवं राष्ट्रवाद; हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय; दिल्ली विश्वविद्यालय; दिल्ली; 1983
- सेठी जे.डी.; गाँधी ट्रेड; नई दिल्ली; विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि.; 1978
- शर्मा अमित कुमार; हिन्द स्वराज की प्रासंगिकता; कौटिल्य प्रकाशन; दिल्ली; 2005
- शर्मा डॉ. पवित्र कुमार; अन्ना हजारे और लोकपाल विधेयक; साहित्य इण्डियन पब्लिकेशन्स; 2017
- शुक्ल डॉ. अनन्त; सिविल सोसाइटी; रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स व भ्रष्टाचार; जन लोकपाल; Vol. XIX-2, July-Dec. 2011
- सिंह श्री भगवान ; गाँधी एक खोज; भारतीय ज्ञानपीठ; 2012
- सिंह मनोज कुमार; अन्ना हजारे एवं जन लोकपाल विधेयक; प्रशांत पब्लिशिंग हाऊस; 2011
- सिंह डॉ. प्रेमलाल; आजाद भारत में क्रांति/आन्दोलन के सूत्रधार; विनोद बुक सेन्टर; I संस्करण; 2014

- सिंह राज; अन्ना हजारे अधूरी जीत के नायक; क्रिएट स्पेस इन्डिपेन्डेन्ट पब्लिशिंग; 30 नवम्बर 2012; (Createspace Independent Pub.)
- सिंह डॉ. दशरथ; गाँधीवाद को विनोबा की देन; बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी; 1975
- 'सुमन' श्री रामनाथ; प्रधान सम्पादक द्वारा सम्पादित; सत्याग्रह; गाँधी साहित्य प्रकाशन; इलाहाबाद; मार्च 1967
- ताराचन्द; भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास; प्रकाशन विभाग–सूचना प्रसारण मंत्रालय; नई दिल्ली; 1983
- ठाकुर प्रदीप, राणा पूजा; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012.
- तिवारी एम. प्रतीक्षा ; क्रांतिदूत अण्णा हजारे; डायमण्ड बुक्स
- तोमर डॉ. रघुवीर सिंह; भारतीय राजनीतिक संस्कृति – एक विश्लेषण; कॉलेज बुक डिपो; जयपुर
- टंडन विश्वनाथ; गाँधी के बाद सर्वोदय का सामाजिक व राजनीतिक दर्शन; वाराणसी; सर्वसेवा संघ; राजघाट; 1965
- त्रिपाठी अरूण कुमार; जाति का जहर (सम्पादक राजकिशोर); नई दिल्ली; वाणी प्रकाशन; 2000
- त्रिपाठी निरंजन; आधुनिक भारत के ऐतिहासिक निबंध; आविष्कार पब्लिशर्स; डिस्ट्रीब्यूटर्स; जयपुर 2007
- त्रिपाठी विनायक; आधुनिक गाँधी अन्ना हजारे; आर्या पब्लिकेशन्स; दिल्ली; 2012
- त्रिपाठी डॉ. माधवी; गाँधी की विरासत (निरन्तरता एवं परिवर्तन); वाईकिंग बुक्स; जयपुर; 2012
- उन्नीथान टी.के.एन.; गाँधी और सामाजिक परिवर्तन; रावत पब्लिकेशन, जयपुर; 1979
- वर्मा डॉ. शिप्रा; महात्मा गांधी – कथा व व्यथा; गौतम बुक कम्पनी; जयपुर; 2012

- वर्मा श्रीराम; भारतीय राजनीतिक विचारक; कॉलेज बुक सेंटर; जयपुर; 2008
- व्यास डॉ. एच.एन.; आर्य डॉ. बी.एल.; सत्याग्रह का दर्शन; ग्रन्थ विकास; 2016
- यादव डॉ. डी.एस.; गाँधी दर्शन : विविध आयाम; आस्था प्रकाशन; 2012

Article and Papers of Gandhi & Anna Comperison

- Anna Hazare – The rise of the modern Gandhi; Silliconindia; Saturday: 6 Aug 2011.
- Anna Hazare : The divine face of a new India; theguardian.com; Jason Burke; 20 Aug. 2011
- Anna Hazare : Unlikely Echo of Gandhi inspires Indians to act; The Newyork Times; Jim Yardley; 18 Aug. 2011
- Anna Hazare and the Idea of Gandhi; Article in Journal of Asian Studies 71(03); Aug. 2012; researchgate.net
- Anna Hazare Anti-Corruption Campaign Sparks Gandhi Cap Revival; thetelegraph.co.uk; By Dean Nelson, New Delhi; 21 Aug 2011
- Anna Hazare Urges Farmers To Launch "Do-or-Die" Stir Like Mahatma Gandhi; economictimes.com; 23 Nov. 2017.
- Anna Hazare, A new Gandhi shapes India; thetelegraph.co.uk; By Partick French, 17 Aug. 2011
- Anna Hazare, Indian Social Activist; britannica.com; Lorraine Murray.
- Anna Hazare; In the footsteps of Gandhi; independent.co.ur; Peter Popham; 19 Aug. 2011
- Anna Hazare; Indian Social Activist; britannica.com
- Anna Hazare; The Second Mahatma Gandhi; lalitkumar.in
- Corruption and Anticorruption : The case of India; March 2016; Parkes Riley and Ravik Roy.
- Difference in fast by Gandhi & Anna Hazare; Mahatma's great grandson; Times of India; 18 Aug. 2011.
- I am not Gandhi : Anna Hazare; thehindu.com; 17 Sep. 2011.
- India's Anna Hazare : A Gandhian For Today?; Pulitzer Center.

- The Amazing Rise of Anna Hazare, India's Gandhi-like Protest Leader; The Atlantic; 6 Dec. 2011.

JOURNALS, PERIODICALS, NEWS PAPERS (English)

- American Journal of International Law
- B.B.C. News
- Daily India
- Digitalanalog
- Economic and Political Weekly, Mumbai
- India Today (English Edition)
- Indian Express (Daily), New Delhi
- Indian Journal of Political Science
- Indian Journal of Public Administration
- Indian Social Science Review
- Journal of Constitution and Parliamentary
- Journal of the Indian Law Institute
- Mainstream
- Social Action
- The Administrator
- The Harijan
- The Hindu
- The Hindustan Times (Daily), New Delhi
- The Stateman
- The Sunday Observer, New Delhi
- The Times of India, New Delhi
- The Tribune
- The Young India

पत्र पत्रिकाएँ

- आज (गोरखपुर)
- "आज" दैनिक (वाराणसी)
- आजकल

- आलोचना
- दैनिक भास्कर
- दैनिक नवज्योति, कोटा एवं अजमेर
- दिनमान
- दैनिक जागरण
- दृष्टिकोण मापन
- डेली न्यूज (कराची)
- हरिजन (Harijan)
- इण्डिया इडे (हिन्दी संस्करण)
- इतिहास बोध
- लोकदस्ता
- नवभारत टाइम्स
- नवजीवन (Navajivan)
- प्रतियोगिता दर्पण
- राजस्थान पत्रिका (कोटा एवं जयपुर)
- समाज कल्याण
- योजना

परिशिष्ट

(Appendix)

Annexure -1

PROCEDURE OF SATYAGRAHA

Satyagraha

Preparatory Steps

- Think, Rethink and Muster Moral Courage
- Inquire Facts on Both Sides
- Cultivate Public Opinion
- Negotiate with the Opposite Party
- Accept Arbitration, if feasible
- If the Opposite Party is Adamant, Mobilize People
- Organize Protest Meetings and Processions
- Issue Ultimatum to Authorities

Mild Methods

- Holding Banned Meetings, Demonstrations, Processions
- Ceremonial March
- Observing National Days and Weeks
- Circulation of Pamphlets, etc.
- Hartals (Suspension of Business)
- Strikes (Suspension of Work in Factories)

Aggressive Methods

- Civil Disobedience, Courting Arrest
- Non-violent Non-cooperation
- No-Tax Campaign
- Boycott
- Peaceful Picketing
- Peaceful Raids
- Protest Resignations, Return the Awards
- Fasting (including Fast unto death)

Satyagraha : Essence, Percepts and Techniques

COMMUNITY AREA

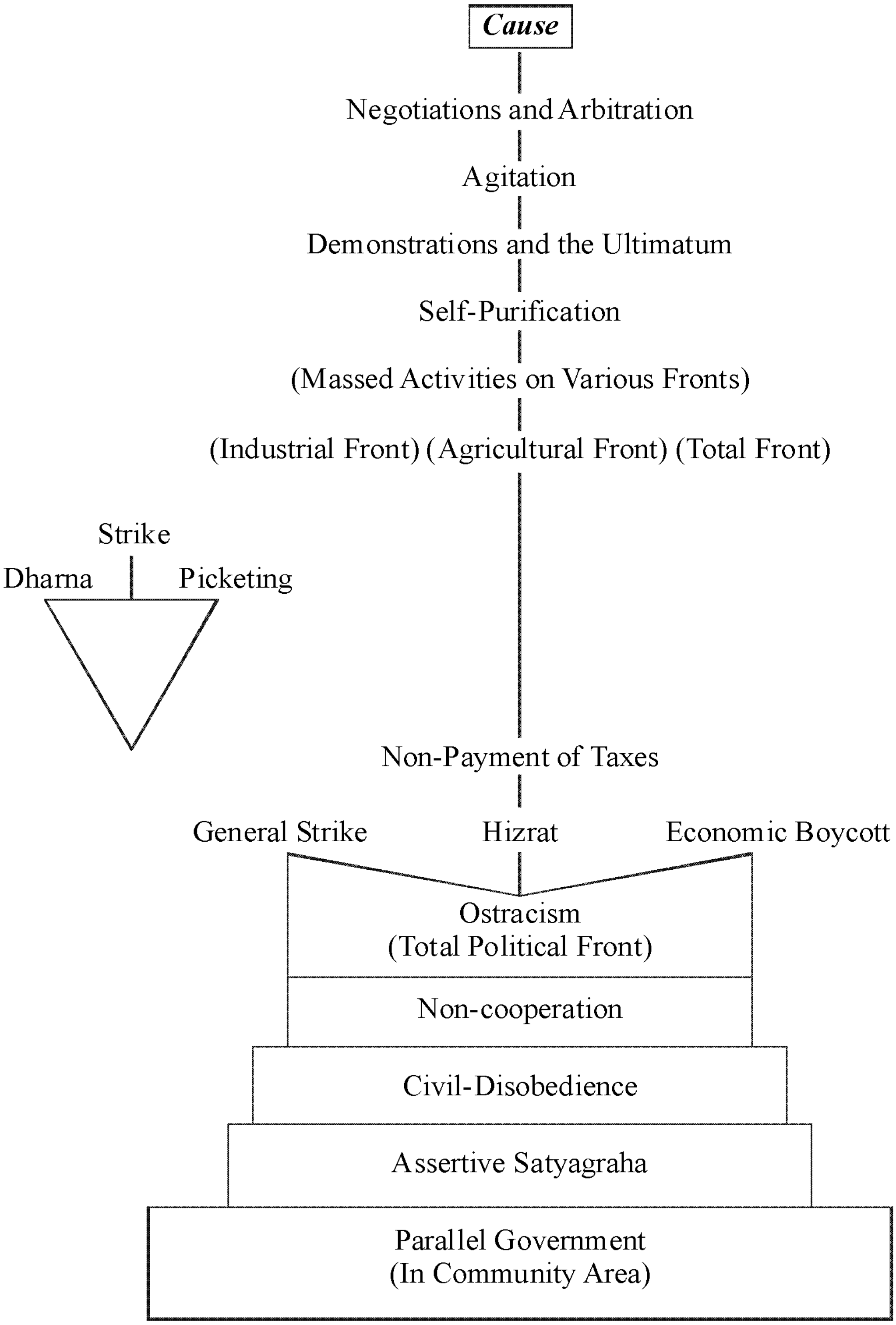

Diagram of the Pattern of a Successful Satyagraha

Annexure - 3

11 Vows of Mahatma Gandhi

1. ***Truth (Satya) :*** Truth is that the initial among the vows as a result of it's the foremost necessary name of God. As a vow truth suggests that truthful in thoughts works and actions, By this vow, Gandhi wished the members of the Ashram to mention no after they meant no, no matter the implications.

2. ***Nonviolence (Ahimsa):*** Consistent with Gandhi non violence suggests that to like everyone. It suggests that goodwill towards all life. To Gandhi, exploitation could be a genus of violence. "Not to hurt any object is not any hesitation a vicinity of religious doctrine. However it's at least expression. The principle of religious doctrine is profaned by each evil notion, through undue haste, by lying, by disgust, by unwell to anybody"

3. ***Celibacy (Brahmacharya):*** Brahmacharya suggests that the look for discipline that ends up in the conclusion of Brahman, final reality or God.[31] it's the self management over all senses in nation, world, and act. This vow was the "spot stone: on that the Ashram life was primarily based. It's not the suppression of one or a lot of senses however complete mastery over all of them.

4. ***Control of roof of the mouth (Aswad):*** Our foods to be restricted straightforward, spice less and if attainable raw. Food is taken solely to sustain life. This vow helps lots to stay the vow of *Brahmacharya.* By this vow Gandhi wished the members of the Ashram to resale fully not solely meat and alcohol however conjointly, as so much as attainable, all conditions which might excite the animal passion.

5. ***Non-Stealing (Asteya):*** Someone following truth and non violence shouldn't steal. However to Gandhi non stealing suggests that not solely not taking another person's belongings while not his permission however conjointly receiving one thing that one doesn't want, improper multiplication of necessities etc. One who takes everything that he doesn't want for immediate use steals it from someone else who is in want of it. This vow refuses to permit the need for things happiness to others.

6. ***Non-Possession*** (*Aprigraha):* It's an extension of the vow of non-stealing. This vow denies holding. It conjointly arranged stress on the importance of straightforward living and reduces desires. Absolute non possession suggests that total renunciation. Consistent with Gandhi it's not the reduction of necessities however refinement of necessities.

7. ***Swadeshi :*** As a vow Swadeshi demanded that everybody should serve the country of their birth. It conjointly arranged stress on love the neighbor. Swadeshi is that spirit which controls us to the use and service of our direct surroundings to the keeping out of the more distant.

8. ***Fearlessness*** (*Nirbhaya):* Fearlessness was essential for the expansion of different smart qualities in individual. Fearlessness suggests that freedom from all external worries ad internal fear. The straightforward thanks to become fearlessness are to cultivate non attachment to the body. While not fearlessness nobody will follow truth and religious doctrine. Gandhi reminded us that there was only 1 whom we've got to worry which was God.

9. ***Non-observance of Untouchability*** *(Sparshabhavana)* Untouchability could be a socio spiritual follow of orthodox Hindus in India. It suggests that pollution by bit of bound persons by reason of his birth during an explicit family. Consistent with Gandhi it's wrong to contemplate anybody as untouchable. Through this vow Gandhi wished to contemplate all groups of people area unit equal. Untouchables were admitted within the Ashram and that they were thought of this as equals with others.

10. ***Bread Labor:*** *(Shareerashrama)* Each man should labor together with his body a minimum of for his food and artifact. It's the law of nature. One who takes the requirements of life while not body labor could be a thief? By this vow Gandhi wished all the members of the Ashram to try and some reasonably bodily work.

11. ***Equality of Religions:*** (*Sarvadharma Samabhava):* In Gandhi's opinion faith should interpenetrate all our action. To him faith didn't mean formal or customary faith. His faith is moral faith. In brief faith suggests that a deep religion in God. Completely different religious area unit different roads convergence to identical point and that is God. So, one ought to respect all religions. Consistent with Gandhi 'religions area unit several, however faith is one'.

अन्ना हजारे जी से शोधार्थी का साक्षात्कार

Ph.d शोध की आवश्यकतानुसार अन्ना हजारे से एक संक्षिप्त साक्षात्कार लिया गया। चूंकि श्रीमान् अन्ना हजारे साहब अभी हमारे बीच मौजूद हैं और अपनी बढ़ती उम्र के साथ भी भ्रष्टाचार मिटाने और समाजसुधार के अपने अभियान में निरन्तर प्रयत्नशील है। अतः हमने इसे शोध की आवश्यकता समझते हुए अन्ना हजारे जी से भेंट करके कुछ विषयों पर उनके विचार स्वयं उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास किया है। संयोग से श्री अन्ना हजारे साहेब का इस शोध लेखन के दौरान ही राजस्थान में अपने जनचेतना अभियान जो कि लोकपाल व लोकायुक्त के साथ किसान मसौदे को लेकर था, में कोटा आए और यहां चम्बल औद्योगिक क्षेत्र के "Five flower" होटल में उनकी रहने की व्यवस्था की गई। अतः शोध के सन्दर्भ में वहीं उनसे थोड़ा समय लेकर साक्षात्कार लिया गया। उन्हीं के द्वारा उनके आन्दोलनों के विषय में, विशेषकर लोकपाल विधेयक को लेकर Youtube पर 5 Chapter of Lokpal पर 5 अध्याय हमें उपलब्ध कराऐ जिससे हमें उनके बारे में सही तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो पाई। इसके लिए सर्वप्रथम हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे शोध की सत्यनिष्ठता बढ़ाने के क्रम में हमने कुछ प्रश्न तैयार किये हैं जिनके उत्तर स्वयं अन्ना हजारे जी के शब्दों में प्रस्तुत है –

प्रश्न : 1 महोदय, आपकी वास्तविक जन्मतिथि के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है ? कृपया बताएँ आपकी वास्तविक जन्म दिनांक क्या है ?

उत्तर : 15 जून, 1938। (इस दृष्टि से उनकी उम्र 81 वर्ष के लगभग है)

प्रश्न : 2 फौज में भर्ती होने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई ?

उत्तर : देशप्रेम की भावना से।

प्रश्न : 3 आपने अपना सामाजिक जीवन कहाँ से व कैसे शुरू किया ?

उत्तर : सेना की नौकरी से पेन्शन होने के बाद अपने गाँव रालेगण की स्थिति–परिस्थिति खराब देख सर्वप्रथम रालेगण से ही अपने सामाजिक जीवन की शुरूआत की, गाँव में पानी की समस्या समाधान व शराबखोरी की आदतों पर रोक लगाकर उसे आदर्श बनाया।

प्रश्न : 4 क्या समाज सुधार की दिशा में आपके कोई प्रेरणा स्त्रोत रहें हैं ?

उत्तर : स्वामी विवेकानन्द व महात्मा गाँधी प्रमुख हैं। परन्तु उन सभी शहीदों को दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हँसते–हँसते अपने प्राण दे दिये।

प्रश्न : 5 समाज सुधार में आपका जो योगदान रहा है उसे आप किस प्रकार आँकते हैं या क्या आप उससे संतुष्ट हैं ?

उत्तर : मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कर रहा हूँ। मेरा जीवन आनन्दमयी है, क्योंकि मेरे जीवन की दिशा पूरे भारत के लिए कल्याण के मार्ग पर है। मेरा भारतवासियों (जिन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है) से यही कहना है कि "अन्ना रहे या ना रहे, ये मशाल जलती रहे।"

प्रश्न : 6 जब आपने समाज सुधार में आने का फैसला किया उस समय आपकी उम्र क्या थी और आपने समाज सुधार की आवश्यकता कैसे महसूस की ?

उत्तर : मेरी उम्र 25 वर्ष मात्र थी। एक आम युवक की तरह मैं भी कुछ अन्यायपूर्ण बातों को ज्यों का त्यों सहन करता आ रहा था और उससे जीवन में अंधकार छा रहा था, प्रश्न थे जीना क्यों, किसके लिए, क्या मिलेगा ? प्रेरणा स्त्रोत विवेकानन्द व महात्मा गाँधी के साहित्य ने आवाज उठाने की हिम्मत दी। देश में आजादी के इतने सालों बाद भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं आ पाया, सत्ता बदलती गयी परन्तु बलशाली भारत का सपना अधूरा ही रह गया। इसके लिए आवाज उठायी। मेरे लिए देश सेवा सर्वोपरि है।

प्रश्न : 7 क्या आप महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित है ?

उत्तर : हाँ, सत्य, अहिंसा के पथ पर ही आगे बढ़ने का निश्चय किया है, राजनीतिक क्षेत्र में आने की सोच नहीं, मैं सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ। अपने जीवनकाल में मैंने 16 बार अनशन व उपवास द्वारा अपनी बात सरकार से मनवाई है। मैं गांधीजी का सच्चा अनुयायी हूँ और "दूसरा गांधी" (जो कई लोगों ने मुझे उपमा दी है) होने का दावा नहीं करता। वे मेरे प्रेरणा स्त्रोत हैं व हमेशा रहेगें। और मैं निश्चित रूप से उनसे प्रभावित रहा हूँ।

प्रश्न : 8 क्या आपका हर सफल कार्य गांधीजी को विनम्र श्रद्धांजलि है ?

उत्तर : हाँ। उन्हें हमारा शत् शत् नमन है। वे हमारे हृदय में सदा एक प्रेरणा ज्योत बनकर जलते रहेगें व हमारा मार्गदर्शन करते रहेगें।

प्रश्न : 9 महात्मा गांधी के सपनों के भारत से आप कितना इत्तफाक रखते हैं ?

उत्तर : स्वतंत्रता की लड़ाई में जीतकर भी गांधीजी को मारने वाला व्यक्ति स्वयं उनके देश का ही एक हिन्दु नवयुवक था। बाहर के लोगों की हिम्मत नहीं हुई उन्हें मारने की पर देश के ही व्यक्ति ने उन्हें आहत कर दिया। गांधीजी ने हमेशा बलशाली भारत का सपना देखा था जिसमें उनका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर कर देश में लोकतंत्र स्थापित कर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना व ग्राम सभा को महत्वपूर्ण बनाना यानि गाँव–गाँव का एक–एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। परन्तु सरकार कोई भी निर्णय लेने में जनता की सहमति लेना जरूरी नहीं समझती। गांधीजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जो सत्य, अहिंसा, प्रेम पर आधारित हो, जहां अन्याय, अत्याचार, शोषण, भेदभाव ना हो, जहां उचित समानता,

उचित न्याय हर व्यक्ति को प्राप्त हो और हमारा प्रयास उसी भारत को बनाने का है।

प्रश्न : 10 एक लम्बे समय से (लगभग आजादी के बाद से ही) भ्रष्टाचार, अवसरवादिता आदि बुराईयों का माहौल देश में बना हुआ है, जिससे जनता में लगातार निराशा का वातावरण बना हैं, इतनी जटिलताओं में सत्याग्रह की शक्ति आपको कैसे महसूस हुई या इस पर आपका क्या मानना है ?

उत्तर : हमारे संविधान में जो समता की बात कही गई उसका निरादर हर कदम पर हो रहा है। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर बनने की परम्परा चल रही है। कई लोग न्याय की आवाज उठाते हैं, उन्हें कुछ ले देकर या मरवा कर चुप करा दिया जाता है। ये कैसी विडम्बना है कि हमारे कार्यकर्ताओं को उनके कर्त्तव्यों का भान नहीं, जैसे ही सत्ता में कदम पड़ते हैं, ऐन–केन–प्रकारेण धन कमाना प्रमुख कार्य हो जाता है। यह बहुत दुःखद अहसास है कि आजादी तो मिली पर उस अर्थ में नहीं जो अर्थ हमें संविधान ने प्रदान किया, जिसका सपना गांधीजी ने देखा था। इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं और जब तक जिन्दा हैं, देश को समर्पित रहेगें।

प्रश्न : 11 क्या यह बात सही है कि आपका रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि यह आजाद भारत के अपने ही लोगों के खिलाफ संघर्ष है? क्या आप मानते हैं कि बाहर के लोगों (अंग्रेजी सरकार) से संघर्ष करना अपने ही देश के लोगों से संघर्ष की अपेक्षाकृत आसान है ?

उत्तर : नहीं, महात्मा गांधी का समय अधिक कठिन था, ऐसा मेरा मानना है। वह समय परायों के राज का था जिसमें हमारे लिए भावनाऐं बिल्कुल नहीं थी, गांधीजी ने भी माना कि "असली सत्याग्रही वही है जो पत्थर हृदय को पिघला सके।" अभी हमारे देश में भाई–भाई की लड़ाई है। सरकार बनाने वाले लोग भी हम और सरकार जो बनी वो भी हममें से ही चुनकर गयी। यहाँ वो अपने स्वार्थ से चालित है जिसमें उसका फायदा पहले आता है। अतः भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, आम आदमी परेशान, हताश, निराश होता जा रहा है, हमारी लड़ाई इस परिस्थिति से है।

प्रश्न : 12 भ्रष्टाचार निवारण के लिए आपका क्या मानना है?

उत्तर : भ्रष्टाचार, एक ऐसी बीमारी हमारे देश में लग गई है जिसने आज कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। इसके लिए कई सुधारात्मक प्रयास किये गए हैं जिसमें लोकपाल विधेयक भी प्रमुख है। यह ऐसा कानून है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है जो हर उस भ्रष्ट नेता, सरकारी कर्मचारी, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को भी अपने शिकंजें में ले लेगा। इस प्रकार हर कोई भ्रष्टाचार करने से डरेगा। अतः लोकपाल विधेयक का उसी रूप में आना जरूरी है जिस रूप में हमने उसका सौदा तैयार किया है। इस कार्य के लिए हम पूरी जनता का एक बार फिर आह्वान करते हैं।

प्रश्न : 13 आपको जो जनसमर्थन व लोकप्रियता मिली है, क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं? अथवा आपके क्या विचार हैं?

उत्तर : संतुष्ट हूँ। इतना जनसमर्थन देखकर मेरी आँखें भर आई। ये वो ही जनता है जो इतने वर्षो से घुटन की जिंदगी जी रही थी। इसमें युवाओं का हौंसला देख मुझे अति प्रसन्नता हुई। अब वो दिन दूर नहीं जब इन काले अंग्रेजों की मनमानी पर रोक लगेगी और यह कार्य स्वयं जनता द्वारा ही किया जाएगा।

प्रश्न : 14 आपने महाराष्ट्र में और फिर सम्पूर्ण भारत में जो सुधारात्मक कदम उठाया है उसमें क्या आपको सम्पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है ?

उत्तर : भ्रष्टाचार को लेकर हमें महाराष्ट्र में सफलता मिली है परन्तु सम्पूर्ण भारत में 45 साल में 8 बार लोकपाल बिल प्रस्तुत हो चुका है, परन्तु पास नहीं होता।

इसका उद्देश्य भारत की जनता को ज्वलंत गति से व किफायती न्याय मिलना चाहिए, प्रशासनिक अनियमितताओं, अवैध कार्यो, मनमाने कानूनों के निर्माण पर रोक लगे जिससे एक स्वस्थ, स्वच्छ, पारदर्शक लोकतंत्र का निर्माण किया जा सके। हमारी मांगें अभी पूरी नहीं हुई है, परन्तु हमें पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी ही होगी, अब अधूरी नहीं पूरी जीत होगी।

प्रश्न : 15 सूचना के अधिकार से आप संतुष्ट हैं ?

उत्तर : हाँ, सूचना के अधिकार ने भी काफी हद तक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का कार्य किया है।

प्रश्न : 16 जनलोकपाल व सरकारी लोकपाल विधेयक में जो अन्तर है, के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : यह सरकार की धोखाधड़ी है। हमसे वादे लिखित रूप में करकर भी सरकार पलट गई। वो केवल वो ही बातें लोकपाल मसौदे में स्वीकार करना चाहती हैं जिसमें उनका कोई नुकसान ना हो। सभी मंत्री, नेता, सरकार के नुमांइदें साफ भ्रष्टाचार करते हुए भी साफ सुथरे ही दिखाई दें, परन्तु हमें इसमें बाकी की 3 मांगों को शामिल किये बिना चैन नहीं आएगा। सरकार को हमारी मांगें माननी होगी, इसे तोड़मरोड़ कर नहीं, सीधे रूप में स्वीकारना होगा।

प्रश्न : 17 जनलोकपाल मसौदे व भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो अन्ना टीम बनी थी, वह बिखर गई और कहा जाने लगा कि आप अकेले रह गए, इसका क्या कारण रहा ? क्या आपको पहले इसका अंदेशा था ? क्या आप पुनः उन्हें अपने साथ लाने का प्रयास करेगें ?

उत्तर : टीम अन्ना जन लोकपाल आन्दोलन 2011 के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे भी त्रस्त थे व्यवस्था से परन्तु जैसे ही हमारी मांगें सरकार ने मानी वैसे ही वे लोग राजनीति के रास्ते चले गए। मुझे राजनीति से कोई लगाव नहीं, मेरा रास्ता अलग है, मैं अपनी मंजिल सत्याग्रह से प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे उनके अलग होने का अंदेशा नहीं था, परन्तु उनके विचारों में कभी–कभी आक्रामकता दिखाई देती थी। अभी भी हमारा रास्ता देश सेवा कर देश को भ्रष्टाचार की गुलामी से मुक्त करना है इसके लिए चाहे वे हमारे साथ हों या ना हों, हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा उद्देश्य निश्चित है।

प्रश्न : 18 आपकी जन लोकपाल को लेकर आगे की योजना क्या है? क्या आप अभी भी इस कार्य में सक्रिय हैं ?

उत्तर : इसी उद्देश्य से हम भारत भ्रमण पर निकले हैं, जहां हम किसान संगठनों को एकत्र कर उनके हक की लड़ाई भी लड़ेगें। पूरे भारत की जनता को हमने एक बार फिर जन लोकपाल पर 23 मार्च 2018 को हमारे साथ रामलीला मैदान में आने का आग्रह किया है।

प्रश्न : 19 आपने 4 साल बाद दोबारा इस आन्दोलन को दोहराने का आह्वान किया, इतने साल आपने क्या इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया ?

उत्तर : इस दौरान प्रधानमंत्री जी से लगातार पत्र व्यवहार किया गया, रालेगण में मौन व्रत रखा गया, अनशन किया गया। चूंकि मीडिया को सरकार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया तो कोई सूचना जनता तक नहीं पहुँच पायी। इसके लिए हमने ऑन लाईन जानकारी लगातार जनता को देना जारी रखा था। प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे से मुंहमोड़ लिया, ये अब हमें पता चल गया है। इसके लिए अब उनके झूठे आश्वासन हमें रोक नहीं पाएगें।

प्रश्न : 20 क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी आपकी जनलोकपाल मुहिम सफल होगी जैसी की आप चाहते हैं ?

उत्तर : जरूर होगी, हम और हमारी जनता इसी और अग्रसर है। क्योंकि निःस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य जाया नहीं जाता, उस पर कार्यवाही होगी और उसके लिए मैं रहूँ या ना रहूँ, मैंने जनमानस व जन चेतना जाग्रत कर दी है। हमें सफलता मिलेगी।

प्रश्न : 21 भारतीय युवाओं व आम जनता के लिए आपका क्या सन्देश है? क्या देश के सरकारी नेताओं व कर्मचारियों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं ?

उत्तर : देश के युवाओं को मेरा यही सन्देश है कि ध्येयवादी बनो। चाहे कैसा भी व्यवसाय करो डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक कुछ भी, परन्तु पूरी ईमानदारी से करो। तुम्हारे अन्दर ही भावी समाज है, तुम्ही वह लौ हो जिसमें देश रोशनी कर दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। अत्याचार, अन्याय, शोषण, दमन भ्रष्टाचार को चुपचाप सहन करना उसे बढ़ावा देना है। सभी युवाओं से निवेदन है मुझे जो समर्थन दिया उसे अपने अन्दर जिन्दा रहने देना क्योंकि तुम ही भविष्य हो। सरकारी कर्मचारियों नेताओं को भी हमारा निवेदन है कि वे शुद्ध आचार, विचार, समर्पण, त्याग की भावना से जनता की सेवा अपना प्रथम कर्तव्य स्वीकार करें क्योंकि वे ही देश के लिए नीति निर्माता हैं।

प्रश्न : 22 आप भारत देश के लिए कैसा महसूस करते हैं ? और क्या हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान एक स्वस्थ भारत निर्माण में काम आ पाएगा ?

उत्तर : भारत हमेशा से ही उच्च आदर्शो, रीति रिवाजों, प्रथाओं मान्यताओं वाला देश रहा है जहाँ वीरों की वीर गाथाऐं बच्चों को आज भी सुनाई जाती है परन्तु अंग्रेजों ने हमें आजादी हमारे देश को खोखला कर प्रदान की। अंग्रेज तो चले गए परन्तु झूठ, बेईमानी, प्रलोभन, अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार जैसी बुराईयां हमें विरासत में दे गए। इतने वर्षो से गुलाम जनता को आजादी का मतलब सही से समझ नहीं आ पाया। हां परन्तु हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि अब हमने इस दिशा में सोचने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है और वह दिन दूर नहीं जब एक स्वस्थ सुन्दर भारत का निर्माण हमारे सामने होगा।

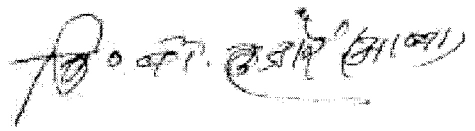

इस प्रकार उन्होंने अन्ततः हमें खुशहाल भारत का संदेश देकर, आशीर्वाद दिया ओर विदा ली। हम उनको सहृदय धन्यवाद के साथ नमन करते हैं।

भ्रष्टाचार के विरोध में व्यवस्था परिवर्तन के लिए
अन्ना हजारे द्वारा किए गए सत्याग्रही अनशन

अनशन	प्रमुख मांगे	अनशन स्थल	अनशन काल	दिवस
अनशन 1	गांव में पाठशाला अप्रुवल के लिए	अहमदनगर	जून 1980	1
अनशन 2	ग्रामीण विकास में प्रशासन सहयोग ना मिलने के कारण	राळेगणसिद्धी	7 से 8 जून 1983	2
अनशन 3	किसानों के लिए–ड्रीप इरिगेशन योजना के बारे में	राळेगणसिद्धी	20 से 24 फरवरी 1989	5
अनशन 4	किसानों के लिए– बिजली समस्या	राळेगणसिद्धी	20 से 28 नवम्बर 1989	9
अनशन 5	महाराष्ट्र वन विभाग में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में	आळंदी, पुणे	1 से 6 मई 1994	6
अनशन 6	महाराष्ट्र : शिवसेना– भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में और सूचना का अधिकार कानून के लिए	राळेगणसिद्धी	20 नवम्बर से 3 दिसम्बर 1996	12
अनशन 7	महाराष्ट्र : शिवसेना– भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में, सूचना का अधिकार और ग्रामसभा	राळेगणसिद्धी	10 से 19 मई 1997	10
अनशन 8	महाराष्ट्र शिवसेना – भाजपा सरकार मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए और सूचना का अधिकार कानून के लिए	आळंदी, पुणे	9 से 18 अगस्त 1999	11
अनशन 9	सूचना का अधिकार कानून के लिए	आजाद मैदान, मुंबई	9 से 17 अगस्त 2003	9
अनशन 10	सूचना का अधिकार कानून – प्रभावी कार्यान्यिवन के लिए	राळेगणसिद्धी	9 से 18 फरवरी 2004	9
अनशन 11	सूचना का अधिकार कानून – केन्द्र सरकार द्वारा कमजोर करने वाले संशोधन के विरोध में		9 से 19 अगस्त, 2006	11
अनशन 12	महाराष्ट्र–कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए	राळेगणसिद्धी	25 दिसम्बर से 3 जनवरी 2006	10
अनशन 13	महाराष्ट्र– कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्यवाही के लिए	राळेगणसिद्धी	2 से 10 अक्टूबर 2009	9
अनशन 14	महाराष्ट्र को–ऑपरेटिव क्षेत्र में शुरू भ्रष्टाचार की जांच के लिए	राळेगणसिद्धी	16 से 20 मार्च 2010	5
अनशन 15	लोकपाल और लोकायुक्त कानून के लिए	जंतरमंतर, नई दिल्ली	5 से 9 अप्रेल 2011	5
अनशन 16	लोकपाल और लोकायुक्त कानून के लिए	रामलीला मैदान, नई दिल्ली	16 से 28 अगस्त 2011	13
अनशन 17	लोकपाल और लोकायुक्त कानून के लिए	मुंबई	27 से 28 दिसम्बर 2011	
अनशन 18	लोकपाल और लोकायुक्त कानून के लिए	राळेगणसिद्धी	10 से 18 दिसम्बर 2013	9
अनशन 19	किसानों को न्याय, लोकायुक्त कानून पर अमल और चुनाव सुधार के लिए	रामलीला मैदान, दिल्ली	23 से 29 मार्च 2018	7

कुल भूख हड़ताल : 145 दिन महाराष्ट्र सरकार के विरोध में : 13 बार केन्द्र सरकार के विरोध में : 6 बार

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण महाराष्ट्र में **6 केबिनेट मंत्री** और **500 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों** को घर जाना पड़ा।

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण बने प्रमुख कानून :

सूचना का अधिकार, ग्रामसभा को अधिकार, कार्यालयीन देरी, स्थानान्तरण कानून, को–ऑपरेटिव कानून, ग्राम सुरक्षा दल कानून और लोकपाल लोकायुक्त कानून

अन्ना हजारे का संबोधन

अनशन की समाप्ति पर अन्ना हजारे द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखकर दैनिक जागरण ने जो संदेश तैयार किया, उसी को साभार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं –

'मेरे प्यारे देशवासियों! जन–लोकपाल पर हुई जीत, लड़ाई की शुरूआत है। अगर इस पर संसद पीछे हटी तो जनता को फिर से खड़ा होना होगा, क्योंकि संसद से बड़ी जनता की संसद है। जन–लोकपाल के मामले में जन–संसद के आदेश पर दिल्ली की संसद ने फैसला किया है। इस आंदोलन ने भरोसा दिलाया है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर अमल कर सकेंगे।

जन–लोकपाल पर तीन मुद्दों का समाधान निकला। शेष मुद्दों पर जीत मिलने तक हमें आवाज बुलंद रखनी होगी। यह लड़ाई परिवर्तन की है। यह लड़ाई की शुरूआत–भर है। जब तक पूरा परिवर्तन नहीं आ जाता, तब तक हमें यह मशाल जलाए रखनी होगी। अगली लड़ाई चुनाव सुधार के लिए होगी। यह 'राइट टू रिकॉल' यानी 'उम्मीदवारों को वापस बुलाने के अधिकार की होगी। हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। संभव है, फिर जन–संसद लगानी पड़े तो इसके लिए भी तैयार रहें। यह गौरव की बात है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जो पूरी तरह अहिंसक रहा। यह दुनिया के लिए एक मिसाल है।

आप लोगों ने टोपी पहन रखी है, जिस पर लिखा है – 'मैं अन्ना हूं।' अन्ना बनने के लिए कथनी–करनी को एक करना होगा। आपको शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग करना और अपमान सहना सीखने की जरूरत है। हमें देश में परिवर्तन संविधान के मुताबिक करना है। अमीर–गरीब के अंतर को खत्म करना है। सत्ता मंत्रालयों में सिमट गई है। हमें इसका विकेन्द्रीकरण करना है। ग्राम सभाओं को मजबूत करना होगा।

परियोजनाओं पर पैसा खर्च करने की ग्राम सभा को ताकत मिले। ग्रामसभा पंचायत को हटा सके, ऐसा परिवर्तन करना होगा। इस पर सोचना है।

मैं सभी लोगों, खासकर युवाओं, जन–लोकपाल तैयार करने वाले सिविल सोसायटी के सदस्यों, आंदोलन का साथ देने वाले सभी लोगों, स्वयंसेवियों, मीडिया और डॉक्टरों की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ।

अन्ना हजारे

ISSN No. (E) 2455 - 0817
ISSN No. (P) 2394 - 0344
RNI : UPBIL/2016/67980
Monthly / Bi-lingual

Multi-disciplinary International Journal

Remarking
An Analisation

Impact Factor
GIF = 0.543

Indexed-with Google scholar

Impact Factor
SJIF = 5.879

Multi-disciplinary International Journal

Certificate of Paper Publication

Remarking

E-ISSN 2455-0817
P-ISSN 2394-0344

SJIF-5.879
GIF-0.543
IIJIF-6.134

RNI UPBIL/2016/67980
Indexed Google scholar

Remarking An Analisation

This is to certify that the paper titled....... गाँधीवादी प्रतिनिधि अन्ना हजारे और सत्याग्रह...

Author : Dr. Vijay Sharaf[1] & Vaishali Badoliya[2]

Designation : Associate Professor[1] & Research Scholar[2]

Dept. : Political Science[1,2]

College : Govt. P.G. College, Jhalawar, Rajasthan[1,2]

has been published in our UGC approved International Peer Reviewed journal

vol. 03 *issue* 04 *month* July *year* 2018

The mentioned paper is measured upto the required.

Rajeev Misra
Dr Rajeev Misra
(Editor/Secretary)

Dr. Asha Tripathi
(Vice-President)

Social Research Foundation

Non Governmental Organisation

128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011

(Con) 0512-2600745, 9335332333, 9839074762 (E-mail) socialresearchfoundation@gmail.com (Web) : www.socialresearchfoundation.com

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4* July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

गाँधीवादी प्रतिनिधि अन्ना हजारे और सत्याग्रह

सारांश

भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले महान् गाँधीवादी प्रतिनिधि व समाजसेवी अन्ना हजारे वर्तमान में विश्व नेता बन चुके हैं जो अन्याय व भ्रष्टाचार के लिए आम आदमी की आवाज बन कर सामने आए हैं। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी की जगह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में विश्वास रखते है। इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन में आम आदमी को जोड़ने व मानवाधिकारों के लिए एक निर्णायक लंबी लड़ाई की शुरूआत की और अभी भी वे अपने पथ पर अग्रसर हैं। इस दिशा में जनता को उनका पहला संदेश यही है कि ''अन्ना रहे ना रहे यह मशाल जलती रहे।''

मुख्य शब्द : प्रतिनिधि, स्वराज, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, सत्याग्रह, जन लोकपाल विधेयक, वास्तविक लोकतंत्र।

विजय सर्राफ
एसोसिएट प्रोफेसर
एवं शोध निर्देशिका,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
झालावाड़, राजस्थान

वैशाली बड़ोलिया
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
झालावाड़, राजस्थान

प्रस्तावना

अन्ना हजारे के अनुगामी उन्हें वर्तमान पीढ़ी के साक्षात् महात्मा गांधी मानते हैं। जिस आदरणीय पुरूष की प्रशंसा महात्मा गांधी के रूप में हो रही है, वह साधारण है, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत ऊँचा है। उनका पूरा और असली नाम किसन बापत बाबूराव हजारे है[1]। 15 जून 1938 को जन्मे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का बचपन अत्यन्त गरीबी व मजबूरियों में निकला। महाराष्ट्र के अहमद नगर के भिंगर कस्बे में जन्मे अन्ना ने अपनी कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए फौज की नौकरी के बाद 1975 से रालेगण सिद्धि में अपने सामाजिक जीवन की शुरूआत की और अपने जीवन के पाँच सूत्र स्वीकार किये (त्याग, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, निष्कंलक जीवन, अपमान सहने की शक्ति)[(2)]। उन्होंने प्रत्येक युवा को इन पाँच सूत्रों को अपने जीवन में अपनाने की सलाह दी है। इन्होंने प्रत्येक गांव व राष्ट्र को एक मंदिर, जनता को ईश्वर माना और जनता की सेवा को भगवान की सेवा माना। उनका मानना है कि ''एक सामाजिक कार्यकर्ता को निःस्वार्थ भाव से समाज व देश के लिए काम करना चाहिए। कुछ लोग जो तुम्हें बुरा बोलते हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि जो तुम्हें सराह रहे हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध रहना ज्यादा जरूरी है। किसी के द्वारा निन्दा के डर से यदि तुम कदम ही आगे ना बढ़ाओ तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें कैसे होगी इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्येयवादी बनना होगा और अपना अन्तिम लक्ष्य निर्धारित कर ही आगे बढ़ना होगा।'' अन्ना हजारे ने युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति माना और यह स्वीकार किया कि अगर आज का युवक जाग जाए, राष्ट्रीय व सामाजिक दृष्टिकोण उनके जीवन में आ जाए तो देश का उज्जवल भविष्य दूर नहीं है क्योंकि युवक ही इस देश को बदल सकता है।

युवक चाहे जो काम करे (डाक्टर, इंजिनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक आदि) परन्तु उन्हें अपनी सेवाऐं निःस्वार्थ भाव से अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करते हुए देनी चाहिए क्योंकि परम्परागत मर्यादाओं, जीवन मूल्यों के क्षरण, सरकार के भ्रष्टाचार नियन्त्रण में विफल रहने तथा सामाजिक मानस में भ्रष्टाचार को मौन स्वीकृति मिलने के कारण भ्रष्टाचार का प्रसार बढ़ता जा रहा है और युवा इस भ्रष्टाचार की जकड़ में जकड़ते जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिए अन्ना ने जन लोकपाल विधेयक की मांग की और इसका स्वरूप तय करने में नागरिक समाज को शामिल करने की मांग की[(3)]। इस विधेयक के अनुसार देश का कोई भी नागरिक लोकपाल या लोकायुक्त के पास केन्द्र या राज्य के किसी कर्मचारी या जन प्रतिनिधि के भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर जा सकेगा[(4)]। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक काल में भ्रष्टाचार को एक विशिष्ट व स्वतंत्र संस्थागत आधार प्राप्त हो गया है जिसमें भ्रष्टाचारी लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं जो लोकपाल को पूरी तरह आने नहीं देना चाहते। इन सब परिस्थितियों से आहत अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर

ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का ध्येय बनाया है। उनका मानना है "हमें आजादी तो मिली परन्तु उस रूप में नहीं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों कुर्बानी दी। इसलिए आजादी की यह दूसरी लड़ाई हमें लड़नी होगी। साधन तो वही हैं परन्तु तरीके बदलने होंगे क्योंकि उस समय शत्रु पराया था, अंग्रेज था, इसलिए विरोध अधिक था समस्त जनता एकजुट थी परन्तु वर्तमान में सत्ता में विराजमान लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने देना चाहते ये हमारे भाई हैं और हम इनका विरोध गोली चलाकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कार्यकत्ताओं को यह विचार करना होगा, कि केवल लम्बे–लम्बे भाषणों से कार्य नहीं चलेगा इसके लिए ठोस कदम भी उठाने होगें तभी समाज में प्रभाव आएगा।"

देखा जाए तो अन्ना ने व्यक्ति निर्माण से ग्राम निर्माण और देश निर्माण के गांधीजी के मंत्र को हकीकत में उतारने का सम्पूर्ण प्रयास किया है। आम जनता के मन में भ्रष्टाचार के प्रति घोर असंतोष है, मगर उसके हाथ मजबूरियों की बेड़ियों से बांध दिये गए हैं कि वो इतना सक्षम नहीं हो पाता कि इन सबके खिलाफ आवाज उठाने का साहस ले आए क्योंकि आवाज उठाने से उसको पता नहीं किस रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़े, इससे उसे डर लगता है परन्तु अन्ना हजारे द्वारा उठी बुलन्द आवाज जो व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, ने एक बार फिर हर व्यक्ति की आत्मा को झकझोर दिया है, और हर व्यक्ति को इतना सम्बल प्रदान किया है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। आज भ्रष्टाचार ने अवधारणाओं में ही जहर घोल दिया है, धन ही सफलता का एकमात्र सूचक माना जाने लगा है, अन्य बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक गुण व विशेषताऐं द्वितीयक होते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप लोगों की निष्ठाऐं केवल धनोपार्जन तक ही सीमित हो गई है[5]। इतना भारी जनसमर्थन 2011 में अन्ना हजारे के साथ था, यह एक आंधी थी जो सोए हुए व्यक्ति की आत्मा का झकझोरने के लिए काफी थी। सरकार द्वारा जन लोकपाल के प्रति बेरूखी का वातावरण व इसे सरकारी बिल से बदलने की प्रवृत्ति से क्षुब्ध अन्ना ने आज तक हार नहीं मानी है उनके अनुसार यह आधी जीत है, अभी इस अनशन (2011) की समाप्ति से कोई हारा नहीं, और ना ही किसी को विजेता बताया जा सकता है[6]। अन्ना के अनशन ने एक नया इतिहास भारत में बनाया है[7]। अन्ना के अनशन ने यह भी साबित किया है कि देश का लोकतंत्र व संसदीय प्रणाली अब भी पूरी तरह खोखली नहीं हुई है। वह देर से ही सही लेकिन जनता की आवाज को ज्यादा समय तक अनसुनी नहीं कर सकती।

अन्ना के अनशन ने साफ संकेत दे दिए कि जनता सर्वोपरी है और संसद को उसकी सुननी पड़ेगी। अब तो देखा जाए तो देहातों के कार्यकर्त्ता सत्याग्रह का उपयोग करते दिख रहे हैं। सामाजिक व राजकीय पुनर्रचना के लिए सत्याग्रह का उपयोग कई बार किया गया है। वास्तव में सत्याग्रह में ही शोषितों के शोषण निवारण करने की सत्य व प्रेम की एक बड़ी शक्ति है और वह गुलामी का स्वतंत्रता में, अन्याय का न्याय में और विषमता का समता में रूपान्तरण की शक्ति रखता है। इसमें लोगों का आत्मबल बढ़ता है। अन्ना हजारे का मानना है कि "बदलाव लाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यह उम्मीद सिंर्फ शब्दों से नहीं है, मेरा मानना है कि जहां 99 प्रतिशत घोर चारित्रिक पतन और भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहाँ चरित्र की कसौटी पर खरे उतर सकें ऐसे 1 प्रतिशत लोग भी देश का भाग्य बदल सकते हैं"[8]। इसी आशा के साथ अन्ना हजारे ने 23 मार्च 2018 को किसानों का पक्ष प्रस्तुत करते हुए लोकपाल की जरूरत को सरकार के समक्ष अनशन द्वारा एक बार फिर रखने का अहिसांत्मक प्रयास किया और छः माह बाद फिर से अनशन की चेतावनी सरकार को दी है (यदि लोकपाल मसौदा लागू ना हुआ तो)।

साहित्यावलोकन

खान शमीम; महान् सुधारक अन्ना हजारे; हिन्द पॉकेट बुक्स; नई दिल्ली; 2013 – प्रस्तुत पुस्तक में अन्ना हजारे के जीवन परिचय का सचित्र संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है जो एकदम कहानी की तरह और सरल भाषा में लिखा गया है।

भारद्वाज राजकुमार; गांधी व अन्ना के मध्य का फासला; अनामिका पब्लिशर्स; 2012 – प्रस्तुत पुस्तक में गांधी जी व अन्ना हजारे का तुलनात्मक विवरण है। अन्ना हजारे के बहाने गणतंत्र, संसद, सांसद की ताकत और सबसे बड़ी बहस गांधीजी व अन्ना हजारे के व्यक्तित्व को लेकर शुरू हुई है। बहुत पुरातन व नूतन विचार इस पुस्तक में प्रस्तुत किये गए हैं जो कि नए भारत को गढ़ने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

राणा पूजा, ठाकुर प्रदीप; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012 – यह पुस्तक भ्रष्टाचार के चेहरे और उसे साफ करने में अन्ना हजारे जैसे धर्म योद्धा की भूमिका का सर्वांगींण अध्ययन तथा सशक्त भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक तैयार करने की विभिन्न चेष्टाओं का खाका प्रस्तुत करती है, जो सरकारी पदों पर बैठे लोगों को भारत में लोकतांत्रिक शासन के प्रभुत्व क्षेत्र को दूषित करने से रोक सके।

कुमार अरविन्द; अन्ना हजारे – भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक गांधी; प्रभात प्रकाशन; 2 नवम्बर 2017 – प्रस्तुत पुस्तक में अन्ना हजारे के जीवन परिचय व उनके भ्रष्टाचार विरूद्ध किए गए लोकपाल विधेयक प्रयासों पर आधारित है जिसे पढ़कर हमें अन्ना हजारे के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है।

त्रिपाठी विनायक; आधुनिक गांधी अन्ना हजारे; आर्या पब्लिकेशन; दिल्ली; 2012 – प्रस्तुत पुस्तक अन्ना हजारे के जीवन के त्याग व बलिदान की एक अविस्मरणीय गाथा है उनकी उपलब्धियों के साथ–साथ उनके संघर्ष की भी चर्चा की गयी है। प्रस्तुत नवयुवकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ उद्वेलित करने का पावन कार्य करेगी।

अध्ययन का उद्देश्य

2011 का वर्ष आजाद भारत के इतिहास में प्रमुख सशक्त आन्दोलन "जन लोकपाल विधेयक" के लिए भ्रष्टाचार से त्रस्त जन सैलाब के सड़कों पर उतर आने का वर्ष था। शायद सरकार ने इसकी उम्मीद भी ना की

हो कि बेहद शांत दिखने व रहने वाले सामान्य आम जन 'अन्ना हजारे' नाम की आंधी आएगी और समूचा भारत देश उस आंधी के समर्थन में उठ खड़ा होगा। अन्ना हजारे की चेतावनी सरकार पर भारी पड़ी। जिससे यही समझ में आता है कि गांधीजी के द्वारा दिखाए गए अहिसांत्मक सत्याग्रह के पथ पर चलकर वर्तमान में भी अन्याय व अत्याचार के खिलाफ सफलता प्राप्त की जा सकती है। मेरे द्वारा इस लेख को लिखने का यही उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी इस आवाज में जनता को अन्ना हजारे के सत्याग्रह आन्दोलन में उनकी तरह साहस का परिचय देते हुए सदैव उनका सम्बल बन उनके साथ खड़े रहना चाहिए। प्रथम बार 2011 जैसा जन समर्थन व मीडिया समर्थन हमें 2018 में देखने को नहीं मिला क्योंकि जनता की सोच अन्याय व भ्रष्टाचार को सहन कर शान्ति से रहने की हो गई है। वास्तविक लोकतंत्र की राह पर चलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का आजाद होना, विकसित होना आवश्यक है और इसके लिए एक विकसित सोच का होना आवश्यक है जो अन्ना हजारे के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलती है।

निष्कर्ष

इससे यही स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी ने आजादी से पूर्व सत्याग्रह की जो लहर चलाई 21वीं सदी में उसका अनुसरण करते हुए अन्ना हजारे ने जनता में एक नई सोच की ज्योति जगाई। यह जब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक समाज में भेदभाव, अन्याय, शोषण, अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक बुराईयां व्याप्त है। इस प्रकार अन्ना हजारे ने 21वीं शताब्दी में यह अभूतपूर्व कार्य करके अहिसंक क्रांति के सार्वभौमिक अस्त्र के रूप में सत्याग्रह को पुनः उपयोगी सिद्ध कर दिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कुमार अरविन्द; अन्ना हजारे – भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक गांधी; प्रभात प्रकाशन; 2 नवम्बर 2017; पृ. 6–7*
2. *https://youtu.be/UUOGJ6XAXRW.*
3. *चौधरी देवप्रकाश; लोकनायक अन्ना हजारे; हिन्द पॉकेट बुक्स; दिल्ली; 2011; पृ. 65*
4. *बघेल डॉ. वीरेन्द्र सिंह; अन्ना हजारे; अनुराग प्रकाशन; नई दिल्ली; 2013; पृ. 130*
5. *त्रिपाठी विनायक; आधुनिक गांधी अन्ना हजारे; आर्या पब्लिकेशन; दिल्ली; 2012; पृ. 34–38*
6. *राणा पूजा, ठाकुर प्रदीप; जननायक अन्ना हजारे; प्रभात प्रकाशन; दिल्ली; 2012; पृ.147*
7. *भारद्वाज राजकुमार; गांधी व अन्ना के मध्य का फासला; अनामिका पब्लिशर्स; 2012; पृ. 53*
8. *खान शमीम; महान् सुधारक अन्ना हजारे; हिन्द पॉकेट बुक्स; नई दिल्ली; 2013; पृ. 51*

द्विभाषीय - मासिक
ISSN (P) : 2321-290X (E) 2349-980X
RNI No. : UPBIL/2013/55327

Srinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Indexed with Google scholar

Impact Factor
SJIF = 5.689
GIF = 0.543

The Research Series

द्विभाषीय - मासिक

Shrinkhala

शृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

Multi-disciplinary International Journal

Certificate of Paper Publication

Shrinkhala

E-ISSN 2349-980X
P-ISSN 2321-290X

SJIF- 4.106
GIF-0.543
IIJIF-6.038

RNI UPBIL/2013/55327
Indexed Google scholar

Shrinkhala Ek Sodhparak Vaicharik Patrika

This is to certify that the paper titled...........गाँधीजी के लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों की सामयिक समीक्षा ....

Author : Dr. Vijay Sharaf[1] & Vaishali Badoliya[2]

Designation : Associate Professor[1] & Research Scholar[2]

Dept. : Political Science[1,2]

College : Govt. P.G. College, Jhalawar, Rajasthan[1,2]

has been published in our UGC approved International Peer Reviewed journal
vol. 05 issue 11 month July year 2018
The mentioned paper is measured upto the required.

Rajeev Misra
Dr Rajeev Misra
(Editor/Secretary)

Dr. Asha Tripathi
(Vice-President)

Social Research Foundation
Non Governmental Organisation
128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011
(Con) 0512-2600745, 9335332333, 9839074762 (E-mail) socialresearchfoundation@gmail.com (Web) : www.socialresearchfoundation.com

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गाँधीजी के लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों की सामयिक समीक्षा

सारांश

गाँधी दर्शन और गाँधी के राजनीतिक विचारों और कार्यशैली पर जब विहंगम दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रायः 8 मुद्दों पर निरन्तर संघर्ष किया है –

"नस्लवाद के विरूद्ध, उपनिवेशवाद के विरूद्ध, जाति व्यवस्था के विरूद्ध, लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता के लिए, आर्थिक शोषण के विरूद्ध, स्त्रियों की दुर्दशा को सुधारने के लिए, धार्मिक और नस्लीय कट्टरता का समर्थन करने वालों के विरूद्ध तथा अहिंसात्मक साधनों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के लिए।"

मुख्य शब्द : नस्लवाद, उपनिवेशवाद, राजनीतिक सहभागिता, नस्लीय कट्टरता, दलीय तंत्र, अहिंसा, सत्य, स्वशासन।

विजय सर्राफ
एसोसिएट प्रोफेसर
एवं पर्यवेक्षिका,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
झालावाड़, राजस्थान

वैशाली बड़ोलिया
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
झालावाड़, राजस्थान

प्रस्तावना

गाँधीजी के विचारों से स्पष्ट होता है कि गाँधीजी के राजनीतिक विचारों में लोकतन्त्र के प्रति निष्ठा सर्वत्र विद्यमान है।[2] लोकतन्त्र में समाज के पिछड़े वर्ग को राजनीतिक अधिकारों तथा व्यवस्था के निर्णयों को प्रभावित करने की माँग सतत् होती रही है। गाँधीजी ने भी लोकतन्त्र में सामाजिक उत्थान के पक्ष को महत्व दिया है। वे अभिजात तन्त्रीय लोकतन्त्र तथा पंचवर्षीय मतदान प्रणाली वाले औपचारिक लोकतन्त्र के पक्ष में नहीं है। उनके लोकतन्त्र में एक ओर समाज के दलित वर्गों द्वारा पूँजीपति, कुलीन वर्गों के नियन्त्रण के विरूद्ध राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा मिलती है, तो दूसरी ओर उनके आदर्श समाज की माँग भी है, जिसमें व्यक्ति को स्वशासन का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। गाँधीजी के सर्वोदयी उदारवादी लोकतन्त्र में दलविहीन राजनीति के दर्शन होते हैं। उनका यह मानना रहा है कि लोकतन्त्र के स्वतन्त्र व स्पष्ट विकास में राजनीतिक दलों ने अनेक बाधाएँ उत्पन्न की हैं।[3] गाँधीजी सर्वोदय तथा अन्त्योदय की दृष्टि से ऐसे समतावादी समाज के उत्पादक हैं, जिसमें नेता तथा जनता एक ही धरातल पर सादगी एवं संयम से जनसेवा का कार्य करते रहे। उन्होंने उद्योगवाद से रहित ऐसे समाज की नींव रखी है, जिसमें स्वावलम्बन द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।[4]

हिंसाविहीन राजनीति का सूत्रपात कर गाँधीजी ने स्वतन्त्रता, समानता तथा परोपकारिता के आदर्शों को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। वे राज्य के अवलम्बन से व्यक्ति को मुक्त कर जनजीवन में ऐसी जागृति उत्पन्न करना चाहते हैं, जिससे बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न न हो। सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह द्वारा लोकतन्त्र के मूल्यों की रक्षा करते हुए गाँधीजी ने राजनीति से गठबन्धनों तथा जोड़–तोड़ की सौदेबाजी को समाप्त कर व्यक्ति निर्णयों की शुद्धता तथा विवेकयुक्त सत्यनिष्ठा को महत्व दिया है।[5] गाँधीजी लोकतन्त्र को मिलावट विहीन अहिंसा का शासन मानते हैं। लोकतन्त्र अर्थात अहिंसा व्यक्ति की आत्मशुद्धि और नैतिक उत्थान को लिए हुए है। राजनीतिक स्वशासन, जिसमें पुरूष एवं स्त्रियों का स्वशासन अन्तर्निहित है, वे पश्चिमी देशों के लोकतन्त्रीय उदाहरण से सन्तुष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ शस्त्रों की होड़, साम्राज्यवाद, शोषण, पूँजीवाद, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा अच्छे नेतृत्व के अभाव ने सच्चे लोकतान्त्रिक मूल्यों को भुला दिया है। राज्य का अर्थिक कार्य में हस्तक्षेप राज्य शक्ति के बढ़ते हुए दायरे का प्रतीक बन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को निगलने के लिए मुँह बाये खड़ा है। ऐसे भयावह राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उचित नियन्त्रण व सन्तुलन ढूँढने की आवश्यकता ही गाँधीजी के लोकतान्त्रिक मूल्यों की तलाश है।[6] प्रभुत्व मतदाताओं द्वारा चुनी हुई संसद भी कुछ नहीं कर पाती है। उनका स्वार्थ और दम्भ उनके चिन्तन को संकीर्ण बना देता है। आज के

निर्णय कल बदल दिए जाते हैं। संसद के सदस्य या तो ऊँघते व आराम करते हुए दिखाई देते हैं या फिर लड़ते–झगड़ते दिखाई देते हैं। दल के लिए बिना सोचे–समझे मतदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ना तो देशभक्त ही कहा जा सकता है और ना ही ईमानदार एवं अन्तःकरण से प्रेरित ही कहा जा सकता है।

मन्त्रियों व प्रतिनिधियों के साथ ही गाँधीजी ने मतदाताओं को भी आड़े–हाथों लिया है, क्योंकि मतदाता प्रायः अस्थिर चित्त के होते हैं। वे किसी भी ओछपूर्ण तथा दावत सत्कार करने वाले व्यक्ति का अनुगमन कर सकते हैं। यह सभी त्रुटियाँ पश्चिमी लोकतन्त्र में है। अतः वहाँ की सभी लोकतान्त्रिक संस्थाएँ अलोकतान्त्रिक बन गयी हैं। संसद दासता का प्रतीक राष्ट्र का खर्चीला खिलौना मात्र है, जिसमें समय तथा धन दोनों का अपव्यय होता है। अतः पाश्चात्य लोकतान्त्रिक संस्थाओं को गाँधीजी ने अपूर्ण माना है। उनका आलोचना का मुख्य आधार पाश्चात्य लोकतन्त्र में व्याप्त हिंसा तथा असत्य की स्थिति है। गाँधीजी ने अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित स्वराज्य की कल्पना में राज्य का स्वरूप सत्य तथा अहिंसा से ओतप्रोत लोकतान्त्रिक राज्य को माना है, जिसमें वे भ्रष्टाचार व दम्भपूर्ण व्यवहार को समूल नष्ट करना चाहते हैं, उन्होंने संख्या के स्थान पर सेवा तथा त्याग की भावना से युक्त समानता का आदर्श स्वीकार किया है और ऐसे लोकतन्त्र को जबरन विकसित नहीं किया जा सकता है। इसी कारण लोकतन्त्र की भावना बाहर से नहीं थोपी जा सकती है। इसे अन्दर से बाहर आना होता है। इसलिए गाँधीजी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हैं, परन्तु मतदाता के लिए अधिक सेवा की शर्त भी स्वीकार करते हैं। विकेन्द्रित सत्ता को सार्वभौमिक मताधिकार से युक्त अनुशासित एवं राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमान निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित कराना चाहते हैं।

उनकी स्वयं की मान्यता कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा जो जनता की इच्छा से हटाए भी जा सके, लोकतान्त्रिक राज्य को अनुशासित करने का है, जन प्रतिनिधियों की संख्या कम करना चाहते हैं।[7] राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहते हैं। इसलिए गाँधीजी एक भिन्न प्रकार का लोकतन्त्र चाहते हैं और जितने गाँव की संख्या है, उतनी ही यूनिटों में शक्ति को विकेन्द्रित करना चाहते हैं। ऐसा लोकतन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधारित होगा और वर्तमान में प्रचलित दोषों का मुकाबला करने में सक्षम साबित होगा। गाँधीजी के अनुसार व्यक्तिगत स्वराज्य से तात्पर्य है – निःस्वार्थ, योग्य एवं निर्विकार होना। चयन के इच्छुक व्यक्ति को पदलोलुपता, आत्मप्रशंसा, विपक्ष को अपमानित करने तथा मतदाताओं का मनोवैज्ञानिक शोषण करने की वर्तमान बुराईयों से मुक्त होना चाहिए।[(8)] प्रचार के कारण मत नहीं मिलने चाहिए, अपितु अर्पित सेवा के गुण हेतु मत प्राप्त होने चाहिए। चूँकि गाँधीजी सत्याग्रही है, अतः सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति जो सेवा तथा मानव प्रेम के कारण पद ग्रहण करता है, उसे विभिन्न प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए। गाँधीजी के अनुसार मतदाता के लिए सम्पत्ति और शिक्षा की योग्यता प्रवर्चनापूर्ण है। शारीरिक श्रम की योग्यता ही सच्ची योग्यता का आधार है, क्योंकि शारीरिक श्रम शासन तथा राज्य की भलाई में कार्य करने के अवसर सदा के लिए प्रस्तुत करता है। श्रम पर आधारित मताधिकार राजनीति में रोजी–रोटी के सिद्धान्त के आदर्श को क्रियान्वित करता है। रोजी–रोटी के आदर्श का बुद्धिमतापूर्ण एवं जाग्रत प्रयोग मतदाता को राजनीतिज्ञों के हाथ का मोहरा नहीं बनने देता एवं व्यक्ति में स्वावलम्बन, आत्मविश्वास एवं अभय के गुणों की अभिवृद्धि होती है।[(9)]

इस तरह से निर्भय व्यक्ति ही लोकसेवा कर सकता है। इस प्रकार गाँधीजी का लोकतन्त्र एक ऐसा आदर्श लिए हुए है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय, प्रकृति एवं परमात्मा, सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है तथा गाँधीजी का अहिंसक राज्य एक तरह से आध्यात्मिक प्रजातन्त्र पर आधारित है, परन्तु वर्तमान में इस आध्यात्मिक प्रजातन्त्र का कोई ग्राहक दिखाई नहीं देता है। अतः भारतीय सन्दर्भ में यही कहा जा सकता है कि सार्वजनिक रूप से नागरिकों की निम्न दस समस्याएँ दिखाई दे रही हैं :–

1 बढ़ती कीमतें
2 बेरोजगारी
3 आतंक
4 सरकारी भ्रष्टाचार
5 देश की सुरक्षा की चिन्ता
6 कानून एवं व्यवस्था की चिन्तापूर्ण स्थिति,
7 राजनीतिक अस्थिरता
8 धर्म एवं जातीय समस्याएँ
9 पाकिस्तान के साथ निरन्तर युद्ध की स्थिति
10 अमेरिका के साथ सम्बन्धों की चिन्ता [10]

इन सभी चिन्ताओं के सन्दर्भ में यदि गाँधीजी के चिन्तन के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार किया जाये तो शायद कोई समस्या सुलझाव का रास्ता प्रशस्त हो सकता है, परन्तु भारतीय सन्दर्भ में गाँधीजी के रास्ते को कितना अपनाया गया व परखा गया। इससे प्रबुद्ध भारतीय अपरिचित नहीं है। सच्चाई तो यह थी कि जबसे देश को आजादी मिली थी, तबसे बहुत सारे भारतीयों ने इसके अस्तित्व को स्वाभाविक तौर पर देखा था तो कुछ ने (राष्ट्रवादियों ने) इसके बारे में भय के साथ लिखा या बयान दिए थे। बहुत सारे लोगों (अलगाववादी या क्रांतिकारी) ने इसे उम्मीदों के साथ देखा था। अपने विदेशी समकक्षों की ही तरह वे भी यह मानने लगे थे कि यहां की जमीन एक राष्ट्र के अस्तित्व में बने रहने के हिसाब से ज्यादा ही विविधता लिए हुए है और एक लोकतंत्र के फलने–फूलने के हिसाब से बहुत ही गरीब[(11)] परन्तु जब तक भारत की जनता थोड़ी धार्मिक विश्वासों वाली है, त्याग के आदर्श को मानती है और हर स्थिति में अपने को कर्म नियोजित करने को तत्पर है, तब तक गाँधीजी के लिए यही कहा जायेगा कि गाँधीवाद चिरायु हो! अन्यथा उनके विचार और कार्यप्रणाली की प्रासंगिकता पर नित नये प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे। अतः गाँधीजी का विरोध या समर्थन कोई भी व्यक्ति अपनी रिस्क पर ही करेगा।[(12)] वर्तमान समय में लोकतन्त्र की तानाशाही इतनी विकृत हो गई है कि सामान्य जन उनसे कतराने लगता है। सेना और पुलिस से तो जनता सम्पर्क ही नहीं रखना चाहती, क्योंकि वे जनता के सेवक नहीं, स्वामी की तरह

व्यवहार करते हैं। इससे लोकतन्त्र कुण्ठित हो गया है। समाज में आपसी सद्व्यवहार के स्थान पर कटुता आ गयी है। समाज दो भागों में विभाजित हो गया है – (1) जन सामान्य, (2) अभिजन। अभिजन जो अपने आपको इस समाज का सर्वेसर्वा मानता है, वह सामान्य जनता के साथ उचित व्यवहार नहीं करता।

गाँधीजी का लोकतन्त्र इसके विपरीत है। यद्यपि उन्होंने माना कि व्यक्तियों के आचरण में किसी न किसी रूप में हिंसा विद्यमान रहने के कारण एक सीमा तक बल प्रयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, किन्तु अहिंसक लोकतन्त्र में बल प्रयोग की संभावना को न्यूनतम किया जाएगा। इस अवस्था में पुलिस और सेना जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे और वे स्वयं भी अहिंसा के सिद्धान्त में आस्था रखेंगे। उन्हें अहिंसा के आचरण के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अहिंसा के आदर्श से प्रेरित जनता भी कानून और व्यवस्था तथा बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा के कार्यों में उनसे स्वाभाविक सहयोग करेगी। अतः पुलिस और सेना को बल प्रयोग की आवश्यकता सामान्यतः अनुभव ही नहीं होगी। इस व्यवस्था में पुलिस के पास थोड़े से हथियार होंगे, किन्तु उनका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं के बराबर होगी। सेना भी प्रवृत्ति से अहिंसक होगी और उसे अहिंसक युद्ध के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। शान्ति और अशान्ति दोनों ही स्थिति में सैनिक सक्रिय रहेंगे। शान्तिकाल में वे ऐसे रचनात्मक कार्यों में लगे रहेंगे, जिससे समाज में कलह और कटुता की संभावनाएँ ही समाप्त हो जाएगी। समाज में यदि कोई कलह अथवा दंगा हो अथवा असामाजिक तत्व सक्रिय हो, सामान्य सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करें तो सैनिकों का कर्त्तव्य संघर्ष में लिप्त पक्षों के मध्य सुलह कराने के लिए प्रयत्न करना होगा, भले ही इस प्रक्रिया में स्वयं सैनिकों को दंगा करने वालों की क्रोधाग्नि में क्यों न जल जाना पड़े।[13]

लक्ष्य की दृष्टि से गाँधीजी ने अहिंसक प्रजातन्त्र का आदर्श सर्वोदय सबका कल्याण माना है। उनके अनुसार यह लोकतन्त्र बहुमत और अल्पमत के हितों को पृथक–पृथक नहीं मानेगा, अपितु ऐसे वातावरण का निर्माण करेगा, जिसमें अल्पमत और बहुमत के हितों के मध्य कोई भेद नहीं रहेगा। इस व्यवस्था में शासन सबसे कमजोर व्यक्ति के हितों की सुरक्षा को भी सर्वोपरि महत्व देगा। कमजोर और दलित निम्न वर्गों का उत्थान इस शासन व्यवस्था का सर्वोपरि ध्येय होगा, ताकि सर्वांगीण विकास की व्यवस्था बनी रहे। इस लोकतन्त्र की प्रेरणा बन्धन के उपयोगितावादी आदर्श "अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख" से नहीं, अपितु समस्त मानवों का श्रेष्ठ कल्याण होगा। व्यक्तियों के सर्वकल्याण की परिधि में नैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक कल्याण शामिल होंगे। गाँधीजी ने लोकतन्त्र को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ ही शासन के लोकतान्त्रिक होने का मापदण्ड नहीं होता, अपितु लोकतान्त्रिक भावना की अभिव्यक्ति तो उन आदर्शों में होती है, जिनके लिए शासन सक्रिय और प्रयत्नशील रहता है। अतः अहिंसक लोकतन्त्र बहुमत या अल्पमत का शासन नहीं, अपितु न्याय का शासन होगा।

इस व्यवस्था में शासन द्वारा मनमाने निर्णय लेने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि न्याय और विधि के शासन का विचार शासन की समस्त संस्थाओं को अनुप्राणित करेंगे और ये विधि निर्माण तथा कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के औचित्य के मापदण्ड माने जायेंगे।[14]

वर्तमान भारतीय समाज पाश्चात्य सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित है, परन्तु आधुनिक भारतीय सभ्यता का संकट यही है कि इसका गतित्व समाप्त हो चुका है, किन्तु नवीन सभ्यता शिशु का अब तक जन्म नहीं हो सका है। शायद यह इसकी प्रसव वेदना का काल है। ओसवाल्ड स्पेगलर, डेनिलवस्की, अर्नल्ड टायनबी आदि मतों को उद्धृत करते हुए ए.एल. क्रोवर ने आधुनिक सभ्यता की जन्म कुण्डली स्थित कालचक्र के अनुसार यह भविष्यवाणी कर दी है कि इस सभ्यता का अन्त 21वीं सदी के मध्य तक सुनिश्चित है। जब किसी तत्वज्ञान या सामाजिक संरचना का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो जाता है तो वह जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से अनुबंध नहीं रखने के कारण सामाजिक क्रान्ति का उपकरण नहीं बन सकता।

इसी वैश्विक संदर्भ में दादा धर्माधिकारी ने सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार की प्रस्तुति में तीन बिन्दुओं को रखा है –

1. शास्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।
2. यंत्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।
3. प्रचलित लोकतन्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।

सर्वोदय का आधार एवं स्वरूप सांस्कृतिक है और हमारा संकट भी सांस्कृतिक है। अतः सर्वप्रथम हमें सांस्कृतिक मूल्यों के परीक्षण के लिए एक कसौटी तय करनी होगी। सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा को हम मूल्य कहते हैं। प्रमाणिकता उसका पहला लक्षण है और उसकी कसौटी है – "अपने जैसा दूसरों को जानना" अर्थात् मैं अपने लिए जो करूंगा, वह दूसरों के लिए करूंगा और पहला कदम मैं उठाऊँगा। कोई दूसरा पहला कदम उठाए, इस बात का इंतजार मैं नहीं करूंगा। इसी को हम "फल निरपेक्ष कर्त्तव्य" कह सकते हैं, जिसे कांट ने Categorical Imperative या गीता में अनासक्त कर्म की संज्ञा दी है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ऐसा कर्म भले ही व्यर्थ दिखे, लेकिन स्वायत्त जीवन की फल निरपेक्षता इसलिए व्यर्थ नहीं जा सकती है, क्योंकि फल निरपेक्षता का अर्थ है कि फुटकर फलों की आशा छोड़कर अंतिम फल की आशा करना यानि व्यापक अभिलाषा का नाम ही निराभिलाषा है। जब स्वार्थ परार्थ से आगे बढ़ जाता है तो परमार्थ हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति का कल्याण, सभी के कल्याण का पर्याय बन जाता है, तो वह सर्वोदय कहलाता है। जो तात्कालिक और व्यक्तिगत सुख के लिए अपने चरम सुख के साथ समझौता कर लेता है, वह सुधारवादी हो सकता है, क्रान्तिकारी नहीं।

जीवन को समझने के लिए हमें जीवन मूल्यों को समझना होगा। दादा धर्माधिकारी ने जीवन मूल्य के पाँच लक्षण बताए हैं :– (1) प्रमाणिकता, (2) सार्वत्रिकता, (3)

निरपेक्षता (4) स्वतः प्रमाणयता, एवं (5) स्वभाव की अनुरूपता। मूल्यों के परिवर्तन से ही जीवन परिवर्तन और समाज परिवर्तन संभव है। वृत्ति में परिवर्तन होने पर ही मूल्यों की स्थापना होगी। सर्वोदय दर्शन का उद्देश्य सुस्पष्ट है। उस उद्देश्य के अनुरूप साधन की अवधारणा भी साफ है।[15] हम शुरूआत के तौर पर अहिंसक लोकशक्ति के संगठन के लिए शान्ति सेना या अहिंसा वाहिनी सेना का व्यापक संगठन करें। यह तो आवश्यक है, लेकिन इसमें भी अधिक जरूरी है कि शान्ति या शिक्षा में अहिंसक क्रांति पर अमल करें। आज हमारा संस्कार ही हिंसक हो गया है। इसका परिष्कार कोई राजनेता या मठाधीश पण्डा या पुजारी नहीं कर सकता, वह तो सम्यक शिक्षा व्यवस्था से ही संभव है। आज की शिक्षा में न जीवन है न जीविका की गारण्टी। ऐसी स्थिति में इस शिक्षा से समाज का नेतृत्व पाने की आशा ही एक मृग–मरिचिका है। आजादी के बाद अराजक पुलिस या अर्द्धसैनिक व्यवस्था पर लगभग 500 गुना खर्च बढ़ा है और उसी अनुपात में अपराध भी बढ़े हैं। स्पष्ट है कि यह तरीका निकम्मा और बेकार है। आतंकवाद का उत्तर गाँधी हैं, जिसने चम्पारन में किसानों के लिए खेड़ा एवं बारडोली में अन्याय के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका और भारत में रंगभेद और अस्पृश्यता के खिलाफ तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरूद्ध युद्ध किया। गाँधीजी ने 1908 में लन्दन से दक्षिण अफ्रीका जाते समय जहाज पर ही "हिन्द स्वराज्य" नामक एक छोटी सी किताब लिख डाली थी। उनकी दृष्टि में यह हिंसा को समर्थन कर देने वाली भारतीय विचारधारा के प्रतिवाद के रूप में लिखा गया ग्रन्थ है। आखिरी समय में भी वे सम्प्रदायवाद से जूझते हुए मरे। आतंकवाद के लिए गाँधीजी की निष्ठा एवं उनका आत्मबलिदान चाहिए।[16]

हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिए। शिक्षा में हमने शान्ति और अहिंसा के तत्व को शामिल नहीं किया है। शिक्षा मानव मन और मानव संस्कार को ठीक करती है। दुर्भाग्य है कि हम धनुर्वेद और सैनिक विज्ञान को शिक्षा शास्त्र में प्रतिष्ठित स्थान देते हैं, परन्तु शक्ति शोध अहिंसा विज्ञान को अनावश्यक और अनुपयोगी मानते हैं। महावीर और बुद्ध, गाँधी और विनोबा के देश में 234 विश्वविद्यालय में से मात्र 10 विश्वविद्यालयों में गाँधी विचार और अहिंसा का छोटा–मोटा पाठ्यक्रम है। जबकि यूरोप और अमरीका में लगभग 2000 शान्ति शोध के संस्थान हैं। आज देश में लगभग 10 हजार कॉलेज हैं, पर प्रायः सभी जगहों पर प्रसार कार्य के रूप में सैनिक प्रशिक्षण (राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण, एन.सी.सी.) है, लेकिन शान्ति सेना का प्रशिक्षण बेकार समझा जाता है। आज तो विश्वविद्यालय के परिसर में हिंसक उपद्रवों के शमन के लिए बन्दूकधारी स्थायी सुरक्षा सैनिक रखे जाते हैं। यदि हिंसा और आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है तो कलह, शमन और शान्ति का भी प्रशिक्षण देना होगा। इसलिए अहिंसा का अध्ययन शोध तथा प्रशिक्षण जरूरी है। हमने प्रशिक्षण एवं शान्ति प्रसार का कार्य केवल साधु–सन्तों पर छोड़ दिया है, जो प्रायः साम्प्रदायिकता, भेदभाव, अपने वर्चस्व को बनाये रखने में अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। विश्व धर्म और विश्व नैतिकता, विश्व झाँकी का आधार है। धर्मान्तरण के द्वारा सम्प्रदाय विस्तार भी धार्मिक साम्राज्यवाद का ही रूप है। भूमण्डलीकरण के नाम पर विकासशील देशों के शोषण वस्तुतः आक्रमणपूर्ण युद्ध है। इसी प्रकार पूँजीवादी या साम्यवादी, वैश्विक ईसाइयत या विश्व हिन्दुत्व या अखिल इस्लामियत की भावना और योजना विश्व शान्ति की बाधक है। यह 'अहिंसा परमो धर्मः' का आचरण करते हैं, परन्तु वास्तव में 'हिंसा परमो धर्मः' का आचरण करते हैं।[17]

गाँधीदर्शन और हमारा समाज इन दिनों विश्व को अहिंसा का नया सृजन फलक प्रदान कर रहा है। इसी केनवास के जरिये हम विश्व को शान्ति के एक नये झरोखे द्वारा देख सकते हैं एवं गाँधी दर्शन की एक नई व्याख्या से रूबरू हो सकते हैं। आतंक बिखराव और दहशत से जूझते हुए विश्व को इन दिनों गाँधी दर्शन और उनका अहिंसा का प्रयोग सूत्र ही एकमात्र चिराग है, जो इस विश्व को एक नया रास्ता दिखा सकता है। इस नई सदी में गाँधीजी के दर्शन की नयी परिभाषा की जा सकती है। आज प्रश्न यह भी उठाया जा रहा है कि क्या गाँधी दर्शन इस नयी सदी के बदलते हुए परिदृश्य में भी इतना ही प्रासंगिक है, जितना पहले था।

साहित्यावलोकन

प्रसाद, नागेश्वर (सम्पा0); "हिन्द स्वराज : ए फ्रेश लुक", गाँधी पीस फाउण्डेशन, नई दिल्ली & "It is in this perspective that Gandhi's critique of modern civilization becomes understandable. It is also in this perspective that Gandhi's branding of modern civilization as "Satanic" makes sense."

नागर, पुरूषोत्तम;"आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिन्तन", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर – "प्रस्तुत पुस्तक में राजा राममोहन राय से लेकर राम मनोहर लोहिया तक के विभिन्न राजनीतिज्ञों, विचारकों, समाज सुधारकों एवं क्रांतिकारियों के सिद्धान्तों और विचारकों का सप्रमाण विवेचन किया गया है। यह मूलतः भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम एवं तज्जनित नवचेतना का सुफल है। जहाँ एक ओर आधुनिक युग की सामाजिक एवं राजनीतिक विश्वव्यापी मान्यताओं को पाश्चात्य संसर्ग के कारण आत्मसात् करने वाले भारतीय मनीषी चिंतकों ने भारतीय परिवेश में उन्हें यथाशक्ति साकार करने का प्रयत्न किया है तो दूसरी ओर परम्परारूढ़ चिंतकों ने भारतीय परिवेश में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के विचार बिन्दुओं का अवलम्बन लेकर चिंतन के अविरल प्रवाह को बनाए रखा है।"

डगलस, ऐलन; "द फिलॉस्फी ऑफ महात्मा गाँधी फॉर द 21 सेनच्यूरी" (21वीं सदी के लिए महात्मा गाँधी का दर्शन परिचयात्मक अध्याय), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008 – "In this volume the author present numerous ways in which Gandhi's thought and action-oriented approach are significant, relevant and urgently needed for addressing the major problems and concern of the twenty-first century."

गाँधी, एम.के.; "हिन्द स्वराज और इण्डियन होम रूल", नवजीवन प्रकाशन हाउस, अहमदाबाद – "In the book Gandhi gives a diagnosis for the problems of

humanity in modern times, the causes and his remedy."

चतुर्वेदी, मधुकर श्याम;"प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक", कॉजेज बुक हाउस, जयपुर, 2001 – "यह पुस्तक कोटा विश्वविद्यालय में पाठ्यपुस्तक के रूप में चलती है। इसमें गाँधीजी का पूरा एक अध्याय है, जिसमें गाँधीजी के लोकतंत्र सम्बन्धी विचारों की व्याख्या की गई है।"

रत्तू, डॉ. कृष्णकुमार एवं डॉ. कमला;"समग्र गाँधी दर्शन, गाँधी चिन्तन और वर्तमान प्रसंग", आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2009 – "यह सभी प्रकार के विद्यार्थियों व आम जन के लिए उपयोगी पुस्तक है एवं इसके अध्ययन से गाँधीजी के विचार व उनकी प्रासंगिकता के बारे में जानने में सहायता मिलती है।"

चक्रवर्ती, विद्वुत;"सोशल एण्ड पोलिटिकल थ्योरी ऑफ महात्मा गाँधी", लन्दन रॉडलेज, 2006 – "प्रमुख राजनीतिक विचारकों में डॉ. कृष्ण कुमार व डॉ. कमला विद्युत चक्रवर्ती ने गाँधी दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं जो शोध के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।"

गुहा, रामचन्द्र; "भारत गाँधी के बाद, दुनिया के विशालतम लोकतन्त्र का इतिहास", पेंगुइन बुक्स, 2016 – प्रस्तुत पुस्तक आजादी से पहले भारत की स्वतन्त्रता और आजादी के बाद के भारत को गाँधी के लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों और भारत के तत्काल विखंडन या इसके अराजक स्थिति में पहुँच जाने या किसी तानाशाह (भ्रष्टाचार) के चंगुल में फंस जाने की भविष्यवाणी की ओर ध्यान आकृष्ट करती है।

निष्कर्ष

आज इस ग्लोबल संसार के सामने जो विश्व स्तरीय चुनौतियाँ हैं, उन्हें देखते हुए गाँधी दर्शन आज भी उतना ही स्वीकार्य है, जितना पहले था, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। गाँधी दर्शन की इस प्रासंगिकता को दर्शाते हुए लेखक जनार्दन द्विवेदी का मानना है कि पिचहत्तर साल पहले आधुनिक विश्व के दो असाधारण पुरूषों ने अपने–अपने देश में जनक्रान्ति का नेतृत्व किया। दोनों ही के अपने अलग–अलग विचार थे। वे अपने देश व विश्व को एक नये रास्ते पर ले जाना चाहते थे। जहाँ सभी प्रकार के शोषण और दमन से मुक्ति हो, हालाँकि उनके लक्ष्य कमोबेश समान थे, लेकिन उन्हें प्राप्त करने का रास्ता और तरीका बिल्कुल भिन्न था। वे दोनों आत्म बलिदान और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। वे महापुरूष थे – गाँधी और वी.आई. लेनिन।[18]

आज गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता शायद पहले से अधिक महसूस होने लगी है। विश्व के वैश्वीकरण के चलते गाँधी आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गये हैं। आज पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मण्डरा रहा है। इस स्थिति में गाँधी दर्शन एक शक्ति कवच के रूप में हमारे सामने आ रहा है। आज पूरे विश्व में गाँधी दर्शन को एक नये नजरिये से देखने का प्रयोग किया जा रहा है। गाँधी दर्शन इसकी सामयिक परिभाषा बताता है, जो शान्ति में निहित है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *डगलस, ऐलन; "द फिलॉस्फी ऑफ महात्मा गाँधी फॉर द 21 सेनच्यूरी" (21वीं सदी के लिए महात्मा गाँधी का दर्शन परिचियात्मक अध्याय), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008, पृ.सं. VIII*
2. *नागर, पुरूषोत्तम;"आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिन्तन", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ.सं. 382*
3. *नागर, पुरूषोत्तम;"आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिन्तन", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ.सं. 383*
4. *जोली, सुरजीत कौर;"गाँधी एक अध्ययन", सम्पादित कान्सैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 78*
5. *जोली, सुरजीत कौर;"गाँधी एक अध्ययन", सम्पादित कान्सैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 326*
6. *गाँधी, एम.के.; "हिन्द स्वराज और इण्डियन होम रूल", नवजीवन प्रकाशन हाउस, अहमदाबाद, 1938, पृ.सं. 13*
7. *नागर, पुरूषोत्तम;"आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिन्तन", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ.सं. 384*
8. *चक्रवर्ती, विद्वुत;"सोशल एण्ड पोलिटिकल थ्योरी ऑफ महात्मा गाँधी", लन्दन रॉडलेज, 2006, पृ.सं. 24*
9. *प्रसाद, नागेश्वर (सम्पा0); "हिन्द स्वराज : ए फ्रेश लुक", गाँधी पीस फाउण्डेशन, नई दिल्ली, 1385, पृ. सं. 1*
10. *राजेश एण्ड बसरूर;"चेलेन्जेज टु डेमोक्रेसी इन इण्डिया", ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, 2009, पृ. 191*
11. *गुहा, रामचन्द्र; "भारत गाँधी के बाद, दुनिया के विशालतम लोकतन्त्र का इतिहास", पेंगुइन बुक्स, 2016, पृ.सं. xvi*
12. *नायडू, एम.वी.; "द एनेटोमी ऑफ नॉन वाइलांट रिजोल्यूशन : ए कम्पेरेटिव एनेलिसिस" ("द फिलॉस्फी ऑफ महात्मा गाँधी फोर द 21 सेन्च्यूरी" एलन डगलस द्वारा सम्पादित), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008, पृ.सं. 244*
13. *चतुर्वेदी, मधुकर श्याम;"प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक", कॉजेज बुक हाउस, जयपुर, 2001, पृ.सं. 354*
14. *चतुर्वेदी, मधुकर श्याम; पूर्वउद्धृत, पृ.सं. 355*
15. *सिंह, रामजी;"गाँधी और मानवता का भविष्य", कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, 2008, पृ. 12*
16. *सिंह, रामजी; पूर्वउद्धृत, पृ.सं. 53*
17. *सिंह रामजी; पूर्वउद्धृत, पृ.सं. 56*
18. *रत्तू, डॉ. कृष्णकुमार एवं डॉ. कमला;"समग्र गाँधी दर्शन, गाँधी चिन्तन और वर्तमान प्रसंग", आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2009, पृ.सं. 23*